निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

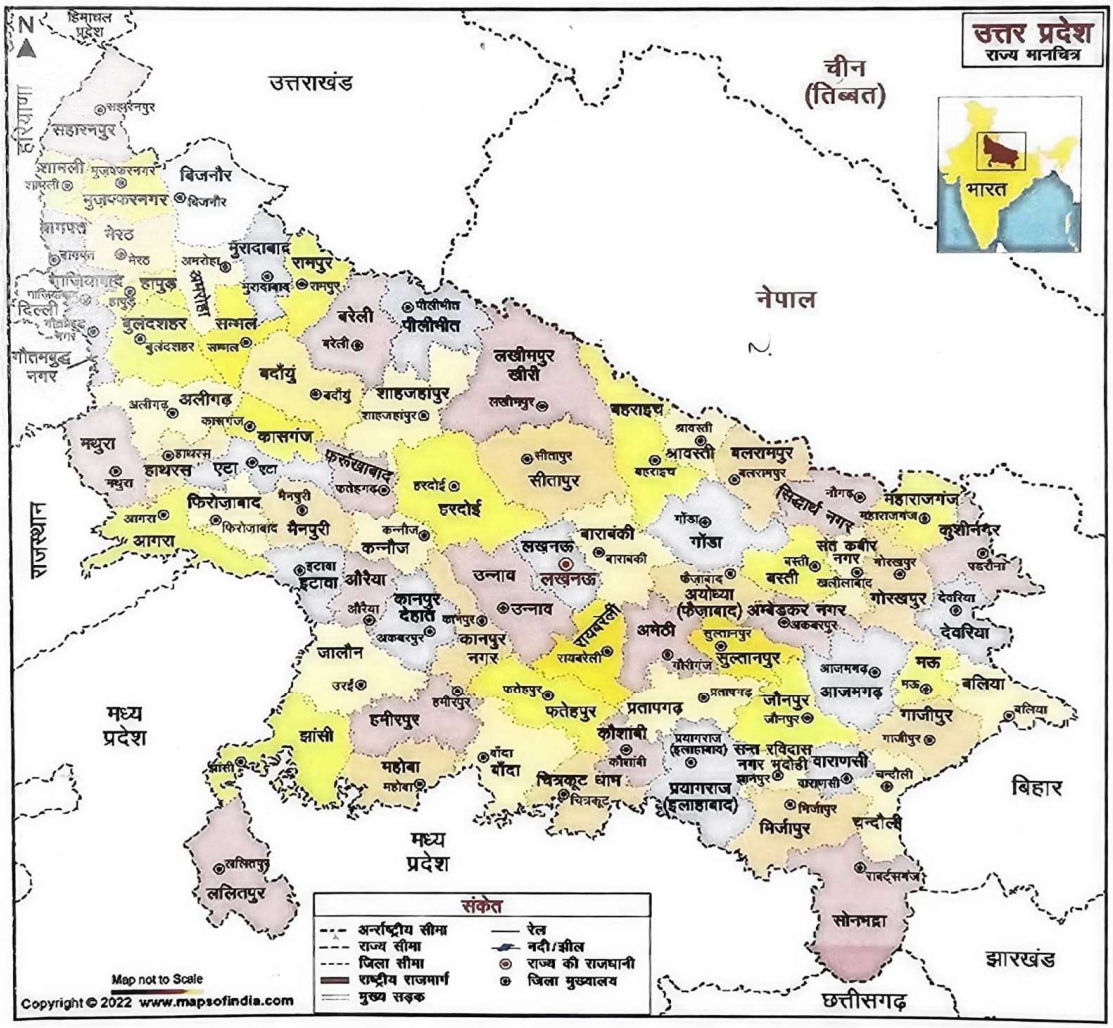

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-4

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	जिला पंचायत	4.1	पृष्ठ संख्या(भाग)
1	लखनऊ मण्डल		**1552-1659(4)**
2	मेरठ मण्डल		**1659-1708(4)**
3	मुरादाबाद मण्डल		**1708-1812(4)**
4	प्रयागराज मण्डल		**1812-1914(4)**
5	सहारनपुर मण्डल		**1914-1975(4)**
6	वाराणसी मण्डल		**1976-2063(4)**
7	विन्ध्याचल मण्डल		**2063-2103(4)**

जनपद-हरदोई **मण्डल-लखनऊ**

प्रारूप -03

त्रिस्तरीय पंचायती राज वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

क्षेत्र पंचायत हरियावां 2021-22 **सन्निहित धनराशि - रु० 7,778=00**

प्रस्तर संख्या 1 -आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत हरियावां द्वारा 15वे वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गए कार्यों 1-हिंगुआपुर में बेला तालाब पर ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण व 2- मझिगवां में गन्दा नाला पर आर० सी०सी० पुलिया निर्माण के कार्यों पर सामग्री क्रय के बिलों से जी०एस०टी० कटौती 2 प्रतिशत (1%सी.जी.एस.टी.+1%एस.जी.एस.टी.) की दर के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से रु० 7,778=00 की गई है,इस प्रकार जी०एस०टी० कटौती रु० 7,778=00 से कम करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गई है और जी०एस०टी०अधिनियम 2017 की धारा 51 का उल्लंघन किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री कमलेश अस्थाना व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती संध्या रानी समान रूप से जिम्मेदार है । जिसके लिए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली के नियम 179 (2) के क से ङ के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दोनों लोगों से समान रूप से मय दण्ड ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत हरियावां 2021-22सन्निहित धनराशि - रु०63,000=00

प्रस्तर संख्या 2 -आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत हरियावां द्वारा 42 कार्य सामग्रियों हेतु 42 गुणा 3=126 टेंडर फार्म की बिक्री की गई दर्शित है , संस्था द्वारा प्रत्येक टेण्डर फार्म का मूल्य रु० 500=00 लिया जाता है, इस प्रकार लेखा परीक्षा अनुसार टेण्डर फार्म की बिक्री से रुपया 63,000=00 की आय दर्शित होनी चाहिए थी, परन्तु संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में कराये गए कार्यों के सापेक्ष शून्य रूपये की आय दर्शित है , रुपया 1,000=00 की आय अगले वितीय वर्ष में कराये गए कार्य के सापेक्ष माह मार्च 2022 में प्राप्त दर्शित है । इस प्रकार संस्था द्वारा टेण्डर फार्म बिक्री की धनराशि से आय रुपया 63,000=00 से कम दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है ,जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री कमलेश अस्थाना व खण्ड विकास अधिकारी सुश्री रचना गुप्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है । जिसके लिए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली के नियम 179 (2) के क से ङ के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दोनों लोगों से समान रूप से मय दण्ड ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत- अहिरोरी वर्ष 2019-2020से 2021-22धनराशि-रु० 27,28,624.00

प्रस्तर संख्या-3वितीय वर्ष 2019-2020की लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावलियों की जाँच के क्रम में 4 कार्यों की पत्रावलियों में केवल सामग्री पर भुगतान किया जाना पाया गया परन्तु इन क्रय सामग्रियों के सापेक्ष

श्रमांश पर न कोई व्यय किया गया और नही उनके मास्टर रोल संलग्न पाये गये। इन कार्यों पर सामग्री पर भुगतान का विवरण अधोलिखित प्रकार हैं -

क्र0सं0	कार्य का नाम	बाउचर संख्या तथा दिनांक	चेक या पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार भुगतान की तिथि	बाउचर के अनुसार सामग्री पर भुगतान की धनराशि (रु0 में)	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म का नाम
1	विकास खण्ड परिसर में इंटर लाकिंग एवं उद्दान कार्य	713- 20.2.2020	अनुपलब्ध	295423.00	बाला जी टे"डर्स
			योग	295423-00	
2	अहिरोरी मेन रोड से कृषि बीज भंडार तक इंटर लाकिंग कार्य	499- 23.6.2020457- 25.7.2020	31.7.2020 17.9.2020	664876.00 151840.00	बाला जी ट्रेडर्स बाला जी ट्रेडर्स
			योग	816716.00	
3	जलालपुर मेन रोड से अंकित यादव के घर तक इंटर लाकिंग कार्य	474- 22.3.2020 447- 14.5.2020	31.7.2020 17.9.2020	650330.00 149921.00	बाला जी ट्रेडर्स
			योग	800251.00	
4	निरंजन पुरवा मे पहाड़ी के घर से गीता के घर तक इंटर लाकिंग	479- 27.3.2020 458- 27.5.2020	31.7.2020 17.9.2020	648960.00 167274.00	बाला जी ट्रेडर्स
			योग	816234.00	
	कुल धनराशि (1-4)			2728624.00	

उपरोक्त कुल कार्यों पर सामग्री पर व्यय, जिसका कुल योग रु0 2728624.00 है, किया गया किन्तु इसके सापेक्ष श्रमांश पर कोई भी व्यय दर्शित नहीरहा, जबकि ऐसा संभव नही प्रतीत होता हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खण्ड 49(1) के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी द्वारा निर्माण कार्य की स्थिति में मास्टर रोल तैयार करने की बात कही गई है, जो कि उपरोक्त सभी कार्यों की पत्रावलियों में अप्राप्त रहा।

इसके परिणाम स्वरुप बिना श्रमांश के सामग्री पर भुगतान किया जाना कल्पित कार्य पर सामग्री पर भुगतान की धनराशि के अपहरण की ओर संकेत करता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कार्य पर कुल व्यय धनराशि रु0 2728624.00 उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट व सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) (क) से (ड़) के अंतर्गत अधिभार का प्रकरण बनकर उसके अपहरण को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए

उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अमरेश सिंह चौहान, ब्लाक प्रमुख श्री शिव रतन लाल एवं लेखाकार श्री रामेन्द्र कुमार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- अहिरोरी वर्ष 2019-2020 से 2021-22 धनराशि-रु०40,400.00

प्रस्तर संख्या-4 वित्तीय वर्ष 2021-22में निम्न विवरण के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा टैक्स काटकर रोके रखना नियमों के विरूद्ध है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में सम्बंधित जमा	वर्षांत शेष
1	स्रोत पर आय कर कटौती	384111.00	94946.00	-	479057.00
2	जि0 एस0 टी0 कटौती	413091.00	94946.00	-	508037.00
3	लेबर सेस	82528.00	47472.00	-	130000.00
	योग	879730.00	237364.00	-	1117094.00

उक्त कटौतियों को समय से कोषागार में न जमा करने पर अर्थ दंड की व्यवस्था का प्रावधान है l जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं l जिसको शीघ्र ही जमा कराया जाना चाहिए l

---

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कराये गए कार्यों के लिए टेंडर की प्रक्रिया तो अपनाई गयी है किन्तु टेंडर फार्म बिक्री से प्राप्त धनराशि रु० 40400.00 को पार्ट- 2 और पार्ट-3 में न दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पंकज यादव एवं श्री विपिन कुमार चौधरी तथा लेखाकार श्री शिव कुमार जिम्मेदार हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 (2) के क से ड के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत- बेहन्दर वर्ष 2019-2020से 2021-22 धनराशि- रु०35,54,694.00

प्रस्तर संख्या-5 दिनांक 01.04.2019 से 30.10.2019 तक क्षेत्र पंचायत बेंहदर जिला हरदोई में राज्य वित्त खाते से रू0 35,54,694-00 की निकासी की गयी। उक्त निकासी के सापेक्ष व्यय प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय क्षेत्र पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के आधार पर नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार ब्लाक के लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी का संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से बराबर की जानी आपेक्षित है। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक क्षेत्र पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों की डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मास्टर रोल माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी लैण्ड मार्ग युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये व ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय, वर्क रजिस्टर में सभी कार्यों का न भरने के कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर उपरोक्त धनराशि को गबन आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त विवरणहीन व प्रमाणक विहीन योग तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की

वसूली उत्तरदायी उत्तकालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती संध्या रानी व लेखाकार श्री अतुल कुमार अवस्थी से बराबर बराबर की जाने आपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार अगणित अपहरण की कुल धनराशि में श्रीमती संध्या रानी खण्ड विकास अधिकारी से 17,77,347-00 व श्री अतुल कुमार अवस्थी लेखाकार से 17,77,347-00 की वसूली ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-बेहन्दर वर्ष 2019-2020 से 2021-22 धनराशि- रु०24,18,288-00

प्रस्तर संख्या-6दिनांक 04.10.2019 से 31.03.2020 तक क्षेत्र पंचायत बेंहदर जिला हरदोई में राज्य वित्त खाते से रू०24,18,288-00 की निकासी की गयी। उक्त निकासी के सापेक्ष व्यय प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय क्षेत्र पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के आधार पर नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार ब्लाक के लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी का संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से बराबर की जानी आपेक्षित है। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक क्षेत्र पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों की डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मास्टर रोल माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी लैण्ड मार्ग युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये व ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय, वर्क रजिस्टर में सभी कार्यों का न भरने के कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर उपरोक्त धनराशि को गबन आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त विवरणहीन व प्रमाणक विहीन योग तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी उत्तकालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती संध्या रानी व लेखाकार श्री अतुल कुमार अवस्थी से बराबर बराबर की जाने आपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार अगणित अपहरण की कुल धनराशि में श्रीमती सुधा आर्या खण्ड विकास अधिकारी से 12,09,144-00 व श्री अतुल कुमार अवस्थी लेखाकार से 12,09,144-00 की वसूली ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-बेहन्दर वर्ष 2019-2020 से 2021-22 धनराशि- रु०26,86,064-00

प्रस्तर संख्या-7-दिनांक 01.04.2020 से 08.06.2020 तक क्षेत्र पंचायत बेंहदर जिला हरदोई में राज्य वित्त खाते से रू०26,86,064-00 की निकासी की गयी। उक्त निकासी के सापेक्ष व्यय प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय क्षेत्र पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के आधार पर नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार ब्लाक के लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी का संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से बराबर की जानी आपेक्षित है। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक क्षेत्र पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों की डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मास्टर रोल माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी लैण्ड मार्ग युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये व ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय, वर्क रजिस्टर में सभी कार्यों का न भरने के कारण उपरोक्त व्यय की

जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर उपरोक्त धनराशि को गबन आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त विवरणहीन व प्रमाणक विहीन योग तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी उत्तकालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती संध्या रानी व लेखाकार श्री अतुल कुमार अवस्थी से बराबर बराबर की जाने आपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार अगणित अपहरण की कुल धनराशि में श्रीमती सुधा आर्या खण्ड विकास अधिकारी से 1343032-00 व श्री अतुल कुमार अवस्थी लेखाकार से 1343032-00 की वसूली ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- बेहन्दर वर्ष 2019-2020से 2021-22 धनराशि-रु०70,10,476-00

प्रस्तर संख्या-8-दिनांक 09.06.2020 से 31.03.2021 तक क्षेत्र पंचायत बेंहदर जिला हरदोई में राज्य वित्त खाते से रू० 70,10,476-00 की निकासी की गयी। उक्त निकासी के सापेक्ष व्यय प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय क्षेत्र पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के आधार पर नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार ब्लाक के लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी का संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से बराबर की जानी आपेक्षित है। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक क्षेत्र पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों की डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मास्टर रोल माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी लैण्ड मार्ग युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये व ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय, वर्क रजिस्टर में सभी कार्यों का न भरने के कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर उपरोक्त धनराशि को गबन आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त विवरणहीन व प्रमाणक विहीन योग तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी उत्तकालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती संध्या रानी व लेखाकार श्री अतुल कुमार अवस्थी से बराबर बराबर की जाने आपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार अगणित अपहरण की कुल धनराशि में श्री सुधीर कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी से 35,05,238-00 व श्री अतुल कुमार अवस्थी लेखाकार से 35,05,238-00 की वसूली ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- बेहन्दर वर्ष 2019-2020से 2021-22 धनराशि-रु०92,74,514-00

प्रस्तर संख्या-9-दिनांक 01.02.2021 से 31.03.2021 तक क्षेत्र पंचायत बेंहदर जिला हरदोई में केन्द्रीय वित्त खाते से रू० 92,74,514-00 की निकासी की गयी। उक्त निकासी के सापेक्ष व्यय प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय क्षेत्र पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के आधार पर नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार ब्लाक के लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी का संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से बराबर की जानी आपेक्षित है। व्यय पत्रावलियां

जिसमें व्यय प्रमाणक क्षेत्र पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों की डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मास्टर रोल माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी लैण्ड मार्ग युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये व ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय, वर्क रजिस्टर में सभी कार्यों का न भरने के कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर उपरोक्त धनराशि को गबन आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त विवरणहीन व प्रमाणक विहीन योग तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी उत्तकालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती संध्या रानी व लेखाकार श्री अतुल कुमार अवस्थी से बराबर बराबर की जाने आपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार अगणित अपहरण की कुल धनराशि में श्री सुधीर कुमार खण्ड विकास अधिकारी से 4637257-00 व श्री अतुल कुमार अवस्थी लेखाकार से 4637257-00 की वसूली ब्याज सहित की जानी आपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- बेहन्दर वर्ष 2019-2020से 2021-22 धनराशि-रु०2,32,785-50

प्रस्तर संख्या-10वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त खाते से निकासी रू० 10801955-00 के सापेक्ष निर्माण कार्य रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय 10569169-50 किया गया है। अतः रू० 2,32,785-50 कम व्यय किया गया है। जिसके कोई भी प्रमाणक व कार्य लेखा परीक्षा में नहीं रखे गये है। अतः प्रमाणक विहीन व विवरण विहीन व्यय किया गया है इस प्रकार किया गया व्यय क्षेत्र पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के आधार पर नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार ब्लाक के लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी का संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उमेश चन्द्र अग्रवाल व लेखाकार श्री रमेश चन्द्र से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी आपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - कछौना वर्ष 2020-21 से 2021-22 धनराशि-रु०965457-00

प्रस्तर संख्या-11-वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण (राज्य वित्त योजना एवं 14-15 वित्त योजना) तालिका अनुसार ,क्षेत्र पंचायत -कछौना,जनपद -हरदोई ने निम्न कार्यों पर सामग्री व्यय तो किया हैं परन्तु श्रमांश व्यय नहीं किया हैं । जिस कारण कार्य पूर्ण होने की स्तिथि ले-प- में अस्पष्ट रही । इन कार्यों की कार्य पत्रावली में डी-पी-सी--9/कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं हैं । इन कार्यों का विवरण निम्नवत हैं -

क्रमांक	कार्य का नाम	सामग्री व्यय	श्रमांश व्यय
1	कछौना कोतवाली परिसर में 6 यूनिट सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य -	540524-00	0-00
2	ग्राम पैरा में सुन्नी बघौडा मार्ग से गाढेबाबा देवस्थान तक खडंजा कार्य -	424933-00	0-00
	योग ---	965457-00	0-00

वित्त वर्ष 2020-21 में उक्त कराये गये 2 कार्यों के विवरण से स्पष्ट हैं कि क्षेत्र पंचायत ने श्रमांश व्यय न कर , सामग्री अंश की कुल धनराशि रु०965457-00 का अपहरण किया हैं । जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास

अधिकारी श्री उमेश कुमार साहू ,श्री रोहिताश कुमार व श्री विपिन चौधरी एवं लेखाकार श्री शिव कुमार व श्री रमेश चंद तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती रामरती से की जानी अपेक्षित हैं ।

क्षेत्र पंचायत - कछौना वर्ष 2020-21 से 2021-22 धनराशि-रु०-4217880-00

प्रस्तर संख्या-12- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण (राज्य वित्त आयोग योजना एवं 14वॉ/15वॉ वित्त आयोग योजना) तालिका अनुसार ,क्षेत्रपंचायत-कछौना,जनपद-हरदोई ने निम्न कार्यों पर सामग्री व्यय तो किया हैं ,परन्तु श्रमांश व्यय नहीं किया हैं । जिस कारण कार्य पूर्ण होने की स्तिथि ले-प- में अस्पष्ट रही ।इन कार्यों की कार्य पत्रावली में डी-पी-सी--9/ कार्य पूर्तिप्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं हैं । इन कार्यों का विवरण निम्नवत हैं -

क्रमांक	कार्य का नाम	सामग्रीव्यय	श्रमांश व्यय
1	बहादिन में बब्लू के मकान से रामनरेश मुन्नू के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य -	202792-00	0-00
2	राजेश के घर से महादेव के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य -	214472-00	0-00
3	मुनान के घर से महादेव के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य -	213954-00	0-00
4	किशन कुमार के घर से प्राइमरी पाठशाला भवानीपुर तक इंटरलॉकिंग कार्य-	216126-00	0-00
5	भवानीपुर में चंद्रपाल के घर से किशन कुमार के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य -	215832-00	0-00
6	श्रीपाल के मकान से मूलचंद के मकान होते हुए राजपाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य -	125121-00	0-00
7	रामचंद्र के घर से बैजू के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य-	228617-00	0-00
8	अरमान की दुकान से जुगराज के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य -	259335-00	0-00

9	कामीपुर में छोटे मिश्रा के खेत से रहीस के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य -	217496-00	0-00
10	गौरिखालसा में 4 यूनिट सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य -	582810-00	0-00
11	बालामऊ गौसगंज रोड से विजय शिक्षण संस्थान मोड तक इंटरलॉकिंग कार्य-	245383-00	0-00
12	टूटीयारा में लखनऊ पलिया मार्ग से रमेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य -	157965-00	0-00
13	हरिश्चंद्र के घर से कालीचरण के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य -	217702-00	0-00
14	बालामऊ कलौली रोड से शिवबाबू पासी के मकान तक इंटरलॉकिंग निर्माण -	321295-00	0-00
15	गौहानी रोड से छोटे मिश्रा के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य -	217496-00	0-00
16	सामुदायिक शौचालय निर्माण (4 यूनिट) गौसगंज	581484-00	0-00
	योग -----	4217880-00	0-00

वित्त वर्ष 2021-22 में उक्त करायें गये 16 विकास कार्यों के विवरण से स्पष्ट हैं कि क्षेत्र पंचायत ने श्रमांश व्यय न कर ,सामग्री अंश की कुल धनराशि रु०4217880-00 का अपहरण किया हैं । जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार चौधरी व श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल एवं लेखाकार श्री रमेश चंद तथा ब्लाक प्रमुख श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती रामश्री से की जानी अपेक्षित हैं ।

क्षेत्र पंचायत - कछौनावर्ष 2020-21 से 2021-22सन्निहित धनराशि-रु० 442333-00

प्रस्तर संख्या-13-कार्यवार सामग्री /श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान की स्तिथि (राज्य वित्त आयोग एवं 14-15 वित्त आयोग योजना) तालिका अनुसार क्षेत्र पंचायत -कछौना, जनपद -हरदोई ने वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न

कार्यों पर बिल अनुसार सामग्री मूल्य पर नियमानुसार 2 % जी-एस-टी- (माल एवं सेवा कर) कटौती नहीं की हैं -

तालिका अनुसार कार्य का क्रमांक	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का मूल्य (रु- में)	लेखापरीक्षा अनुसार सामग्री मूल्य पर 2% जी-एस-टी- कटौती -
1	मोहन ट्रेडर्स	404840-28	8097-00
2	माधव इंडस्ट्रीज	538020-00	10760-00
3	माधव इंडस्ट्रीज	618554-00	12371-00
4	मोहन ट्रेडर्स	540465-00	10809-00
5	मोहन ट्रेडर्स	128821-00	2576-00
6	माधव इंडस्ट्रीज	86528-00	1730-00
7	माधव इंडस्ट्रीज	875751-00	17515-00
8	माधव इंडस्ट्रीज	251928-00	5038-00
9	माधव इंडस्ट्रीज	688379-00	13767-00
10	माधव इंडस्ट्रीज	311768-00	6235-00
11	माधव इंडस्ट्रीज	93938-00	1878-00
12	मोहन ट्रेडर्स	197470-00	3949-00
13	मोहन ट्रेडर्स	422320-00	8446-00
14	माधव इंडस्ट्रीज	136567-00	2731-00
15	माधव इंडस्ट्रीज	545607-00	10912-00
16	माधव इंडस्ट्रीज	191165-00	3823-00
17	माधव इंडस्ट्रीज	306219-00	6124-00
18	माधव इंडस्ट्रीज	597873-00	11957-00
19	माधव इंडस्ट्रीज	59985-00	1199-00
20	माधव इंडस्ट्रीज	388418-00	7768-00
21	माधव इंडस्ट्रीज	266466-00	5329-00
22	माधव इंडस्ट्रीज	529190-00	10583-00
23	माधव इंडस्ट्रीज	553821-00	11076-00
24	माधव इंडस्ट्रीज	256804-00	5136-00
25	माधव इंडस्ट्रीज	538879-00	10777-00
26	मोहन ट्रेडर्स	540524-00	10810-00
27	माधव इंडस्ट्रीज	467666-00	9353-00
28	माधव इंडस्ट्रीज	363334-00	7266-00

29	माधव इंडस्ट्रीज	340341-00	6806-00
30	माधव इंडस्ट्रीज	297982-00	5960-00
31	माधव इंडस्ट्रीज	311306-00	6226-00
32	माधव इंडस्ट्रीज	181947-00	3638-00
33	माधव इंडस्ट्रीज	258947-00	5178-00
34	माधव इंडस्ट्रीज	875805-00	17516-00
35	बांके बिहारी ब्रिक फील्ड	424933-00	8498-00
36	गंगा ईट उद्योग	158528-00	3170-00
37	गुनगुन इन्टरप्राइजेज	649230-00	12984-00
38	मोहन ट्रेडर्स	648823-00	12976-00
39	माधव इंडस्ट्रीज	559064-00	11181-00
40	माधव इंडस्ट्रीज	434420-00	8688-00
41	माधव इंडस्ट्रीज	81500-00	1630-00
42	माधव इंडस्ट्रीज	547067-00	10941-00
43	माधव इंडस्ट्रीज	402418-00	8048-00
44	गंगा ईट उद्योग	461670-00	9233-00
45	माधव इंडस्ट्रीज	470125-00	9402-00
46	माधव इंडस्ट्रीज	170554-00	3411-00
47	माधव इंडस्ट्रीज	610829-00	12216-00
48	माधव इंडस्ट्रीज	364180-00	7283-00
49	माधव इंडस्ट्रीज	576710-00	11534-00
50	माधव इंडस्ट्रीज	316411-00	6328-00
51	माधव इंडस्ट्रीज	286950-00	5739-00
52	माधव इंडस्ट्रीज	489578-00	9791-00
53	माधव इंडस्ट्रीज	261727-00	5234-00
54	माधव इंडस्ट्रीज	354500-00	7090-00
55	माधव इंडस्ट्रीज	503881-00	10077-00
56	माधव इंडस्ट्रीज	176989-00	3540-00
	योग		रु० 442333-00

केन्द्रीय तथा प्रांतीय जी-एस-टी- अधिनियम की धारा 51(1) के तहत माल और सेवाओं की आपूर्ति के कुल मूल्य पर 2% की दर से जी-एस-टी-टी-डी-एस- कटौती स्थानीय प्राधिकारी यानि खंड विकास अधिकारी ,कछौना द्वारा की जायेगी । परन्तु उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि खंड विकास अधिकारी ,विकास खंड -कछौना ने वर्ष 2020-21

में उक्त कराएं गये 56 विकास कार्यों के सामग्री आपूर्ति बिलों के कुल मूल्य पर 2 % की दर से जी-एस-टी-टी-डी-एस- कटौती उपरोक्त विवरणानुसार आपूर्तिकर्ताओ से न कर उन्हें भुगतान किया हैं। जिसका कुल मूल्य रु 442333-00 होता हैं। आपूर्तिकर्ताओ द्वारा जी-एस-टी- कटौती धनराशि सीधे अपने स्तर से जमा करवायी गयी हैं , इसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती हैं। स्पष्ट हैं की खंड विकास अधिकारी ने कटौती न कर सरकार को रु 442333-00 की राजस्व हानि पंहुचायीहैं। चूँकि संस्था अभिलेखों से जी-एस-टी-टी-डी-एस-कटौती की पुष्टि नहीं होती हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि खंड विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार साहू ,श्री रोहिताश कुमार व श्री विपिन कुमार चौधरी तथा लेखाकार श्री शिव कुमार व श्री रमेश चंद द्वारा रु 442333-00 की धनराशि का अपहरण किया गया हैं। चूँकि जी-एस-टी-कटौती न करने से सीधा लाभ आपूर्तिकर्ताओ को हुआ हैं। अत: इन अधिकारीयों /कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं उक्त विवरणानुसार आपूर्तिकर्ताओ से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

क्षेत्र पंचायत - कछौना वर्ष 2020-21 से 2021-22सन्निहित धनराशि-रु० 388488-00

प्रस्तर संख्या-14-कार्यवार सामग्री /श्रमांश पर व्यय एवं भुगतान की स्तिथि (राज्य वित्त आयोग एवं 14-15 वित्त आयोग योजना) तालिका अनुसार, क्षेत्र पंचायत -कछौना, जनपद -हरदोई ने वित्त वर्ष 2021-22 में निम्न कार्यों पर बिल अनुसार सामग्री मूल्य पर नियमानुसार 2 % जी-एस-टी- (माल एवं सेवा कर) कटौती नहीं की हैं -

तालिका अनुसार कार्य का क्रमांक	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का मूल्य (रु- में)	लेखा परीक्षा अनुसार सामग्री मूल्य पर 2% जी-एस-टी-कटौती
1	मोहन ट्रेडर्स	202792-00	4055-00
2	मोहन ट्रेडर्स	214472-00	4289-00
3	मोहन ट्रेडर्स	213954-00	4279-00
4	मोहन ट्रेडर्स	216126-00	4322-00
5	मोहन ट्रेडर्स	215832-00	4316-00
6	मे० वी०पी० कंस्ट्रक्शन	161961-00	3239-00
7	मे० वी०पी० कंस्ट्रक्शन	205640-00	4112-00
8	माधव इंडस्ट्रीज	256239-00	5124-00
9	माधव इंडस्ट्रीज	256245-00	5124-00
10	आध्या इन्टरप्राइजेज	138718-00	2774-00
11	मे० वी०पी० कंस्ट्रक्शन	125121-00	2502-00
12	माधव इंडस्ट्रीज	110093-00	2201-00
13	माधव इंडस्ट्रीज	318475-00	6369-00

14	मे० वी०पी० कंस्ट्रक्शन	228617-00	4572-00
15	मोहन ट्रेडर्स	259335-00	5186-00
16	मे० वी०पी० कंस्ट्रक्शन	259766-00	5195-00
17	मोहन ट्रेडर्स	205169-00	4103-00
18	मोहन ट्रेडर्स	204724-00	4094-00
19	मे० वी०पी० कंस्ट्रक्शन	477037-00	9540-00
20	माधव इंडस्ट्रीज	249180-00	4983-00
21	माधव इंडस्ट्रीज	228998-00	4579-00
22	मोहन ट्रेडर्स	189229-00	3784-00
23	मे० कन्नौजिया इंजी-वर्क्स	217496-00	4349-00
24	•	-	-
25	आध्या इन्टरप्राइजेज	178845-00	3576-00
26	अमन इन्टरप्राइजेज	301946-00	6038-00
27	आध्या इन्टरप्राइजेज	231857-00	4637-00
28	मोहन ट्रेडर्स	207027-00	4140-00
29	एन०बी० इन्टरप्राइजेज	582810-00	11656-00
30	मोहन ट्रेडर्स	214021-00	4280-00
31	अमन इन्टरप्राइजेज	290919-00	5818-00
32	• -	-	-
33	• -	-	-
34	मे० कन्नौजिया इंजी-वर्क्स	96658-00	1933-00
35	एन०बी० इन्टरप्राइजेज	587873-00	11757-00
36	मे० कन्नौजिया इंजी-वर्क्स	245383-00	4907-00
37	मे० निशांत ईंट भट्टा	354493-00	7089-00
38	मोहन ट्रेडर्स	221289-00	4425-00
39	मोहन ट्रेडर्स	157965-00	3159-00
40	मोहन ट्रेडर्स	214257-00	4285-00
41	मोहन ट्रेडर्स	213966-00	4279-00
42	आध्या इन्टरप्राइजेज	313001-00	6260-00

43	आध्या इन्टरप्राइजेज	599526-00	11990-00
44	आध्या इन्टरप्राइजेज	210637-00	4212-00
45	आध्या इन्टरप्राइजेज	196699-00	3933-00
46	•	-	-
47	मोहन ट्रेडर्स	77033-00	1540-00
48	आध्या इन्टरप्राइजेज	160557-00	3211-00
49	आध्या इन्टरप्राइजेज	217702-00	4354-00
50	•	-	-
51	आध्या इन्टरप्राइजेज	208624-00	4172-00
52	आध्या इन्टरप्राइजेज	243741-00	4874-00
53	आध्या इन्टरप्राइजेज	129244-00	2584-00
54	•	166227-00	3324-00
55	आध्या इन्टरप्राइजेज	190008-00	3800-00
56	आध्या इन्टरप्राइजेज	217702-00	4354-00
57	आध्या इन्टरप्राइजेज	245542-00	4910-00
58	मोहन ट्रेडर्स	257291-00	5145-00
59.	मोहन ट्रेडर्स	211839-00	4236-00
60.	मोहन ट्रेडर्स	202301-00	4046-00
61	अमन इन्टरप्राइजेज	673593-00	13471-00
62	एन०बी० इन्टरप्राइजेज	321295-00	6425-00
63	मोहन ट्रेडर्स	335249-00	6704-00
64	मोहन ट्रेडर्स	269944-00	5398-00
65	मोहन ट्रेडर्स	138995-00	2779-00
66	मोहन ट्रेडर्स	394787-00	7895-00
67	•	-	-
68	मोहन ट्रेडर्स	357494-00	7149-00
69	अमन इन्टरप्राइजेज	277560-00	5551-00
70	मे० कन्नौजिया इंजी-वर्क्स	217496-00	4349-00
71	आध्या इन्टरप्राइजेज	106034-00	2120-00

72	आध्या इन्टरप्राइजेज	581484-00	11629-00
73	मोहन ट्रेडर्स	188299-00	3765-00
74	मे० कन्नौजिया इंजी-वर्क्स	409279-00	8185-00
75	मोहन ट्रेडर्स	290339-00	5806-00
76	मोहन ट्रेडर्स	375664-00	7513-00
77	मोहन ट्रेडर्स	386346-00	7726-00
78	एन०बी० इन्टरप्राइजेज	491148-00	9822-00
79	अमन इन्टरप्राइजेज	178259-00	3565-00
80	मोहन ट्रेडर्स	331071-00	6621-00
	योग-----		रु०388488-00

केन्द्रीय तथा प्रांतीय जी-एस-टी- अधिनियम की धारा 51(1) के तहत माल और सेवाओं की आपूर्ति के कुल मूल्य पर 2% की दर से जी-एस-टी-टी-डी-एस- कटौती स्थानीय प्राधिकारी यानि खंड विकास अधिकारी ,कछौना द्वारा की जायेगी । परन्तु उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि खंड विकास अधिकारी ,विकास खंड -कछौना ने वर्ष 2021-22 में उक्त कराएं गये 80 विकास कार्यों के सामग्री आपूर्ति बिलों के कुल मूल्य पर 2 % की दर से जी-एस-टी-टी-डी-एस- कटौती उपरोक्त विवरणानुसार आपूर्तिकर्ताओ से न कर उन्हें भुगतान किया हैं । जिसका कुल मूल्य रु 388488-00 होता हैं। आपूर्तिकर्ताओ द्वारा जी-एस-टी- कटौती धनराशि सीधे अपने स्तर से जमा करवायी गयी हैं , इसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती हैं । स्पष्ट हैं की खंड विकास अधिकारी ने कटौती न कर सरकार को रु 388488-00 की राजस्व हानि पंहुचायीहैं । चूँकि संस्था अभिलेखों से जी-एस-टी-टी-डी-एस-कटौती की पुष्टि नहीं होती हैं । जिससे स्पष्ट होता हैं कि खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार चौधरी तथा श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल तथा लेखाकार श्री रमेश चंद द्वारा रु 388488-00 की धनराशि का अपहरण किया गया हैं । चूँकि जी-एस-टी- कटौती न करने से सीधा लाभ आपूर्तिकर्ताओ को हुआ हैं । अत: इन अधिकारीयों /कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं उक्त विवरणानुसार आपूर्तिकर्ताओ से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं ।

क्षेत्र पंचायत - कछौना **वर्ष 2020-21 से 2021-22सन्निहित धनराशि-रु०76500-00**

प्रस्तर संख्या-15-क्षेत्र पंचायत-कछौना,जनपद -हरदोई की वर्ष 2020-21 की ले०प० में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर-III में अंकित निविदा प्रपत्र बिक्री की धनराशि मद अंतर्गत निविदा प्रपत्रों की बिक्री से रु 9000-00 की आय दर्शित हैं । इसकी पुष्टि में निविदा प्रपत्र बिक्री रजिस्टर जाँच हेतु सुलभ नहीं कराया गया । परन्तु वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण (राज्य वित्त योजना एवं 14वॉ/15वॉ वित्त योजना) तालिका अनुसार कुल 57 कार्य कराये जाने की पुष्टि होती हैं तथा प्रत्येक कार्य पत्रावली अनुसार तीन निविदाएँ आमंत्रित की गयी हैं । पत्रावलियों की जाँच में प्रत्येक प्रपत्र का मूल्य रु 500-00 था । इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को इन प्रपत्रों की बिक्री से रु (57 x 3 x 500 =85500-00) प्राप्त हुये । स्पष्ट है कि ग्रान्ट रजिस्टर -IIIमें रु (85500-00 - 9000-00 = 76500-00)

की आय कम दर्शायी गयी हैं । जिससे स्पष्ट होता है कि खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार ने निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु०76500-00 का सुनियोजित तरीके से अपहरण कर लिया हैं । जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार साहू ,श्री रोहिताश कुमार एवं श्री विपिन कुमार चौधरी तथा लेखाकार श्री शिव कुमार एवं श्री रमेश चंद से की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - कछौना वर्ष 2020-21 से 2021-22 सन्निहित धनराशि-रु०120000-00

प्रस्तर संख्या-16-क्षेत्र पंचायत-कछौना,जनपद -हरदोई की वर्ष 2021-22 की ले०प० में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर-IIIमें अंकित निविदा प्रपत्र बिक्री की धनराशि मद अंतर्गत निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय शून्य दर्शित हैं । इसकी पुष्टि में निविदा प्रपत्र बिक्री रजिस्टर जाँच हेतु सुलभ नहीं कराया गया । परन्तु वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण (राज्य वित्त योजना एवं 14वॉ/15वॉ वित्त योजना) तालिका अनुसार कुल 80 कार्य कराये जाने की पुष्टि होती हैं तथा प्रत्येक कार्य पत्रावली अनुसार तीन निविदाएँ आमंत्रित की गयी हैं । पत्रावलियों की जाँच में प्रत्येक प्रपत्र का मूल्य रु 500-00 था । इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को इन प्रपत्रों की बिक्री से रु (80 x 3 x 500 =120000-00) प्राप्त हुये । स्पष्ट है कि ग्रान्ट रजिस्टर -IIIमें रु (120000-00 - 0-00 = 120000-00) की आय कम दर्शायी गयी हैं । जिससे स्पष्ट होता है कि खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार ने निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु०120000-00 का सुनियोजित तरीके से अपहरण कर लिया हैं । जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार चौधरी एवं श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल तथा लेखाकार श्री रमेश चंद से की जानी से की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - कछौना वर्ष 2020-21 से 2021-22 सन्निहित धनराशि-रु० 2766245-00

प्रस्तर संख्या-17-क्षेत्र पंचायत- कछौना की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि तालिका अनुसार निम्न कार्यों पर श्रमांश की धनराशि का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में स्थानांतरित न करके , कार्यप्रभारियों को किया गया हैं । जिसका विवरण निम्नवत हैं -

तालिका अनुसार कार्य का क्रमांक	श्रमांश की धनराशि (रु- में)	भुगतान प्राप्त करने वाले कार्यप्रभारी का नाम
1	47283-00	शेर सिंह
2	67351-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
3	74549-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
4	68921-00	शेर सिंह
5	19358-00	शेर सिंह
6	9783-00	शेर सिंह
7	104380-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
8	49518-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय

9	101739-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
10	43488-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
11	12285-00	शेर सिंह
12	33213-00	शेर सिंह
13	57083-00	शेर सिंह
14	17251-00	शेर सिंह
15	64014-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
16	28233-00	शेर सिंह
17	56979-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
18	84398-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
19	58709-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
20	55191-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
21	36252-00	शेर सिंह
22	66949-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
23	65220-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
24	33899-00	शेर सिंह
25	71049-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
27	45155-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
28	51473-00	शेर सिंह
29	93810-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
30	35507-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
31	39735-00	शेर सिंह
32	23884-00	शेर सिंह
33	33355-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
34	103465-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
36	53770-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
39	85888-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
40	41072-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
41	11034-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय

42	76233-00	शेर सिंह
43	29879-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
44	214541-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
45	39814-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
46	16856-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
47	75301-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
48	37174-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
49	71804-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
50	28694-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
51	35469-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
52	25828-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
53	26833-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
54	43696-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
55	65116-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
56	33764-00	राजेन्द्र नाथ पाण्डेय
योग --------	रु० 2766245-00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्रमांश की धनराशि सीधे मजदूरों के खातों में स्थानांतरित न करके संस्था ने रु 2766245-00 की धनराशि की अनियमितता की हैं । जिस प्रति खंड विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार साहू ,श्री रोहिताश कुमार व श्री विपिन कुमार चौधरी तथा लेखाकार श्री शिव कुमार व श्री रमेश चंद तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती रामरती पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

क्षेत्र पंचायत - कछौनावर्ष 2020-21 से 2021-22सन्निहित धनराशि-रु०349965-00

प्रस्तर संख्या-18-क्षेत्र पंचायत -कछौना की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तालिका अनुसार निम्न कार्यों पर श्रमांश की धनराशि जो भुगतान की गयी हैं उसकी पुष्टि में पत्रावली में ई ग्राम स्वराज वेबसाइट से पी-एफ-एम-एस- भुगतान प्रमाणक प्राप्त कर संलग्न नहीं हैं । जिस कारण श्रमांश की धनराशि का भुगतान लेखापरीक्षा में अपुष्ट रहा । इनका विवरण निम्नवत हैं -

तालिका अनुसार कार्य का क्रमांक	श्रमांश की धनराशि (रु- में)	भुगतान का विवरण
21	30932-00	पी-एफ-एम-एस-भुगतान प्रमाणक अप्राप्त

40	29064-00	“
41	25974-00	“
51	24752-00	“
52	29564-00	“
53	15538-00	“
54	24697-00	“
55	21604-00	“
56	26444-00	“
57	31722-00	“
58	35216-00	“
59	26178-00	“
60-	28280-00	“
योग ----------	349965-00	

पी-एफ-एम-एस- भुगतान प्रमाणकों के अभाव में उक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्था ने रु०349965-00 की धनराशि का अपहरण किया है । जिस प्रति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार चौधरी व श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल तथा लेखाकार श्री रमेश चंद एवं ब्लाक प्रमुख श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती रामश्री उत्तरदायी हैं । जिनसे वसूली की जानी अपेक्षित हैं

क्षेत्र पंचायत - पिहानी वर्ष 2019-20 से 2021-2022 धनराशि- रु०21,98,522=00

प्रस्तर संख्या -19-क्षेत्र पंचायत पिहानी जनपद हरदोई में वर्ष 2019 -20 में राज्य वित्त मद में कुल व्यय की गयी धनराशि अनुदान रजि० II, III में अंकित विवरण के अनुसार निम्नवत हैं -

क्र० सं०	कार्य विवरण /मद	व्यय धनराशि	टिप्पणी
1.	निर्माण कार्य (राज्य वित्त)	20,55,922=00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त व पत्रावलियां अप्राप्त
2.	सदस्य बैठक	25,000=00	
3.	मानदेयब्लॉक प्रमुख	1,17,600=00	

कुल	21,98,522=00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक अनेकों बार मौखिक रूप से एवं दिनांक 21/03/2023, 31/03/2023 को पत्राचार द्वारा मागे जाने पर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । लेखा परीक्षा में लेखाकार द्वारा मात्र अनुदान रजि० II व III एवं बैंक स्टेटमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया - खाता सं0 740110210000027 व खाता सं0 740110100023090 ही प्रस्तुत किये गये ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार विवरण निम्नवत हैं -

1. वर्ष 2019 -20 में निर्माण कार्यो पर कुल रु० 20,55,922=00 व्यय दर्शित है । जिस पर भुगतान से पहले आयकर कटौती रु० 38,238=00 एवं जी० एस० टी० कटौती रु० 36,932=00 की गई है । जिसे वित्तीय वर्ष दौरान सम्बंधित विभागों में जमा नहीं कराया गया , जो कि अनियमित रहा । सम्बंधित निर्माण कार्यो की सूची संलग्न है ।
2. वर्ष 2019 -20 में क्षेत्र पंचायतों की बैठक हेतु सदस्यों के मानदेय हेतु रु० 25,000=00 का व्यय दर्शाया गया है । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित पुष्टि प्रमाण पत्र / मानदेय रजि० लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
3. वर्ष 2019 -20 में क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख को मानदेय रु० 1,17,600=00 व्यय रजिस्टर/ पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
4. निर्माण कार्यो की सूची सलग्न-

(अनुदान रजि०-II से बनाया गया)

क्र.सं.	**कार्य का नाम व पूर्ण पता**	**कुल भुगतान**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**
1	2	3	4
1	रसूलपुर से मढिया घाट खडंजा कार्य	4,86,360=00	में०रामबेटीब्रिकफील्ड
	,,	60,000=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)
	''	2,08,440=00	में०रामबेटीब्रिकफील्ड
	''	60,000=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)
2	हिन्दूनगरसम्पर्क मार्ग से पन्डरवाअमतलिया रोड तक इंटरलाकिंग कार्य	1,90,933=00	में०सिंह ट्रेडर्स
	''	54,500=00	में०रामबेटीब्रिकफील्ड
	''	3,77,400=00	में०माधव इंडस्ट्रीज

3	मिरिया गाँव के अन्दर से माइनर तक	3,25,700=00	मे॰माधव इंडस्ट्रीज
	''	39,982=00	मे॰रामबेटीब्रिकफील्ड
	''	1,63,079=00	मे॰सिंह ट्रेडर्स
4	विकास खण्ड परिसर में रेनवाटरहार्वेस्टिंग	65,300=00	मे॰शिव शक्ति पाइप्स
	''	24,228=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)
कुल योग		**20,55,922=00**	

उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के अनुसार समस्त पत्रावलियां व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थे, जो कि नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे उपरोक्त व्यय की गई धनराशि रु० 21,98,522=00 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । जिससे किया गया व्यय अनियमित रहा व वित्तीय अनियमतता की श्रेणीमें आता है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री रामेन्द्र कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रजितराममिश्रा, श्री ऋषिपाल सिंह, श्री शरद कुमार सिंह, व डा0 प्रमोद कुमार संयुक्त रूप से उत्तदायी हैं । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित समस्त पत्रावलियां एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र०उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179(2) (क) से (ङ) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - पिहानी वर्ष 2019-20 से 2021-2022 धनराशि- रु०2,17,76,792=00

प्रस्तर संख्या -20-क्षेत्र पंचायत पिहानीजनपद हरदोई में वर्ष 2020 -21 में राज्य वित्त मद में कुल व्यय की गयी धनराशि अनुदान रजि० II, III में अंकित विवरण के अनुसार निम्नवत हैं -

क्र० सं०	कार्य विवरण /मद	व्यय धनराशि	टिप्पणी
1.	निर्माण कार्य (राज्य वित्त)	2,14,95,558=00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त व पत्रावलियां अप्राप्त
2.	सदस्य बैठक	1,15,000=00	
3.	मानदेयब्लॉक प्रमुख	1,27,400=00	
4.	निविदा समाचार पत्र	38,834=00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त व पत्रावलियां अप्राप्त
कुल		2,17,76,792=00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक अनेकों बार मौखिक रूप से एवं दिनांक 21/03/2023, 31/03/2023 को पत्राचार द्वारा मागे जाने पर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । लेखा परीक्षा में लेखाकार द्वारा मात्र अनुदान रजि० II व III एवं बैंक स्टेटमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया - खाता सं0 740110210000027 व बैंक ऑफ़ इंडिया - खाता सं0 740110100023090 ही प्रस्तुत किये गये ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार विवरण निम्नवत हैं -

1. वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यो पर कुल रु० 2,14,95,558=00 व्यय दर्शित है । जिस पर भुगतान से पहले आयकर कटौती रु० 3,97,837=00 एवं जी० एस० टी० कटौती रु०3,95,837=00 एवं लेबरसेसकटौती रु० 1,77,593=00 की गई है । जिसे वित्तीय वर्ष दौरानआयकर कटौती रु० 4,23,659=00 एवं जी० एस० टी० कटौती रु० 4,29,573=00 एवं लेबरसेसकटौती रु०1,77,593=00 कटौती रु० सम्बंधित विभागों को जमा कराया गया । परन्तु उक्त राजस्व को सम्बंधित विभागों में जमा करने के पुष्टि प्रमाण पत्र / जमा चालान लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिस से उपरोक्त जमा राजस्व की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी जो की अपेक्षित थी ।
2. वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायतों की बैठक हेतु सदस्यों के मानदेय हेतु रु० 1,15,000=00 का व्यय दर्शाया गया है । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित पुष्टि प्रमाण पत्र / मानदेय रजि० लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
3. वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख को मानदेय रु० 1,27,400=00 व्यय दर्शाया गया है । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित रजिस्टर/ पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
4. वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत में समाचार पत्र निविदा पर रु०38,834=00 व्यय दर्शाया गया है । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित वाउचर /लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
5. निर्माण कार्यो की सूची सलग्न-

(अनुदान रजि०-II से बनाया गया)

क्र. सं.	**कार्य का नाम व पूर्ण पता**	**कुल भुगतान**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**
1	2	3	4
1	कोटरा में हिन्दुनगर मार्ग से पंडरवा पुलिया मार्ग इंटरलॉकिंग	74,263=00	मैं० सिंह ट्रेडर्ससहादतनगर
	''	21,636=00	मैं० रामबेटीब्रिकफील्ड
	''	1,62,035=00	मैं० माधव इंडस्ट्रीज
	''	9,680=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)

2	कोटरा में प्राथमिक विद्यालय के पासपुलिया निर्माण व खडंजा मरम्मत	1,71,400=00	मैं० खान बिल्डर्सकॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायरपिहानी
	''	38720=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)
3	मिरिया गाँव के अन्दर खडंजा से माइनर तक इंटरलॉकिंग कार्य	1,01,718=00	मैं० सिंह ट्रेडर्ससहादतनगर
	''	24,959=00	मैं० रामबेटीब्रिकफील्डसलेमपुर
	''	2,27,800=00	मैं० माधव इंडस्ट्रीज
	''	54,120=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)
4	विकास खंड कार्यालय भवन मरम्मत कार्य	1,25,700=00	मैं० खान बिल्डर्सकॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायरपिहानी
5	कोटरा में ठाकुर द्वारा मार्ग पर पुलिया निर्माण	36,750=00	मैं० खान बिल्डर्सकॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायरपिहानी
	''	8,344=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)
6	मानिकपुर में होमियोपैथी अस्पताल के पास पुलिया निर्माण	1,00,000=00	मैं० खान बिल्डर्सकॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायरपिहानी
	''	8,360=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)
7	दतेऊनापुरमाइनर पर पुलिया निर्माण	1,90,000=00	मैं० खान बिल्डर्सकॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायरपिहानी
	''	1,34,297=00	मैं० रामबेटीब्रिकफील्ड
	''	82,473=00	श्री सुरेश कुमार (कार्यप्रभारी)
8	मिरिया में सलिकरन के मकान से बलबन तक इंटरलॉकिंग कार्य	9,85,990=00	मैं०मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
9	कोटरा में दीप्ति की दुकान से मनोज के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	6,51,300=00	मैं० मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
10	ररी से कठवार मार्ग पर खडंजा कार्य	9,24,970=00	मैं० मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
11	कोटरासम्पर्क मार्ग से राजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	6,16,100=00	मैं०मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
12	मिरिया में पंडरवासम्पर्क मार्ग से विक्रांत के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4,32,870=00	मैं०मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
13	विकास खंड कार्यालय में जीर्णोद्धार	3,43,746=00	मैं० खान बिल्डर्सकॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायरपिहानी
14	विकास खंड कार्यालय में समरसेबुल	38,257=00	मैं० राम ट्रेडर्स

15	मानिकपुर से पिपरी में पिपरीसम्पर्क मार्ग पर इंटरलॉकिंग कार्य	2,72,927=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह
16	निपनिया में एच0पी0सी0 मार्ग से हरैया विद्यालय तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण	6,47,967=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह
17	कोटरासम्पर्क मार्ग से पंडरवासम्पर्क मार्ग तक इंटरलॉकिंग कार्य	4,52,888=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह
18	पीरपुरसम्पर्क मार्ग से हाजीपुर सम्पर्क तक इंटरलॉकिंग कार्य	9,33,163=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह
19	पंडरवामिरियासम्पर्क मार्ग से मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण	5,77,620=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह
20	रसूलपुर चौराहा से मढिया आश्रम तक अवशेष खडंजा कार्य	9,94,187=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह
21	ररी से से सकरा मार्ग तक मिट्टी खडंजा कार्य	9,95,448=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह
22	अम्बारी में कन्हई के घर से हनुमान मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	9,95,111=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह
23	विकास खंड कार्यालय में भवन जीर्णोद्धार	3,52,638=00	मैं० खान बिल्डर्सकॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायरपिहानी
24	अम्बारी में अजय सिंह से उदयवीर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,13,060=00	मैं०मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
25	अम्बारी से मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हा० तक इंटरलॉकिंग कार्य	7,32,816=00	मैं०मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
26	अम्बारी से मेन रोड से बाबु के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	6,66,960=00	मैं०मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
27	गाँव खरिका में माइनर गाँव तक इंटरलॉकिंग कार्य	6,21,111=00	मैं०मनीष अगरवाल राजकीय ठेकेदार
28	अब्दुल्लानगर में लाला पुरवा चौराहा से शिशुपाल के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	5,41,826=00	मैं० रुपेश कुमार सिंहराजकीय ठेकेदार
29	इटारा में भैसटा पुल से पिहानी सीमा मार्ग तक खडंजा कार्य	5,94,481=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह राजकीय ठेकेदार
30	सहिजना से आलमनगर सीमा तक मिट्टी खडंजा कार्य	9,93,582=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह राजकीय ठेकेदार
31	संतरहा में लमहरा से जु० हाई० तक मिट्टी खडंजा कार्य	9,83,625=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह राजकीय ठेकेदार
32	हरिहरपुर प्रथम में हरिहरपुर से मढिया तक	5,82,905=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह राजकीय ठेकेदार

33	दमगढ़ा पुल से मरौना तिराहा तक खडंजा मरम्मत कार्य	7,94,801=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह राजकीय ठेकेदार
34	सिधौरिया में ह्युमपाइप पुलिया निर्माण	5,75,456=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह राजकीय ठेकेदार
35	दमगढ़ा पुल से मरौना तिराहा तक खडंजा मरम्मत कार्य	6,76,493=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह राजकीय ठेकेदार
36	शाहपुरशुक्ल से कालबोड़ तक खडंजा मरम्मत कार्य	4,38,144=00	मैं० खान बिल्डर्सकॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायरपिहानी
37	रैगाई पुलिया से जमुरपुर पुलिया तक खंड़ज़ा निर्माण	9,92,861=00	मैं० रुपेश कुमार सिंह राजकीय ठेकेदार
कुल		रू० 2,14,95,558=00	

नोट:अनुदान रजि०-II पर अंकित राज्य वित्त के विवरण अनुसार कुल व्यय रू० 2,17,76,792=00 दर्शित है जबकि अनुदान रजि०-03 के अनुसार राज्य वित्त में वर्ष दौरान कुल रू० 2,17,76,852=00 दर्शित है इस प्रकार अनुदान रजि०-II एवं अनुदान रजि०-III के व्यय में रू० 60=00 का अंतर आ रहा है ।

उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के अनुसार समस्त पत्रावलियां व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थे, जो कि नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे उपरोक्त व्यय की गई धनराशि रु०2,17,76,792=00 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । जिससे किया गया व्यय अनियमित रहा व वित्तीय अनियमतता की श्रेणीमें आता है । जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री रामेन्द्र कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री डा0 प्रमोद कुमार,श्रीमती संध्या रानी व श्री ऋषिपाल सिंह संयुक्त रूप से उत्तदायी हैं । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित समस्त पत्रावलियां एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र०उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179(2) (क) से (ङ) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुयेमय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - पिहानी वर्ष 2019-20 से 2021-2022सन्निहित धनराशि - रु० 3,16,77,097=00

प्रस्तर संख्या -21-क्षेत्र पंचायत पिहानी जनपद हरदोई में वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त व 15वां/ केन्द्रीय वित्त मद में कुल व्यय की गयी धनराशि अनुदान रजि० II, III में अंकित विवरण के अनुसार निम्नवत हैं -

i. राज्य वित्त मद-

क्र० सं०	कार्य विवरण (राज्य वित्त मद)	व्यय धनराशि	टिप्पणी
1.	निर्माण कार्य	1,37,25,290=00	

2.	मानदेयब्लॉक प्रमुख	53,343=00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त व पत्रावलियां अप्राप्त
3.	एयरकंडीशनर क्रय	91,500=00	
4.	प्रशासिनक व्यय	2,73,000=00	
5.	धरोहर धनराशि	3,00,000=00	
कुल		1,41,43,133=00	

ii. 15वां/ केन्द्रीय वित्त मद-

क्र० सं०	कार्य विवरण (15 वां / केन्द्रीय वित्त मद)	व्यय धनराशि	टिप्पणी
1.	निर्माण कार्य	1,66,08,646=00	व्यय प्रमाणक अप्राप्त व पत्रावलियां अप्राप्त
2.	सोलरस्ट्रीट लाइट व्यय	9,25,318=00	
कुल		1,75,33,964=00	

उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक अनेकों बार मौखिक रूप से एवं दिनांक 21/03/2023, 31/03/2023 को पत्राचार द्वारा मागे जाने पर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । लेखा परीक्षा में लेखाकार द्वारा मात्र अनुदान रजि० II व III एवं बैंक स्टेटमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया - खाता सं0 740110210000027 व बैंक ऑफ़ इंडिया - खाता सं0 740110100023090 ही प्रस्तुत किये गये ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार विवरण निम्नवत हैं -

1. वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त निर्माण कार्यो पर कुल रु० 1,37,25,290=00 व 15वां वित्त निर्माण कार्यो पर कुल रु० 1,66,08,646=00 व्यय दर्शित है । जिस पर भुगतान से पहले आयकर कटौती रु० 5,77,534=00 एवं जी० एस० टी० कटौती रु० 5,74,7647=00 एवं लेबरसेस कटौती रु० 2,85,781=00 की गई है । जिसे वित्तीय वर्ष दौरान आयकर कटौती रु० 3,37,255=00 एवं जी० एस० टी० कटौती रु० 5,44,642=00 सम्बंधित विभागों को जमा कराया गया । परन्तु उक्तराजस्व को सम्बंधित विभागों में जमा करने के पुष्टि प्रमाण पत्र / जमा चालान लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिस से उपरोक्त जमा राजस्व की पुष्टि लेखा परीक्षा में न की जा सकी जो की अपेक्षित थी ।

2. वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायतों में प्रशासनिक व्यय हेतु रू० 2,73,000=00 व धरोहर धनराशि रू० 3,00,000=00 का व्यय दर्शाया गया । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित पुष्टि प्रमाण पत्र/बाउचर/ पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
3. वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख को मानदेय रु० 53,343=00 व्यय दर्शाया गया है । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित रजिस्टर/ पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
4. वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत में एयरकंडीशनर पर रु० 91,500=00 व्यय दर्शाया गया है । उपरोक्त व्यय से सम्बंधितवाउचर /लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
5. वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत में 15वे वित्त से विभिन्न गाँव में सोलरस्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य हेतु रु० 9,25,318=00 का व्यय दर्शाया गया है । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित पुष्टि प्रमाण पत्र/बाउचर/ पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
6. निर्माण कार्यो की सूची सलग्न-

राज्य वित्त-

(अनुदान रजि०-II से बनाया गया)

क्र. सं.	**कार्य का नाम व पूर्ण पता**	**कुल भुगतान**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**
1	2	3	4
1	रैगाई से वेदप्रकाश से बटेश्वर तक खडंजा	6,69,531=00	में० अमिताभ रा० ठेके
2	रैगाई से मंदिर पुलिया से रामप्रकाश तक मिट्टी कार्य	9,66,743=00	में० अमिताभ रा० ठेके
3	कुंवरपुरबघेला में मदारी पुरवा मार्ग से मिश्राब्रिकफील्ड तक खडंजा कार्य	5,13,487=00	में० अमिताभ रा० ठेके
4	भीतीनेवादा से मंसूरनगर तक मिट्टी कार्य	9,79,901=00	में० अमिताभ रा० ठेके
5	कुंवरपुरबघेलाव में जे० बी० मार्ग से हनीफ तक इंटरलॉकिंग कार्य	4,45,109=00	में० अमिताभ रा० ठेके
6	प्रमुख क्षेत्र पंचायत कक्ष सौंदर्यीकरण	98,600=00	में० आकृति डेकोरहरदोई
7	प्रमुख क्षेत्र पंचायत समकक्ष सौंदर्यीकरण	98,987=00	में० आकृति डेकोरहरदोई
8	कार्यालय परिसर में सब बाउंडरी कक्ष जीर्णोद्वार	95,604=00	में० आकृति डेकोरहरदोई
9	रसुलपुर से मढियाघाट तक अवशेष खडंजा कार्य	6,73,287=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
10	बेलाक्पुरपुर से प्राइमरी पाठशाला से सम्तोलिया तक मिट्टी खडंजा	6,63,134=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
11	जमुही से एकधराडामर मार्ग पर पुलिया से दयाराम के खेत तक मिट्टी खडंजा	6,16,445=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
12	सरहेजू में कु0 हौरागाँव से सरकारी ट्यूबवेल तक मिट्टी खडंजा कार्य	6,62,674=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई

13	दहेलिया में राम प्रसाद के मकान तक मिट्टी व खडंजा कार्य	6,31,503=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
14	सरहेजू में कु0 हौरागाँव सरकारी ट्यूबवेल से निशान सिंह के घर तक खडंजा	4,87,222=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
15	रामपुरकोड़ा में घनशयाम के मकान से नेकराम के मकान तक मिट्टी व खडंजा	6,42,075=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
16	कोरिगवा में सती देवी मंदिर से झाला तक अवशेष मिट्टी व खडंजा कार्य	6,61,027=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
17	कुइयां में सामुदिक भवन से भानु प्रताप के मकान तक मिट्टी व खडंजा कार्य	7,62,521=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
18	हरिहरपुर2 में अशोक के खेत तक मिट्टी खडंजा कार्य	3,91,730=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
19	चठियाबुज़ुर्ग में छोटेलालमिश्रा के खेत के पास से चठियाहिन्दुनगर मार्ग तक	5,83,519=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
20	हरिहरपुर2 में अशोक के खेत तक खडंजा कार्य	2,71,092=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
21	बेलाकपुरपुर में प्राइमरी पाठ0 से स0तालिया तक खडंजा कार्य	3,24,452=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
22	रामपुर कोड़ा में घनशयाम के मकान से राम के खेत तक मिटटीखडंजा कार्य	3,45,026=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
23	सरेहरी में कुल्होरा गाँव सरकारी ट्यूबवेल तक मिटटीखडंजा कार्य	2,02,228=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
24	चठियाबुज़ुर्ग में छोटेलालमिश्रा के खेत के पास से चठियाहिन्दुनगर संपर्क मार्ग तक मिट्टी व खडंजा कार्य	1,91,925=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
25.क	ब्लाक परिसर में सौन्दर्यीकरण मरम्मत कार्य	1,56,550=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
ख.		4,45,000=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
ग.		19,738=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
घ.		53,400=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
अं.		1,22,743=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
26	सरहेजु में कुल्होरा गाँव सरकारी ट्यूबवेल तक मिटटीखडंजा कार्य	3,22,169=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
27	ग्राम रसूलपुर से मढियाघाट मार्ग पर गोमती नदी तक अवशेष मिट्टी खडंजा कार्य	3,02,417=00	में० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई

28	कोरिगवा में सती देवीमंदिर से झाला तक अवशेष खडंजा कार्य	3,25,451=00	मैं० एस० कंस्ट्रक्शनहरदोई
कुल		रू० 1,37,25,290=00	

15वां वित्त-

(अनुदान रजि०-II से बनाया गया)

क्र0 सं0	**कार्य का नाम व पूर्ण पता**	**कुल भुगतान**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**
1	**2**	**3**	**4**
1	पंडरवाकिला में मिश्रा रोड से रामराने के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,85,089=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
2क	ग्राम पंचायत दमगढ़ा में कमलेश के मकान से नाली निर्माण कार्य	2,30,826=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
2ख		87,861=00	
3	सरहेजू में न्यायापुरवा सी०सी० रोड से नीतू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली	5,65,943=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
4क	डेलपंडरवा में जी० टी० रोड से रामसेवक के खेत तक नाली निर्माण	4,11,497=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
4ख		4,02,948=00	
6	रैगाई में बाज़ार से बाबुराम तक इंटरलॉकिंग व नाली	5,80,798=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
7	ग्राम दहेलिया में बाज़ार से अब्दुल्ला के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली कार्य	3,73,615=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
8क	मरौना में राधेश्याम पुलिया से विमल की दुकान तक इंटरलॉकिंग एवं नाली	5,82,147=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
8ख		4,10,280=00	
9क	मिरिया में विपिन कुमार s/o जैराम के घर से पक्के रोड तक इंटरलॉकिंग	5,77,221=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
9ख		3,24,899=00	
9ग		81,487=00	
10क	दहेलिया में बाज़ार से अब्दुल्ला के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	2,07,580=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
10 ख		55,915=00	
11क	रैगाई में बाज़ार से बलराम के घर तक इंटरलॉकिंग	3,17,984=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
11ख		92,398=00	
12क	सरहेजू में नयापुरवा सी०सी० रोड व नीतू के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली	2,74,424=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
12 ख		79,296=00	

13	मरौना में कमलेश के मकान से पुलिया तक नाला निर्माण	1,89,106=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
14	ग्राम पंडरवाकिला में मिरिया रोड से रामस्नेही के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	4,09,219=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
15	ग्राम सरहेजू में नया पुरवा सी०सी० रोड से नीतू के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण	5,75,562=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
16क	रैगाईमाइनर पुलिया से कोरिगवा मार्ग पर खडंजा कार्य	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
16 ख		3,48,523=00	
16ग		3,43,414=00	
17क	ग्राम रैगाई में रैगाई बाज़ार से बलराम के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
17ख		4,37,180=00	
18क	कोटरा (भिटी) में विपिन कुमार s/o जैराम के घर से पंडरवाकिला पक्के मार्ग तक इंटरलॉकिंग कार्य	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
18ख		3,61,250=00	
18ख		4,30,513=00	
19क	दमगढ़ामरौना में राधेश्याम पुलिया से विमल की दुकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	5,800=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
19ख		3,56,302=00	
19ग		3,36,385=00	
20क	गम राभा में छोरन्नेके मकान तक से जमशेद के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
20ख		3,86,209=00	
20ग		2,41,489=00	
21	ग्राम लीलापुरवा से रामचरनके खेत तक मिटटीखडंजा कार्य	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
22	ग्राम मंसूरनगर में नवलकिशोर के मकान मैन रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
23	ग्राम पंचायत मंसूरनगर में राधे के मकान से मटरे के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
24	ग्राम मंसूरनगर में शारदा के मकान से रामलखन के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण	5,800=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
25	ग्राम रैगाई में सतीराम वर्मा के मकान से सूरज त्रिवेदीके मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
26क	ग्राम बहादुरनगर में श्रीराम के मकान के पास पुलिया निर्माण कार्य	5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
26ख		5,18,531=00	
27क		5,795=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन

27ख	ग्राम बंदरहा,में भगवान दास के मकान के पास बरमौला रोड पर पुलिया निर्माण रोड	4,95,258=00	
28क	ग्राम नेवादा से जंग बहादुर गंज रोड पर पुलिया निर्माण कार्य	5,800=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
28क		7,61,329=00	
28ग		3,29,750=00	
28घ		1,93,822=00	
29क	ग्राम नारीखेडा तालाब के पास पुलिया निर्माण कार्य	5,800=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
29ख		3,02,130=00	
29ग		2,94,627=00	
29घ		2,11,045=00	
29अं		5,777=00	
30क	ग्राम कोदरा से झाला तक खडंजा मरम्मत कार्य	5,800=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
30ख		3,33,893=00	
30ग		5,94,986=00	
31क	ग्राम मंसूरनगरमेनरोड से बरखेरा तक खडंजा मरम्मत कार्य	5,800=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
31ख		4,93,492=00	
32क	ग्राम मंसूरनगर से ग्राम कोदरा तक खडंजा मरम्मत कार्य	5,800=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
32ख		3,49,070=00	
33क	ग्राम रैगाई में सी०एच्०सी० से अब्दुल्ल्लानगरडामर तक खडंजा मरम्मत कार्य	5,800=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
33ख		4,36,983=00	
34	ग्राम रैगाई से सरावर तक खडंजा मरम्मत कार्य	5,789=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
35क	ग्राम रैगाईजगपाल के मकान से प्रेमकुमार के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण	5,806=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
35ख		2,37,054=00	
36	ग्राम अहेमी में पिहानीशाहाबाद मार्ग से रामनरेश के मकान से पंचायत भवन तक सी०सी० रोड निर्माण	5,789=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
37क	ग्राम दैत्योंनापुर में दैत्योंनापुर नहर पुल से शिवप्रकाश के मकान के सामने तक खडंजा कार्य	5,789=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
37 ख		5,777=00	
38क	पिहानी मार्ग पर राभा रोड पर यात्री प्रतीक्षालय एवं पेयजल कार्य	5,806=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
38ख		2,37,054=00	
39	ग्राम गौरिया तिराहे पर यात्री प्रतीक्षालय एवं पेयजल कार्य	5,806=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
40	मंसूरनगर तिराहे पर यात्री प्रतीक्षालय एवं पेयजल कार्य	5,789=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन
41	ग्राम सहादत नगर में निर्माण कार्य	5,784=00	मैं० एस कंस्ट्रक्शन

कुल	**रु० 1,66,08,646=00**

<u>नोट:</u> अनुदान रजिस्टर -III के अनुसार कुल दर्शित व्यय रु० 1,76,13,221=00 व ग्रांट-II में दर्शित व्यय रु० 1,75,33,964=00 है जिस कारण रू0 79,257=00 का अंतर आ रहा है । जिसका स्पष्टिकरण लेखा परीक्षा में अपेक्षित है ।

उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965के नियम 174 के अनुसार समस्त पत्रावलियां व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थे, जो कि नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे उपरोक्त व्यय की गई राज्य वित्त धनराशि रु० 1,44,43,133=00 व केन्द्रीय वित्त रू० 1,76,13,221=00, कुल व्यय रु० 3,20,56,354=00 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । जिससे किया गया व्यय अनियमित रहा व वित्तीय अनियमतता की श्रेणीमें आता है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री रामेन्द्र कुमार व महेंद्र मिश्रा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री डा0 प्रमोद कुमार, श्री ऋषिपाल सिंह से संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित समस्त पत्रावलियां एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र०उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179(2) (क) से (ङ) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुयेमय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत -पिहानीवर्ष 2019-20 से2021-2022सन्निहित धनराशि रु०74,49,470=00

प्रस्तर संख्या -22-क्षेत्र पंचायत पिहानी जनपद हरदोईमें वर्ष 2020-21 में निम्न मदों में कुल व्यय की गयी धनराशि अनुदान रजि० II, III में अंकित विवरण के अनुसार निम्नवत हैं -

क्र० सं०	मद	व्यय धनराशि	टिप्पणी
1.	मनरेगा प्रशासनिक मद	22,98,217.00	व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां अप्राप्त
2.	सांसद निधि	12,52,800.00	
3.	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	1,28,000.00	
	योग	**36,79,017.00**	

क्षेत्र पंचायत पिहानीजनपदहरदोईमें वर्ष 2021-22 में निम्न मदों में कुल व्यय की गयी धनराशि अनुदान रजि० II, III में अंकित विवरण के अनुसार निम्नवत हैं -

क्र० सं०	मद	व्यय धनराशि	टिप्पणी
1.	मनरेगा प्रशासनिक मद	15,21,308.00	

2.	सांसद निधि	10,27,945.00	व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां अप्राप्त
3.	विविध	24,200.00	
4	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	11,97,000.00	
	योग	**37,70,453.00**	

उक्त दर्शाए गए विभिन्न मदों में व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हुई जिसका योग निम्न सूची में दर्शित हैं

वित्तीय वर्ष	व्यय धनराशि
2020-21	36,79,017.00
2021-22	37,70,453.00
योग	**74,49,470.00**

उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के अनुसार समस्त पत्रावलियां व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थे, जो कि नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे उपरोक्त व्यय की गई धनराशि रु० 74,49,470=00 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । जिससे किया गया व्यय अनियमित रहा व वित्तीय अनियमतता की श्रेणी में आता है । जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री रामेन्द्र कुमार, श्री महेंद्र मिश्रा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रजितराममिश्रा, श्री ऋषिपाल सिंह, श्री शरद कुमार सिंह श्री डा0 प्रमोद कुमार, श्रीमती संध्या रानी व श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तदायी हैं । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित समस्त पत्रावलियां एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र० उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179(2) (क) से (ङ) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत -पिहानी वर्ष 2019-20 से2021-2022 सन्निहित धनराशि -रु० 44,000=00

प्रस्तर संख्या -23-आलोच्य वर्ष 2019-20 से 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर दो के अनुसार निम्न निर्माण कार्य दर्शित है , यदि प्रत्येक टेण्डर फार्म का न्यूनतम मूल्य रु० 400=00 लिया जाता है, इस प्रकार लेखा परीक्षा अनुसार टेण्डर फार्म की बिक्री से रुपया 44,000=00 की आय दर्शित होनी चाहिए थी, परन्तु संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में कराये गए कार्यों के सापेक्ष अनुदान रजिस्टर दो एवं अनुदान रजिस्टर तीन में कोई भी आय दर्शित नहीं है एवं संबधित पुष्टि प्रमाण पत्र /संबधित रजि० भी अप्राप्त रहे।

वित्तीय वर्ष	कुल कार्य	टेंडर बिक्री धनराशि

2019-20	4	4 ×400=1600
2020-21	37	37×400=14,800
2021-22	28	28×400=11,200
2021-22	41	41×400=16400
	योग	**44,000=00**

उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 174 के अनुसार समस्त पत्रावलियां व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थे, जो कि नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे उपरोक्त व्यय की गई धनराशि रु० 44,000=00 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । जिससे किया गया व्यय अनियमित रहा व वित्तीय अनियमतता की श्रेणी में आता है । जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री रामेन्द्र कुमार ,श्री महेंद्र मिश्रा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रजितराममिश्रा श्री ऋषिपाल सिंह, श्री शरद कुमार सिंह श्री डा0 प्रमोद कुमार, श्रीमती संध्या रानी व श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तदायी हैं । उपरोक्त व्यय से सम्बंधित समस्त पत्रावलियां एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र० उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179(2) (क) से (ङ) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुर वर्ष 2019-20 से 2021-22 सन्निहित धनराशि-रु० 89,968=00

प्रस्तर संख्या -24-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियो के अनुसार कतिपय फर्मो को भुगतान की गयी धनराशी मे से जी०एस०टी कटौती नहीं किया गया है,जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है,विवरण निम्नवत है --

क्रं संख्या	कार्य का नाम व पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल की धनराशि	कटौती नहीं किया गया जी०एस०टी०
1	विजय के मकानसे मंदिर तक खडंजा कार्य	सत्यम ब्रिक्स फिल्ड	223,402=00	4468=00
2	रोशनपुर ज्यूरी मार्ग से रोशनपुर प्रा०पा०तक खडंजा कार्य	किरन ब्रिक्स फिल्ड	614,394=00	12,288=00
3	गोरे के खेत से बल्कार के झाला तक मिट्टी /खडंजा कार्य	अनुराग ब्रिक्स फिल्ड	636,611=00	12,732=00

4	गिरौह पुरवा से इसेपुर की ओर मिट्टी/खडंजा कार्य	सत्यम ब्रिक्स फिल्ड	724,995=00	14,500=00
5	भटौली मिघौली मार्ग से बरम बाबा पीपल तक मिट्टी/खडंजा कार्य	सत्यम ब्रिक्स फिल्ड	726,144=00	14,523=00
6	तलब से लेकर पुलिया तक ज्यूरी मे खडंजा मरम्मत कार्य	अनुराग ब्रिक्स फिल्ड	589,232=00	11,785=00
7	विकास खण्ड कैंपस मे इंटरलॉकिंग कार्य	किरन ब्रिक्स फिल्ड विवेक ब्रिक्स फिल्ड माधव ब्रिक्स फिल्ड	74,997=00 63,006=00 329,527=00	1,500=00 1,260=00 6,591=00
8	पंचायत घर से अनमोल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य ग्राम इकनौरा मे	सत्यम ब्रिक्स फिल्ड माधव ब्रिक्स फिल्ड	188,012=00 328,070=00	3,760=00 6,561=00
			योग	89,968=00

कार्यालय कमिश्नर कर उ०प्र०(एडिशनल कमिश्नर जी०एस०टी० अनुभाग)लखनऊ के पत्रांक /ए डी० कमिश्नर जी०एस०टी० अनुभाग/2018-19/181949/705 के अनुसार 1% एस०जी०एस०टी० एवं 1% सी०जी०एस०टी० की कटौती किया जाना चाहिए |

अतःउपरोक्त आंकड़ो से यह स्पष्ट है कि रू० 89,968=00 की कटौती न करके राजकीय धन की क्षति की गयी है | सम्बंधित फर्मो से उक्त राजकीय कर की वसूली किया जाना अपेक्षित है | अन्यथा की स्थिति मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विद्याशंकर कटियार लेखाकार श्री सुनील कु सिंह से मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है | उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा)नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) के क से ङ के अंतर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुरवर्ष 2019-20 से 2021-22सन्निहित धनराशि-रु०40,800=00

प्रस्तर संख्या -25-

क्रं संख्या	वित्तीय वर्ष	कुल निर्माण कार्य	कुल टेंडर	संस्था द्वारा दर्शित व्यय

1-	2019-20	08	33	13,200=00
2-	2021-22	23	69	27,600=00
			योग -	40,800=00

क्षेत्र पंचायत हरपालपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2021-22 मे उपरोक्त तालिका के अनुसार कार्य कराये गये |जिनके लिए टेंडर आमंत्रित किये गये | टेंडर मूल्य की न्यूनतम दर रू० 400=00 मानते हुए टेंडर बिक्री से प्राप्त धनराशि का विवरण लेखा परीक्षानुसार उपरोक्त तालिका मे रू० 40,800=00 दर्शित है |जबकि संस्था द्वारा उपरोक्त वर्षो मे टेंडर बिक्री फॉर्म से प्राप्त आय अनुदान रजिस्टर-02 एवं 03 मे शून्य दर्शित है |टेंडर फॉर्म बिक्री से होने वाली आय रू० 40,800=00 कम दर्शा कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए तात्कालिक लेखाकार श्री सुनील कु सिंह व 1-श्री विद्याशंकर कटियार (खण्ड विकास अधिकारी) 2-श्री रोहिताश्व कुमार(खण्ड विकास अधिकारी) 3-श्री राजेंद्र प्रसाद (खण्ड विकास अधिकारी) समान रूप से उत्तरदायी है |

उपरोक्त पर उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा)नियमावली1965 के नियम संख्या 179 (2) के क से ङ के अंतर्गत वसूली की जानी अपेक्षित है|

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुर वर्ष 2019-20 से 2021-22सन्निहित धनराशि-रु०3,52,476=00

प्रस्तर संख्या -26-भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 के अंतर्गत उपकर लगाये जाने तथा उसके संग्रह किये जाने का प्रावधान किया गया है |उक्त अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र मे नियोजित श्रमिको के हितलाभ सुनिश्चित करने के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो पर 1 प्रतिशत उपकर वसूल करके भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा -शर्त विनिमयन)अधिनियम 1996 के अंतर्गत गठित राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को दिए जाने की व्यवस्था की गयी है | उक्त क्रम मे उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या -752/36-2-10-46/2010,दिनांक 15 सितम्बर 2010 के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के नियमो के अधीन विभिन्न अधिकारियो को उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत उनके सीधे नियंत्रणाधीन अथवा ठेकेदारों के माध्यम से सभी निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य संनिर्माण कार्यो पर उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया है तथा सम्बंधित अधिकारियो को उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रह के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाते हुए इस प्रकार संग्रहीत उपकर को संग्रह के 30 दिवसों के अन्दर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते मे जमा किये जाने के निर्देश दिए गये है | इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यो पर उक्तानुसार ठेकेदारों कोभुक्तान के पूर्व नियमानुसार कर्मकार कल्याण उपकर की कटौतिया करके उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुकतान के पूर्व नियमानुसार कर्मकार कल्याण उपकर की कटौतिया करके उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुक्तान किया जाना चाहिए था परन्तु क्षेत्र

पंचायत हरपालपुर की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि वर्ष 2020-21 मे कुल 27 कार्य कराये गये जिसका भुगतान जी०एस०टी० की धनराशि सहित कुल रू० 21,145,274=00 एवं वर्ष 2021-22 मे कुल 23 कार्य कराये गये जिसका भुगतान जी०एस०टी०की धनराशि सहित कुल रू० 18,334,287=00 विभिन्न फर्मो को किया गया |परन्तु फर्मो के बिल से 1% लेबर सेस (कर्मकार उपकर) की कटौती नहीं की गयी | लेखा परीक्षानुसार बिल की धनराशि(बिना जी०एस०टी० के) पर 1% की दर से लेबर सेस वर्ष 2020-21 मे रू० 1,88,785=00 एवं वर्ष 2021-22 मे रू० 1,63,691=00 की कटौती की जानी अपेक्षित थी जो की नहीं की गयी |

इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों तथा शासनादेश द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार कराये जाने वालो कार्यो पर उपकर कटौतिया न करके गंभीर असावधानी बरती गयी है जिसके परिणामस्वरुप राज्य सरकार को धनराशि रू० 3,52,476=00 के राजस्व की हानि हुयी है जिसके लिए 1-श्री रोहिताश्व कुमार (खण्ड विकास अधिकारी)2-श्री राजेंद्र प्रसाद (ज़ि०वि०अ०)3-श्री संतोष कुमार वर्मा (खण्ड विकास अधिकारी)एवं लेखाकार श्री सुनील कु सिंह उत्तरदायी है | उक्त धनराशि रू० 352,476=00 का उत्तरदायी व्यक्तियों 1-श्री रोहिताश्व कुमार (खण्ड विकास अधिकारी)2-श्री राजेंद्र प्रसाद (ज़ि०वि०अ०)3-श्री संतोष कुमार वर्मा (खण्ड विकास अधिकारी)एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल कर सम्बंधित विभाग को भुगतान किया जाना अपेक्षित है | जिस प्रति उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) के क से ङ के अंतर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुर वर्ष 2019-20 से 2021-22 सन्निहित धनराशि–रु०-83,101=00

प्रस्तर संख्या -27-लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21मे उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियो के अनुसार कतिपय फर्मो को भुगतान की गयी धनराशिमे से जी०एस०टी कटौती नहीं किया गया है,जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुयीहै,विवरण निम्नवत है --

क्रंसं	कार्य का नाम व पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	बिलकी धनराशि	कटौती नहीं किया गया जी०एस०टी०
1	कैलाश के मकान की सीमा से अजय के मकान तकइंटरलॉकिंग एवं नाली कार्य	एस एसोसिएट	283,826=00	5,676=00
2	मुर्वाभदौरिया पुरवा मार्ग से राम गंगा नदी को	एस एसोसिएट	954,725=00	19,094=00

	जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य			
3	कडहरबारामऊ मार्ग से पी०आर० शिक्षण संस्थान तक खडंजा निर्माण कार्य	एस एसोसिएट	794,762=00	15,895=00
4	विकास खण्डकार्यालयमेबाउंड्रीवाल मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	एस एसोसिएट	624,814=00	12,496=00
5	ललुआमऊगावं से खडंजा तक मिघौली सीमा तक खडंजा कार्य	एस एसोसिएट	973,490=00	19,470=00
6	ग्राम इकनौरामे मुख्य डामर रोड से सती देवी मंदिर परिसर तक खडंजापुनर्निर्माण एवं मंदिर के निकट संस्कार स्थल पर इंटरलॉकिंग कार्य	एस एसोसिएट	230,044=00	4,600=00
7	जोतपुरडामर रोड से एम० एम०नगराभट्टा तक खडंजा कार्य	एस एसोसिएट	293,525=00	5,870=00
			योग -	83,101=00

कार्यालय कमिश्नर कर उ०प्र०(एडिशनल कमिश्नर जी०एस०टी० अनुभाग)लखनऊ के पत्रांक /ए डी० कमिश्नर जी०एस०टी० अनुभाग/2018-19/181949/705 के अनुसार 1% एस०जी०एस०टी० एवं 1% सी०जी०एस०टी० की कटौती किया जाना चाहिए |

अतःउपरोक्तआंकड़ो से यह स्पष्ट है कि रू०83,101=00की कटौती न करके राजकीय धन की क्षति की गयी है | सम्बंधितफर्मो से उक्त राजकीय कर की वसूली किया जाना अपेक्षित है | अन्यथा की स्थिति मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1-श्री विद्याशंकर कटियार (खण्ड विकास अधिकारी) 2-श्री रोहिताश्व कुमार(खण्ड विकास अधिकारी)3-श्री राजेंद्र प्रसाद(ज़ि०वि०अ०)4-श्री संतोष कुमार वर्मा (खण्ड विकास अधिकारी) एवं लेखाकार श्री सुनीलकु सिंह से मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है | उत्तर प्रदेश जिला

पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा)नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) के क से ङ के अंतर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्षेत्र पंचायत- हरपालपुरवर्ष 2019-20 से 2021-22सन्निहित धनराशि–रु०-1,96,402=00

प्रस्तर संख्या -28-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 मे उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियो के अनुसार कतिपय फर्मो को भुगतान की गयी धनराशी मे से जी०एस०टी कटौती नहीं किया गया है,जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है,विवरण निम्नवत है --

क्रं सं	कार्य का नाम व पता	फर्म/आपूर्तिकर्ता का नाम	बिलकी धनराशि	कटौती नहीं किया गया जी०एस०टी०
1	सुल्तानपुर चौधारियापुर तक मिटटी व खडंजा कार्य	घनश्याम इंटरप्राइजेज़	983,418=00	19,668=00
2	पलिया बेडीजोर मार्ग से टिकार पुलिया तक सी०सी०निर्माण कार्य	घनश्याम इंटरप्राइजेज़	873,556=00	17,471=00
3	मधुपुरी से कहारन पुरवा तक खडंजा कार्य	घनश्याम इंटरप्राइजेज़	983,533=00	19,670=00
4	सुरजूपुर दुर्ज़ना डामर रोड से रामप्रकाश के घर तक खडंजा कार्य	घनश्याम इंटरप्राइजेज़	464,175=00	9,283=00
5	दहेलिया बाज़ार से जीवनपुरवा तक खडंजा मरम्मत कार्य	घनश्याम इंटरप्राइजेज़	980,000=00	19,600=00
6	अलीगंज ननखेरिया मे डामर रोड से चमारन पुरवा तक मिटटी व खडंजा कार्य	जितेन्द्र कुमार सिंह	702,946=00	14,059=00
7	ग्राम नगरिया कट मेन रोड से सखन के घर तक सी०सी० रोड कार्य	जितेन्द्र कुमार सिंह	290,815=00	5,816=00
8	पलिया तिराहा हरपालपुर सोलर वाटर पंप एवं वाटर कूलर का कार्य	जितेन्द्र कुमार सिंह	800,800=00	16,016=00

9	सुरजूपुर दुर्ज़ना मे डामर रोड से कुलदीप के घर तक खडंजा कार्य	जितेन्द्र कुमार सिंह	441,543=00	8,830=00
10	खसौरा मे कौशल के मकान से हरीराम के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	जितेन्द्र कुमार सिंह	359,217=00	7,184=00
11	हरपालपुर बड़ा गावं से अस्पताल तक इंटरलॉकिंग व नाली कार्य	जितेन्द्र कुमार सिंह	975,349=00	19,507=00
12	हाईवे से गुरूद्वारा तक इंटरलॉकिंग बिछाई कार्य	जितेन्द्र कुमार सिंह	966,388=00	19,328=00
13	अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पुनर्निर्मान	जितेन्द्र कुमार सिंह	998,506=00	19,970=00
			योग	1,96,402=00

कार्यालय कमिश्नर कर उ०प्र०(एडिशनल कमिश्नर जी०एस०टी० अनुभाग)लखनऊ के पत्रांक /ए डी० कमिश्नर जी०एस०टी० अनुभाग/2018-19/181949/705 के अनुसार 1% एस०जी०एस०टी० एवं 1% सी०जी०एस०टी० की कटौती किया जाना चाहिए।

अतःउपरोक्त आंकड़ो से यह स्पष्ट है कि रू०196,402=00की कटौती न करके राजकीय धन की क्षति की गयी है | सम्बंधित फर्मो से उक्त राजकीय कर की वसूली किया जाना अपेक्षित है | अन्यथा की स्थिति मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री सुनील कु0सिंह से मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है | उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा)नियमावली 1965 के नियम संख्या 179(2) के क से ङ के अंतर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

क्षेत्र पंचायत- भरखनी **वर्ष 2020-21 से 2021-22** **धनराशि-रु०1,82,471=00**

प्रस्तर संख्या -29-क्षेत्र पंचायत भरखनी की वर्ष 2020-21 से 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कर्मकार उपकर (लेबर सेस) की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नहीं की गयी है. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा -3 के अंतर्गत

उपकर लगाये जाने तथा उसके संग्रह किये जाने का प्रावधान किया गया है.उक्त अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों के हितलाभ सुनिश्चित करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत उपकर वसूल करके भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा -शर्त विनियम) अधिनियम 1996 के अंतर्गत गठित राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को दिए जाने की व्यवस्था की गयी है.उक्त के क्रम में उ.प्र.सरकार के श्रम अनुभाग -2 की अधिसूचना संख्या-752/36-2-10-46/2010,दिनांक 15 सितम्बर 2010 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के नियमों के अधीन विभिन्न अधिकारियों को उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत उनके सीधे नियंत्रणाधीन अथवा ठेकेदारों के माध्यम से सभी निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया है तथा सम्बंधित अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रह के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाते हुए संग्रहीत उपकर को संग्रह के 30 दिवसों के अंतर्गत उ.प्र.भवन एवं अन्य सन्निर्माणकर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा किये जाने के निर्देश दिए गये हैं .इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों पर उक्तानुसार ठेकेदार को भुगतान के पूर्व नियमानुसार कर्मकार कल्याण उपकर की कटौतियां करके उ.प्र.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुगतान किया जाना चाहिए था, परन्तु क्षेत्र पंचायत भरखनी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों पर ठेकेदार को भुगतान के पूर्व नियमानुसार उनके बिलों से उपकर की कटौतियां नहीं की गयी हैं जिनका विवरण निम्नवत है -

वर्ष उत्तरदायी व्यक्ति का नाम लेबर सेस कटौती, जो की जानी थी

2020-21 1.श्री विद्याशंकर कटियार2.श्री ऋषिपाल सिंह 3.श्री परविंदर पाण्डेय (खंड विकास अधिकारी) रु. 31,637=00

1.श्री सुनील सिंह(लेखाकार)

2021-22 1.श्री विद्याशंकर कटियार2.श्री ऋषिपाल सिंह 3.श्री परविंदर पाण्डेय (खंड विकास अधिकारी) रु. 1,50,834=00

1.श्री सुनील सिंह(लेखाकार

योग रु. 1,82,471=00

इस प्रकार स्पष्ट है किअधिनियम,नियमावली के प्रावधानों तथा शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों पर उपकर कटौतियां न करके गंभीर असावधानी बरती गयी है.जिसके परिणाम स्वरुप क्षेत्र पंचायत को (बजट तथा सामान्य लेखा)नियमावली 1965 के नियम 179-(1) के अंतर्गत अधिभार योग्य है ,जिसके लिए कालम-04 में उल्लिखित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं जिनसे वसूली की जानी अपेक्षित हैा

क्षेत्र पंचायत- सण्डीला **वर्ष 2019-20 से 2021-22 - धनराशि- रु० - 17,53,664-00**

प्रस्तर संख्या -30- क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2021-22 से खातों एवं ग्रान्ट रजिस्टर से लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि आयकर , जी0एस0टी0 तथा लेबर चार्ज मद में 31-03-2022 को अत्यधिक धनराशियाँ अवशेष हैं।

नियमानुसार 31.03.2022 को रू0 1753664.00 राजकीय कर , जी0एस0टी0 , लेबर चार्ज शासन के दिये गए दिशानिर्देशों के अनुरूप शत् प्रतिशत समय से राजकीय कोष में जमा कर दिया जाना चाहिये था। इस प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि निर्धारित अवधि में राजकीय कर की समस्त धनराशियों को राजकीय कोष में नहीं जमा किया गया। ऐसा न करके शासन के निर्देशों की अवहेलना एवं गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार (01.12.2019 से 30.10.2021) एवं श्री राजीव गुप्ता (01.11.2021 से अद्यावधि) तथा श्री मोहित दुबे लेखाकार (01.10.2020 से 25.10.2021) श्री मयंक सविता (26.10.2021 से अद्यावधि) तक पूर्णतया दोषी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	मद	धनराशि रू०	अभ्युक्ति
1	आयकर	7,41,663.00	वर्ष 2020-21 में रू० 2,58,766.00 व वर्ष 2021-22 में रू० 4,82,897.00 कुल रू० 7,41,663.00 आयकर की धनराशि संस्था में जमा है नियमानुसार इसे आयकर विभाग में समय से जमा किया जाना चाहिये था।
2	जी0एस0टी0	7,41,663.00	वर्ष 2020-21 में रू० 2,58,766.00 व वर्ष 2021-22 में रू० 4,82,897.00, कुल रू० 7,41,663.00 राजकीय कर जी0एस0टी0 राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया है। नियमानुसार इसे राजकीय कोष में समय से जमा किया जाना चाहिए था।
3	लेबर चार्ज	2,70,338.00	वर्ष 2021-22 में रू० 2,70,338.00 , लेबर चार्ज कटौती किया गया है। जिसे राजकीय कोष में नहीं जमा किया गया है। जो गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। इसे यथाशीघ्र राजकीय कोष में समय से जमा किया जाना चाहिये था ।
	योग-	**17,53,664-00**	

क्षेत्र पंचायत- सण्डीला **वर्ष 2019-20 से 2021-22 -धनराशि-रु०1,03,505-00**

प्रस्तर संख्या -31-प्रस्तर संख्या -31-क्षेत्र पंचायत सण्डीला की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान ब्लाक आफिस की बिल्डिंग सण्डीला में रूफटाप रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पत्रावली की जांच में लेखाकार श्री मोहित दुबे द्वारा बताया गया कि तेरहवें वित्त से जिलाधिकारी महोदय हरदोई तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सण्डीला श्री अजीत कुमार सिंह के मौखिक आदेशानुसार उपरोक्त सिस्टम लगवाया गया।

इस कार्य को पूर्ण करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी सण्डीला कार्यालय पत्रांक 2098/ 2019-20 दिनांक 06.02.2020 द्वारा श्री मंसूर आलम लघु सिंचाई विभाग सण्डीला को कार्यप्रभारी बनाया गया। श्री मंसूर आलम द्वारा रूफ टाप रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। इस कार्य को कराने के लिये स्थानीय बाजार की फर्मों से कोटेशन की मांग की गई है तथा तीन फर्मों से कोटेशन प्राप्त हुये।

क्र.	फर्म का नाम	कोटेशन प्राप्त दिनाँक
1.	लखनऊ बोरिंग वर्क्स	12.02.2020
2.	मेसर्स राध्या ट्रेडर्स	11.02.2020
3.	मेसर्स शिव शक्ति पाइप ट्रेडर्स	10.02.2020

प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य को कराये जाने की अवधि (16.02.2020 से 20.02.2020) तक रही। उपरोक्त कार्य कराये जाने के बाद श्री मंसूर आलम द्वारा निम्न व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये।

1.	सामान क्रय बिल मे0 शिव शक्ति पाईप ट्रेडर्स	रू० 87517.00
2.	प्रस्तुत एम0आर0 का भुगतान	रू० 15988.00

उपरोक्त कार्य एवं भुगतान में निम्न कमियां पाई गईं-

1. प्रस्तुत प्राक्कलन रिपोर्ट के अधिकांश पृष्ठों पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही प्रविष्टियों का पूर्ण अंकन किया गया है।

2. श्री मंसूर आलम ,जे0ई0एम0आई0 (लघु सिंचाई) विभाग को कार्य प्रभारी बनाया जाना आपत्तिजनक है क्योंकि श्री आलम दूसरे विभाग के हैं। शासन के अनुमति/बिना स्वीकृति के कार्य प्रभारी बनाया जाना गंभीर आपत्तिजनक है।

3. जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के मौखिक आदेशानुसार कार्य कराया जाना भी गंभीर आपत्तिजनक है।

4. फर्म के नाम के साथ पता भी अंकित होना चाहिये।

5. लखनऊ बोरिंग वर्क्स से कोटेशन प्राप्त होने के पूर्व क्रयादेश निर्गत किया जाना अनियमित है। कोटेशन प्राप्ति का दिनाँक 12.02.2020 है परन्तु क्रयादेश कार्यालय पत्रांक 2152 दिनाँक 11.02.2020 निर्गत हुआ है।

6. क्रय किये गये सामग्री को स्टाक पंजी0 में प्रविष्टि किया गया अथवा नहीं स्टाक पंजी0 के अभाव में अपुष्टित रहा।

7. श्रमांश पर व्यय धनराशि रूपये 15988/- श्री आलम को चेक संख्या 933356 दिनाँक 02.03.2020 द्वारा प्राप्त किया गया है। जबकि श्रमिकों को उसके बैंक खाता में ट्रान्सफर किया जाना चाहिये। अतः भुगतान प्राप्त किया धनराशि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से अनियमित रहा। अतः सम्पूर्ण धनराशि सामग्री पर व्यय रू० 87517-00तथा श्रमांश पर व्यय रू० 15988-00कुल रूपया 103505-00 अनियमितता का प्रकरण है। इस अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम समोखन एवं श्री सुधीर कुमार तथा लेखाकार श्री रमेशचन्द्र तथा श्री राम कुमार सिंह पूर्णतया उत्तरदायी हैं उक्त पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत- सण्डीला वर्ष 2019-20 से 2021-22-धनराशि- रु०50,904.00

प्रस्तर संख्या -32-क्षेत्र पंचायत सण्डीला की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मद में 31.03.2019 को रूप0 515706.00 अवशेष था। आयुक्त ग्रा0वि0] उ0प्र0 के पत्राँक 1678/प्रा0मे0आ0यो0/ग्राम 2019-20 दिनांक 30/10/2019 द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से प्रशासनिक मद से कोई व्यय न किया जाये। आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत खण्ड विकास अधिकारी सण्डीला द्वारा रू0 50904.00 का पूर्व में व्यय विभिन्न कार्यों के भुगतान पर कर लिया गया। जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से अनियमित रहा। शेष धनराशि रू0 464802.00 ड्राफ्ट संख्या 002142/04.11.2019 आयुक्त ग्राम्य विकास को वापस भेज दिया गया।

क्षेत्र पंचायत सण्डीला द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण -

क्र.	फर्म का नाम	बिल/दिनांक	धनराशि	चेक सं0 दिनांक	धनराशि प्राप्तकर्ता	अन्य
1.	सागर कम्युनिकेशन	187/29.08.19	200.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
2.	असफाक पेन्टर	93/13.09.19	300.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
3.	अम्बरीश डीजल पार्ट्स	अंकित नहीं/05.09.19	3060.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
4.	रूचि इण्टरप्राईजेज	अंकित नहीं/	1040.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।

5.	अंकित नहीं	अंकित नहीं 04.09.14	329.55	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
6.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	528.40	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
7.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	528.40	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
8.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	526.88	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
9	अंकित नहीं	अंकित नहीं	300.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
10.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	400.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
11.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	200.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
12.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	500.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
13.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	200.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
14.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	285.00	000082/19.09.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
15.	अंकित नहीं	अंकित नहीं	800.00	0008/20.08.19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
16.	अम्बरीश डीजल स्पेयर..	अंकित नहीं 26.04.19	955.00	00075/02/07/19	श्री दानिश लेखाकार	बिल/नियमानुसार नहीं है।
17.		अंकित नहीं/	5000.00	-		

	एम0आई00आई0एस 0 हेतु कम्प्यूटर आपरेटर को भुगतान	26.04.19			श्री दानिश लेखाकार		सम्बन्धित आपरेटर को भुगतान नहीं
18.	बब्लू सोनी कम्प्यूटर रिपेयरिंग भुगतान	अंकित नहीं/ 9.8.19	5200.00	00079/09.08.19	श्री दानिश लेखाकार		सम्बन्धित आपरेटर को भुगतान नहीं
19.	चेक इन कम्प्यूटर भु0	अंकित नहीं	4000.00	00080/2.08.19	श्री दानिश लेखाकार		सम्बन्धित आपरेटर को भुगतान नहीं
		कुल	24353.00				

(कुल व्यय 50904.00 - 24353.00 = 26551.00 पत्रावली अप्राप्त)

उपरोक्त प्रस्तुत प्रमाणक तथा किये गये भुगतान में निम्न कमियाँ पाई गयीं।

1. क्रमांक 01 से 19 तक के प्रमाणक नियमानुसार बिल नं0 अंकित नहीं था तथा कैश मेमो पर नहीं पाये गये। प्रमाणकों पर बिल नम्बर अंकित नहीं था। इस कारण बिल की स्थिति संदिग्ध है।

2. क्रम संख्या 15 पर प्रस्तुत बिल का भुगतान रू० 800 श्री दानिश लेखाकार को किया गया परन्तु बिल पर गाड़ी नम्बर अंकित नहीं था। वाहन संख्या अंकित किया जाना चाहिये। वाहन राजकीय था या निजी यह भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है। यदि वाहन राजकीय है तो लाक बुक व यात्रा का उद्देश्य अंकित किया जाना चाहिए था और यदि वाहन निजी है तो भी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।

3. क्रमांक 01 से 19 तक कराये गये कार्य/भुगतान का आदेश पत्रावली में अप्राप्त रहा। उक्त पर विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत- सण्डीला वर्ष 2019-20 से 2021-22- धनराशि-रु०33,03,125.00

प्रस्तर संख्या -33-संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में विकास खण्ड सण्डीला में विभिन्न निर्माण कार्य कराये गये-

क्र.सं.	कार्य का विवरण/ कार्य प्रभारी	सामग्री पर व्यय	श्रम पर व्यय	योग	उत्तरदायी व्यक्ति	अभ्युक्ति

1	2	3	4	5	6	7
1-	पड़री तिराहे से रामपाल के बाग तक खड़न्जा कार्य श्री अनुराग गौतम (पंचायत राज्य वित्त)	493837.00	178290.00	672127.00	श्री मो0 फारूख (03-04-19 से 28-8-19) श्री राम समोखन (28-8-19 से 30-11-19) श्री सुधीर कुमार (1-12-19 से 30-10-21) लेखाकार	शासनादेश सं0 1838/33-3 - 2015- 3/2015 पं0रा0/31.07.2015 का नियमानुसार पालन न करना एवं कार्य पत्रावली में सुसंगत अभिलेख न होना
2-	बुद्धा खेड़ा मस्जिद से साम सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा मरम्मत कार्य श्री अनुराग गौतम ए0डी0ओ0 सह0	298740.00	248080.00	546820.00	श्री मो0 फारूख (03-04-19 से 28-8-19) श्री राम समोखन (28-8-19 से 30-11-19) श्री सुधीर कुमार (1-12-19 से 30-10-21) लेखाकार	शासनादेश सं0 1838/33-3 - 2015- 3/2015 पं0रा0/31.07.2015 का नियमानुसार पालन न करना एवं कार्य पत्रावली में सुसंगत अभिलेख न होना
3-	छन्नोइया रोड से पंचम के घर तक खड़न्जा निर्माण (श्री अनुराग गौतम) ए0डी0ओ0 सह0	321720.00	109340.00	431060.00	श्री मो0 फारूख (03-04-19 से 28-8-19) श्री राम समोखन (28-8-19 से 30-11-19) श्री सुधीर कुमार (1-12-19 से 30-10-21) लेखाकार	शासनादेश सं0 1838/33-3 - 2015- 3/2015 पं0रा0/31.07.2015 का नियमानुसार पालन न करना एवं कार्य पत्रावली में सुसंगत अभिलेख न होना
4-	सिकरोहरी में अहमद के दरवाजे से	601939.00	105490.00	707429.00	श्री मो0 फारूख (03-04-19 से 28-8-19) श्री राम समोखन (28-8-19 से 30-11-19)	शासनादेश सं0 1838/33-3 - 2015- 3/2015

	मस्जिद तक खड़न्जा कार्य (श्री प्रेमपाल) ए0डी0ओ0 समाज क0				श्री सुधीर कुमार (1-12-19 से 30-10-21) लेखाकार	पं0रा0/31.07.2015 का नियमानुसार पालन न करना एवं कार्य पत्रावली में सुसंगत अभिलेख न होना
5-	रसूलपुर के दिगपाल सिंह के खेत से नहर तक खड़न्जा कार्य (श्री प्रेमपाल) ए0डी0ओ0 समाज क0	329763.00	114765.00	444528.00	श्री मो0 फारूख (03-04-19 से 28-8-19) श्री राम समोखन (28-8-19 से 30-11-19) श्री सुधीर कुमार (1-12-19 से 30-10-21) लेखाकार	शासनादेश सं0 1838/33-3 -2015- 3/2015 पं0रा0/31.07.2015 का नियमानुसार पालन न करना एवं कार्य पत्रावली में सुसंगत अभिलेख न होना
6-	जवर में सुख खेड़ा में पक्की सड़क तक अब्बास के घर तक नाली खड़न्जा कार्य (श्री अनुराग गौतम) ए0डी0ओ0 समाज क0	391251.00	109910.00	501161.00	श्री मो0 फारूख (03-04-19 से 28-8-19) श्री राम समोखन(28-8-19 से 30-11-19) श्री सुधीर कुमार(1-12-19 से 30-10-21) लेखाकार	शासनादेश सं0 1838/33-3 -2015- 3/2015 पं0रा0/31.07.2015 का नियमानुसार पालन न करना एवं कार्य पत्रावली में सुसंगत अभिलेख न होना
	योग-	**24,37,250.00**	**8,65,875.00**	**33,03,125.00**		

1- शासनादेश संख्या **1838/33-3 -2015- 3/2015** पंचायती राज अनुभाग दिनाँक 31 जुलाई 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर नहीं बल्कि दो गाँवों/ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले निर्माण कार्य करना है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर ही कराया

गया है। यदि यह मरम्मत कार्य नियमानुसार कराये गये हैं तो इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं था।

उक्त के अतिरिक्त अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गईं-

2- खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी की गई अल्पकालीन निविदा सूचना दिनाँक 14-12-2018 में क्रमांक 3 पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राकलन स्वीकृत मूल्य का 5 प्रतिशत जमानत राशि निविदा डालने के समय तथा 8 प्रतिशत जमानत की धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी सण्डीला के पक्ष में बंधक कराते हुये निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही टेण्डर प्रक्रिया के तहत निविदा प्रपत्र के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र , हैसियत प्रमाण पत्र , अनुभव प्रमाण पत्र , पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण-पत्र , आयकर प्रमाण पत्र , विक्रकर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। परन्तु उपरोक्त का नियमानुसार पालन नहीं किया गया।

3- खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय सण्डीला द्वारा अल्पकालीन निविदा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्य प्रभारियों को कार्य कराने का आदेश नियम/शर्तों के आधार पर कराये जाने के आदेश दिये गये थे। जिसमें प्रथम शर्तें यह थी कि कार्य प्रारम्भ कराने से पहले पथ प्रदर्शक बोर्ड कार्य स्थल पर लगाना अनिवार्य है। जिस पर कराये गये कार्य का सम्पूर्ण विवरण शुरू से अन्त तक उस अंकित होना चाहिये। कार्य होने से पूर्व एवं कार्य करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के बाद तीनों स्तर के फोटोग्राफ पत्रावली में सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध करायेंगे। परन्तु पत्रावली में लेखा परीक्षा के समय सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे। इससे प्रतीत होता है कि नियमानुसार उपरोक्त शर्त का पालन नहीं किया गया।

4- क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराये गये उपरोक्त कार्यो के सापेक्ष प्राप्त पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि संलग्न निविदा प्रपत्रों की प्रविष्टियाँ अधूरी हैं। सक्षम अधिकारियों द्वारा उसकी पूर्ण रूप से जाँच नहीं की गई और न ही अवलोकित किया गया। एम0बी0 बुक पर कार्य कब शुरू हुआ कब समाप्त हुआ इसका अंकन नहीं पाया गया। कार्यपूर्ति] उपभोग प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा समाप्त करने की तिथि तक उपलब्ध नहीं रहा। आपूर्ति की गई सामग्री की स्टाक पंजिका तथा परिसम्पत्ति पंजिका अप्राप्त रही। जो लेखा परीक्षा के समय नियमानुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।

5- क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि प्रस्तुत/उपयोग में लाये गये मस्टर रोलों पर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं था और न ही सक्षम अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर थे। भुगतान हेतु प्रस्तुत मस्टर रोल पर प्रथम दृष्ट्या देखने से यह प्रतीत होता है कि निशानी अंगूठा एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये हैं। जिन्हें नाम सहित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर आवश्यक सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण का उच्चाधिकारी से अवलोकित कराया जाना चाहिये।

इस प्रकार से निविदा में उल्लिखित सभी नियमों/शर्तों का पालन नियमानुसार नहीं करने पर भी निविदा स्वीकृत कर रू0 33,03,125.00 कार्य का भुगतान किया जाना गंभीर अनियमित रहा , जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी 1- श्री मो0 फारूख , 2- श्री राम समोखन , 3- श्री सुधीर कुमार तथा लेखाकार 1- श्री रमेश चन्द्र , 2- श्री रामकुमार सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

क्षेत्र पंचायत- सण्डीला वर्ष 2019-20 से 2021-22- धनराशि-रु०75,16,706=00

प्रस्तर संख्या -34-शासनादेश संख्या **1838/33-3-2015-3/2015** पंचायती राजय अनुभाग-3 दिनाँक 31 जुलाई 2015 में की गई व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर नहीं बल्कि दो गाँवों/ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले निर्माण कार्य कराना है। परन्तु उपरोक्त का पालन नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों के निर्माण/मरम्मत पर रू०75,16,706.00का व्यय किया गया है। जो कार्यों को नियम/शर्तों के आधार पर न कराये जाने के कारण अनियमितता की श्रेणी में आता है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	धनराशि	उत्तरदायी अधिकार/फर्म	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	ग्राम पंचायत मल्हेरा में सण्डीला मार्ग से छनोइया मार्ग तक खड़न्जा निर्माण कार्य	927137-00	श्री सुधीर कुमार खण्ड वि0अधि0 01-12-19 से 31-10-21 श्री राजीव गुप्ता खड वि0अधिकारी 01-11-21 से 31-03-22 श्री मोहित दुबे लेखाकार 10-01-20 से 25-10-21 श्री मयंक सविता 28-10-21 से 31-03-22	शासनादेश सं0 **1838/33-3-2015-3/2015** पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31 जुलाई 2015 का उल्लंघन किया गया है
2-	ग्राम पंचायत ककरौआ से सेमरामऊ तक खड़न्जा निर्माण कार्य	996582-00	-तदैव-	-तदैव-

3-	ग्राम पंचायत नरायनपुर में सुरेश के घर से शिव मन्दिर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य।	959695-00	-तदैव-	-तदैव-
4-	ग्राम पंचायत मल्हेरा में बबुरिहा टोला से चरही तालाब की ओर जल निकासी जाल निर्माण	709923-00	-तदैव-	-तदैव-
5-	ग्राम पंचायत जामू में मुनेश के घर से मुशं ी के घर मोड़ तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	961282-00	-तदैव-	-तदैव-
6-	ग्राम भदेहना में डामर रोड से गंगा राम के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य	993115-00	-तदैव-	-तदैव-
7-	ग्राम पंचायत शिवनगरा में विष्णु के हाता से कमता के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य	686250-00	-तदैव-	-तदैव-
8-	ग्राम पंचायत जामू पतेहरा में प्राइमरी स्कूल से मस्जिद तक खड़न्जा कार्य	476617-00	-तदैव-	-तदैव-
9-	विकास परिसर में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	806105-00	-तदैव-	-तदैव-
	योग-	75,16,706.00	-तदैव-	-तदैव-

<u>उक्त के अतिरिक्त अन्य आपत्तियाँ निम्नव् हैं-</u>

क्षेत्र पंचायत सण्डीला द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्यों पर हुआ व्यय,राज्य वित्त 50 प्रतिशत नये कार्य राज्य वित्त , 50 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत की परिसम्पत्तियों रख-रखाव, केन्द्रीय पन्द्रहवाँ वित्त आयोग से प्राप्त धन से किया गया है। उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों में निम्न कमियाँ/आपत्तियाँ पाई गयीं।

अ. क्रमांक 01 से 09 तक जो भी कार्य कराये गये हैं। उसके लिये खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु समाचार पत्र में तथा अपने कार्यालय के नियम एवं शर्तों का उल्लेख करते हुये अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। जिसके क्रम संख्या 3 पर अंकित किया गया है कि निविदा प्रपत्र के साथ , पंजीयन-पत्र , हैसियत

प्रमाण-पत्र , आयकर एवं व्यापार कर (जी0एस0टी0, अनुभव प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अभिलेख एवं प्राकलन स्वीकृत मूल्य का 5 प्रतिशत जमानत धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में जारी एन0एस0सी0 , एफ0डी0आर0 संलग्न निविदा डालने के समय प्रस्तुत करें परन्तु पत्रावली में सम्बन्धित प्रमाणक संलग्न नहीं थे। जो आपत्ति का विषय है।

ब. संस्था द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों में संलग्न एम0बी0 बुक, टेन्डर तुलनात्मक चार्ट , लेटर एक्सेप्टेन्स आदि प्रपत्रों पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये तथा संलग्न अधिकांश प्रपत्रों पर प्रविष्टियाँ अपूर्ण थीं। निविदा प्रपत्रों पर संलग्न शपथ पत्र पर निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं थे।

स. उपरोक्त पत्रावलियों की जाँच मंे पाया गया कि कार्य पूर्ति तथा उपयोग प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं था। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पहले पथ प्रदर्शक बोर्ड कार्यस्थल पर लगाना अनिवार्य है। जिस पर कराये गये कार्य का विवरण शुरू से अन्त तक उस पर अंकित होना चाहिये। कार्य होने से पूर्व कार्य प्रगति के समय एवं कार्य समाप्त होने के बाद तीनों स्तर के फोटोग्राफ पत्रावली में सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध करायेे ंगे। परन्तु उपलब्ध करायी गयी किसी भी पत्रावली में उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार, श्री राजीव गुप्ता खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री मोहित दुबे तथा श्री मयंक सविता तक पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं उक्त पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- सण्डीला **वर्ष 2019-20 से 2021-22 -धनराशि- रु० 88,66,799=00**

प्रस्तर संख्या -35-उक्त दर्शित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में बार-बार लिखित पत्रांक/दिनांक 24.06.2022 , 06.07.2022 , 26.07.2022 , 03.11.2022 , 15.11.2022 एवं 17.03.2023 एवं मौखिक रूप से मांग करने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	धनराशि	उत्तरदायी अधिकार/फर्म	अभ्युक्ति
1-	सण्डीला बेनीगंज रोड के दोनों तरफ इण्टरलाॅकिंग कार्य निर्माण।	978672.00	श्री सुधीर कुमार खण्ड वि0अधि0 (01.12.19 से 31.10.21) श्री राजीव गुप्ता खड वि0अधिकारी (01.11.21 से 31.03.22) श्री मयंक सविता लेखाकार	लेखा परीक्षा में पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाना गम्भीर अनियमितता के प्रकरण हैं।

			(26.10.2021 से 31.03.2022 तक) श्री मोहित दुबे लेखाकार (10-01-20 से 25-10-21)	
2-	सिकरौरी टिकरा मार्ग से ..... सिंह के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य	405186.00	_"_	_"_
3-	हरदलमऊ में बांगरमऊ रोड से हरीब के मकान तक सी0सी0 रोड के दोनों तरफ पटरी पर इण्टरलाॅकिंग कार्य।	739629.00	_"_	_"_
4-	महरूनिया डामर रोड से चैबियान तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	920409.00	_"_	_"_
5	ग्राम पंचायत मझगाँव के बड़े वगवारा से कृष्णा फार्म	984109-00	_"_	_"_
6	ग्राम पंचायत सरवा गोसवा में डामर रोड से बिरहनियान सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाॅकिंग कार्य।	956965.00	_"_	_"_
7	विकास खण्ड परिसर में कक्ष सं0 2 से 4 तक मरम्मत कार्य	980682.00	_"_	_"_
8	ग्राम पंचायत जामू में रानी खेड़ा तक इण्टर लाॅकिंग कार्य	995615.00	_"_	_"_
9	ग्राम पंचायत पहतोइया में सर्वेश के घर से झबरी तालाब तक जल निकासी नाला निर्माण।	910953.00	_"_	_"_
10-	विकास खण्ड परिसर में कक्ष सं0 4 से 6 तक मरम्मत कार्य।	994579-00	_"_	_"_

	योग-	88,66,799.00		

इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि रू0 88,66,799-00 अपुष्टित रहा। अतः इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव गुप्ता (01-11-2021 से 31-03-2022) तथा श्री मोहित , लेखाकार (01-10-2020 से 25-10-2021) तथा मयंक सविता (26-10-2021 से अद्यावधि) उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- टोडरपुर वर्ष 2020-21 से 2021-22 -धनराशि- रु०319972.00

प्रस्तर -36- कार्य का नाम - बारी से सुरजीपुर तक खडंजा।
फर्म का नाम - मैसर्स जयबाला जी ब्रिक फील्ड टोडरपुर

भुगतान की धनराशि - रु0 319972.00

यह कार्य ग्रांट रजि0 - 2 केन्द्रीय वित मद के व्यय विवरण में पेज नं0 56 पर क्रमांक 69 पर अंकित हैं इस कार्य पर दिनांक 15-3-2021 को मैसर्स जय बालाजी ब्रिक फील्ड टोडरपुर को रु0 319972.00 भुगतान दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में इस कार्य का कोई भी अभिलेख यथा - कार्ययोजना, वित्तीयस्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, एम0 बी0, बिल, सामग्री क्रय की रसीद, मास्टर रोल इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य की मजदूरी दिये जाने का भी उल्लेख ग्रांट रजि0-(2) में कही पर भी अंकित नही है। अस्तु न केवल उक्त कार्य की कोई भी व्यय पत्रावली अप्राप्त रही बल्कि उस पर श्रमांश के व्यय का भी प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नही है।

उक्त दोनों ही बातें भुगतान किये गये धनराशिरु० 319972.00 को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचा0 तथा जिला पंचा0 (बजट व सामान्य लेखा नियमावली) 1965 केनियम 179 2(क) से (ड़) के अन्तर्गत धनराशि का अपहरण प्रदर्शित करती है। अतः उक्त धनराशि को खण्ड वि0 अधिकारी श्री ऋषिपाल सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री रामू त्रिवेदी तथा लेखाकार श्री अनूप कुमार दीक्षित से मय ब्याज नियमानुसार वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- टोडरपुर, वि०ख०- टोडरपुर, धनराशि -रु० 259597=00

प्रस्तर -37-

कार्य का नाम - बस अड्डा सैदपुर में यात्री शेड निर्माण कार्य:-
भुगतान की कुलराशि- रु० 259597.00
इसके भुगतान का विवरण निम्नवत है -

बाउचर नं0 व दिनांक	बाउचर के अनुसार भुगतान की राशि	पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार भुगतान की तिथि	भुगतान पाने वाले फर्म का नाम
201-8.12.2020 815-8.12.2020 855-1.3.2021 234-28.3.2021	53760.00 133341.00 65692.00 6804.00	3.3.2021 3.3.2021 - 13.3.2021	जय बाला जी ब्रिक फील्ड जय बाला जी ट्रेडर्स जय बाला जी ट्रेडर्स जय बालाजी ब्रिक फील्ड
योग	259597.00		

उक्त कार्य के लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका (एम0 बी0) प्रस्तुत नही की गई फलतःबिना एम0 बी0 के भुगतान किया गया।

उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 केनियम 36(1) के अनुसार"माप पुस्तिका (एम0 बी0) कार्य के परिणाम के समस्त लेखों की चाहे कार्य दैनिक मजदूरी द्वारा या खण्ड कार्य द्वाराया ठेके पर किया गया हो और प्राप्त सामग्री की भी जिन की गणना या माप की जानी हो, आधार होगी"अतःउक्त नियम का उल्लंघन करने से लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका अप्राप्त रहने के कारण उक्त कराये गये कार्य की पुष्टि नही होती। इस प्रकार एम0 बी0 के अभाव में उक्त कार्य पर सामग्री क्रय पर भुगतान करना उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम 179(2)(क) से (ड.) के अंतर्गत गंभीर अनियमितता को प्रदर्शित करता है। जाँचोपरांत कार्य पर हुए संपूर्ण व्यय की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड वि0 अधिकारी श्री ऋषिपाल सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री रामू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री अनूप कुमार दीक्षित से करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- टोडरपुर, वि०ख०- टोडरपुर, धनराशि -रु० 3742959.00

प्रस्तर -38 वित्तीय वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावलियों की जाँच के क्रम में 11 कार्यों की पत्रावलियों में केवल सामग्री पर भुगतान किया जाना पाया गया परन्तु इन क्रय सामग्रियों के सापेक्ष श्रमांश पर न कोई व्यय किया गया और न ही उनके मास्टर रोल संलग्न पाये गये । इन कार्यों पर सामग्री पर भुगतान का विवरण अधोलिखित प्रकार हैं -

क्र0सं0	कार्य का नाम	बाउचर संख्या तथा दिनांक	चेक या पी0एफ0एम0एस 0 के अनुसार भुगतान की तिथि	बाउचर के अनुसार सामग्री पर भुगतान की धनराशि (रु0 में)	भुगतान प्राप्त कर्ता फर्म का नाम

1	प्राथमिक विद्यालय से फूलन देवी मंदिर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	215, 7-1-2021 828, 1-1-2021 236,28-2-2021 857, 1-3-2021	22.01.2021 22.01.2021 15.03.2021 15.03.2021	102440.00 316220.00 91360.00 288118.00	जय बालाजी ब्रिक फील्ड जयबाला जी ट्रेडर्स जयबाला जी ब्रिक फील्ड जयबाला जी ट्रेडर्स
			योग	798138.0	
2	उमरौली रोड से जसर थके घर तक खडंजा मरम्मत	104, 1-3-2021	12-03-2021	75308.00	जयबाला जी ब्रिक फील्ड टोडरपुर
			योग	75308.00	
3	तुलसी के घर से गंगाचरण के घर तक खडंजा निर्माण	6, 1-3-2021	12-3-2021	743248.00	मेसर्स बालाजी ब्रिक फील्ड
			योग	743248.00	
4	हविदापुर कपूरपुर बहोरन में पक्का नाला निर्माण	209, 8.12.2020 824, 8.12.2020 827, 23.1.2021 841, 1.3.2021	13.3.2021 13.3.2021 13.3.2021 13.3.2021	106527.00 69853.00 29630.00 16975.00	जयबालाजी ब्रिक फील्ड जयबाला जी ब्रिक फील्ड जयबालाजी ब्रिक फील्ड जयबालाजी ब्रिक फील्ड
			योग	222985-00	
5	टोडरपुर मेन रोड से (सामुदायिक शौचालय) इंटरलॉकिंग कार्य	110, 1.3.2021 842, 1.3.2021	13.3.2021 13.3.2021	25920.00 130373.00	जय बाला जी ब्रिक फील्ड जय बाला जी ट्रेडर्स
			योग	156293.00	
6	टोडरपुर सी0एच0सी0 सामुदायिक शौचालय का निर्माण	207, 8.12.2020 822, 8.12.2020 854, 1.3.2021 853, 1.3.2021 232, 28.2.2021	13.3.2021 13.3.2021 13.3.2021 13.3.2021 13.3.2021	142520.00 160020.00 100000.00 213802.00 30985.00	जय बाला जी ब्रिक फील्ड जय बाला जी ट्रेडर्स जय बाला जी ट्रेडर्स जय बाला जी ट्रेडर्स जयबाला जी ब्रिक फील्ड
			योग	647327-00	

7	मेन रोड़ से आश्रम स्थल चठिया तक इंटरलॉकिंग कार्य	109, 1.3.2021 843, 1.3.2021	13.3.2021 13.3.2021	14950.00 74555.00	जय बाला जी ब्रिक फील्ड जय बालाजी ट्रेडर्स
			योग	89505.00	
8	बनतलिया तालाब से कोठवा तक खडंजा कार्य	117, 1.3.2021	17.3.2021	707319.00	जय बालाजी ब्रिक फील्ड
			योग	707319.00	
9	विकास खंड परिसर में शौचालय/बाउन्ड्रीवाल कार्य	112, 1.3.2021 859, 1.3.2021	17.3.2021 17.3.2021	54336.00 61028.00	जय बाला जी ब्रिक फील्ड जय बालाजी ट्रेडर्स
			योग	115364.00	
10	माडल आवास परिसर में इंटरलॉकिग कार्य	106, 1.3.2021 113, 1.3.2021	16.3.2021 16.3.2021	102072.00 10092.00	जय बाला जी ट्रेडर्स जय बाला जी ब्रिक फील्ड
			योग	112164.00	
11	कैमी से मंदिर तक खडंजा निर्माण कार्य (राज्य वित्त 2020-21)	104, 1.3.2021	12.3.2021	75308.00	जय बालाजी ब्रिक फील्ड
			योग	75308.00	
कुल अधिभार की धनराशि - रु0 3742959.00					

उपरोक्त कुल 11 कार्यों पर सामग्री पर व्यय, जिसका कुल योग रु0 3742959.00 है, किया गया किन्तु इससे सापेक्ष श्रमांश पर कोई भी व्यय दर्शित नही रहा, जबकि ऐसा संभव नही प्रतीत होता हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 केखण्ड 49(1) के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी द्वारा निर्माण कार्य की स्थिति में मास्टर रोल तैयार कर ने की बात कही गई है, जो कि उपरोक्त सभी कार्यों की पत्रावलियों में अप्राप्त रहा।

इसके परिणाम स्वरुप बिना श्रमांश के सामग्री पर भुगतान किया जाना कल्पित कार्य पर सामग्री पर भुगतान की धनराशि के अपहरण की ओर संकेत करता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कार्य पर कुल व्ययधनराशि रु0 3742959.00 उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट व सामान्यलेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2)(क) से (ड़) के अंतर्गत अधिभार का प्रकरण बनकर उसके अपहरण को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ऋषिपाल सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री रामू त्रिवेदी एवं लेखाकार श्री अनूप कुमार दीक्षित से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत का नाम – ईसानगर विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–1– वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त 15 वाँ वित्त टाइड एवं 15 वाँ वित्त अनटाइड मदों से कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न कार्यों की पत्रावलियों की जाँच की गई –

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुदान	कुल भुगतान
1-	विकास खण्ड परिसर में एन०आर०एल०एम० का मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	537559.00
2-	चहलार में चन्द्रासाखुर्द डामर रोड से हनुमानगढ़ी तक खडन्जा मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	411561.00
3-	विकास खण्ड परिसर में ए.डी.ओ.(पी) कार्यालय से पशुपालन अस्पताल के सामने इण्टर लॉकिंग	राज्य वित्त	524555.00
4-	ग्राम ऐरा में मूलचन्द्र के घर से राकेश लोधी के घर तक इण्टर लॉकिंग	राज्य वित्त	566344.00
5-	ग्राम जमदरी में डा० कमाल के घर से खजुहा डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य	राज्य वित्त	396551.00
6-	ग्राम ईसानगर में रामकुमार के घर से जगदीश पाण्डे के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	पन्द्रहवाँ वित्त	203628.00
7-	ग्राम ऐरा में प्राथमिक विद्यालय से गाँव के बाहर तक नाली	पन्द्रहवाँ वित्त	340570.00
8-	ग्राम पंचायत ऐरा में प्राथमिक विद्यालय से ग्राम सभा के बाहर तक नाली निर्माण	पन्द्रहवाँ वित्त	579376.00
	योगः–		**3560144.00**

उक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में निम्न कमियां पाई गईं –

1– पत्रावलियों में निविदा विज्ञापन की पेपर कटिंग की छायाप्रति संलग्न नहीं पाई गई।

2– प्राक्कलन शीट पर कार्य स्थल की फोटो व साइट प्लान नहीं था।

3– टेण्डरों में नोटरी का शपथ – पत्र संलग्न नहीं था।

4– पत्रावली में त्रिस्तरीय फोटोग्राफी अर्थात कार्य प्रारम्भ के पूर्व, दौरान एवं पश्चात की फोटो लगी नहीं पाई गई। कार्य के बोर्ड की फोटो भी नहीं थी।

5– टेण्डर लिफाफे सील युक्त नहीं पाये गये। निविदा फार्म के लिफाफे सीलबंद होने चाहिये।

6– पत्रावलियों में कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

7– निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार के साथ अनुबन्ध मात्र रू० 100/- के स्टैम्प पर कराया गया है जबकि जमानत राशि के अनुसार स्टैम्प मूल्य भिन्न–भिन्न होना चाहिये था।

8– निविदा के समय 2% जमानत राशि एफडीआर/टीडीआर के रूप में ली गई है परन्तु शेष 8% राशि जो निविदा स्वीकृति के पश्चात तत्काल जमा कराई जानी चाहिये थी, उसे तत्काल न लेकर चालू लेखा बिलों से काटा गया है।

9– विलम्ब से कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार से जुर्माना नहीं लिया गया है जो कि 1% की दर अधिकतम रू० 10% तक लिया जा सकता था।

10– पत्रावलियों में रायल्टी जमा की पुष्टि में एमएम -11 या जमा चालान संलग्न नहीं पाया गया जिसके कारण रायल्टी की पुष्टि नहीं की जा सकी।

11– कतिपय पत्रावलियों में प्राक्कलन में दर्शित मदों एवं एमबी में दर्शित मदों में 10% से अधिक का विचलन पाया गया जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई।

अतः उक्त आपत्तियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यों में नियमों एवं प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को रू० 3560144.00 का भुगतान करके वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः जाँचोपरान्त उक्त राशि रू० 3560144.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सा आ स24

क्षेत्र पंचायत का नाम – मोहम्मदी विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–2- वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त, 15वाँ वित्त टाइड एवं 15वाँ वित्त अनटाइड मदों से कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न कार्यों की पत्रावलियों की जाँच की गई –

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुदान	कुल भुगतान
1	2	3	4
1-	ग्राम रामपुरराजा में पक्की रोड से फूल सिंह के मकान तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली	राज्य वित्त	354419.00
2-	बेहटीअफगान में बबलू की दुकान से भूरा के घर तक इण्टर लॉकिंग व नाली	15वाँ वित्त अनटाइड	600639.00
3-	ग्राम फिरोजपुर के तिराहे से भीमनगर पेन्टेड रोड तक मिट्टी व खडन्जा कार्य	राज्य वित्त	976228.00
4-	ग्राम पिपरियाकप्तान में चढ़िया जाने वाले मार्ग पर मिट्टी व खडन्जा कार्य	15वाँ वित्त अनटाइड	967277.00
5-	पिपरियाकप्तान में हेतराम के घर से चकनहिया तालाब तक नाली निर्माण	15वाँ वित्त टाइड	832943.00
6-	उमरपुर में रामऔतार के मकान से विनोद शुक्ला के मकान तक इण्टर लॉकिंग व नाली	15वाँ वित्त अनटाइड	460848.00
7-	ग्राम तुरसिया में संदेश वर्मा के मकान से रोड तक इण्टर लॉकिंग व नाली	15वाँ वित्त अनटाइड	728144.00
	योग –		**4920498.00**

उक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में निम्न कमियां पाई गईं –

1– पत्रावलियों में निविदा विज्ञापन की पेपर कटिंग की छायाप्रति संलग्न नहीं पाई गई।

2– प्राक्कलन शीट पर कार्य स्थल की फोटो व साइट प्लान नहीं था।

3– टेण्डरों में नोटरी का शपथ पत्र संलग्न नहीं था।

4– पत्रावली में त्रिस्तरीय फोटोग्राफी अर्थात कार्य प्रारम्भ के पूर्व, दौरान एवं पश्चात की फोटो लगी नहीं पाई गई। कार्य के बोर्ड की फोटो भी नहीं थी।

5– टेण्डर लिफाफे सील युक्त नहीं पाये गये। निविदा फार्म के लिफाफे सीलबंद होने चाहिये।

6– पत्रावलियों में कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाये गये।

7– निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार के साथ अनुबन्ध मात्र रू० 100/- के स्टैम्प पर कराया गया है जबकि जमानत राशि के अनुसार स्टैम्प मूल्य भिन्न–भिन्न होना चाहिये था।

8– निविदा के समय 2% जमानत राशि एफडीआर/टीडीआर के रूप में ली गई है परन्तु शेष 8% राशि जो निविदा स्वीकृति के पश्चात तत्काल जमा कराई जानी चाहिये थी, उसे तत्काल न लेकर चालू लेखा बिलों से काटा गया है।

9– विलम्ब से कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार से जुर्माना नहीं लिया गया है जो कि 1% की दर अधिकतम रू० 10% तक लिया जा सकता था।

10– पत्रावलियों में रायल्टी जमा की पुष्टि में एमएम -11 या जमा चालान संलग्न नहीं पाया गया जिसके कारण रायल्टी की पुष्टि नहीं की जा सकी।

11– कतिपय पत्रावलियों में प्राक्कलन में दर्शित मदों एवं एमबी में दर्शित मदों में 10% से अधिक का विचलन पाया गया जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई।

अतः उक्त आपत्तियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यों में नियमों एवं प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को रू० 4920498.00 का भुगतान कारके वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिये ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। अतः जाँचोपरान्त उक्त राशि रू० 4920498.00 की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित सभी उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। सा आ स27

क्षेत्र पंचायत का नाम – पलिया विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–3- संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशियों से जिन करों और उपकरों की कटौती की जाती है, उनसे सम्बन्धित कर कटौती पंजिका को बनाकर उन्हें समेकित रूप से दर्शित नहीं किया जाता है। फलतः समेकित मिलान सम्भव नहीं हो पाती है। कर कटौती पंजिका को निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एवं उसमें समग्र प्रविष्टियों को दर्शित कर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में लेबर सेस मद में वर्ष के प्रारम्भ में रू० 90791.00 अवशेष था तथा वर्ष में कुल रू० 126272.00 की कटौती की गयी है, इस प्रकार वर्षान्त में कुल रू० 217063.00 अवशेष रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष में लेबर सेस की कटौती करके राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा नहीं की गई है। इस प्रकार लेबर सेस की कटौती करके और इसे ससमय सम्बन्धित शीर्ष/राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री वीरेन्द्र शुक्ला तथा तत्कालीन लेखाकार श्री श्याम प्रकाश धूरिया उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा आ स**02**

प्र०सं०–4-संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशियों से जिन करों और उपकरों की कटौती की जाती है उनसे सम्बन्धित कर कटौती पंजिका को बनाकर उन्हें समेकित रूप से दर्शित नहीं किया जाता है। फलतः समेकित मिलान सम्भव नहीं हो पाती है। कर कटौती पंजिका को निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एवं उसमें समग्र प्रविष्टियों को दर्शित कर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में जी०एस०टी० मद में वर्ष के प्रारम्भ में रू० 181581.00 अवशेष था तथा वर्ष में कुल रू० 252548.00 की कटौती की गयी है, इस प्रकार वर्षान्त में कुल रू० 434129.00 अवशेष रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष में जी०एस०टी० की कटौती करके ससमय सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं की गई है। इस प्रकार जी०एस०टी० की कटौती करके और इसे ससमय सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री वीरेन्द्र शुक्ला तथा तत्कालीन लेखाकार श्री श्याम प्रकाश धूरिया उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा आ स**03**

प्र०सं०–5-संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशियों से जिन करों और उपकरों की कटौती की जाती है उनसे सम्बन्धित कर कटौती पंजिका को बनाकर उन्हें समेकित रूप से दर्शित नहीं किया जाता है। फलतः समेकित मिलान सम्भव नहीं हो पाती है। कर कटौती पंजिका को निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एवं उसमें समग्र प्रविष्टियों को दर्शित कर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में टी०डी०एस० मद में वर्ष के प्रारम्भ में रू० 181581.00 अवशेष था तथा वर्ष में कुल रू० 252548.00 की कटौती की गयी है, इस प्रकार वर्षान्त में कुल रू० 434129.00 अवशेष रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष में टी०डी०एस० की कटौती करके ससमय सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं की गई है। इस प्रकार टी०डी०एस० की कटौती करके और इसे ससमय सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री वीरेन्द्र शुक्ला तथा तत्कालीन लेखाकार श्री श्याम प्रकाश धूरिया उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सा आ स**01**

प्र०सं०–6-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका तृतीय की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री वीरेन्द्र मिश्रा सेवानिवृत्त कर्मचारी से रू० 107810.00 का बकाया अवशेष दर्शित विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। जिन पर यह बकाया कार्य प्रभारी रहते हुए अग्रिम के रूप में था, जिसका समायोजन आतिथि नहीं हो पाया है। सम्बन्धित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है, सेवानिवृत्त उपरान्त उसके सेवानिवृत्त लाभ से उक्त बकाया का समायोजन न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अरूण कुमार सिंह श्री तथा तत्कालीन लेखाकार श्री श्याम प्रकाश पूरिया उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति धनराशि की वसूली कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।सा आ स**04**

जनपद-लखनऊ **मण्डल-लखनऊ**

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां वर्ष-2021-22
क्षेत्र पंचायत- बी0के0टी0

प्रस्तर संख्या-01

क्षेत्र पंचायत बीकेटी जनपद लखनऊ की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पंचम वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्न विवरणानुसार कराए गए कार्यो पर धनराशि व्यय किया जाना दर्शित है-

क्रमांक	कर्य का नामविवरण/	आच्छादित ग्राम पंचायत	कुल व्यय धनराशि
1	गुडम्बा में मेन रोड से रायल आयोजन तक इन्टरलॉकिंग का कार्य	गुडम्बा	355332.00
2	अहमदपुर खेड़ा से डेरूआ तक इन्टरलॉकिंग का कार्य	अहमदपुर खेड़ा	1184912.00
3	ग्राम पंचायत खेसरावॉ मे बीबीपुर संपर्क मार्ग से बलसिंघ संपर्क मार्ग तक इन्टरलॉकिंग का कार्य	खेसरावॉ	3865684.00
4	ग्राम पंचायत उसरना में पहाडपुर ईटीजा सपर्क मार्ग से साधन सहकारी समिति तक इन्टरलॉकिंग का कार्य	उसरना	2868003.00
5	असनहा में कुम्भरावॉ कुर्सी मार्ग से भिखारीपुर तक इन्टरलॉकिंग का कार्य	असनहा	1430949.00
	योग		9704880.00

उक्त व्ययों पर आपत्ति का प्रमुख बिन्दु यह है कि राज्य वित्त आयोग के उपभोग संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांतों संबंधी शासनादेश संख्या-5/866/33-2-14-93 जी/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को प्राप्त अनुदान से केवल उन्ही विकास कार्यो को कराया जा सकता है जो एक से अधिक ग्राम पचायतों/राजस्व ग्रामों को लाभान्वित/आकछादित करते हो। इस प्रकार उपरोक्त व्यय इन शासनादेशों से स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। अतः उत्तरप्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप समस्त व्यय धनराशि को अनियमित/दुरूपयोग मानते हुए अधिभार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस अनियमित व्यय के लिये तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ऊषा सिंह व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती पूजा सिंह उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद-लखनऊ **मण्डल-लखनऊ** **वर्ष-2021-22**

क्षेत्र पंचायत- गोसाईगंज

प्रस्तर संख्या-02

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया है कि संस्था के द्वारा ''सरई में लोकई वाले तालाब से लोनी तक नाला निर्माण का कार्य कराया गया जिसकी प्राक्कलीत धनराशि रूपये 9.261 लाख थी जबकि वास्तविक भुगतान ठेकेदार मेसर्स राजकुमार को रूपये 896412-00 किया गया। जिससे संबंधित निम्न आपत्तियां दर्शित है-

1. उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से नहीं लिया गया। पत्रावली में श्री वासु कृष्णा अभियन्ता जिला पंचायत के पत्रांक 5191 दिनांक 16.12.2021 तकनीकी स्वीकृति विषयक पत्र संलग्न है जबकि क्षेत्र पंचायत के किस पत्रांक व दिनांक से प्रश्नगत प्रारक्कलन जिला पंचायत प्रेषित किया गया उसका पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं। इससे एक तो यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत से प्राप्त स्वीकृति की कूटरचित है दूसरे रूपये 5 से 10 लाख तक धनराशि के कार्यो की तकनीकी स्वीकृति हेतु अभियन्ता जिला पंचायत सक्षम स्तरही नहीं है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 में दिये व्यवस्था के अनुसार रूपये 5 से 10 लाख रू तक के अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्य की प्राविधिक स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर ब्लाक प्रमुख है।

2. कार्य की प्राक्कलन एवं मापपुस्तिका की जॉच किया गया तब कई विसंगतियॉ सामने आई-

क्रम	मद	प्राक्कलन के अनुसार	मापपुस्तिका के अनुसार	अंतर प्रतिशत में कमअधिक/
1	मिट्टी कार्य	251.67 धनमी	297.44 धनमी	18.18 अधिक
2	25 एम0एम0 थिक प्लास्टर	228.8 धनमी	162.2 धनमी	29.10 कम

उ0प्र0 क्षे0 पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 में दिये व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत नक्शे एवं अनुमानों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर वह प्राधिकारी स्वीकृति देगा

जिसने मूल नक्शा एवं अनुमान स्वीकति किया है। जबकि लेखा परीक्षा में ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. पटरी निर्माण हेतु 197.44 धन मीटर मिट्टी कार्य कराया जाना दर्शित हैं तथा 197 प्रतिधन मीटर (जिसमें कर्टेज सम्मिलित है) की दर से रूपया 58585.68 का भुगतान किया गया। शासनादेश संख्या45/2020/1542/86-2020-153 (सा0) दिनांक 18 सितम्बर 2020 के अनुसार 2020 के अनुसार साधारण मिट्टी का 100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिये अनुज्ञा पत्र निर्गत होगा जिसके उपरांत साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम011 जेनरेट होगी। परन्तु साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु ई-एम0एम0 11 संलग्न पाया गया। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार मिट्टी पर किया गया कुल व्यय रू0 58585.68 वसूली योग्य है।

4. कार्य की प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका की जाँच किया गया तब कई विसंगतिया सामने आई-

क्र0सं0	मद	प्राक्कलन के अनुसार			माप पुस्तिका के अनुसार		
		लंबाई	चैड़ाइ्र	क्वान्टिटी	लंबाई	चैड़ाइ्र	क्वान्टिटी
1	मिट्टी कार्य	137 मी	167 मी	251.67 धन मी	104मी	2.20मी	297.44 धन मी
2	पी0सी0सी0 1ः6ः12	137 मी	167 मी	22.88 धन मी	104मी	2.20मी	22.88 धन मी
3	25एम0एम0 थिक प्लास्टर 1ः2ः4	137 मी	167 मी	274 धन मी	104मी	2.20मी	261.4 धन मी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की माप पुस्तिका में लंबाई घटाकर चैड़ाई बढ़ाकर बिना किसी तार्किक आधार के कुल क्वान्टिटी इस्टिमेटेट लागत के आस-पास कूटरचित तरीके से किया गया यह करने से स्पश्ट है की कार्य स्थल पर उपस्थित होकर इस्टिमेटेट एवं माप दोनो कार्य नहीं किया गया एवं इस्टिमेटेट एवं माप दोनों संदिग्ध प्रतीत होता है। इसका विस्तृत जांच आवष्यक है।

5. प्रश्नगत कार्य में कई उपखनिजों का प्रयोग हुआ है जिससे संबंधित बैध खन्ना (एम0एम0-11) पत्रावली में संलग्न नहीं है और न ही ठेकेदार के बिल से किसी प्रकार की रायल्टी की कटौती दर्शित है इससे उपखनिजों की आपूर्ति/उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

6. पत्रावली में अनुबन्ध पत्र कार्यादेश तुलनात्मक चार्ट विचलन चार्ट इत्यादि संलग्न नहीं है।

सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति नहीं लेने बिना बैध रवन्ना (एम0एम0 11) के उपखनिजांे की आपूर्ति के नाम पर भुगतान किया गया। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत क्षे0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा प्रश्नगत कार्य पर किये गये व्यय को दुरूपयोग/अपव्यय के रूप में वर्गीकृत करता है एवं उक्त दुरूपयोग/अपव्यय की गयी धनराशि रूपये 896412-00 की वसूली लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज की वित्तिय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरन यह प्रकाश में आया है कि संस्था के द्वारा पहाड़ नगर विरमपुर से सोनई कजेहरा मार्ग पर इंटरलाॅकिंग का कार्य कराया गया जिसकी प्राक्कलन धनराशि रू0 1969762.20 थी जबकि जबकि वास्तविक भुगतान ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार सिन्हा को रूपये 1763356-00 किया गया। जिससे संबंधित निम्न आपतियां दर्शित है-

3. उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से नहीं लिया गया। पत्रावली में श्री वासुकृष्णा अभियन्ता जिला पंचायत के पत्रांक 2008 दिनांक 22.01.2021 तकनीकी स्वीकृति विषयक पत्र संलग्न है जबकि क्षेत्र पंचायत के किस पत्रांक व दिनांक से प्रश्नगत प्राक्कलन जिला पंचायत प्रेषित किया गया उसका पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं। इससे एक तो यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत से प्राप्त स्वीकृति ही कूटरचित है दूसरे रूपये 10 लाख से अधिक धनराशि के कार्यो की तकनीकी स्वीकति हेतु अभियंता जिला पंचायत सक्षम स्तर ही नहीं है। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 में दिए गए व्यवस्था के अनुसार रूपये 10 लाख से अधिक के अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्य की प्राविधिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

4. कार्य की प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका की जांच किया गया तब कई विसंगतियां सामने आई

क्रम	मद	प्राक्कलन के अनुसार	मापपुस्तिका के अनुसार	अंतर प्रतिशत में कमअधिक/
1	मिट्टी कार्य	375.0 धनमी	275 धनमी	32.09 कम
2	पी0सी0सी0 1 :6: 12	13.50 धनमी	11 धनमी	18.52 कम
3	जी0एस0बी0	108 घनमी	122.81 घनमी	13.71 अधिक
4	क्लास-150 ईट कार्य 1:4	41.40 घनमी	35.59घन मी	14.03 कम
5	80 एम0एम0 जिग जैग इंटर लाकिंग	900 वर्ग मी	929.54 वर्गमी	

क्रमांक 2 पर अंकित मद प्राक्कलन क्षेत्रफल से कम दर्शित जबकि क्रमांक 3 पर अंकित मद प्राक्कलन क्षेत्रफल से अधिक दर्शित नहीं पुनः क्रमांक 5 पर अंकित 80 एमएम जिग जैग इंटर लाॅकिंग प्राक्कलन क्षेत्रफल से अधिक दर्शित यह कैसे संभव है? स्पष्टीकरण आवश्यक है।

3. पटरी निर्माण हेतु 275.52 धन मीटर मिट्टी कार्य कराया जाना दर्शित हैं तथा 252-00 प्रतिधन मीटर (जिसमें कर्टेज सम्मिलित है) की दर से रूपया 69568.8 का भुगतान किया गया। शासनादेश संख्या45/2020/1542/86-2020-153 (सा0) दिनांक 18 सितम्बर 2020 के अनुसार 2020 के अनुसार साधारण मिट्टी का 100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिये अनुज्ञा पत्र निर्गत होगा जिसके उपरांत साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम011 जेनरेट होगी। परन्तु साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु ई-एम0एम0 11 संलग्न पाया गया। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार मिट्टी पर किया गया कुल व्यय रू0 69568.8 वसूली योग्य है।

4. प्रश्नगत कार्य हेतु प्राक्कलित लागत रू0 1969000-00 हेतु प्राप्त निविदा में न्यूनतम दर वीरेन्द्र कुमार सिंहा का पाया गया जो प्राक्कलित लागत रू0 1969000-00 से 10.40 प्रतिशत कम अर्थात् रू0 1575890.76 को स्वीकृत प्रदान किया गया एवं परफार्मेंस सेक्यूरिटी की कटौती नहीं की गयी।

5. 80 एमएम जिग इंटर लाकिंग का प्रयोग किया गया जबकि इसके लिये काई यातायात गणना नहीं किया गया इससे लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि 80 एमएम जिग जैग इंटर लाॅकिंग के प्रयोग की आवश्यकता थी या उससे कम की थी इससे धन के अपव्यय की संभावना है।

6. प्रश्नगत कार्य में कई उपखनिजों का प्रयोग हुआ है जिससे संबधित वैध रवन्ना एम0एम0 11 पत्रावली में संलग्न नहीं है और न ही ठेकेदार के बिल से किसी प्रकार की रायल्टी की कटौती दर्शित है। इससे उपखनिजों की आपूर्ति/उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

7. सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति नहीं लेने बिना मानक के 80एमएम जिग जैग इंटर लॉकिंग का प्रयोग बिना वैध रवन्ना (एम0एम0 11) के उपखनिजांे की आपूर्ति के नाम पर भुगतान किया गया। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत क्षे0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा प्रश्नगत कार्य पर किये गये व्यय को दुरूपयोग/अपव्यय के रूप में वर्गीकृत करता है एवं उक्त दुरूपयोग/अपव्यय की गयी धनराशि रूपये 1763356-00 की वसूली लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख से आवश्यक कार्यावही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया है कि संस्थ के द्वारा वल्दीखेड़ा से पहासा तक खडन्जा मरम्मत का कार्य कराया गया जिसकी प्राक्कलीत धनराशि रू0 795534.58 थी जबकि वास्तविक भुगतान रू0 792741-00 रहा। जिससे संबंधित निम्न आपत्तिया दर्शित है।

1. उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से नहीं लिया गया। पत्रावली में अधिशाषी अभियन्ता आर0ई0डी0 का तकनीकी स्वीकृति विषयक पत्र संलग्न है परन्तु अधिशासी अभियंता आर0ई0डी0 के किस पत्रांक व दिनांक से प्रश्नगत प्राक्कलन अधिशाषी अभियन्ता आर0ई0डी0 को प्रेषित किया गया उसका पत्रावली में काई उल्लेख नहीं। इससे एक तो यह स्पष्ट है कि जिला पंचायत से प्राप्त स्वीकृति ही कूटरचित है दूसरे रूपये 10 लाख से अधिक धनराशि के कार्यो की तकनीकी स्वीकति हेतु अभियंता जिला पंचायत सक्षम स्तर ही नहीं है। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 में दिए गए व्यवस्था के अनुसार रूपये 10 लाख से अधिक के अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्य की प्राविधिक स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर ब्लॉक प्रमुख है।

2. पटरी निर्माण हेतु 474 धन मीटर मिट्टी कार्य कराया जाना दर्शित हैं तथा 252.50 प्रतिधन मीटर (जिसमें 5 किमी कर्टेज सम्मिलित है) की दर से रूपया 119685-00 का भुगतान किया गया। शासनादेश संख्या45/2020/1542/86-2020-153 (सा0) दिनांक 18 सितम्बर 2020 के अनुसार 2020 के अनुसार साधारण मिट्टी का 100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिये अनुज्ञा पत्र निर्गत होगा जिसके उपरांत साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम011 जेनरेट होगी। परन्तु साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु ई-एम0एम0 11 संलग्न पाया गया। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार मिट्टी पर किया गया कुल व्यय रू0 119685-00 वसूली योग्य है।

3. इस्टिमेट में खडेंजे की लंबाई 525 एवं चैड़ाई 3.0 मीटर एवं उचाई 0.30 मीटर कुल परिमाण 482.34 घनमीटर है जबकि मापपुस्तिका में अंकित माप में 499 मीटर एवं चैड़ाई 3.5 मीटर एवं उचाई 0.30 मीटर कुल परिणाम 474.2 घन मीटर हैं माप पुस्तिका मे लंबाई घटाकर चैड़ाई बढ़कार बिना किसी तार्किक आधार

के कुल क्वान्टिटी इस्टिमेट लागत के आस पास करने से स्पष्ट है कि कार्य स्थल पर उपस्थित होकर इस्टिमेटेड एवं माप दोनों कार्य नहीं किया गया।
सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति नहीं लेने बिना बैध रवन्ना (एम0एम0 11) के उपखनिजांे की आपूर्ति के नाम पर भुगतान किया गया। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत क्षे0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा प्रश्नगत कार्य पर किये गये व्यय को दुरूपयोग/अपव्यय के रूप में वर्गीकृत करता है एवं उक्त दुरूपयोग/अपव्यय की गयी धनराशि रूपये 792741-00 की वसूली लेखाकार खण्डविकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05

क्षेत्र पंचायत गोसाइगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया है कि संस्था के द्वारा मोहनगंज मार्ग से मॅगहुआ नहर पुलिया तक खड़जा का कार्य कराया गया जिसकी प्राक्कलीत धनराशि रू0 998969-00 थी जबकि वास्तविक भुगतान रू0 997137-00 रहा। ठेकेदार सरजीत कन्सट्रक्सन एंड सप्लायर के टेंडर को स्वीकृति प्रदान किया गया। जिससे संबंधित निम्न आपत्तियां दर्शित है-

1. उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से नहीं लिया गया। पत्रावली में अधिशाषी अभियन्ता आर0ईडी का तकनीकी स्वीकृति विषयक पत्र संलग्न है परन्तु अधिशाषी अभियन्ता आर0ईडी0 के किस पत्रांक व दिनांक से स्वीकृति विषयक पत्र प्राप्त हुआ एवं क्षेत्र पंचायत के किस पत्रांक व दिनांक से प्रश्नगत प्राक्कलन अधिशाषी अभियन्ता आर0ई0डी0 को प्रेषित किया गया उसका पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं। इससे एक तो यह स्पष्ट है कि अधिशाषी आर0ई0डी0 से प्राप्त स्वीकृति ही कूटरचित है दूसरे उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 में दिये व्यवस्था के अनुसार रू0 5 से 10 लाख से तक के अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्य की प्राविधिक स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर ब्लॉक प्रमुख है।
2. पटरी निर्माण हेतु 378.92 धन मीटर मिट्टी कार्य कराया जाना दर्शित हैं तथा 252.50 प्रतिधन मीटर (जिसमें 5 किमी का कर्टेज सम्मिलित है) की दर से रूपया 95677.30 का भुगतान किया गया। शासनादेश संख्या45/2020/1542/86-2020-153 (सा0) दिनांक 18 सितम्बर 2020 के अनुसार 2020 के अनुसार साधारण मिट्टी का 100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिये अनुज्ञा पत्र निर्गत होगा जिसके उपरांत साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम011 जेनरेट होगी। परन्तु साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु ई-एम0एम0 11 संलग्न पाया गया। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार मिट्टी पर किया गया कुल व्यय रू0 69568.8 वसूली योग्य है।

सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति नहीं लेने बिना अनुज्ञा पत्र एवं वैध रवन्ना (एम0एम0 11) के उपखनिजों की आपूर्ति के नाम पर भुगतान किया गया। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत क्षे0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा प्रश्नगत कार्य पर किये गये व्यय को दुरूपयोग/अपव्यय के रूप में वर्गीकृत करता है एवं उक्त दुरूपयोग/अपव्यय की गयी धनराशि रूपये 997137-00 की वसूली लेखाकार खण्डविकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06

क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया है कि संस्था के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया। आक्टा कोर कन्सट्रक्शन एण्ड सर्विसेज के बिल जेम 16050051 दिनांक 13.11.2021 के सापेक्ष रू0 22500 प्रति सोलर स्ट्रीट लाईट की दर से 69 लाईट हेतु रू0 1415733-00 का भुगतान पंचम वित्त आयोग से दिनांक 16.03.2022 को आनलाईन किया गया एवं रू0 136767-00 कटौतियों की गयी अर्थात् कुल 1552500-00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न आपत्तिया दर्शित है-

1. उक्त कार्य की तकनीकी सक्षम स्तर से नहीं लिया गया। पत्रावली में तकनीकी स्वीकृति विषयक कोई पत्र संलग्न नहीं है जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 में दिए गए व्यवस्था के अनुसार रूपये 10 लाख से अधिक के अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्य की प्राविधिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाईट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाईट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा जेम पोर्टल कके माध्यम से आक्टा कोर कन्सट्रक्शन एण्ड सर्विसेज से सोलर लाईट का क्रय किया गया जो यूपी नेडा से अधिकृत है यह नहीं यह भी स्पष्ट नहीं । इसलिये सोलर लाईट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है।
3. पत्रावली में कोई प्राक्कलन संलग्न नहीं पाया गया। जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 6 में दिये व्यवस्था के अनुसार कोई निर्माण तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। जब तक की इस नियमावली के अनुसार ब्योरवार नक्शे और अनुमान तैयार न कर लिया जाए।

सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति नहीं लेने शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि- 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करके बिना प्राकक्कलन के कार्य किया गया। अतः: उत्तरप्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप समस्त व्यय धनराशि को दुरूपयोग/अपव्यय के रूप में वर्गीकृत करता है एवं उक्त दुरूपयोग/अपव्यय की धनराशि रू0 1552500-00 की वसूली लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है।

जनपद-लखनऊ **मण्डल-लखनऊ** **वर्ष-2021-22**

क्षेत्र पंचायत- मोहनलालगंज

प्रस्तर संख्या-07

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि भदेसुआ धनी चैराहे से बुद्धिलाल के धर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर कुल रू0 871546-00 व्यय किया गया जिससे संबंधित पत्रावली में निम्न कमियां पाई गयी।

1. तकनीकी स्वीकृति संबंधित पत्रावली की जांच में पाया गया की निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता (क्रम संख्या 155 दिनांक 10.12.2021) द्वारा प्राप्त है।

2. खण्ड विकास अधिाकरी के किस पत्र द्वारा संबंधित एस्टीमेट तकनीकी स्वीकृति हेतु अधिषासी अभियन्ता डिवीजन लखनऊ के पास भेजा गया इससे संबंधित अभिलेख पत्रावली से संलग्न नहीं पाया गया अतः अधिशासी अभियन्ता की तकनीकी स्वीकृति संदिग्ध है।

3. क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 के अनुसार रू0 5 लाख से 10 लाख के बीच के प्राक्कलित धनराशि की तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी हेतु सक्षम अधिकारी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है जबकि एस्टीमेट में तकनीकी स्वीकृति ब्लॉक प्रमुख द्वारा नहीं दी गयी है अतः संपूर्ण कार्य उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना तकनीकी स्वीकृति के कराया गया आता इसके लिये सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की है।

4. कार्य से संबंधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि त्रिस्तरीय फोटो पत्रावली में संलग्न है परन्तु अलग-अलग स्थानों से लिया गया है जबकि एक ही स्थान से चरणबद्ध फोटो ली जानी चाहिए थी जिससे कार्य की प्रमाणिकता और पुख्ता होती सबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

5. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप नि0का0प्र0 08 पर तैयार न करके ग्राम पंचायत के प्रारूप पर तैयार किया गया है।

6. कार्य से संबंधित पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन की तुलना संलग्न माप पुस्तिका से करने पर निम्न आपत्तियां दर्शित है-

1. एस्टीमेट के अनुसार कार्य की कुल लम्बाई 194 मीटर है परन्तु एमबी के अनुसार लम्बाई 180 मीटर है इसके बावजूद कुल माप 551.35 वर्ग मीटर है जो प्राक्कलित माप से (551.35-485-00 66.35 वर्ग मी) का विचलन पाया गया। इस प्रकार पाया गया कि यह विचलन 10 प्रतिशत ज्यादा है।

2. एस्टीमेट के डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट के क्रम 7 पर अंकित तनइइमत उवनसक्रपह्नंह 80उ में 194 मीटर लम्बाई 2.50 मीटर चैड़ा कुल 485 वर्ग मीटर प्राक्कलित है जिसका मिलान एम बी से करने पर पाया गया कि कई का प्राविधान किया गया है जो प्राक्कलन में अंकित मेजरमेन्ट में से वृहद रूप में विचलित है। उक्त की जांच में पाया गया कि एस्टीमेट में अंकित चैड़ाई एक समान रूप से 2.50 मीटर दर्ज है जबकि एमबी में वार विविधता दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि एस्टीमेट कार्यस्थ्ल पर जाकर नहीं बनाया गया है अपितु अन्यत्र बैठकर बनाया गया है। कई स्थानों पर निर्धारित अनुमन्य विचलन 10 प्रतिशत से अधिक पाया गया।

3. एस्टीमेट के अनुसार कुल इन्टरलॉकिंग की लंबाई एवं ब्रिक वर्क (प्लास्टर सहित) बॉक्सिंग की लंबाई 194 मीटर है परन्तु एमबी के अनुसार जिगजैग इन्टरलॉकिंग की लंबाई 180 मीटर एवं ब्रिक वर्क बॉक्सिंग की लंबाई 169 मीटर दर्शित है अतः (180-169=11) 11 मीटर इन्टरलॉकिंग बिना बॉक्सिंग के असुरक्षित कार्य कराया गया जिसकी कुल लागत (11’3’980=32340.00) आकलित किया गया जिसके लिये सहायक अभियन्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर लेखा परीक्षा प्रश्नगत कार्य पर किया गया व्यय रू0 871546-00 गम्भीर अनियमितता/अपव्यय या दुरूपयोग की श्रेणी में वर्गीकृत करता है उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के

प्रावधानों के अनुसार किसी मामले में जिसमें परीक्षक यह समझता है कि प्रमुख अधिकारी या सेवक की असावधानी या दुराचरण के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप क्षेत्र पंचायत किसी धन अथवा अन्य संपति की हानि उसका अपव्यय या दुरूपयोग हुआ हो तो वह उक्त प्रमुख अधिकारी या सेवक से क्यों न दुरूपयोग की गयी धनराशि भुगतान करने की अपेक्षा की जाए। के क्रम में सहायक अभियन्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-08

क्षेत्र पंचायत मोहनलालगंज की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि करौरा राजा राम भारती के घ्र से जगदीश द्विवेदी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य पर कुल रू0 896631-00 व्यय किया गया जिससे संबंधित पत्रावली में निम्न कमियां पाई गयी है-

1. एस्टीमेट के साथ संलग्न प्रतिवेदन में लाभान्वित होने वाले क्षेत्र/ग्राम का उल्लेख नहीं है।
2. कर्य से संबंधित विशिष्टिताओं का उल्लेख नहीं है।
3. एस्टीमेट के साथ संलग्न प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 2505 दिनांक 08/12/21 द्वारा स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त दर्शित की गयी है।
4. पत्रावली में लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स संलग्न नहीं है।
5. पत्रावली मे विज्ञापित टेंडर दर्शित नहीं है और न ही प्राप्त प्रतिवेदनों का तुलनात्मक विवरण पत्र संलग्न किया गया है।

3. खण्ड विकास अधिकारी के किस पत्र द्वारा संबंधित एस्टीमेट तकनीकी स्वीकृति हेतु अधिषासी अभियन्ता डिवीजन लखनऊ के पास भेजा गया इससे संबंधित अभिलेख पत्रावली से संलग्न नहीं पाया गया अतः अधिशासी अभियन्ता की तकनीकी स्वीकृति संदिग्ध है।
4. क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16 के अनुसार रू0 5 लाख से 10 लाख के बीच के प्राक्कलित धनराशि की तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी हेतु सक्षम अधिकारी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है जबकि एस्टीमेट में तकनीकी स्वीकृति ब्लॉक प्रमुख द्वारा नहीं दी गयी है अतः संपूर्ण कार्य उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना तकनीकी स्वीकृति के कराया गया आता इसके लिये सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की है।
5. पत्रावली के साथ त्रिस्तरीय चरणबद्ध फोटो संलग्न नहीं है जिससे कार्य की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।
6. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप नि0का0प्र0 08 पर तैयार न करके ग्राम पंचायत के प्रारूप पर तैयार किया गया है।
7. कार्य से संबंधित पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन की तुलना संलग्न माप पुस्तिका से करने पर निम्न आपत्तियां दर्शित है-

1. एस्टीमेट के अनुसार कार्य की कुल लम्बाई 200 मीटर है परन्तु एमबी के अनुसार लम्बाई 185.7 मीटर है इसके बावजूद कुल माप 464.25 वर्ग मीटर है जो प्राक्कलित माप से (500-464.25=35.75 वर्ग मी) का विचलन पाया गया। इस प्रकार पाया गया कि यह विचलन 10 प्रतिशत ज्यादा है।

2. एस्टीमेट के कमजंपसे व िउमंेनतमउमदज के क्रमांक 7 पर अंकित तनइइमत उवनसक्रपहृंह 803 में 194 मीटर लम्बाई 2.50 मीटर चैड़ा कुल 485 वर्ग मीटर प्राक्कलित है जिसका मिलान एम बी से करने पर पाया गया कि कई का प्राविधान किया गया है जो प्राक्कलन में अंकित मेजरमेन्ट में से वृहद रूप में विचलित है। उक्त की जांच में पाया गया कि एस्टीमेट में अंकित चैड़ाई एक समान रूप से 2.50 मीटर दर्ज है जबकि एमबी में वार विविधता दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि एस्टीमेट कार्यस्थ्ल पर जाकर नहीं बनाया गया है अपितु अन्यत्र बैठकर बनाया गया है। कई स्थानों पर निर्धारित अनुमन्य विचलन 10 प्रतिशत से अधिक पाया गया।

3. एस्टीमेट के अनुसार कुल इन्टरलॉकिंग की लंबाई एवं ब्रिक वर्क (प्लास्टर सहित) बॉक्सिंग की लंबाई 200 मीटर है परन्तु एमबी के अनुसार जिगजैग इन्टरलाॅकिंग की लंबाई 185.7 मीटर एवं ब्रिक वर्क बॉक्सिंग की लंबाई 189.2 मीटर दर्शित है अतः (189.2-185.7त्र3.5 मी) 3.5 मीटर बॉक्सिंग बिना इन्टरलॉकिंग कार्य किस उद्देश्य से कराया गया और इसका औचित्य क्या था। इस निर्माण के कारण रू0 3.5 का अपव्यय हुआ जिसके लिये सहायक अभियन्ता लेखाकार एवं खण्ड एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है।

4. कार्य से संबंधित मूल्यात्मक विचलन एस्टीमेट एवं एमबी की तुलना किया गया यथा

क्र0सं0	कार्य	प्राक्कलन के अनुसार	संलग्न माप पुस्तिका	थ्वचलन
1	इ/डब्लू इन इएक्सावेशन	3220	2495.5	724.5
2	पी/एल सीसी 1:6:12	34147.50	32690.50	1457
3	जी.एस.बी स्पेसफिकेशन	166200.00	167496.36	1296.36
4	बी/डब्लू 1:4	154445.00	150751.75	3693.25
5	पी/1 सीसी 1:2:4	16077.00	15238.20	838.80
6	12 एमएम थिक प्लास्टर	14880.00	13816.08	1063.92
7	रबर जिगजैग	490000.00	493822.00	3822.00
8	सिंग बोर्ड	4500.00	4500.00	0

जांच में पाया गया कि एमबी एवं एस्टीमेट में विचलन हे जो 10 प्रतिशत से कम है जिसका विचलन चार्ट पत्रावली के साथ संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर लेखा परीक्षा प्रश्नगत कार्य पर किया गया व्यय रू0 896631-00 गम्भीर अनियमितता/अपव्यय या दुरूपयोग की श्रेणी में वर्गीकृत करता है उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के प्रावधानों के अनुसार किसी मामले में जिसमें परीक्षक यह समझता है कि प्रमुख अधिकारी या सेवक की असावधानी या दुराचरण के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप क्षेत्र पंचायत किसी धन अथवा अन्य संपति की हानि उसका अपव्यय या दुरूपयोग हुआ हो तो वह उक्त प्रमुख अधिकारी या सेवक से क्यों न दुरूपयोग की गयी धनराशि भुगतान करने की अपेक्षा की जाए।

के क्रम में सहायक अभियन्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद-लखनऊ **मण्डल-लखनऊ** **वर्ष-2021-22**

क्षेत्र पंचायत - सरोजनीनगर

प्रस्तर संख्या-09

क्षेत्र पंचायत - सरोजनीनगर की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पंचम वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्न विवरणानुसार कराए गए कार्यो पर धनराशि व्यय किया जाना दर्शित है-

क्र0सं0	कार्य का नामविवरण/	आच्छादित ग्राम पंचायत	कुल व्यय धनराशि	कटौती जी0एस टी0टी0डीएस0 सेस	वास्तविक भुगतान
1	गोदौली में अमृतलाल के खेत से जागेश्वर मंदिर तक खडन्जा निर्माण कार्य	गोदौली	611228.00	32212.00	579016.00
2	भटगॉव पांण्डे में डामर रोड से पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक खडन्जा मरम्मत कार्य	भटगॉव पाण्डे	619839.33	32666.00	587173.00
3	मॉदा उदयतखेड़ा में पप्पू यादव के घर से देशराज यादव के घर तक सी0सी0रोड कार्य	मौदा	702730.13 (प्रथम बिल)	37034.00	665696.00
4	गढ़ी चुनौटी में राम सेवक के घर से मुन्नीलाल बढई के घर तक सी0सी0 रोड कार्य	गढी चुनौटी	673324.11 (प्रथम बिल)		
35484.00	637840.00				
	योग		2607121.57	137396.00	2469725.57

उक्त व्ययों पर आपत्ति का प्रमुख बिन्दु यह है कि राज्य वित्त आयोग के उपभोग संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांतों संबंधी शासनादेश संख्या-5/866/33-2-14-93 जी/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को प्राप्त अनुदान से केवल उन्ही विकास कार्यो को कराया जा सकता है जो एक से अधिक ग्राम पचायतों/राजस्व ग्रामों को लाभान्वित/आकछादित करते हो। इस प्रकार उपरोक्त व्यय इन शासनादेशों से स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। अतः उत्तरप्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम

संख्या 179 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप समस्त व्यय धनराशि को अनियमित/दुरूपयोग मानते हुए अधिभार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस अनियमित व्यय के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद-लखनऊ **मण्डल-लखनऊ** **वर्ष-2021-22**

क्षेत्र पंचायत - मलिहाबाद

प्रस्तर संख्या-10

क्षेत्र पंचायत की 2021-22 के लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीन्जेंसी हेतु व्यय धनराशि रू0 4054901-00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख प्रमाणक/बिल बाउचर एवं पत्रावली मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये है और न ही किया जा सका। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्या लेखा परीक्षा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा बिल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए जो या तो स्वयं दावेदार का बिल होगा अथवा जहां इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो। लेकिन उक्त विषय का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में प्रमाणक एवं िबल बाउचर तथा सुसंगत अभिलेख के अभाव में कुल रू0 4054901-00 का भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है। उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के प्रावधानों के अनुसार किसी मामले में जिसमें परीक्षक यह समझता है कि प्रमुख अधिकारी या सेवक की असावधानी या दुराचरण के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप क्षेत्र पंचायत किसी धन अथवा अन्य संपति की हानि उसका अपव्यय या दुरूपयोग हुआ हो तो वह उक्त प्रमुख अधिकारी या सेवक से क्यों न दुरूपयोग की गयी धनराशि भुगतान करने की अपेक्षा की जाए। के क्रम में सहायक अभियन्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

नाम संस्था– क्षेत्र पंचायत

लेखा परीक्षा वर्ष–2020.2021 **विकास खण्ड–चिनहट**

जनपद– लखनऊ

प्रस्तर संख्या-11 क्षेत्र पंचायत चिनहट द्वारा सरौरा मार्ग से स्कूल होते हुये होलिका दहन तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य की स्वीकृत लागत रूपया 22.39 लाख थी तथा कार्य दिनांक 30/09/2020 को प्रारम्भ होकर दिनांक 29/10/2020 को समाप्त हुआ। कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपन्तियां प्रकाश में आई :- ;क) इस्टीमेट की जांच करते समय पाया गया कि अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति अवर अभियन्ता ग्रामीण इन्जियरिंग विभाग लखनऊ से कराया गया । जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 16 के अनुसार रूपया 1000,000,00 से अधिक का अनुमान जिला अभियन्ता के निर्देशन में तैयार किया जायेगा और ऐसे

अनुमानों के लिए प्राविधिक स्वीकृति देने हेतु सक्षम स्तर राज्य सरकार है परन्तु उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत रूपया 22.39 लाख होने के बवजूद प्राविधिक स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं लिया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता का घोतक है।

;ख) प्राक्कलन की जांच में पाया गया कि मिट्टी कार्य 02 कि०मी० दूर से लाना प्रस्तावित था। इस हेतु 02 कि०मी० का कार्टेज 175.86 या 176-00 = 90 पर क्यूपिक अतिरिक्त इस्टीमेट बनाया गया। जबकि प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि मिट्टी 02 कि०मी० दूर कहां से एवं किस प्रकार की भूमि से आपूर्ति की गयी है। इसका उल्लेख भी नहीं है।ग) इस्टीमेट और माप पुस्तिका से मिलान करने पर पाया गया कि कार्य के विभिन्न मदों में विचलन है जिसका उल्लेख कार्यपूति प्रमाण पत्र में किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ:-

कार्य का नाम	प्राक्कलित धनराशि इस्टीमेट	माप पुस्तिका	अन्तर	अन्तर का प्रतिशत
	रुपया	रुपया		
सरौरा मार्ग से स्कूल होते हुये होलिका दहन तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	**2243900.00 चौ० चैनेज 124.136 के बीच 03 मीटर**	124.136 के बीच 4ण्19ण 24ध्2.4ण24 मीटर	67023 1ण्24	– 41 प्रतिशत ज्यादा नियमतः 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए

प्राक्कलन में 03 मीटर से अधिक चौड़ाई का प्राविधान नहीं किया गया है जबकि माप पुस्तिका में चैनेज 124-136 के बीच 4.19+4.24/2=4.24 मीटर में कार्य दर्शित है।

पी०डब्लू०डी० के मानक के अनुसार ग्रामीण सड़को की चौड़ाई 03 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये। कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष उ०प्र० लोक निर्माण लखनऊ के पत्रांक 4619/एम०टी०/सामान्य वर्ग/60 एम०टी०/12-13/दिनांक 23.06.2012 के द्वारा परिपालन नहीं किया गया है।

प्राक्कलन में मार्ग की चौड़ाई एक समान 03 मीटर दर्शित है। जबकि माप पुस्तिका में अत्याधिक विचलन है। इससे स्पष्ट होता है कि अवर अभियन्ता द्वारा कार्य स्थल पर जाकर प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।

(घ) इण्टर लाकिंग में ब्रिक किस कलर का प्राविधान किया गया है यह भी स्पष्ट नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कार्य के सापेक्ष किये गये कुल भुगतान रुपया 2176877-00 में गम्भीर अनियमितता की गयी है अतः उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत बजट एवं लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार समस्त व्यय को अधिभार के रूप में वगीकृत किया जाता है। इसके लिये लेखाकार सुश्री भगउता देवी ब्लाक प्रमुख श्री रंजीत यादव अवर अभियन्ता श्री

अमर बहादुर सिंह आर०ई०डी० एवं सुश्री पूजा सिंह खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। स्पष्टीकरण आवश्यक है। (सा०आ०सं००५)

प्रस्तर संख्या-12 क्षेत्र पंचायत चिनहट द्वारा ग्राम पंचायत रैंथा में रामसंजीवन के खेत से विधा यादव के खेत तक खण्डजा निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य की स्वीकृति लागत रुपया 5-04 लाख थी तथा उक्त कार्या दिनांक 21/09/2020 को प्रारम्भ होकर दिनांक 06/10/2020 को समाप्त हुआ है। कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आईः-

(क) कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन के डिटेल ऑफ मेजरमेन्ट / प्रतिवेदन में मार्ग की लम्बाई 280 मी० और चौड़ाई 3.3 मीटर बनाने का प्राविधान था जबकि माप पुस्तिका में मार्ग की लम्बाई 201 मीटर दर्ज की गयी है। इस प्रकार प्राक्कलित रोड की लम्बाई से 280-201 79 मीटर कम निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्पष्टी करण पत्रावली के साथ संलग्न नहीं पाया गया। जबकि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत का निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं0 15 के अनुसार यदि मार्ग का अनुमान/प्राक्कलन में 10 प्रतिशत से ज्यादा का विचलन पाया जाता है तो उस कार्य की स्वीकृति पुनः उन्ही सक्षम स्तरों से लिया जाता है जिसमें कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व स्वीकृति दिया था।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में न तो संशोधित प्राक्कलन / विचलन चार्ट भी संलग्न नहीं है और न ही सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है। उदाहरणार्थ:-

प्रा० लम्बाई	एम०बी० में लम्बाई	अन्तर	प्रतिशत
280 मीटर	201 मीटर	79 मीटर	28.21

ख) माप पुस्तिका की जांच में पाया गया कि कार्य के पूर्ण होने का दिनांक 06/10/2020 था तथा माप पुस्तिका में करने की तिथि 27/01/2021 अंकित है। कार्य पूर्ण होने 03 माह विलम्ब से माप पुस्तिका में करने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका।

(ग) टेण्डर आमन्त्रित करने की तिथि 24/08/2020 तथा टेण्डर खोलने की तिथि 10/09/2020 है। इस प्रकार दोनों के बीच कोई समय अन्तराल 16 दिन है। जबकि नियमानुसार तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिये। उ०प्र० क्षेत्र पंत्रायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम सं0 21 का पालन नहीं किया गया ।

(घ) एब्सट्रैक्ट ऑफ बांड की जांच में पाया गया कि कुल प्राक्कलित धनराशि रुपया 5.04 लाख है जिसके सापेक्ष जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत का निर्माण कार्य नियमावली 1984 में नियम सं0 23 के अनुसार प्राक्कलित धनराशि का 5 प्रतिशत कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व जमानत राशि जमा किया जाना अपेक्षित है जबकि उक्त प्रकरण में 2 प्रतिशत ही जमा किया गया है।

(ड.) माप पुस्तिका के पृष्ठ सं० 05 पर रुपया 400746.08 (अंकन रुपया चार लाख सात सौ छियालीस तथा पैसे आठ मात्र) अंकित है किन्तु प्रथम और फाइनल बिल पर पारित रुपया 400786.08 (अंकन रुपया चार लाख सात सौर छियासी तथा पैसे आठ मात्र) अंकित है। इस प्रकार रुपया 40-00 अन्तर कर बिल त्रुटिपूर्ण पारित किया गया है।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि कार्य के सापेक्ष किय गये कुल भुगतान रुपया 400746.08 में गम्भीर अनियमितता की गयी है। अतः उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत बजट एवं लेखा नियमावली 1965

के नियम संख 179 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार समस्त व्यय को अधिभार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिये लेखाकार सुश्री भगउता देवी ब्लाक प्रमुख श्री रंजीत यादव अवर अभियन्ता श्री अमर बहादुर सिंह (आर०ई०डी०) एवं सुश्री पूजा सिंह खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है।

जनपद- रायबरेली

क्षेत्र पंचायत 2021-22

प्रस्तर- 01 **क्षेत्र पंचायत - डलमऊ** **आपत्ति सं0- 13**

13- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का भुगतान कराये गये है जिसमें निम्न आपत्तियां हैं

क्रम सं.	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि
1.	ग्राम पंचायत डलमऊ में मेन रोड से शिवबहादुर के घर तक सी.सी. रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग कार्य	946948.00
2.	सुरसना पुरे जुडावन में रामबरन के घर पक्की रोड से शिवबहादुर के घर सी. सी. रोड तक सी. सी. रोड निर्माण	488057.22
3.	बराराबुजुर्ग के पुरे मेडुलियन में तेजबहादुर के दरवाजे से राम औतार के दरवाजे तक सी. सी. रोड निर्माण	574377.00
4.	घुरवारा में राजकुमार पासवान के घर से पंचायत भवन तक इंटरलॉकिंग कार्य	884063.68
5.	खोदायपुर में राम औतार के घर से रामसुमिरन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	839618.81
6.	खोदायपुर में हरिशंकर के घर से गंगाराम के घर तक सी.सी. रोड	689856.69
7.	तेलियानी में घुरवारा रोड से बैजनाथ के घर से सहदेव के घर तक सी.सी. रोड	873299.12
8.	गोविंदपुर भीरा के पुरे राना में राजकुमार होटल के सामने पक्की सड़क से छोटे के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	986130.39

9.	कर्कसा में रामनाथ के दरवाजे से कमल बहादुर के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य	928445.00
10	सेंदुरामऊ के नसीरपुर घरियारी में श्यामलाल के सामने खडंजे से बरगद के पेड़ तक इंटरलॉकिंग कार्य	532410.00
11	गंज बडेरवा में छिट्टन पासवान के कुंआ के सामने से सी. सी. रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य	662191.77
12	हजियापुर पुरे कालू में गुरु के दरवाजे से भगौती लोध के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य	989249.54
13	खोदायपुर में रामबरन के घर से रामकरन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	793347.02
14	बहेरिया में पक्की सड़क से राजाराम के घर होते हुए परमेश्वर के खेत तक सी.सी. रोड	957969.47
15	गोविंदपुर भीरा में मेनचौराहे से महाबली के घर होते हुए बबलू चुडिहार के घर तक नाला निर्माण	977655.00
	योग	12123618.71

(i) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है , जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं | क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए | ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था , दो या दो से ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त समस्त कार्य कराये गए हैं| जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा | स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं ,जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है |

(ii) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(2,3) एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के वोल्यूम 5 परिशिष्ट 19 नियम 4 एवं के अनुसार टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत समुचित अनुबंध या करार के बिना कोई भी कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा जबकि लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त अधिकांश निर्माण कार्यों में अनुबंध प्रपत्र अप्राप्त रहे तथा अधिकांश कार्यों में अनुबंध ,करार/ कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् कराये गए है अथवा अनुबंध पत्र पर नोटरी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए , उदाहरणार्थ गोविंदपुर भीरा में मेनचौराहे से महाबली के घर होते हुए बबलू चुडिहार के घर तक नाला निर्माण कार्य में अनुबंध होने की तिथि 21.12.21 दर्शित है जबकि माप पुस्तिका एवं बिल के अनुसार कार्य प्रारंभ होने की तिथि 11.11.21 दर्शित है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है

(iii) लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित कार्यों में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	धरोहर/जमानत राशि एफडी/एसटीडीआर
1.	हजियापुर पुरे कालू में गुरु के दरवाजे से भगौती लोध के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य	पीएनबी(045820)20000 .0009.11.21 से 09.05.22
2.	घुरवारा में राजकुमार पासवान के घर से पंचायत भवन तक इंटरलॉकिंग कार्य	**अप्राप्त**
3.	गोविंदपुर भीरा के पुरे राना में राजकुमार होटल के सामने पक्की सड़क से छोटे के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	**अप्राप्त**
4.	कर्कसा में रामनाथ के दरवाजे से कमल बहादुर के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य -निविदा दिनांक	**एसटीडीआर(एसबीआई)-17500.00 12.10.20 से 12.10.21**
5.	बहेरिया में पक्की सड़क से राजाराम के घर होते हुए परमेश्वर के खेत तक सी.सी. रोड- निविदा दिनांक	**एसटीडीआर(एसबीआई)-13500.00 02.10.20 से 02.10.21**
7.	गोविंदपुर भीरा में मेनचौराहे से महाबली के घर होते हुए बबलू चुडिहार के घर तक नाला निर्माण	**बीओबी (729218)-12000.00 19.01.21 से 19.01.22**

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम (19) के अनुसार किसी कार्य निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुहर बंद टेंडर आमंत्रित न किये जाये तथा जिसके साथ समुचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित धनराशि के बराबर बयाने की धनराशि न हो, बयाने/ धरोहर की यह धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में कोषागार चालान द्वारा नगद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी यदि ऐसी धनराशि डाकघर में जमा की जाए तो पासबुक . खंड विकास अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला 23 के नियम 1984 पंचायत निर्माण कार्य नियमावली(1) के अनुसार कुल 10% धनराशि प्रतिभूति/जमानत के रूप में जमा किया जाएगा, यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाए तो ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि के 5% के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा शेष 5% धनराशि ठेकेदार के चालू बिल से काटी जाएगी इसके बगैर ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए साथ ही नियम 23(2) के अनुसार जमा की गई प्रतिभूति तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक निर्माण कार्य पूरा होने के दिनांक से छ माह की अवधि समाप्त न हो जाये या ठेका पूरा होने : के बाद अगली वर्षा ऋतु व्यतीत न हो जाये जबकि लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्यों में धरोहर राशि अप्राप्त रही तथा उक्त कार्यों में धरोहर राशि के रूप में प्राप्त एफ डी जिसे बाद में जमानत क रूप में समायोजित कर लिया जाता, जमानत राशि भी अप्राप्त रही स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है |

(iv) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम॰एम॰ 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है | जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं ,और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं | आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एमएम-11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए, इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए

है कि प्रयुक्त उपखनिजो पर देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था /विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये, यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा ,इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है|

(v)- राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व, कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए तीनों स्तरों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके|

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	**भुगतान धनराशि**
1.	घुरवारा में राजकुमार पासवान के घर से पंचायत भवन तक इंटरलॉकिंग कार्य	6000.00
2.	खोदायपुर में राम औतार के घर से रामसुमिरन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	6000.00
3.	खोदायपुर में हरिशंकर के घर से गंगाराम के घर तक सी.सी. रोड	6000.00
4.	गोविंदपुर भीरा के पुरे राना में राजकुमार होटल के सामने पक्की सड़क से छोटे के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	6000.00
5.	कर्कसा में रामनाथ के दरवाजे से कमल बहादुर के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य	6000.00
6.	सेंदुरामऊ के नसीरपुर घरियारी में श्यामलाल के सामने खडंजे से बरगद के पेड़ तक इंटरलॉकिंग कार्य	6000.00
7.	गंज बडेरवा में छिट्टन पासवान के कुंआ के सामने से सी. सी. रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य	6000.00
8.	बहेरिया में पक्की सड़क से राजाराम के घर होते हुए परमेश्वर के खेत तक सी.सी. रोड	6000.00
9.	गोविंदपुर भीरा में मेनचौराहे से महाबली के घर होते हुए बबलू चुडिहार के घर तक नाला निर्माण	6000.00
	योग	54000.00

उक्त कृत कार्यों के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ एवं साइन बोर्ड लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे .जबकि उक्त कार्यों के माप पुस्तिका एवं बिल के अनुसार फोटोग्राफ एवं साइन बोर्ड हेतु रू 6000.00 की दर से कुल रू 54000.00 का भुगतान सम्बंधित फ़र्म को किया गया है जिससे स्पष्ट है, कि अनियमित भुगतान करगंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है |

इस प्रकार उक्त समस्त कार्यों में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम179 के उपनियम-1के अनुसार उक्त हानि/अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख ,तथा तत्कालीन लेखाकार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति, उक्त धनराशि रू 12123618.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 669794.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती सुषमा देवी से, रू 2132005.00 श्री हरिश्चंद्र गुप्ता से व रू 1239407.00 श्री प्रदीप कुमार यादव से ,रू 4041206.00 ब्लॉक प्रमुख श्री शिवराम रावत से तथा रू 669794.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विजय कुमार यादव से एवं रू 3371412.00 तत्कालीन लेखाकार श्री आकाश कुमार बिन्द से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर- 02 **क्षेत्र पंचायत - डलमऊ** **आपत्ति सं0- 14**

14- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गए -

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	**निविदा प्रपत्र की बिक्री से प्राप्त धनराशि**
1.	सेंदुरामऊ के नसीरपुर घरियारी में श्यामलाल के सामने खडंजे से बरगद के पेड़ तक इंटरलॉकिंग कार्य- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 500.00	1500.00
2.	सुरसना पुरे जुडावन में रामबरन के घर पक्की रोड से शिवबहादुर के घर सी. सी. रोड तक सी. सी. रोड निर्माण निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 500.00	1500.00
3.	बराराबुजुर्ग के पुरे मेडुलियन में तेजबहादुर के दरवाजे से राम औतार के दरवाजे तक सी. सी. रोड निर्माण- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 500.00	1500.00
4.	ग्राम पंचायत डलमऊ में मेन रोड से शिवबहादुर के घर तक सी.सी. रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग कार्य - निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00

5.	खोदायपुर में राम औतार के घर से रामसुमिरन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
6.	खोदायपुर में हरिशंकर के घर से गंगाराम के घर तक सी.सी. रोड - निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
7.	तेलियानी में घुरवारा रोड से बैजनाथ के घर से सहदेव के घर तक सी.सी. रोड- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
8.	गोविंदपुर भीरा के पुरे राना में राजकुमार होटल के सामने पक्की सड़क से छोटे के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
9.	कर्कसा में रामनाथ के दरवाजे से कमल बहादुर के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य - निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
10	घुरवारा में राजकुमार पासवान के घर से पंचायत भवन तक इंटरलॉकिंग कार्य- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
11	गंज बडेरवा में छिट्टन पासवान के कुंआ के सामने से सी. सी. रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
12	खोदायपुर में रामबरन के घर से रामकरन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
13	बहेरिया में पक्की सड़क से राजाराम के घर होते हुए परमेश्वर के खेत तक सी.सी. रोड- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
14	गोविंदपुर भीरा में मेनचौराहे से महाबली के घर होते हुए बबलू चुडिहार के घर तक नाला निर्माण- निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 1000.00	3000.00
	योग	37500.00

खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 1151/04.01.2021 एवं 923/21.10.2021 के अनुसार उक्त कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है जिसमे निविदा प्रपत्र का मूल्य रु 500.00 एवं 1000.00 निर्धारित किया गया है। उक्त कार्यों की पत्रावली के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु तीन फ़र्मों से निविदा प्राप्त किया जाना दर्शित है, इस प्रकार उक्त कार्यों में निविदा प्रपत्र की विक्री से रू 37500.00 प्राप्त किया गया है किन्तु निविदा प्रपत्र से प्राप्त आय को न ही कहीं लेखांकित किया गया है और न ही किसी बैंक खाते में जमा किया गया है, जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया

जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वय दावेदार का बिल होगा अथवा जहा इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो, इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक जमा प्रमाणक के अभाव में रू 37500.00 का अपहरण/गबन किया गया है। उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम-1 के अनुसार उक्त हानि/अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु 37500.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 3750.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती सुषमा देवी से, रू 15000.00 श्री हरिश्चंद्र गुप्ता से, तथा रू 18750.00 तत्कालीन लेखाकार श्री विजय कुमार यादव से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर- 03 क्षेत्र पंचायत - डलमऊ आपत्ति सं0- 15

क्षेत्र पंचायत की 2021-22 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेंसी हेतु व्यय धनराशि रु 596305.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख, प्रमाणक / विल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये और न ही ग्रांट रजिस्टर 2 में पूर्ण रूप से लेखांकन किया गया है जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। क्षेत्र पंचायत तया जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वय दावेदार का बिल होगा अथवा जहा इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो। लेकिन उक्त नियम का उलंघन हुआ है। इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 596305.00 का अनियमित भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। उ.प्र.क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम-1 के अनुसार उक्त हानि/अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु 596305.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 198768.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से, रू 198768.00 ब्लॉक प्रमुख श्री शिवराम रावत से तथा रु 198768.00 तत्कालीन लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 04 क्षेत्र पंचायत - खीरों आपत्ति सं0- 11

11- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये है जिसमें निम्न आपत्तियां हैं -----

क्रम सं.	कार्य का नाम	लागत धनराशि
1	जसउमऊ बैजनाथ खेड़ा में लाला मिश्रा की बाग से बसहानाला तक खडंजा निर्माण	966766.00
2	बरवलिया नहर पुलिया से गौनहा पुल तक खडंजा निर्माण	965527.00
3	बकुलिहा में सिटकिहा रोड से कालिका पंडित के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	740347.00

4	मानपुर डामर रोड से सीतला मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	772495.00
5	जसउमऊ में सेनी रोड से दुकनहा माइनर तक खडंजा निर्माण	971536.00
6	खीरो गुरुबख्सगंज मार्ग से गोल्डनबर्ड स्कूल होकर रामकुमार बाबू की चक्की तक सी.सी. रोड निर्माण	980813.00
7	गोनामऊ में मेनरोड से राजू बी डी सी के घर होकर छोटू कुशवाहा के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	989942.00
8	नौगवां पक्की सड़क से राजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	691134.00
9	टिकवामऊ में गुरु की चक्की के सामने रोड से कमालपुर पीएमजीएसवाई रोड तक खडंजा निर्माण	979299.00
10	जसउमऊ में प्राथमिक पाठशाला से बैजनाथ खेड़ा खडंजा निर्माण	579649.00
11	बकुलिहा में लाला पाण्डेय की डेरी से बारात घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	566758.00
12	मेडौली भीतरगांव रोड से नहर पटरी तक खडंजा निर्माण	865830.00
13	जेरी दरियारखेड़ा रिंकू के घर से रमेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	976664.00
	योग	11046760.00

(i) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है , जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं | क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए | ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था , दो या दो से ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त समस्त कार्य कराये गए हैं| जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा | स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं ,जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है |

(ii)उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(2,3) एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के वोल 5 परिशिष्ट 19 नियम 4 के अनुसार टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत

समुचित अनुबंध या करार के बिना कोई भी कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा जबकि लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त अधिकांश निर्माण कार्यों में अनुबंध प्रपत्र, टेंडर स्वीकृति से पूर्व तथा अधिकांश कार्यों में अनुबंध /करार कार्य प्रारंभ होने के दिन अथवा पश्चात् कराये गए है, अनुबंध पत्र पर नोटरी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए , उदाहरणार्थ जसउमऊ बैजनाथ खेड़ा में लाला मिश्रा की बाग से बसहानाला तक खडंजा निर्माण कार्य में अनुबंध होने की तिथि 02.12.21 दर्शित है जबकि टेंडर प्रक्रिया समाप्त होने की अंतिम तिथि 05.12.21 दर्शित है,अर्थात टेंडर स्वीकृति से पूर्व ही फर्जी अनुबंध प्रपत्र तैयार कर लिए गए जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है|

(iii)- राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए तीनों स्तरों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके|

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	**भुगतान धनराशि**
1	जसउमऊ बैजनाथ खेड़ा में लाला मिश्रा की बाग से बसहानाला तक खडंजा निर्माण	5000.00
2	बरवलियानहर पुलिया से गौमाता पुत्र के पास तक खडंजा निर्माण	5000.00
3	बकुलिहा में सिटकिहा रोड से कालिका पंडित के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5000.00
4	मानपुर डामर रोड से सीतला मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	5000.00
5	जसउमऊ में सेनी रोड से दुकनहा माइनर तक खडंजा निर्माण	5000.00
6	खीरो गुरुबख्सगंज मार्ग से गोल्डनबर्ड स्कूल होकर रामकुमार बाबू की चक्की तक सी.सी. रोड निर्माण	5000.00
7	गोनामऊ में मेनरोड से राजू बी डी सी के घर होकर छोटू कुशवाहा के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	4000.00
8	टिकवामऊ में गुरु की चक्की के सामने रोड से कमालपुर पीएमजीएसवाई रोड तक खडंजा निर्माण	5000.00
	योग	39000.00

उक्त कृत कार्यों के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ एवं साइन बोर्ड लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे .जबकि उक्त कार्यों के माप पुस्तिका एवं बिल के अनुसार फोटोग्राफ एवं साइन बोर्ड हेतु कुल रू

39000.00 का भुगतान सम्बंधित फ़र्म को किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अनियमित, भुगतान करगंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है |

(iv) लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित कार्यों में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	धरोहर/जमानतराशि
1.	बरवलियानहर पुलिया से गौमाता पुत्र के पास तक खडंजा निर्माण	**अप्राप्त**
2.	खीरो गुरुबख्सगंज मार्ग से गोल्डनबर्ड स्कूल होकर रामकुमार बाबू की चक्की तक सी.सी. रोड निर्माण	**अप्राप्त**
3.	नौगवां पक्की सड़क से राजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	**अप्राप्त**
4.	टिकवामऊ में गुरु की चक्की के सामने रोड से कमालपुर पीएमजीएसवाई रोड तक खडंजा निर्माण	**अप्राप्त**

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली.प्र.1984 के नियम (19) के अनुसार किसी कार्य निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुहर बंद टेंडर आमंत्रित न किये जाये तथा जिसके साथ समुचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित धनराशि के बराबर बयाने की धनराशि न हो, बयाने/ धरोहर की यह धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में कोषागार चालान द्वारा नगद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी यदि ऐसी धनराशि डाकघर में जमा की जाए तो पासबुक . खंड विकास अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला 23 के नियम 1984 पंचायत निर्माण कार्य नियमावली(1) के अनुसार कुल 10 %धनराशि प्रतिभूति/जमानत के रूप में जमा किया जाएगा**,** यदि कोई टेंडर स्वीकार किया जाए तो ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि के 5 %के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा शेष 5 %धनराशि ठेकेदार के चालू बिल से काटी जाएगी इसके बगैर ठेका न वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाए साथ ही नियम 23(2) के अनुसार जमा की गई प्रतिभूति तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक निर्माण कार्य पूरा होने के दिनांक से छ ाद अगली वर्षा ऋतु व्यतीत न हो जाये जबकि लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्यों में धरोहर राशि अप्राप्त रही तथा उक्त कार्यों में धरोहर राशि के रूप में प्राप्त एफ डी माह की अवधि समाप्त न हो जाये या ठेका पूरा होने के

बाद अगली वर्षा ऋतु व्यतीत न हो जाये जबकि लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्यों में धरोहर राशि अप्राप्त रही तथा उक्त कार्यों में धरोहर राशि के रूप में प्राप्त एफ डी जिसे बाद में जमानत के रूप में समायोजित कर लिया जाता, जमानत राशि भी अप्राप्त रही स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है |

(v) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम॰एम॰ 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है **|** जबकि शासनादेश संख्या **3385/86-2015-292/2015** दिनांक **15.10.2015** के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं ,और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम**-11** के आधार पर परिवहन किए गए हैं **|** आगे शासनादेश संख्या **2799/86-2016- 292/2015** दिनांक **12.09.2016** के अनुसार वैध फार्म **3**सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एमएम**-11** फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए, इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या **39/2020/990/86-2020-52(**सा)/**2019**टी सी दिनांक **23** जून **2020** द्वारा निर्देश दिए गए है कि प्रयुक्त उपखनिजो पर देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था /विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये, यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा ,इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है|

(vi)लेखा परीक्षा वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये है ----

क्रम सं.	कार्य का नाम	लेबर सेस
1.	जसउमऊ बैजनाथ खेड़ा में लाला मिश्रा की बाग से बसहानाला तक खडंजा निर्माण	**9668.00**
2.	बरवलिया नहर पुलिया से गौनहा पुल तक खडंजा निर्माण	**9655.00**
3.	बकुलिहा में सिटकिहा रोड से कालिका पंडित के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	**7403.00**

4.	मानपुर डामर रोड से सीतला मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	**7725.00**
5.	जसउमऊ में सेनी रोड से दुकनहा माइनर तक खडंजा निर्माण	**9715.00**
6.	खीरो गुरुबख्सगंज मार्ग से गोल्डनबर्ड स्कूल होकर रामकुमार बाबू की चक्की तक सी.सी. रोड निर्माण	**9808.00**
7.	गोनामऊ में मेनरोड से राजू बी डी सी के घर होकर छोटू कुशवाहा के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	**9899.00**
8.	नौगवां पक्की सड़क से राजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	**6911.00**
9.	टिकवामऊ में गुरु की चक्की के सामने रोड से कमालपुर पीएमजीएसवाई रोड तक खडंजा निर्माण	**9792.00**
10	जसउमऊ में प्राथमिक पाठशाला से बैजनाथ खेड़ा खडंजा निर्माण	**5796.00**
11	बकुलिहा में लाला पाण्डेय की डेरी से बारात घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	**5667.00**
12	मेडौली भीतरगांव रोड से नहर पटरी तक खडंजा निर्माण	**8658.00**
13	जेरी दरियारखेड़ा रिंकू के घर से रमेश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	**9766.00**
14	अखउपुर में बारात घर की बाउंड्रीवाल व टीनशेड	**9827.00**
15	प्रमुख कक्ष मरम्मत	**8246.00**
	योग	**128536.00**

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्यो में रू**128536.00** लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि लेबर सेस की कटौती कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु सेवा की शर्तों को विनियमित करने तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार) रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम (अधिनियम**, 1996** अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार) रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम (नियम**, 2009** बनाया। नियम यह प्रावधानित करता है कि ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। प्रमुख अभियंता ने समस्त खण्डों को कर्मकार उपकर की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित) अप्रैल **2010)** किया। प्रमुख अभियन्ता) विकास (एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक **-19** एम०टी० / सामान्य वर्ग / **40**एम**0**टी**0-45 / 2017** दिनांक **19/12/2017** के अनुसार बिड डाक्यूमेन्ट्स में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट हैं**,** जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। उक्त के क्रम में एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि कर्मकार उपकर की

कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाये एवं समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये। कटौती के उपरांत दिनांक **26.03.2010** के आदेश के क्रम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले उपकर की प्राप्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में लेबर सेस की कटौती न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है

इस प्रकार उक्त समस्त कार्यों में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर रू **11046760.00**गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है |उ क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली.प्र. **1965** के नियम**179** के उपनियम**-1**के अनुसार उक्त हानि/अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी**,** ब्लॉक प्रमुख ,तथा तत्कालीन लेखाकार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में, उक्त धनराशि रू **11046760.00**की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू **3682254.00** तत्कालीन खंड विकास अधिकारी डॉ अंजू रानी वर्मा से**,** रू **3682253.00** ब्लॉक प्रमुख श्री अनिल कुमार सिंह से तथा रू **3682253.00** तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार अवस्थी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर- 05 क्षेत्र पंचायत - सताँव आपत्ति सं0- 12

- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये है जिसमें निम्न आपत्तियां हैं -----

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	**लागत धनराशि**
1	ट्यूबेल (तिराहा) से पक्की रोड हनुमान मंदिर तक खडंजा निर्माण -रौला	709007.00
2	अयोध्या के खेत से हरदेव लाल बाला मंदिर तक खडंजा निर्माण -नकफुलहा	990359.00
3	संतोष यादव के मुर्गी फार्म से चंद्रकांत शुक्ला के खेत तक खडंजा निर्माण-रौला	812697.00
4	सूरज ट्यूबेल से बसहानाला की ओर खडंजा निर्माण -रौला	964492.00
5	राजू शुक्ला के खेत से औसान की कोठरी तक खडंजा निर्माण -रौला (दुर्जिन का पुरवा)	506853.00
16	प्रेम के घर से तिराहा (जउरी वीर) तक खडंजा निर्माण -रौला (दुर्जिन का पुरवा)	911679.00

6	बसहा नाला से तिराहा (जउरी वीर)तक खडंजा निर्माण -रौला (दुर्जिन का पुरवा)	962473.00
7	पांडे के घर से कृपा नाई के घर तक खडंजा निर्माण -रौला	339606.00
8	बांस की कोठी से चंद्रकांत शुक्ला के खेत तक खडंजा निर्माण-रौला	405133.00
9	शिव भोला के घर से छोटू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य- रेतीखुर्द बुजुर्ग	933251.00
	योग	7535550.00

(i) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की सड़कों को वर्गीकृत नहीं किया गया है , जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्मित / मरम्मत की गयी सड़कें दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें थीं | क्षेत्र पंचायत को उनका निर्माण / मरम्मत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों में दोहरीकरण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2005 व जून 2014 में दिशा निर्देश जारी किए गए | ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना था , दो या दो से ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य क्षेत्र पंचायतों के द्वारा कराया जाना था परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कार्य न कराकर एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में उक्त समस्त कार्य कराये गए हैं| जबकि चतुर्थ वित्त आयोग के उपभोग से संबन्धित शासनादेश संख्या 1839 / 33.03.2015 / 03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यों पर क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया जाएगा | स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का स्पष्ट विचलन कर एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादन वाले कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गए हैं ,जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है |

(ii)उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21(2,3) एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड 5 परिशिष्ट 19 नियम 4 के अनुसार टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत समुचित अनुबंध या करार के बिना कोई भी कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा जबकि लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त समस्त निर्माण कार्यों में अनुबंध प्रपत्र(नोटरी द्वारा सत्यापित) अप्राप्त रहे जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है

(iii)- राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार कार्य के पूर्व, कार्य प्रारंभ किये जाने के मध्य और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद मानकों एवं विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए तीनों स्तरों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके |

जबकि लेखा परीक्षा के दौरान कृत कार्यों के तीनों स्तरों के फोटोग्राफ एवं साइन बोर्ड लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे उदाहराणार्थ शिव भोला के घर से छोटू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में तीनों स्तरों के फोटोग्राफ एवं साइन बोर्ड लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिससे स्पष्ट है कि अनियमित भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है |

(iv) लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए उक्त निर्माण कार्यों में खनिजों एवं उप खनिजों का उपयोग किया गया है परंतु संबंधित कार्यों की पत्रावली में रॉयल्टी जमा करने की पुष्टि में न तो एम॰एम॰ 11 और न ही रॉयल्टी जमा प्रमाण स्वरूप चालान की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है **|** जबकि शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं ,और तत्क्रम अनुवर्ती शासनादेश में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्राप्त किए जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किए गए हैं | आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016- 292/2015 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार वैध फार्म 3सी प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे मामलों जिनमें एमएम-11 फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके बिलों पर भुगतान के पूर्व निर्धारित दर से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्ष में अवश्य जमा करा ली जाए, इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-2020-52(सा)/2019टी सी दिनांक 23 जून 2020 द्वारा निर्देश दिए गए है कि प्रयुक्त उपखनिजो पर देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था /विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान किया जाये, यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा ,इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है|

(v) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित

क्रम सं.	**कार्य का नाम**	**लेबर सेस**
1	अयोध्या के खेत से हरदेव लाल बाला मंदिर तक खडंजा निर्माण -नकफुलहा	9904.00
2	सूरज ट्यूबेल से बसहानाला की ओर खडंजा निर्माण -रौला	9645.00
3	राजू शुक्ला के खेत से औसान की कोठरी तक खडंजा निर्माण -रौला (दुर्जिन का पुरवा)	5069.00
4	प्रेम के घर से तिराहा (जउरी वीर) तक खडंजा निर्माण -रौला (दुर्जिन का पुरवा)	9117.00

5	बसहा नाला से तिराहा (जउरी वीर)तक खडंजा निर्माण -रौला (दुर्जिन का पुरवा)	9628.00
6	पांडे के घर से कृपा नाई के घर तक खडंजा निर्माण -रौला	3396.00
7	ट्यूबेल (तिराहा) से पक्की रोड हनुमान मंदिर तक खडंजा निर्माण - रौला	7090.00
8	संतोष यादव के मुर्गी फार्म से चंद्रकांत शुक्ला के खेत तक खडंजा निर्माण-रौला	8127.00
9	बांस की कोठी से चंद्रकांत शुक्ला के खेत तक खडंजा निर्माण-रौला	4051.00
10	शिव भोला के घर से छोटू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य- रेतीखुर्द बुजुर्ग	9333.00
	योग	75360.00

कार्यो में क्रम संख्या 01 से 06 तक रू 46759.00 लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है तथा क्रम संख्या 07 से 10 तक रू 28601.00 लेबर सेस की कटौती करके राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा नहीं की गई है जबकि लेबर सेस की कटौती कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु सेवा की शर्तों को विनियमित करने तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम(अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार) रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम (नियम, 2009 बनाया। नियम यह प्रावधानित करता है कि ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। प्रमुख अभियंता ने समस्त खण्डों को कर्मकार उपकर की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित) अप्रैल 2010) किया। प्रमुख अभियन्ता) विकास (एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक -19 एम०टी० / सामान्य वर्ग / 40एम0टी0-45 / 2017 दिनांक 19/12/2017 के अनुसार बिड डाक्यूमेन्ट्स में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट हैं, जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। उक्त के क्रम में एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाये एवं समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये। कटौती के उपरांत दिनांक 26.03.2010 के आदेश के क्रम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले उपकर की प्राप्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस

प्रकार उक्त कार्यों में लेबर सेस की कटौती न करके और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है |

इस प्रकार उक्त समस्त कार्यों में सुसंगत नियम का उल्लंघन कर कुल रू 7535550.00 की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख श्री अशुवेन्द्र प्रताप सिंह तथा तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक कुमार उत्तरदायी हैं | उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम179 के उपनियम-1के अनुसार उक्त हानि/अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख ,तथा तत्कालीन लेखाकार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में, उक्त धनराशि रू 7535550.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 1558487.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचंद्र पटेल से, रू 953363.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री शशि कुमार तिवारी से रू 2511850.00 ब्लॉक प्रमुख श्री अशुवेन्द्र प्रताप सिंह से तथा रू 2511850.00 तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर- 06 क्षेत्र पंचायत - सताँव आपत्ति सं0- 13

क्षेत्र पंचायत की 2021-22 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेंसी हेतु व्यय धनराशि रु 824334.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख, प्रमाणक / बिल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये और न ही ग्रांट रजिस्टर 2 में पूर्ण रूप से लेखांकन किया गया है जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वय दावेदार का बिल होगा अथवा जहा इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो। लेकिन उक्त नियम का उलंघन हुआ है। इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 842334.00 का अनियमित भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम-1 के अनुसार उक्त हानि/अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख तथा तत्कालीन लेखाकार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रु 824334.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 280778.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से, रू 280778.00 ब्लॉक प्रमुख श्री अशुवेन्द्र प्रताप सिंह से तथा रू 280778.00 तत्कालीन लेखाकार श्री दीपक कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर- 07 क्षेत्र पंचायत - सरेनी आपत्ति सं0-15

क्षेत्र पंचायत की 2019-20 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेंसी हेतु व्यय धनराशि रू4176022.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख,प्रमाणक/बिल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये और नही ग्रांट रजिस्टर 2 में पूर्ण रूप से लेखांकन किया गया है जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका । क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली

1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वय दावेदार काबिल होगा अथवा जहा इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो । लेकिन उक्त नियम का उल्लंघन हुआ है | इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 4380410.00 का अनियमित भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | उ.प्र.क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम-1 के अनुसार उक्त हानि / अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखाकार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ,अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू 4176022.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 2088011.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से तथा रू 2088011.00 तत्कालीन लेखाकार श्री संतोष श्रीवास्तव से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर- 08 क्षेत्र पंचायत - सरेनी आपत्ति सं0-16

क्षेत्र पंचायत की 2019-20 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेंसी हेतु व्यय धनराशि रू 4176022.00 तथा प्रधानमंत्री आवास कँटीजेन्सी हेतु रु 204388.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख,प्रमाणक / बिल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये और नही ग्रांट रजिस्टर 2 में पूर्ण रूप से लेखांकन किया गया है जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका । क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वय दावेदार का बिल होगा अथवा जहा इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो । लेकिन उक्त नियम का उल्लंघन हुआ है | इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 204388.00 का अनियमित भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम-1 के अनुसार उक्त हानि / अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन लेखा कार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू 204388.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 102294.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से, रू 102194.00 तत्कालीन लेखाकार श्री संतोष श्रीवास्तव से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर- 09 क्षेत्र पंचायत - सरेनी

आपत्ति सं0-15

क्षेत्र पंचायत की 2020-21 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेंसी हेतु व्यय धनराशि रू 823382.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख,प्रमाणक / बिल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये और नही ग्रांट रजिस्टर 2 में पूर्ण रूप से लेखांकन किया गया है जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वय दावेदार का बिल होगा अथवा जहा इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो । लेकिन उक्त नियम का उल्लंघन हुआ है | इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 823382.00 का अनियमित भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | उ.प्र.क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 179 के उप नियम-1 के अनुसार उक्त हानि / अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन

खंड विकास अधिकारी डॉ 0 अवनीन्द्र तिवारी तथा तत्कालीन लेखा कार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है , अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू 823382.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 411691.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी डॉ 0 अवनीन्द्र तिवारी से तथा रू 411691.00 तत्कालीन लेखा कार श्री संतोष श्रीवास्तव से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर- 10 क्षेत्र पंचायत - सरेनी आपत्ति सं0-15

क्षेत्र पंचायत की 2021.22 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कंटीजेंसी हेतु व्यय धनराशि रू 1023246.00 के व्यय से संबंधित कोई भी सुसंगत अभिलेख, प्रमाणक /बिल वाउचर एवं पत्रावली बार बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये और न ही ग्रांट रजिस्टर 2 में पूर्ण रूप से लेखांकन किया गया है जिसके अभाव में उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। क्षेत्र पंचायत तथाजिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 64 के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की दावा बिल के रूप न प्रस्तुत किया जाए जो या तो स्वय दावेदार का बिल होगा अथवा जहा इस नियमावली द्वारा ऐसा नियत हो । लेकिन उक्त नियम का उलँघन हुआ है| इस प्रकार बिना प्रमाणक एवं बिल वाउचर के कुल रुपये 1023246.00 का अनियमित भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | उ.प्र.क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली1965के नियम179 के उपनियम-1के अनुसार उक्त हानि/अपव्यय या दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख,तथा तत्कालीन लेखाकार द्वारा संसूचित किये गए अधियाचन के दिनांक से दो महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ,अन्यथा कि स्थिति में उक्त धनराशि रू 1023246.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 511623.00 तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से, तथा रू 511623.00 तत्कालीन लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर- 11 क्षेत्र पंचायत - लालगंज आपत्ति सं0-17

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा मे फण्ड रजि.-2 के अनुसार-आलोच्य वर्ष मे कराये गये विभिन्न निमार्ण कार्यो में आपत्तियां निम्नवत है-

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य	एस्टीमेट के अनुसार	एम0बी0 के अनुसार	अंतर	दर (रु)	अंतर की धनराशि
1.	बहरामपुर में खण्डजा निमार्ण- रमेश शर्मा के घर से महादेव के घर तक	ईट का कार्य	1320.00 वर्गमी	1369.45 वर्गमी	49.45	530.00	26208.50
2.	बहाई में इण्टर लाकिंग- मेन रोड से भुल्लु के घर तक	पी.सी.सी. 1:6:12	2.25 घनमी	2.80 घनमी	0.55	4444.00	2444.20
		ईट का कार्य 1%4	6.90 घनमी	7.91 घनमी	1.01	6197.00	6258.97
		पी.सी.सी. 1:6:12	0.58 घनमी	0.77 घनमी	0.19	6787.00	1289.53
		इण्टर लाकिंग	147.90 वर्गमी	161.54 वर्गमी	13.64	979.00	13353.56

3.	बेहटा में इण्टर लाकिंग-शीतलीदीन के घर से छेददू के घर तक	मिट्टी का कार्य	12.00 घनमी	13.32 घनमी	1.32	155.00	204.60
		इण्टर लाकिंग	295.80 वर्गमी	367.85 वर्गमी	72.05	979.00	70536.95
4.	रधुनाथगंज में इण्टर लाकिंग-मेन रोड से खजूरगाँव तक इण्टर लाकिंग	मिट्टी का कार्य	12.00 घनमी	18.43 घनमी	6.43	155.00	996.65
		इण्टर लाकिंग	295.80 वर्गमी	348.35 वर्गमी	52.55	979.00	51446.45
5.	जमुवावां में इण्टर लाकिंग-फैयाज के घर से पुलिया तक	मिट्टी का कार्य	12.00 घनमी	18.42 घनमी	6.42	155.00	995.10
		ईट का कार्य	13.80 वर्गमी	15.46 वर्गमी	1.66	6197.00	10287.02
		इण्टर लाकिंग	295.80 वर्गमी	352.95 वर्गमी	57.15	979.00	55949.85
6.	चिलौला में इण्टर लाकिंग-डामर रोड से छिट्टन के घर तक	इण्टर लाकिंग	295.80 वर्गमी	376.90 वर्गमी	81.10	979.00	79396.90
7.	विकास खण्ड परिसर में टाइप 2-आवास की मरम्मत व रंगाई पुताई कार्य	32 एम.एम. प्लाईवुड	55.02 वर्गमी	66.42 वर्गमी	11.40	1385.00	15789.00
		ग्लास विन्डो	08 नं0.	11 नं0.	03	3362.00	10086.00
		फाइबर सीट	22.50 वर्गमी	25.77 वर्गमी	3.27	692.00	2262.84
	महायोग	--	--	--	--	--	347506.12

अतएव आलोच्य वर्ष मे कराये गये उपरोक्त विभिन्न निमार्ण कार्यो के एस्टीमेट एवं एम0बी0 मे अंतर के कारण कार्यो का मानक से अधिक (कुल रु- 347506.12) भुगतान किया गया। इस अंतर की धनराशि से सबंधित कोई भी स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा में जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतानों की पुष्टि समस्त सम्यक अभिलेखों से करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में लेखा सिद्धान्तों के अनुसार गबन मानते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियो से इसकी वसूली मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

जनपद- उन्नाव

क्षेत्र पंचायत- बीघापुर वर्ष -2021-22

प्रस्तर-1

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की समीक्षा बैठक दिनांक 20-10-2023 में निर्गत निर्देशों उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या -3036 / 33 / सेल / 2023 दिनांक - 20-10-2023 व मुख्य विकास अधिकारी , उन्नाव के पत्र संख्या - 2176 / लेखा परीक्षा / 2022 - 23 दिनांक 27-10 2023 के क्रम में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को क्षेत्र पंचायत / ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021 - 22 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा हेतु निर्गत निर्देशों एवं सहायक निदेशक / जिला लेखा परीक्षा अधिकारी , सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा , उन्नाव के ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1-11-2023 से दिनांक 10-11-2023 तक अनुमोदित लेखा परीक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या - 022223 दिनांक 03-11-2023 व पत्र संख्या - 032223 दिनांक 07-11-2023 के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी , बीघापुर को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के पश्चात भी क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा को गंभीरता से न लेते हुए सहयोग नही प्रदान किया गया |

विकास खण्ड बीघापुर , उन्नाव में कार्यरत लेखाकार द्वारा अपने से पूर्व के लेखाकार के कार्यकाल से सम्बंधित होने के कारण लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने वाले महत्वपूर्ण आवश्यक अभिलेखों (सूची संलग्न) में बैंक खातों का विवरण .ग्रांट रजिस्टर-3 और कुछ कार्य पत्रावलियों के अतिरिक्त किन्ही भी अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया | लेखाकार द्वारा दो ब्लाकों का प्रभार होने का हवाला देकर पूर्ण सहयोग किये जाने में असमर्थता व्यक्त कर लेखा परीक्षा कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाना और अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन और राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किये जाने का परिचायक है | उक्त के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है |

प्रस्तर-2

वित्तीय वर्ष 2021-22 क्षेत्र पंचायत की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर क्षेत्र पंचायत के आय व्यय के दर्ज आकड़ों के प्रारम्भिक अवशेष / वर्ष में प्राप्त आय और व्यय की धनराशियों और क्षेत्र पंचायत के बैंक खातों व ग्रान्ट रजिस्टर -3 की धनराशियों के प्रारम्भिक अवशेष / वर्ष में प्राप्त आय / व्यय की धनराशियों आदि में बड़ा अन्तर है ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सभी बैंक खातों का विवरण उपलब्ध नही है जबकि ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चालू लेखा परीक्षा के क्रम में सभी बैंक खातों और योजनाओ का विवरण और उससे सम्बंधित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए अथवा एक्सटर्नल व्यू के माध्यम से उनकी जांच किये जाने का स्रोत उपलब्ध होना आवश्यक है ताकि अभिलेखों और साक्ष्यों आदि की विस्तृत जांच की जा सके | केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा डिजीटलाईजेशन को बढ़ावा दिए जाने और पब्लिक डोमेन में पारदर्शिता कायम करने के लिए किसी भी संस्था के आय व्यय सम्बन्धी आकड़े व अन्य सूचनाएं ऑनलाइन फीड कराए जाते हैं | ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड क्षेत्र पंचायत की ऑनलाइन कैशबुक तथा बैंक खातों व ग्रान्ट रजिस्टर की धनराशियों के प्रारम्भिक अवशेष / वर्ष की आय / व्यय की धनराशियों में बड़े अंतर को द्रष्टिगत रखते हुए किसी भी गंभीर अनियमितता / धनराशियों के अपहरण की संभावना प्रतीत होती है | अतः समस्त क्षतिपूर्ति की धनराशियों की ब्याज सहित बराबर अनुपात में सम्बन्धितों से वसूल किया जाना चाहिए सक्षम अधिकारियों का गम्भीरता के साथ इस ओर विशेष ध्यान आकृष्ट कराया जाता है |

क्षेत्रपंचायत बीघापुर ,उन्नावआनलाइन वर्ष - 2020-21 के आय व्यय का विवरण							
क्र.स.	मद का नाम	प्रा०अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम अवशेष		
					बैंक में	नगद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	द्वितीय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त						
2	तृतीय राज्य वित्त आयोग सेप्राप्त	2459791			2459791		2459791
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग सेप्राप्त	3335877			3335877		3335877
4	पंचमराज्य वित्त आयोग से प्राप्त	1946781	6614227	6500633	2060375		2060375
5	बारहवेंवित्तआयोग से प्राप्त	99168			99168		99168
6	तेरहवेंवित्तआयोग से प्राप्त	467499			467499		467499
7	चौदहवे वित्तआयोग से प्राप्त						

8	पन्द्रहवेंवित्तआयोग से प्राप्त	13826038	10482591	12389560	11919069		11919069
9	कैश इन हैण्ड	1000000				1000000	1000000
10	मनरेगा						
11	खाता स.6 निर्मल भारत अभियान						
12	यदि मदों से प्राप्त आय						
13	राष्ट्रीय ग्राम स्वराजअभियान						
14	ऑनलाइन कैशबुक आय व्ययोग	23135154	17096818	18890193	20341779	1000000	21341779

क्षेत्र पंचायत बीघापुर ,उन्नाव वर्ष -2020-21 बैंक खातों के आयव्यय का विवरण							
क्र0स0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**प्रा०अवशेष**	**वर्ष में प्राप्त**	**वर्ष में व्यय**	**अन्तिम अवशेष बैंक में**	**योग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	पंजाब नेशनल बैंक	3355000101274210	4994998.08	8585631	7111199	6469430.08	6469430.08
2	पंजाब नेशनल बैंक	3355000101367880	10399371	13547321	12303717	11642975	11642975
3	पंजाब नेशनल बैंक	1636000100134180	110490.03	3263	70.8	113682.23	113682.23
4	पंजाब नेशनल बैंक	1636000100104840	231727.49	6844	70.8	238500.69	238500.69
5	पंजाब नेशनल बैंक	589000100362244	1293847.8	809799	833342	1270304.8	1270304.8
6	आर्यवत बैंक	11510210000003	3181.4	5980710	5981034.5	2856.9	2856.9
7	आर्यवत बैंक	11510100002420	357311.45	367458	424068	300701.45	300701.45
8	एस0बी0आई	65103192158	266234	502313	768547		
9	**समस्त बैंक खातों का आय व्ययोग**		**17657161.25**	**29803339**	**27422049.1**	**20038451.2**	**20038451.15**

क्षेत्र पंचायतबीघापुर ,उन्नाव वर्ष -2020-21 केआयव्यय के अन्तर का विवरण							
क्र0स0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**प्रा०अवशेष**	**वर्ष में प्राप्त**	**वर्ष में व्यय**	**अन्तिम अवशेष बैंक में**	**योग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	ई ग्राम स्वराज के अनुसारआय व्यय	23135154	17096818	18890193	20341779	1000000	21341779
2	बैंक खातों के अनुसार आय व्यय	17657161.25	29803339	27422049.1	20038451.15		20038451.15
3	ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार आय व्यय	8366559.25	41829391	30158274.1	20037676.15		20037676.15
4	**क्रमांक 1 व 2 केअनुसार अन्तर**	**5477992.75**	**12706521**	**8531856.1**	**303327.85**	**1000000**	**1303327.85**
5	**क्रमांक 1 व 3 केअनुसार अन्तर**	**14768594.75**	**24732573**	**11268081.1**	**304102.85**		**1304102.85**

प्रस्तर-3 वित्तीय वर्ष 2021-22 क्षेत्र पंचायत की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर क्षेत्र पंचायत के बैंक विवरणानुसार पी0 एन0 बी0 बैंक खाता संख्या -1636 में 4 केंद्र वित्तकी अवशेष धनराशि रूपया - 127146 व तेरहवें वित्त की अवशेष धनराशि रूपया-3797.00 कुल रूपया-130943.00 व इसी प्रकार रूरल बैंक खाता संख्या -9844 में बारहवें वित्त की अवशेष धनराशि रूपया - 99168.00 व तेरहवें वित्त की अवशेष धनराशि रूपया -428000.00 कुल रूपया - 527168.00 की धनराशि खातों में जमा दर्शाई गयी है परन्तु सम्बंधित बैंक खातों की न तो बैंक पासबुकें / स्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया और न ही ग्रांट रजिस्टर में इन बैंक खातों व धनराशियों का विवरण दर्ज है | अतः उक्त खातों से सम्बंधित धनराशियों की प्रमाण सहित उनके व्यय अथवा समर्पण किये जाने की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है | केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा डिजीटलाईजेशन को बढ़ावा दिए जाने और पब्लिक डोमेन में पारदर्शिता कायम करने के लिए किसी भी संस्था के आय व्यय सम्बन्धी आकड़े व अन्य सूचनाएं फीड कराए जाते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड बैंक की धनराशियों के मिलान न हो पाने की स्थिति में उक्त धनराशियों को ब्याज सहित वसूल किया जाने की ओर सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

प्रस्तर-4 वित्तीय वर्ष 2021 -22 विकास खण्ड बीघापुर , उन्नाव की अनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि दिनांक 01-04-2021 को बैंक खातों से प्राप्त आय का प्राम्भिक अवशेष रूपया - 17657161.25 है जबकि ग्रांट रजिस्टर पार्ट-3 के अनुसार रूपया- 8366559.25 दर्ज है जिसमें 15 केंद्र वित्तका भुगतान रुपया 9114888 .00 व चेक संख्या 279770 दिनांक 1-1- 2020 के माध्यम से वाणिज्य कर के सम्बन्ध में निर्गत चेक रूपया - 93481.00 की धनराशि कुल रूपया - 9208369.00 की धनराशि अन कैश चेकों के रूप में दर्शाए गये हैं परन्तु फिर भी बैंक खातों के प्रारम्भिक अवशेष व ग्रान्ट रजिस्टर के प्रारम्भिक अवशेष में रूपया - 82233.00 का अंतर है उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयीं हैं न ही कोई विवरण ग्रान्ट रजिस्टर में अंकित किया गया है यही नही अनकैश चेकों के भुगतान की पूर्व में दर्शाई गयी इतनी बड़ी धनराशि को पुनः माह जून में ग्रांट रजिस्टर में आय के रूप में शामिल किया जाना संदिग्ध है | कार्यरत लेखाकार से अन कैश चेकों का ब्योरा मांगे जाने पर उनके द्वारा अपने से पूर्व के लेखाकार के कार्यकाल से सम्बंधित होने के कारण लेखा परीक्षा हेतु कोई भी विवरण प्रस्तुत किए जाने मे असमर्थतता व्यक्त की गई | **उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो |**के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य प्रकरण है | **उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो |**के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य प्रकरण है |

प्रस्तर-5 वित्तीय वर्ष 2021-22 क्षेत्र पंचायत की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत के जी0पी0 डी0पी0 निधि पी0एन0बी0बैंक खाता संख्या 0589000100362244 के नगद चेकों के भुगतान / - कुल रूपया833342.00 की धनराशि से सम्बंधित चेकों की काउन्टर फाईल बिल वाउचर्स / पत्रावलियां / आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयीं| **उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा) सामान्य लेखा) नियमावली1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो |** के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य प्रकरण है |

जी0पी0डी0पी0 खाता 0589000100362244 से नगद और चेक के माध्यम से आहरित धनराशि				
क्र0स0	**चेक संख्या नगद /**	**दिनांक**	**आहरित धनराशि**	**भुगतान प्राप्तकर्ता विवरण**
1	537064	14/06/2021	24048	अप्राप्त
2	537066	09/07/2021	23200	अप्राप्त
3	537067	17/07/2021	8016	अप्राप्त
4	537065	22/07/2021	7190	अप्राप्त
5	537068	26/07/2021	29207	अप्राप्त
6	537070	08/09/2021	7030	अप्राप्त
7	537069	08/09/2021	16032	अप्राप्त
8	537072	13/10/2021	168658	अप्राप्त
9	537073	26/10/2021	171284	अप्राप्त
10	537076	18/11/2021	12764	अप्राप्त
11	537074	24/11/2021	21678	अप्राप्त
12	537077	26/11/2021	12264	अप्राप्त
13	537078	07/01/2022	26432	अप्राप्त
14	537079	10/02/2022	75692	अप्राप्त
15	537080	10/02/2022	102123	अप्राप्त
16	537082	28/02/2022	28566	अप्राप्त
17	537083	07/03/2022	48096	अप्राप्त
18	537084	07/03/2022	51062	अप्राप्त
कुल व्यय			**833342**	

प्रस्तर-6 शासनादेश संख्या 752/36/-2-10-46/2010 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर 2010 के अनुसार " लेबर सेस निर्माण कार्यों " में व्ययित धनराशि का 1 प्रतिशत काटकर " उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सान्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड " के पक्ष में जमा किया जाना चाहिए, लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि लेवर सेस से सम्बंधित धनराशि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार रूपया - 154392.00 जो कि पूर्व के वर्षों से प्राप्त आय थी इसी प्रकार रूपया - 154924.00 वर्ष में अर्जित किया जाना दर्शाया गया है वर्ष की कुल

धनराशि रूपया- 309316 थी वर्ष में जिसमे से रूपया - 217935.00 शेष है जिसे जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है सक्षम अधिकारियों से सम्बन्धितों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-7 वित्तीय वर्ष 2021 -22 विकास खण्ड बीघापुर , उन्नाव की अनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदा प्रकाशन हेतु 5केंद्र वित्तकी अनुदान राशि से रूपया -84000.00 व्यय किया गया है परन्तु कार्य पत्रावलियों में एक भी समाचार पत्र की मूल प्रति संलग्न नही पायी गयी लेखाकार द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी व्यय की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे नियमानुसार वास्तविक व्यय की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका | **उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो |** के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य प्रकरण है |

क्र.स.	**फर्म का नाम**	**व्यय की गयी धनराशि**	**कार्य विवरण**
01	एनवी. पी. एस. मीडिया .	42000.00	निविदा विज्ञापन हेतु
02	रमेशथा मीडिया	42000.00	निविदा विज्ञापन हेतु
	कुल व्यय की धनराशि	**84000.00**	

प्रस्तर-8 वित्तीय वर्ष 2021 -22 विकास खण्ड बीघापुर , उन्नाव की अनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निविदा प्रकाशन हेतु 15केंद्र वित्तकी अनुदान राशि से रूपया -88453.00 व्यय किया गया है परन्तु कार्य पत्रावलियों में एक भी समाचार पत्र की मूल प्रति संलग्न नही पायी गयी लेखाकार द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी व्यय की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे नियमानुसार वास्तविक व्यय की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो सका | **उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो |** के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य प्रकरण है |

क्र.स.	**फर्म का नाम**	**व्यय की गयी धनराशि**	**कार्य विवरण**
01	ए0जे0. प्रकाशन	88453.00	निविदा विज्ञापन हेतु
	कुल व्यय की धनराशि	**88453.00**	

प्रस्तर-9 वित्तीय वर्ष 2021 -22 विकास खण्ड बीघापुर , उन्नाव की अनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर पार्ट -3 में बैंक पास बुकों के अनुसार पूर्व ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीता सिंह को रूपया-44574.00 का भुगतान किया गया है परन्तु मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह जांच किया जाना संभव नही हो सका की पूर्व में कितना मानदेय भुगतान किया जा चुका है | **उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18**

के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो |के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य प्रकरण है |

प्रस्तर-10 वित्तीय वर्ष 2021 -22 विकास खण्ड बीघापुर , उन्नाव की अनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि में 5केंद्र वित्तअनुदान राशि से एक ही दिन में अलग अलग 7 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट कार्य व्यय पर रूपया -86725 प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से **कुल रूपया - 607068** व्यय कालिका इन्टरप्राइसेस को भुगतान कर किया गया है परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये जिससे जांच किया जाना संभव नही हो सका कि व्यय नियमानुसार किया गया है अथवा नही अतः **उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो |**के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य प्रकरण है |

प्रस्तर-11 आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के बिलों से आयकर की कटौती किये जाने के उपरांत ही भुगतान किये जाने का प्राविधान है। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार आयकर से सम्बंधित धनराशि रूपया - 308382.00 जो कि पूर्व के वर्षों से प्राप्त आय थी इसी प्रकार वर्ष में रूपया - 309445.00 वर्ष में अर्जित किया जाना दर्शाया गया है वर्ष की कुल धनराशि रूपया- 617827 थी | जिसमे से मात्र रूपया - 308382.00 ही जमा दर्शाई गयी रूपया - 309445.00 शेष है लेखा परीक्षा के दौरान कैश बुक अथवा जमा चालान न उपलब्ध कराये जाने से काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने की पुष्टि न हो सकी। जिसे जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है सक्षम अधिकारियों से सम्बन्धितों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-12 वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार जी0एस0टी0 से सम्बंधित धनराशि रूपया - 308394.00 जो कि पूर्व के वर्षों से प्राप्त थी इसी प्रकार वर्ष में रूपया - 309445.00 की धनराशि वर्ष में अर्जित किया जाना दर्शाया गया है वर्ष की कुल धनराशि रूपया- 617839 थी | जिसमे से मात्र रूपया - 308382.00 ही जमा दर्शाई गयी रूपया - 309457.00 शेष है लेखा परीक्षा के दौरान कैश बुक अथवा जमा चालान न उपलब्ध कराये जाने से काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने की पुष्टि न हो सकी। जिसे जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है सक्षम अधिकारियों से सम्बन्धितों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-13 वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार वाणिज्य कर से सम्बंधित धनराशि रूपया - 93481.00 जो कि पूर्व के वर्षों से प्राप्त थी जिसका भुगतान अनकैश चेक स0 279770 दिनांक -1-1-2020 के रूप में दर्शाया गया था बाद में इसी प्रकार वर्ष में रूपया - 93481.00 की धनराशि वर्ष में अर्जित किया जाना दर्शाया गया है वर्ष की कुल धनराशि रूपया- 93481.00 थी | जिसमे से मात्र रूपया - शून्य ही जमा दर्शाई गयी रूपया - 93481.00 शेष है लेखा परीक्षा के दौरान कैश बुक अथवा जमा चालान न उपलब्ध कराये जाने से काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने की पुष्टि न हो सकी। जिसे जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है सक्षम अधिकारियों से सम्बन्धितों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-14 वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार जमानत की धनराशि रूपया - 1548305.00 जो कि पूर्व के वर्षों से प्राप्त थी इसी प्रकार वर्ष में रूपया - 1237762.00 की धनराशि वर्ष में अर्जित किया जाना दर्शाया गया है वर्ष की कुल धनराशि रूपया- 2786067.00 थी | जिसमे से मात्र रूपया - 699423.00 ही भुगतान में दर्शाई गयी रूपया - 2086644.00 शेष है लेखा परीक्षा के दौरान कैश बुक अथवा सम्बन्धित पत्रावली आदि उपलब्ध कराये जाने से वापस की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी। सक्षम अधिकारियों से सम्बन्धितों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-15 वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार जे0आर0वाई0 से सम्बंधित धनराशि रूपया - 347899.45 है जबकि बैंक खाता के अनुसार रूपया 357311.45 जो कि पूर्व के वर्षों से प्राप्त थी उसमे रूपया- 9412.00 कम दर्शाई गयी है इसी प्रकार वर्ष की प्राप्ति बैंक अनुसार रूपया - 424068.00 है जो ग्रान्ट रजिस्टर में 342568.00 कम दर्शाई गयी है वर्ष की बैंक के अनुसार कुल प्राप्ति धनराशि रूपया-724769.45 थी जो ग्रान्ट रजिस्टर में 360026.00 कम दर्शाई गयी है | इसी प्रकार ग्रान्ट रजिस्टर में व्यय रूपया - 342568.00 की धनराशि जो कि आर0टी0जी0एस0 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के खाते में ट्रांसफर की गयी है को कम दर्शाया गया है | प्रधानमंत्री आवास और बी0 डी0 ओ0 को रूपया - 424068.00 से सम्बंधित पत्रावली अनुपलब्ध रही जिससे पुष्टि न हो सकी जिस कारण किसी भी अनियमितता से इनकार नही किया जा सकता है । सक्षम अधिकारियों का विशेष ध्यान आकृष्ट कराया जाता है |

प्रस्तर-16 वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार बी0आर0जी0एफ0 से सम्बंधित धनराशि का प्रारम्भिक अवशेष रूपया - 224631.59 है जबकि बैंक खाता के अनुसार रूपया 231727.49 जो कि पूर्व के वर्षों से प्राप्त थी उसमे रूपया- 7095.90 कम दर्शाई गयी है इसी प्रकार वर्ष की प्राप्ति बैंक अनुसार रूपया - 6844 है जो ग्रान्ट रजिस्टर में शून्य दर्शाई गयी है | वर्ष की बैंक के अनुसार कुल प्राप्ति धनराशि रूपया-231578.49 थी जो ग्रान्ट रजिस्टर में शून्य दर्शाई गयी है | इसी प्रकार वर्ष का बैंक के अनुसार व्यय व्यय रूपया - 70.80 है जो ग्रान्ट रजिस्टर में व्यय

रूपया - शून्य की धनराशि दर्शाई गयी है | इस प्रकार बी0आर0जी0एफ0 से सम्बंधित धनराशि के आय व्यय के विवरण को ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शाए न जाने के कारण गंभीर अनियमितता से इनकार नही किया जा सकता है । अतः **उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो |**के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य प्रकरण है सक्षम अधिकारियों का विशेष ध्यान आकृष्ट कराया जाता है |

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि 5केंद्र वित्तकी अनुदान राशि से रूपया - 5525625.00 के कराये गये कार्यों की निविदा प्रक्रिया में टेण्डर / कोटेशन मैनेज्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया गया है क्योंकि सभी सम्बन्धित प्रपत्रों पर एक ही व्यक्ति द्वारा लेखांकन किया गया है जबकि प्रपत्र अलग-अलग फर्मों से सम्बन्धित दर्शाए गये हैं। जानबूझकर नियमों के बिपरीत एवं लाभ पाने एवं पहुचाने के दृष्टिकोण से भारी अनियमितता की गयी है पत्रावलियों की जॅच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 अध्याय दो के नियम 19 से 30 में अंकित टेण्डर प्राविधानों के विपरीत कराया गया है। नियमावली में अंकित किसी भी प्रक्रिया का पालन नही किया गया है।
1-निविदा आमंत्रण का विज्ञापन प्रमाण-पत्र (समाचार-पत्र) वर्क फाइलों में नहीं पाया गया लेखाकार से बार बार मांगे जाने पर भी यह कहा गया कि उक्त कार्य पूर्व में कार्यरत लेखाकार के सेवाकाल से सम्बंधित हैं प्रस्तुत किये जाने में असमर्थ हूँ ।

2-निविदा आमन्त्रण के पश्चात टेन्डर प्राप्ति हेतु नियमानुसार कम से कम तीन सप्ताह का समय अवश्य होना चाहिए जिसका पालन नही किया गया है |
3-क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत कार्यों को कराये जाने वाली पंजीकृत फर्मों / एजेन्सी की सूची ऑनलाइन / ऑफलाइन अनुपलब्ध रही लेखाकार द्वारा प्रस्तुत एक रजिस्टर जिस पर मात्र 4 लोगों के नाम दर्ज हैं और किसी भी सक्षम अधिकारी के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही सम्बंधित एजेंसी का कोई विवरण दर्ज है पंजीकृत ठेकेदारों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया |

4- कितनी निविदाएँ टेन्डर के रूप में प्राप्त हुईं उनसे कितनी आय हुई इसका कोई भी विवरण अप्राप्त रहा |
5-प्राप्त निविदाओं के मोहरबन्द होने का कोई भी साक्ष्य कार्य पत्रावलियों में संलग्न प्रपत्रों से नही मिला पंजीकृत ठेकेदारों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत रजिस्टर में अंकित नामों जिनमे दो सदस्य एक ही परिवार के पिता पुत्र हैं उन्हीं दर्ज नामों के आधार पर उलटफेर करते हुए कार्यों की निविदाएँ स्वीकृत या अस्वीकृत कर कार्यादेश निर्गत किये गये हैं एजेंसी या ठेकेदार द्वारा भरा कोई भी निविदा पत्र किसी भी पत्रावली में संलग्न नही पाया गया बिल आफ कांटिटी पर ही औपचारिकता स्वरुप स्वीकृत / अस्वीकृत लिखकर निविदा के चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की गयी है और कार्यादेश निर्गत किये गये हैं |

6- टेन्डर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है टेन्डर प्रपत्रों में संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों का कार्य पत्रावलियों में अभाव है कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण प्रपत्रों को स्वीकार्य न किये जाने की स्थिति के बावजूद अनदेखी कर टेन्डर प्रक्रिया का पालन किये जाने की औपचारिकता मात्र दिखाई गयी है |

7-एम0बी0 जो जेई बिल पर अंकित की गयी थी उससे स्पष्ट था कि कार्य की नाप कार्य स्थल पर जाकर नही की गयी है। सभी मदों पर प्रायः इस्टीमेट डिटो एमबी में उतार दिया गया है, कार्य स्थल पर जाकर एम0 बी0 किये जाने की प्रक्रिया का पालन नही किया गया है ।

8-कार्य के तीनों स्टेप की फोटो पत्रावली में संलग्न नही थी। जानबूझकर उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद ऐसा नही किया गया है ताकि किसी जाँच में तथ्यों एवं प्रमाण को छिपाया जा सके।

9-पी0डब्लू0डी0 से स्वीकृत प्राक्कलन पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। स्वीकृत प्राक्कलन पी0डब्लू0डी0 विभाग से कराकर माप पुस्तिका में दर्ज नही किया गया ।

10-निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि0 में अंकित किये जाने का प्रमाण पत्र की जांच सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण नही हो सकी |

11-निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत नजरी नक्शा पत्रावली मे संलग्न नही है।

12 -साल्वेन्सी सार्टीफिकेट वर्क फाइलों में नहीं पाया गया।

13- आयकर विभाग, व्यापार कर विभाग द्वारा निविदा दाताओं के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्क फाईलों में नहीं पाया गया है।

14-जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त ठेकेदार की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित, सन्तोषजनक गतिविधिया सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में वर्क सभी फाइलों में नही पाया गया ।

15-उक्त नियमावली के अध्याय दो के नियम 38 के विपरीत पत्रावली में कार्य समाप्ति का प्रमाण-पत्र / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

16-यह भी उल्लेखनीय है कि सभी कार्यों में श्री पंजीकृत रजिस्टर पर अंकित नामों में से ही निविदा का चयन किया गया है तथा निविदा दाता के रूप में भी उन्ही के नाम वर्क फाइलों में पाये गये है, जिससे स्पष्ट है कि निविदा आमंत्रण का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया है।

17-नियमों अधिनियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से प्रमुख क्षेत्र पंचायत को भी संस्था प्रमुख / अध्यक्ष होने के नाते जन कल्याणकारी योजनाओं के सही वितरण एव क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी गयी है, जिससे जन प्रतिनिधि के रूप में, राज्य की कल्याणकारी सरकार द्वारा लागू योजनाओं का लाभ क्षेत्र के अंतिम एवं पात्र लोगों तक पहूँचाया जा सके। परंतु विकास खण्ड स्तर पर राजकीय अधिकारियेां एवं कर्मचारियों, खण्ड विकास अधिकारी, जे ई आर ई एस, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार / पटल सहायक, द्वारा आधे-अधूरे अभिलेखों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बगैर तथा नियमों, अधिनियमों के विपरीत कार्य कराये जाने पर प्रमुख द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है जबकि प्रायः सभी भुगतान और प्रशासनिक कार्यकलाप उनकी सहमति / अनुमोदनोपरान्त ही होते हैं। यह स्थिति उनके अपने कत्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो | जिसके अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग / पंचम राज्य वित्त आयोग से कराये गये समस्त कार्यों पर हुए व्यय की धनराशि अधिभार योग्य प्रकरण है जिसको ब्याज सहित समानुपातिक अनुपात से सम्बन्धितों से वसूल किया जाना चाहिए है | सक्षम अधिकारियों का विशेष ध्यान आकृष्ट कराया जाता है |

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 ऑनलाइन लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि 15 केंद्र वित्तकी अनुदान राशि से रूपया - 17267653.00 के कराये गये कार्यों की निविदा प्रक्रिया में टेण्डर / कोटेशन मैनेज्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया गया है क्योंकि सभी सम्बन्धित प्रपत्रों पर एक ही व्यक्ति द्वारा लेखांकन किया गया है जबकि प्रपत्र अलग-अलग फर्मों से सम्बन्धित दर्शाए गये हैं। जानबूझकर नियमों के बिपरीत एवं लाभ पाने एवं पहुचाने के दृष्टिकोण से भारी अनियमितता की गयी है पत्रावलियों की जॅच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 अध्याय दो के नियम 19 से 30 में अंकित टेण्डर प्राविधानों के विपरीत कराया गया है। नियमावली में अंकित किसी भी प्रक्रिया का पालन नही किया गया है।

1- निविदा आमंत्रण का विज्ञापन प्रमाण-पत्र (समाचार-पत्र) वर्क फाइलों में नहीं पाया गया लेखाकार से बार बार मांगे जाने पर भी यह कहा गया कि उक्त कार्य पूर्व में कार्यरत लेखाकार के सेवाकाल से सम्बंधित हैं प्रस्तुत किये जाने में असमर्थ हूँ ।

2- निविदा आमन्त्रण के पश्चात टेन्डर प्राप्ति हेतु नियमानुसार कम से कम तीन सप्ताह सप्ताह का समय अवश्य होना चाहिए जिसका पालन नही किया गया है |

3- क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत कार्यों को कराये जाने वाली पंजीकृत फर्मों / एजेन्सी की सूची ऑनलाइन / ऑफलाइन अनुपलब्ध रही लेखाकार द्वारा प्रस्तुत एक रजिस्टर जिस पर मात्र 4 लोगों के नाम दर्ज हैं और किसी भी सक्षम अधिकारी के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही सम्बंधित एजेंसी का कोई विवरण दर्ज है पंजीकृत ठेकेदारों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया |

4- कितनी निविदाएँ टेन्डर के रूप में प्राप्त हुई उनसे कितनी आय हुई इसका कोई भी विवरण अप्राप्त रहा |

5-प्राप्त निविदाओं के मोहरबन्द होने का कोई भी साक्ष्य नही कार्य पत्रावलियों में संलग्न प्रपत्रों से नही मिला पंजीकृत ठेकेदारों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत रजिस्टर में अंकित नामों जिनमे दो सदस्य एक ही परिवार के पिता पुत्र हैं उन्हीं दर्ज नामों के आधार पर उलटफेर करते हुए कार्यों की निविदाएँ स्वीकृत या अस्वीकृत कर कार्यादेश निर्गत किये गये हैं एजेंसी या ठेकेदार द्वारा भरा कोई भी निविदा पत्र किसी भी पत्रावली में संलग्न नही पाया गया बिल आफ कांटिटी पर ही औपचारिकता स्वरुप स्वीकृत / अस्वीकृत लिखकर निविदा के चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की गयी है और कार्यादेश निर्गत किये गये हैं |

6- टेन्डर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है टेन्डर प्रपत्रों में संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों का कार्य पत्रावलियों में अभाव है कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण प्रपत्रों को स्वीकार्य न किये जाने की

स्थिति के बावजूद अनदेखी कर टेन्डर प्रक्रिया का पालन किये जाने की औपचारिकता मात्र दिखाई गयी है

7-एम0 बी0 जो जेई बिल पर अंकित की गयी थी उससे स्पष्ट था कि कार्य की नाप कार्य स्थल पर जाकर नही की गयी है। सभी मदों पर प्रायः इस्टीमेट डिटो एमबी में उतार दिया गया है, कार्य स्थल पर जाकर एम0 बी0 किये जाने की प्रक्रिया का पालन नही किया गया है ।

8-कार्य के तीनों स्टेप की फोटो पत्रावली में संलग्न नही थी । जानबूझकर उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद ऐसा नही किया गया है ताकि किसी जाँच में तथ्यों एवं प्रमाण को छिपाया जा सके।

9-पी0डब्लू0डी0 से स्वीकृत प्राक्कलन पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। स्वीकृत प्राक्कलन पी0डब्लू0डी0 विभाग से कराकर माप पुस्तिका में दर्ज नही किया गया ।

10-निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत के सम्पत्ति रजि0 में अंकित किये जाने का प्रमाण पत्र की जांच सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण नही हो सकी |

11- निर्माण कार्य स्थल का विस्तृत नजरी नक्शा पत्रावली मे संलग्न नही है।

12 - साल्वेन्सी सार्टीफिकेट वर्क फाइलों में नहीं पाया गया।

13- आयकर विभाग, व्यापारकर विभाग द्वारा निविदा दाताओं के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्क फाईलों में नहीं पाया गया है।

14-जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त ठेकेदार की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित, सन्तोषजनक गतिविधिया सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में वर्क सभी फाइलों में नही पाया गया।

15-उक्त नियमावली के अध्याय दो के नियम 38 के विपरीत पत्रावली में कार्य समाप्ति का प्रमाण-पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

16-यह भी उल्लेखनीय है कि सभी कार्यों में श्री पंजीकृत रजिस्टर पर अंकित नामों में से ही निविदा का चयन किया गया है तथा निविदा दाता के रूप में भी उन्ही के नाम वर्क फाइलों में पाये गये है, जिससे स्पष्ट है कि निविदा आमंत्रण का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया है।

17-नियमों अधिनियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से प्रमुख क्षेत्र पंचायत को भी संस्था प्रमुख / अध्यक्ष होने के नाते जन कल्याणकारी योजनाओं के सही वितरण एव क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी गयी है, जिससे जन प्रतिनिधि के रूप में, राज्य की कल्याणकारी सरकार द्वारा लागू योजनाओं का लाभ क्षेत्र के अंतिम एवं पात्र लोगों तक पहुँचाया जा सके । परंतु विकास खण्ड स्तर पर राजकीय अधिकारियें एवं कर्मचारियों, खण्ड विकास अधिकारी, जेई आर ई एस, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार / पटल सहायक, द्वारा आधे-अधूरे अभिलेखों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बगैर तथा नियमों, अधिनियमों के विपरीत कार्य कराये जाने पर प्रमुख द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है जबकि प्रायः सभी भुगतान और प्रशासनिक कार्यकलाप उनकी सहमति / अनुमोदनोपरान्त ही होते हैं। यह स्थिति उनके अपने कत्तव्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः उ0 प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खण्ड 2 के अनुसार कि जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके व्यय किया गया हो | जिसके अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा पन्द्रहवें

वित्त आयोग / पंचम राज्य वित्त आयोग से कराये गये समस्त कार्यों पर हुए व्यय की धनराशि अधिभार योग्य प्रकरण है जिसको ब्याज सहित समानुपातिक अनुपात से सम्बन्धितों से वसूल किया जाना चाहिए है | सक्षम अधिकारियों का विशेष ध्यान आकृष्ट कराया जाता है |

क्षेत्र पंचायत- नवाबगंज वर्ष -2021-22

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत के क्षेत्राधिकार से संबंधित शासनादेश सं0 1838/23-3-2015-07/2015 दि० 31.07.2015 व शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015/2015 दि० 19-05-2015 में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार क्षेत्र पंचायत का कार्यक्षेत्र एक राजस्व गाँव से दो या दो से अधिक राजस्व गाँव के मध्य निर्माण कार्य को कराना है। पर वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से इतर वर्ष में राज्य वित्त मद से रू0 3323437.00 रुपये का आहरण कर ग्राम पंचायत की सीमा में निर्माण कार्य कराया जो अनिमित है।

क्षेत्र पंचायत- मियागंज वर्ष -2021-22

प्रस्तर-20 उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1961 के द्वारा अभिलेखों की गणना एवं रखरखाव वित्त पथ में दिए गए कार्यालय नियमों एवं मानको तथा [सी ए जी] की गाइड लाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है, किन्तु क्षेत्र पंचायत मिवांगंज में पाया गया कि कोष वही (ग्रांट रजिस्टर तृतीय) में रुपये 34620306.62 की धनराशी अंतिम अवशेष के रूप में दर्शित हो रही है, जब कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न मदो की वर्षांत की अवशेष धनराशी रुपये 34710315.72 दर्शित हो रही है। कोष बही एवं बैंक स्टेटमेंट से कुल धनराशी रुपये 90009.10 का अंतर परलक्षित हो रहा है, जो कि आपत्ति का विषय है, उक्त धनराशी की वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से आधी, आधी की जानी चाहिए।

प्रस्तर-21 संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि केन्द्रीय वित्त अनुदान द्वारा कराये गए कार्यों में ग्राम भिटवा में सी सी रोड से भोला के घर तक सी सी रोड निर्माण कराया गया, जिसकी प्राकलित धनराशी रुपये 988000.00 थी, जिसका भुगतान रुपये 986281.00 ठेकेदार शिल्पी मिश्रा को किया गया। उक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं पाया गया, साथ ही इस धनराशी की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से नहीं ली गयी। अतः जिला पंचायत नियमावली 1965 के नियम 179 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीका प्रशनगत कार्य पर किये गए व्यय को दुरुपयोग अपव्यय वर्गीकृत करता है, एवं उक्त दुरुपयोग / अपव्यय की गयी धनराशी रुपये 986281.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार, विकास खंड अधिकारी एवं बनाक प्रमुख से की जानी चाहिए।

प्रस्तर-22 कोश बही से अंतिम अवशेष में अंतर पाया गया रुपया- 90009-00की वसूली तत्कालीन लेखाकार, विकास खंड अधिकारी एवं बनाक प्रमुख से की जानी चाहिए।

क्षेत्र पंचायत- असोहा वर्ष -2021-22

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा कराए जाने के संदर्भ मे शासनादेश संख्या आडिट 1598/दस/2011-322(9) दिनांक 25-07-2011, आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक 805/संप्रेक्षा/क्षेत्र पंचायत ऑडिट/2011-12, पत्रांक-

1013/संप्रेक्षा/क्षेत्र पंचायत ऑडिट 2012 दिनांक 09-01-2012 एवं पत्रांक 1257/संप्रेक्षा अनु0/ऑडिट/सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें /2017-18 दिनांक 20-11-2017 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लेखा परीक्षा दल के द्वारा क्षेत्र पंचायत कि शत प्रतिशत लेखा परीक्षा पूर्ण कराई जाए, किन्तु कई बार लिखित एवं मौखिक सूचना दिए जाने के उपरांत भी राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के व्यय से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः राज्य वित्त कि व्यय धनराशि रु0 86,29,019-00 एवं केन्द्रीय वित्त कि व्यय धनराशि रु० 1,12,09,059-00 से संबंधित पत्रावलियों के अभाव में अपुष्ट रहीं। अतः समस्त व्यय धनराशि रु0 1,98,38,078-00 पर अधिभार कि कार्यवाही करते हुए उक धनराशि कि ब्याज सहित वसूली के लिए तत्कालीन खंड विकास अभिकारी श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं संबंधित लेखाकार को जिम्मेदार माना जाए। इस धनराशि कि वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

क्षेत्र पंचायत- गंजमुरादाबाद वर्ष -2021-22

प्रस्तर-24 वर्ष 2018-19 में को क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय राज्य वित्त आयोग शीर्ष कराये गये निम्न कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में आप्राप्त रही फलतः इन कार्यों पर किये गये व्यय रु0 1968599 अपुष्टि रहा पुष्टि के अभाव में वर्ष 18-19 में किये गये व्यय रु0 1968599 की वसूली तत्कालिक खण्ड अधिकारी श्री अमित कुमार सिंह व एकाउन्टेन्ट श्री उमेश बाजपेयी से ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग शीर्ष के अन्तर्गत कराये गये निम्न कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही अतः इन कार्यों पर किये गये व्यय रु0 2873250 अपुष्टि रहा। अतः पुष्टि के अभाव में वर्ष 19-20 में किये गये निम्न व्यय रु0 2873250 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित कुमार मिश्रा व एकाउन्टेन्ट श्री उमेश बाजपेयी से ब्याज सहित आधी आधी धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- बुलन्दशहर **मण्डल - मेरठ**

प्रारूप - 3

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थों की लेखा परीक्षा में उदघाटित/गम्भीर आपत्तियों/प्रस्तरों का विवरण-
क्षेत्र पंचायत- बुलन्दशहर।

प्रस्तर संख्या 01- क्षेत्र पंचायत डिबाई में लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण अनुसार 15 वां केंद्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्य कराए गए हैं, विवरण निम्न प्रकार से है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि	माप पुस्तिका संख्या	पेज संख्या
1	ग्राम तलवार नगला में डिबाई कर्णवास मार्ग से तलवार नगला की ओर मिटटी खडंजा निर्माण कार्य ।	995274.00	27/ एल	157-58
2	ग्राम चौंढेरा में हरिश्चंद्र के घर से रूपसपुर की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	99147200.	30 / एल	69-71

3	ग्राम नगला सुमाली में धर्मवीर सिंह के घर से कुधैनी संपर्क मार्ग की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	978248.00	30/ एल	89- 91
4	ग्राम बाजिदपुर में काली सड़क से हाइवे तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	450444.00	30/ एल	63- 65
5	ग्राम धारकपुर में बैलोन जरगवां संपर्क मार्ग से धारकपुर नगला की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	990813	30/ एल	60-62
6	ग्राम डिबाई खुर्द में चामुंडा मंदिर दीनदयाल के घर से प्राथमिक विद्यालय की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	71884800.	30/ एल	56-59
7	ग्राम घोसीपुरा में जगदीश गिरी के प्लांट से बम्बे तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	98979500.	30/ एल	66-68
8	ग्राम विजय नगलिया में भगवान दास के घर से बझेरा की ओर मिट्टी खडंजा कार्य	99217400.	27/ एल	159-60
9	ग्राम खुशालाबाद में वकील साहब की ट्यूबवेल से बम्बे की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	97531800.	30/ एल	92-94
10	ग्राम नगला तलवार में गिरवर सिंह के घर से तालाब तक नाला निर्माण कार्य ।	87002100.	30/ एल	76-78, 89-91
11	ग्राम करणसिंहपुर में रोड से नौरंगीलाल के घर से सतोहा मार्ग पर बायी तरफ नाला निर्माण कार्य ।	99631900.	27/ एल	139-41
12	ग्राम गोसमी में महेश शर्मा के घर से ग्राम समाज के गड्ढे तक नाला निर्माण कार्य ।	78446400.	30/ एल	72-74, 81-83
13	महरिया हरिद्वार पुर में राजेंद्र के घर से सोमवीर के खेत तक पोखर की ओर नाला निर्माण कार्य ।	99336400.	27/ एल	142-45
14	ग्राम रामपुर में रोड पर क्रीडास्थल से धारकपुर रजवाहे वाले रास्ते पर दायी तरफ नाला निर्माण कार्य ।	99052400.	27/ एल	136-39
15	ग्राम नगला धारकपुर में उदल के खेत से मोहर सिंह के खेत के बाई तरफ पोखर की ओर नाला निर्माण कार्य ।	99121900.	27/ एल	145-47
16	ग्राम केसरकलां के तिराहे से राजघाट रोड की और दायीं तरफ नाला निर्माण कार्य ।	99533100.	27/ एल	132-35
	योग	**14703618.00**		

उपरोक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच उपरांत निम्न आपत्ति निर्गत की गई है-

1- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में संलग्न फार्म नंबर 27 पर माप पुस्तिका एवं पेज संख्या अंकित है परंतु माप पुस्तिका मूलरूप में उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण प्राक्कलन एवं माप के आधार पर कार्य की समीक्षा नहीं की जा सकी। जिस कारण मनमाने तरीके से माप अंकित कर भुगतान कराये जाने की संभावना से

इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रुपये 14703618.00 कुल **16** निर्माण पत्रावलियों पर किया गया भुगतान अपुष्ट रहा।

2- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में की प्लान एवं ड्रांइग संलग्न नहीं पाई गई, जिस कारण समीक्षा नहीं की जा सकी।

3- उपरोक्त कार्य का क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में स्वीकृत बजट प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

4- किसी भी समाचार पत्र में टेंडर प्रकाशित करने का प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। टेंडर प्रकाशन व टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि में मात्र 10 दिवस का अंतराल दर्शित है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुसार टेंडर प्रकाशन व जमा करने के बीच न्यूनतम 21 दिवस से कम नहीं दिए जाने का प्रावधान है।

5- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार जब भी क्षेत्र पंचायत किसी भी अनुमानित निर्माण कार्य के लिए कोई ठेका जारी करने हेतु टेंडर आमंत्रित करेगी तो यह टेंडर प्रपत्र समाचार पत्रों में प्रकाशन के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक स्थान और सरकारी कार्यालयों में भी रखा जाएगा।

6- संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों पर कार्यपूर्ण उपरान्त खंड विकास अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की तिथि का दिनांक भी रिक्त है।

7- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्य की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93,जी/20 दिनांक 24-06- 2014 तथा शासनादेश संख्या 1539 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 16-09-2015 की प्रस्तर 2 से 5 के विपरीत इस आशय का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा कि कराए गए कार्य से कम से कम 2 ग्राम पंचायत को पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि प्रायः सभी कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं, जो उक्त शासनादेश का उल्लंघन है और धनराशि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) नियमावली 1965 के नियम 179(2क) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय कर अनियमित्ता की गई है।

उपरोक्त नियमों का पालन न करने से उपरोक्त समस्त कार्यों में-

1- संस्था अतिरिक्त संभावित टेंडर प्रपत्रों की बिक्री से होने वाली आय से वंचित रही।
2- टेंडर प्रपत्र के साथ जमानत राशि को नगद जमा दिखाया गया है, जबकि उसकी पुष्टि में कोई बैंक जमा रसीद चालान प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहा। जिससे टेंडर को विधि मान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
3- संभावित निविदा दाताओं को नियमानुसार समय न देकर उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।
4- क्षेत्र पंचायत कार्यालय के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को अवैध लाभ पहुंचाने की मंशा से उन्हें कार्टेल बनाने का अवसर दिया गया, जिससे संस्था प्रतियोगी लाभ से वंचित रही।

इसलिए उपरोक्त समस्त कार्य गंभीर वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है, जिसके उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री संतोष नारायण गुप्ता, लेखाकार श्री राम प्रकाश एवं अवर अभियंन्ता राहुल गौतम से कुल रुपये 14703618.00 की वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस् र संख्या 02</u> - क्षेत्र पंचायत डिबाई में लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण अनुसार राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्य कराये गये हैं, विवरण निम्न प्रकार से है -

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि	माप पुस्तिका संख्या	पेज संख्या
1	विकासखंड परिसर में प्रमुख अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य	98833500.	27/ एल	186-196
2	ग्राम रतनपुर में वाल्मीकि पथवारी से बाबूजी हर प्रसाद के खेत तक मिटटी खडंजा निर्माण कार्य ।	99454600.	27/ एल	70-71
3	गढ़िया सुल्तानपुर में बम्बे से पोखर तक मिटटी खडंजा निर्माण कार्य	779554 00.	27/ एल	168-169
4	ग्राम नगला कोठी में रामबाबू के घर से तालाब तक मिट्टी खडंजा व नाला मरम्मत कार्य ।	205662 00.	---	166-167
5	ग्राम तलवार नगला की मुख्य सड़क से मिंटू सिंह के खेत से डिवाई करणवास संपर्क मार्ग की ओर मिट्टी खडंजा कार्य ।	99472300.	27/ एल	161-162
6	ग्राम राम बिलोनी में चौंढेरा चक मार्ग से राम बिलोनी लक्षिमपुर संपर्क मार्ग से मिट्टी खडंजा कार्य ।	737425 00.	27/ एल	164-165
7	ग्राम नगला सुमाली में सुधीर के घर से चिरौरी की ओर मिट्टी खडंजा व सोख्ता गड्ढा निर्माण कार्य ।	725547 00.	33/ एल	36-37
8	रामघाट अलीगढ़ रोड पर अन्नपूर्णा होटल से धारकपुर नगला की ओर इंटर लॉकिंग निर्माण कार्य ।	989060 00.	30/ एल	53-55
9	ग्राम नगला कोठी में सामुदायिक भवन की दीवार व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	993495 00.	30/ एल	95-97
10	ग्राम रामघाट में खासचौक गंदे नाले के पास से कुंज तक मिटटी खडंजा निर्माण कार्य ।	258374 00.	27/ एल	163-64
11	रामघाट अलीगढ़ रोड से राजवीर के घर से सिल्हारी की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	991384.00	30/ एल	50-52
	योग	8658105.00		

उपरोक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच उपरांत निम्न आपत्तियां निर्गत की गई -

1- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में संलग्न फार्म नंबर 27 पर माप पुस्तिका एवं पेज संख्या अंकित है परंतु माप पुस्तिका मूलरूप में उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण प्राक्कलन एवं माप के आधार पर कार्य की समीक्षा नहीं की जा सकी। जिस कारण मनमाने तरीके से माप अंकित कर भुगतान कराये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 8658105.00 कुल 11 निर्माण पत्रावलियों पर किया गया भुगतान अपुष्ट रहा जिसकी वसूली आंकिक श्री रामप्रकाश, अवर अभियंता, श्री राहुल गौतम , खण्ड विकास अधिकारी श्री संतोष नरायण गुप्ता।

2- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में की प्लान एवं ड्रांइग संलग्न नहीं पाई गई, जिस कारण समीक्षा नहीं की जा सकी।

3- उपरोक्त कार्य का क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में स्वीकृत बजट प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
4- किसी भी समाचार पत्र में टेंडर प्रकाशित करने का प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। टेंडर तुलन पत्र पर टेंडर प्रकाशन व टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि में मात्र 10 दिवस का अंतराल दर्शित है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुसार टेंडर प्रकाशन व जमा करने के बीच न्यूनतम 21 दिवस से कम नहीं दिए जाने का प्रावधान है।
5- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार जब भी क्षेत्र पंचायत किसी भी अनुमानित निर्माण कार्य के लिए कोई ठेका जारी करने हेतु टेंडर आमंत्रित करेगी तो यह टेंडर प्रपत्र समाचार पत्रों में प्रकाशन के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक स्थान और सरकारी कार्यालयों में भी रखा जाएगा।

<u>प्रस्तर संख्या 03</u>- क्षेत्र पंचायत दानपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण अनुसार 15वां केंद्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्य कराये गये हैं, विवरण निम्न प्रकार से है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि	माप पुस्तिका संख्या	पेज संख्या
1	ग्राम दौरोऊ में सुरेंद्र दुधिया के मकान से जाटवों के नगला की ओर सीसी रोड निर्माण कार्य ।	966458.00	18 / एल	156-57
2	ग्राम ममरेजपुर में हाईवे से भूप सिंह के खेत की ओर सीसी रोड निर्माण कार्य ।	990306.00	18 / एल	178-80
3	ग्राम सुल्तानपुर बिलोनी में लालाराम के मकान से होरम के घर व मुख्य मार्ग की इंटरलॉकिंग एवं सीसी रोड निर्माण कार्य ।	997256.00	18 / एल	169-71
4	ग्राम हिम्मतगढ़ में मुरादपुर रोड से शमशान घाट तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	952672.00	18 / एल	175-77
5	ग्राम रहमापुर में सुम्मेरी के घेर से कोमल सिंह के खेत पर पुलिया की ओर नाला निर्माण कार्य ।	996522.00	18 / एल	187-89
6	ग्राम कुमरौआ में छोटेलाल मास्टर के घर से राधेश्याम की घर की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	936712.00	18 / एल	172-74
7	ग्राम चौगानपुर में राम जी के ट्यूबवेल से राजपाल के मकान की ओर नाला निर्माण कार्य ।	954807.00	19 / एल	25
8	ग्राम जरौली में होली प्रधान के खेत से पोखर की ओर आरसीसी नाला निर्माण कार्य ।	995659.00	19 / एल	42-45
9	ग्राम मुरादपुर में सोरन सिंह के यहां से दुर्गा माता मंदिर की ओर नाला निर्माण कार्य ।	993460.00	19 / एल	9-11
10	ग्राम बरैना पथवारी से पोखर की ओर नाला निर्माण कार्य / एल	993322.00	18 / एल	184-86
	योग	9777174.00		

उपरोक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच उपरांत निम्न आपत्तियां निर्गत की गई -

अ- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में संलग्न फार्म नंबर 27 पर माप पुस्तिका एवं पेज संख्या अंकित है परंतु माप पुस्तिका मूलरूप में उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण प्राक्कलन एवं माप के आधार पर कार्य की समीक्षा नहीं की जा सकी। जिस कारण मनमाने तरीके से माप अंकित कर भुगतान कराये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रुपये 9777174.00 कुल 10 निर्माण पत्रावलियों पर किया गया भुगतान अपुष्ट रहा।

1- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में की प्लान एवं ड्रांइग संलग्न नहीं पाई गई, जिस कारण समीक्षा नहीं की जा सकी।

स- उपरोक्त कार्य का क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में स्वीकृत बजट प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

2- किसी भी समाचार पत्र में टैंडर प्रकाशित करने का प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। टैंडर तुलन पत्र पर टैंडर प्रकाशन व टैंडर जमा करने की अंतिम तिथि में मात्र 10 दिवस का अंतराल दर्शित है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुसार टैंडर प्रकाशन व जमा करने के बीच न्यूनतम 21 दिवस से कम नहीं दिए जाने का प्रावधान है।

3- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार जब भी क्षेत्र पंचायत किसी भी अनुमानित निर्माण कार्य के लिए कोई ठेका जारी करने हेतु टैंडर आमंत्रित करेगी तो यह टैंडर प्रपत्र समाचार पत्रों में प्रकाशन के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक स्थान और सरकारी कार्यालयों में भी रखा जाएगा।

4- संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों पर कार्यपूर्ण उपरान्त खंड विकास अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की तिथि का दिनांक भी रिक्त है।

5- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्य की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93,जी/20 दिनांक 24-06- 2014 तथा शासनादेश संख्या 1539 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 16-09-2015 की प्रस्तर 2 से 5 के विपरीत इस आशय का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा कि कराए गए कार्य से कम से कम 2 ग्राम पंचायत को संयोजित करते हैं पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि प्रायः सभी कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं, जो उक्त शासनादेश का उल्लंघन है और धनराशि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) नियमावली 1965 के नियम 179 (2क) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय कर अनियमितता की गई है।

उपरोक्त नियमों का पालन न करने से उपरोक्त समस्त कार्यों में-

1- संस्था अतिरिक्त संभावित टैंडर प्रपत्रों की बिक्री से होने वाली आय से वंचित रही।
2- टैंडर प्रपत्र के साथ जमानत राशि को नगद जमा दिखाया गया है, जबकि उसकी पुष्टि में कोई बैंक जमा रसीद चालान प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहा। जिससे टैंडर को विधि मान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
3- संभावित निविदा दाताओं को नियमानुसार समय न देकर उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।
4- क्षेत्र पंचायत कार्यालय के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को अवैध लाभ पहुंचाने की मंशा से उन्हें कार्टेल बनाने का अवसर दिया गया, जिससे संस्था प्रतियोगी लाभ से वंचित रही।

इसलिए उपरोक्त समस्त कार्य गंभीर वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है, जिसके उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री संतोष नारायण गुप्ता, लेखाकार श्री राम प्रकाश एवं अवर अभियंन्ता राहुल गौतम से कुल रुपये 9777174.00 की वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 04</u>- **<u>क्षेत्र पंचायत दानपुर</u>** की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण अनुसार 5वा राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्य कराए गए हैं विवरण निम्न प्रकार से है -

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि	माप पुस्तिका संख्या	पेज संख्या
1	ग्राम दानपुर में शंभू नाथ चतुर्वेदी स्कूल से अलीगढ़ अनूपशहर रोड की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	995084.00	18 / एल	196-97
2	ग्राम दौरोऊ में अमीर चंद्र शर्मा के खेत से आलोक कुमार राघव की ओर मिटटी खड़ंजा निर्माण कार्य ।	928408.00	18 / एल	190-91
3	ग्राम घुसराना हरि सिंह में जिरौली संपर्क मार्ग से लच्क्षिमपुर चामुंडा मंदिर की ओर मिट्टी खड़ंजा निर्माण कार्य ।	995426.00	19 / एल	15-16
4	ग्राम कन्हेरा में टावर से महेंद्र सिंह की और मिटटी खड़ंजा निर्माण कार्य	989537.00	19 / एल	33-35
5	ग्राम तुलसीघढ़ी में भजन लाल के यहां से मुकेश के खेत की ओर मिट्टी खड़ंजा निर्माण कार्य ।	998755.00	18 / एल	192-93
6	ग्राम नगला पिद्दा माजरा दौलतपुर में जहांगीराबाद संपर्क मार्ग से सिवल गढ़ी की ओर मिटटी खड़ंजा निर्माण कार्य ।	695091.00	19 / एल	17-18
7	ग्राम दौलतपुर खुर्द में जहांगीराबाद मार्ग पर रामचंद्र के खेत से जंगल की ओर मिट्टी खड़ंजा निर्माण कार्य ।	990836.00	19 / एल	27
8	ग्राम इंदौर खेर में मुकंदी सिंह के घर से नगला नंबर02 के पोखर की और मिटटी खड़ंजा निर्माण कार्य ।	371109.00	19 / एल	36-38
9	ग्राम भीमपुर में ग्राम से राम खिलाड़ी के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	817279.00	18 / एल	165-68
10	ग्राम सतबरा में श्योराज के यहां से बम्बे की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	994265.00	19 / एल	48-50
11	ग्राम रामनगर में सरकारी नाली से ग्राम के बाहर पदम् के प्लाट की ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य ।	562381.00	19 / एल	21-22
	योग	9338171.00		

उपरोक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच उपरांत निम्न आपत्तियां निर्गत की गई -

1- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में संलग्न फार्म नंबर 27 पर माप पुस्तिका एवं पेज संख्या अंकित है परंतु माप पुस्तिका मूलरूप में उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण प्राक्कलन एवं माप के आधार पर कार्य की समीक्षा नहीं की जा सकी। जिस कारण मनमाने तरीके से माप अंकित कर भुगतान कराये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रुपये 9338171.00 कुल 11 निर्माण पत्रावलियों पर किया गया भुगतान अपुष्ट रहा।

2- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में की प्लान एवं ड्रांइग संलग्न नहीं पाई गई, जिस कारण समीक्षा नहीं की जा सकी।

3- उपरोक्त कार्य का क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में स्वीकृत बजट प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

4- किसी भी समाचार पत्र में टेंडर प्रकाशित करने का प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। टेंडर तुलन पत्र पर टेंडर प्रकाशन व टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि में मात्र 10 दिवस का अंतराल दर्शित है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत

तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुसार टेंडर प्रकाशन व जमा करने के बीच न्यूनतम 21 दिवस से कम नहीं दिए जाने का प्रावधान है।

5- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार जब भी क्षेत्र पंचायत किसी भी अनुमानित निर्माण कार्य के लिए कोई ठेका जारी करने हेतु टेंडर आमंत्रित करेगी तो यह टेंडर प्रपत्र समाचार पत्रों में प्रकाशन के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक स्थान और सरकारी कार्यालयों में भी रखा जाएगा।

6- संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों पर कार्यपूर्ण उपरान्त खंड विकास अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की तिथि का दिनांक भी रिक्त है।

7- उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्य की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12-01-2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93,जी/20 दिनांक 24-06- 2014 तथा शासनादेश संख्या 1539 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 16-09-2015 की प्रस्तर 2 से 5 के विपरीत इस आशय का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा कि कराए गए कार्य से कम से कम 2 ग्राम पंचायत को संयोजित करते हैं पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि प्रायः सभी कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं, जो उक्त शासनादेश का उल्लंघन है और धनराशि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) नियमावली 1965 के नियम 179(2क) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय कर अनियमित्ता की गई है।

उपरोक्त नियमों का पालन न करने से उपरोक्त समस्त कार्यों में-

1- संस्था अतिरिक्त संभावित टेंडर प्रपत्रों की बिक्री से होने वाली आय से वंचित रही।
2- टेंडर प्रपत्र के साथ जमानत राशि को नगद जमा दिखाया गया है, जबकि उसकी पुष्टि में कोई बैंक जमा रसीद चालान प्रपत्र लेखा परीक्षा के दौरान अप्राप्त रहा। जिससे टेंडर को विधि मान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
3- संभावित निविदा दाताओं को नियमानुसार समय न देकर उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।
4- क्षेत्र पंचायत कार्यालय के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को अवैध लाभ पहुंचाने की मंशा से उन्हें कार्टेल बनाने का अवसर दिया गया, जिससे संस्था प्रतियोगी लाभ से वंचित रही।

इसलिए उपरोक्त समस्त कार्य गंभीर वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है, जिसके उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री संतोष नारायण गुप्ता, लेखाकार श्री राम प्रकाश एवं अवर अभियंन्ता राहुल गौतम से कुल रुपये 9338171.00 की वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 05</u>- <u>क्षेत्र पंचायत बुलंदशहर</u> की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त आयोग के खाता संख्या 66436 पीएनबी शाखा बुलंदशहर से रुपये 6275729.00 एवं केंद्रीय वित्त आयोग के खाता संख्या 220551 पीएनबी शाखा बुलंदशहर से रुपये 13495742.00 कुल रुपए 19771471.00 का आहरण किया गया है, जबकि वर्ष दौरान ई ग्राम स्वराज पर कुल व्यय रुपये 28944938.00 दर्शित है। ग्रांट रजिस्टर 3 में दर्शित उपरोक्त समस्त व्यय की वैधता की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा मे कोई भी स्वीकृत बजट प्रस्ताव, एस्टीमेट, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र, टेंडर पत्रावली, माप पुस्तिका, जीएसटी कटौती प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स कटौती प्रमाण पत्र, रॉयल्टी लेबर सेस, जमानत पत्रावली, इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया गया। यह वित्त एवं मैनुअल के अध्याय 8 के पैराग्राफ 8(क) के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने पर आहरित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है।

अतः उक्त प्रावधान अनुसार आहरित धनराशि रुपये 19771471.00 को गबन मानते हुए लेखाकार श्री यासीन अहमद, अवर अभियंता श्री विनय कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री प्रेमचंद को उत्तरदायी मानते हुए वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 06</u>- **<u>क्षेत्र पंचायत बीवी नगर</u>** की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त के बैंक खाता संख्या 0588000101940530 से रुपये 1027018.00 एवं केंद्रीय वित्त के बैंक खाता संख्या 0588000102037532 से रुपये 2744414.00 कुल रुपये 3771432.00 का आहरण किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी संगत अभिलेख/पत्रावली मांग किये जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं किया गया। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि किया जाना संभव नहीं हो सका। जबकि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में **अभिलेखों** को उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि रुपये 3771432.00 को अभिलेखो के अभाव में गवन की श्रेणी में मानते हुए वसूली कराये जाने का प्रावधान है ।
अतः उक्त प्रावधान के अंतर्गत रुपये 3771432.00 की वसूली लेखाकार श्री यासीन अहमद, अवर अभियंता सर्वश्री अनिल कुमार, सोरन सिंह, राजेश कुमार, क्षेत्रपाल सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी सर्वश्री मोहित कौशिक, दिनेश गोस्वामी, अजय कुमार, एवं महेंद्र कुमार शर्मा इत्यादि से नियमानुसार कराया जाना अपेक्षित है ।

<u>प्रस्तर संख्या 07</u>- **<u>क्षेत्र पंचायत ऊंचागांव</u>** की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त के बैंक खाता संख्या 3337000100129164 से रुपये 4027122.00 एवं केंद्रीयवित्त के बैंक खाता संख्या 3337000102060278 से रुपये 6260045.00 कुल रुपये 10287167.00 का आहरण किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी संगत अभिलेख/पत्रावली मांग किये जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं किया गया। जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि किया जाना संभव नहीं हो सका। जबकि बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आहरित धनराशि रुपये 10287167.00 को अभिलेखो के अभाव में गवन की श्रेणी में मानते हुए वसूली कराये जाने का प्रावधान है ।
क्षेत्र पंचायत ऊंचागांव अतः उक्त प्रावधान के अंतर्गत रुपए 10287167.00 की वसूली लेखाकार श्री लवकुश (01.04.2021 से 03.06.2021) एवं श्री जयप्रकाश (दिनांक 01.07.2021 से 31.03.2022) अवर अभियंता श्री कपिल कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री महेंद्रपाल, रविंद्र सिंह, सतेन्द्र सिंह एवं संजय शर्मा इत्यादि से नियमानुसार कराया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 08</u> - **<u>क्षेत्र पंचायत खुर्जा</u>** के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक संख्या 1207/लेखाकार/क्षेत्र पंचायत निधि पत्रांक/2021-22 दिनांक 17.01.2021 के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में कुल 13 कार्यों हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित कराये जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम तीन टेंडर अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। जिस पर निम्न विवरण अनुसार निविदा मूल्य, जीएसटी एवं स्टेशनरी मूल्य लिया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है -

मद	धनराशि)रुपये में(	टेंडरों की संख्या	योग
टेंडर निविदा मूल्य	6500.00	03	19500.00
जीएसटी18 %	3280.00	03	9840.00
योग	-	-	29340.00

इस प्रकार टेंडर बिक्री से प्राप्त धनराशि रुपये 19500.00 एवं जीएसटी रुपये 9840.00 कुल 29340.00 संस्था के किस बैंक खाते में जमा की गई एवं धनराशि का लेखा नगद रोकड़ बही में किया गया या नहीं की पुष्टि नहीं कराई

गई। जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था । यह एक गम्भीर अनियमित्ता है, दायित्व निर्धारित कर क्षेत्र पंचायत श्री सगीर अहमद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री मोहित कौशिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 09</u> - **<u>क्षेत्र पंचायत खुर्जा</u>** के ग्राम सारंगपुर में अस्पताल से पोखर तक नाला निर्माण कार्य लंबाई 360.00 मीटर, अनुमानित लागत रुपये 8.78 लाख हेतु कार्यालय पत्रांक 1301 दिनांक 07.12.2021 के अनुसार 06-03-2022 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु पी0डब्लू0ए0 फॉर्म 27-सी के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि 06-03-2022 अंकित है। परंतु अवर अभियंता द्वारा कार्य दिनांक 20-07-2023 में पूर्ण किया गया है एवं दिनांक 25-07-2023 में कार्य का मापांकन अंकित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अवर अभियंता श्री सचिन यादव द्वारा कार्य की माप न कर कार्य का वैल्यूएशन कर भुगतान की संस्तुति की गई है। जबकि फार्म 27 सी में अंकित कार्य की माप एम0बी0 44/एल**,** पृष्ठ संख्या **176-180** पर रुपये 317227.60 +12% जी0एस0टी0 रुपये 38067.31 कुल रुपये 355294.91 के भुगतान की संस्तुति की गयी है। विलम्ब से मापांकन किए जाने एवं अनुमानित लागत से 60% कम में पूर्ण कराये जाने का कारण अस्पष्ट रहा। जांच हेतु माप पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली अवर अभियंता श्री सचिन यादव, अंकिक श्री सगीर अहमद एवं खंड विकास अधिकारी श्री मोहित कौशिक से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 10</u> - <u>क्षेत्र पंचायत खुर्जा</u> की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं केंद्रीयवित्त योजना से कुल रुपये 5,59,46,458.80 का आहरण किया गया है जिसके सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रुपये 2,78,66,363.70 के आहरण की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर रुपये 2,80,80,095.10 के व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा। बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आहरित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली लेखाकार श्री सगीर अहमद एवं खंड विकास अधिकारी श्री मोहित कौशिक से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 11</u> - <u>क्षेत्र पंचायत खुर्जा</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार रुपये 1,85,71,204.00 स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनराशि (रुपये में)
1	ग्राम धरपा चुहरपुर, ग्राम बरतोली ग्राम खलसिया चुहरपुर, ग्राम हजरतपुर एवं ग्राम अच्छेजा खुर्द में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ।	889,870.00
2	ग्राम अगवाल, ग्राम खुर्जा देहात एवं ग्राम मीरपुर में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	8,51,180.00
3	ग्राम रोहिंदा एवं ग्राम बलराउ में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ।	6,19,040.00
4	ग्राम नगला शेखू, ग्राम मंसूरपुर एवं ग्राम टैना में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	8,89,870.00
5	ग्राम असगरपुर, ग्राम क्योंली कला, ग्राम कमालपुर नायसर एवं ग्राम सरावा दादूपुर में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ।	7,54,456.00
6	ग्राम उस्मापुर, ग्राम अरनिया मंसूरपुर, ग्राम अहमदपुर नवीपुर उर्फ रामपुर एवं ग्राम धराउ में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	8,70,526.00
7	ग्राम दीनौल़ ग्राम किर्रा, ग्राम नगला मोहिद्दीन, ग्राम हसनगढ़ एवं ग्राम माछीपुर में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ।	9,66,596.00
8	रामगढ़ी, ग्राम मैना कलन्दरगढ़ी, ग्राम जाहिदपुर कलां एवं मैना मोजपुर में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ।	8,89,870.00

9	ग्राम सौदा हबीबपुर, ग्राम भाईपुर ,ग्राम आसफपुर एवं ग्राम सीरियाल में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	8,89,870.00
10	ग्राम सारंगपुर, ग्राम नगला रूमी एवं ग्राम शहजादपुर कनेनी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	9,41,905.00
11	ग्राम गोठनी, ग्राम फिरोजपुर एवं ग्राम शाहपुर कलां में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	8,89,870.00
12	ग्राम भदवा, ग्राम अहरोली, ग्राम करसी एवं ग्राम कलंदरगढ़ी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	8,12,491.00
13	ग्राम सीकरी, ग्राम इस्माइलपुर बुढ़ेना एवं ग्राम सीकरा में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	8,31,835.00
14	ग्राम फराना जमालपुर, ग्राम बिचौला एवं ग्राम समसपुर में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	8,89,870.00
15	ग्राम मधुपुरा, ग्राम कमालपुर भदौराग्राम , कपना, ग्राम मुमरेजपुर, ग्राम गोविला एवं ग्राम हसनपुर में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	9,47,905.00
16	ग्राम इं0जू0 मौजपुर, ग्राम मोहम्मदपुर करीमपुर उर्फ ढाकर, ग्राम बीछट सुजानपुर एवं ग्राम अख्तियारपुर में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	9,09,215.00
17	ग्राम सनेता सफीपुर, ग्राम बीघेपुर, ग्राम हसनपुर लड़की, ग्राम भगवानपुर एवं ग्राम दस्तूरा में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	9,87,250.00
18	ग्राम मोहम्मदपुर माजरा बीछट, ग्राम कैलना, ग्राम मुंडाखेड़ा एवं ग्राम गवां में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	8,31,835.00
19	ग्राम बरौली, ग्राम खबरा सिकन्दरपुर एवं ग्राम धरारी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	9,09,215.00
20	ग्राम उस्मानपुर, ग्राम चिंगरावली, ग्राम छपना, ग्राम जवां एवं ग्राम कलाखुरी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य ।	9,09,215.00
21	ग्राम मच्छर ग्राम माछडं एवं ग्राम इब्राहिमपुर असोली में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	4,64,280.00
22	ग्राम परौरी, ग्राम मोहम्मदपुर नार, एवं ग्राम मुन्ना जाटान में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य।	6,19,040.00
	योग	1,85,71,204.00

पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015/3/2015, दिनांक 31.07.2015 के द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों के अंदर कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त प्रतिबन्ध मुख्यतः डुप्लीकेसी को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन क्षेत्र पंचायतों के द्वारा मनमाने तरीके से बिना गाइडलाइन के कार्य कराया गया है। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर एल0इ0डी0 स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया है।

1- सक्षम अधिकारी के द्वारा ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के खम्बों पर लाइट लगाने हेतु एन0ओ0सी और विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने सम्बन्धी कार्यवाही संपन्न नहीं की गयी है।

2- एल0इ0डी0 स्ट्रीट लाइट के संदर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर के निर्धारण में जिलाधिकारी महोदय की अद्धयक्षता में गठित समिति में किये जाने संबंधी प्रस्ताव भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं रहा ।

3- क्रय प्रक्रिया में भी दिनांक के शासनादेश के अनुसार 19.06.2000क्रय के नियम का पालन नहीं किया गया है।

4- यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि उनके स्थल चयन की प्रक्रिया क्या रही यदि इसकी स्थापना पुराने लाइट के स्थान पर की गई है, तो पुराने के निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही ।

5- उपरोक्त तालिका में दर्शित समस्त कार्य मेसर्स हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन हापुडं से कराया गया है। उक्त कार्यों की निविदा पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही ।

6- उपरोक्त कार्य से संबंधित माप पुस्तिकाएं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन अप्राप्त रहा ।

7- उपरोक्त समस्त कार्य पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन के 50: के नियम का उल्लंघन करके 50 मनमाने ढंग से किया गया है , अतः यह घोर आपत्तिजनक है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रुपए 1,85,71,204.00 का व्यय अनियमित एवं नियम विरुद्ध कर गंभीर वित्तीय अनियमित्ता की गई जिसका उत्तरदायित्व -1 लेखाकार सगीर अहमद-2 , अवर अभियंता आई0डी0 सचिन यादव एवं **3-** खंड विकास अधिकारी श्री मोहित कौशिक पर है। और इनसे बराबर मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 12</u>- <u>क्षेत्र पंचायत शिकारपुर</u> की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त एवं केंद्रीयवित्त योजना से कुल रुपये 1,41,73,635.80 का आहरण किया गया है जिसके सापेक्ष ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल रु0 2,10,11,579.00 के आहरण की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार बैंक से अहरित रुपये 1,41,73,635.80 के सापेक्ष रुपये 68,37,943.20 अधिक व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर लेखाकार सगीर अहमद, अवर अभियंता आई0डी0 सचिन यादव एवं खंड विकास अधिकारी श्री मोहित कौशिक पर अवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 13</u>- क्षेत्र पंचायत शिकारपुर की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय- 3 की धारा- 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 में पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93 जी/20 दिनांक 24.06.2014 तथा शासनादेश संख्या 1539 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 16.09.2015 के प्रस्तर 2 से 5 के विपरीत इस हास्य का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा कि कराए गए कार्य से कम से कम 2 ग्राम पंचायत संयोजित करते हैं। पत्रावलियों की जांच में पाया गया की प्रायः सभी कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराए गए हैं, जो उक्त शासनादेश का उल्लंघन है और धनराशि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) नियमावली 1965 के नियम 179(2क) के अंतर्गत अधिभार योग्य है। लेखा परीक्षा वर्ष में लेखा परीक्षा में जो पत्रावलियां परीक्षण की गई उनमें इस प्रकार के निम्न कार्य पाए गए, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है -

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनराशि)रुपए में(
1	मानपुर डडवा में ब्रजवाल के घर से कुशलपाल के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली कार्य ।	2,69,501.00
2	बड़ोदा में वीरपाल के मकान से सोहनलाल के घर तक इंटरलॉकिंग ।	7,69,094.00
3	महमूदपुर में सुरेश सिंह के घर से कुशल पाल के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली कार्य ।	9,98,026.00
4	कादराबाद में बृजपाल सूबेदार के मकान से सुखपाल के मकान की तरफ सीसी कार्य ।	8,90,251.00
5	में विजय के घर से राजपाल के घर तक सीसी कार्य ।	2,84,972.00
6	जू 0करीरा में जवाहर के घर से विजय के घर तक सीसी कार्य ।	7,54,091.00
7	मंडावली चकला में महेंद्र सिंह के मकान से सुंदर के मकान तक इंटरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य ।	7,26,095.00
	योग	46,90,030.00

इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य पर रुपए 46,90,030.00 का व्यय कर अनियमिता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन और अवर अभियंता श्री संजय कुमार, लेखाकार श्री राज बहादुर सिंह, खंड विकास अधिकारी श्री घनश्याम वर्मा एवं ब्लाक प्रमुख श्री पंकज कुमार पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 14</u>- क्षेत्र पंचायत गुलावठी की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार कुल व्यय रुपये 78,21,030.00 दर्शित है। ग्रांट रजिस्टर-3 में दर्शित उपरोक्त समस्त व्यय की वैधता की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में कोई भी स्वीकृत बजट प्रस्ताव, इस्टीमेट, सी0आर0, टेंडर पत्रावली, माप पुस्तिका, जी एस टी कटौती प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स कटौती प्रमाण पत्र, रायल्टी, लेबर सेस, जमानत पत्रावली, इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया गया। बैंक से आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने पर आहरित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। अतः उक्त प्रावधान अनुसार आहरित धनराशि रुपये 78,21,030.00 को गबन मानते हुए लेखाकार श्री आस मोहम्मद, अवर अभियन्ता श्री क्षेत्रपाल सिंह एवं खंड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द को उत्तरदायी मानते हुए वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 15</u>- उपलब्ध सूचना के आधार पर खंड विकास अधिकारी सिकन्द्रबाद के कार्यालय पत्रांक 1623/लेखाकार/2021-22, दिनांक 16.11.2021 के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में कुल **48** कार्यो हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित कराये जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ । जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम तीन टेंडर अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जिस पर निम्न विवरण अनुसार निविदा मूल्य **18** प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित, स्टेशनरीचार्ज एवं धरोहर लिया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

मद	धनराशि	टेंडरों की संख्या	योग
निविदा मूल्य 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित	16,731.00	03	50,193.00
स्टेशनरी मूल्य	20,000.00	03	60,000.00
धरोहर राशि	5,35,600.00	03	16,06,800.00
योग	5,72,331.00		17,16,993.00

इस प्रकार टेंडर बिक्री से प्राप्त धनराशि रू0 **17,16,993.00** संस्था के किस बैंक खाते में जमा की गई एवं धनराशि का लेखा नकद रोकड़ वही में किया गया या नहीं की पुष्टि नहीं कराई गई, जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमत्ता है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आंकिक क्षेत्र पंचायत श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशांत पांडेय पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 16</u>- **क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद** द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय -3 की धारा-33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93,जी/20, दिनांक 24.06.2014 तथा शासनादेश संख्या -1539 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 16.09.2015 के प्रस्तर 2 से 5 के विपरीत इस आशय का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा कि कराये गये कार्य से कम से कम दो ग्राम पंचायतों संयोजित करते है। पत्रावालियों की जांच में पाया गया कि प्रायः सभी कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये है जो उक्त शासनादेश का उलंघन है और धनराशि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) नियमावली 1965 के नियम 179(2क) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। लेखा परीक्षा वर्ष में लेखा परीक्षा में जो पत्रावालियां परीक्षण की गई उनमें इस प्रकार के निम्न कार्य पाए गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि)रू0 में(
1	ग्राम सरायघासी में राजू के घर से भजनी के घर तक मिटटी खरंजा व/ नाली निर्माण कार्य 175 मी0 ।	4,09,079.00
2	ग्राम सलेमपुर कायस्थ में जयपाल के घर से त्रिलोक के घर तक मिटटी खरंजा मरम्मत का निर्माण कार्य 210 मी0 ।	2,53,368.00
3	ग्राम महेपा जागीर से कुवरपाल के घर से बलजीत के घर तक आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण 260 मी0 ।	9,93,507.00
4	ग्राम इस्माइलपुर में नरेन्द्र मास्टर के मकान से हेतराम की समाधि होते हुए नत्थी सिंह के मकान के सामने तक मिटटी खरंजा कार्य/475 मी0 ।	8,89,493.00
5	ग्राम बोधा में उदयवीर के मकान से जगपाल के मकान तक मिटटी खरंजा निर्माण कार्य/200 मी0	1,41,373.00
	योग	26,86,820.00

इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्यो पर रू0 26,86,820.00 का व्यय कर अनियमितत की गई है, जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री क्षेत्रपाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद, खंड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती आशा भाटी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 17</u>- क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा में जो पत्रावालियां परीक्षण की गई उनमें निम्न विवरण अनुसार उपखनिजों का प्रयोग निर्माण पत्रावालियों में अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है-

क0 स0	कार्य का नाम	फाईन सेंट की मात्र क्यू बिक मी0 में	कोर सेंट की मात्र क्यूबिक मी0 में	स्टोन की मात्र क्यूबि क मी0	अभ्युक्ति
1	विकास खंड सिकन्द्राबाद ब्लाक भवन की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य ।	- -	340.34	5.63	- -
2	ग्राम सराय घासी में बंटी पुत्र रामभुत के मकान से पचोटा की तरफ मार्ग इंटर लाकिंग कार्य 100 मी0 ।	- -	47.87	35.68	- -
3	ग्राम दुल्हैरा में दरोगा जी के प्लाट से शिव मंदिर ककोड़ मार्ग की तरफ मार्ग इंटर लाकिंग कार्य 60 मी0 ।	- -	39.17	45.70	- -
4	ग्राम सराय घासी में राजू के घर से भजनी के घर तक मिट्टी खरंजा व नाली निर्माण कार्य 175 मी0 ।	- -	38.77	16.58	- -

5	ग्राम ववैया विस्वाना में अजय के मकान से शिव मंदिर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण 300 मी0 ।	- -	61.95	116.47	- -
6	ग्राम सावली में हृदयपुर मोड़ जी0 टी0 रोड़ से गेंदा मैरिज होम तक इंटर लाकिंग कार्य 30 मी0 ।	- -	34.99	48.75	- -
7	ग्राम जोली में देवी मंदिर से रजवाड़ें की पटरी तक सी0सी0 रोड़	-	42.52	139.06	-
8	ग्राम जोली में देवी मंदिर से रजवाड़े तक प्रस्तावित सी0सी0 के दोनों ओर इंटरलाकिंग कार्य व नाली निर्माण 225 मी0 ।	-	126.06	78.82	-
9	ग्राम पिलाखन वाली में सुरेन्द्र के मकान से सुभाष के खेत तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण 130 मी0 ।	-	45.95	86.39	-
10	ग्राम राजारामपुर में मेन रोड़ से राजवीर प्रधान के घर तक इंटर लाकिंग कार्य 80 मी0 ।	-	11.20	27.26	-
11	ग्राम महैया जागीर से कुवरपाल के घर से बलजीत के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य 260 मी0 ।	-	38.34	72.09	-
12	योग	-	827.16	673.43	-

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त कोर सेंड 827.16 क्यूबिक मी0 रू0 150.00 प्रति क्यूबिक मी0 की दर से रू0 **1,24,074.00** एवं स्टोन 673.43 क्यूबिक मी0 दर रू0 160.00 प्रति क्यूबिक मी0 की दर से रू0 **1,07,748.80** कुल रू0 (1,24,074.00+1,07,748.00) कुल रू0 **2,31,822.80** की रायल्टी जमा किये जाने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा ओर न ही वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) ही उपलब्ध कराये गये। अतः शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 एवं शासनादेश संख्या-39/2020/990/86-20 20-52 (सा0)/2019 टी0सी0 दिनांक 23 जून 2020 के प्राबधान अनुसार तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री क्षेत्रपाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद, एवं खंड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 18</u>- क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम इस्माइलपुर में नरेन्द्र मास्टर के मकान से हेतराम की समाधि होते हुए नत्थी सिंह के मकान के सामने तक मिटटी/खरंजा कार्य 475 मी0 का स्टीमेट रू0 **8,95,000.00** में तैयार किया गया , जिसका कांट्रेक्ट 0.10 प्रतिशत कम आइटम रेट पर सोहन लाल पुत्र श्री तोता राम ग्राम लालपुर को कार्यालय पत्रांक 1733 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 475 मी0 लम्बाई, 6 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 ऊचांई में मिट्टी कार्य तथा 3.30 मी0 में खरंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 475 **X** 6.00 **X** 0.30 = 855.00
पटरी (बर्म) 2 **X** 475 **X** 1.35 **X** 0.15 = 192.37 कुल 1047.37 **X** 154.00 घन मी0 = रू0 1,61,294.98
350 एम0एम0 डाय हयूमपाइप 6 **X** 2.50 = 15.00 मी0 **X** 1530.00 = रू0 22,950.00
12% एम0बी0 रु0 22,950.00 = रू0 2,754.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 25,704.00 स्टीमेट में शामिल है
एम0बी0 अनुसार मिट्टी कार्य :- एम0बी0 22/ एल पेज 65, 73-75

0.15 मी0 से 0.60 मी0 तक मिट्टी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है, जबकि बोटम विड्थ 6.50 मी0 एवं टोप विड्थ 5.00 मी0 दर्शित है। 0.15 से 0.60 मी0 तक मिट्टी भराव में साइड स्लोप के सिद्धान्त 1: 2 के अनुसार टोप विड्थ एक समान रखने पर बोटम विड्थ एक सामान कैसे हो सकती है।

एम0बी0 अनुसार वर्तमान प्रोजेक्ट में 60 मी0 का अन्तराल रखे जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। अगर अन्तराल आवश्यक था, तो स्टीमेट में भी इसका प्रावधान किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्टीमेट के समय मोके का मुयाना नहीं किया गया था।

स्टीमेट में बर्म (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है परन्तु एम0बी0 में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खरंजा लगने के बाद बर्म पर मिट्टी न होने से खरंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

0.30 मी0 तक ही ई/डब्लू के ऊपर सोलिंग/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 कराये जाने का प्रावधान है, अगर इससे अधिक ई/डब्लू हो तो या तो मक0 कम्पीक्शन करेगें या एक बरसात निकलने के बाद उप पर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि कार्य करते समय मानकों से इतर कार्य कराया गया है, जिसमें तकनीकी मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है जिसके लिए सक्षम तकनीकि अधिकारी अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
एम0बी0 अनुसार मिट्टी 1085.09 घन मी0 (जिसमें पटरी शामिल नहीं है)
स्टीमेट अनुसार मिट्टी 855.00 घन मी0 अंतर 230.09 घन मी0 अधिक दी गई है।
पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 192.37 घन मी0 अंतर 230.09+192.37 कुल 422.46 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को गई है, तथा स्टीमेट में हयूमपाइप का भी प्रावधान किया गया है वह भी एम0बी0 अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः हयूमपाइप का मूल्य रू0 25,704.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।
इस प्रकार संस्था को मिट्टी से हानि (422.46 घन मी0 **X** 154.00/ घन मी0) = रूपये 65,058.84
हयूमपाइप के फर्जी प्रावधान से हानि = रूपये 25,704.00
योग हानि = रूपये 90,762.84

इस प्रकार रूपये 90,762.84 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्रपाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशांत पाण्डे से नियमानुसार करायी जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 19</u>- क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम तिल बेगमपुर में जाटवों के शमशान घाट तक मिट्टी/खड़ंजा कार्य 100 मीटर का स्टीमेट रूपये 1,95,000.00 में तैयार किया गया। जिसका कांट्रेक्ट विभागीय दर आइटम रेट पर मै0 ओ ऐम एस को कार्यालय पत्रांक 1764 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 200 मी0 लम्बाई, 6 मी0 चोड़ाई एवं 0.30 मी0 उचाई में मिटटी कार्य तथा 3.30 मी0 में खरंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 100 **X** 6.00 **X** 0.30 = 180.00 घन मी0
पटरी (एम0बी0) 2 **X** 100 **X** 1.35 **X** 0.15 = 40.50 घन मी0 कुल 220.50 **X** 154.00 घन मी = रू0 33,957.00

एम0एम0 एम0एम0 डाय हयूमपाइप 2 **X** 2.50 = 5.00 मी0 **X** 1,530.00 = रू0 7,650.00
12% जी0एस0टी0 रु0 7,650.00 = रू0 918.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 8,568.00 स्टीमेट में शामिल है
एम0बी0 अनुसार मिट्टी कार्य :- कार्य की माप बुक न0 22/ एल पेज 51-52, 54-55

0.30 मी0 से 0.50 मी0 तक मिटटी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है 0.30 से 0.50 मी0 तक मिट्टी भराव में साइड स्लोप के सिद्धांत 1:2 का पालन नहीं किया गया है।

स्टीमेट में एम0बी0 (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है परन्तु एम0बी0 में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खरंजा लगने के बाद एम0बी0 पर मिट्टी न होने से खरंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

0.30 मी0 तक ही ई/डब्लू के ऊपर सोलिंग/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 कराये जाने का प्रावधान है, अगर इससे अधिक ई/डब्लू हो तो या तो मक0 कम्पीक्शन करेगें या एक वरसात निकलने के बाद उसपर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि कार्य करते समय मानकों से इतर कार्य कराया गया है, जिसमें तकनीकी मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है जिसके लिए सक्षम तकनीकि अधिकारी अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। एम0बी0 में कांट्रेक्टर को लाभ के उददेश्य से बिना किसी अनुमति के 117 मी0 कार्य दर्शाया गया है।

एम0बी0 अनुसार मिट्टी 240.86 घन मी0(जिसमें पटरी शामिल नहीं है)

स्टीमेट अनुसार मिटटी 180.00 घन मी0 अंतर 60.86 घन मी0 अधिक दी गई है।

पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 40.50 घन मी0 अतः 60.86 + 40.50 कुल 101.36 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को गई है, तथा स्टीमेट में हयूमपाइप का भी प्रावधान किया गया है। वह भी एम0बी0 अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः हयूमपाइप का मूल्य रू0 8,568.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।

इस प्रकार संस्था को मिट्टी से हानि (101.36 घन मी0 * 154.00 घन मी0) = रू0 15,609.44

हयूमपाइप के फर्जी प्राबधान से हानि = रू0 8,568.00

योग हानि = रू0 24,177.44

इस प्रकार रू0 24,177.00 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्रपाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 20</u>- क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम ककोड़ देहात शेरपुर में रामचंद्र के मकान से बाल्मीकियों के शमशान तक मिट्टी /खरंजा कार्य 375 मी0 का स्टीमेट रू0 6,96,000.00 में तैयार किया गया जिसका कांटेक्ट 0.10 प्रतिशत कम पर आइटम रेट पर सोहन लाल पुत्र श्री तोता राम को रू0 6,95,304.00 में कार्यालय पत्रांक 1934 दिनांक 31.12.21 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 375 मी0 लम्बाई, 6 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 ऊचाई में मिटट्ी कार्य तथा 3.30 मी0 में खरंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 375 **X** 6.00 **X** 0.30 = 675.00 घन मी0
पटरी (बर्म) 2 **X** 372 **X** 1.35 **X** 0.15 = 151.87 घन मी0 कुल 826.87 **X** 154 **X** 00 घन मी = रू0 1,27,337.00
एम0एम0 एम0एम0 डाय हयूमपाइप 2 **X** 2.50 = 5.00 मी0 **X** 1,530.00= रू0 7,650.00
12% जी0एस0टी0 रू0 7650.00 = रू0 918.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 8,568.00 स्टीमेट में शामिल है
एम0बी अनुसार मिट्टी कार्यः - कार्य की माप बुक न0 20/ एल0 पेज 157-158 एवं 21/ एल0, 166

0.30 मी0 से अधिक तक मिटटी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है 0.30 से 0.50 मी0 तक मिट्टी भराव में साइड स्लोप के सिद्धांत 1:2 का पालन नहीं किया गया है।

स्टीमेट में बर्म (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है परन्तु एम0बी0 में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खरंजा लगने के बाद बर्म पर मिट्टी न होने से खरंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

0.30 मी0 तक ही ई/डब्लू के ऊपर सोलिंग/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 कराये जाने का प्रावधान है, अगर इससे अधिक ई/डब्लू हो तो या तो मक0 कम्पीक्शन करेगें या एक वरसात निकलने के बाद उस पर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि कार्य करते समय मानकों से इतर कार्य कराया गया है, जिसमें तकनीकी मार्गदर्शन नहीं दिया गया है जिसके लिए सक्षम तकनीकि अधिकारी अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

एम0बी0अनुसार मिट्टी 852.07 घन मी0 (जिसमें पटरी शामिल नहीं है)

स्टीमेट अनुसार मिट्टी 675.00 घन मी0 अंतर 177.07 घन मी0 अधिक दी गई है।

पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 151.87 घन मी0 अतः 177.07 + 151.87 कुल 328.94 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को गई है, तथा स्टीमेट में हयूमपाइप का भी प्रावधान किया गया है वह भी एम0बी0 अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः हयूमपाइप का मूल्य रू0 8,568.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।

इस प्रकार संस्था को मिट्टी से हानि (328.94 घन मी0 **X** 154.00 घन मी0) = रू0 50,656.76

हयूमपाइप के फर्जी प्राबधान से हानि = रू0 8,568.00

योग हानि = रू0 59,224.76

इस प्रकार रू0 59,224.76 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 21</u>- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम कोंदू में मेन रोड से शिव मंदिर तक मिट्टी /खरंजा कार्य 300 मी0 का स्टीमेट रू0 5,89,000.00 में तैयार किया गया, जिसका कांट्रेक्ट विभागीय आइटम रेट पर मैसर्स शिव कंस्ट्रक्शन को कार्यालय पत्रांक 2020, दिनांक 03.01.2022 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 475 मी0 लम्बाई, 6 मी0 चौडाई एवं 0.30 मी0 ऊचाई में मिट्टी कार्य तथा 3.30 मी0 में खरंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 300 **X** 6.00 **X** 0.30 = 540.00 घन मी0
पटरी (बर्म) 2 **X** 300 **X** 1.35 **X** 0.15 = 121.50 घन मी0 कुल 661.50 **X** 154.00 घन मी0 = रू0 1,01,871.00
एम0एम0 एम0एम0 डाय हयूमपाइप 6 **X** 2.50 = 15.00 मी0 **X** 1530.00 = रू0 22,950.00
12% जी0एस0टी0 रू0 22950.00 = रू0 2754.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 25,704.00 स्टीमेट में शामिल है
एम0बी0 अनुसार मिट्टी कार्यः- कार्य की माप बुक न0 21/ एल0 पेज 150-152

0.15 मी0 से 0.65 मी0 तक मिट्टी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है, जबकि बोटम विड्थ 6.50 मी0 एवं टोप विड्थ 5.00 मी0 दर्शित है। 0.15 से 0.66 मी0 तक मिट्टी भराव में साइड स्लोप के सिद्धान्त 1: 2 के अनुसार टोप विड्थ एक समान रखने पर बोटम विड्थ एक सामान कैसे हो सकती है।

स्टीमेट में बर्म (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है परन्तु एम0बी0 में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खरंजा लगने के बाद बर्म पर मिट्टी न होने से खरंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

साइड स्लोप एम0बी0 अनुसार मिट्टी 724.31 घन मी0 (जिसमें पटरी शामिल नहीं है)

स्टीमेट अनुसार मिटटी 540.00 घन मी0 अंतर 184.31 घन मी0 अधिक दी गई है।

पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 121.50 घन मी0 अतः 184.31 + 121.50 कुल 305.81 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को गई है, तथा एम0बी0 में हयूमपाइप का भी 05 मी0 कम प्रावधान किया गया है अतः हयूमपाइप का

मूल्य रू0 5 **X** 1,530.00 = 7,650.00 पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 918.00 कुल रू0 8,568.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।

एम0बी0 अनुसार खरंजा 303 मी0 में लगाया जाना दर्शित है, इस प्रकार खरंजा 03 मी0 अधिक दर्शाया गया है, अतः 1 **X** 3 **X** 2.45+ 3.15/2 = 8.4 वर्ग मी0 में अधिक खरंजा लगाया जाना दर्शाकर (8.4 **X** 390.00) = रू0 3,76.00 का लाभ कांट्रेक्ट को दिया गया है।

इस प्रकार संस्था को मिट्टी से हानि (305.81 घन मी0 **X** 154.00 घन मी0) त्ररू0 47,094.74

हयूमपाइप के फर्जी प्राबधान से हानि = रू0 8,568.00

योग हानि रू0 58,938.74

इस प्रकार रू0 58,938.74 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रश्न संख्या 22</u>- क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम अमीनगर में गणेश जी की टूवेल से शमसान घाट तक मिट्टी /खरंजा कार्य 60 मी0 का स्टीमेट रू0 1,18,000.00 में तैयार किया गया, जिसका कांटेक्ट विभागीय दर पर आइटम रेट पर सतीश कुमार पुत्र श्री राजपाल को कार्यालय पत्रांक 2004, दिनांक 03.01.2022 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 60 मी0 लम्बाई, 6 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 ऊचाई में मिट्टी कार्य तथा 3.30 मी0 में खरंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 60 **X** 6.00 **X** 0.30 = 108.00 घन मी0

पटरी (बर्म) 2 **X** 60 **X** 1.35 **X** 0.15 = 24.30 घन मी0 कुल 132.30 **X** 154.00 घन मी रू0 20,374.20

एम0एम0 एम0एम0 डाय हयूमपाइप 1 **X** 2.50 = 2.50 मी0 **X** 1530.00 = रू0 3,825.00

12% जी0एस0टी0 रू0 3825.00 = रू0 459.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 4,284.00 स्टीमेट में शामिल है

एम0बी0 अनुसार मिट्टी कार्यः- कार्य की माप बुक न0 21/ एल0 पेज 122, 148-149

0.15 मी0 से 0.70 मी0 तक मिट्टी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है, जबकि बोटम विड्थ 6.50 मी0 एवं टोप विड्थ 5.00 मी0 दर्शित है। जिसमें मिट्टी भराव में साइड स्लोप के सिद्धान्त 1: 2 का पालन नहीं किया गया है।

स्टीमेट में बर्म (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है परन्तु एम0बी0 में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खरंजा लगने के बाद ठमतद पर मिट्टी न होने से खरंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

0.30 मी0 तक ही ई/डब्लू के ऊपर सोलिंग/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 कराये जाने का प्रावधान है, अगर इससे अधिक ई/डब्लू हो तो या तो मक0 कम्पीक्शन करेगें या एक वरसात निकलने के बाद उप पर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि कार्य करते समय मानकों से इतर कार्य कराया गया है, जिसमें तकनीकी मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है जिसके लिए सक्षम तकनीकि अधिकारी अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

एम0बी0 अनुसार मिट्टी 139.68 घन मी0 (जिसमें पटरी शामिल नहीं है)

स्टीमेट अनुसार मिटटी 108.00 घन मी0 अंतर 31..68 घन मी0 अधिक दी गई है।

पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 24.30 घन मी0 अतः 31.68 + 24.30 कुल 55.98 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को गई है, तथा स्टीमेट में हयूमपाइप का भी प्रावधान किया गया है वह भी एम0बी0 अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः हयूमपाइप का मूल्य रू0 4284.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।

इस प्रकार संस्था को मिट्टी से हानि (55.98 घन मी0 **X** 154.00 घन मी0) = रू0 8,620.92

हयूमपाइप के फर्जी प्राबधान से हानि = रू0 4,284.00

योग हानि = रू0 12,904.92

इस प्रकार रू0 12,904.92 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 23</u> क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम भरना में गौशाला से लीलू ठेकेदार के खेत तक मिट्टी /खरंजा कार्य 350 मी0 का स्टीमेट रू0 3,50,000.00 में तैयार किया गया, जिसका कांटेक्ट विभागीय दर पर आइटम रेट पर सतीश कुमार पुत्र श्री राजपाल को कार्यालय पत्रांक 2002, दिनांक 03.01.2022 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 350 मी0 लम्बाई , 6 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 ऊचाई में मिटट्ी कार्य तथा 3.30 मी0 में खरंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 350 **X** 6.00 **X** 0.30 = 630.00 घन मी0

पटरी (बर्म) 2 **X** 350 **X** 1.35 **X** 0.15 = 141.75 घन मी0 कुल 771.75 **X** 154.00 घन मी = रू0 1,18,849.00

एम0एम0 आर सी सी डाय हयूमपाइप 4 **X** 2.50= 10.00 मी0 **X** 1530.00 = रू0 15,300.00

12% जी0एस0टी0 रू0 15,300.00= रू0 186.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 17,136.00 स्टीमेट में शामिल है

एम0बी0 अनुसार मिट्टी कार्यः- कार्य की माप बुक न0 21/ एल0 पेज 119, 141-143

0.30 मी0 से 0.60 मी0 तक मिट्टी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है। उपरोक्त कार्य 05.00 मी0 चौड़ाई में कराया जाना दर्शित है। जिसमें मिट्टी भराव के साइड स्लोप के सिद्धान्त 1: 2 का पालन नहीं किया गया है।

स्टीमेट में बर्म (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है, परन्तु एम0बी0 में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खड़ंजा लगने के बाद बर्म पर मिट्टी न होने से खरंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

0.30 मी0 तक ही ई/डब्लू के ऊपर सोलिंग/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 कराये जाने का प्रावधान है, अगर इससे अधिक ई/डब्लू हो तो या तो मक0 कम्पीक्शन करेगें या एक बरसात निकलने के बाद उस पर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि कार्य करते समय मानकों से इतर कार्य कराया गया है, जिसमें तकनीकी मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है जिसके लिए सक्षम तकनीकि अधिकारी अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

एम0बी0अनुसार मिट्टी 770.40 घन मी0 (जिसमें पटरी शामिल नहीं है)

स्टीमेट अनुसार मिटटी 630.00 घन मी0 अंतर 140.40 घन मी0 अधिक दी गई है।

पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 141.75 घन मी0, अतः 140.40 घन मी0 + 141.75 कुल 282.15 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को गई है, तथा स्टीमेट में हयूमपाइप का भी प्रावधान किया गया है वह भी एम0बी0अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः हयूमपाइप का मूल्य रू0 17,136.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।

इस प्रकार संस्था को मिटटी से हानि (282.15 घन मी0 × 154.00 घन मी0) = रू0 43,451.10

हयूमपाइप के फर्जी प्राबधान से हानि = रू0 17,136.00

योग हानि = रू0 60,587.10

इस प्रकार रू0 60,587.00 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 24</u>-. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम तिलढेरी में माता मन्दिर से शमसान रोड तक मिट्टी /खरंजा कार्य 210 मी0 का स्टीमेट रू0 4,04,000.00 में तैयार किया गया, जिसका कांटेक्ट विभागीय दर पर आइटम रेट पर सतीश कुमार पुत्र श्री राजपाल को कार्यालय पत्रांक 2003, दिनांक 03.01.2022 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 210 मी0 लम्बाई , 6 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 ऊचाई में मिट्टी 3.30 मी0 में खड़ंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 210 **X** 6.00 **X** 0.30 = 378.00 घन मी0
पटरी (बर्म) 2 **X** 210 **X** 1.35 **X** 0.15 = 85.08 घन मी0 कुल 463 **X** 154.00 घन मी = रू0 71,314.32
350 एम0एम0 एम0एम0 डाय हयूमपाइप 4 **X** 2.50 = 10मी0 **X** 1530.00 = रू0 15,300.00
12% जी0एस0टी0 रू0 15300.00= रू0 1836.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 17,136.00 स्टीमेट में शामिल है
एम0बी <u>अनुसार मिट्टी कार्यः</u>- कार्य की माप बुक न0 21/ एल0 पेज 120, 146-147
0.30 मी0 से 0.69 मी0 तक मिट्टी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है, जबकि उपरोक्त कार्य 5.50 मी0 चौड़ाई में कराया जाना दर्शित है। जिसमें मिट्टी भराव में साइड स्लोप के सिद्धान्त 1: 2 का पालन नहीं किया गया है।

स्टीमेट में बर्म (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है, परन्तु एम0बी में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खड़ंजा लगने के बाद बर्म पर मिट्टी न होने से खड़ंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

0.30 मी0 तक ही ई/डब्लू के ऊपर सोलिंग/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 कराये जाने का प्रावधान है, अगर इससे अधिक ई/डब्लू हो तो या तो मक0 कम्पीक्शन करेगें या एक बरसात निकलने के बाद उप पर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि कार्य करते समय मानकों से इतर कार्य कराया गया है, जिसमें तकनीकी मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है जिसके लिए सक्षम तकनीकि अधिकारी अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

एम0बी अनुसार मिट्टी 513.10 घन मी0 (जिसमें पटरी शामिल नहीं है)

स्टीमेट अनुसार मिटटी 378.00 घन मी0 अंतर 135.10 घन मी0 अधिक दी गई है।

पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 85.08 घन मी0 अतः 135.10+85.08 घन मी0 कुल 220.08 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को गई है, तथा स्टीमेट में हयूमपाइप का भी प्रावधान किया गया है वह भी एम0बी अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः हयूमपाइप का मूल्य रू0 17,36.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।

इस प्रकार संस्था को मिट्टी से हानि (220.08 घन मी0 * 154.00/घन मी0) = रू0 33,892.32

हयूमपाइप के फर्जी प्राबधान से हानि = रू0 17,136..00 योग हानि = रू0 51,028.32

इस प्रकार रू0 51,028.32 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 25</u>- क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम कनकपुर में कनकपुर मार्ग से लखपत की टयुबवैल तक मिट्टी /खरंजा कार्य 325.00 मी0 का स्टीमेट रू0 6,13,000.00 में तैयार किया गया, जिसका कांटेक्ट विभागीय दर पर आइटम रेट पर यतेन्द्र कुमार शर्मा को कार्यालय पत्रांक 1960, दिनांक 31.12.2021 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 325 मी0 लम्बाई , 6 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 ऊचाई में मिट्टी कार्य तथा 3.30 मी0 में खड़ंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 325 **X** 6.00 **X** 0.30 = 585.00 घन मी0

पटरी (बर्म) 2 **X** 325 **X** 1.35 **X** 0.15 = 131.62 घन मी0 कुल 716.62 **X** 154.00/घन मी0 = रू0 1,10,359.00
350 एम0एम0 एम0एम0 डाय हयूमपाइप 4 **X** 2.50 = 10मी0 **X** 1530.00 = रू0 15,300.00
12% जी0एस0टी0 रू0 15300.00 = रू0 1836.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 17,136.00 स्टीमेट में शामिल है
एम0बी अनुसार मिट्टी कार्य:- कार्य की माप बुक न0 21/ एल0 पेज 117, 135-137
0.30 मी0 से 0.66 मी0 तक मिट्टी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है। उपरोक्त कार्य 5.50 मी0 चौड़ाई में कराया जाना दर्शित है। जिसमें मिट्टी भराव में साइड स्लोप के सिद्धान्त 1: 2 का पालन नहीं किया गया है।

स्टीमेट में बर्म (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है, परन्तु एम0बी में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खड़ंजा लगने के बाद बर्म पर मिट्टी न होने से खड़ंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

0.30 मी0 तक ही ई/डब्लू के ऊपर सोलिंग/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 कराये जाने का प्रावधान है, अगर इससे अधिक ई/डब्लू हो तो या तो मक0 कम्पीक्शन करेगें या एक बरसात निकलने के बाद उस पर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि कार्य करते समय मानकों से इतर कार्य कराया गया है, जिसमें तकनीकी मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है जिसके लिए सक्षम तकनीकि अधिकारी अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

एम0बी अनुसार मिट्टी 757.12 घन मी0 (जिसमें पटरी शामिल नहीं है)
स्टीमेट अनुसार मिटटी 585.00 घन मी0 अंतर 172.12 घन मी0 अधिक दी गई है।
पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 131.62 घन मी0 अतः 131.62+172.12 घन मी0कुल 303.74 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को गई है, तथा स्टीमेट में हयूमपाइप का भी प्रावधान किया गया है वह भी एम0बी अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः हयूमपाइप का मूल्य रू0 17,136.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।

इस प्रकार संस्था को मिट्टी से हानि (303.74 घन मी0* 154.00/घन मी0) = रू0 46,775.96
हयूमपाइप के फर्जी प्राबधान से हानि = रू0 17,136..00
योग हानि = रू0 63,911.96

इस प्रकार रू0 63,911.96 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 26</u>- क्षेत्र पंचायत, सिकन्द्रबाद की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम भौंरा में अनिल की टयुबवैल से राजेन्द्र के मकान तक मिट्टी /खरंजा कार्य 465.00 मी0 का स्टीमेट रू0 8,68,000.00 में तैयार किया गया, जिसका कांटेक्ट विभागीय दर पर आइटम रेट पर यतेन्द्र कुमार शर्मा को कार्यालय पत्रांक 1959, दिनांक 31.12.2021 के द्वारा दिया गया था। स्टीमेट के अनुसार कार्य 465 मी0 लम्बाई 6 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 ऊचाई में मिट्टी कार्य तथा 3.30 मी0 में खड़ंजा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

स्टीमेट अनुसार मिट्टी कार्य- 1 **X** 465 **X** 6.00 **X** 0.30 = 837.00 घन मी0
पटरी (बर्म) 2 **X** 465 **X** 1.35 **X** 0 **X** 15 = 188.32 घन मी0 कुल 1025.32 घन मी0 **X** 154.00 = रू0 1,57,899.28
350 एम0एम0 एम0एम0 डाय हयूमपाइप 4 **X** 2.50 = 10मी0 **X** 1530.00 = रू0 15,300.00
12% जी0एस0टी0 रू0 15,300.00 = रू0 1836.00 पाइप का कुल मूल्य रू0 17 136.00 स्टीमेट में शामिल है
एम0बी अनुसार मिट्टी कार्य:- कार्य की माप बुक न0 22/ एल0 पेज 133, 136-138

0.30 मी0 से 0.75 मी0 तक मिट्टी भराव का कार्य कराया जाना दर्शित है। उपरोक्त कार्य 5.50 मी0 चौड़ाई एवं 488 मी0 लम्बाई में कराया जाना दर्शित है। इस प्रकार 23 मी0 का संशोधित स्टीमेट तैयार कराया जाना चाहिये था, जो

नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि स्टीमेट मोके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है। जिसमें मिट्टी भराव में साइड स्लोप के सिद्धान्त 1: 2 का पालन नहीं किया गया है।

स्टीमेट में बर्म (साइड पटरी) का प्रावधान किया गया है, परन्तु एम0बी में इसका कोई प्रावधान नहीं है, खड़ंजा लगने के बाद बर्म पर मिट्टी न होने से खड़ंजे की उपयोगिता एवं स्थायतित्व प्रभावित होगा।

0.30 मी0 तक ही ई/डब्लू के ऊपर सोलिंग/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 कराये जाने का प्रावधान है, अगर इससे अधिक ई/डब्लू हो तो या तो मक0 कम्पीक्शन करेगें या एक बरसात निकलने के बाद उस पर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि कार्य करते समय मानकों से इतर कार्य कराया गया है, जिसमें तकनीकी मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है जिसके लिए सक्षम तकनीकि अधिकारी अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

एम0बी अनुसार मिट्टी 1176.39 घन मी0 (जिसमें पटरी शामिल नहीं है)
स्टीमेट अनुसार मिटटी 837.00 घन मी0 अंतर 339.39 घन मी0 अधिक दी गई है।

पटरी हेतु प्रस्तावित मिट्टी 188.32 घन मी0 अतः 339.39+188.32 घन मी0कुल 527.71 घन मी0 मिट्टी की क्षति संस्था को की गई है, तथा स्टीमेट में हयूमपाइका भी प्रावधान किया गया है वह भी एम0बी अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। अतः हयूमपाइका मूल्य रू0 17,136.00 भी स्टीमेट में अधिक जोड़ा गया है।

इस प्रकार संस्था को मिट्टी से हानि (527.71 घन मी0 × 154.00/घन मी0) = रू0 81,267.34
हयूमपाइके फर्जी प्राबधान से हानि = रू0 17,136..00
योग हानि = रू0 98,403.34

इस प्रकार रू0 98,403.34 की वसूली अवर अभियन्ता श्री क्षेत्र पाल सिंह, लेखाकार श्री आस मोहम्मद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री निशान्त पाण्डेय से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस् र संख्या 27</u>- खंड विकास अधिकारी अरनिया के कार्यालय पत्रांक संख्या 707/लेखाकार/2021-22, दिनांक 07.12.2021 के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में कुल 28 कार्य हेतु अल्पकालिक निविदा सूचना प्रकाशित कराये जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम तीन टेंडर अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं । जिस पर निम्न विवरण अनुसार निविदा मूल्य, जीएसटी, एवं स्टेशनरी मूल्य लिया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

मद	धनराशि)रुपए में(	टेंडरों की संख्या	योग
टेंडर निविदा मूल्य	20,150.00	03	60,450.00
जीएसटी 18%	3,497.00	03	10,491.00
जमानत राशि	10,37,150.00	03	31,11,450.00
योग			31,82,391.00

इस प्रकार टेंडर बिक्री से प्राप्त धनराशि रुपए 70,941.00 एवं धरोहर राशि रुपए 31,11,450.00 कुल रुपए 31,82,391.00 संस्था के किस बैंक खाते में जमा की गई एवं धनराशि का लेखा नगद रोकड़ बही में किया गया या नहीं की पुष्टि नहीं कराई गई, जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसमें

उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए लेखाकार श्री सगीर अहमद एवं श्री घनश्याम वर्मा, खंड विकास अधिकारी से नियमानुसार वसूली की जानी अपेक्षित है ।

<u>प्रस्तर संख्या 28</u>- विकास खंड अरनिया में लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त से रुपए 64,53,893.00 एवं केंद्रीय वित्त से रुपए 96,83,903.00 कुल रुपए 1,61,37,796.00 के बैंक आहरण के सापेक्ष रुपए 1,36,74,767.00 की ही निर्माण पत्रावलियां उपलब्ध कराई गई। अंतर राशि रुपए 24,63,029.00 के बैंक आहरण के व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण किया गया व्यय पूर्णतया अपुष्ट रहा । परिपालन के समय व्यय प्रमाणक एवं संगत अभिलेखों से पुष्टि कराया जाए अन्यथा की स्थिति में वित्त लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के पैरा 8 क के अनुसार किए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने की दशा में धनराशि रुपए 24,63,029.00 गबन की श्रेणी में आती है, इसकी वसूली आंकिक श्री सगीर अहमद एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री पारस नाथ यादव, श्री निशांत पांडेय, श्री घनश्याम वर्मा एवं श्री अमर जीत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 29</u>- विकास खंड अरनिया में लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण अनुसार पांचवा राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्य कराये गए हैं, विवरण निम्न प्रकार से है

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि	माप पुस्तिका	पेज संख्या
1	ग्राम रायपुर मौजपुर में कैलाश के घर से प्राथमिक विद्यालय की ओर सीसी कार्य व नाली निर्माण ।	9,31,582.00	4/ एल0 1/ एल0	64-65 141-46
2	ग्राम बगराई में नरेश मास्टर जी के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए पोखर तक नाला निर्माण ।	3,41,072.00	4/ एल0	66-70
3	ग्राम सैंदा फरीदपुर में ओमप्रकाश प्यारेलाल के खेत से खुर्जा शिकारपुर तक मिटटी खरंजा व पुलिया निर्माण ।	8,95,544.00	7/ एल0	24-26
4	ग्राम मुनी में जरारा मार्ग पर ढक बाबा मंदिर परिसर में सार्वजनिक स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य ।	3,29,345.00	4/ एल0	12-13
5	ग्राम मलगोसा में शौकत के घर से कब्रिस्तान की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य ।	9,75,315.00	7/ एल0 1/ एल0	07-20 146-52
6	ग्राम बादशाहपुर पचगाई में सनी बीडीसी की दुकान से शिवकुमार के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स वह नाली निर्माण कार्य ।	8,37,537.00	4/ एल0 1/ एल0	32-35 102-06
7	ग्राम पंचायत बगराई में शिकारपुर मार्ग से सतीश चौधरी जी की फैक्ट्री तक मिटटी खरंजा कार्य ।	94,432.00	1/ एल0	73-75
8	प्राथमिक विद्यालय कलाखुरी में इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य ।	1,52,067.00	7/ एल0	42-43
9	ग्राम देवराला में सामुदायिक विकास केंद्र का निर्माण कार्य ।	7,87,664.00	4/ एल0 1/ एल0	18-19 36-41 75-93

10	ग्राम नियमताबाद में नेत्रपाल सिंह के घर से महेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स वह नाली निर्माण कार्य।	731261.00	1/ एल0	67-72
11	ग्राम झुमका में बृजेश के घर से अजय जीतन के मकान से नरेश के मकान तक व भगवत दयाल के मकान से रेवती शर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य।	578079.00	4/ एल0 1/ एल0	48-52 131-34
12	ग्राम सलेमपुर पहाड़गड़ी में सतीश सिंह के खेत से होली चौक तक इंटरलॉकिंग टाइल्स वह नाली निर्माण कार्य 33 6659।	665933.00	4/ एल0	53-56 106-111
13	ग्राम भोगपुर में मुख्य मार्ग से बंटी प्रधान के घेर की ओर मिट्टी खंजर कार्य।	299593.00	7/ एल0 1/ एल0	27-28 112-13
14	ग्राम रुक्कनपुर में सुशील शर्मा के घर से हनुमान मंदिर होते हुए तालाब तक नाला निर्माण।	554443.00	4/ एल0	14-17
15	ग्राम अगोरा अमीरपुर में रफाकत के घर से महासिंह मास्टर जी के घेर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य।	550301.00	4/ एल0 1/ एल0	20-21 134-38
16	ग्राम रामबाग में पिपली पुलिया के पास स्थित पुलिया का सुंदरीकरण कार्य।	698611.00	3/ एल0	25-27
17	ग्राम बगराई में रिसोर्ट के सामने नाला निर्माण कार्य।	743181.00	4/ एल0 1/ एल0	57-58 119-21
18	ग्राम खुतैना में जैतपुर वालों के मकान से आश्रम की ओर वाले रास्ते पर आबादी तक मिटटी खरंजा व नाली निर्माण।	702628.00	7/ एल0 4/ एल0	37-38 47-50
19	ग्राम करौरा में साकेत भारद्वाज के घेर से सरकारी ट्यूबवेल की ओर खड़ंजा कार्य।	944654.00	7/ एल0	35-36 44-46
20	ग्राम बड़ागांव में कृष्णा के घर से शीशपाल के घर तक इंटर लॉकिंग टाइल्स वह नाली निर्माण कार्य।	534334.00	7/ एल0 1/ एल0	35-41 121-25
21	ग्राम दशहरी में बैराज शेखर महादेव आश्रम में स्थित सार्वजनिक स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य।	651554.00	7/ एल0 4/ एल0	04-06 45-47
22	ग्राम दशहरी में सिद्ध बाबा आश्रम में स्थित सार्वजनिक स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य।	475637.00	7/ एल0 4/ एल0	01-03 42-44
	योग	1,36,74,767.00		

उपरोक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच उपरांत निम्न आपत्तियां निर्गत की गई है-

(अ) उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 6,10,11,15 एवं 20 पर दर्शित निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004, दिनांक 12.01.2005 व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-14-93 जी/20 दिनांक 24.06.2014 तथा शासनादेश संख्या-1539 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 16.09.2015 के प्रस्तर 2 से 5 के विपरीत इस आशय का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा कि

कराए गए कार्य से कम से कम 2 ग्राम पंचायत संयोजित करते हैं पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि प्राय सभी कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराए गए हैं जो उक्त शासनादेश का उल्लंघन है और धनराशि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179(2क) के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्यों पर रुपए 32,31,512.00 का व्यय कर अनियमिता की गई है,(उक्त निर्माण कार्य आपत्ति के भाग-आ में सम्मिलित कुल 22 निर्माण कार्यों में शामिल हैं) जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियंता श्री सचिन यादव लेखाकार श्री सगीर अहमद तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री पारस नाथ यादव, श्री निशांत पांडेय, श्री घनश्याम वर्मा एवं श्री अमर जीत सिंह पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ) उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्य की पत्रावली में संलग्न फार्म नंबर 27 पर मांप पुस्तिका एवं पेज संख्या अंकित है परंतु माप पुस्तिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण प्राक्कलन एवं माप के आधार पर कार्य की समीक्षा की नहीं जा सकी। जिस कारण मनमाने तरीके से माप अंकित कर भुगतान कराए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रुपए 1,36,74,767.00 कुल 22 निर्माण पत्रावलियों पर किया गया भुगतान अपुष्ट रहा । उच्च अधिकारियों का ध्यान इस और विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियंता श्री सचिन यादव लेखाकार श्री सगीर अहमद तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री पारस नाथ यादव, श्री निशांत पांडेय, श्री घनश्याम वर्मा एवं श्री अमर जीत सिंह पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस् र संख्या 30</u>- विकास खंड अरनिया में लेखा परीक्षा में निम्न विवरण अनुसार उपखनिजों का प्रयोग निर्माण पत्रावलियों में अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है -

क्रम सं0	कार्य का नाम	फाइन सेंड की मात्रा क्युबिक मीमें 0	कोर सेंट की मात्रा क्युबिक मी 0	स्टोन की मात्रा क्युबिक मी0
1	ग्राम रायपुर मौजपुर में कैलाश के घर से प्राथमिक विद्यालय की ओर सीसी कार्य व नाली निर्माण ।	- -	48.91	5.56
2	ग्राम बगराई में नरेश मास्टर जी के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए पोखर तक नाला निर्माण ।	- -	84.24	4.61
3	ग्राम मुनी में जरारा मार्ग पर ढक बाबा मंदिर परिसर में सार्वजनिक स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य ।	- -	2.80	27.72
4	ग्राम मलगोसा में शौकत के घर से कब्रिस्तान की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य ।	- -	34.56	63.84
5	ग्राम बादशाहपुर पचगाई में सनी बीडीसी की दुकान से शिवकुमार के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स वह नाली निर्माण कार्य ।	- -	9.42	36.82

6	प्राथमिक विद्यालय कलाखुरी में इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य ।	- -	1.47	10.39
7	ग्राम देवराला में सामुदायिक विकास केंद्र का निर्माण कार्य	- -	21.67	3.14
8	ग्राम नियमताबाद में नेत्रपाल सिंह के घर से महेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स वह नाली निर्माण कार्य ।	- -	54.22	5.69
9	ग्राम झुमका में बृजेश के घर से अजय जीतन के मकान से नरेश के मकान तक व भगवत दयाल के मकान से रेवती शर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य ।	- -	34.75	39.43
10	ग्राम सलेमपुर पहाड़गड़ी में सतीश सिंह के खेत से होली चौक तक इंटरलॉकिंग टाइल्स वह नाली निर्माण कार्य 33 6659।	- -	11.74	29.27
11	ग्राम रुक्कनपुर में सुशील शर्मा के घर से हनुमान मंदिर होते हुए तालाब तक नाला निर्माण ।	- -	155.38	29.32
12	ग्राम अगोरा अमीरपुर में रफाकत के घर से महासिंह मास्टर जी के घेर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य	- -	16.05	36.41
13	ग्राम रामबाग में पिपली पुलिया के पास स्थित पुलिया का सुंदरीकरण कार्य ।	- -	25.31	47.58
14	ग्राम बगराई में रिसोर्ट के सामने नाला निर्माण कार्य	- -	38.83	73.00
15	ग्राम खुतैना में जैतपुर वालों के मकान से आश्रम की ओर वाले रास्ते पर आबादी तक मिटटी खरंजा व नाली निर्माण ।	- -	83.29	20.44
16	ग्राम बड़ागांव में कृष्णा के घर से शीशपाल के घर तक इंटर लॉकिंग टाइल्स वह नाली निर्माण कार्य ।	- -	6.08	42.21
17	ग्राम दशहरी में बैराज शेखर महादेव आश्रम में स्थित सार्वजनिक स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य ।	- -	7.84	49.98
18	ग्राम दशहरी में सिद्ध बाबा आश्रम में स्थित सार्वजनिक स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य ।	- -	1.95	36.76
	योग	- -	**638.51**	562.17

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खंड अरनिया में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त कोर सैंड 638.51 क्यूबिक मीटर रुपए 150 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से रुपए 95,776.50 व एवं स्टोन 562.17 क्यूबिक मीटर 160.00 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर की दर से रुपए 84,325.50 कुल रुपए (95,776.50+84,325.50) कुल रुपये 1,80,102.00 की रायल्टी जमा किए जाने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा और ना ही वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) ही उपलब्ध कराए गए। अतः शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 एवं शासनादेश संख्या 39/2020/990/86-20, 20-52 (सा0) 2019 टी सी, दिनांक 23.06.2020 के प्रावधान अनुसार आंकिक श्री सगीर अहमद, अवर अभियंता श्री सचिन यादव एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री पारस नाथ यादव, श्री निशांत पांडेय, श्री घनश्याम वर्मा एवं श्री अमर जीत सिंह पर दायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार वसूली की उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम-गौतमबुद्धनगर

वर्ष-2021-22

प्रारुप-03

जनपद का नाम-गौतमबुद्धनगर। **सम्भाग**-मेरठ।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-01 क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में गोवंश आश्रय स्थल मद में कुल रू1230290.00 व्यय किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय से संबंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में व्यय की गई धनराशि रू1230290.00 की पुष्टि न हो सकी। जो अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार पूर्ण रुप से जिम्मेदार हैं, अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से तातारीख बराबर ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय।

प्रस्तर संख्या-02

क. 08(1)5- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से काटे गए टी0डी0एस की कटौती को संबंधित को जमा नहीं किया गया। अंकन रू17204.00। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से पेनाल्टी सहित राशि जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ख. 08(1)6- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से 02 प्रतिशत की जी0एस0टी0 की कटौती न कर गम्भीर अनियमित्ता की गई। अंकन रू17204.00। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से नियमानुसार इस राशि की वसूली पेनाल्टी सहित कर संबंधित विभाग को की जानी अपेक्षित है।

ग. 08(1)7- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ठेकेदार को किए गए जी0एस0टी0 का भुगतान संबंधित विभाग को जमा न होना। अंकन रू79300.00। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से नियमानुसार इस राशि की वसूली पेनाल्टी सहित कर संबंधित विभाग को की जानी अपेक्षित है।

घ. 08(1)8- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गई। अंकन रू8602.00। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से इस राशि को पेनाल्टी सहित वसूल करके उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कलयाण के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

ङ. 08(2)4- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से काटे गए टी0डी0एस की कटौती को संबंधित को जमा नहीं किया गया। अंकन रू26040.00। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से पेनाल्टी सहित राशि राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

च. 08(2)5- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से 02 प्रतिशत की जी0एस0टी0 की कटौती न कर गम्भीर अनियमित्ता की गई है।अंकन रू26040.00। जी0एस0टी0 न काटने के लिए संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद इसकी वसूली कर कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

छ. 08(2)6- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गई। अंकन रू13020.00। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से पेनाल्टी सहित राशि राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03

क. 09(1)06- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से काटे गए टी0डी0एस की कटौती को संबंधित को जमा नहीं किया गया।अंकन रू93292.00। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से पेनाल्टी सहित राशि राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ख. 09(1)07- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से 02 प्रतिशत की जी0एस0टी0 की कटौती न कर व ठेकेदार को किए गए की जी0एस0टी0 के भुगतान की पुष्टि नहीं।अंकन रू93292.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं व रू508728.00 के लिए संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा व अवर अभियन्ता श्री राशिद मिन्हाज पूर्ण रूप से जिम्मदार हैं। अतः इसके लिए जिम्मेदार से पेनाल्टी सहित राशि जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग. 09(1)08- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गई। अंकन रू46646.00। उत्तरादायी खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद से राशि वसूल करके उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

घ. 09(2)05- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से काटे गए टी0डी0एस0 की कटौती को संबंधित को जमा नहीं किया गया। अंकन रू29653.00। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से पेनाल्टी सहित राशि वसूल कर संबंधित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है।

ङ. 09(2)06- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से 02 प्रतिशत की जी0एस0टी0 की कटौती न कर व ठेकेदार को किए गए जी0एस0टी0 के भुगतान की पुष्टि नहीं। अंकन रू29653.00 व रू182700.00 क्रमशः। अतः इसके लिए जिम्मेदार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद व लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा से पेनाल्टी सहित राशि वसूल कर संबंधित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है।

च. 09(2)07- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गई। अंकन रू 19270.00। खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद से राशि वसूल करके उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण खाते में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04

क. 10(1)- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में बिल से काटे गए टी0डी0एस की काटौती को संबंधित विभाग को जमा नहीं किया गया। अंकन रू111165.00। इसके के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद, लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा व अवर अभियन्ता श्री राशिद मिन्हाज पूर्ण रूप से जिम्मदार हैं। जिम्मदार व्यक्तियों से पेनाल्टी सहित उक्त धनराशि वसूली कर संबंधित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है।

ख. 10(2)- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ठेकेदार को किए गए जी0एस0टी0 का भुगतान संबंधित विभाग को जमा न होना। अंकन रू677650.00। इसके के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद, लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा व अवर अभियन्ता श्री राशिद मिन्हाज जिम्मदार हैं। जिम्मदार व्यक्तियों से पेनाल्टी सहित उक्त धनराशि वसूली कर संबंधित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है।

ग. 10(3)- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 01 प्रतिशत लेबर सेस व 02 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती न करना। अंकन रू 60723.00 व रू 121445.00 क्रमशः। इसके के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद, लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा व अवर अभियन्ता श्री राशिद मिन्हाज जिम्मदार हैं। जिम्मदार व्यक्तियों से पेनाल्टी सहित उक्त धनराशि वसूली कर संबंधित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है।

घ. 10(5)- क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 12 कार्यों की कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण व्यय की गई धनराशि की पुष्टि का न होना। अंकन रू 5951093.00। इसके के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद, लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा जिम्मदार हैं। उक्त धनराशि की ततारीख ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी , लेखाकार व अवर अभियन्ता से बराबर भागों में की जाय।

प्रस्तर संख्या-05 क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में खण्ड विकास अधिकारी से इण्डियन बैंक खाता संख्या-21445546300 से वर्ष दौरान रू 7076722.00 आहरित किया गया है, जिसमें से रू 5165407.00 की पुष्टि राज्य वित्त मद अनुदान पंजिका-2 से होती है और शेष धनराशि रू 1911315.00 अपुष्ट रहीं। जिसमें से रू 138215.00 का भुगतान मि0बी0आर0 को पार्किंग एसी को तथा रू 1773100.00 का एन0ई0एफ0एम0एस0 पाण्डचेरी व अन्य को किया गया है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक व पत्रावली के अभाव में अपुष्ट रहीं धनराशि रू 1911315.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण किया जा सकता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद, लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा पूर्ण रूप से जिम्मदार हैं। इसकी विस्तृत जांच कर दोषी व्यक्तियों से तातारीख ब्याज सहित वसूली राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त के इण्डियन बैंक खता संख्या-50521792966 से वर्ष दौरान कुल रू 11332348.00 आहरित किया गया है, जिसमें से रू 10690308.00 की पुष्टि केन्द्रीय वित्त मद अनुदान पंजिका-2 से होती हैऔर शेष धनराशि रू 642040 अपुष्ट रहीं ।अपुष्ट धनराशि का भुगतान सी.पी.एम.एस.ई.सी.एस.पूल, एन.ई.एफ.एम.एस, पाण्डचेरी व अन्य को किया गया है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक व पत्रावली के अभाव में अपुष्टि रहीं धनराशि रू 642040.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण किया जा सकता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनवर शेख, श्री कुंवर सिंह यादव व श्री हनुमान प्रसाद, लेखाकार श्री विष्णु प्रसाद शर्मा पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, इसकी विस्तृत जांच कर दोषी व्यक्तियों से तातारीख ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोष में जमा की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्याः-07 क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल रू 24592297.00 का निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया हैं। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख जैसे-बिल/वाउचर्स, साईट फोटो, टेंडर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। इसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती नेहा सिंह, श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव, श्रीमती अर्चना कुमार, श्री अम्बुज कुमार, लेखाकार श्री मनोज कुमार, व अवर अभियन्ता हैं।

जनपद - गाज़ियाबाद **मण्डल - मेरठ**

प्रारूप 03

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत वर्ष 2021-22

<u>क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ</u>

<u>प्रस्तर संख्या 01-</u> क्षेत्र पंचायत लोनी द्वारा वर्ष 2017-18 में टीडीएस रु 178737.00**,** वैट रु 289991.00 तथा लेबर सेस रु 71000.00 कुल धनराशि रु 539728.00 की कटौती की गई। इसी तरह वर्ष 2018-19 में टीडीएस रु 194018.00, वैट/जीएसटी टीडीएस रु 169763.00 व लेबर सेस रु 92528.00 कुल धनराशि रु 456309.00 की कटौती की गई। दोनों वर्षों की कुल कटौतियाँ रु 996037.00 के राजकोष मे जमा किए जाने का साक्ष्य/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। राजकोष मे उक्त धन की जमा होने की पुष्टि नहीं हुई अतः राजकोष को क्षति पहुंचाई गई। इस हेतु तत्कालीन बीडीओ सुश्री वर्षा सिंह और तत्कालीन लेखाकार श्री अमित सिंह परिहार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 02-</u> क्षेत्र पंचायत लोनी के ग्राम इलायचीपुर मुख्य मार्ग से ग्राम खुदावास संपर्क मार्ग के आंशिक भाग पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स कार्य पर वास्तविक व्यय कार्ययोजना में अनुमानित व्यय से रु 83598.00 अधिक किया गया। गंभीर अनियमितता हेतु तत्कालीन बीडीओ सुश्री वर्षा सिंह और तत्कालीन लेखाकार श्री अमित सिंह परिहार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 03-</u> क्षेत्र पंचायत लोनी वर्ष 2017-18 में रु 10303084.39 व वर्ष 2018-19 रु 12859007.39 अनुदान अवशेष रह गया था। जिसे शासनादेश में निर्धारित निर्देशों के अनुरूप शासन को वापस न करके गंभीर अनियमितता की गई। इस हेतु तत्कालीन बीडीओ सुश्री वर्षा सिंह और तत्कालीन लेखाकार श्री अमित सिंह परिहार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 04- क्षेत्र पंचायत भोजपुर में वर्ष 2020-21 में रु 220248.00 और वर्ष 2021-22 मे रु 168003.00 का व्यय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद मे किया गया। कुल धनराशि रु 388251.00 की पुष्टि हेतु साक्ष्य/प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उक्त अपुष्टित रहा। इस हेतु तत्कालीन बीडीओ श्री फैसल आलम और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 05- क्षेत्र पंचायत भोजपुर में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कराए गए निर्माण कार्यों पर सेस रु 144137.61, जीएसटी रु 288275.00 एवं आयकर टीडीएस रु 288257.00 कुल रु 720687.61 की कटौती की गई। परंतु उक्त धनराशि के राजकोष में जमा कराने का कोई साक्ष्य/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया स्तिथि गंभीर आपत्तिजनक है जिसके लिए तत्कालीन बीडीओ श्री फैसल आलम और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सांख्य 06- क्षेत्र पंचायत भोजपुर में वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग खाता में वर्षांत जमा शेष और अनुदान रजिस्टर-3 के आंकड़ों मे रु 455724.00 का अंतर पाया गया। अंतर का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो कि गंभीर आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए तत्कालीन बीडीओ श्री फैसल आलम और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 07- क्षेत्र पंचायत भोजपुर के ग्रांट रजिस्टर-3 व बैंक पासबुक (विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि) में रु 2686551.00 का अंतर पाया गया जिसका विवरण लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। संबंधित कतिपय व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे जिससे व्यय अपुष्टित रहा। इस हेतु तत्कालीन बीडीओ श्री फैसल आलम और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 08- शासनादेश संख्या 10/2015-ए-2-502(1) दस 2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 का उल्लंघन करते हुए विभिन्न खातों में अर्जित ब्याज रु 2015501.00 राजकोष में जमा नहीं कराया गया जो की गंभीर आपत्तिजनक है जिसके लिए तत्कालीन बीडीओ श्री फैसल आलम और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे।

प्रस्तर संख्या 09- क्षेत्र पंचायत भोजपुर में वर्ष 2020-21 में बैंक स्टेटमेंट और ग्रांट रजिस्टर-3 में रु 1021740.00 का अंतर पाया गया अंतर का विवरण/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया

गया। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा। इस हेतु तत्कालीन बीडीओ श्री फैसल आलम और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 10- क्षेत्र पंचायत लोनी में वर्ष 2021-22 में रु 21138.00 गत वर्ष के अवशेष को ग्रांट रजिस्टर लेखा नहीं किया गया प्रशासनिक मद खाता सं० 00793 की इस धनराशि व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। तत्कालीन बीडीओ श्री प्रहलाद सिंह और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 11- क्षेत्र पंचायत लोनी में वर्ष 2021-22 में रु 716116.70 का व्यय सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों पर किए जाने की पुष्टि में चयन सूची व स्वीकृति पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। तत्कालीन बी0डी0ओ0 प्रहलाद सिंह व लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 12- क्षेत्र पंचायत लोनी में लेबर सेस की कटौती धनराशि वर्ष 2020**-21** की रू 188996.00 व वर्ष 2021**-22** की रू 259619.00 लेबर सेस विभाग को ट्रांसफर नहीं किया गया। कुल धनराशि रू 448615.00 श्रम कार्यालय को नहीं भेज कर गम्भीर अनियमितता बरती गई। इस हेतु तत्कालीन बी**0**डी**0**ओ**0** श्री प्रहलाद सिंह और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 13- क्षेत्र पंचायत लोनी में वित्तीय वर्ष 2021-22 के वर्षान्त में ग्रांट रजिस्टर-3 और बैंक खातों में जमा अवशेष के मध्य रू 12887660.24 का अन्तर रहा। अन्तर का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अंतर की धनराशि की धनराशि के व्यय के सापेक्ष साक्ष्य/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। अत: व्यय अपुष्टित रहा। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री प्रहलाद सिंह और तत्कालीन लेखाकार श्री ललित कुमार उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 14- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर में वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना**,** सांसद निधि व विधायक निधि में कुल व्यय रू 13656654.00 के सापेक्ष कोई भी साक्ष्य/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अजितेश कुमार सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री मदनलाल उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 15- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर में वर्ष 2021-22 में ग्रान्ट रजिस्टर-3 व 15 वें वित्त आयोग के बैंक स्टेटमेन्ट में जमा अवशेष के मध्य रू 1126724.09 का अन्तर पाया गया। अन्तर की धनराशि का विवरण, साक्ष्य/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया स्थिति गंभीर आपत्तिजनक है। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अजितेश कुमार सिंह और तत्कालीन लेखाकार श्री मदनलाल उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 16- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर में वर्ष 2021-22 में ग्रान्ट रजिस्टर-3 व राज्य वित्त खाता के बैंक स्टेटमेंट में रू 901459.16 का अन्तर पाया गया। अन्तर की धनराशि का विवरण/साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस हेतु तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अजितेश कुमार सिंह और लेखाकार श्री मदनलाल उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 17- क्षेत्र पंचायत मुरादनगर में वर्ष 2021-22 निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों से जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 रू 129320.00 की कटौती की गई। इस धनराशि के जमा किए जाने का साक्ष्य जी0एस0टी0आर0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो गंभीर आपत्तिजनक रहा। जुर्माना सहित रू 134320.00 का जमा किया जाना अपेक्षित रहा। तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अजितेश कुमार सिंह व तत्कालीन लेखाकार श्री मदनलाल उत्तरदायी रहे। कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-3

जनपद का नाम-मेरठ **मण्डल का नाम-मेरठ।**

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तिया-

प्रस्तर:-1-क्षेत्र पंचायत जानी खुर्द में आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत स्तर पर निम्नार्किंत मदों के अतंर्गत दर्शित धनराशि विगत वर्षो से दर्शायी जा रही है। जिसका समयान्तर्गत निस्तारण नही किया गया है। उक्त स्थिति गम्भीर आपत्तिजनक रही। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	मद का नाम	31.03.2022 को शेष
1	बी0पी0एल0 सर्वे	5981.00
2	त्रिस्तरीय पंचायत मानदेय	4370.00
3	जिला पंचायत सर्वे	46900.00
4	पर्यावरण एवं जन जागरण	10500.00
5	मल्टी सेक्ट्रल डवलमेन्ट	100000.00
	योग	**167751.00**

उक्त राशि का शीघ्र निस्तारण/समायोजन नियमानुसार किया जाये अन्यथा की स्थिति में धनराशि वापसी ब्याज सहित श्री अनिल कुमार ब्लॉक प्रमुख, श्री राजीव कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार वर्मा, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर:-2. क्षेत्र पंचायत जानी खुर्द में शा.सं.ए--1-122/दस-2012-10 33/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैक में रखकर ब्याज अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में नियत खाते (हैड)में जमा करा दिया जाना चाहियेए आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा

शासनादेश का उल्लघन करते हुए कुल अंकन रू0 136824-79 की राशि को वर्षान्त में रोककर रखा गया जबकि उक्त राशि को नियम समय के अंतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु श्री अनिल कुमार ब्लॉक प्रमुख, श्री राजीव कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार वर्मा, लेखाकार उत्तरदायी हैा उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर:-3- क्षेत्र पंचायत जानी खुर्द में आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय वित्त टाइड का अनुदान प्राप्त रू0 10243466.00 एवं प्रारम्भिक शेष रू0 277126.00 रहा कुल रू0 10520592.00 वर्षान्त में अप्रयुक्त अनुदान रहा। वर्ष में इस अनुदान का उपभोग नही किया गया है। उक्त का शीघ्र निस्तारण/समायोजन किया जाये अन्यथा इसे शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है, जिसका दायित्व जिस हेतु श्री राजीव कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार वर्मा, लेखाकार उत्तरदायी हैा उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर:-4- क्षेत्र पंचायत जानी खुर्द की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रू0 1680560.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.़2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्ते व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नही की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में नही हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव वर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राकेश कुमार वर्मा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर:-5- क्षेत्र पंचायत जानी खुर्द की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत कुल रू0 141062.70 के सापेक्ष धनराशि रू0 7198.80 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यो की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नही की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सासंद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नही हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव वर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राकेश कुमार वर्मा लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर:-6- क्षेत्र पंचायत जानी खुर्द में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे ंजांच हेतु उपलब्ध नही कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	गोवंश	2047500.00
2	स्वच्छता	55266.13
3	पंचायत निर्वाचन	309000.00
4	त्रिस्तरीय पंचायत जलपान	54000.00
5	टी0डी0एस0	52698.00
6	कोविड-19	66000.00
7	लेबर सेस	26349.00
	योग	**2610813.13**

वर्ष के दारौन ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नही किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री राजीव वर्मा खण्ड विकास अधिकारी एवं राकेश कुमार वर्मा लेखाकार का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर:-7- क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत स्तर पर निम्नांकित मदों के अतंर्गत दर्शित धनराशि विगत वर्षो से दर्शायी जा रही है। जिसका समयान्तर्गत निस्तारण नही किया गया है। उक्त स्थिति गम्भीर आपत्तिजनक रही। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	मद का नाम	31.03.2022 को शेष
1	रेपिड सर्वे राशि/पर्यावरण प्रशिक्षण	5000.00
2	त्रिस्तरीय पंचायत मानदेय	50500.00
3	पंचायत सर्वे मानदेय/स्वान केन्द्र	10000.00
4	13वा वित्त	13.00
	योग	**65513.00**

उक्त राशि का शीघ्र निस्तारण/समायोजन नियमानुसार किया जाये अन्यथा की स्थिति में धनराशि वापसी ब्याज सहित की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिस हेतु श्री हरेन्द्र कुमार, ब्लॉक प्रमुख , श्री दीपक तेवतिया, एवं श्री रविन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा अवधेश राणा, लेखाकार उत्तरदायी है।

(आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर:-8. क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द में शा.सं.ए--1-122/दस-2012-10 33/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैक में रखकर ब्याज अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में नियत खाते ;हैडद्धमें जमा करा दिया जाना चाहियेए आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश का उल्लघन करते हुए कुल अंकन रू0 86739-38 की राशि को वर्षान्त में रोककर रखा गया जबकि उक्त राशि को नियम समय के अंतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु श्री हरेन्द्र कुमार, ब्लॉक प्रमुख , श्री दीपक तेवतिया, एवं श्री रविन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा अवधेश राणा, लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर:-9- क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रू0 72414.89 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की प्रत्रावली प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन0आर0ई0जी0ए0/2008/लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नही की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दीपक तेवतिया एवं श्री रविन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर:-10- क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रू0 374300.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44वी0आई0पी0/26.03.़2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्ते व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा

में नही की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में नही हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दीपक तेवतिया एवं श्री रविन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर:-11- क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि एवं सासंद निधि के अन्तर्गत क्रमशः रू0 24403.00 एंव रू0 141062.70 कुल रू0 165265.70 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यो की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी/लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नही की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 91वी0नि0(1)/38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि/सासंद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नही हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दीपक तेवतिया एवं श्री रविन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर:-12- क्षेत्र पंचायत सरूरपुर खुर्द में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे ंजांच हेतु उपलब्ध नही कराया गया है विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	गोवंश	1665326.00
2	खेलकूद	12000.00
3	पंचायत निर्वाचन	29900.00
4	त्रिस्तरीय पंचायत जलपाल	43000.00
5	टी0डी0एस0/लेबर सेस	49138.00
	योग	**2499364.00**

वर्ष के दारौन ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नही किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री दीपक तेवतिया एवं श्री रविन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अवधेश राणा का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर:-13- क्षेत्र पंचायत खरखौदा में वर्ष 2019-20 से 2021-22 में टेण्डर बिक्री से प्राप्त आय पर धनराशि रू0 18104.00 की जी0एस0टी0 दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग में जमा नही की गई है,जिससे राजकीय राजस्व की क्षति की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी सुश्री अंजू शर्मा, श्री अम्बरीश कुमार तथा श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री संजय जैन उत्तरदायी हैा उक्त जी0एस0टी0 जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-28)

प्रस्तर:-14- क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों में टी0डी0एस0 के रूप में अंकन रू0 401040.00 आयकर कटौती की गई है, जिसे जमा नही कराकर जानबूझकर रोककर रखा गया है, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार राजकीय राजस्व की क्षति की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी सुश्री अंजू शर्मा, श्री अम्बरीश कुमार तथा श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री संजय जैन उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-29)

प्रस्तर:-15- क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यो पर ठेकेदारों के बिलों से अंकन रू0 171384.00 लेबर सेस की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा नही कराकर जानबूझकर रोककर रखा गया है, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार राजकीय राजस्व की क्षति की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी सुश्री अंजू शर्मा, श्री अम्बरीश कुमार तथा श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री संजय जैन उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-30)

प्रस्तर:-16- क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यो पर अंकन रू0 342169.00 जी0एस0टी0 दर्शित है,जिसे सम्बन्धित विभाग में जमा नही की गई है, राजकीय राजस्व की क्षति की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी सुश्री अंजू शर्मा, श्री अम्बरीश कुमार तथा श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री संजय जैन उत्तरदायी है। उक्त जी0एस0टी0 अविलम्ब जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-31)

प्रस्तर:-17- - क्षेत्र पंचायत माछरा की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में गोवंश आश्रय स्थल माह- जुलाई 21 में अन्त अवशेष धनराशि रूपया- 104301.30 जबकि अगले माह अगस्त के प्रारम्भ में उक्त धनराशि के स्थान पर रूपया- 43911.30 पैसा दर्शाया गया है। इस प्रकार रूपया- 60390.00 कम धनराशि दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है, जिस हेतु श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार तथा श्री प्रमोद कुमार अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ब्याज सहित श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार तथा श्री प्रमोद कुमार अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर:-18- क्षेत्र पंचायत माछरा की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में श्री मुनकाद अली, सांसद निधि फरवरी 2022 के प्रारम्भिक अवशेष में रूपया -836576.15 पैसा तथा उक्त फरवरी माह में आय रूपया -5799.00 दर्शाया गया है तथा उक्त माह में व्यय रूपया -12694.00 दर्शाया गया है। मसान्त के अवशेष रूपया -114035.00 ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा अनुसार मासान्त अवशेष रूपया -829681.15 होना चाहिए था। इस प्रकार रूपया -715646.15 कम दर्शाया गया है। तथा अगले माह माह मार्च के प्रारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष रूपया -842375.15 दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रारम्भिक अवशेष रूपया -12694.00 अधिक दर्शाया गया है। जो नियमानुसार त्रुटिपूर्ण अन्तर का समाधान किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर:-19- क्षेत्र पंचायत माछरा की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में विधायक निधि माननीय सत्यबीर त्यागी की जमानत राशि माह सितम्बर के क्लोजिंग के बैलेंन्स में रूपया -237205.00 था किन्तु अगले वर्ष माह अक्टूबर के प्रारम्भ में उक्त धनराशि को ग्रान्ट रजिस्टर 3 में दर्ज नही किया गया है। इस प्रकार रूपया -237205.00 का अपरहण कर लिया गया है,जिस हेतु श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर:-20- क्षेत्र पंचायत माछरा की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्रान्ट रजिस्टर- 3 के अनुसार निम्नवत् सूची के अनुसार सम्बन्धित मदो में व्यय किया गया है। उक्त मदो के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के दौरान कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख/पत्रावली को प्रस्तुत नही किया गया है।

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष में व्यय
	1	**2**
1	राज्य वित्त आयोग	7370430-00
2	केन्द्रीय वित्त आयोग	919367-00
	योग	**8289797-00**
	प्रस्तुत चार निर्माण पत्रावलियो का सकल योग	**1104838-00**

	अवशेष धनराशि	**7184959-00**
3	विधायक निधि माननीय सत्यवीर त्यागी	6314070-65
4	सांसद निधि माननीय मुनकाद अली	12694-00
	सांसद निधि माननीय विजय पाल तोमर	3614-00
5	गोवंश आश्रय	395850-00
6	मनरेगाकंटीजेंसी	136429-00
7	टी0डी0एस0/ जी0एस0टी0/लेबर सेस कटौती	611649-00
8	कार्यालय व्यय	16156-00
9	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	2153032-00
10	कंटीजेंसी विभिन मद	567-45
11	युवा खेल कूद	12000-00
12	मानदेय आगन वाड़ी	112000-00
13	नामिनेसंन हलफनामा	10000-00
14	विधायक निधि श्रीमती सरोजनी अग्रवाल	166140-00
	कुल योग -	**17129161-10**

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्रान्ट रजिस्टर- 3 के अनुसार केन्द्रीय वित्त रूपया- 919367.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कुल- 04 निर्माण पत्रावलियों की समीक्षा में पाया गया कि योजना के नाम पर राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त निधि अंकित है। जिससे कि व्यय किस योजना के अन्तर्गत किया गया, अस्पष्ट किया गया है। कुल- 04 निर्माण पत्रावलियों में रूपया- 1104838.00 की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की सकल व्यय रूपया- 8289797.00 के सापेक्ष मात्र रूपया- 1104838.00 की पत्रावली प्रस्तुत रही, शेष रूपया- 7184959.00 की व्यय की निर्माण पत्रालियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इसके अतिरिक्त रूपया- 9944202-10 व्यय के उपरोक्त सूची अनुसार मदों की निर्माण पत्रालियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार कुल रूपया- 17129161-10 व्यय की निर्माण पत्रालियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिस हेतु श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार तथा श्री प्रमोद कुमार अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर:-21- क्षेत्र पंचायत माछरा की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम गोबिन्दपुर शक्करपुर में ब्रिजपाल के मकान के पास पुलिया निर्माण कार्य में कई मदों में प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक/कम भुगतान किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है –

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार**			**अन्तिम बिल के अनुसार**			**धनराशि में अन्तर**
		मात्रा	**दर**	**धनराशि**	**मात्रा**	**दर**	**धनराशि**	
1.	अर्थ वर्क एक्सकेवेशन इन फाउनडेशन	15.6	183	2854.80	21	183	3843	988.20
2.	पी0सी0सी0 इन फाउनडेशन1:4:8	2.4	3030	7272	2.8	3030	8484	1212
3.	एम0 150 क्लास ब्रिक वर्क	6.84	4300	29432.64	7.72	4300	33196	3763.36
4.	अर्थ वर्क इमबैंकमेन्ट	2.4	208	499.20	2.8	208	582.40	83.20
5.	12 एम0 एम0 थिक प्लास्टर 1:4	12	155	1860	16.8	155	2604	744
6.	पी0सी0सी0 वर्क 1:2:4	0.41	5280	2138.40	-	-	-	-
7.	आर0 सी0 सी0 वर्क 1:1.5:3	2.85	6840	19494	2.16	6840	14474.40	5019.60
8.	एम0 एस0 आयरन वर्क इन आर0 सी0 सी0	3.02	5850	17668.68	2.94	5850	17199	469.68
9.	पी0सी0सी0 वर्क 1:1.5:3	4.8	6300	30240	4.88	6300	30744	504
			योग:-	**111459.72**			**111126.80**	

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी -

1. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार टेण्डर हेतु सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशित कराया जायेगा। सार्वजनिक नोटिस के द्वारा एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्र में उपरोक्त टेण्डर का प्रकाशन पत्रावली में संलग्न नही है।
2. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 (1) एवं 36 (1) के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्री की माप के सम्बन्ध माप पुस्तिका पत्रावली में संलग्न नही है।
3. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार कार्य समाप्ति का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही है।
4. उपरोक्त कार्य में कई मदों में विचलन पाया गया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 5 के अनुसार विचलन की अनुमति समक्ष अधिकारी से नही ली गयी है।
5. विचलन की दशा में संशोधित प्राक्कलन नही बनाया गया।
6. विचलन मदों में अधिक अथवा कम विचलन का कारण भी स्पष्ट नही किया गया है।
7. मदों में विचलन की स्थिति से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक प्राक्कलन पूर्णतः काल्पनिक बनाया गया था।
8. विचलन के अनुसार कई मदों में रूपया- 5489.28 कम एवं कई मदो में रूपया- 7294.76 अधिक का विचलन पाया गया है। अधिक विचलन की धनराशि रूपया- 7294.76 वसूली ब्याज सहित योग्य है।
9. पी0 सी0 सी0 वर्क 1:2:4 का कार्य प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार नही कराया गया। काम न कराये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा।
10. एम0- 150 क्लास ब्रिक कार्य की मात्रा विचलन में 0.88 मीटर क्यूब से अधिक करके रूपया- 3763.36 अधिक पाया गया तथा सी0 सी0 कार्य में सीमेन्ट कन्क्रीट 11.53को 0.69 मीटर क्यूब से कम करके रूपया- 5019.60 कम किया गया है। पी0सी0सी0 वर्क 11.53को 0.08 मीटर क्यूब से अधिक करके रूपया- 504.00 अधिक किया गया है। पी0सी0सी0 इन फाउनडेशन 1:4:8 को 0.40 मीटर क्यूब से अधिक करके रूपया- 1212.00 अधिक किया गया है। एम0- 150 क्लास ब्रिक कार्य प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक पाया गया जबकि सीमेन्ट का प्रयोग प्रारम्भिक प्राक्कलन से कम किया गया जो कि संदिग्ध है। इससे प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुरूप सी0 सी0 पुलिया कार्य की लम्बाई एवं चैड़ाई भी प्रभावित हुयी। जिससे सी0 सी0 पुलिया निर्माण के अधोमानक होने की भी सम्भावना है। जिस हेतु श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार तथा श्री प्रमोद कुमार अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-15)

प्रस्तर:-22- क्षेत्र पंचायत माछरा की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम- फतेहपुर नारायण में ओमपाल पुत्र ब्रम्ह सिंह के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य में कई मदों में प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक/कम भुगतान किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्रम संख्या	मद का नाम	प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार			अन्तिम बिल के अनुसार			धनराशि में अन्तर
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि	
1.	अर्थ वर्क एक्सकेवेशन इन फाउनडेशन	7.59	90	683.44	7.59	90	683.44	-
2.	पी0सी0सी0 इन फाउनडेशन1:4:8	1.41	3030	4260.94	1.69	3030	5120.70	859.76
3.	एम0 150 क्लास ब्रिक वर्क	1.28	4300	5497.16	1.54	4300	6622	1124.84
4.	अर्थ वर्क इमबैंकमेन्ट	9.0	78	702	24.02	78	1873.56	1171.56
5.	12 एम0 एम0 थिक प्लास्टर 1:4	2.03	155	314.65	2.25	155	348.55	33.90
6.	लेइंग आफ बी0ओ0ई0 सोलिंग विद एम0 150 ब्रिक वर्क	16.5	385	6352	7.92	385	3049.20	3302.80
7.	लेइंग आफ 450 एम0एम0 डाया मीटर ह्यूम पाइप	7.50	160	1200	7.50	160	1200	-
8.	सप्लाई आफ 450 एम0एम0 डाया मीटर ह्यूम पाइप साइट पर	7.50	1985.69	14892.68	7.50	1985.69	14892.68	-
9.	पी0पी0सी0 इन 1:2:4	0.03	5280	145.73	0.02	5280	105.60	40.13
				योग:-34048.60			**33895.73**	

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी -

1. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार टेण्डर हेतु सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशित कराया जायेगा। सार्वजनिक नोटिस के द्वारा एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्र में उपरोक्त टेण्डर का प्रकाशन पत्रावली में संलग्न नही है।

2. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 (1) एवं 36 (1) के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्री की माप के सम्बन्ध माप पुस्तिका पत्रावली में संलग्न नही है।
3. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार कार्य समाप्ति का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही है।
4. उपरोक्त कार्य में कई मदों में विचलन पाया गया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 5 के अनुसार विचलन की अनुमति समक्ष अधिकारी से नही ली गयी है।
5. विचलन की दशा में संशोधित प्राक्कलन नही बनाया गया।
6. विचलन मदों में अधिक अथवा कम विचलन का कारण भी स्पष्ट नही किया गया है।
7. मदों में विचलन की स्थिति से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक प्राक्कलन पूर्णतः काल्पनिक बनाया गया था।
8. विचलन के अनुसार कई मदों में रूपया- 3342.93 कम एवं कई मदो में रूपया- 3190.06 अधिक का विचलन पाया गया है। अधिक विचलन की धनराशि रूपया- 3190.06 वसूली ब्याज सहित योग्य है।
9- एम0- 150 क्लास ब्रिक, कार्य की मात्रा विचलन में 0.26 मीटर क्यूब से अधिक करके रूपया- 1124.84 अधिक पाया गया तथा लेइंग आफ बी0ओ0ई0 सोलिंग विद एम0 150 ब्रिक वर्क को 8.58 मीटर क्यूब से कम करके रूपया- 3302.80 कम किया गया है। एम0- 150 क्लास ब्रिक कार्य प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक पाया गया जबकि लेइंग आफ बी0ओ0ई0 सोलिंग विद एम0 150 ब्रिक वर्क प्रारम्भिक प्राक्कलन से कम किया गया जो कि संदिग्ध है। इससे प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुरूप पुलिया निर्माण कार्य की लम्बाई एवं चैड़ाई भी प्रभावित हुयी। जिससे पुलिया निर्माण कार्य के अधोमानक होने की भी सम्भावना है। जिस हेतु श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार तथा श्री प्रमोद कुमार अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर:-23- क्षेत्र पंचायत माछरा की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम- कैलीरामपुर में प्रमोद के मकान से अम्बेडकर प्रागण में इन्टरलार्किंग कार्य में कई मदों में प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक/कम भुगतान किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्रम सं	मद का नाम	प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार			अन्तिम बिल के अनुसार			धनराशि में अन्तर
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि	
1.	बेस कन्क्रीट 1:6:12	0.91	2740	2482.44	0.39	2740	1068.60	1413.84
2.	अर्थ वर्क इन्वैकमेन्ट कटिंग एक्सकेवेशन	187.79	208	39059.28	204.41	208	42517.28	3458
3.	कन्स्ट्रसन आफ ग्रेनुलर सब बेस	41.73	2705	112879.65	44.83	2705	121265.15	8385.50
4.	एम0 150 क्लास ब्रिक वर्क	10.84	4300	46612.00	8.59	4300	36937.00	9675
5.	सप्लाई एण्ड लेईग आफ 80 एम0 एम0 थीक वर्क	417.30	760	317148.00	448.36	760	340753.60	23605.60
6.	कंन्क्रीट सीमेन्ट वर्क 1:2:4	1.28	5280	6758.40	1.25	5280	6600	158.40
7.	12 एम0एम0 थिक प्लास्टर विथ सीमेन्ट एण्ड सैन्ड	62.40	155	9672.00	35.59	155	5516.45	4155.55
8.	आर0 सी0 सी0 सीमेन्ट वर्क 11.53	3.2	6840	21888	-	-	-	-
9.	एम0एस0 आयरन वर्क आर0सी0सी0	3.77	5850	22042.80	-	-	-	-
			योग:-	**578542.57**			**554658.08**	

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी -

1. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार टेण्डर हेतु सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशित कराया जायेगा। सार्वजनिक नोटिस के द्वारा एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्र में उपरोक्त टेण्डर का प्रकाशन पत्रावली में संलग्न नही है।
2. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 (1) एवं 36 (1) के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्री की माप के सम्बन्ध माप पुस्तिका पत्रावली में संलग्न नही है।

3. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार कार्य समाप्ति का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही है।
4. उपरोक्त कार्य में कई मदों में विचलन पाया गया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 5 के अनुसार विचलन की अनुमति समक्ष अधिकारी से नही ली गयी है।
5. विचलन की दशा में संशोधित प्राक्कलन नही बनाया गया।
6. विचलन मदों में अधिक अथवा कम विचलन का कारण भी स्पष्ट नही किया गया है।
7. मदों में विचलन की स्थिति से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक प्राक्कलन पूर्णतः काल्पनिक बनाया गया था।
8. विचलन के अनुसार कई मदों में रूपया- 15402.79 कम एवं कई मदो में रूपया- 35449.00 अधिक का विचलन पाया गया है। अधिक विचलन की धनराशि रूपया- 35449.00 वसूली ब्याज सहित योग्य है।
9. एम0- 150 क्लास ब्रिक, कार्य की मात्रा विचलन में 2.25 मीटर क्यूब से कम करके रूपया- 9675.00 कम पाया गया तथा सप्लाई एण्ड लेईग आॅफ 80 एम0 एम0 थीक वर्क को 31.06 मीटर क्यूब से अधिक करके रूपया- 23605.60 अधिक किया गया है। एम0- 150 क्लास ब्रिक कार्य प्रारम्भिक प्राक्कलन से कम पाया गया जबकि सप्लाई एण्ड लेईग आॅफ 80 एम0 एम0 थीक वर्क प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक किया गया जो कि संदिग्ध है। इससे प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुरूप इण्टर लार्किंग कार्य की लम्बाई एवं चैड़ाई भी प्रभावित हुयी । साथ ही आर0 सी0 सी0 सीमेन्ट वर्क 11.53एवं एम0 एस0 आयरन वर्क आर0 सी0 सी0 का कार्य प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार नही कराया गया है। जिससे इण्टर लार्किंग कार्य के अधोमानक होने की भी सम्भावना है। जिस हेतु श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार तथा श्री प्रमोद कुमार अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर:-24- क्षेत्र पंचायत माछरा की आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम- बहलोल से समरपाल से नाले की पुलिया तक इण्टर लार्किंग कार्य में कई मदों में प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक/कम भुगतान किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्रम सं	मद का नाम	प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार			अन्तिम बिल के अनुसार			धनराशि में अन्तर
		मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि	
1.	बेस कन्क्रीट 1:6:12	2.63	2740	7192.50	3.85	2740	10549	3356.50
2.	अर्थ वर्क इन्वैकमेन्ट कटिंग एक्सकेवेशन	113.25	208	23556	86.41	208	17973.28	5582.72
3.	कन्स्ट्रसन आफ ग्रेनुलर सब बेस	34.25	2660	91105	33.77	2660	89828.20	1276.8
4.	एम0 150 क्लास ब्रिक वर्क	5.18	4300	22274	6.10	4300	26230	3956
5.	सप्लाई एण्ड लेईग आफ 80 एम0 एम0 थीक वर्क	342.50	760	260300	337.83	760	256750.80	3549.20
6.	कंन्क्रीट सीमेन्ट वर्क 1:2:4	0.88	5280	4646.40	1.54	5280	8131.20	3483.80
7.	12 एम0एम0 थिक प्लास्टर विथ सीमेन्ट एण्ड सैन्ड	20.00	155	3100	15.60	155	2418	682
				योग:-412173.90			**411880.48**	

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी -

1. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार टेण्डर हेतु सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशित कराया जायेगा। सार्वजनिक नोटिस के द्वारा एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्र में उपरोक्त टेण्डर का प्रकाशन पत्रावली में संलग्न नही है।
2. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 35 (1) एवं 36 (1) के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्री की माप के सम्बन्ध माप पुस्तिका पत्रावली में संलग्न नही है।
3. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार कार्य समाप्ति का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही है।
4. उपरोक्त कार्य में कई मदों में विचलन पाया गया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 5 के अनुसार विचलन की अनुमति समक्ष अधिकारी से नही ली गयी है।
5. विचलन की दशा में संशोधित प्राक्कलन नही बनाया गया।
6. विचलन मदों में अधिक अथवा कम विचलन का कारण भी स्पष्ट नही किया गया है।

7. मदों में विचलन की स्थिति से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक प्राक्कलन पूर्णतः काल्पनिक बनाया गया था।
8. विचलन के अनुसार कई मदों में रूपया- 11090.72 कम एवं कई मदो में रूपया- 10796.30 अधिक का विचलन पाया गया है। अधिक विचलन की धनराशि रूपया- 10796.30 वसूली ब्याज सहित योग्य है।
9. एम0- 150 क्लास ब्रिक कार्य की मात्रा विचलन में 0.92 मीटर क्यूब से अधिक करके रूपया- 3956.00 अधिक पाया गया तथा सप्लाई एण्ड लेईग आफ 80 एम0 एम0 थीक वर्क को 4.67 मीटर क्यूब से कम करके रूपया- 3549.20.00 कम किया गया है। एम0- 150 क्लास ब्रिक कार्य प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक पाया गया जबकि सप्लाई एण्ड लेईग आफ 80 एम0 एम0 थीक वर्क प्रारम्भिक प्राक्कलन से कम किया गया जो कि संदिग्ध है। इससे प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुरूप इण्टर लाकिंग कार्य की लम्बाई एवं चैड़ाई भी प्रभावित हुयी । साथ ही अर्थ वर्क इन्वैकमेन्ट कटिंग एक्सकेवेशन का कार्य प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार कम तथा आर0 सी0 सी0 व एम0 एस0 आयरन का कार्य नही कराया गया है। जिससे इण्टर लाकिंग कार्य के अधोमानक होने की भी सम्भावना है।
आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार आगनवाड़ी मानदेय रूपया 102000-00 माह- दिसम्बर 2021 के अन्त में अवशेष दिखाया गया है किन्तु जनवरी 2022 के माह के प्रारम्भ में नही दर्शाया गया है। जिस हेतु श्री गोपाल गोयल,बी0डी0ओ0, श्री जेम्स कुमार लेखाकार तथा श्री प्रमोद कुमार अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर:-25- क्षेत्र पंचायत मवाना आलोच्य वर्ष में 31.03.2022 को कुल अंकन 31049670.91 अप्रयुक्त अनुदान शेष रहा, जिसका ना तो उपयोग किया गया और ना शासन को वापस किया गया जो गम्भीर अनियमितता है। अतः श्री सुरेन्द्र कुमार तथा श्री अम्बरीश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री रमेशपाल उत्तरदायी है।

(मूल आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर:-26- क्षेत्र पंचायत हस्तिनापुर में पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या (1017/33-3-2020 11 / 2020 दिनांक 6 जून, 2020 के अनुसार भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2019 में यह निर्देश दिए गए हैं कि पंचायती राज विभाग के केन्द्र पुरोनिधानित समस्त योजनाओं की धनराशि पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से ही व्यय की जायेगी। इस कम में सभी सम्बन्धित एजेंसी एवं वेण्डर्स को पी. एफ. एम. एस. पोर्टल पर रजिस्टर एवं मैप करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों एवं वेण्डर्स को भुगतान पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से ही किया जाये।ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जनपद स्तर का उस योजना विशेष से सम्बन्धित बैंक खाता योजना के राज्य स्तरीय बैंक खाते के साथ मैप्ड होगा । बिन्दु 2 के अनुसार दिनांक 30.06.2020 के उपरान्त सभी भुगतान पी. एफ. एम. एस. / रीट की व्यवस्था के अनुसार ही किए जाने चाहिए। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं किए गए भुगतान की राशि की वसूली ब्याज सहित भी उनसे की जा सकती है।
लेखा परीक्षा में पाया गया कि गोवंश संरक्षण योजना संबंधी गोवंश आश्रय स्थल मद के बैंक स्टेटमेंट अनुसार समस्त भुगतान चेक के माध्यम से किए गए हैं जोकि उक्त शासनादेश का उल्लंघन है तथा आपत्तिजनक रहा। इसका कारण स्पष्ट किया जाए। भविष्य में शासनादेश में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए लाभार्थियों अथवा प्राप्तकर्ताओं का पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व मैपिंग कराया जाना आवश्यक है ताकि भुगतान नियमानुसार हो सके। आलोच्य वर्ष में खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा रू० 6761400-00 की धनराशि का चैक से भुगतान कर शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। जोकि अनियमित रहा। जिस हेतु श्री नितिन पोसवाल ब्लॉक प्रमुख, श्री शैलेन्द्र सिंह व अमरीश कुमार, बी0डी0ओ0 तथा श्री आदेश कुमार चौरसिया, लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर:-27- क्षेत्र पंचायत हस्तिनापुर द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबंधित ठेकेदारों को किये गये भुगतान में 10 प्रतिशत की दर से रू० 377287-00 का भुगतान जी0एस0टी0 मद में किया जाना दर्शाया गया है। उक्त जमा की पुष्टि में क्षेत्र पंचायत में कोई भी अभिलेख/चालान लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कराया जाना अपेक्षित था। अत: उक्त जमा धनराशि अपुष्ट रही। जो अपेक्षित रहा। जिस हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री आदेश कुमार चौरसिया का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु श्री शैलेन्द्र सिंह व अमरीश कुमार, बी0डी0ओ0 तथा श्री आदेश कुमार चौरसिया, लेखाकार उत्तरदायी है।

(मूल आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर:-28- क्षेत्र पंचायत हस्तिनापुर में जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकरण विनिर्धारण किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 01-10-2018 से प्रभावी है। इस संबंध में कमिश्नर वाणिज्य कर ने 26 सितंबर 2018 में यह निर्देशित किया है कि समस्त सरकारी विभागो, सरकारी एजेंसी एवं स्थानीय निकायों द्वारा रू० 02-50 लाख से अधिक के सप्लाई के आदेश के विरुद्ध किए गए भुगतान पर 01% की दर से सीजीएसटी तथा 1% की दर से एसजीएसटी की कटौती किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा वर्ष में भुगतान बिलों से 2% की दर से लेखा परीक्षा आगणन

अनुसार रू० 75458-00 जमा कराने की पुष्टि में संस्था द्वारा कोई चालानपुष्टि पत्र/ विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया/, जिससे उक्त के द्वारा राजकीय कोष में जमा की पुष्टि न हो सकी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में तत्कालीन श्री शैलेन्द्र सिंह व अमरीश कुमार, बी०डी०ओ तथा लेखाकार श्री आदेश कुमार से ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर:-29- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ के ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष आलोच्य 2021-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों के व्यय भी दर्शित है :-

क्र०	विवरण योजना का नाम	धनराशि
1.	मनरेगा कन्टीजेन्सी	18248.00
2.	कन्टीजेन्सी	9900.00
3.	स्वान केन्द्र मरम्मत कन्टीजेन्सी	10000.00
4.	पंचायत निर्वाचन हल्का नाश्ता	49500.00
5.	बी0 एल0 ओ0 मानदेय	119400.00
	कुल योग	**207048.00**

लेखा परीक्षा के समय उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक मदों मे अंकित व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु कैशबुक जिसमें तिथिवार क्रमानुसार व्ययो का पूर्ण विवरण अंकित हो, व्यय प्रमाणको/बिलो की ग्राड फाईल, सम्बन्धित व्ययो की पत्रावलियां, व्यय धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, क्रमांक संख्या 04 की पुष्टि में निर्वाचन क्रामिको की उपस्थिति का प्रमाण पंजिका जिससे यह अस्पष्ट रहा की कितने निर्वाचन क्रामिको को हल्का नाश्ता कराया गया है। क्रमांक 5 की मानदेय भुगतान पंजिका, बी0एल0ओ0 नियुक्ति पत्रो की पत्रावली एवं उनकी उपस्थिति की पंजिका आदि अप्राप्त रहे। अतः व्यय प्रमाणको एवं कैशबुक के अभाव मे उपरोक्त मदों के व्यय रूपये 207048.00 विवरणरहित एवं लेखा नियमो के विपरीत है। जो अधिभार योग्य है। **अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री जैम्स कुमार, लेखाकार एवं श्री शेलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री ब्रहम सिंह, ब्लाक प्रमुख से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 207048.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(मूल आपत्ति सं0-21)

प्रस्तर:-30- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ के ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष आलोच्य 2021-2022 में दिनांक 1.4.2021 को रायल्टी मद मे रूपये 28311.00 भुगतान किया जाना शेष था जिसका वर्ष आलोच्य 2021-2022 मे भुगतान नही किया गया है और यह राशि दिनांक 31.03.2022 को भी भुगतान हेतु शेष दर्शित है। **यथासमय शासकीय देय राशि का भुगतान न किया जाना वित्तीय गम्भीर अनियमित्ता है जिसके लिए श्री जैम्स कुमार, लेखाकार एवं श्री शेलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अतः रूपये 28311.00 का शीघ्र निस्तारण अपेक्षित है। समुचित कार्यावाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।**

(मूल आपत्ति सं0-22)

प्रस्तर:-31- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ के ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष आलोच्य 2021-2022 में 15 वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल रूपये 14942062.00 व्यय दर्शित है। इस व्यय राशि के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश मे आयी :-

(अ)- इस व्यय राशि में कितना व्यय टाईड मदों पर किया गया है और कितना अनटाईड मदो पर किया गया है पृथक-2 विवरण अंकित नही किया गया है। जिसके कारण टाईड/अनटाईड व्यय की पृथक-2 स्थिति अज्ञात रही जबकि शासनादेश संख्या-1717/33-3-2021-33/2020 पंचायतीराज अनुभाग – 3, दिनांक 07 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में अनटाईड/टाईड ग्रान्ट उपयोग हेतु दिशानिर्देश दिये गये है। उक्त की पृथक-2 स्वीकृत कार्ययोजनाए भी अप्रस्तुत रही। जिसके कारण यह अस्पष्ट व अपुष्ट रहा कि उक्त शासनादेश के अनुरूप ही व्यय किया गये है।

(ब)- निर्माण पत्रावलियो में प्रायः शासनादेश संख्या – 1836/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के अनुपालन मे तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न नही है। जैसे – ग्राम जटौला मे मूलचन्द से सुरेश तक नाली निर्माण कार्य का दिनांक 19.2.2022 को रूपये 215228.00 का भुगतान आदि।

(स)- निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ , कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु अधिकांश पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

(द)- 15 वें वित्त आयोग अनुदान धनराशि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या – 4/2018/आर0जी0-2021/10/2018-मित0-1/2017, दिनांक 18-09-2018 का पालन नही किया गया है। जबकि अपेक्षित था।

(य)- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ़ द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बहार कार्य कराये गया दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी0डब्लू डी0/ संस्थाओ के अनआपत्तित्र निर्माण पत्रावलियो मे संलग्न नही है जिसके कारण कार्यो के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

(र)- निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं0 – 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे एम0 एम0 – 11 संलग्न नही है।

(ल)- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 535 (व) के अनुसार प्रत्येक 50 हजार रूपये से ऊपर के कार्यो का अन्तिम भुगतान बिना ए0 ई0 प्रमाण पत्र के बिना नही किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों मे उक्त आशय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(व)- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 537 एवं 538 के अनुसार प्रारूप – 22 (आ), 27 (आ) एवं 27 (बा) का जे0ई0 द्वारा कोई पालन नही किया गया है। निर्माण पत्रावलियों से उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।

(ट)- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के अध्याय 14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422, 423 के अनुपालन मे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलो/बाउचरो आदि का पूर्ण लेखा जोखा माप पुस्तिका मे अंकित किया जायेगा। किन्तु इसका कोई पालन नही किया गया है।

(ठ)- निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

(ड)- कराये गये निर्माण कार्यो का पूर्ण लेखा-जोखा अचल सम्पत्ति रजिस्टर मे किया गया है अथवा नही इसकी जाँच एवं पुष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत कर नही करायी गयी है।आदि आदि।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 14942062.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है जो अधिभार योग्य है। **अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री जैम्स कुमार, लेखाकार एवं श्री शेलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री ब्रहम सिंह, ब्लाक प्रमुख तथा श्री अमित अनिल, जे0 ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 14942062.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(मूल आपत्ति सं0-23)

प्रस्तर:-32- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ के ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष आलोच्य 2021-2022 में पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान का कुल रूपये 18529959.00 विभिन्न कार्यो मे व्यय दर्शित है। इस व्यय राशि के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश मे आयी :-

(अ) पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त राशि की स्वीकृत कार्य योजना की पत्रावली अप्रस्तुत रही। जिसके कारण दर्शाये गये कार्य स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप ही है। जाँच व पुष्टि नही की जा सकी।

(ब)- निर्माण पत्रावलियो में प्रायः शासनादेश संख्या – 1836/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के अनुपालन मे तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न नही है। जैसे – ग्राम जटौला मे मूलचन्द से सुरेश तक नाली निर्माण कार्य का दिनांक 19.2.2022 को रूपये 215228.00 का भुगतान आदि ।

(स)- निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ , कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु अधिकांश पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

(द)- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ़ द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बहार कार्य कराये गया दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी0डब्लू डी0/ संस्थाओ के अनआपत्तित्र निर्माण पत्रावलियो मे संलग्न नही है जिसके कारण कार्यो के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। जैसे – ग्राम सिखेड़ा मे मांगेराम से बाबूराम की ओर इन्टरलोकिंग कार्य का श्री जितेन्द्र कुमार ठेकेदार को रूपये 420761.00 का भुगतान आदि ।

(य)- निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं0 – 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे एम0 एम0 – 11 संलग्न नही है। जैसे –

(र)- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 535 (व) के अनुसार प्रत्येक 50 हजार रूपये से ऊपर के कार्यो का अन्तिम भुगतान बिना ए0 ई0 प्रमाण पत्र के बिना नही किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों मे उक्त आशय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(ल)- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 537 एवं 538 के अनुसार प्रारूप – 22 (आ), 27 (आ) एवं 27 (बा) का जे0ई0 द्वारा कोई पालन नही किया गया है। निर्माण पत्रावलियों से उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।

(व)- वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के अध्याय 14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422, 423 के अनुपालन मे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलो/बाउचरो आदि का पूर्ण लेखा जोखा माप पुस्तिका मे अंकित किया जायेगा। किन्तु इसका कोई पालन नही किया गया है।

(ट)- निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

(ठ)- कराये गये निर्माण कार्यो का पूर्ण लेखा-जोखा अचल सम्पत्ति रजिस्टर मे किया गया है अथवा नही इसकी जाँच एवं पुष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत कर नही करायी गयी है। आदि आदि।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 18529959.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है जो अधिभार योग्य है। **अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री जैम्स कुमार, लेखाकार एवं श्री शेलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री ब्रहम सिंह, ब्लाक प्रमुख तथा श्री अमित अनिल, जे0 ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 18529959.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(मूल आपत्ति सं0-24)

प्रस्तर:-33- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ में वर्ष आलोच्य 2021-2022 मे अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार मुख्यमन्त्री की सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत कुल रूपये 2679000.00 व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु पात्र लाभार्थियो की स्वीकृत सूची व पत्रावली, पंजिका मे दर्शित व्ययो के बिलवालचर/प्रमाणक/, बैंक की पासबुक व स्टेटमेन्ट, उपभोग प्रमाणपत्र, विभागीय व शासनादेशो की सम्बन्धित पत्रावली आदि अप्राप्त रही। अतः उपरोक्त रूपये 2679000.00 के व्ययो की प्रमाणको आदि से जॉच एवं पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत नियमावली के नियम संख्या/– 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री जैम्स कुमार, लेखाकार एवं श्री शेलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री ब्रहम सिंह, ब्लाक प्रमुख तथा श्री अमित अनिल, जे0 ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 2679000.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(मूल आपत्ति सं0-25)

प्रस्तर:-34- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ के ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष 2021-2022 मे पृष्ट संख्या – 42 पर दिनांक 31.03.2021 को राज्य वित्त आयोग के कार्यो की जमानत राशि रूपये 159092.00 तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की जमानतें रूपये 455191.00 शेष थी। जमानतें 1 अप्रैल 2021 से 31.08.2021 तक यथावत शेष दर्शित थी। किन्तु दिनांक 1.9.2021 को यह जमानतें शेष दर्शित नही है और इनका भुगतान भी दर्शित नही है। भुगतान शेष न दर्शाये जाने का कारण स्पष्ट नही किया गया है। इस प्रकार कुल रूपये 614283.00 शेष दर्शाये जाने चाहिए थे। यह यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता प्रतीत होती है। पूर्ण विवरण सहित जाँच एवं पुष्टि करायी जाये। अन्यथा की स्थिति मे **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत नियमावली के नियम संख्या/– 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री जैम्स कुमार, लेखाकार एवं श्री शेलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री ब्रहम सिंह, ब्लाक प्रमुख से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 614283.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(मूल आपत्ति सं0-26)

प्रस्तर:-35- क्षेत्र पंचायत परिक्षितगढ के ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष 2021-2022 मे जी0एस0टी0/टी0डी0एस0/ लेबर सेन्स आदि का रूपये 345083.00 भुगतान दर्शित है किन्तु इसकी पुष्टि मे जमा राशियो के चालान की पत्रावली व पंजिका अप्रस्तुत रही। अतः इस मद की पूर्ण जांच व पुष्टि करायी जाये। अन्यथा की स्थिति मे **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत नियमावली के नियम संख्या/– 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री जैम्स कुमार, लेखाकार एवं श्री शेलेन्द्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, श्री ब्रहम सिंह, ब्लाक प्रमुख से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 345083.00** ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-27)

प्रस्तर:-36- वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा सी0सी0 रोड निर्माण ग्राम नालपुर में गिरीराज की दुकान से ननका के मकान तक कार्य में सी0सी0 1ः254 के रेट पर 5250.00 के स्थान पर 6100.00 रू0 सीयूएम की दर से बिल पेयमेन्ट किया गया है, जिससे 91.36 सीयूएम पर रू0 77656.00 की हानि क्षेत्र पंचायत को हुई है। इसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार व जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-2)

प्रस्तर:-37- वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा (अ) राज्य वित्त से कराये गये सात निर्माण कार्यो में निम्न धनराशि ठेकेदार के बिलों से काटने के बजाय लेबर सैस की धनराशि बिल में अलग से जाडी गई है, जिसके संबंध में कोई शासनादेश प्रस्तुत नही किया गया हैः-

1- ग्राम नालपुर में सुबेसिह वाले कार्य में	रू0 9232.00
2-ग्राम नालपुर में गिराज वाले कार्य में	रू0 8773.00
3-ग्राम नालपुर में सतपाल वाले कार्य में	रू0 4025.00

4-ग्राम फकरपुर कब्टटा में कवरपाल वाले कार्य में रू0 8881.00

5-ग्राम जिसौरा में तालिब वाले कार्य में रू0 3133.00

6-ग्राम जिसौरा में मदरसे वाले कार्य में

7-ग्राम अतराडा में डा0 अम्बेडकर भवन वाले कार्य में रू0 14127.00

योग रू0 48171.00

इस प्रकार ठेकेदार से रू0 48171.00 सैस की धनराशि न काटकर ठेकेदार के पक्ष में उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः या तो लेबर सैस जोडने की पुष्टि में शासनादेश प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार व जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-3(अ)

प्रस्तर:-38- वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा आपत्ति सं0 03 अ मे दर्शायी गयी लेबर सैस की धनराशि रू0 48171.00 राज्य वित्त से बिल में अलग से जोडकर संबधित सन्ननिर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेजकर राज्य वित्त की धनराशि का दुरूर्विनियोग किया गया है। इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार व जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-3(ब)

प्रस्तर:-39- वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा सांसद निधि से कराये गये कार्यो पर निम्न प्रकार से ठेकेदार के बिलों से लेबर सैस की कटौती न करके सांसद निधि की धनराशि का ठेकेदार के पक्ष में अपहरण किया गया है-

1- ग्राम नंगलापातु में जयचन्द वाले कार्य पर

2-ग्राम फकरपुर कब्टटा में मुकेश शर्मा वाले कार्य पर रू0 5808.00

3-ग्राम छतरी में शिव मन्दिर वाले कार्य पर

4-ग्राम खन्दावली कब्टटा में महेन्द्र प्रधान वाले कार्य पर रू0 1065.00

5-ग्राम बधौली में राजू त्यागी वाले कार्य पर

6-ग्राम इलाहाबाद मडैया में अमरवीर वाले कार्य पर रू0 19185.00

7-ग्राम लोटी में महेन्द्र गुप्ता वाले कार्य पर

8-ग्राम बहरानुपर में उलधन मार्ग वाले कार्य पर रू0 3693.00

योग रू0 29751.00

इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार व जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-4(अ)

प्रस्तर:-40 क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा आपत्ति सं0 04 अ मे दर्शायी गयी लेबर सैस की धनराशि रू0 29751.00 ठेकेदार के बिल में जोडकर उसे ही काटी दर्शाकर सांसद निधि की धनराशि को विकास कार्य में न लगाकर सैस के मद में भेजकर धनराशि का दुरूर्विनियोग किया गया है। इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार व जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-4(ब)

प्रस्तर:-41- क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा विधायक निधि से कराये गये कार्यो पर निम्न प्रकार से ठेकेदार के बिलों से लेबर सैस की कटौती न करके विधायक निधि की धनराशि का ठेकेदार के पक्ष में अपहरण कर ठेेकेदार को फायदा पहुचायां है-

1-ग्राम रजपुरा में गजराज प्रजापति वाले कार्य पर	रू0 3723.00
2-ग्राम अटौला में कुंवरपाल वाले कार्य पर	रू0 4575.00
3-ग्राम कौल में मस्जिद से गजराज वाले कार्य पर	रू0 2788.00
4-ग्राम खासपुर में रघुराज धीवर वाले कार्य पर	रू0 1876.00

योग रू0 12962.00

इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार व जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-5(अ)

प्रस्तर:-42 वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा आपत्ति सं0 05 अ मे दर्शाये गये कार्यो पर लेबर सैस की धनराशि रू0 12962.00 ठेेकेदार के बिल में अलग से जोडकर उसे ही काटी दर्शाकर विधायक निधि की धनराशि को विकास कार्य में न लगाकर दुरूर्विनियोग किया गया है। इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार व जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-5(ब)

प्रस्तर:-43 वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा ग्राम नालपुर में सतपाल के मकान से सुन्दर व राधे से मनोज के मकान तक वाले रास्ते में 22.4 से 53 एम0एम0 स्टोन ब्लास्ट के कन्सोलिडेशन के लिए रू0 120.00 प्रति क्यूबिक मी0 के रेट से बिल का भुगतान किया है तथा उसी कार्य के लिए इसकी गांव में सुबेसिंह के मकान से सुभाष वाल्मिकी के मकान तक इन्टर लाॅकिग वाले कार्य में 185.00 रू0 प्रति क्यूबिक मी0 की दर से भुगतान करके 78.75 सीयूएम पर रू0 5118.75 का अधिक बिल देकर क्षेत्र पंचायत को हानि पहुचाई है। इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री राजीव कुमार व जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-7)

प्रस्तर:-44 वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा ग्राम नालपुर में सुबेसिंह के मकान से सुभाष वाल्मिकी के मकान तक इन्टर लाॅकिग कार्य में एम0बी0 की जांच में पाया गया है कि नाली रास्ते के दोनों तरफ 450.6 मी0 लम्बाई में बनायी दर्शित है। परन्तु प्लास्टर दोनों तरफ 374.60 मी0 में किया दर्शाया गया है। इसी प्रकार नाली के ऊपर 1ः2ः4 सी0सी0 की स्लेप भी दोनों तरफ 374.60 मी0 लम्बाई में लगाई गयी है। इससे स्पष्ट है कि नाली बनाने में लम्बाई अधिक दर्शाकर क्षेत्र पंचायत को हानि पहुचाई गई है। एम0बी0 पेज 171 पर है। इस प्रकार 76x0.23x0.25=4.37सीयूएमx4200=18354.00 की वसूली ब्याज सहित जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-8)

प्रस्तर:-45 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा निर्दोष वाले कार्य में ग्राम नयागांव में ठेकेदार के बिल में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 53331.00 जोडा गया है तथा ठेकेदार से जी0एस0टी0 काटते समय रू0 43375.00 काटा गया है। इस प्रकार रू0 9956.00 का ठेकेदार के पक्ष में आहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित जे0ई0 श्री प्रमोद कुमार व खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर:-46 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम नालपुर में वर्ष 2017-18 में गिरीराज की दुकार से ननवा के मकान सी0सी0 रोड व नाली बनायी थी। आलौच्य वर्ष में उसी किये गये कार्य में से 30 मी0 सी0सी0 रोड ननवा के मकान से मोहनराम आश्रम की ओर लिखकर रास्ता बनाया दर्शाकर रू0 89391.00 का क्षेत्र पंचायत को नुकसान पहुँचाया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित प्रमुख श्रीमती मंजू गुर्जर, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार तथा जे0ई0 प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-13)**

प्रस्तर:-47 क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम नालपुर में वर्ष 2017-18 में सुबेसिंह के मकान से सुभाष वाल्मिकी के मकान तक इन्टर लार्किंग रास्ता बनाया था, जिसमें से 12 मी0 रास्ते का बिल आलौच्य वर्ष में सुभाष वाल्मीकि के मकान के सामने इन्टर लार्किंग कार्य दर्शाकर बनाया गया है। इस प्रकार रू0 83703.00 की क्षेत्र पंचायत को हानि पहुँचाई गई है, इसकी वसूली ब्याज सहित प्रमुख श्रीमती मंजू गुर्जर, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार तथा जे0ई0 प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-14)

प्रस्तर:-48 क्षेत्र पंचायत खरखौदा द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत द्वारा विधायक निधि की धनराशि रू0 47340.00 को चैक सं0 363929 के द्वारा दिनांक 22.11.2018 में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ के नाम से भेजना दर्शाया गया है, परन्तु इस चैक का बैंक से आहरण दिनांक 31.12.2018 में श्री सत्यवीर त्यागी के नाम से हुआ है, जो पासबुक में दर्ज है। जबकि यह धनराशि एम0एल0ए0 फण्ड एकाउण्ट में जानी थी। इस प्रकार उक्त धन का अपहरण किया गया है। इसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार तथा जे0ई0 प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-15)

जनपद -अमरोहा मण्डल - मुरादाबाद

<u>प्रारूप - 4</u>

<u>क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियां</u>

जनपद -अमरोहा

अनुभाग . पंचायत

(1)क्षेत्र पंचायत -जोया वर्ष - 2018-19

प्रस्तर -01 विधायक निधि जो श्री महबूब अली विधायक को अपने कार्यकाल में प्राप्त हुई थी वह खर्च किये जाने के बाद रू0 1436692.67 अप्रयुक्त शेष रही थी जिसे अभी तक सरकार को वापस नही किया गया है। इस राशि को शीघ्र राज्य सरकार को भेजा जाना अपेक्षित है।

धनराशि - 1436692.67

वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निम्नलिखित कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां ही उपलब्ध करायी गयी-

क्र.सं.	कराये गये कार्यों का विवरण	कार्यवार व्यय धनराशि
1	ग्राम रामपुर घना में मुस्लिम के मकान से रियाजुल के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	407797.00
2	ग्राम लोधीपुर बंजारा में भूकन के मकान से तारा हसन के मकान तक एवं चन्द्रभान के मकान से नेतराम के गेट तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	419321.00

3	ग्रांम नौरंगी (पायती कला) में भूरा के मकान से मियां साहब वाली मस्जिद तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	587528.00
4	ग्राम रामपुर घना में दूल्हा के घर से मुनासिब के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	282465.00
5	ग्राम अक्खा नगला में ज्ञान सिंह के मकान से संजीव के मकान तक व अशोक के मकान से सोमवीर के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	575000.00
6	ग्राम रजबपुर में फरीदपुर रोड से चांद मियां के घर तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	603348.00
7	ग्राम खाता में मेन रोड से शिव कुमार के मकान तक तथा मैन चौराहे से रामकिशोर के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	487881.00
8	ग्राम अल्हेदापुर खुर्द मंदिर से भरतराम के मकान तक व मुन्सफ के मकान से जग्गू के खेत तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	576099.00
9	ग्राम सिरसा गढ़ (पण्डकी) में प्रकाश सिंह के घर से कैलाश के गेट तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	454918.00
10	ग्राम हाकमपुर में मा. जसराम सिंह के मकान से विलसन के मकान तक तथा कमल सिंह के मकान से रामस्वरूप के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	510504.00
11	ग्राम अम्हेड़ा में निकट पुलिस चौकी जिवाई सी.एल. गुप्ता करनपुर मार्ग से मस्जिद तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	377198.00
12	ग्राम खालकपुर मे निकासू के घर से तालाब तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	567298.00
13	ग्राम कड़ापुर में सरदार के मकान से सूब सिंह के घर तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	349883.00
14	ग्राम फरीदपुर में चन्द्रपाल के घर से ट्रांसफार्मर तक व ट्रांसफार्मर से कृपाल के मोड़ तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	446322.00
15	ग्राम पांयती कला में कुरेशी वाली मस्जिद से रफीजान के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	563568.00
16	ग्राम धनौरा मुरादनगर में सुलेमान के घर से प्रा.वि. तक एवं नगलिया में भूप सिंह के घर तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	587534.00
17	ग्राम असगरीपुर में सम्भल रोड से अब्दुल कलाम के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	418851.00
18	ग्राम मिलक शाहपुरा हरि सिंह के मकान से सुनील के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	588126.00
19	ग्राम फौन्दापुर में अशोक जाटव के मकान से धर्मपाल के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	574282.00
20	ग्राम गफ्फारपुर में अलाउद्दीन के मकान से नौबहार के मकान तक सीसी टाईल्स व नाली निर्माण	493521.00
21	कार्यालय विकासखण्ड कार्यालय की रंगाई पुताई कार्य	164529.00

22	प्रमुख मानदेय माह अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक	88200.00
	योग	**10124173.00** **(-)88200.00**
	कुल योग	**10035973.00**

उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

प्रस्तर -02 क्रमांक 1 से 5 तक, क्रमांक- 8,9,10,13,18,19,व 20 पर दर्शित कार्य ग्रम पंचायत क्षेत्र के अन्दर कराए गए था। जबकि शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है। उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाने चाहिए। किन्तु उपरोक्त कार्य गांव के अन्दर शासनादेश द्वारा दिए गए दिशा- निर्देशों के विरूद्ध कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी । इस प्रति उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 लेवर सैस न कटौती किए जाने की दशा में रू. 100360.00 लेवर सैस की वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से नियमानुसार करके भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1996 के अनुसार उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा रू. 100360.00 भेजा जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-04 ठेकेदारों द्वारा चार्ज किया गया जी.एस.टी वाणिज्य कर विभाग में जमा किया गया था अथवा नहीं इसके प्रमाण में क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्रमाण नहीं पाया गया। जी.एस.टी जमा का प्रमाण संस्था स्तर पर होना आवश्यक है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-05 क्षेत्र पंचायत द्वारा काटा गया टी.डी.एस. कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में चालान/ बैंक स्टेटमेंट/दाखिल रिटर्न देखने को नहीं मिला। आयकर जमा किए जाने की पुष्टि करायी गयी। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-06 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से सम्बन्धित सिंडीकेट बैंक में खुले खाते पर दिनांक 30.06.2018 को रू. 105089.23 दि. 31.12.2018 को रू. 18490.92 व दि. 31.03.2019 को रू0 19562.01 कुल रू0 143142.16 ब्याज प्राप्त हुआ था। शासनादेश सं. ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(2)क्षेत्र पंचायत -अमरोहा वर्ष - 2017-18 से 2019-20

प्रस्तर-07 वर्ष 2017-18 में ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार 13वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का रू0 1305.00 गत शेष था। वर्ष 2019-20 तक रू. 1305.00 ही जमा रहा। यह योजना बन्द हो चुकी है। अतः इस राशि को शासन को वापस न किया जाना गम्भीर अनियमितता है। इस राशि को सरकार को वापस न करने के लिए सम्बन्धित ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस राशि को तुरन्त सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-08 दि. 06.09.17 को चैक सं. 051300 द्वारा रू. 48559.00 का चैक मै. चिकारा एन्टरप्राइजेज को वाणिज्य कर की धनराशि का भुगतान जमा कराने हेतु दिया गया। जबकि यह धनराशि चालान द्वारा जमा की जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ख.वि.अ. के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए वाणिज्य कर विभाग में रू0 48559.00 जमा का अधिकृत प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -09 वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग की जमा राशि पर रू0 137942.00 ब्याज प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त क्षेत्र निधि की जमा राशि रू. 1.00 लाख मुख्यमन्त्री सामूहित विवाह योजना की बैंक जमा की राशि पर रू0 1263.00 कुल रू. 139206.00 ब्याज प्राप्त हुआ था। यह ब्याज संस्था द्वारा शासनादेश सं. ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार सरकार को भेजा जाना चाहिए था। क्योंकि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में जमा रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है। तब अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है। जिसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। इस शासनादेश की अवहेलना करके अनुदान की राशियों पर प्राप्त ब्याज को वर्षान्त में शासन को वापिस न करने के लिए तत्कालीन लेखाकार व ख.वि.अ. उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -10 वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न कार्य कराये गये है-

क्र.	कार्य का नाम	एस्टीमेट	एम.बी.	कटौतियां				शुद्ध भुगतान	ठेकेदार का नाम
				रायल्टी	टीडीएस	लेबर सैस	धरोहर		
1	ग्राम मुनब्बरपुर में सिकन्दरपुर मार्ग सोनू चौहान के मकान से अमर सिंह के घर तक सीसी कार्य	817200.00	815323.00 (-) 97249.00	7564.00	16308.00	8153.00	65226.00	718074.00	मै. राहुल कुमार कान्ट्रेकटर
2	ग्राम मखदूमपुर में काजीपुरा मार्ग पर	580000.00	482354.00	4166.00	9647.00	4847.00	38588.00	425129.00	-तदैव-

	राकेश सैनी के घर के पास सी.सी रोड								
3	विकासखण्ड कार्यालय सौन्दर्यकरण कार्य एवं मानदेय भुगतान	पत्रावली अप्राप्त						1116003.00	
							योग	2259206.00	

उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

प्रस्तर -11 (क) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के बैंक खाते से आहरण रू. 5588808.00 का किया गया था। जबकि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का व्यय उपरोक्तानुसार मात्र रू. 2259206.00 का हुआ था। इस प्रकार अन्तर रू. 3329602.00 का है। अतः इस अन्तर की धनराशि की स्थिति प्रमाणकों सहित स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। अन्यथा इस राशि का दुरूपयोग किया गया मानते हुए उत्तरदायी ख.वि.अ. लेखाकार व अवर अभियन्ता से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -11 (ख) क्रमांक 1 व 2 पर दर्शित कार्यों के किए गए भुगतान से रायल्टी रू. 11730.00 व आयकर रू. 25953.00 की कटौती की गयी थी। कोषागार में जमा की पुष्टि में चालान आदि प्रमाणक न उपलब्ध कराये जाने के कारण कोषागार में जमा किए धन की पुष्टि न की जा सकी। इशू चैक नं./ चालान/ बैंक स्टेटमेंट आदि न होने पर तत्कालीन ख.वि.अ. इस प्रति उत्तरदायी है।

प्रस्तर -11(ग) उक्त दोनो कार्यों पर किए भुगतान से लेवर सैस 8153.00 + 4847.00 = 13000.00 काटा गया था जिसे उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में नियमानुसार धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए था। संस्था द्वारा यह राशि बोर्ड को भेजी गयी अथवा नहीं इसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं पाया गया। प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा इस प्रति तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी होंगे। उनसे काटे गए लेवर सैस की राशि वसूल करके नियमानुसार बोर्ड को भेजा जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 (क) वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में संलग्न कराये गये कार्यों की सूची में ग्राम सुल्तानपुर इन्तजाम में नन्हेड़ा अलियारपुर को जाने वाले मार्ग पर कराये निर्माण कार्य की पत्रावली न उपलब्ध कराया जाना। जिस कारम कार्य के एस्टीमेंट एवं कटौतियों के बाद शुद्ध भुगतान की भली प्रकार जांच न की जा सकी। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत कर लेखा परीक्षा में जांच करायी जानी अपेक्षित है। पत्रावली न उपलब्ध कराए जाने के लिए तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। पत्रावली की जांच करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 (ख) क्रमांक 18, 19, व 20 पर क्रमशः ग्राम शादीपुर में वाकीपुर मार्ग पर मेन रोड से महेश के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य पर रू. 682173.00 शादीपुर में वाकीपुर मार्ग पर ही मेन रोड से अशोक के नल तक सीसी कार्य पर 127791.00 तथा शादीपुर से वाकीपुर मार्ग पर मेन रोड से ही विपिन चौहान

के मकान तक सीसी रोड तक रू. 27803.00 व्यय किया गया था। तीन सीसी रोड तक ही स्थान से प्रारम्भ दिखाकर तीन अलग-अलग तक स्थानों तक कार्य कराया दिखाया है। क्रमांक 18 पर दर्शित कार्य दिनांक 22.11.2018 को प्रारम्भ व 20.12.2018 को समाप्त तथा क्रमांक 19 पर दर्शित कार्य दि. 23.11.2018 को प्रारम्भ व 20.12.2018 को समाप्त दिखाया गया ह। स्पष्ट है कि यह तीनों कार्य लगभग एक ही तिथि में प्रारम्भ व एक ही तिथि में समाप्त हुए दिखाए हैं। केवल क्रमांक 18 पर दिखाकर कार्य केवल एक दिन पूर्व अर्थात् 22.11.2018 को प्रारम्भ किया दर्शित है। तीन सीसी रोड एक ही स्थान से शुरू दिखाकर तीन अलग-अलग स्थानों तक कार्य कराया दिखाया गया है। यह तो हो सकता थि कि एक कार्य एक स्थान विशेष से प्रारम्भ होकर दूसरे स्थान तक पुनः समाप्त होता, फिर वहां से शुरू होकर आगे तक व फिर उससे आगे का कार्य कराया जाता। किन्तु यह कैसे सम्भव है कि एक ही स्थान से तीन कार्य अलग-अलग स्थानों पर समाप्त दिखाए गए हैं। इसमें यदि एक निर्माण कार्य को सही मान लिया जाता है। तब शेष दो कार्य जो उसी स्थान से प्रारम्भ दिखाए गए हैं जिन पर क्रमांक 19 पर दिखाए कार्य पर रू. 127891.00 एवं क्रमांक 20 पर दिखाए कार्य पर रू. 27803.00 दिखाया व्यय काल्पनिक है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए रू. 127891.00+27803.00 = 155694.00 की उनसे प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 (ग) क्रमांक 12 पर रायपुर कलां में नाजरपुर पट्टी मार्ग पर होशियार सिंह के मकान से जसपाल फौजी के मकान तक सीसी रोड पर रू. 68528.00 क्रमांक 13 पर ग्राम बागड़पर कला में शादीपुर मार्ग पर अमर जीत के मकान से धर्म सिंह के मकान तक सीसी रोड निर्माण पर रू. 69942.00 क्रमांक 17 पर दर्शित ग्राम कायमपुर में कैल बकरी मार्ग पर मस्तराम के मकान से जसवन्त् सैनी के मकान तक खड़न्जा से चामुण्डा तक सीसी रोड निर्माण पर 217800.00 क्रमांक 21 पर दर्शित ग्राम हाजरपुर में सुल्तानपुर इन्तजाम अली मार्ग पर महाराज के मकान के पीछे नाली निर्माण पर रू. 301353.00 क्रमांक 22 पर ग्राम मुस्तफापुर नवादा में लोधीपुर मार्ग पर दिनेश शर्मा के मकान से आदिश त्यागी के मकान की ओर कराए निर्माण कार्य पर व्यय रू. 318201.00 क्रमांक 23 पर ग्राम काकरखेड़ा में अशोक चौहान के मकान से ओमपाल के मकान तक सीसी रोड निर्माण पर शुद्ध भुगतान रू. 644530.00 एवं क्रमांक 27 पर ग्राम पछरिया में वीर सिंह चौहान के घर से भारत सिंह चौहान के घर तक सीसी रोड निर्माण पर शुद्ध भुगतान रू. 120786.00 कुल रू. 1741140.00 किया गया था। प्रमुख सचिव उ.प्र. के परिपत्र सं. 1838/ 33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने वावत मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है। उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाएं। क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत ग्राम पंचायत की सीमा के अन्दर ही कराए गए हैं जिनसे अन्य किसी राजस्व ग्राम को कोई लाभ नहीं हुआ है। यह कार्य ग्राम पंचायत द्वरा भी कराए गए हो सकते हैं। अतः डुप्लीकेसी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। तः विस्तृत विभागीय जांच के बाद सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से पूछताछ करके तदानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन ख.वि.अ. उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर -12 (घ) क्रमांक 6व 7 पर दिखाए कार्यों क्रमशः ग्राम बागड़पुर कलाँ में सुनपुरा मार्ग तक वीर सिंह ऋषिपाल मनोज व रवि तक सीसी रोड निर्माण एवं ग्राम पीपली घोषी में कुरी मार्ग तक मास्टर कमल सिंह तक सीसी रोड निर्माण कार्य होतु क्रमशः प्राक्कलन रू. 1076600.00 एवं 1166600.00 का बनाया गया था जो कि रू. 1000000.00 से अधिक था। जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उ.प्र. जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम सं. 16 के अनुसार रू. 1000000.00 से अधिक के आगणन की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जानी आवश्यक है। किन्तुक उक्त कार्यों हेतु सरकार से स्वीकृति ली गयी नहीं पायी गयी। अतः तत्कालीन ख.वि.अ. द्वारा गम्भीर अनियमितता ही नहीं अपितु अवैधानिक कार्य किया गया था। यद्यपि व्यय कटौती उपरान्त क्रमशः रू. 846866.00 एवं रू. 838267.00 ही हुआ था। फिर भी इस प्रति उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -13 वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का रू. 6546865.00 आहरण किया गया था। जिसके सापेक्ष रू. 2917919.00 कटौती उपरान्त शुद्ध व्यय दिखाया गया है। इस प्रकार अन्तर की राशि रू. 3628946.00 के व्यय से सम्बन्धित कार्यों की पत्रावलियां अप्राप्त रही। प्रमाणक/ पत्रावलियां का न होना इस अनुदान राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रकट करता है। इस सम्बन्ध में जांचोपरान्त उत्तरदायी ख.वि.अ. व लेखाकार के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -14 वर्ष 2019-20 में 58948.00 आयकर की कटौती की गयी थी जिसे कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में चालान/ इश्यू चैक नं./ बैंक स्टेटमेंट/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। आयकर की राशि कोषागार में न जमा किये जाने की दशा में उत्तरदायी ख.वि.अ. के विरूद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 वर्ष 2019-20 मं निम्नलिखित कार्य चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए थे-

क्रं.	कार्य का नाम	कटौतिया					शुद्ध भुगतान	ठेकेदार का नाम
		जी.एस.टी	आयकर	लैबर सैस	धरोहर	कटौती का योग		
1	कार्यालय में सौन्दर्यकरण का कार्य/रंगाई पुताई/ मरम्मत कार्य।	1806/-	1806/-	903/-	7223/-	11738/-	89370/-	मै. राहुल कुमार कान्ट्रेक्टर
2	ग्राम कुतुबपुर हमीदपुर में सस्वारपुर को जाने वाले मार्ग पर शकूर के मकान से रमासन तक इ.ला. कार्य	14564/-	14564/-	7282/-	58262/-	94672/-	720951.00	-तदैव-

3	ग्राम कुतुबपुर हमीदपुर में सस्वारपुर को जाने वाले मार्ग पर रूप सिह से ओमचरन तक व परवीन से जाकिर तक इं.ला. व नाली निर्माण कार्य।	16440/-	16440/-	8220/-	65764/-	106864/-	813805/-	-तदैव-
4	ग्राम कुतुबपुर हमीदपुर में जब्बारपुर को जाने वाले मार्ग पर कलुवा से चमन तक व कमल खाँ से गजराम तक इं.ला. कार्य।	13272/-	13272/-	6636/-	53086/-	86266/-	656930/-	-तदैव-
5	ग्राम हिसामपुर में कैलबकरी को जाने वाले मार्ग पर भूदेव के मकान से प्रा. स्कूल की ओर इं.ला. कार्य	12866/-	12866/-	6433/-	51464/-	83629/-	636863/-	-तदैव-
	योग-	**58948/-**	**58948/-**	**29474/-**	**235799/-**	**383169/-**	**2917919/-**	

उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

प्रस्तर -15 (क) वर्ष 2019-20 में जी.एस.टी भी रू. 58949/- काटा गया था। इस राशि के कोषागार में जमा किये जाने के प्रमाण में भी चालान आदि प्रमाणक देखने को नहीं मिला। अतः जमा का प्रमाणक न होने की स्थिति में तत्कालीन ख.वि.अ. से इस राशि की वसूली कर कोषागार में नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -15(ख) वर्ष 2019-20 में कराए गए कार्यों के भुगतान से 1 प्रतिशत की दर से कटौती क गयी लेवर सैस की राशि रू. 29474/- उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाने के प्रमाण में कोई प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः प्रमाणक प्रस्तुत किया जाए अन्यथा उत्तरदायी ख.वि.अ. से नियमानुसार उक्त राशि को वसूल कर बोर्ड को प्रेषित किया जाए।

प्रस्तर 15 (ग) आलोच्य वर्ष 2018-19 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान रासि पर ब्याज रू. 152954/- मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना के प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान राशि पर रू. 21103/- तथा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के जमा अनुदान पर रू. 1233/- प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कुल रू. 175290/- ब्याज प्राप्त हुआ था।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर रू. 54972/- मु. सामूहिक विवाह योजना हेतु प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर रू. 32839/- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधित के जमा अनुदान पर रू. 1578/- एवं गौवंश आश्रय स्थल हेतु प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर रू. 969/- कुल रू0 90358/- ब्याज प्राप्त हुआ था। जिसे संस्था द्वारा शासनादेश सं. ए-

1-122/ दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए था। किन्तु संस्था द्वारा ब्याज की राशि को प्राप्त अनुदान के साथ जोड़ते हुए उसी मद में व्यय कर दिया गयाहै। जो गम्भीर अनियमितता है। शासनादेश के अनुसार ब्याज से आय की राशि राज्य कोष में जमा की जानी अपेक्षित है। ब्याज आय सरकार को ने भेजे जाने के लिए सम्बन्धित ख.वि.अ. उत्तरदायी है।

(3)क्षेत्र पंचायत -गजरौला **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर -16 निम्न प्रकार हिन्दुस्तान अखबार को कार्य का प्रकाशन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में न करके वर्ष का व्यय पक्ष को प्रभावित किया गया है। व जिसका भुगतान 2023-24 तक पैंडिंग है उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

1. हिन्दुस्तान को 05 कार्य का प्रकाशन का भुगतान (29.09.2021)- 5646.00
2. हिन्दुस्तान को 01 कार्य का प्रकाशन का भुगतान (15.12.2021)- 2606.00

योग- 8252.00

प्रस्तर -17 विधायक निधि खाता संख्या 575802010 006350 के द्वारा खाते के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5925030.00 का आहरण किया गया है। जबकि पत्रावली के अनुसार कुल व्यय 5805107.00 किया गया है। इस प्रकार अन्तर रू. 119923.00 रू. का भुगतान चैक संख्या 029149 दिनांक 17.09.2021 को मौ. असलम ठेकेदार को किया गया है। इसकी पत्रावली व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया| उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार व ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुआल के अध्याय 8 खण्ड अनुसार खण्ड 7 के विकास कार्यालय का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षम दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। इसी अध्याय के खण्ड 8 क के अनुसार दर्शाए गए व्यय 119923/- को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्राप्तकर्ता/ भुगतानकर्ता से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -18 निम्न विवरण अनुसार दोनों योजनाओं 5वें वित्त एवं 15 वें वित्त के अन्तर का समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है।

5वें वित्त	**आय 2021-22**	**व्यय 2021-22**	**अभ्युक्ति**
ग्रांट रजिस्टर के अनुसार	12323881/-	6034520/-	विगत वर्ष का
प्रिया साफ्ट के अनुसार	18112329/-	5941265/-	विगत वर्ष का
बैंक के अनुसार	14461471/-	5344779/-	विगत वर्ष का

15वें वित्त	**आय 2021-22**	**व्यय 2021-22**	**अभ्युक्ति**
ग्रांट रजिस्टर के अनुसार	11249536/-	6199531/-	विगत वर्ष का
प्रिया साफ्ट के अनुसार	14587674/-	6199261/-	विगत वर्ष का
बैंक के अनुसार	11577778/-	5479581/-	विगत वर्ष का

उक्त का समाधान विवरण तैयार कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है|

जनपदः- बिजनौर

प्रारूप-3

जनपदः- बिजनौर **मण्डलः-मुरादाबाद**

1.क्षेत्र पंचायतः- मौ0पुर देवमल **वर्षः- 2021-22**

प्रस्तर संख्या-1- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में रु० 10152150.00 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह मद में व्यय किया गया. है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद उक्त मद में किये गये व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये, व्यय की गयी धनराशि से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत न करना धनराशि के अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः रु० 10152150.00 की धनराशि को गबन मानते हुए वसूली की कार्यवाही समाज कल्याण अधिकारी श्री भक्तिशरण, श्री आनंद कुमार सिंह व श्री अजय कुमार, लेखाकार श्री योगेश कुमार से किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2.क्षेत्र पंचायतः- धामपुर **वर्षः- 2021-22**

प्रस्तर संख्या-2-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य राज्य वित. में व्यय दर्शित है।

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	30.12.2021	मनकुआ में यासीन के घर से सुरेन्द्र के घर तक सी०सी० निर्माण	865731	माँ इन्फ्रा एसोसिऐटस
2	30.12.2021	मनकुआ में ओमप्रकाश प्रधान जी के घर से रुपचंद्र के घर तक सी०सी० निर्माण	541202	माँ इन्फ्रा एसोसिऐटस
3	30.12.2021	नवादा केशो में कंजर बस्ती से काले के घर तक सी०सी० निर्माण	445335	खेम सिंह ठेकेदार
4	30.12.2021	नवादा केशो में कंजर बस्ती में टिल्लू के घर से फूलचन्द्र से घार तक सी०सी० निर्माण	402802	30.12.2021
5	05.01.2022	ग्राम कोपा विनोद देवी ध्ओ शीशपाल सिंह के घर से सुरेश के घर तक सी०सी० निर्माण	119619	05.01.2022
6	05.01.2022	मो० अलीपुर लालमन में मुस्तकीम के घर से मदरसे तक सी०सी० निर्माण	268139	05.01.2022
7	05.01.2022	नसीर दीवाला मुस्तफापुर तैयब में ट्रांसफार्मर से मंदिर तक सी०सी० निर्माण	285757	05.01.2022
8	16.01.2022	मनकुआ में ओमप्रकाश प्रधान जी के घर से टेकचंद्र के घर तक सी०सी० निर्माण	164909	माँ इन्फ्रा एसोसिऐटस
9	18.01.2022	उमरपुर खादर में मेन रोड से नरेश के घर तक सी0 रोड निर्माण	572349	योगेन्द्र सिह ठेकेदार
10	18.01.2022	उमरपुर खादर में ओमप्रकाश के घर से हरिसिह के घर तक सी0 रोड निर्माण	536182	योगेन्द्र सिह ठेकेदार
11	18.01.2022	मो0पुर जैतरा में संजीव के मकान से मनोज के मकान तक सी0सी0रोड0 निर्माण	259243	ए0पी0 सिंह ठेकेदार

12	25.02.2022	आसफाबाद चमन में करण सिह के घर से विकास के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	102105	खेम सिंह ठेकेदार
13	25.02.2022	हफिजाबाद शर्फी में मेन रोड से गेंद्र सैनी के खेत से नदी तक खडंजा निर्माण	514766	माँ इन्फ्रा एसोसिएटस
14	09.03.2022	हैजरी में पंडित घासीराम के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक सी०सी० निर्माण	108378	माँ इन्फ्रा एसोसिऐटस
15	17.03.2022	शादुल्लाखानपुर में राजकुमार से घर से परगावाला मार्ग तक सी०सी० निर्माण	820293	माँ इन्फ्रा एसोसिऐटस
16	17.03.2022	मुबारक टप्पा भारती में मैं रोड से विजय पाल सिंह के घर तक तक सी०सी० निर्माण	843524	योगेन्द्र कुमार ठेकेदार
17	29.03.2022	इब्राहिमपुर नारायण में राजेश सिंह के घर से कुंडे तक सी०सी० निर्माण	796449	माँ इन्फ्रा एसोसिएटस
		योग	76,46,783	

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 76,46,783.00 भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पड़ी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।
2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।
3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722। खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।
4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।
5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नि 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 76,46,783.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या-3-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केन्द्रीय वित्त अनटाईड मद से कार्य कराये गए है। विवरण निम्म प्रकार है।

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	19.01.2022	शाहलीपुर नीचल में महेंद्र सिंह के घर से सुनीक के घर तक सी०सी० निर्माण	7,61,240	योगेन्द्र कुमार
2	19.01.2022	शाहलीपुर नीचल में जयराम सिंह के घर से दयाराम सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण	6,05,353	योगेन्द्र कुमार
3	25.02.2022	नत्थाडोई में मुख्य मार्ग से नरेश सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण	1,10,126	खेम सिंह
4	25.02.2022	कोपा में हरि सिंह के घर से महेंद्र सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण	4,29,025	खेम सिंह
5	21.03.2022	तिथर जोत में विपिन के घर से नत्थू सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण (भुगतान खाते में अधिक खाते में कम 2,21,699-1,00,000	2,11,699	खेम सिंह
		योग	21,17,443	

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 21,17,443.00 भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।

2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722। खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।

4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।

5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण

न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 21,17,443.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या-4-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केन्द्रीय वित्त अनटाईड मद से कार्य कराये गए है। विवरण निम्म प्रकार है।

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	25.02.2022	घुराडा में ट्रांसफार्मर के पास से शाहलीपुर नीचल की ओर नाला निर्माण	463514	माँ इन्फ्रा एसोसिएट्स
2	25.02.2022	वघीर पुर भगवान में हरिजन धर्मशाला से तालाब की और नाला निर्माण	403655	माँ इन्फ्रा एसोसिएट्स
3	17.03.2022	घुराडा में ट्रांसफार्मर के पास से शाहलीपुर नीचल की ओर नाला निर्माण	342849	माँ इन्फ्रा एसोसिएट्स
		योग	12,10,018	

उपरोक्त विवरण के अनुसार केन्द्रीय टाइड मद से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु.12,10,018.00 भुगतान की दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।

2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त र्मट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722। खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।

4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।

5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।
उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 12,10,018.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है
उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-5-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश-40/2019/625/26-3-19-4(188)/93 टी०सी० दिनांक 6 फरवरी 2019 के अनुसार दिनांक 23-12-21 तक ग्रांट रजि० के अनुसार रु. 40,80,000 प्राप्त हुई है 31.3.22 तक का स्टेटमेंट आफ अकाउंट प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि 23.12.21 तक अंतिम शेष रु.1308.50 दर्शित है इस प्रकार प्रारंभिक शेष तक रु.82,11,397.00 व्यय किया गया उक्त व्यय से सम्बंधित लाभार्थियों की पत्रावली, आयोजनं हेतु व्यय टेंडर अदि बार बार मांगे जाने के बावजूद सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गए है जिसके कारण अपहरण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता । अतः रु. 82,11,397 अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण अपहरण प्रतीत होता है जिसकी वसूली सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) व खण्ड विकास अधिकारी (वर्तमान) एवं सम्बंधित फर्म ठेकेदार से ब्याज सहित दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

3. क्षेत्र पंचायतः- हल्दौर **वर्षः- 2021-22**

प्रस्तर संख्या-6- लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2021-22 में रु० 246258.00 आयकर जमा मद में दर्शित है। जिसके जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे साथ ही अवशेष रु० 246258.00 वर्षान्त में जमा दर्शित है। जिसे आयकर विभाग को दिनांक 31.03.2022 तक जमा करा दिया जाना चाहिए था जो नही जमा किया गया है जोकि आपत्तिजनक है। इस प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-7- लेखापरीक्षा वर्ष में पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2021-22 में रु० 219871.00 जी०एस०टी० मद में भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को किया गया है। लेखा परीक्षा में ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जी०एस०टी० से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये है। राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः रु० 219871-00 की दण्डनीय ब्याज सहित वसूली भुगतानकर्ता ब्लाक प्रमुख श्री बिजेंद्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्रपाल सिंह व श्री शक्तिशरण श्रीवास्तव, अवर अभियंता श्री बाबुराम तथा लेखाकार त्री संजय गुप्ता से किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
प्रस्तर संख्या-8-लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2021-22 में रु० 123055.00 लेबर सैस मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेबर सैस के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेबर सैस जमा नहीं किया गया है। अतः रु० 123055.00 को वसूली की कार्यवाही ब्लाक प्रमुख श्री बिजेंद्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्रपाल सिंह व श्री शक्तिशरण श्रीवास्तव, अवर अभियंता श्री बाबुराम तथा लेखाकार श्री संजय गुप्ता से किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-9-लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2021-22 में रु० 69524.00 रायल्टी मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद रायल्टी के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। अतः रु० 69524.00 की वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित व्यक्तियों से किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, सम्बन्धित फर्म के ठेकेदार से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या-10-लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2021-22 में रु० 75040-24 आकस्मिकता मद में व्यय किया गया. है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद आकस्मिकता मद में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। अतः रु० 75040-24 की वसूली की कार्यवाही ब्लाक प्रमुख श्री बिजेंद्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेंन्द्रपाल सिंह व श्री शक्तिशरण श्रीवास्तव, अवर अभियंता श्री बाबुराम तथा लेखाकार श्री संजय गुप्ता से किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4.क्षेत्र पंचायतः- बुढ़नपुर स्योहारा वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-11-अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार आलोच्य वर्ष में पंचम राज्य वित्त आयोग से कुल रु. 8477312.00 व्यय किये गये हैं। जबकि लेखा परीक्षा में केवल रु.7896877.00 की कुल 15 निर्माण पत्रावलियां उपलब्ध रही। अन्तर रु. 580435.00 व्यय संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप कुमार तथा बी.डी.ओ. श्री ऋषिपाल मुख्यरुप से जिम्मेदार हैं।
पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। अतः उक्त धनराशि रु. 580435.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री प्रदीप कुमार तथा बी.डी.ओ. श्री ऋषिपाल से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या-12-अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार आलोच्य वर्ष में 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग से कुल रु. 8274458.00 व्यय किये गये हैं। जबकि लेखा परीक्षा में केवल रु. 6451662.00 की कुल 12 निर्माण पत्रावलियां उपलब्ध रही। अन्तर रु. 1822796.00 व्यय संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः जिसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप कुमार तथा बी.डी.ओ. श्री ऋषिपाल मुख्यरुप से जिम्मेदार हैं।
पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यव की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। अतः उक्त धनराशि रु. 1822796.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री प्रदीप कुमार तथा बी.डी.ओ. श्री ऋषिपाल से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या-13-अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्नांकित मदों में व्यय की गयी कुल धनराशि रु. 6798795.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे व्यय की गई धनराशि संदिग्ध है। अतः दर्शित व्यय से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए लेखाकार श्री प्रदीप कुमार तथा बी.डी.ओ. श्री ऋषिपाल मुख्यरुप से जिम्मेदार हैं।
पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। अतः उक्त धनराशि रु. 6798795.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री प्रदीप कुमार तथा बी.डी.ओ. श्री ऋषिपाल से की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	मद का नामं	व्यय धनराशि
4	मुख्य मंत्री सामुहिक विवाह योजना	6470000.00
5	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	328795.00
	योग	6798795.00

5.क्षेत्र पंचायतः- जलीलपुर **वर्षः- 2021-22**

प्रस्तर संख्या-14-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-022 क्षेत्र पंचायत- जलीलपुर जनपद बिजनौर में निम्नं विवरण के अनुसार निर्माण कार्यों हेतु । अन्य कार्य हेतु राज्य वितध्केन्द्रीय वित् टाइड, अनटाइड मद में भुगतान किया गया दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में कार्यों से सम्बन्धित राज्य वित्तकेन्द्रीय वित् के वांछित व्यय प्रमाणक पत्रावलियां अप्राप्त रहीं. विवरण निम्न

क्र0 सं0	दिनांक	निर्माण कार्य एवं भुगतान विवरण	धनराशि
1	08.11.2021	ग्राम पीपली में गजराज सिंह के घर से राजपाल के घर तक सी० सी० भुगतान-नदीम जकी कॉन्ट्रेक्टर नि० कोटला चांदपुर	468998.00
2	08.11.2021	ग्राम घंसूपुर में चंद्रभानसिंह की दूकान से ओमप्रकाश के मकान तक सी० सी०सी०	972983.00
3	08.11.2021	ग्राम शेखपुरा में राजवीर के घर से राजकुमार के घर तक सी० सी०सी० कार्य भुगतान सतीश कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर सप्लायर बीरमपुर.	995000.00
4	17.11.2021	सलेमपुर खादर में गजराजसिंह के घर सेसौरभ सिंह के घर तक सी० सी०सी० भुगतान-नवनीत कुमार ठेकेदार नि० जफरपुर कोट.	784999.00
5	30.11.2021	ग्राम सबलपुरमिलक में सीताराम के घर के मुख्य द्वार से वीरेन्द्र के घर तक सी० सी०सी० कार्य भुगतान ज्ञानेद्र चौधरी नि० मुकीमपुर जमाल	997452.00
6	30.11.2021	टेंडर विज्ञान- बिजनौर टाइम्स	31472.00
7	08.12.2021	क्षेत्र पंचायत के बैठक में प्रधानों का मानदेय स्वयं खण्ड विकास अधिकारी	120000.00
8	07.12.2021	ग्राम प्रथ्वीपुर में महावीर के घरकेमुख्य द्वार से ब्रह्मपाल के घर तक सी० सी०सी०	950191.00
9	07.12.2021	ग्राम कराल में सोमपाल के घर से इमरान के घर तक सी० सी०सी० भुगतान - मेसर्स साई इन्फ्रास्टक्चर (रेखा)	913018.00
10	15.12.2021	ग्राम हल्ला नंगला में किरण वाल्मीकि के घर से देवता के घर तक सी०सी० भुगतान - मेसर्स साई इन्फ्रास्टक्चर (रेखा)	911635.00

11	15.12.2022	विकास खण्ड परिसर में मरम्मत कार्य हेतु सी०सी० कार्य भुगतान- नदीम जाकी कॉन्ट्रेक्टर कोटला बिजनौर,	990306.00
12	21.12.2021	ग्राम रावती में तालाब से लेकर लड्डूपुरा की ओर सी०सी० कार्य हेतु भुगतान-जी० एस० कॉन्ट्रेक्टर निवासी किथौड़ा.	997973.00
13	27.01.2022	ग्राम ठेठ में मदन के घर से लड्डू के घर तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान-मैमर्स ममराज सिंह	997973.00
14	01.02.2022	ग्राम शाहपुर भसौड़ी में सुखवीर के तालाब तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान मैमर्स ममराज सिंह	982948.00
15	07.02.2022	ग्राम सक्थलपुर मिलक में सीताराम के मैन गेट से निपेंद्र के घर तक अवशेष सी०सी० कार्य हेतु भुगतान ज्ञानेद्र चौधरी ठेकेदार.	260545.00
16	22.03.2022	क्षेत्र पंचायत के कार्यों का विज्ञापन उत्तर भारत टाइम्स	9000.00
17	22.03.2022	विकास खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष का निर्माण का भुगतान जे० बी० कन्स्ट्रक्शन. निर्माण कार्य एवं भुगतान विवरण	646422.00

केन्द्रीय वित्त -

क्र0 सं	दिनांक	निर्माण कार्य एवं भुगतान विवरण	धनराशि
1	09.11.2021	ग्राम दत्तियाना में सुजातपुर खादर मार्ग से पुल तक कालसड़ी ग्राम सी०सी० निर्माण का अवशेष भुगतान - नदीम जकी कॉन्ट्रेक्टर नि० कोटला चांदपुर.	547584.00
2	0.11.21	ग्राम महमूदा खादर में सूरज मल के घर से गिरवर के घर तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान-नदीम जकी कॉन्ट्रेक्टर नि० कोटला चांदपुर	224926.00
3	0.11.21	ग्राम घंसूपुर तालाब दीवार का भुगतान नरदेव सिंह ठेकेदार पापड पुर खुर्द.	995662.00
4	0.11.21	ग्राम राजपुर परसू में शिव मंदिर से पीर्वाली नहर की ओर नाला मार्ग भुगतान'-भीम सिंह कॉन्ट्रेक्टर.	936665.00
5	03.12.2021	ग्राम राज पुर बहमन में महेंद्र के घर से बलराम के घर तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान -कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर सप्लायर बीरमपुर	756999.00

6	0.12.2021	ग्राम रवाना में अकरम के मकान नफीश के मकान तक सी०सी० कार्य भुगतान सलीम अहमद ठेकेदार नि० सब्दलपुर	991533.00
7	0.12.2021	सीत में कराल में रोड से बिजली घर तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान - उमेश कुमारत्यागी मौ०शहीद नगर चांदपुर.	995999.00
8	10.01.2022	ग्राम मुढाल में गुरुद्वारा से लेकर खदान तक नाला निर्माण भुगतान - भीम सिंह कॉन्ट्रेक्टर.	889852.00
9	06.01.2022	ग्राम मुढाल में चामुंडा मंदिर से खादान तक तालाब नाला निर्माण भुगतान -भीम सिंह कॉन्ट्रेक्टर.	327984.00
10	06.01.2022	ग्राम शाहपुर असौड़ी में में रोड पर सरकारी स्कूल से तालाब तकनाला निर्माण हेतु भुगतान नदीम जकी कॉन्ट्रेक्टर नि० कोटला चांदपुर.	579241.00
11	21.01.2022	ग्राम शेख पुर सराय हबीब मेंसरस्वती शिशु मंदिरके वगल में नाला निर्माण हेतु भुगतान -कन्स्ट्रक्शन.	470817.00
12	13.01.2022	ग्राम अकवर पुर सीमली में दीवाल निर्माण भुगतान-मनीषा कॉन्ट्रेक्टर	996978.00
13	22.01.2022	ग्राम महमें खेडा वाले मंदिर से लाखन के घर तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान मैमर्स चौधरी कन्स्ट्रक्शन	993488.00
14	27.01.2022	ग्राम असालत पुर उर्फ तोरकपुर में मनोज के घर से दिलशाद के घर तक सी०सी० कार्य भुगतान मै० एम०एस० कन्स्ट्रक्शन सुनीता चौहान नि० आजमपुर	979620.00
15	27.01.2022	ग्राम बागदपुर में संजीव के घर से में रोड तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान कन्स्ट्रक्शन सुनीता चौहान नि० आजमपुर.	521477.00
16	27.01.2022	ग्राम मंसूरपुर चौखडी में ओमवीर के मकान से संदीप के मकान तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान नवनीतकुमार निजाफरपुर कोट .	368994.00
17	18.01.2022	ग्राम सलेमपुर सुखवेंदर सिंह के खेत संदीप टपरा के खेत तक खडंजा निर्माण भुगतान-जे० बी० कन्स्ट्रक्शन. नि० स्याहू.	345592.00
18	18.01.2022	ग्राम हुसेनपुर खला में रिसीपाल के घर से राजाराम के मकान तक नाला निर्माण भुगतान- नदीम जकी कॉन्ट्रेक्टर नि० कोटला चांदपुर.	919441.00
19	18.01.2022	ग्राम नारनौर में ब्रजेश के घर से सतीश के घर तक सी०सी० कार्य हेतु भुगतान नदीम जकी कॉन्ट्रेक्टर नि० कोटला चांदपुर.	347609.00
20	19.01.2022	ग्राम हिरना खेडी में देवेन्द्र सिंह के घर से राजेन्द्र सिंह के घर तक नाला निर्माण भुगतान - ज्ञानेंद्र सिंह ठेकेदार	750755.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार- राज्य वित्तध्केन्द्रीय वित् कुल धनराशि रु० 25926086.00 (दो करोड़ उनसठ लाख छब्बीस हजार छयासी) व्यय भुगतान दर्शित है। लेखा परिक्षा में उक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित केवल यांट रजिस्टर दितीय एवं तृतीय प्रस्तुत किया गया है. उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक /पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयीं हैं. इस प्रकार व्यय की पुष्टि नहीं होती है. अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली उ०प्र०क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के पैरा (क) से (ड) के तहत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-15-लेखा प्रेक्षा वर्ष 2021-022में समाज कल्याण विभाग अनुभाग-3 के शासनादेश-40/2019/625/26.3.2019-4(188)/93 टी० सी० दिनांक 6 फरवरी 2019 के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर प्रति जोड़ा हेतु यांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार कुल धनराशि रु०5100000.00 प्राप्त हुई है जिसमें से प्रति कन्या रु० 51000.0 निर्धारित है जिसमें 35000.0 नकद तथा रु०10000.0 में 7 वर्तन कपड़े विछिया एवं चांदी पायल देय है तथा रु०6000.0 की धनराशि उक्त आयोजन (भोजन व्यवस्था) पर अनुमन्य है परन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण/वापसी का विवरण अप्राप्त रहा साथ ही रु० 10000.0 से सम्बन्धित प्रति जोड़े को सामान दिए जाने का प्रमाण/भोजन व्यवस्था में रु० 6000.0 प्रति जोड़े का विवरण पत्रावली के अभाव में वास्तविक पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके कारण स्वीकृतकर्ता समाज कल्याण विभाग/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कुल धनराशि रु० 5100000.00 का अपहरण किया गया है. वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, एवं समाज कल्याण विभाग से की जानी अपेक्षित है

6.क्षेत्र पंचायतः- नूरपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-16-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य राज्य वित,केन्द्रीय वित्त टाइड, अनटाइड मद में व्यय दर्शित है।

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	19.10.2021	प्रमुख कार्यालय का जीरनोउद्धार एवं कैंपस का जीरनोउद्धार, सोलर इन्वर्टर का भुगतान	896328	खालिद चौधरी पुत्र श्री रईसुद्दीन
2	22.10.2021	आजमगढ़ रतनगढ़ में पी.डब्लू.डी रोड से रामलीला मैदान तक सी०. सी०.	645198	रविन्द्र भंडारी पुत्र श्री नन्द किशोर मो० कवीर नगर, नूरपुर
3	29.10.2021	ग्राम लिन्डरपुर में पी.डब्लू.डी रोड से चामुंडा देवता अजय के घर से राजेंद्र के घर की और खडंजा	385945	मेसर्स.एम.एस कंस्ट्रक्शन (प्रो० सुनीता चौहान)
4	29.10.2021	खैरपुर सुरेन्द्र के मकान से सुम्हेरी के मकान की और सी०सी० निर्माण का भुगतान	852084	कृष्णगोपाल कंस्ट्रक्शन, निवासी फिरोजपुर

5	25.11.2021	आजमगढ़ रतनगढ़ में श्री उमेश के घर से वाल्मीकि मंदिर की और सी०सी० निर्माण	776676	मैं०. भारत कंस्ट्रक्शन, नवादा चौहान
6	25.11.2021	जमालपुर कीरत में पुवेना में रामकिशन की बैठक से तालाब की और सी०सी० निर्माण	754531	दीप चन्द्र पुत्र महेंद्र पाल सिंह, गौसपुर बालसा
7	25.11.2021	वि०ख० परिसर में शहीद स्थल की बाउंड्री व रेलिंग	63129	एम.एस कंस्ट्रक्शन, अलम्पुर
8	25.11.2021	सुनगढ़ में संजय लाला के घर से वालकारण की घर की और खडंजा निर्माण	304830	श्री रविन्द्र भंडारी पुत्र नन्द किशोर
9	29.11.2021	हैजरपुर भटट में चक् रोड से संजय के मकान की और सी०सी० निर्माण कार्य	945157	गणपति कांट्रेक्टर प्रो०, श्री अतुल कुमार
10	20.12.2021	रामौरूपपुर में पी0डब्लू0डी0 रोड से पुष्पेन्द्र के घर तक सी०सी० रोड का भुगतान	838214	विशम्भर सिंह पुत्र श्री झब्बा सिंह, हल्दौर
11	20.12.2021	रामौरूपपुर में तेज बहादुर के घर से कोमल सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण	686306	विशम्भर सिंह पुत्र श्री झब्बा सिंह, हल्दौर
12	20.12.2021	नजरपुर बिल्लोच में टावर के पास इनायत संपर्क मार्ग की और खडंजा निर्माण कार्य	755856	गौरव सिंह चौहान पुत्र विजय पाल सिंह, धामपुर
13	20.12.2021	आजमगढ़ रतनगढ़ सुरेश के मकान से तालाब की और सी०सी० निर्माण कार्य का भुगतान	590397	रविन्द्र सिंह भंडारी पुत्र नन्द किशोर, नूरपुर
14	20.12.2021	हैजरपुर भट्ट में कुंवर सिंह के मकान से तालाब व हरिजन बसती की और सी०सी० निर्माण	454701	गणपति कांट्रेक्टर प्रो० श्री अतुल कुमार
15	06.01.2022	गोपालपुर में शीशराम के मकान से अलाउद्दीन के मकान तक सी०सी० निर्माण	195461	सत्यवीर सिंह पुत्र फूल सिंह, नजरपुर बिल्लोच
16	02.02.2022	विशनपुर विड्रा में बुन्दू के मकान से अलाउद्दीन के मकान तक सी०सी० कार्य का भुगतान	374006	एम.एस भारत कंस्ट्रक्शन प्रो० चंद्रप्रकाश सिंह
17	02.02.2022	ग्राम तंगरौला में चक् सड़क से याकूब अहमद के मकान तक सी०सी० निर्माण	321598	जे०वी० कंस्ट्रक्शन जगदीश सिंह पुत्र कन्हेया सिंह

18	02.02.2022	गुनिया खेडी में संजीव कुमार के बाग से नहर तक खडण्ज निर्माण कार्य		सत्यवीर सिंह पुत्र फूल सिंह
19	02.02.2022	कासमपुर बिल्लोच में ओमप्रकाश के घर से हरिराम के घर की और सी०सी० निर्माण	250000	कृष्ण गोपाल पुत्र श्री खेमसिंह, फिरोजपुर नहटौर
20	02.02.2022	जमालपुर कीरत पुवैना में रामकिशन की बैठक से तालाब तक सी०सी० निर्माण कार्य	147558	छीपचंद पुत्र श्री महेन्द्र सिंह स्योहारा
21	02.02.2022	हैजरपुर भट्ट में हरिजन बस्ती की और सी०सी० व नाली निर्माण कार्य का भुगतान	475022	गणपति कांट्रेक्टर प्रो० श्री अतुल कुमार
22	30.03.2022	सूनगढ़ में संजय लाला के घर से वाल्करण के घर की और खडंजा का भुगतान	93008	रविन्द्र भंडारी पुत्र नन्द किशोर, नूरपुर
23	30.03.2022	विशनपुर विद्रा में बुन्दू के मकान से अलाउद्दीन के मकान तक सी०सी० निर्माण कार्य	217754	मै० भारत कंस्ट्रक्शन, चन्द्र प्रकाश सिंह
24	30.03.2022	आजमगढ़ रतनगढ़ में उमेश के घर से वाल्मीकि मंदिर की ओर सी०सी० निर्माण कार्य	131992	मै० भारत कंस्ट्रक्शन, चन्द्र प्रकाश सिंह
25	30.03.2022	लिंदरपुर में चक् रोड से पप्पू चामुंडा देवता अजय के घर से राजेंद्र के घर की और खडंजा निर्माण कार्य	224665	मै० एम्.एस कंस्ट्रक्शन, सुनीता चौहान, अजम्पुर
26	30.03.2022	खैरपुर में सुरेन्द्र सैनी के मकान से सुम्हारी सैनी के मकान की और सी०सी० निर्माण कार्य का भुगतान	87320	कृष्ण गोपाल कंस्ट्रक्शन, नहटौर
27	30.03.2022	प्रमुख कक्ष के सौन्दरिकरण का भुगतान	98106	खालिद चौधरी पुत्र रईसुद्दीन. बिजनौर
28	30.03.2022	आजमगढ़ रतनगढ़ में चक् रोड से रामलीला मैदान तक सी०सी० निर्माण कार्य का भुगतान	4522	रविन्द्र भंडारी नूरपुर
		योगः-	रू0 12414836	

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 12414836.00 (एक करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार आठ सो छत्तीस) भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।

2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722 द्य खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।

4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।

5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नि 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 12414836 की गंभीर अनियमितता की गयी है

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(3) लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केन्द्रीय वित्त टाइड मद से कार्य कराये गए है, विवरण निम्न हैः

प्रस्तर संख्या-17-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केन्द्रीय वित टाइड, विवरण निम्न है-

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	13.10.2021	चांगीपुर में शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान	289250	रविन्द्र भंडारी
2	18.11.2021	ग्राम ढीकली में ईदगाह से मैन सड़क तक नाली निर्माण	710943	मै० एम.एस कंस्ट्रक्शन, सुनीता चौहान, अजम्पुर
3	18.11.2021	मीरपुर में कैलाश वाल्मीकि के घर से खेदना तालाब की और नाला निर्माण	281031	मैं० एम् एस कंस्ट्रक्शन, सुनीता चौहान, अजम्पुर
4	23.12.2021	रामौरूपपुर में तारा के घर से बैदना तालाब की और नाला निर्माण	436908	विशम्भर सिंह पुत्र झूला सिंह हरदासपुर गढ़ी, हल्दौर

5	23.12.2021	रामौरुपपुर में च्.ॅ.क् रोड की पुलिया से प्रा०वि० के पीछे वाला नाला निर्माण कार्य का भुगतान	404214	विशम्भर सिंह पुत्र झूला सिंह हरदासपुर गढ़ी, हल्दौर
6	23.12.2021	लोधीपुर मिलक में छोटे के घर से वान नदी तक नाला निर्माण	774869	एम.डी इंजीनियरिंग (मनीष कुमार)
7	02.002.2022	मीरापुर में कैलाश वाल्मीकि के घर से बैदना तालाब तक नाला निर्माण	240537	मै० एम.एस कंस्ट्रक्शन, सुनीता चौहान, अजम्पुर
8	02.02.2022	दीकली बेग में ईदगाह से मेन रोड तक नाला निर्माण कार्य का भुगतान	88788	मैं० एम.एस कंस्ट्रक्शन, सुनीता चौहान, अजम्पुर
9	30.03.2022	नजरपुर बिल्लोच में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य भुगतान	287572	गौरव सिंह चौहान पुत्र श्री विजय पाल सिंह, धामपुर
10	30.03.2022	हैजरपुरभट्ट में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य भुगतान	385310	गणपति कांट्रेक्टर प्रो० श्री अतुल
11	30.03.2022	रामोरूप पुर में बिजली के घर से मत्था टेकने वाले तालाब की और तक नाला	785875	कुमार विशम्भर सिंह पुत्र श्री झूला सिंह हरदासपुर गढ़ी, हल्दौर
12	30.03.2022	सूनगढ़ में विजेंद्र के घर से रामलीला मैदान तक नाला निर्माण कार्य		रविन्द्र भंडारी पुत्र नंदकिशोर, नूरपुर
		योगः-	5065822	

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 5065822.00 (पचास लाख पैसठ हजार आठ सो बाईस) भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पड़ी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।

2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722 द्य खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।

4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।
5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।
उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नि 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 5065822 की गंभीर अनियमितता की गयी है
उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-18-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केन्द्रीय वित टाइड, अनटाइड मद में व्यय दर्शित है।

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	13.10.2021	मौर में शिव मंदिर से नेहर तक खडंजा व सी०सी० निर्माण कार्य	286453	सत्यवीर सिंह पुत्र फूल सिंह
2	25.11.2021	आजमगढ़ रतनगढ़ में श्री अफसर अली के मकान से रामलीला मैदान तक सी०सी० निर्माण कार्य	650998	जे.बी कंस्ट्रक्शन (जगदीश सिंह)
3	25.11.2021	हीमपुर प्रथ्या में जबर सिंह के मकान मिन्ट व अरविन्द के घर की और सी०सी० निर्माण कार्य का भुगतान	446795	एम.डी इंजीनियरिंग (मनीष कुमार)
4	29.11.2021	हैजर पुर भट्ट में पंचायत घर व आंगनवाडी केंद्र की बहार दीवार का निर्माण कार्य भुगतान	680219	गणपति कांट्रेक्टर प्रो० श्री अतुल कुमार
5	05.11.2021	जमालपुर कीरत पुवैना में आजम से तालाब की और सी०सी० निर्माण कार्य	521275	छीपचंद्र पुत्र महेन्द्र सिंह, स्योहारा
6	02.02.2022	हीमपुर प्रथ्या में जबर सिंह के मकान मिन्ट व अरविन्द के घर की और सी०सी० निर्माण कार्य का भुगतान	16640	एम.डी इंजीनियरिंग (मनीष कुमार)
7	30.03.2022	जमालपुर कीरत पुवैना में आजम से तालाब की और सी०सी० निर्माण कार्य	254211	दीपचंद्र सध्ओ महेंद्र सिंह, स्योहारा
8	30.03.2022	आजमगढ़ रतनगढ़ में श्री अफसर अली के मकान की और सी०सी० निर्माण कार्य	16812	जे.बी कंस्ट्रक्शन (जगदीश सिंह)
		योग	2873403	

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 2873403.00 भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पड़ी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।

2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722 द्य खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।

4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।

5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नि 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 2873403 की गंभीर अनियमितता की गयी है

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

7.क्षेत्र पंचायतः- नजीबाबाद वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-19- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य राज्य वित. में व्यय दर्शित है।

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	11.12.2021	अकबरपुर आंवला में मंदिर तक सी० सी० निर्माण	858286	श्री तोमर कास्ट्रक्सन
2	14.12.2021	गाजीपुर कुतुब में रेलवे फाटक तक खड्जा निर्माण	582790	मै0 रियासत कास्ट्रक्सन
3	14.12.2021	असदुल्लापुर में नहर के पुल से ज्वालीलाला तक खडंजा निर्माण	495177	मै0 रियासत कास्ट्रक्सन

4	14.12.2021	औरगाबाद में सुक्खे के खेत तक खंडजा निर्माण	403868	मै0 हासिम कास्ट्रक्सन
5	24.12.2021	कल्हेडी में कब्रिस्तान तक खंडजा निर्माण्	820164	नसीम अहमद कास्ट्रक्सन
6	24.12.2021	भोगापुर में मलकीत के घर तक बड़जा निर्माण	805217	मुकीम कास्ट्रक्सन
7	01.01.2022	खलीलपुर में सरकारी कुओं से केंद्र सिंह के खेत तक खंडजा निर्माण	454844	मुकीम कास्ट्रक्सन
8	01.01.2022	मौजमपुर साहा में देवता तक खंडजा निर्माण	322273	रियासत अली कास्ट्रक्शन
9	01.01.2022	ग्राम शहजादपुर में मेन रोड से फारुख के घर तक सी०सी निर्माण	636239	मैं० हासिम कास्ट्रक्शन
10	27.01.2022	ग्राम इब्राहिमपुर में सी0सी0 रोड निर्माण	323121	टी0बी0एस0
11	07.02.2022	ग्राम फजलपुर मान में खंडजा निर्माण कार्य	671898	नसीम अहमद कास्ट्रक्शन
12	07.02.2022	ग्राम गाजीपुर कुतुब में सी0सी0 निर्माण	705332	मुकीम कास्ट्रक्शन
13	09.03.2022	ग्राम रसूलपुर मेद में अमिपुरा चौराहा तक सी0सी0 निर्माण	875801	मैं० हासिम कास्ट्रक्शन
14	09.03.2022	ग्राम सखनपुर में महेंद्र के घर तक सी०सी० निर्माण	रियासत अली कास्ट्रक्शन	रियासत अली कास्ट्रक्शन
15	14.03.2022	ग्राम जावलपुर गूदड में ममता के प्लाट तक सी०सी० निर्माण	897568	मुनेश कुमार
16	22.03.2022	ग्राम मुस्सेपुर में प्राथमिक पाठशाला तक सी०सी० निर्माण	699516	शोवीर सिंह
17	24.03.2022	ग्राम धन्सीसी में बाग वाले तिराहे तक खडंजा निर्माण	898936	रियासत अली कास्ट्रक्शन
		योग	1,13,28,516	

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 1,13,28,516.00 भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पड़ी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।

2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722। खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।

4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।

5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नि 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 1,13,28,516 की गंभीर अनियमितता की गयी है

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-20-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केन्द्रीय वित्त टाइड मद से कार्य कराये गए है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	13.12.2021	ग्राम जावलपुर गूदड़ में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	4,98,252	मुकीम खा० ठेकेदार
2	15.12.2021	करमसखेडी में पीर से नहर तक सी सी निर्माण	6,88,672	टी०बी०एस० ठेकेदार
3	20.12.2021	ग्राम अजमपुरमो अलि में नाला निर्माण	8,98.393	टी०बी०एस० ठेकेदार
4	07.01.2021	ग्राम पर्वतपुर में पंचायत भवन में मंदिर तक नाला निर्माण	6,93,878	वेगराज सिंह ठेकेदार
5	15.01.2022	लालपुर सोजीमल में नाला निर्माण	6.00,977	मुकीम खा० ठेकेदार
6	27.01.2022	मौजमपुर तुलसी में नाला निर्माण	8,90,820	मुकीम खा० ठेकेदार
7	27.01.2022	नारायणपुर रतन में नाला निर्माण	8,41,984	शाहबुद्दीन ठेकेदार
8	27.01.2022	गाजीपुर कुतुब में नाला निर्माण	7,64,524	मुकीम ठेकेदार
9	27.01.2022	नारायणपुर रतन में नाला निर्माण	8,92,819	सईद ठेकेदार
10	27.01.2022	रसूलपुर सैद में नाला निर्माण	6,19,696	रियासत ठेकेदार
11	29.01.2022	अमानुल्लापुर में नाला निर्माण	5,36,223	शाहबुद्दीन ठेकेदार

12	29.01.2022	कामराजपुर में मस्जिद के सामने नाला निर्माण	8,76,939	आर. के ठेकेदार
13	09.03.2022	हुकुमतपुर कैशी में पंचायत घर के पास नाला निर्माण	3,96.254	टी०बी०एस० ठेकेदार
14	09.03.2022	हुकुमतपुर कैशो में नेहर के पास पुलिया निर्माण	2,28,330	टी०बी०एस० ठेकेदार
15	21.03.2022	जवालपुरगूदड़ में ग्रा०सुभाष नगर में नाली निर्माण	7,12,533	वेग राज सिंह ठेकेदार
16	21.03.2022	फजलपुर मान में भंडारी के घर से नाली निर्माण	8.42,787	सईद ठेकेदार
17	23.03.2022	हुकुमतपुर कैशो में हरिजनों के धर्मशाला तक नाला निर्माण	4,60,208	शाहबुद्दीन ठेकेदार
18	23.03.2022	शहजादपुर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	2.47,472	बालियान ट्रेडसे
19	23.03.2022	हुकुमतपुर कैशो में गाव की और मुख्या सडक में दोनों और नाला निमोण	3,20,476	आई0एफ0ऐ0ठेकेदार
		योग	1,20,11,237	

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 1,20,11,237.00 भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पड़ी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।

2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722 द्य खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।

4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।

5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नि 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 1,20,11,237.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है
उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-21-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केन्द्रीय वित्त टाइड मद से कार्य कराये गए है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	26.06.2021	झकाकी में मोहन के घर से सी0सी0 रोड निर्माण	481816	अरनव इन्फ्राटेक
2	26.06.2021	नंगल में रामकिशोर के घर से सी0सी0 रोड निर्माण	871038	अरनव इन्फ्राटेक
3	26.06.2021	लकीमपुर काजी में इलियास के घर से सी0सी0 रोड निर्माण	860936	अरनव इन्फ्राटेक
4	26.06.2021	ग्राम प्रतापपुर मेंऋषिपाल के हर से सी0सी0 रोड निर्माण	584947	अरनव इन्फ्राटेक
5	26.06.2021	ताहरपुर में इशाक अफजल के घर से सी0सी0 रोड निर्माण	888019	मुकीम खान कानट्रेक्टर
6	26.06.2021	ग्राम हकीमपुर काजी में जीतेन्द्र की बैठक से मंदिर तक सी0सी0 निर्माण	884114	मुकीम खान कानट्रेक्टर
7	26.06.2021	ग्राम मथुरापुर मोर मुख्य मार्ग पर यात्री शेड का निर्माण	450623	वालियान ट्रेडर
8	26.06.2021	ग्राम विजयपुर में मोटा महादेव मंदिर के पास यात्री शेड का निर्माण पर व्यय जोडना है।	456339	वालियान ट्रेडर
		योग	5477832	

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रमांक 1 से 8 तक अनटाइड मद में किये गए भुगतान रु. 5477832.00 दिनांक 26-06-21 एक ही दिन में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव तथा प्रशासक उप जिला अधिकारी नजीबाबाद द्वारा सम्बंधित ठेकेदार को भुगतान किया गया है विवरण निम्न है।
1. अपर मुख्य सचिव पंचायत राज अनुभाग-3 के उत्तर प्रदेश कार्यालय ज्ञाप स०2990/33-3-2020-62/2020 दिनांक 24 दिसम्बर 2020 के क्रम में प्रशासको की नियुक्ति का आदेश (निर्वाचन घोषित) जारी किया गया है।
2. प्रशासको को नवीन कार्य कराये जाने का आदेश नहीं था केवल हस्तगत कार्यों का भुगतान किया जाना था ।
3. लेखा परीक्षा वर्ष 31-3-21 को क्षेत्र पंचायत में कोई भी कार्य हस्तगत नहीं था ।
4. कार्य योजना 31-3-21 तक भी परन्तु प्रशासकिय कार्य काल हेतु अनुमन्य नहीं था कार्य योजना स्वतः 25 दिसम्बर 2020 को संपन्न हो गयी थी ।
5. उक्त कार्य का निर्माण कराये जाने का विज्ञापन माह जून 21 में नहीं पाया गया है।
6. समस्त कार्य भयंकर कोरोना काल में कराये गए है जबकि पूर्ण रूप से बंदी थी ।

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 5477832.00 भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पड़ी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।

2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722 द्य खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।

4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।

5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 5477832.000 की गंभीर अनियमितता की गयी है

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-22-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार केन्द्रीय वित्त टाइड मद से कार्य कराये गए है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	भुगतान का दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	धनराशि	फर्म का नाम
1	14.12.2021	सबलगढ़ गौशाला में सी०सी० निर्माण	920387	रेशमा कानट्रेक्टर
2	18.12.2021	ग्राम प्रेमपुर में जगराम के मकान अक सी०सी० निर्माण	779227	वेगराज सिंह कानट्रेक्टर
3	15.12.2021	ग्राम बिजौरी में स्वस्थ्य केंद्र के सामने सी०सी० निर्माण	604285	वेगराज सिंह कानट्रेक्टर
4	27.12.2021	ग्राम सैफाबाद में सी०सी० निर्माण	725940	आई.एफ.ए कानट्रेक्टर
5	27.12.2021	ग्राम फजलपुर तन्ला में मा० वि० तक सी०सी० निर्माण	636007	नसीम अहमद
6	27.12.2021	ग्राम शरवनपुर में यात्री शेड का निर्माण	433898	वालियान ट्रेडर
7	07.01.2022	ग्राम महावातपुर में मंदिर तक सी०सी० निर्माण	482842	बेगराज सिह कान्ट्रेक्टर

8	07.01.2022	विभिन्न ग्राम पंचायत में स्पम्प्क् स्थापना	945601	आई.एफ.ए कानट्रेक्टर
9	12.01.2022	गिरदवा सहनपुर में सी०सी० निर्माण	879570	बेगराज सिह कान्ट्रेक्टर
10	27.01.2022	ज्वालिलाला में कुतुबपुर सरहद तक सी०सी० निर्माण	877891	आई.एफ.ए कानट्रेक्टर
11	27.01.2022	हकीमपुर काजी में सी०सी० निर्माण	852689	आई.एफ.ए कानट्रेक्टर
12	27.01.2022	ग्राम राहतपुर में सी०सी० निर्माण	567409	आई.एफ.ए कानट्रेक्टर
13	27.01.2022	ग्राम शेखपुर गढ़ में सी०सी० निर्माण	875320	टी0वि0एस0 कानट्रेक्टर
14	31.01.2022	ग्राम प्रतापपुर में सी०सी० निर्माण	159600	अरनव इन्फ्राटेक
15	31.01.2022	ग्राम अहमदपुर सादात में सी०सी० निर्माण	703768	कानट्रेक्टर रियासत अली
16	07.02.22	रामपुर साठा में सी०सी० निर्माण	880543	तौसीक अहमद
		योग	1,13,24,977	

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में उक्त विवरण सूची के अनुसार क्रमांक 9 से 23 तक कुल धनराशि 1,13,24,977.00 अनटाईड मदमें व्यय दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण अनियमितता तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य वित से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 1,13,24,977.00 भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पड़ी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।
2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।
3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722 द्य खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।
4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।
5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।
उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नि 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।
6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 1,13,24,977.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर 22(1)-उपरोक्त विवरण के अनुसार केन्द्रीय अनटाईड मद से निर्माण कार्य हेतु भुगतान की गयी धनराशि रु 1,68,02,809.00 भुगतान की गयी दर्शित है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पड़ी के कारण भुगतान अनियमित तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कृत निर्माण कार्यों के डिजिटल त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं पाए गए ।
2. कृत कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के रोयल्टी जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे ।
3. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गिट्टी, बालू, मौरंग के ड.ड-11 शासन सं०86-2020-52 (सा०) 2019 टी सी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2020 तथा जिलाधिकारी बिजनौर पत्रांक 722 द्य खनिज अनुभाग 2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 तथा प्रमुख भूतत्व एवं खनिज अनुभाग सं०1345/86-2019 तथा जुलाई 2019 के अनुसार बिना ड.ड-11 तथा रोयल्टी के शासनादेश ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त उप खनिजो के प्रपत्र ड.ड-11 का सत्यापन खनिज विभाग से कराया बिना एवं बिना रोयल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदार के बिलों का अंतिम भुगतान कदापि ना करे साथ ही आपके द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उप्यानिजों के सापेक्ष रोयल्टी की देयता शेष है या नहीं का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है जो गंभीर आपत्त जनक रहा ।
4. उक्त विवरण के अनुसार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रु 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियंता निरिक्षण किया जायेगा तभी भुगतान किया जायेगा जो नहीं पाया गया है।
5. निर्माण कार्यों की पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नि 38 के अनुसार समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र देने वाले आधिकारियो या सदस्य ने स्वय निरिक्षण न कर लिया हो जो नहीं पाया गया उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

6. उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु 1,68,02,809.00 की गंभीर अनियमितता की गयी है

उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के क्र0सं0 (5) के अन्तर्गत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

8.क्षेत्र पंचायतः-हल्दौर विकास खण्डः- हल्दौर वर्षः-2019-20

प्रस्तर संख्या -23-क्षेत्र पंचायत हल्दौर की वर्ष 2019-2020 लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमिताओ एवं अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके प्रति समुचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैः-

लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2019-2020 से सम्बन्धित ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष 2019-2020 के अन्तर्गत कुल रूपये 12502052.84 विभिन्न मदो पर व्यय दर्शाया गया है। जिसमे राज्य वित्त, तेरहवा वित्त, सांसद निधि, ब्याज आदि से सम्बन्धित व्ययो की स्थिति निम्नलिखित हैः-

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	राज्य वित्त से सम्बन्धित कुल व्यय	9598603.00
2	तेरहवा वित्त से सम्बन्धित कुल व्यय	1010789.00

3	सांसद निधि	802840.00
4	ब्याज	305977.28
5	कन्टीजेन्सी	55585.76
	कुल योग	11773794.84

उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 5 तक के व्ययो की जांच एवं पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा के समय वांछित अभिलेख यथा कैशबुक, बिल/मस्टर रोल/व्यय प्रमाणको की गार्ड फाईल, बैंक की पासबुके एवं स्टेटमेन्ट, कराये गये कार्यो की स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यों के प्राकलन, टैन्डर एवं इनकी स्वीकृतियों की पत्रावलिया, निर्माण कार्यो की पत्रावलियों, कार्यों की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उक्त व्यय अनुदान के उपभोग प्रमाण-पत्र, सम्पत्ति रजिस्टर, उक्त से सम्बन्धित विभागीय/शासनादेश की पत्रावलियाँ आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण उपरोक्त व्यय राशि रूपये 11773794.84 अपहरण की गई प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 11773794.84 की वसूली किया जाना उचित है। जॉच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती आंचल,ब्लाक प्रमुख / श्री डा० सुनील कुमार वर्मा, श्री व्रजभूषण तथा श्री डा० नरेन्द्र पाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी/ श्री संजय कुमार गुप्ता, लेखाकार श्री दिनेश कुमार, अवर अभियन्ता से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 11773794.84 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यावाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारीयो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -24 अनुदान पंजिका तृतीय वर्ष 2019-2020 के अनुसार निम्नलिखित भुगतान भी दर्शित है -

क्रमांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1	आयकर	197824.00
2	जी0एस0टी0	182912.00
3	लेबर सैन्स	121649.00
4	रायल्टी	48333.00
	योग	550718.00

लेखा परीक्षा मे उक्त व्ययो/भुगतानो की जाचें व पुष्टि हेतु क्रमांक 1 से 4 तक की पत्रावलियां, प्रमाणक, शासकीय कोष मे जमा राशि के चालान, बिल वाउचर, सम्बन्धित पंजिकाऐ सम्बन्धित विभागो के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि आदि अप्राप्त रहें। अतः यह व्यय राशियों अपहरण की गई प्रतीत होती है। पूर्ण जाचें एवं पुष्टि कराई जाय अन्यथा की स्थिति मे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 550718.00 वसूली किया जाना उचित है। जाँच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती आंचल, ब्लाक प्रमुख / श्री डा० सुनील कुमार वर्मा, श्री ब्रजभूषण तथा श्री डा० नरेन्द्र पाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी/ श्री संजय कुमार गुप्ता, लेखाकार / श्री दिनेश कुमार, अवर अभियन्ता से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 550718.00 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यावाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारीयो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

9.क्षेत्र पंचायतः-नूरपुर वर्षः-2019-20

प्रस्तर संख्या -25- क्षेत्र पंचायतनूरपुर की वर्ष 2019-2020 लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताओ एवं अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके प्रति समुचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है:-

लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2019-2020 से सम्बन्धित ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष 2019-2020 के अन्तर्गत कुल रूपये 12502052.84 विभिन्न मदो पर व्यय दर्शाया गया है। जिसमे राज्य वित्त, तेरहवा वित्त, सांसद निधि, ब्याज आदि से सम्बन्धित व्ययो की स्थिति निम्नलिखित है:-

क्रमांक	विवरण	वर्ष में व्यय धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	9833189.50
2	सांसद/विधायक निधि	445473.00
3	क्षेत्र निधि	10000.00
4	प्रधानमंत्री आवास योजना कंटिजेन्सी	125157.00
5	पंचायत कंटिजेन्सी	748312.00
6	ब्याज पंचायत कंटिजेन्सी	35098.14
7	ब्याज राज्य वित्त	340371.70
8	ब्याज सांसद निधि	55100.00
9	कुल योग	11603901.34
	कुल योग	11603901.34

उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 9 तक के व्ययो की जांच एवं पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा के समय वांछित अभिलेख यथा कैशबुक, बिल/मस्टर रोल/व्यय प्रमाणको की गार्ड फाईल, बैंक की पासबुके एवं स्टेटमेन्ट, कराये गये कार्यो की स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यों के प्राकलन, टैन्डर एवं इनकी स्वीकृतियों की पत्रावलिया, निर्माण कार्यो की पत्रावलियों, कार्यों की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उक्त व्यय अनुदान के उपभोग प्रमाण-पत्र, सम्पत्ति रजिस्टर, उक्त से सम्बन्धित विभागीय/शासनादेश की पत्रावलियाँ आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण उपरोक्त व्यय राशि रूपये 11603901.34 अपहरण की गई प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 11603901.34 की वसूली किया जाना उचित है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती अंशिका सिंह, ब्लाक प्रमुख / श्री डा० संतोष कुमार, श्री विजय प्रकाश श्री वास्तव तथा श्री राजेश कुमार तथा दिनेश चंद्र शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी/ श्री गिरीश चंद्र, लेखाकार / श्री अशोक कुमार, अवर अभियन्ता से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 11603901.34 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -26 वर्ष आलोच्य 2019-2020 मे अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत कुल रूपये 3970000.00 व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु पात्र लाभार्थियो की स्वीकृत सूची व पत्रावली, पंजिका में दर्शित व्ययों के बिल ध्वाउचर ध्प्रमाणक, बैंक की पासबुक व स्टेटमेन्ट, उपभोग प्रमाणपत्र, विभागीय व शासनादेशो की सम्बन्धित पत्रावली आदि अप्राप्त रही। अतः उपरोक्त रूपये 3970000.00 के व्ययो पूर्ण विवरण/साक्ष्यो/ प्रमाणको आदि से जॉच एवं पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये

3970000.00 की वसूली किया जाना उचित है। उत्तरदायी भुगतानकर्ता व्यक्तियों से यथा श्रीमती अंशिका सिंह, ब्लाक प्रमुख / श्री सन्तोष कुमार, श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव, श्री राजेश कुमार तथा श्री दिनेश चन्द शर्मा, खण्ड़ विकास अधिकारी ध् श्री गिरिश चन्द, लेखाकार/ श्री अशोक कुमार, अवर अभियन्ता से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 3970000.00 अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या -27 अनुदान पंजिका तृतीय वर्ष 2019-2020 के अनुसार निम्नलिखित भुगतान भी दर्शित है -

क्रमांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1	आयकर	178837.00
2	जी0एस0टी0	142504.00
3	लेबर सैन्स	83128.00
	योग	404469.00

लेखा परीक्षा मे उक्त व्ययो/भुगतानो की जाचें व पुष्टि हेतु क्रमांक 1 से 4 तक की पत्रावलियां, प्रमाणक, शासकीय कोष मे जमा राशि के चालान, बिल वाउचर, सम्बन्धित पंजिकाऐ सम्बन्धित विभागो के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि आदि अप्राप्त रहें। अतः यह व्यय राशियों अपहरण की गई प्रतीत होती है। पूर्ण जाचें एवं पुष्टि कराई जाय अन्यथा की स्थिति मे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 404469.00 वसूली किया जाना उचित है। जाँच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती आंचल, ब्लाक प्रमुख / श्री डा० सुनील कुमार वर्मा, श्री ब्रजभूषण तथा श्री डा० नरेन्द्र पाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी/ श्री संजय कुमार गुप्ता, लेखाकार / श्री दिनेश कुमार, अवर अभियन्ता से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 404469.00 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

10.क्षेत्र पंचायतः-जलीलपुर वर्षः-वर्ष 2017-2018 से 2019-2020

प्रस्तर संख्या-28 लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2017-2018 से सम्बन्धित ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय को मूल रूप से प्रस्तुत न करके इसकी छायाप्रति मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। तथा वर्ष आलोच्य से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/ मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियों, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण दर्शित विभिन्न व्ययो की जॉच एवं पुष्टि नही की जा सकी। अतः ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में दशयि गये व्ययों में वर्ष 2017-2018 में रूपये 5248455.40 की जॉच एवं पुष्टि अपेक्षित है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 5248455.40 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है जिसकी जॉच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से श्रीमती किरपाली देवी, ब्लॉक प्रमुख और श्रीमती सुधा रानी, श्री शैलेन व्यास, श्री जैसे व्यक्तियों से आलोक कुमार, श्री बलवन्त सिंह, श्री पी०पी० श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री टीकम सिंह, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 5248455.40 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यावाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-29- लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2018-2019 से सम्बन्धित ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय को मूल रूप से प्रस्तुत न करके इसकी छायाप्रति मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। तथा वर्ष आलोच्य से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर/ मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियों, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण दर्शित विभिन्न व्ययो की जॉच एवं पुष्टि नही की जा सकी। अतः ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में दर्शाये गये व्ययों में वर्ष 2018-2019 में रूपये 20388524.30 की जॉच

एवं पुष्टि अपेक्षित है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 20388524.30 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है, जिसकी जॉच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती किरपाली देवी, ब्लाक प्रमुख तथा श्री पी०पी० श्रीवास्तव, श्री नौबहार सिंह, डा० श्री सुनील कुमार वर्मा, श्री अमरीश कुमार एवं श्री रोहिताश कुमार, खण्ड़ विकास अधिकारी, तथा श्री टीकम सिंह, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 20388524.30 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यावाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारीयो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-30- लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2019-2020 से सम्बन्धित ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय को मूल रूप से प्रस्तुत न करके इसकी छायाप्रति मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। तथा वर्ष आलोच्य से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक, व्ययों से सम्बन्धित बिलध्वाउचर/ मस्टर रोल की गार्ड फाईल, कराये गये कार्यों की पत्रावलियों, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुकें आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण दर्शित विभिन्न व्ययो की जॉच एवं पुष्टि नही की जा सकी। अतः ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में दर्शाये गये व्ययों में वर्ष 2019-2020 में रूपये 11324016.58 की जॉच एवं पुष्टि अपेक्षित है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 11324016.58 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है जिसकी जॉच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती किरपाली देवी, ब्लाक प्रमुख तथा श्री रोहिताश कुमार एवं श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, खण्ड़ विकास अधिकारी, तथा श्री टीकम सिंह, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 11324016.58 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यावाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारीयो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -31 अनुदान पंजिका तृतीय की छाया प्रति के अनुसार वर्ष आलोच्य 2017-2018 से 2019-2020 तक निम्नलिखित व्यय भुगतान भी दर्शित है:-

क्र०	विवरण	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष2019-2020	योग
1	आयकर टी०डी०एस०	92222.00	233598.00	152264.00	478084.00
2	वाणिज्य कर, वैट	115195.00	130884.00	130000.00	376079.00
3	लेवर सैन्स	....	261897.00	44371.00	306268.00
4	रायल्टी	....	257842.00	....	257842.00
	कुल योग	207417.00	884221.00	326635.00	1418273.00

उपरोक्त मदों की जाँच एवं पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा के समय सम्बन्धित पत्रावलियाँ, पंजिकाऐ, शासकीय कोष में धन जमा कराये जाने की पुष्टि में जमा राशियो के चालान या अन्य प्रपत्र/प्रमाणक आदि अप्राप्त रहें। अतः उक्त मदों में कुल भुगतान राशि रूपये 1418273.00 शासकीय कोष में जमा की पुष्टि नही होती है। उपरोक्त की मदवार जाँच/पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति के उपरोक्त मदों में अंकित राशियाँ सम्बन्धित ब्लाक प्रमुख, खण्ड़ विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता लेखाकार आदि से अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-32--मुख्यमन्त्री की सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत वर्ष आलोच्य 2018-19 में रूपये 7660000.00 तथा 2019-2020 में रूपये 4515000.00 इस प्रकार कुल रूपये 12175000.00 व्यय/भुगतान अनुदान पंजिका तृतीय अनुसार दर्शित है। उक्त व्यय भुगतान राशियों की जाँच एवं पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय पात्र लाभार्थियों की स्वीकृत सूची व पत्रावली, पंजिका व्ययों के बिलध्प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र, आदि आदि अप्राप्त रहे। अतः उपरोक्त राशियों की पूर्ण विवरण/साक्ष्यों/प्रमाणकों आदि से जाँच व पुष्टि कराई जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित भुगतानकर्ताओं यथा ब्लाक प्रमुख, खण्डड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार आदि से रूपये 12175000.00 की धनराशियां वसूली योग्य है। अतः समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-33--अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार आंगनवाडी मद में वर्ष 2018-19 में रूपये 1490687.00 तथा 2019-2020 में रूपये 166439.00 इस प्रकार कुल रूपये 1657126.00 के व्यय भुगतान दर्शित है। उक्त राशि के भुगतानों की जाँच एवं पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा के समय स्वीकृत कार्य योजनाए, व्यय अनुमान पत्र, टैण्डर पत्रावली, कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, बिल/वाउचर/प्रमाणक, माप पुस्तिकाऐ, स्वीकृति, सम्बन्धित व्यय राशियों की पत्रावलियाँ आदि आदि अप्राप्त रहे। अतः उक्त व्ययो की जाँच एवं पुष्टि अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में जाँचोपरान्त उत्तरदायी भुगतानकर्ताओ तथा ब्लाक प्रमुख, खण्ड़ विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार आदि से रूपये 1657126.00 की राशि वसूली योग्य है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-34--अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 2019-2020 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मद मे रूपये 10000.00 प्राप्त तथा रूपये 10000.00 ही व्यय दर्शित है। उक्त व्यय भुगतानो की जाँच एवं पुष्टि में लेखा परीक्षा के समय सम्बन्धित पत्रावली, पंजिका, व्यय प्रमाणक,उपभोग प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। अतः उक्त की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी भुगतान कर्त्ताओ तथा ब्लाक प्रमुख, खण्ड़ विकास अधिकारी, लेखाकार से रूपये 10000.00 वसूली योग्य है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, जेई आदि पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

11.क्षेत्र पंचायतः- अफजलगढ़ वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-35-लेबर रोस की कटौती की राशि 149827.00 वेलफेयर बोर्ड को प्रेषित नहीं किये जाने का प्रकरण भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 में प्रावधान है कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (27) के प्रयोजनों के लिए उपकर लगाया और एकत्र किया जाएगा। 1996), नियोक्ता द्वारा खर्च की गई निर्माण लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं, बल्कि एक प्रतिशत से कम नहीं की दर पर, जैसा कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकती है।

इसके अलावा, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) के नियम 4 में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत लगाए गए उपकर का भुगतान नियोक्ता द्वारा 30 दिनों के भीतर उपकर संग्रहकर्ता को किया जाएगा। उपकर नियमों के 5(3) में प्रावधान है कि एकत्र की गई राशि उसके संग्रह के तीस दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तांतरित कर दी जाएगी परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्त प्राविधानों के कम में क्षेत्र पंचायत अफजलगढ़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि माह मार्च 2022 तक में राज्य वित आयोग, एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुततियों के अंतर्गत अनटाइड एवं टाइड शीर्षों के अधीन प्राप्त अनुदान के सापेक्ष कार्य संपादित कराते हुये धनराशि व्यय की

गयी थी। जिसमें पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य समाप्ति के उपरांत ठेकेदारों के बिलों से लेबर सेस की कटौती की जा रही थी परन्तु मार्च 2022 तक राज्य वित आयोग व 15वा केंद्र वित्त आयोग में लेबर सेस की धनराशि रु 149827.00 लेबर सेस की कटौती की गयी है. परन्तु इसे जमा नहीं किया गया। सम्प्रेक्षा अवधि नवंबर 2023 तक की गई कटौती की राशि 149827.00 को वेलफेयर बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार कटौती की राशि को संग्रह के 30 दिनों के भीतर वेलफेयर बोर्ड को प्रेषित कर दिया जाना था। लेबर सेस की कटौती की धनराशि को एक वर्ष तक जमा न किये जाने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर लेखाकार द्वारा बताया कि कटौती की राशि को शीघ्र की संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

नहीं किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या-36-एम०एम० 11 (वैध अभीवहन प्रपत्र) न प्राप्त होने की स्थिति में रु0 11.42 लाख खनिज मूल्य की कटौती न किये जाने से राजस्व की हानि एवं 2.28 लाख रायल्टी की कटौती किये जाने के बावजूद उसे राजस्व मद में जमा न किया जाना।

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-3385ध्80-2015-202ध्2018 भूतत्य एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुसार वैध अभिवहन प्रपत्र (डड-11) के आधार पर खनिज प्राप्त किया जा सकता है. उन स्थानों पर भी उपखनिजों (गिट्टी साधारण बालू मोरम् इमारती पथर साधारण गिट्टी आदि) का अप्रैध रूप से खनन कर निर्माण कार्य में प्रयोग कर लेते हैं एवं बिल से रायल्टी को धनराशि कटवाकर जमा कर दिया जाता है। ठेकेदारों का उक्त कृत्य खान एवं खनिजद (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-ए एवं उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली-1963 के नियम 3 के प्राविधानों के प्रतिकूल है।एम०एम०-11 न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा-21 (5) के प्रावधानों के अनुसार यदि खनिजों का अवैध खनन कर उसका उपभोग कर लिया गया है तो अवैध खननकर्ता से रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार को बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्ष ०७३-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-102 अनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्य शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय।

विकास खण्ड अफजलगढ़ के लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजिका

वर्ष 21-22 में राज्य वित्त आयोग योजना तथा केंद्र वित्त आयोग के अन्तर्गत रायल्टी मद में कटौती करके अवरुद्ध रखी गयी है। रायल्टी की कटौती विभिन्न कार्यों पर की गयी है इन बिलों में ठेकेदारों द्वारा एम०एम० 11 नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त शासनादेश के अनुसार एम०एम०11 न दिये जाने की स्थिति में रायल्टी का पांच गुना रु 228360.00 ग् 5=रू 1141800.00 खनिज मूल्य की कटौती की जानी थी जो कि नहीं की गयी है। एम०एम०-11 न प्राप्त होने की स्थिति में रु० 1141800.00 खनिज मूल्य एवं रायल्टी की कटौती किये जाने के बाद भी राजस्व मद में जमा नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है

		निर्माण कार्य एवं भुगतान विवरण								जिसके नाम चेक/डांगल दर्शित है
क्र0 सं0	कार्य का नाम	कुल भुगतान	टीडीएस	जी0एस0एस0		लेबर सेस	रॉयल्टी	जमानत	शुद्ध भुगतान	
1	ग्राम कलुवाला में तेजा के घर से जसवीर सिंह के घर तक	767440.00	13704	6852	6852	6852	6109	00	648445	मेसर्स रामपाल सिंह कान्ट्रेक्टर

	इन्टरलांक खडन्जा निर्माण									
2	ग्राम गोर्वधनपुर मे गजराज सिंह के मोड से अफजाल की दुकान मेन सड़क तक सीसी	993349.00	17738	8869	8869	8869	20340		822234	मेसर्स सोनी शर्मा कान्ट्रेक्टर
3	ग्राम हरेवली में मेन रोड़ से मौ0 याकूब के पर तक सीसी	992495.00	17723	8862	8862	8862	20900		820984	मैसर्स मौ0 कमालुद्दीन कान्ट्रेक्टर हिदायतपुर
	ग्राम कल्लुवाला में मेन सडक से शकतार सिंह के घर तक सी0सी0	446126.00	7967	3983	3983	3983	9649		368762	मैसर्स मौ0 प्रितम सिह कान्ट्रेक्टर हिदायतपुर
5	ग्रम रसूलपुर आबाद मे तोलराम के घर से मंदिर तक सी0सी0	731944.00	13070	6535	6535	6535	16403		604443	मैसर्स मौ0 प्रितम सिह कान्ट्रेक्टर हिदायतपुर
6	ग्राम नियादरी में सुशील कें घर से दिनेश कें घर तक सी0सी0 इन्टरलॉक निर्माण	827723.00	16654	8277	8277	8277	5080		692573	मैसर्स रामपाल सिह कान्ट्रेक्टर
7	ग्राम हरपुर में शिवमन्दिर वाले रास्ते पर सी0सी0	915230.00	16343	8172	8172	8172	22637		753674	मैसर्स प्रितम सिह कान्ट्रेक्टर हिदायतपुर
8	ग्राम सीरबासुचन्द में सौपुरी वाली नहर से पैरो वाली खलियान तक सी0सी0 रोड	927320.00	16559	8280	8280	8280	18597		767968	मैसर्स रामपाल सिह कान्ट्रेक्टर

9	विकास खण्ड परिसर में कार्यालय के प्रागण में इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य	733638.00	13101	6550	6550	6550	0	41000	581283	प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर सीरबासुचन्द
10	विकास खण्ड परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पिदे इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य	351851.00	6283	3142	3142	3142	0	19000	279444	प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर सीरबासुचन्द
11	विकास खण्ड परिसर में पशुचिकित्सालय में इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य	369015.00	6590	3295	3295	3295	0	17000	296003	प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर सीरबासुचन्द
12	ब्लाक प्रमुख कक्ष का लिटर टाइल्स लगाने का कार्य एवं शौचालय मरम्मत रंगाई-पुताई कार्य	348737.00	6228	3114	3114	3114	0	17800	278013	प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर सीरबासुचन्द
13	विकास खण्ड परिसर में ब्लाक प्रमुख कक्ष से कृषि विभाग के गोदाम/शोचालय की तरहफ सी0सी0 रोड निर्माण	548110.00	9788	4893	4893	4893	0	25800	439117	प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर सीरबासुचन्द
14	ग्राम अभयराजपुर में रोड मन्दिर तक सी0सी0 रोड	752714.00	13441	6421	6421	6421	16835	35000	586628	मैसर्स प्रितम सिह कान्ट्रेक्टर हिदायतपुर

15	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी कें पुराने आवास मे टाइल्स मरम्मत कार्य	108528.00	1938	969	969	969	0	2900	89155	प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर सीरबासुचन्द
16	विकासखण्ड परिसर के टीन सैड में मरम्मत कार्य	206743.00	3692	1846	1846	1846	0	10700	164662	प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर सीरबासुचन्द
17	ग्राम पंचायत रायपुरी देवानन्दपुरगढ़ी में स्वरूप सिंह के घर के पास पुलिया से लेकर निर्मल के पास अमाननगर तक खडण्जा	487917.00	8713	4356	4356	4356	0	13270	0	मैसर्स रामपाल सिह कान्ट्रेक्टर
18	ग्राम रामनगर प्राईमरी स्कूल से बिचुआचौरी तालाब तक नाला निर्माण कार्य	509828.00	9104	4552	4552	4552	4615	0	427829	बी0एल0 काठ एण्ड सप्लायर हरपुर
19	ग्राम नवाबाद जंगल में पीली डाम मार्ग पर भजन सिंह के पास पुलिया निर्माण कार्य।	683059.00	12197	6099	6099	6099	8862	0	570518	मैसर्स प्रितम सिह कान्ट्रेक्टर हिदायतपुर
20	ग्राम बेरखेडा में फिदा के घर से शाहिद के घर तक मिटटी खडन्जा निर्माण	319145.00	5699	2850	2850	2850	0	0	270702	मैसर्स रामपाल सिह कान्ट्रेक्टर
21	ग्राम शेरगढ मेंनहर पर जहीर अहमद के घर से	754263.00	13469	6734	6734	6734	0	0	639778	मैसर्स रामपाल सिह कान्ट्रेक्टर

	खेत की और मिटटी कार्य									
22	ग्राम नबावपुरा रामकुमर कें घर से अर्जुन के घर तक सी0सी0रोड निर्माण	991768.00	17710	8855	8855	8855	14848	49000	777384	प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर सीरबासुचन्द
23	ग्राम महोददीनपुर में समरपाल के घर से सुआवाला रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण	938199.00	16754	8377	8377	8377	20909	0	774884	मैसर्स सोनी शर्मा कान्ट्रेक्टर
24	ग्राम इमरतपुर भटपुरा मार्ग महिपाल के घर से होते हुए प्राईमरी स्कूल के पीछे तक सी0सी0 रोड निर्माण	872277.00	15576	7788	7788	7788	18402	37000	68447	मैसर्स प्रितम सिह कान्ट्रेक्टर हिदायतपुर
25	ग्राम रेहड में महबूब शाह के घर से शिवमंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण	770367.00	13757	6878	6878	6878	16998	40000	596439	मैसर्स प्रितम सिह कान्ट्रेक्टर हिदायतपुर
26	ग्राम कुआखेरा म गुरमीत कें घर से मैन रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण	333528.00	5986	2978	2978	2978	7176	40416	257377	
		16681314	299754	149827	149827	149827	228360	348886	13192776	

12.क्षेत्र पंचायतः- हल्दौर **वर्षः- 2020-21**

प्रस्तर संख्या-37-लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2020-21 में रु० 740103.00 आयकर जमा मद में दर्शित है। जिसके जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे साथ ही अवशेष रु० 740103.00 वर्षान्त में जमा दर्शित है। जिसे आयकर विभाग को दिनांक 31.03.2021 तक जमा करा दिया जाना चाहिए था जो नही जमा किया गया है जोकि आपत्तिजनक है। इस प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-38- लेखापरीक्षा वर्ष में पत्रावलियों को जांच में पाया गया कि वर्ष 2020.21 में रु० 583354.00 जी०एस०टी० मद में भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को किया गया है। लेखा परीक्षा में ठेकदारी द्वारा जमा की गई जी०एस०टी० से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहा किये गये हैं। राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः रु० 583354.00 की दण्डनीय स्थान सहित वसूली भुगतानकर्तामा प्रमुख विद्रसिह खंड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्रपाल सिंह व श्री शक्तिशरण श्रीवास्तव, अवर अभियंता श्री बाबुराम तथा लेखाकार श्री संजय गुप्ता से किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-39- लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2020-21 में 50 343113.00 लेबर सैस मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेबर सैस के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। लेबर सैस जमा नहीं किया गया है। अतः २० 343113.00 की वसूली की कार्यवाही ब्लाक प्रमुख श्री बिजेंद्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्रपाल सिंह व श्री शक्तिशरण श्रीवास्तव, अवर अभियंता श्री बाबुराम तथा लेखाकार श्री संजय गुप्ता से किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-40- लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2020.21 में रु० 160104-00 रायल्टी मद में कटौती की गयी है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद रायल्टी के जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किय गये। अतः रु० 160104-00 को वसूलो को कार्यवाहो सम्बन्धित व्यक्तियाँ स किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-41- लेखा परीक्षा वर्ष में वर्ष 2020-21 में 21681. 42 कन्टीन्ती नदने व्यय लिया गया. है। बार-बार मांगे जाने के बावजूद कन्टीजेन्सी मद में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रतुत नहीं किये गये। 21681. 42 की वसूली की कार्यवाही ब्लाक प्रमुख श्री बिजेंद्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेंन्द्रपाल सिंह व श्री शक्तिशरण श्रीवास्तव, अवर अभियंता श्री बाबुराम तया लेखाकार श्री संजय गुप्ता से किये जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-42- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्यों में ठेकेदारी प्रथा के नियमों पालन नहीं किया गया है। अधिकांश कार्यों के निविदा के प्रकाशन के समय जिन नियमों का उल्लेख किया गया उनका पालन नहीं किया गया है, जैसे-

1. नियमानुसार निविदा प्रदान करने के समय कम से कम 3 ठेकेदारों के आवेदन कार्य करने हेतु प्राप्त होने चाहिए, परन्तु यहाँ अधिकांश निर्माण कार्य हेतु 2 की निविदाएँ प्राप्त हुयी और कार्य प्रदान कर दिया गया जबकि यदि 3 से कम निविदा प्राप्त होती है तो निविदा निरस्त कर दी जाती है और पुनः प्रकाशन किया

2. आलोच्य वर्ष में लगभग सभी निर्माण कार्यों की निविदाप एक ही ठेकेदार श्री सुरेन्द्र सिंह को प्रदान की गयी है, जो नियम विरुद्ध है तथा धनराशि दुरुपयोग। गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है.

अतः आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से रू0 18903071.55, केन्द्रीय वित्त से तथा रू0 15212449.00 कुल रु० 34116120.55 व्यय किये गये है जिनमें उक्त नियमो का वित्तीय अनियमितता ब्लाक प्रमुख श्री बिजेंद्र सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्रपाल सिंह व श्री चक्तिचरण श्रीवास्तव, जवर अभियंता की बाबुराम तथा लेखाकार की संजय कुमार गुप्ता द्वारा की गयी है उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से किये जाना अपेक्षित है

13.क्षेत्र पंचायतः- बुढ़नपुर स्योहारा वर्षः- 2020-21

प्रस्तर संख्या-43-अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 2020-21 में मुख्य मंत्री सामुहिक विवाह योजना मद में व्यय की गयी धनराशि रु. 2824000.00 पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख यथा पात्रता सूची, प्रस्ताव, स्वीकृति, कोटेशनध्टेण्डर आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे व्यय की गई धनराशि संदिग्ध है। अतः दर्शित व्यय से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार तथा लेखाकार श्री प्रदीप कुमार मुख्यरुप से जिम्मेदार हैं।
पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 2824000.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार तथा लेखाकार श्री प्रदीप कुमार से बराबर- बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44-अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मद में व्यय की गयी धनराशि रु. 771386.00 पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे व्यय की गई धनराशि संदिग्ध है। अतः दर्शित व्यय से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार तथा लेखाकार श्री प्रदीप कुमार मुख्यरुप से जिम्मेदार हैं।

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गवन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 771386.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार तथा लेखाकार श्री प्रदीप कुमार से बराबर-बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

14.**क्षेत्र पंचायतः- मौ0पुर देवमल वर्षः- 2020-21**

प्रस्तर सं0- 45-लेखा परीक्षा के समय वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित ग्रान्ट रजिस्टश्र तृतीय मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत कुल रूप्ये 42907625.30 विभिन्न मदों पर व्यय दर्शाया गया है। जिसमें राज्य वित तथा पन्द्रहवा वित से सम्बन्धित व्ययों की स्थिति निम्नलिखित है-

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	राज्य वित से संबधित कुल व्यय	20355341.00
2	पन्द्रहवा वित से सम्बन्धित कुल व्यय	18805066.00
	कुल योग	39160407.00

उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 2 के व्ययों की जांच एवं पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा के समय वांछित अभिलेख यथा कैशबुक,लि/मस्टर रोल/व्यय प्रमाणको की गार्ड फाईल,बैंक की पासबुके एवं स्टेटमेन्ट कराये गये कार्यो की स्वीकृत कार्ययोजना,कार्यो की काग्र पूर्ति प्रमाण पत्र, उक्त व्यय अनुदान के उपभोग प्रमाण-पत्र ,सम्पत्ति रजिस्टर,,उक्त से सम्बन्धित विभागीय/शासनादेश की पत्रावलियां आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण व्यय राशि रूपये 39160407.00

अपहरण की गई प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 39160407.00 की वसूली किया जाना उचित है। जांच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री विनोद कुमार राठी,ब्लाक प्रमुख/श्री अभिनव कनौजिया व श्री परमानन्द झा खण्ड विकास अधिकारी/श्री मौ0 तारिक लेखाकार/श्री अमरनाथ कटारिया,अवर अभियन्ता से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 39160407.00 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप् से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर सं0-46- वर्ष आलोच्य 2020-21 में अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार मुख्यमन्त्री की सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत कुल रूपये 3726000.00 व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय राशि की जांच एवं पुष्टि हेतु पात्र लाभार्थियो की स्वीकुत सूची व पत्रावली, पंजिका में द र्शित व्ययों के बिल/वाउचर/प्रमाणक,बैंक की पासबुक व स्टेटमेन्ट, उपभोग प्रमाणपत्र, विभागीय व शासनादेशों की सम्बन्धित पत्रावली आदि अप्राप्त रही। अतः उपरोक्त रूपये 3726000.00 के व्ययों पूर्ण विवरण्सा/सदस्यों /प्रमाणकों आदि से जांच एवं पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या 179 क से अ तक के प्राविधनानुसार रूपये 3726000.00 की वसूली किया जाना उचित है। उत्तरदायी भुगतानकर्ता व्यक्तियों से यथा ब्लाक प्रमुख/प्रशासक,खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार,अवर अभियन्ता से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात में रूपये 3726000.00 अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकुष्ट किया जाता है।

जनपद- मुरादाबाद।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ का विवरणः-

1. क्षेत्र पंचायत - डिलारी वर्ष 2019-20 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-01 क्षेत्र पंचायत डिलारी द्वारा वर्ष 2019-20 में उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया था। जबकि दौरान साल आडिट राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान रू० 5067207.72 का अपभोग किया गया था। लेखा परीक्षा के समय रू0 50,67,207.72 के उपभोग की पुष्टि में कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। पत्रावली प्रस्तुत न किया जाना उक्त व्यय दर्शित राशि का अपहरण किया जाना प्रकट करता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधि० श्री एम० सिंह तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। उनसे दर्शित व्यय रू0 50,67,207.72 की ब्याज सहित वसूली व इस प्रति उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 वर्ष 2019-20 में मनरेगा कन्ट्रीजेन्सी मद में रू0 42,94,132.00 व्यय किया गया था। किन्तु आडिट में उक्त मद पर हुए व्यय से सम्बन्धित पत्रावली अथवा प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना पुष्ट है। अविलम्ब उत्तरदायी खण्ड विकास अधि० एवं लेखाकार से रू0 42.94.132.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 प्रधानमंत्री आवास कन्टीजेन्सी हेतु अनुदान गतवर्ष का शेष रु० 70,105.20 था। वर्ष में रु0 3,00 000.00 अनुदान प्राप्त हुआ था तथा उपभोग रु० 370075.00 करने के बाद अवशेष अप्रयुक्त अनुदान मात्र 30.20 रहा। यह शेष राशि सरकार को न भेजकर मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना मद में माह दिसम्बर 2019

के प्रारिम्भक शेष में जोड़ दी गई। इस हेतु कोई विभागीय स्वकृति भी नहीं मिली। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट है। इस व्यय राशि की पुष्टि कराई जानी-अपेक्षित है। अन्यथा इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०पी० सिंह व लेखाकार देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-04 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में दि० 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष 39,263.00 था। दौरान सांल ऑडिट इस योजना हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। प्रारम्भिक अवशेष रु0 39263.00 में मनमाने तरीक से प्रधानमंत्री आवास कन्टीजेन्सी का अप्रयुक्त अवशेष रू0 30.20 इस प्रारम्भिक शेष में जोड़ दिया गया था। जबकि यह अवशेष राशि सरकार को वापस भेजी जानी चाहिये थी। इस प्रकार कुल प्रारम्भिक शेष रु० 39,263.00+30.20=39,293.20 में से दौरान साल ही रु0 20,000.00 माह जून 2019 में व्यय किये दिखाये है। व्यय की पुष्टि में साक्ष्य हेतु प्रमाणक नहीं मिलें। सम्बन्धित लाभार्थी की भी जानकारी न हो सकीं। अतः दर्शित उपभोग अपुष्ट है। जिसके लिये श्री एम०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी व श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। उनसे इस राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। वर्षान्त में रु0 19,293.20 इस मद अवशेष दिखाये है। जिसे राज्य कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-05 आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत डिलारी द्वारा अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल हेतु रू0 1,45,800.00 खर्च किया गया था। लेखा परीक्षा के समय पूछ ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि क्षेत्र में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल वर्ष 2019-20 में नहीं बनाया गया था। आडिट के दौरान इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक देखने को नहीं मिले। जिससे अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल पर काल्पनिक व्यय दिखाकर रू० 1,45,800.00 का गोलमाल किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही एवं उनसे रू0 1,45,800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 9897214.72

2. क्षेत्र पंचायत - ठाकुरद्वारा वर्ष 2019-20 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-06 वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का₹ 41,69,095.00 बैंक से आहरण किया गया था। जिसके सापेक्ष 6 पत्रावलियो के अनुसार ₹ 31,76,626.00 ही दौरान साल व्यय हुआ था। शेष बैंक से आहरण की गयी धनराशि ₹ 9.92.469.00 के व्यय से सम्बंधित पत्रावली प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः इस धनराशि का व्यय संदिग्ध होना प्रकट करता है। इस सम्बंध में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-07 मनरेगा कैन्टीजेन्सी मद में वर्ष 2019-20 में ₹ 39,13,810.00 प्राप्त हुये थे। गत शेष ₹2,00,780.02 था। इस प्रकार कुल ₹ 41,14,590. 02 के सापेक्ष वर्ष आडिट में ₹ 27,92,468.60 व्यय दिखाकर अवशेष ₹ 13,22,121.42 रहा था। मनरेगा कैन्टीजेन्सी से सम्बंधित कोई पत्रावली, प्रमाणक अन्य कोई पुष्टि हेतु प्रमाणपत्र नही पया गया। किसी भी प्रमाणक के अभाव में दर्शित व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-08 प्रधानमंत्री आवास योजना कन्टीजेन्सी हेतु ₹ 51,826.00 अनुदान प्राप्त हुआ था। प्रा० अवशेष ₹ 1,28,722.00 था। इस प्रकार कुल इस मद में अनुदान ₹ 1,80,548.00 रहा। जिसका उपभोग साल आडिट में

ही दिखाकर वर्षान्त में अवशेष शून्य कर दिया गया था। लेखा परीक्षा मे दर्शित उपभोग की पुष्टि में कोई पत्रावली व अन्य कोई व्यय से सम्बंधित प्रमाणक नहीं देखने को मिला। अतः दर्शित उपभोग की स्थिति संदिग्ध है। इस प्रति उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-09 विभागीय कैन्टीजेन्सी मद का अनुदान दिनांक 01.04.2020 को गत शेष ₹ 16,640.00 था। जिसमे वर्ष 2019-20 में ₹ 16,632+8= 16640 उपभोग दिखाकर अवशेष शून्य दिखाया है। ₹ 16640.00 के दिखाये उपभोग की पुष्टि में संस्था में कोई प्रमाणक नहीं है। अतः दर्शीत खर्च अपुष्ट है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उनके विरूद्ध इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-10 ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार दि० 31.03.2020 को अनुदान अवशेष ₹ 91,23,392 व ब्याजर₹ 1,84,136.86 कुल ₹ 93,07,528.86 अवशेष धनराशि क्षेत्र पंचायत में थी। बिना भुने चौंक जो संस्था द्वारा निर्गत कर दिये गये थे तथा बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये थे ₹27,684 00 के थे। इस प्रकार कुल ₹93,35,212.86 संस्था अभिलेखो के अनुसार था। बैंक में गणनानुसार ₹ 15,36,760.54 होना चाहिये था। किन्तु आडिट के समय केवल 77,9,452.32 की ही बैंक स्टेटमेन्ट से पुष्टि हो सकी। ₹15,36,760.54 बैंक में जमा राशि की पुष्टि में पासबुक अथवा बैंक की स्टेटमेन्ट देखने को नहीं मिला। इस अपुष्ट राशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित रही। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-11 वर्ष 2019-20 में कराये गये सभी 6 कार्य खण्ड विकास कार्यालय परिसर के अन्दर ही कराये गये थे। जबकि नियमानुसार पंचायत द्वारा दो ग्राम पंचायतों के बीच कार्य कराया जाना चाहिये। किन्तु क्षेत्र पंचायत ठाकुरद्वारा द्वारा खण्ड विकास कार्यालय धनराशि परिसर में निर्माण / मरम्मत कार्य कराया गया है। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर रू0 41,69,095.00 के बाहर कोई कार्य नहीं कराया गया था। यह स्थिति अनुदान ₹ 41,69,095.00 का मनमाना उपभोग किया जाना दर्शाता है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 आलोच्य वर्ष में उक्त क्रमाक 1,4 व 5 पर दर्शित कार्यों की कुल लागत ₹ 5,00,000.00 से अधिक थी। रु० 5,00,000.00 से अधिक की लागत की कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये था। इससे बचने के लिये उक्त कार्यों को जिन पर शुद्ध भुगतान कमशः ₹7,75,007.00, ₹5,25,067,00 व ₹ 6,34,286.00 किया गया था, यह तीनों कार्य दुकड़ों-टुकड़ों में कराये गये दिखाये हैं। वास्तविकता को छुपाने व जिलाधिकारी से कार्य योजना का अनुमोदन न कराने व तकनीकी स्वीकृति अभियन्ता से न लेने के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उनके विरूद्ध इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उक्त तीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी टुकड़ो-टुकड़ों में कराये दिखाये है। जिससे क्रमांक 1, 4 व 5 पर दर्शित टुकड़ो-टुकड़ो मे कराये कार्यों की वास्तविकता भी छुपी रहे।

प्रस्तर-13 ठेकेदारों के भुगतान बिल्स से टी०डी०एस० से ₹ 63,404.00 व जी०एस०टी० ₹ 3,51,838.00 की कटौती की गयी थी। काटी गयी उक्त टी०डी०एस० व जी०एस०टी० की धनराशि सम्बंधित विभाग के खाते में जमा की पुष्टि मे चालान / इश्यू चौक नम्बर / बैंक स्टेटमेन्ट आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। पुष्टि न होने की दशा में तत्कालीन लेखाकार श्री वेद प्रकाश शर्मा व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी

हैं। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष ठेकेदारो के बिलों से सेस की कटौती ₹ 31,288.00 की गयी थी। यह राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा की गयी थी अथवा नहीं इसकी पुष्टि में बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला। अतः इस राशि के उक्त बोर्ड के पक्ष में भेजे जाने की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न हो सकने की दशा में इस प्रति तत्कालीन विकास खंड अधिकारी उत्तरदायी होंगे। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि - 12068872.00

3. क्षेत्र पंचायत - छजलैट वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-15

क्र0 स0	कार्य का नाम	प्राप्त टेंडर	स्वीकृत टेंडर	बिल की धनराशि	जी.एस.टी	कुल कर कटौतियां	शुध्द भुगतान	कुल भुगतान(5+6)
1.	ग्राम करनपुर में लाखन सिंह के घर के पास नाली इंटर लाकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य ।	1.सतवीर सिंह कांट्रेक्टर 2. मै0 राजपाल सिंह 3.मै0 शिव कस्ट्रक्शन	मै0 सतवीर सिंह कांट्रेक्टर	559847.00	67182.00	61919.00	565110.00	627029.00
2.	ग्राम एदलपुर में जगदीश सिंह के घर के पास नाती एवं लोकेन्द्र सिंह के घर के पास इंटर लाकिंग टाइल्स निर्माण कार्य।			841961.00	101035.00	93121.00	849875.00	942996.00
3.	ग्राम सलेमपुर में जारत के चारों तरफ इंटरलाकिंग टाइल्स एवं चौक का कार्य ।			262402.00	31488.00	29021.00	264869.00	293890.00
4.	ग्राम चंगेरी मिलक में मिट्टी इंटरलाकिंग टाइल्स निर्माण कार्य।			345979.00	41517.00	38265.00	349231.00	387496.00
5.	ग्राम कुरी रवाना में पुलिया से लाला जितेन्द्र कुमार के घर के सामने इंटर			355484.00	42658.00	39317.00	358825.00	398142.00

	लाकिंग टाइल्स निर्माण कार्य।							
6.	ग्राम फलैदा में सुनील जाटव के मकान से सुनील जाट के खेत की ओर खडंजा निर्माण कार्य।			182679.00	21921.00	23858.00	180742.00	204600.00
7.	ग्राम कुचावली में किसान सेवा से ऋषिपाल के मकान की ओर सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।			589718.00	70766.00	70016.00	590468.00	660484.00
8.	ग्राम मोहम्मदपुर ध्यानपुर में ओमप्रकाश के मकान से घनश्याम के मकान तक सी.सी. टाईल्स नि्र्माण कार्य ।			250077.00	30009.00	32661.00	247425.00	280086.00
9.	ग्राम भीकनपुर के खलीलपुर अमरू में महेंद्र के मकान से हरपाल सिंह के मकान तक व शरण के मकान से मेन रोड तक बब्बू के मकान से रोड तक व चंद्रपाल के मकान से विजय के मकान तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।			323228.00	38787.00	42213.00	319802.00	362015.00
10.	ग्राम नगला जोगराज में ओमपाल के मकान से रणवीर के मकान तक सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।			871175.00	104541.00	113776.00	861940.00	975716.00

11.	ग्राम मौजा मिलक में राजेन्द्र सिंह के मकान से करतार सिंह के मकान तक सी,सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।			311454.00	37374.00	40676.00	308152.00	348828.00
12.	ग्राम भीकनपुर के खलीलपुर अमरू में सतवीर सिंह के मकान से सुरेन्द्र सिंह के मकान तक बृजेश के मकान से में रोड तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।			418048.00	50165.00	54597.00	413616.00	468213.00
13.	ग्राम एदलपुर जोगिया सिहाली में मंदिर से गढी डामर रोड की ओर सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।			398993.00	47879.00	52108.00	394764.00	446872.00
14.	ग्राम मल्ली वाला में बल्की के मकान से सौनाथ के मकान ठक, व मोहन के मकान से पूरब के मकान तक सी सी टाइल्स निर्माण कार्य ।			582057.00	69847.00	76017.00	575887.00	651904.00
15.	ग्राम गावडी में मेन रोड से टीकाराम के मकान तक सी सी टाइल्स निर्माण कार्य।			424967.00	50996.00	55500.00	420463.00	475963.00
16.	ग्राम दुमैलाखास में मंदिर के सामने व राम देव के घर के सामने सी सी टाइल्स निर्माण कार्य।			257471.00	30897.00	33626.00	254742.00	288368.00

17.	ग्राम मल्लिबाला में अमर सिंह के मकान से राम पाल के मकान तक सी सी टाइल्सनिर्माण कार्य।			256211.00	30745.00	33461.00	253495.00	286956.00
18.	ग्राम अकबरपुर चैदरी में रिजवान गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने सी सी टाइल्स निर्माण कार्य ।			485444.00	58253.00	63399.00	480298.00	543697.00
19.	ग्राम मादपुर में शकूर अमीन साहेब के मकान के सामने व सुरेन्द्र के मकान के सामने सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।			96800.00	11616.00	12642.00	95774.00	108416.00
20.	ग्राम मल्लिवा में मंदिर के सामने सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।			96371.00	11565.00	12586.00	95350.00	107936.00
21.	ग्राम रामपुरा में बंटी के खेत से बीर सिंह के टूबेल तक खडंजा निर्माण कार्य ।			763450.00	91614.00	99707.00	755357.00	855064.00
22.	ग्राम संदलीपुर में मेन रोड से नन्हे के मकान तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।			319997.00	38400.00	41792.00	316605.00	358397.00
23.	ग्राम मुख्तियार पुर नवादा में ऋषिराज के मकान से मस्जिद की ओर सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।			296092.00	35531.00	38669.00	292954.00	331623.00
24.	ग्राम सीमला में मेन रोड से खाजन			570687.00	68482.00	74532.00	564637.00	639169.00

	सिंह के मकान तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।							
25.	ग्राम कुडीमीरपुर की जाटवो की धर्मशाला में व इस्लाम के मकान से गंगाराम की दुकान से रोड के दोनो ओर सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।			178759.00	21451.00	23345.00	176865.00	200210.00
26.	ग्राम सीमला में अतर सिंह के मकान से रणवीर के मकान तक सी.सी.टाईल्स कार्य ।			634955.00	76195.00	82925.00	628225.00	711150.00
27.	ग्राम नगला जोगराज में शरर धर्मपाल के मकान के सामने रोड के किनारे सी सी टाइल्स निर्माण कार्य।			114741.00	13769.00	14985.00	113525.00	128510.00
28.	ग्राम सीमला में रामस्वरूप के मकान से रामसिंह के मकान तक सी सी टाइल्स कार्य ।			267867.00	32144.00	34983.00	265028.00	300011.00
29.	ग्राम मधुवा में चामुंडा मंदिर के सामने व अंदर सी सी टाइल्स कार्य ।			193313.00	23198.00	25724.00	190787.00	216511.00
30.	ग्राम जमुनिया आजम में मंदिर से ईश्वरदयाल सिंह के मकान की ओर सी.सी. टाइल्स कार्य ।			266536.00	31984.00	34810.00	263710.00	298520.00
31.	ग्राम ठाठ में अनिल की दुकान से मुनीम			544419.00	65330.00	71101.00	538648.00	609749.00

	की और सी सी टाइल्स निर्माण कार्य ।							
32.	ग्राम संजरपुर में गंगप्रसाद के मकान से भूदेव के मकान तक खडंजा निर्माण कार्य।			71316.00	8558.00	9313.00	70561.00	79874.00
33.	ग्राम संजरपुर में काशीराम के मकान से महिपाल के प्लाट तक सी.सी टाइल्स निर्माण कार्य।			343728.00	41247.00	44891.00	340084.00	384975.00
34.	ग्राम संजरपुर में रौली के मकान से रामप्रसाद के मकान तक व सोमपाल के मकान के सामने सी.सी टाइल्स निर्माण कार्य ।			498389.00	59807.00	65090.00	493106.00	558196.00
35.	ग्राम मधी में धर्मबोर सिंह के मकान से मेन रोड तक सी.सी टाइल्स कार्य ।			254533.00	30544.00	33242.00	251835.00	285077.00
36.	ग्राम मुन्काला में जमापुर में सुलेमान के मकान से तेजवीर सिंह के मकान तक सीसी टाइल्स निर्माण कार्य।			381186.00	45743.00	49783.00	377146.00	426929.00
37.	ग्राम रसूलपुर गुर्जर में नरेश के मकान से अनिल के मकान तक सीसी टाइल्स निर्माण कार्य।			660884.00	79306.00	86312.00	653878.00	740190.00
38.	चंगेरी में संजीव कुमार के मकान से धर्मवीर के मकान तक सी.सी टाईल्स			360600.00	43272.00	47094.00	356778.00	403872.00

39.	ग्राम आबी हफीजपुर में मदन सिंह के मकान से धर्मपाल सिंह के मकान तक सीसी टाइल्स निर्माण कार्य।			303260.00	36391.00	39606.00	300045.00	339651.00
40.	ग्राम मधुवा में अनुज सिंह के मकान से गजेन्द्र के मकान तक सीसी टाइल्स			248982.00	29878.00	32518.00	246342.00	278860.00
41.	कुरी रवाना में ओमपाल सिंह के मकान तक सी सी टाइल्स निर्माण कार्य ।			373865.00	44864.00	57452.00	361277.00	418729.00
42.	ग्राम संजरपुर में भीम सिंह के मकान से नरेश के मकान तक सीसी टाइल्स निर्माण कार्य ।			165853.00	19902.00	21661.00	164094.00	185755.00
43.	ग्राम संजरपुर में हबीब के मकान से हनीफ के मकान तक सोसी टाइल्स कार्य ।			547862.00	65743.00	71551.00	542054.00	613605.00
44.	ग्राम जमुनिमा आक्रम में जगबीर सिंह के मकान से चंदू के मकान की ओर सीसी टाइल्स निर्माण कार्य।			378829.00	45459.00	49475.00	374813.00	424288.00
45.	ग्राम नगला बोगराज में नन्हे सिंह के मकान से प्रमुख जी के क्खेत तक खबंबा कार्य ।			251319.00	30158.00	32822.00	248655.00	281477.00
46.	ग्राम वाडीमहमूदपुर में कपिल के खेत से सतीश के मकान की ओर खडंजा निर्माण कार्य।			198035.00	23764.00	25864.00	195935.00	221799.00

47.	ग्राम मनकुवा में योगेन्द्र सिंह के मकान से परम सिंह के मकान की ओर खडंजा कार्य ।			503615.00	60434.00	65771.00	498278.00	564049.00
48.	खानखाना विचपुरी में तरुण के घर से गाँव की ओर खडंजा निर्माण कार्य ।			291127.00	34935.00	38021.00	288041.00	326062.00
49.	नंगला जोगराज में राजेंद्र के मकान तक सीसी टाइल्स निर्माण कार्य ।			699064.00	83888.00	91298.00	691654.00	782952.00
50.	ग्राम मौकातेहिया में सौरव के मकान से गौरव के मकान तक सीसी			189352.00	22722.00	24730.00	187344.00	212074.00
51.	ग्राम छजलैट में पुलिस थाने के सामने सीसी टाइल्स निर्माण कार्य।			489865.00	58784.00	63976.00	484673.00	548649.00
			योग	19272846.00	2312738.00	2471822.00	19113762.00	21585584.00

उक्त कार्यों में टेंडर आमंत्रण के पश्चात जो टेंडर प्राप्त किये गये है उसमे मै० शिव कंस्ट्रक्शन, मै० राजपाल सिंह, मैं० सतवीर सिंह लगभग सभी कार्यों के टेंडर मैं शामिल किये गये हैं । लेखापरीक्षा में पाया गया की मै० शिव कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार श्रीमती लोकेश तथा साझेदार श्री राजपाल सिंह हैं। उल्लेखनीय है श्रीमती लोकेश वर्तमान ब्लाक प्रमुख है । मै० राजपाल सिंह के ठेकेदार श्री राजपाल सिंह है जो वर्तमान ब्लाक प्रमुख श्रीमती लोकेश के पति है। इस प्रकार उक्त सभी कार्यों में ब्लाक प्रमुख तथा उनके पति ठेकेदारी प्राप्त करने के लिए निविदा में शामिल हो रहे है और क्षेत्रपंचायत द्वारा उनकी निविदाओं को शामिल किया जा रहा है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है । उक्त सभी कार्यों हेतु जो निविदा स्वीकृत किया गया है वह मै० सतवीर सिंह हैं। क्षेत्रपंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम 21 में निहित है की टैंडर आमंत्रित करने के लिए तीन सप्ताह का समय आवश्यक है पर इसे नजरअंदाज किया गया है। उक्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है की क्षेत्रपंचायतद्द्वारा कराए जा रहे सभी निर्माण कार्यों में स्वयं ब्लाक प्रमुख एवं उनके पति शामिल हैं तथा वे मैं० सतवीर सिंह ठेकेदार के जरिये निर्माण कार्य करा रहे हैं। उनके इस कार्य में खंड विकास अधिकारी श्री जगमोहन गुप्ता, लेखाकार श्री अविनाश चन्द्र तथा जे ई श्री मक़सूद अहमद उनका साथ दे रहे हैं। इस प्रति उक्त सभी से निर्माण कार्यों में व्यय धनराशि 21585584.00 की ब्याज सहित वसूली करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 प्रमुख सचिव पंचायतीराज, अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्रपंचायत द्वारा किसी एक ही ग्राम के परिसीमन में कार्य नहीं कराया जायेगा। अपितु एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जायेंगे। लेखापरीक्षा नै पाया गया कि निम्नलिखित कार्य ग्राम के अंदर कराए गये है जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र0 स0	कार्य का नाम	प्राप्त टैंडर	स्वीकृत टैंडर	बिल की धनराशि	जी.एस.टी	कुल कर कटौतियां	शुध्द भुगतान	कुल भुगतान(5+6)
1.	ग्राम मल्लिवाला में राजपाल सिंह के मकान से निहाल सिंह के मकान तक मंदिर से सूरज के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	4.मै0 नित्या कांट्रेक्टर 5.मो0 आलम 6.अजय कुमार	नित्या कांट्रेक्टर	62065.00	7448.00	8106.00	61407.00	69513.00
2.	ग्राम फोल्डा में सूबे सिंह के मकान से शराफत हुरोन के मकान तक सीसी टाइल्स निर्माण कार्य।			177547.00	21306.00	23187.00	175666.00	198853.00
3.	ग्राम फोल्डा में अमर सिंह के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य ।			100176.00	12021.00	12184.00	100013.00	112197.00
4.	ग्राम ढाकी में नहर पर आर सी सी पुलिया का निर्माण कार्य।			332045.00	39845.00	43365.00	328525.00	371890.00
1.	ग्राम गोविन्दपुर ज्ञानपुर में देवरतन सिंह के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य			601783.00	72214.00	78594.00	595403.00	673997.00
6.	ग्राम अदलपुर जोगिया सिहाली में उधम सिंह के मकान से तेजपाल के मकान की ओर सी सी टाइल्स कार्य।			884255.00	106111.00	115484.00	874882.00	990366.00

7.	ग्राम करनपुर में सुनील के मकान के सामने सीसी टाइल्स निर्माण कार्य ।			128265.00	15392.00	16751.00	126906.00	143657.00
8.	ग्राम फोल्डा में मुन्ने के मकान के सामने आर सी सी स्लैब व लल्लू के मकान से मेनरोड तक नाली निर्माण।			53122.00	6375.00	6937.00	52560.00	59497.00
9.	ग्राम किरतपुरी में छत्रपाल की दुकान से मलखान के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य।			132276.00	15873.00	17276.00	130873.00	148149.00
10.	ग्राम जमुनिया आजम में चंदू के मकान से जगवीर सिंह के मकान तक सी सी टाइल्स निर्माण कार्य।			118914.00	14270.00	15530.00	117654.00	133184.00
			योग	2590448.00	310855.00	337414.00	2563889.00	2901303.00

अतः उक्त सभी कार्य शासनादेश के विपरीत कराकर व्यय धनराशि रु 2901303.00 का गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया हैं। इस प्रति खंड विकास अधिकारी श्री जगमोहन गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्रीमती लोकेश तथा जे ई श्री मकसूद अली उत्तरदायी है। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-17 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत पात्र आवेदन पत्रों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवश्यक आय प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं। इस प्रकार ऐसे आवेदन पत्र अपात्र की श्रेणी में होने थे, किन्तु इन्हें निरस्त न करके पात्र मान लिया गया। जो एक गम्भौर वित्तीय अनियमितता है इसका विवरण निम्नानुसार है:--

क्र0स0	पात्र आवेदन पत्र	जारी किये गये आय प्रमाण पत्र का दिनांक	विवाह कि तिथि	अधिक पुराना आय प्रमाण पत्र	अनियमति धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
1.	काजल पुत्री मनोज कुमार निवासी रायपुर खुर्द	22-09-2016	09-12-2020	एक वर्ष दो माह	51000.00	सचिव- अजयपाल ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
2.	चाँदनी पुत्री धरन सिंह, निवासी मथाना	07-09-2017		तीन माह	51000.00	सचिव- सूरजनायक ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
3.	आरती पुत्री सूखा सिंह , निवासी नेमतुल्ला नगर	23-08-2017		पांच माह	51000.00	सचिव - रईसआलम ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)

4.	अंजलि पुत्री सत्यपाल सिंह निवासी ढाकी	14-08-2017		तीन माह	51000.00	सचिव- अमित कुमार ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
5.	राखीरानी पुत्री राम प्रसाद सिंह निवासी अकबरपुर चैदरी	28-09-2016		एक वर्ष दो माह	51000.00	सचिव- अमित कुमार ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
2.	राखी पुत्री कृष्णवीर सिंह निवासी मौढी हजरतपुर	01-08-2016		एक वर्ष चार माह	51000.00	सचिव - सौरभ राणा ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
7.	गायत्री पुत्री सतवीर , निवासी पैगम्बरपुर	10-08-2017		तीन माह	51000.00	सचिव - अनुज कुमार ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
8.	मीना पुत्री मंगल सिंह, निवासी भीखनपुर	08-08-2017		तीन माह	51000.00	सचिव - कुलदीप सिंह ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
9.	माऊ पुत्री भीम सिंह , निवासी बगियासागर	20-08-2013		सात वर्ष तीन माह	51000.00	सचिव - सूरजनायक ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
10.	रीना पुत्री होराम सिंह , निवासी बगियासागर	08-09-2017		दो माह	51000.00	सचिव - सूरजनायक ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
11.	पूजा पुत्री महीपाल सिंह, निवासी खुशहालपुर	09-07-2015		पांच वर्ष पांच माह	51000.00	सचिव - अनुज कुमार ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
12.	रश्मि पुत्री श्रीमती कमलेश देवी निवासी मधुवा खालसा	12-08-2016		एक वर्ष तीन माह	51000.00	सचिव - सूरज नायक ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
13.	कुसुम पुत्री रमेश सिंह निवासी मधुपुरी	03-01-2017		11 माह	51000.00	सचिव - सूरज नायक ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
14.	लक्ष्मी कुमारी पुत्री गोविंदा सिंह , निवासी मधुपुरी	01-08-2016		एक वर्ष चार माह	51000.00	सचिव - सूरज नायक ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
15.	रहमतजहां पुत्री बाबू , निवासी सलावा	23-06-2017		पांच माह	51000.00	सचिव - कुलदीप सिंह ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
16.	शमापरवीन पुत्री सलाउद्दीन , निवासी पैगम्बरपुर	10-08-2017		तीन माह	51000.00	सचिव - अनुज कुमार ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
17.	उज्माखातून पुत्री ताहिर अली , निवासी शाहपुर अब्दुलवारी	10-08-2017		तीन माह	51000.00	सचिव - राशिद हुसैन ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
18.	शमापरवीन पुत्री दिलापुकार , निवासी भीकनपुर	24-07-2017		चार माह	51000.00	सचिव - कुल्दीप सिंह ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
19.	फरजाना पुत्री रईस अहमद , निवासी मधुपुरी	17-05-2017		छः माह	51000.00	सचिव - सूरजनायक ए.डी.ओ (सामाज कल्याण)
				योग	969000.00	

उक्त अनियमितता के लिए उत्तरदायी सम्बंधित कार्मिकों से उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूल करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 दीपा पुत्री रतिरामे ग्राम मथाना के आवेदन पत्रों की जाँच में पाया गया कि आवेदन पत्र के साथ 'एक शादी का कार्ड संलग्न है जिसमे दिनांक 15-04-2021 में देवेन्द्र कुमार पुत्र हरपाल सिंह ग्राम मिचलपुर जिला बिजनौर से दीपा पुत्री रतिराम ग्राम मथाना का विवाह होना तय हुआ है। दिनांक 20-03-2021 में

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उक्त जोड़े का विवाह कराया गया। अतः इससे साबित होता है कि 51 हजार रुपये का लाभ पाने हेतु उक्त जोड़े का दिखावटी विवाह कराया गया। इस प्रकार रूपये 51 हजार सरकारी अनुदान का अपहरण किया गया है । इस प्रति सम्बंधित सचिव श्री सूरज नायक तथा प डी ओ समाज कल्याण उत्तरदायी है जिनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया है की निम्न जोड़े के विवाह में वर की आयु आवेदन पत्र में संलग्न आधार कार्ड के अनुसार 21 वर्ष से कम है। विवरण इस प्रकार है-

क्र0स0	आवेदन पत्र	आधार कार्ड में वर की जन्मतिथि	विवाह के समय वर की आयु (07-12-2020)	अनियमित धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
1.	पूजा देवी वर प्रवेन्द्र सिंह ग्राम जमनिया खुर्द	01-01-2000	20 वर्ष 11 माह 06 दिन	51000.00	सम्बंधित सचिव तथा ए.डी.ओ सामाज कल्याण
2.	शहनाज तथा वर इकरार खान बगिया सागर	21-05-2001	19 वर्ष 06 माह 16 दिन	51000.00	सम्बंधित सचिव तथा ए.डी.ओ सामाज कल्याण
			योग	102000.00	

उक्त योजना में यह प्रावधान है कि विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किन्तु उक्त विवाह में वर की आयु 21 वर्ष नहीं है फिर भी उनका विवाह कराया गया । इस प्रति उत्तरदायी सम्बंधित सचिव तथा ए डी ओ समाज कल्याण से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में दिनांक 07,08, एवं 09 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम में कुल 144 जोड़े हेतु खाने, डेकोरेशन, तथा चार्ज हेतु रूपये टेंट 758750.00 खर्च किये जाने थे। चूंकि खर्च की धनराशि एक लाख रुपये से अधिक है अतः इसके लिए विधिवत रूप से टैडर की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था। किन्तु टेंडर के स्थान पर कोटेशन की प्रक्रिया अपनाई गयी जो शासनादेश संख्या ए-1-884/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 का उल्लघन है । इस वित्तीय अनियमितता के लिए खंड विकास अधिकारी श्री जगमोहन गुप्ता तथा ए डी ओ समाज कल्याण उतरदायी है। अन्यथा की स्थिति सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

क्षेत्र पंचायत - बिलारी वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से कुल रुपया 12345110.12 व्यय किया गया है परंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबंधित 19 निर्माण पत्रावलियां प्रस्तुत की गई है जिस पर कुल व्यय रू 11281911.00 है शेष रुपए 1063199.00 व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक अथवा निर्माण पत्रावली अप्राप्त रही जिसके प्रति ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अनामिका यादव, प्रशासक प्रबुद्ध सिंह, खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह, लेखाकार विजेंद्र सिंह, अवर अभियंता अरविंद कुमार मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं जिसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में संबंधित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-22 वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों पर काटा गया टी.डी.एस. रु -201422.00 जी.एस.टी रु-201422.00 सेस चार्ज रुपया-101141.00 कुल योग रुपया - 503985.00 के राजकोष में जमा संबंधी प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख-अनामिका यादव , प्रशासक -प्रबुध्द सिंह , खण्ड विकास अधिकारी- विरेन्द्र सिंह , लेखाकार- विजेन्द्र सिंह, अवर अभियंता- अरविन्द कुमार मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-23 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष - 2020-21 में निम्नांकित मदों में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -4818368.24 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अथवा आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख- अनामिका यादव , प्रशासक - प्रबुध्द सिंह, लेखाकार- विरेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता - अरविन्द सिंह मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष मे व्यय
1	मनरेगा प्रशासनिक मद मुरादाबाद	381884.12
2	मनरेगा प्रशासनिक मद सम्भल	261468.00
3	अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल	300000.00
4	निविदा ब्रिक्री व जमानत	93635.60
5	मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना	3781380.52
	योग	4818368.24

कुल धनराशि- 6385552.36

4- क्षेत्र पंचायत - कुन्दरकी वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-24 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में मनरेगा वसूली मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया - 122005.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत , ब्लाक प्रमुख- श्रीमति पारूल चौधरी ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री योगेन्द्र भारती व मनीष कुमार पाठक, लेखाकार- श्री

विजेन्द्र सिंह एवं अवर अभियन्ता- श्री नासिर अहमद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-25 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में मनरेगा कन्टीजेन्सी मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -2861001.40 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत , ब्लाक प्रमुख- श्रीमति पारूल चौधरी ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री योगेन्द्र भारती व मनीष कुमार पाठक, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह एवं अवर अभियन्ता- श्री नासिर अहमद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-26 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में अस्थाई गौवंश मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -251000.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत , ब्लाक प्रमुख- श्रीमति पारूल चौधरी ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री योगेन्द्र भारती व मनीष कुमार पाठक, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह एवं अवर अभियन्ता- श्री नासिर अहमद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-27 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -2876298.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत , ब्लाक प्रमुख- श्रीमति पारूल चौधरी ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री योगेन्द्र भारती व मनीष कुमार पाठक, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह एवं अवर अभियन्ता- श्री नासिर अहमद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-28 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में बोर्ड हेतु धनराशि मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -41482.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत , ब्लाक प्रमुख- श्रीमति पारूल चौधरी ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री योगेन्द्र भारती व मनीष कुमार पाठक, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह एवं अवर अभियन्ता- श्री नासिर अहमद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-29 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में ठेकेदारी पंजीकरण मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -1800.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत , ब्लाक प्रमुख- श्रीमति पारूल चौधरी ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री योगेन्द्र भारती व मनीष कुमार पाठक, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह एवं अवर अभियन्ता- श्री नासिर अहमद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि - 6153586.40

5- क्षेत्र पंचायत - मूढा पाण्डे वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-30 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में मनरेगा प्रशासनिक ब्याज मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -47531.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जो कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता एव लेखाकार श्री नितिन कुमार , मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-31 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -2094440.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जो कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता एव लेखाकार श्री नितिन कुमार , मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-32 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2020-21 में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अनुदान मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया 40000.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जो कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता एव लेखाकार श्री नितिन कुमार , मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि- 2181971.00

7- क्षेत्र पंचायत - मुरादाबाद वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-33 आलोच्चय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में निम्न कार्यों की निर्माण पत्रावली व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा जिस कारण उक्त की लेखा परीक्षा न हो सकी। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी- सुश्री ऋतुषा तिवारी, श्री सुनील कुमार सिंह, लेखाकार अनीता यादव, मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1-	शेरूआ धर्मपुर में डोरी के घर के पास से भूपसिंह के घर तक सी०सी० टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य ।	337219.00
2-	ज्ञानपुर में मेनरोड से रणधीरसिंह के घर तक सी०सी० टाइल्स	299154.00

रोड (इन्टरलॉकिंग) व नाली निर्माण कार्य ।

3- मोहब्बतपुर भगवंतपुरमें मेनरोड सुरेन्द्र की बगिया से आदर्श तालाब तक सी०सी०टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	633854.00
4- ग्राम काफियाबाद में मेनरोड से ब्रहमपाल के घर तक सी०सी०टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	469117.00
5- ग्राम महलकपुर माफी में बुद्धा के घर से घासी के घर तक सी०सी०टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	980023.00
6- ग्राम चौधरपुर में पेयजल व्यवस्था हेतु सार्वजनिक स्थल हाफिज के घर के पास वाटर कूलर स्थापना कार्य	313872.00
7- ग्राम नगला बनवीर में सार्वजनिक स्थल पर वाटर कूलर स्थापना कार्य	314029.00
8- ग्राम चौधरपुर में सार्वजनिक स्थल पर वाटर कूलर स्थापना कार्य योग	314187.00
योग	3661455.00

प्रस्तर-34 क्षेत्र पंचायत मुरादाबाद के पंजाब नेशनल बैंक के केन्द्रीय वित्त व राज्य वित्त में 31-03-2021 का अवशेष व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अवशेष में अन्तर 55486.00 रु० का है। उक्त अंतर का बैंक समाधान विवरण पत्र अप्राप्त रहा। बैंक समाधान विवरण पत्र प्रस्तुत कर अंतर की पुष्टि करायी जानी आपेक्षित है अन्यथा की दशा में उत्तरदायी व्यक्तियों (सम्बन्धित बी०डी०ओ० व लेखाकार) से ब्याज सहित वसूली की जानी आपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3716941.00

8. क्षेत्र पंचायत - डिलारी वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-35 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में दि० 01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष 19,293.20 था।दौरान साल ऑडिट इस योजना हेतु रू0 1,09,92,000.00 धनराशि प्राप्त हुये थे। प्रारम्भिक 19293.20 में 10992000.00 जोडने पर कुल धनराशि रु 11011,293.20 में से रू0 92,32,000.00 व्यय किये दिखाये हैं। व्यय की पुष्टि में साक्ष्य हेतु प्रमाणक नहीं मिलें। सम्बन्धित लाभार्थी की भी जानकारी न हो सकी। अतः दर्शित उपभोग अपुष्ट है। जिसके लिये श्री एम०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी व श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदायी हैं। उनसे इस राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। वर्षान्त में रु० 17,79,293.20 इस मद का अवशेष दिखाया है। जिसे राज्य कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण मद में आडिट वर्ष में रू0 2,50,000.00 प्राप्त हुये हैं जिसमें से रू0 24,38,322.00 व्यय किये जाने के बाद अप्रयुक्त रू0 61678.00 शेष रहे। जिन्हें सरकार को नहीं भेजा गया। व्यय दर्शित राशि से सम्बन्धित एवं पुरस्कार प्राप्तकर्ता पंचायतों की सूची व धनराशि प्राप्ति स्वीकृति रसीदें नहीं पायी गयीं। ग्राम पंचायतों की अधिकृत धन प्राप्ति रसीदों के न उपलब्ध कराये जाने के कारण दर्शित व्यय

अपुष्ट रहा। जिसके लिए श्री एम० पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी व देवेन्द्र सिंह लेखाकार उत्तरदायी हैं। उनसे इस व्यय दर्शित राशि रू0 24,38,322.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 वर्ष 2020-21 में ए० वी० आर० वाई० मद के अन्तर्गत रु० 4,60,000.00 प्राप्त हुए थे। पूर्व वर्ष की इस मद में अवशेष राशि नहीं थी। साल दौरान ही इस राशि को व्यय किया गया दिखाया गया है। लेखा परीक्षा में इस व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक / पत्रावली देखने को नहीं मिली। अतः यह व्यय काल्पनिक है जिसके लिए ख० वि० अभि० श्री एम० पी० सिंह व लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। उनसे दर्शित व्यय रू0 4,60,000.00 की ब्याज सहित प्रतिपूर्ती की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

	का नाम	लागत	शुद्ध भुगतान	कटौतियां	कटौतियां		फर्म क नाम
				जी.एस.टी.	टी.डी.एस.	सेस	
1	ग्राम हुमायुपुर में मेहर की पुलिया से मोला सिंह के घर तक सी०सी० टाईल्स व रोड़ निर्माण कार्य।	9,04,018.00	7,99,080.00	16,144.00	16,144.00	8072.00	ने० एम०आर कन्स्ट्रक शन कम्पनी
2	ग्राम हिमायूपुर में मेन रोड विनयपाल सिंह के मट्टे के पास से नहर तक सी०सी० टाईल्स रोड (इन्सला किंग) व नाली निर्माण	4,46,853.00	4,26,903.00	7,980.00	7,980.00	3,990.00	ने० एम०आर कन्स्ट्रक शन कम्पनी
3	ग्राम चाबड में स्कूल की पुलिया से धारा सिंह के मकान तक सी०सी० टाईल्स। नाली निर्माण	6,96,032.00	6,64,957.00	12,430.00	12,430.00	6,215.00	मै० एम० ए० कन्स्ट्र क्शन कम्पनी
4	ग्राम मूड में बुठमपुर मे नहर की पुलिया से फश्मूद के मकान तक खण्डंजा निर्माण का कार्य	2,09,450.00	2091 000	3704	3704	1870	मै० एम० ए० कन्स्ट्र क्शन कम्पनी
5	ग्राम ईलर में शिव मन्दिर के पास से भोला सिंह के घर के	12046000 6,15,343.00	1,15,080.00 5,87,873.00	2,152.00 10,988.00	2,152.00 10,988.00	1,076.00 5,494.00	मै० एम० ए० कन्स्ट्र

	पास तक सी०सी० टाईल्स।						क्शन कम्पनी
6	ग्राम गोविन्दपुर में प्रा०वि० से प्रमोद के मकान तक इंटरलाकिंग और टाइल्स निर्माण कार्य	685713,00	655099.00	12246.00	12246.00	6122.00	मै० एम० ए० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
7	ग्राम मझोली में मेन रोड़ देवेन्द्र के घर के पास से गुतावली रोड तक मिट्टी व खण्डंजा	2.48.676,00	2.37,576.00	4.440,00	4.440,00	2.220,00	एम०ए० कन्स्ट्रक शन कम्पनी
8	फरीदपुर मैण्डी में नया गांव जाने वाले जितेन्द्र सिंह के खेत से रणवीर के खेत तक	5.36.033,00 38.691,00	5.12.103,00 36.962,00	9.572,00 682.00	9.572,00 682.00	9786.00 345.00	एम०ए० कन्स्ट्रक शन कम्पनी
9	निर्माग्राम तातारपुर में शनि के मकान से मस्जिद तक सी०सी० टाईल्स रोड आरे नाली निर्माण	5.93.345,00	5.66.855,00	10.596,00	10.596,00	5298.00	
10	ग्राम फरीदपुर हाजी मे पी०डब्लूण्डी० रोड़ से चाऊ के घर तक सी०सी० टाईल्स व नाली का निर्माण	3.03.596,00	2.90.041,00	5.422,00	5.422,00	2711.00	
11	ग्राम अहमदपुर में बल्लू मास्टर के मकान से रामस्वरूप के मकान तक सी०सी० टाईल्स नाली निर्माण	6.12.852,00	5.85.492,00	10,944.00	10,944.00	5472.00	
12	ग्राम मिलक अमावती मे सैनी कालोनी शिव मन्दिर के पास से महेन्द्र के मकान तक खडन्जा निर्माण	2.48.771,00	2.37.666,00	4.442,00	4.442,00	2221.00	

13	करमपुर मार्ग पर गैस ऐजन्सी के पास से सतीश ठाकुर के खेत तक सी०सी० टाईल्स रोड इंटरलाकिंग व नाली निर्माण	4.42.419.00	4,22,669.00	7,900.00	7,900.00	3,950.00	
14	ग्राम जमेशपुर में नहर की पुलिया से गांव की ओर तक सी०सी० टाईल्स निर्माण नाली	6,89,384.00	6,53,807.00	12,310.00	12,310.00	6,155.00	
15	ग्राम हुमायूपुर में डामर रोड़ मन्दिर के पास से प्रा0 वि० तक सी०सी० टाईल्स व नाली निर्माण कार्य	5,56,278,00	5,31,443,00	9,934.00	9,934.00	4,957.00	
16	ग्राम हुमायूपुर में मेन रोड पर महावीर के घर के पास से प्रा०वि० तक सी०सी० टाईल्स व नाली निर्माण	9,14,002.00	8,73,192.00	16,322.00	16,322.00	8,160.00	
17	ग्राम सुल्तानपुर पुण्डा ठाकुरद्वारा में मेन रोड़ से विजय पाल सिंह के मकान तक सी०सी० टाईल्स व नाली निर्माण	3,73,463.00	3,56,790.00	6,670.00	6,670.00	3,335.00	
18	विकास खण्ड कार्यलय भवन व हाल की पुताई व विद्युत कार्य व टाईल्स कार्य	2,41,814.00	2,31,019.00	4318.00	4318.00	2159.00	
19	विकास खण्ड कार्यलय में सी०सी० टाईल्स (ईण्टर लांकिंग) कार्य	7.46,171.00	7,12,861.00	13,324.00	13,324.00	6662.00	
20	विकास खण्ड में परिसर मे वाउन्डरी वाल निर्माण	3,79,160,00	3,52,231.00	6,772.00	6,772.00	3585.00	

21	ग्राम अहमदपुर में मस्जिद के पास से कब्रिस्तान मार्ग की ओर प्रा० वि० के आगे सी०सी० टाईल्स	7,02,122.00	6,70,777.00	12,538.00	12,538.00	6269.00	
22	ग्राम क्मनिया पट्टी में मेन रोड़ से प्रताप के घर तक खण्डजा और नाली कार्य	59,705.00	5704.00	1066.00	1066.00	533.00	
23	ग्राम मझौली में मेन रोड़ से नारायण के घर तक सी०सी० टाईल्स रोड़ वे नाली निर्माण कार्य	92,525.00	88,395.00	1,652.00	1,652.00	8,28.00	
24	ग्राम लुद्यपुरा में मलखान के मकान से मेन रोड तक सी०सी० टाईल्स व नाली निर्माण	1,55,548.00	1,48,603.00	2.778.00	2.778.00	1,389.00	
25	ग्राम गुलडीया में संजीव के घर से बल वीर के घर सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	2,97,356.00	2,84,081.00	5,310.00	5,310.00	2,655.00	
26	ग्राम महेशपुर बलराम के मकान से प्रवीण के मकान तक सीन्सी टाईल्स रोढ़ व नाली निर्माण	4.41.560,00	4.21315,00	7.888,0	7.888,0	3.943,00	
27	महेशपुर मे में रोड प्रा.वि.के पास से शिव मन्दिर तक खण्डंजा और नाली	4.21.682,00	4.02.857,00	7.530.00	7.530.00	3.765,00	
28	ग्राम सहसपुरी में समचरन डिग्री कालेज	2.73.871,00	2.61.542,00	4.892,00	4.892,00	2445.00	

	से मेन रोड तक खण्डंजा निर्माण						
29	ग्राम गजरौला सैद में आरिफ के घर से लियाकत के घर तक मार्ग पर सी०सी० टाईल्स व नाली निर्माण	1,96,302.00	1,87,537.00	3.506,00	3.506,00	1.753,00	
30	ग्राम मुलाक्स में शहदत के घर से मूला के घर तक सी०सी० टाईलस रोड व नाली निर्माण कार्य	79.354,00	75.810,00	1.418,00	1.418,00	708:00	
31	ग्राम गुतावली मे में रोड से मो.जाफर के घर तक सी०सी० टाईल्स	1.70.424,00	1,62,814.00	3.044,00	3.044,00	1.522,00	
32	ग्राम मुस्तफापुर में मेन रोड़ से जीमल घर राक वी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	2,13,076.00	2,03,562.00	3,806.00	3,806.00	1,902.00	
33	ग्राम जयशेदपुर में होली चौराहें से प्रा० वि० के आगे मार्ग पर सी०सी० टाईल्स व नाली निमार्ण कार्य	3,68,883.00	3,50,503.00	6,552.00	6,552.00	3,276.00	
34	ग्राम तुमडिया कला में नन्द किशोर के घर से आसलम के घर तक सी०सी० टाईल्स व नाली निमार्ण	4,38,937.00	4,19,342.00	7,838.00	7,838.00	3,919.00	
35	ग्राम तुमडिया कला में शाकिर के घर से सटुदाम के घर तक	7,06,724.00	6,75,174.00	12,520.00	12,520.00	6,310.00	

	सी०सी० टाईल्स रोड़ व नाली निमार्ण कार्य						
36	ग्राम काजीपुरा में कब्रिस्तान से ग्राम की पुलिया तक सी०सी० टाइल्स रोड व नालों निमार्ण कार्य...	696401.00	665311.00	12436.00	12436.00	6218.00	
37	ग्राम गुतावली मे अनस के घर से फारुख के घर तक सी.सी.ताइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	252801.00	241516.00	4514.00	4514.00	2257.00	
38	ग्राम गुजावली में मेन रोड से अहमद जान के घर तक सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निमार्ण	2,69,603.00	2.57.588.00	4,814.00	4,814.00	2,407.00	
39	ग्राम काजीपुरा में मेन रोड़ से ए०के०एम० हायर सैकेन्द्री स्कूल तक सी०सी० टाईल्स रोड	2,17,974.00	2,08,244.00	3,892 00	3,892 00	1,945.00	
40	ग्राम हुमायूपुर में काशीपुर हाईवे से महेन्द्र सिंह के घर तक खण्डजां निर्माण कार्य।	392273.00	3,74,759.00	7,006.00	7,006.00	3,502.00	
41	ग्राम गजरौला सैद मे बाबू डीलर की दुकान से आरिफ के घर तक मार्ग पर सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निमार्ण कार्य	9,86,263.00	9.42,233.00	17,512.00	17,512.00	8,808.00	
42	ग्राम महमूदपुर में मेन रोड से ऋषिपाल के घर तक सी०सी० टाईल्स व नाली निर्माण...	595547.00	568959.00	10636.00	10636.00	5317.00	

43	कुरी मासूमपुर रोड से कुरी मे राजेश के घर तक सी०सी० टाईल्स व नाली निर्माण...	488752.00	466932,00	8728.00	8728.00	4364.00	
44	मुलावान अल्ताफ के मकान से दुष्ध के मकान तक सी.सी टाईल्स रोड़ निमार्ण कार्य	3,77,802.00	3,00,937.00	6,746.00	6,746.00	3,373.00	
45	महेशपुर नहर की पुलीया सापू सिह के खेत से छज्जू राम के खेत तक फरीदपुर जाने वाले मार्ग पर खण्डजां निर्माण	6,51,090.00	6.22,025.00	11,625.00	11,625.00	5,813.00	
46	ग्राम रहटा माफी में रामपाल चौकीदार के घर के पास से नागराज मन्दिर तक पक्का नाला निर्माण	4,86,707.00	4,54,977.00	8,692.00	8,692.00	4,346.00	
47	ग्राम अटायन बाकरपुर ओमप्रकाश सिंह के मकान से नदी तक पक्का नाला नाला निर्माण कार्य	1,98,714.00	1,89,844.00	3,548.00	3,548.00	1,774.00	
48	ग्राम मेवला में अशोक बंगाली के मकान से तालाब तक पक्का नाला निमार्ण	1,64,352.00	1,57,013.00	2,936.00	2,936.00	1,667.00	
49	ग्राम गुलडिया में मैन रोड से चामुंडा मन्दिर इंटरलाकिंग तक टाईल्स का नाली निर्माण	3,41,977.00	3,25,708.00	6,108.00	6,108.00	3,053.00	

50	ग्राम हसुपुरा मे अनूप सिंह के घर से तालाब तक नाला निर्माण	5,63,194.00	5,38,051.00	10,057.00	10,057.00	5029.00	
51	लघुपुरा में रामदीन के मकान से अमन सिंह के मकान तक सी०सी० टाईल्स निर्माण	3,67,834.00	3,51,414,00	6,568.00	6,568.00	3284.00	
52	ग्राम कॉकरखेडा मे जाहिद के घर के पास से फरजन्द के घर के तक खण्डजा	79,091.00	75,561.00	1,412.00	1,412.00	708.00	
53	ग्राम गोपालपुर में मेन रोड से चामुण्डा तक सी०सी० टाईल्स व निर्माण कार्य	5,22,112.00	4,98,802.00	9,324.00	9,324.00	4,682.00	
54	ग्राम सिडलऊनजर मे मैन रोड राशिद के घर के पास से शमीर के घर तक सी०सी० टाईल्स व नाली निमार्ण	4,68,737.00	4,47,812.00	8,370.00	8,370.00	4,185.00	
55	ग्राम गुतावली में मुख्य मार्ग चामुण्डा से अफसर अली के मकान तक सी०सी० टाईल्स निर्माण कार्य	3,78,029.00	3,61,150.00	6,752.00	6,752.00	3,375.00	
56	खण्ड विकास परिसर की चार दीवार का निर्माण कार्य	8,81,745.00	8,42,380.00	15,746.00	15,746.00	7873.00	
57	ग्राम बमनिया पटटी में राजेश वाल्मीकी के घर से चन्द्रपाल की चक्की तक खण्डंजा	2,73,370.00	2.51,165.00	4882.00	4882.00	2441.00	
58	वि0त्खण्ड कार्यलय परिसर के सिटींग हाल	1,02.603.00	98023.00	1832.00	1832.00	916.00	

	एंव कार्यलय भवन में पूर्व से निर्मित रेन वाटर हर वेसटिंग का मरम्मत कार्य						
59	विकास खण्ड कार्यलय परिसर में पेयजल व्यवस्था हेतु वाटर कूलर की स्थापना	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	
60	ग्राम हिमावुपुर में मैन रोड से नहर के पास पेयजल व्यवस्था हेतु वाटर कूलर की स्थापना	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	
61	ग्राम बीलावनपुर में वाटर कूलर	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	
62	मुतावली मझोली मे जारो वाले चौराहे के पास पेयजल व्यवस्था हेतु वाटर कूलर की स्थापना	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	
63	दोहराजपुर में शिव मन्दिर पर सेम जल व्यवस्था हेतु वाटर कूलर की स्थापना	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	
64	ग्राम सरकड़ा खास में मनोकाम मन्दिर के पास	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	
65	ग्राम नागाला में प्रथमा बैंक के पास पेयजल व्यवस्था हेतु वाटद कूलर की स्थापना	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	
66	ग्राम हंसुरा में सार्वजनिक स्थान पर पेयजल व्यवस्था हेतु	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	

	वाटर कूलर की स्थापना						
67	ग्राम डिलारी में शहीद चौंक के पास पेयजल व्यवस्था हेतु वाटर कूलर स्थापना	3,11,115.00	2,97,225.00	5,556.00	5,556.00	2,778.00	
68	विकास खण्ड कार्यलय परिसर में महिला पुरुष नव शौचालय निर्माण कार्य	7,89,229.00	7,53,994.00	14,094.00	14,094.00	7,047.00	
69	धारक नगला में काशीपुर मेन रोड़ धर्म काटे से श्री रामलाल स्मारक तक मिट्टी व खण्डंजा/एजिंग निर्माण कार्य	7,18,634.00	6,86,552.00	12833.00	12833.00	6,416.00	
70	ग्राम फरीदपुर हाजी में मैन रोड यूनूस के घर से इकबाल के घर तक सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य	401110.68	3,82,878.38	7292.92	7292.92	3,646.46	गो० रफी
71	ग्राम सीतापुर में मैन रोड मन्दिर के पास से हरी सिंह घर तक सी०सी० टाईल्स ईन्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य	5,93,707.81	5,66,721.09	10,794.69	10,794.69	5,397.34	
72	सहसपुरी में मैन रोड पुलिया के पास महेश के घर तक सी०सी० टाईल्स रोड व नाली निमार्ण कार्य	4,65,015.17	4,43,878.12	8454.81	8454.81	4227.41	
73	ग्राम आदमपुर में वि० से कब्रिस्तान मार्ग पर बाबू चेयरमेन के	3,10,898.49	2,99,948.56	4,379.97	4,379.97	2,189.99	

	घर तक खण्डंजा व नाली						
74	ग्राम अस्तालपुर में मैन रोड से होली चौराहा तक सी०सी० टाईल्स (ई०ल०) व नाली निमार्ण कार्य	3,99,110.00	3,79,920.00	7,676.00	7,676.00	3,838.00	
75	ग्राम हसूपुरा में मैन रोड से अनूप सिंह के घर तक सी०सी० टाईल्स रोड (ई०ल०) व नाली निमार्ण कार्य	3,60,631.37	3,44,239.04	6,556.93	6,556.93	3,278.47	
76	विकास खण्ड कार्यल्य में ख० वि०अ० कक्ष में टाईल्स निर्माण	3,77,479.00	3,59,329.00	7,260.00	7,260.00	3,630.00	
			30634020.17	574655.33	574655.33	287332.	

1-क्रमांक 56 पर दर्शित कार्य 'विकास खण्ड परिसर की चार दिवार का निर्माण कार्य पर लागत रु० 8,81,745.00 अनुमानित थी। कटौती उपरान्त शुद्ध भुगतान रु० 8.42,380.00 किया गया था। यह कार्य ठेकेदार फर्म एम०ए० कन्सट्रक्शन द्वारा कराया दिखाया है। इससे पूर्व यही कार्य क्रमांक 20 पर भी दर्शित है। जिसे रु0 3,62,231.00 में कराया गया था। इस कार्य को एम०आर० कन्सद्रक्शन कम्पनी से कराया गया था। इस प्रकार एक ही काम को दो बार कराया दिखाया गया है। अतः दूसरी बार उसी कार्य को काल्पनिक दिखाकर रु० 8.42,380.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्री एम०पी० सिंह बी०डी०ओ०, श्री देवेन्द्र सिंह लेखाकार, श्री सतवीर सिंह जे०ई० व श्रीमति पूनम देवी ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं रु0 8,42.380.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(2)-क्रमांक 19 पर दर्शित काम विकास खण्ड कार्यालय में सी०सी० टाईल्स इण्टरलोकिंग काम मसर्स एम०आर० कन्सट्रक्शन कम्पनी से कराया गया था। जिसकी अनुमानित लागत रु0 7,46.171.00 थी। कार्य पर शुद्ध भुगतान 7,12,881.00 हुआ था। टाईल्स लागने का ही कार्य विकास खण्ड कार्यलय में क्रमांक 77 पर भी खण्ड विकास अधिकारी कक्ष में टाईल्स निमार्ण कार्य कराया गया था। जिस पर शुद्ध भुगतान रु0 3,59,329.00 किया गया था। एक ही प्रकृति के कार्य टुकड़ो टुकड़ों में कराये दिखाये है। दोनों कार्य 712861.00+3,59,329.00-10,72,190.00 खर्च हुआ था। निश्चय ही अनुमानित लागत रु0 10,00,000.00 से अधिक थी। किन्तु उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निमार्ण नियमावली 1984 के पेरा-16 में प्रविघानित व्यवस्था के अनुसार आगरण प्रस्तुत कर तकनीकी स्वकृति न प्राप्त करनी पड़े इससे एक ही कार्य ढुकड़ो टुकड़ों में कराया गया था। इस प्रकार इस अनियमित कार्य के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०पी० सिंह उत्तरदायी हैं। उनके विरूद्ध इस प्रति समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(3) (क) क्रमाक 18 पर विकास खण्ड कार्यालय भवन व हॉल की पुताई, विद्युत कार्य व टाईल्स कार्य पर शुद्ध रु0 2,31,019.00 व्यय किया गया था। यह कार्य मैसर्स एम०आर० कन्सट्रक्शन कम्पनी के मध्यम से कराया गया दिखाया है। विकास खण्ड कार्यालय भवन व हाल पुताई कार्य, विद्युत कार्य व टाईल्स कार्य तीनों कार्य अलग-अलग प्रकृति के एक साथ एक ही कम्पनी से कराया जाना इन कार्यों का काल्पनिक दिखाया जाना सिद्ध करता है। निमार्ण कार्य कम्पनी से विद्युत कार्य कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार टाईल्स लगाने के साथ पुताई कार्य भी कराया गया दिखाया है। इन तीनों अलग-अलम् प्रकृति के काम एक साथ कराये दिखाये है। विस्तृत विभागीय जांच के बाद इस सम्बन्ध में उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री एम००पी० सिंह, लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह व ज०ई० श्री सतवीर सिंह के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी व दुरुपयोगित राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ख) क्रमांक 19 व 76 पर दर्शित टाईल्स लगाने का काम समान प्रकृत्ति का था। जिन पर शुद्ध भुगतान क्रमशः रु० 7,12,861+3,59,329=10,72,190.00 खर्च किया गया था। इनकी रू0 10 लाख से अधिक की लागत होने पर भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत की निमार्ण नियमावली 1984 के पेरा-16 में प्रवाधानित व्यवस्थाओं के अनुसार आगरण प्रस्तुत कर तकनीकी स्वकृति न प्राप्त करने पड़े, इसलिऐ टाईल्स लगाने के कार्य टुकडों टुकड़ों में कराये गये दिखाये हैं। इस अनियमितता के लिऐ खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०पी० सिंह व लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध उचित कारवाही की जानी अपेक्षित है।

(4) क्रमांक 11, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 37, 41, 44, 51, 52, 57 व 70 पर जिनकी कटौती उपरान्त शुद्ध भुगतान रू0 52,64,985.38 हुआ था। यह सभी दर्शित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये थे। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमानुसार दो ग्राम पंचायतों के बीच लाभार्थीयों की सुविधा हेतु कार्य कराये जाने चाहिऐ। किन्तु क्षेत्र पंचायत डिलारी द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों के अन्दर ही निर्माण कराये गये थे। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शासन के दिशा निर्देशों का उलंघन तो किया ही गया था। साथ ही यह भी ज्ञात न हो सका कि ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों की डुप्लीकेसी तो नहीं हुई है। विभागीय स्तर पर जांच किया जाना अपेक्षित है कि ग्राम पंचायत के अन्दर कराया गया कार्य ग्राम पंचायत ने अपने प्राप्त अनुदान से कराया था अथवा क्षेत्र पंचायत ने कराया है। विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच कराकर उत्तरदायी खं०वि०अधि० के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(5)-ठेकेदारो के भुगतान बिल्स से टी०डी०एस० रू0 5,74,665.33 व जी०एस०टी० रू0 5,74,665.33 की कटौती की गयी थी। काटी गयी उक्त टी०डी०एस० व जी०एस०टी० की धनराशि सम्बंधित विभाग के खाते में जमा की पुष्टि में चालान / इश्यू चैक नम्बर / बैंक स्टेटमेन्ट आदि उपलब्ध नही कराया गया। पुष्टि न होने की दशा में लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह व श्री एम०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उनसे इन राशियों की ब्याज सहित प्रतिपूर्ति की जानी चाहिऐ।

(6) -आलोच्य वर्ष मे ठेकेदारों के बिलो से सेस की कटौती रू0 2.87,332.00 की गयी थी। यह राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के खाते में जमा की गयी थी अथवा नही इसकी पुष्टि में बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला। अतः इस राशि के उक्त बोर्ड के पक्ष में भेजे जाने की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

पुष्टि न हो सकने की दशा में इस प्रति तत्कालीन विकास खण्ड अधिकारी श्री एम० पी० सिंह उत्तरदायी होंगे। जिनसे उत्तरदायित्व सिध्द होने पर ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये ।

कुल धनराशि - 21689739.00

9. क्षेत्र पंचायत - ठाकुरद्वारा वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-39 वर्ष 2020-21 में राज्य वित आयोग से प्राप्त अनुदान का रू0 1,41,71,401.47 बैंक से आहरण किया गया था तथा 15वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का रु0 1,39,51,932.50 कुल रु0 2,81.23,333.97 आहरण किया गया था। जिसके सापेक्ष उपलब्ध पत्रावलियो के अनुसार रू0 1,55,57,995.88 ही दौरान साल व्यय हुआ था। शेष बैंक से आहरण की गयी धनराशि रु0 1,25,65,338.09 के व्यय से सम्बंधित पत्रावली / प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः इस धनराशि का व्यय संदिग्ध होना प्रकट करता है। इस सम्बंध मे उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व सहायक अभियन्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-40 मनरेगा कैन्टीजेन्सी मद में वर्ष 2020-21 में रु० 15,46,481.06 प्राप्त हुये थे। गत शेष रु० 13,22,121,42 था। इस प्रकार कुल रू० 28,68,602.43 के सापेक्ष वर्ष आडिट में रू० 22,04,061,25 व्यय दिखाकर अवशेष रू0 6,64,541,23 रहा था। मनरेगा कैन्टीजेन्सी से सम्बंधित कोई पत्रावली, प्रमाणक आदि कोई पुष्टि हेतु प्रमाणपत्र नही पया गया। किसी भी प्रमाणक के अभाव में दर्शित व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-41 मनरेगा कन्टीजेन्सी के अन्र्तगत प्राप्त ब्याज से माह अगस्त 2020 में रु० 42,396.00 तथा प्रधानमंन्त्री आवास योजना कन्टीजेन्सी अनुदान जमा पर ब्याज माह जून 2020 में रु0 93,581.08 कुल रु0 1,35,977.06 व्यय दर्शया गया है। उक्त धन राशि किस व्यय प्रमाणक द्वारा किस मद में व्यय की गई, लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10 (33) / 2010 दि० 21 मार्च 2012 अनुसार यह राशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होती है जिसे संस्था स्तर से व्यय नहीं है। किया जाना चाहिऐ था। स्पष्ट है कि दर्शित व्यय अनियमित व अपुष्ट है। अतः इस व्यय के लिये सम्बन्धितखंण्ड विकास अधिकारी व लेखाकर उत्तरदायी हैं। उनसे इस राशि की ब्याज सहित वसूली करके शासन को भेजा जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 अनुदान पंजिका-तीन के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु प्राप्त अनुदान जमा पर. बैंक द्वारा दिया गया व्याज रु0 50,679.74 सरकार को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा गया दिखाया गया है। लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः इस सरकार को प्रेषित राशि की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी इस प्रति उत्तरदायी होगें। एवं उनसे ब्याज सहित वसूली की जाये ।

प्रस्तर-43 आलौच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्य कराये गये थे-

क० स०	कार्य का नाम	शुद्ध भुगतान	कटौतियां			फर्म का नाम
			टी0.डी0.एस0	जी0.एस0.टी0	सेस	
1	फरीदनगर से सुमित कुमार के मकान से मुस्लिम कालेज की भूमि तक सी०सी० टाईल रोड़ निर्माण कार्य	231708.00	4,634.00	27,805.00	2317. 00	मै० वाजिद अली
2	रूपपुर टडोला मेन रोड से मनोहरी के घर की ओर सी०सी० टाईल्स रोज्ड व नाली निर्माण कार्य	540245.00	10805.00	64830.00	5402. 00	मै० विरेन्द्र गुप्ता
3	करना वाला जप्ती रूपवन के घर के पास से सुखपाल/डॉ० भजन की ओर ती०सी० टाईल्स इन्टर लाकिंग रोड़ व नाली निर्माण	472626.00	9452.00	56715.00	4726. 00	मै० वाजिद अली
4	विकास खंड कार्यालय परिसर में सी०सी० टाईल्स ईन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	385191.00	7704.00	46223.00	3852. 00	मै० वाजिद अली
5	विकास खण्ड कार्यालय में बैटरिफाईड टाईल्स व मरम्मत कार्य	761767.00	15236.00	91412.00	7618. 00	मै० वाजिद अली
6	विकास खण्ड कार्यालय परिसर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिला समूह हेतु प्रेरंण कैन्टीन निर्माण कार्य	427658.00 {शौचालय 86286.91 बरामदा 86831.00	8554.00 1726.00 1737.00	51319.00 10354.00 10420.00	4277. 00 863.00 868.00	मै० विरेन्द्र कुमार गुप्ता
7	वि०ख० परिसर में वी०एल०डब्लू० टाईप दो आवास मरम्मत व पुताई कार्य	331350.00	6628.00	39763.00	3314.00	मै० विरेन्द्र कुमार गुप्ता

8	मल्हपुर लक्ष्मीपुर में साजिद, नवी हसन, अखलाक, खालिस, जाहिद, सुलेमान व इलियास के मकान से होते हुये सी०सी० टाईल्स व रोड निर्माण	912579.00	17042.00	102245.00	8521. 00	मै० वाजिद अली
9	ग्राम रघुवाला ओमप्रकाश के घर से बाबूसिंह के घर की ओर सी०सी० टाईल्स ईन्टरलाकिंग नाली का निर्माण	353793.00	7076.00	42455.00	3538.00	मै० वाजिद अली
10	निर्मलपुर शिव मंदिर से होती हुयी काली मंदिर तक सी०सी० टाईल्स इन्टरलाकिंग रोड़ व नाली का निर्माण	326531.00	6530.00	39184.00	3265	मै० वाजिद अली
11	बहादूर नगर से कुण्डा वाला तालाब मार्ग पर पुलिया रपटा निर्माण कार्य	856654.48	17134.00	102798.53	8567. 00	मै० वाजिद अली
12	रमनावाला में मेन रोड से बंसी के घर तक सी० सी० टाईल्स इन्टरलाकिंग कार्य व नाली का निर्माण कार्य	882598.82	17652.00	105911.40	8826.00	मै० वाजिद अली
13	मल्हपुरा लक्ष्मीपुर मे मेन रोड से कुन्दन बहादुर ज्ञानचन्द्र, चैनसिंह, रामपाल सिंह से मंदिर की ओर सी०सी० टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य	887919.34	17759.00	106550.00	8879. 00	मै० वाजिद अली
14	ग्राम रूपपुर टण्डोला में मुखिया से डालचन्द्र के मकान की ओर सी०सी० टाईल्स व पुलिया निर्माण कार्य	190414.55	3808.00	22849.75	1904.00	मै० विरेन्द्र कुमार गुप्ता

15	ग्राम ख्वाजपुर धनतला में महेश के घर से राजीव कुमार के खेत की ओर व हनीफ के घर, इस्लाम के घर की ओर सी०सी० टाईल्स व इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	880853.18	17617.00	105702.38	8609. 00	मै० विरेन्द्र कुमार गुप्ता
16	ग्राम खैरूतलापुर मे मेन रोड मदन सिंह के घर से जाटो वाली धर्मशाला की ओर सी०सी० टाईल्स व रोड निर्माण कार्य	883544.00	17670.00	106025.29	8835. 00	मै० वाजिद अली
17	ग्राम रामनगर में कहारो वाली धर्मशाला से डा० ललता के घर की ओर सी०सी० टाईल्स इन्टरलाकिंग एवं रोड निर्माण कार्य	460928.34	9219.00	55311.00	4609.00	मै० विरेन्द्र कुमार गुप्ता
18	रामपुर खोघर मे मेन रोड से इस्टीट्यूट डी०एस०एम० तक इन्टरलाकिंग रोड निमार्ण कार्य	240228.32	4805.00	28827.40	2402. 00	मै० विरेन्द्र कुमार गुप्ता
19	फरीद नगर मे दलपत नम्बरदार के घर से सोमपाल हिरदेश की घर की ओर सी०सी०टाईल्स कार्य व नाली निर्माण	443266.02	8865.00	53191.92	4433. 00	मै० वाजिद अली
20	ग्राम रघूवाला में मौ0 जान, मौ० यामीन के घर से मौ उमर व सतार एवं अय्यूब की घर की ओर सी०सी० टाईल्स व नाली निर्माण कार्य	523451.62	10469.00	62814.19	5235. 00	मै० वाजिद अली
21	ब्लॉक परिसर में बैटरीफाईड टाईल्स	4,05,732.19	8,115.00	48,687.87	4,057.00	मै० वाजिद अली

	इन्टरलाकिंग टाईल्स, रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य एवं सी० सी० रोड निर्माण कार्य					
22	ग्राम लोगी खुर्द में नदी पर पुलिया निर्माण कार्य	8,86,773.41	17,736.00	1,06,412.00	8,867.00	मै० विरेन्द्र कुमार गुप्ता
23	विकास खण्ड परिसर में से वाटर हार्वेस्टींग कार्य	1,06,509.92	2,130.00	12,781.00	1,065.00	मै० वाजिद अली
24	विकास खण्ड परिसर में प्यायू लगवाने का कार्य	1,12,753.40	9,255.00	13,530.41	1,128.00	मै० वाजिद अली
25	ग्राम फरीदनगर में प्यायू लगवाने का कार्य	1,12,866.72	2.257.00	53,544.00	1,129.00	मै० वाजिद अली
26	ग्राम सूरजनगर में टेकचन्द के घर से अम्बेडकर धर्मशाला की ओर नाला निर्माण कार्य	4,22,806.26	8,456.00	50,736.75	4.228.00	मै० वाजिद अली
27	ग्राम पीपली आहीर में जोगेन्द्र के घर से सरकारी ट्यूबबेल की ओर नाला निर्माण कार्य	8,82,650.93	17,653.00	1,05,918.13	8,827.00	मै० वाजिद अली
28	लालपुर गोसाई में कुआ खाला नदी पर पुलिया निर्माण कार्य	8,80,788.98	17,616.00	1,05,694.68	8,808.00	मै० विरेन्द्र कुमार गुप्ता
29	मल्हपुरा मझरा शौकत के मकान से नहर तक नाला निर्माण कार्य	5,80,589.49	11,612.00	69,670.74	5,806.00	मै० वाजिद अली
	योग	1,55,57,995.88	3,16,952.00	18,99,682.44	1,54,970. 00	

इससे संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं:-

(1)-आलौच्य वर्ष में उपरोक्त दर्शित कराये गये 29 कार्यों में से 14 कार्य अर्थात लगभग 48.28 प्रतिशत निर्माण कार्यों की वास्तविक भुगतान की गयी लागत रु० 5,00,000.00 से अधिक थी जो क्रमांक 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 27, 28, व 29 पर दर्शित है तथा इन दर्शित कार्यों पर कुल रू0 1,03,80,701.67 किया गया था। इनकी कार्य योजना की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी से तथा प्राक्कलन का

तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत से कराया गया नहीं पाया गया। अतः सम्बन्धित ख०वि०अ० के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) -वर्ष 2020-21 में आयकर कटौती रू0 3,16,952.00 की गयी थी जिसे कोषागार मे जमा किये जाने के प्रमाण मे इश्यू चैक न०/ बैंक/स्टेटमेन्ट/चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। आयकर की राशि कोषागार में न जमा किये जाने. की दशा मे उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(3) -वर्ष 2020-21 में ठेके पर कार्य कराया गया था। ठेके पर कराये कार्यों की कुल लागत पर 1 प्रतिशत की दर से लेवर सैस रू० 1,54,970.00 काटा गया था, लेबर सैस उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण खाते में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किये जाने के प्रमाण में बैंक का प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः सैस उक्त खाते में जमा किये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(4) -वर्ष 2020-21 में वस्तु एवं सेवा कर की राशि रु० 18,99,682.44 ठेकेदारों के बिल्स से कटौती की गयी थी। जिसे कोषागार में जमा किये जाने के प्रमाण में चालान देखने को नहीं मिला। कोषागार में जमा न होने की दशा मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी इस प्रति उत्तरदायी होंगे। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(5)- वर्ष 2020-21 में रू0 3,85,191.00 विकास खण्ड कार्यालय परिसर में सी०सी०टाईल इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य पर खेच दिखाया है। पूर्व में गतवर्ष 2019-20 में यही कार्य कराया जा चुका था जिस पर दो टुकड़ो में कार्य कराया गया था तथा रू० 4,41,541,00 व रू0 1,48,280.00 कुल रू० 5,89,821.00 व्यय किया गया था। पुनः इसी कार्य को वर्ष 2020-21 में भी फर्जी दिखाकर रू0 3,85,191.00 का अपरहण किया गया है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अभियन्ता व ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी है। उनसे रू0 3,85,191.00 की व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(6)- आलीच्य वर्ष में उपरोक्त दर्शित कार्यो मध्य कमांक 5 पर खंड विकास कार्यालय में बैटरिफाईड टाईल्स व निर्माण कार्यों पर रू0 7,61,767.00 व्यय किया गया दिखाया है। क्रमांक 21 पर भी ब्लॉक कार्यालय में वैटरिफाईड टाईल्स रोड, रंगाई-पुताई एवं मरम्मत कार्य किया दिखाकर रू0 4,05,732.19 व्यय दिखाया गया हैं। पूर्व में कराये गये कार्य को पुनः कराया दिखाया है जिसमें थोड़ा रंगाई पुताई व मरम्मत कार्य और बढ़ा दिया गया है। यह कार्य भी कमांक 5 पर दर्शित निर्माण कार्य की पुनरावृत्ति है जो संदिग्ध है। विभागीय जांच के बाद इस सम्बंध में उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी, लेखाकार व अवर अभियन्ता के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(7)- क्षेत्र पंचायत द्वारा खंड विकास कार्यालय मे निर्माण / मरम्मत कार्य टुकड़ो-टुकड़ो में कराया गया है। उपरोक्त कमांक 4, 5, 6, 7, 21, 23, व 24 पर कराये दिखाये कार्य अलग अलग टुकड़ो में दिखाये गये हैं। जबकि सन्दर्भित क्रमांको पर दर्शित कार्य खंड विकास कार्यालय परिसर में ही कराये गये थे। इनको इक्ट्ठा एक कार्य योजना न बनाकर अलग अलग इसलिये कार्य कराये गये ताकि रु० 10,00,000.00 लागत होने पर जिला पंचायत ६ क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1960 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत ६ क्षेत्र पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के नियम संख्या 16 के अनुसार आगणन की स्वीकृति राज्य सरकार से न लेनी पड़े। इस अनियमितता के लिये तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(8) क्रमांक 6 पर दर्शित विकास खंड कार्यालय परिसर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला समूह हेतु कैन्टीन निर्माण कार्य टुकड़ो टुकड़ो में कराया गया था जिसमें कैन्टीन भवन निर्माण पर रू0 4,27,658.00, शौचालय रू0 86,286.91 तथा बरामदा रू० 86,831.00 पर कुल रू0 6,00775.91 खर्च हुआ था। इस कार्य के इक्ट्ठा कराये जाने पर लागत में कमी आती। दूसरे, सचिव लोकनिर्माण विभाग के शासनादेश सं० 6738/23.07.2006-176 (सा०)/06 दिनांक 05.01.2007 के बिन्दु 22 के अनुसार एक कार्य एक टेण्डर का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए। औचित्य न होने पर भी कार्य को तीन टुकड़ो में कराया गया था। इस अनियमितता के लिये खंड विकास अधिकारी व लेखाकार व अवर अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 29100081.00

10. क्षेत्र पंचायत - भगतपुर टाण्डा वर्ष 2020-21 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-44 आलोच्य वर्ष मे निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि वितीय वर्ष मे संस्था द्वारा जमा सेस धनराशी टी०डी०एस० धनराशी एव 2 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशी की कुल कटाँती रु0 1036878.00 निर्माण कार्यों के बिलों से की गयी। इसके साथ ही साथ ठेकेदारो को शेष जी०एस० टी० रु0 2073304.00 का भुगतान भी किया गया है जिसको जमा करने का दायित्व भी सम्बांधित ठेकेदार के पास निहित है। इस प्रकार संस्था द्वारा जमा धनराशि रु० 1036878.00 तथा ठेकेदार द्वारा जमा धनराशि रु0 2073304.00 कुल धनराशि रु0 3110182.00 के जमा चालान लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये, जो की उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा। जिसके लिए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत सम्बंधित व्यक्तियो. तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेश कुमार, श्री नत्थू लाल गंगवार, क्षे०पं० प्रमुख श्री इकबाल हुसैन एव लेखाकार श्री देवेंद्र सिंह मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं अतः उपरोक्त दर्शित धनराशि की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है? अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित वसूली की जाऐ।

कुल धनराशि - 3110182.00

11. क्षेत्र पंचायत - बिलारी वर्ष 2021-22 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-45 15वां वित्त आयोग अनटाईड माह जुलाई 2021 में पूर्व माह का अवशेष रू0- 22062268.50 दिखाया है । जबकि माह जून 2021 में व इससे पूर्व यह अवशेष नहीं था । माह जुलाई में पूर्व माह का अवशेष रू0- 22062268.50 दिखाये जाने का औचित नही है । इस मद में रू0- 15486281.00 प्राप्त व रू0-

206895579.00 व्यय दिखाकर अवशेष रू0- 10652970.50 दिखाया है । माह जुलाई में पूर्व माह का दर्शित अवशेष अपुष्ट है । पुष्टि न हो सकने की दशा में उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस राशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-46

(क)- 15वां वित्त आयोग मुरादाबाद अनटाईड अनुदान माह अपैल 2021 में पूर्व माह का अवशेष रू0- 20879932.50 था । जिसमें रू0- 3952008.00 प्राप्त व रू0- 4086851.00 व्यय दिखाने के बाद अवशेष रू0- 20745109.50 रहा । किन्तु अवशेष मात्र रू0- 10305000.50 ही है । अन्तर रू0- 10440109.00 का है । यह अवशेष राशि 10305000.50 आगे कैरिड ओवर न करके अपहरण किया गया है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । उनसे इस राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(ख)- 15वां वित्त आयोग अनुदान टाईड में माह मई 2021 में रू0- 10440109.00 उक्त अन्तर की राशि से अनुदान पंजिका -3 में दिखाकर तथा माह जुलाई 2021 तक इस अनुदान राशि से रू0- 3356687.00 व्यय दिखाकर रू0- 7083422.00 अवशेष दिखाया गया है । इस अवशेष राशि को भी कैरिड ओवर न करके अपहरण किया गया है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस प्रति उनके विरूध्द उचित कार्यवाही व ब्याज सहित इस राशि की वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-47 अनुदान पंजिका -3 में माह मार्च 2022 में क्रमांक 7 पर कन्टीजेन्सी मद में प्रारम्भिक अवशेष रू0- 103567.74 लिखा है जबकि माह फरवरी 2022 में इस मद का अन्त में अवशेष रू0- 84736.13 था । इस प्रकार अन्तर रू0- 18831.61 से प्रारम्भिक अवशेष अधिक दिखाया है । वास्तव में रू0- 103567.74 निविदा फार्म बिक्री का माह फरवरी 2022 का अन्तिम अवशेष है । जिसे कन्टीजेन्सी मद में प्रारम्भिक अवशेष दिखाया गया है । तथा निविदा फार्म बिक्री का माह मार्च 2022 का प्रारम्भिक अवशेष जो कन्टीजेन्सी मद का प्रारम्भिक अवशेष रू0- 84736.13 था , लिखा गया है । कन्टीजेन्सी मद के व निविदा फार्म बिक्री के हिसाब में आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । माह मार्च में रू0- 50000.00 व्यय दिखाया है । व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक अथवा पत्रावली नहीं पायी गयी । पुष्टि न हो सकने की दशा में उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस

राशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-48 ग्रांट रजिस्टर -3 में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना का माह नवम्बर 2021 की पूर्व माह की अवशेष, धनराशि रू0- 4487728.22 थी । माह में रू0- 455000.00 अनुदान प्राप्त हुआ इस प्रकार कुल रू0- 4942728.22 कुल अनुदान रहा । जिसमें से रू0- 433456.28 व्यय किये जाने के बाद माह नवम्बर 2021 के अन्त में रू0- 4509271.94 अवशेष रहा । जबकि दिखाया मात्र रू0- 609271.94 है । इस प्रकार अन्तर रू0- 3900000.00 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु प्राप्त अनुदान का अपहरण किया गया है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । उनके विरूध्द विधिक कार्यवाही एवं उनसे रू0- 3900000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । उल्लेखनिय है कि माह मार्च 2022 में इस मद का अवशेष रू0- 154271.94 दिखाया है । जबकि रू0- 4054271.94 गणनानुसार आता है । अन्तर रू0- 3900000.00 से 31.03.2022 को अवशेष कम दिखाया हुआ है ।

प्रस्तर-49 ग्रांट रजिस्टर -3 में अस्थाई पशु आश्रय स्थल का माह सितम्बर 2021 का अवशेष रू0- 12686.00 था । माह अक्टूबर 2021 में न तो गत माह का अवशेष दिखाया गया है और न ही प्राप्त दिखाया है । जबकि व्यय व माह के अन्त में अवशेष भी नही लिखा गया है । माह नवम्बर 2021 में पूर्व माह का अवशेष रू0- 13049.00 लिखा है । जबकि रू0- 12686.00 लिखा जाना चाहिए था । अर्थात अन्तर रू0- 363.00 अधिक दिखाया हुआ है । इस्पष्ट है कि अनुदान पंजिका -3 अत्यन्त लापरवाही से लिखि गयी है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस अन्तर की राशि के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-50 ग्रांट रजिस्टर -3 में माह मार्च 2022 में कन्टीजेन्सी नया खाता मद में माह जनवरी 2022 में रू0- 70336.13 प्राप्त हुए थे तथा व्यय कुछ भी नही हुआ । माह फरवरी 2022 में रू0- 14400.00 और प्राप्त हुए तथा व्यय कुछ नहीं हुआ । इस प्रकार फरवरी 2022 के अन्त में रू0- 84736.13 अवशेष रहा । जिसे माह मार्च 2022 के प्रारम्भ में दिखाया जाना चाहिए था । किन्तु दिखाया रू0- 103567.74 है । अन्तर रू0- 18831.61 से प्रारम्भिक अवशेष से अधिक दिखाया है । फलस्वरूप कन्टीजेन्सी नये खाते में माह में प्राप्त रू0- 97936.13 तथा व्यय रू0- 50000.00 हुआ । शेष इस खाते में कुछ नहीं था । इस प्रकार शेष अवशेष रू0- 66767.74 दिखाया है । जबकि गणाना करने पर रू0- 47936.13 अर्थात रू0- 18831.61 कम आता है । उलेखनिय है कि रू0- 103567.74 वास्तव में माह फरवरी 2022 के अन्त में निविदा फार्म बिक्री की धनराशि शेष थी । जिसे कन्टीजेन्सी नये खाते में तथा कन्टीजेन्सी नये खाते की माह फरवरी 2022 की शेष राशि रू0- 84736.13 निविदा बिक्री का प्रारम्भिक अवशेष दिखाकर हिसाब में हेराफेरी की गयी है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-51 ग्रांट रजिस्टर -3 में माह अगस्त 2021 में क्रमांक 11 पर चतुर्थ राज्य वित्त का प्रारम्भिक अवशेष रू0- 8244.48 लिखा है । क्रमांक 10 पर भी चतुर्थ राज्य वित्त लिखा है साथ ही माह में प्राप्त धनराशि रू0- 8244.48 भी लिखि है । जबकि यह राशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग सम्भल की अवशेष राशि है । माह अगस्त 2021 में धनराशि का प्राप्त नहीं हुई है । अपितु यह चतुर्थ राज्य वित्त सम्भल की राशि चतुर्थ राज्य वित्त मुरादाबाद की राशि में जोड दिया गया है । दोनो राशियों को जोडने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नही पायी गयी । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-52 ग्रांट रजिस्टर -3 में माह जुलाई 2021 में रू0- 584950.00 15वां वित्त /पंचम वित्त/ जी.एस.टी./ आयकर/ लेबर शेष/जमानत की धनराशियां एक साथ जोडकर लिखि गयी है । जबकि पूर्व में 3 माह अपैल से जून 2021 तक यह अलग अलग दिखाई गयी थी । शासन से प्राप्त अनुदान के साथ कटोती की गयी धनराशियो को दिखाया जाना त्रुटि पूर्ण है । यह 15वां वित्त आयोग व पंचम राज्य वित्त आयोग की प्राप्त अनुदान राशियों एवं ठेकेदार के बिलो से की गयी कटोतीयों को जोडकर दिखाना संस्था के हिसाब में हेराफेरी करके धन का दुरूपयोग किया जाना दर्शाता है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । उनके विरूध्द आवश्यक कार्यवाही करते हुए गोलमाल की गयी धनराशि की उनसे वसूली की जानी अपेक्षित है । अनुदान पंजिका -3 में उक्त मदो को एक साथ माह जुलाई 2021 से प्रारम्भिक शेष रू0- 584950.00 दिखाते हुए माह मार्च 2022 तक प्राप्त व व्यय की गयी राशियां दिखायी गयी है तथा 31.03.2022 को अवशेष रू0- 913229.52 दिखाया है । माह जुलाई 2021 के प्राम्भिक अवशेष का न तो कोई विवरण दिया गया और न ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया । उक्त इक्ठ्ठा दिखाई गयी मदो के आय व्यय व अवशेष का माहवार विवरण निम्नानुसार है ।

माह	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष
जुलाई 2021	584950.00	127740.00	267113.04	445576.96
अगस्त 2021	445576.96	72300.00	18004.00	499872.96
सितम्बर 2021	499872.96	-	41203.72	458669.24
अक्टूबर 2021	458669.24	51995.00	119159.08	391505.16
नवम्बर 2021	391505.16	592229.00	-	983734.16
दिसम्बर 2021	983734.16	517288.00	441340.08	1059682.08
जनवरी 2022	1059682.08	547142.00	391843.68	1214980.40
फरवरी 2022	1214980.40	115460.00	421135.64	909304.76
मार्च 2022	909304.76	637213.00	633288.24	913229.52
योग		2661367.00	2333087.48	

इस प्रकार माह जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक रू0-2661367.00 प्राप्त दिखाये है । प्राप्ति की पुष्टि में कोई विवरण व प्रमाण नहीं पाया गया । इसी प्रकार रू0- 2333087.48 का व्यय दिखाया है । व्यय का भी कोई विवरण एवं प्रमाणक नहीं पाया गया । यह भी ज्ञात न हो सका कि इसमें कितनी अनुदान की राशियां है । तथा कितनी कटोतीयों की धनराशियां है । यह व्यय किसी भी प्रमाणक अथवा पत्रावली के अभाव में अपुष्ट है । क्षेत्र पंचायत में जी.एस.टी व टी.डी.एस. की कटोती की गयी धनराशियों का हिसाब नही रखा गया है और न ही इनको कोषागार में जमा किए जाने का कोई चालान आदि देखने को मिला । लेबर सेस भी कर्मचारी कल्याण कोष में जमा किए जाने हेतु प्रेषित नहीं किया गया । अतः 31.03.2022 को दर्शित अवशेष राशि रू0-913229.52 का विवरण दिया जाना व उनको अलग अलग दिखाया जाना अपेक्षित है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । व्यय की पुष्टि में प्रमाण न दिये जाने की दशा में उनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-53 अस्थाई पशु आश्रय स्थल हेतु वर्ष आडिट में रू0- 350000.00 व्यय किया गया है । इस व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक अथवा पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं कि गयी । पत्रावली के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । पुष्टि न हो सकने की दशा में उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस राशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-54 क्षेत्र पंचायत द्वारा विकास खण्ड कार्यलय में निम्नलिखित 4 कार्य कराये गये थे ।

क्र0	कार्य का नाम	लागत	टी.डी.एस	जी.एस.टी	लेबर सेस	जमानत	शुध्द भुगतान	ठेकेदार का नाम
01	वि0ख0 कार्यालय के बाहर प्लास्टर कार्य एवं विकास खण्ड की दिवारो का प्लास्टर कार्य ।	303510.59	5420.00	5420.00	2710.00	-	289961.00	मैसर्स मौ0 मुस्लिम ।
02	विकास खण्ड बिलारी में बाबू टाईप सी-1 आवास की मरम्मत व अन्य कार्य ।	326511.57	6530.00	6530.00	3265.00	-	349368.00	मैसर्स गजेन्द्र सिंह
03	वि0ख0 बिलारी के कार्यालय के शौचालय की मरम्मत निर्माण कार्य ।	939595.00	16778.00	16780.00	8389.00	-	897648.00	मैसर्स साई कान्ट्रेक्टर
04	वि0 ख0 कार्यालय परिसर में गेराज की मरम्मत कार्य ।	136905.00	2446.00	2446.00	1223.00	-	130790.00	मैसर्स गजेन्द्र सिंह

	योग	1706522.16	31174.00	31176.00	15587.00	-	1667767.00	

उक्त चारो निर्माण /मरम्मत कार्य वि0ख0 बिलारी परिसर में कराये गये थे जो एक ही प्रकृति के थे । जिनकी कुल लागत 1706522.16 थी । इन निर्माण / मरम्मत कार्यो को एक साथ न कराकर अलग अलग टुकडो में कराया गया है । जिससे लागत रू0- 10 लाख से अधिक होने पर शासन से स्वीकृति न लेनी पडे । जबकि रू0- 10 लाख से अधिक की परियोजना की लागत होने पर उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के पेरा - 16 में प्रविधिक व्यवस्थाओं के अनुसार आगणन प्रस्तुत कर शासन से प्रशासनिक स्वीकृति व सक्षम अदिकारी से तकनीकी स्वीकृति न लेनी पडे । इन कार्यो को जिन ठेकेदारो से कराया गया था उनसे जमानत नही जमा करायी गयी थी । इन कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलीया भी देखने कों नहीं मिली । कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः कार्यो को टुकडो में कराने के लिए तथा पत्रावलीयां न प्रस्तुत करने के लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-55 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित 71 निर्माण कार्य कराये दिखाये है । जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र0	कार्य का नाम	कुल लागत	शुध्द देय	टी.डी.एस	जी.एस.टी	सेस	जमानत	ठेकेदार
1	ग्राम शेरपुर माफी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की मरम्मत का कार्य ।	565382.52	514893.00	10098.00	10098.00	5049.00	25245.00	ओमवीर सिंह
2	ग्राम नगला नस्सू में प्रा0 वि0 से तालाब तक खडंजा व नाला निर्माण कार्य	307988.86	282979.00	5002.00	5002.00	2501.00	12505.00	ब्रजपाल सिंह
3	ग्राम पंचायत रामपुर पट्टी गुजर में पान सिंह के मकान से चामुण्डा देवी तक सी.सी टाईल्स व नाली निर्माण कार्य ।	825710.20	751980.00	14746.00	14746.00	7374.00	36865.00	ब्रजपाल सिंह
4	ग्राम करसरा में इन्तजार के मकान से मोविन के मकान तक नाला निर्माण कार्य ।	422508.82	384799.00	7546.00	7546.00	3773.00	18855.00	ब्रजपाल सिंह
5	ग्राम मल्हपुर सिंधारी में लिंक रोड से अतर सिंह के नलकूप तक खण्डंजा निर्माण कार्य ।	642083.18	584743.00	11468.00	11468.00	5734	28670.00	प्रेमपाल

6	ग्राम पंचायत अल्हापुर में समाथल मार्ग पर हनुमान मन्दिर के प्रमाण में इण्टरलाकिग कार्य ।	394538.18	359308.00	7046.00	7046.00	3523.00	1765.00	प्रेमपाल
7	ग्राम रूस्तमपुर खास में रामवीर यादव के प्लाट से पतिना तालाब की ओर नाले का निर्माण ।	825895.93	752146.00	14750.00	14750.00	7375.00	36875.00	गजेन्द्र सिंह
8	ग्राम सुन्दरपुर में प्रा0 वि0 से शमशान घाट तक खडन्जा निर्माण कार्य ।	422370.44	384650.00	7544.00	7544.00	3772.00	18860.00	प्रेमपाल
9	ग्राम ग्वार खेडा में नगलिया जट से ग्वार खेडा मार्ग पर वृध्दाश्रम तक खडन्जा निर्माण कार्य ।	204571.48	186296.00	3654.00	3654.00	1827.00	9140.00	ओमवीर सिंह
10	ग्राम धनुपुरा तुरखेडा में चमन कुमार के खेत से तालाब की ओर नाला निर्माण कार्य ।	519899.01	473479.00	9284.00	9284.00	4642.00	23210.00	ओमवीर सिंह
11	शेर सिंह नन्हे सिंह के मकान तक सी.सी. टाईल्स एंव नाली निर्माण कार्य ।	658932.97	600093.00	11768.00	11768.00	5884.00	29420.00	ओमवीर सिंह
12	ग्राम मीरपुर माफी में डामर रोड से गोदा सिंह के घेर तक नाली व खण्डंजा निर्माण कार्य ।	506249.80	461045.00	9042.00	9042.00	4521.00	22600.00	ओमवीर सिंह
13	मजू सिंह की ट्यूबेल से खिलेन्द्र सिंह के खेत तक खडंजा निर्माण ।	325067.89	296038.00	5806.00	5806.00	2903.00	14515.00	ओमवीर सिंह

14	खुशीराम पुत्र रामऔतार के मकान की ओर सी.सी. टाईल्स निर्माण ।	379845.31	345926.00	6784.00	6784.00	3392.00	16960.00	मौ0 मुस्लिम
15	ग्राम रामनगर गंगपुर में चेयरमेन महेन्द्र सिंह के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य ।	454683.90	414074.00	8122.00	8122.00	4061.00	20305.00	प्रेमपाल सिंह
16	ग्राम उदरनपुर चक उर्फ बीरमपुर में सिहाली मार्ग से जयराज धर्मकांटा के बराबर खडंजा निर्माण ।	230401.00	209821.00	4116.00	4116.00	2058.00	10290.00	गजेन्द्र सिंह
17	ग्राम राजामुडिया में मुरादाबाद बिलारी रोड से हनीफ के प्लाट तक सी.सी टाईल्स व नाली निर्माण कार्य ।	322791.40	293961.00	5766.00	5766.00	2883.00	14415.00	मौ0 मुस्लिम
18	विकास खण्ड कार्यलय के बाहर प्लास्टर कार्य एवं विकास खण्ड की दीवारो का प्लास्तर कार्य	303510.59	289961.00	5420.00	5420.00	2710.00	-	मौ0 मुस्लिम
19	पशु चिकित्साधिकारी बिलारी का भवन का जीर्णोध्दार का कार्य .	499683.87	477374.00	8924.00	8924.00	4462.00	-	मौ0 मुस्लिम
20	ग्राम पंचायत भूडमरेसी अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल की चाहरदीवारी व ताराबन्दी का कार्य	180656.21 809695.97	164521.00 737396.00	3228.00 14460.00	3228.00 14460.00	1614.00 7230.00	8065.00 36150.00	ओमवीर सिंह
21	वि0ख0 बिलारी में बाबू टाईप सी -1 आवास की मरम्मत व अन्य कार्य ।	326511.57	349368.00	6530.00	6530.00	3265.00	-	गजेन्द्र सिंह

22	ग्राम मकरन्दपुर में देवेन्द्र सिंह के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य ।	234072.00	231730.00	4682.00	4682.00	2341.00	18726.00	श्याम कान्टेक्टर
23	ग्राम धर्मपुर कलां में धर्मवीर जाटव के खेत से राम सहाय के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य ।	890513.00	787149.00	15902.00	15902.00	7952.00	63608.00	श्याम कान्टेक्टर
24	ग्राम धर्मपुर कलां में शमीम के खेत से गुलाब के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य ।	895612.00	791654.00	15994.00	15994.00	7998.00	63972.00	श्याम कान्टेक्टर
25	ग्राम धर्मपुर कलां में शाहबाद रोड से भारत सिंह के टयूबबैल तक खडंजा निर्माण कार्य ।	919766.00	813003.00	16426.00	16426.00	8213.00	65698.00	श्याम कान्टेक्टर
26	ग्राम हरौरा में मेन रोड से मिलक धर्मपुर कलां लिंक रोड की ओर सी.सी.टाईल्स निर्माण कार्य ।	993989.00	878614.00	17750.00	17750.00	8875.00	71000.00	श्याम कान्टेक्टर
27	ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर में स्योंडारा रोड से जनता इण्टर कालिज की बाउन्ड्री की ओर सी.सी. टाईल्स ।	968140.00	924920.00	17288.00	17288.00	8644.00	-	के.के एसोसियट
28	ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर में जनता इण्टर कालिज की बाउन्ड्री से मुकुल पाण्डेय के खेत तक सी.सी कार्य ।	864879.00	826264.00	15446.00	15446.00	7723.00	-	के.के एसोसियट
29	ग्राम रुस्तमनगर में मुकुल पाण्डेय के खेत से जाटवो वाली	979624.00	935888.00	17494.00	17494.00	8748.00	-	के.के एसोसियट

	शमशान की ओर सी.सी टाईल्स कार्य ।							
30	ग्राम ढकिया नरू में सब्जी मंडी से भयराज सिंह कि खेत तक नाला निर्माण कार्य ।	240445.00	229707.00	4294.00	4296.00	2148.00	-	विमल कुमार
31	ग्राम अबुपुरा खुर्द में बुध्द पार्क के कोने से बिरमपाल के मकान तक सी.सी टाईल्स ।	580959.00	555021.00	10375.00	10376.00	5187.00	-	विमल कुमार
32	ग्राम देवरी दिनौरा में उपेन्द्र के मकान से अजय के मकान तक खडंजा निर्माण कार्य ।	727942.00	695442.00	13000.00	13000.00	6500.00	-	विमल कुमार
33	ग्राम पंचायत अमरपुर काशी में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की बाउन्ड्री वाल एव गेट का निर्माण ।	991874.00	947588.00	17714.00	17714.00	8858.00	-	विमल कुमार
34	ग्राम पालनपुर में तालाब से जलनिकासी हेतु नाला निर्माण कार्य ।	993849.00	949478.00	17748.00	17748.00	8875.00	-	विमल कुमार
35	ग्राम करसरा में प्राईमरी विघालय से तालाब तक नाला निर्माण कार्य ।	995628.00	951177.00	17780.00	17780.00	8891.00	-	विमल कुमार
36	ग्राम नरूखेडा में नरूखेडा से शमशान घाट की और नाला निर्माण कार्य ।	996093.00	951622.00	17788.00	17788.00	8895.00	-	विमल कुमार
37	ग्राम देवरी में दिनोरा में रमेश के मकान से उपेन्द्र के मकान तक सी.सी टाईल्स कार्य ।	996104.00	951631.00	17788.00	17790.00	8895.00	-	विमल कुमार
38	ग्राम नगलिया शाहपुर के मजरा तारापुर में ऊधल के मकान से	996119.00	951645.00	17790.00	17790.00	8894.00	-	विमल कुमार

	रनवीर के घर सिंह की बैठक की ओर दानो							
39	ग्राम नरू खेडा प्राईमरी स्कूल से रामफल सिंह के खेत तक नाला निर्माण कार्य ।	998223.00	953657.00	17826.00	17826.00	8914.00	-	विमल कुमार
40	ग्राम उमरारा में चन्द्रपाल के मकान से रिषिपाल के मकान की ओर सडक निर्माण कार्य ।	544088.00	480934.00	9716.00	9716.00	4858.00	38864.00	हरपाल
41	ग्राम उमरारा मिलक में डब्लू के मकान से किशनपाल के मकान की ओर सडक निर्माण कार्य ।	604254.00	534116.00	10790.00	10790.00	5396.00	43162.00	हरपाल
42	ग्राम भूडाबास में ओमवीर सिंह के घर से मैन रोड तक सी.सी. टाईल्स रोड ।	409436.00	391156.00	7312.00	7312.00	3656.00	-	बाला जी ट्रेडर्स
43	ग्राम उमरारा के मजरा मिलक में जूनियर हाईस्कूल से अम्बेडकर पार्क तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।	940117.00	830996.00	16788.00	16788.00	8394.00	67151.00	बाला जी ट्रेडर्स
44	ग्राम स्योडारा में मुनीम की दुकान से चैयरमेन साहब के मकान तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।	495713.00	438170.00	8854.00	8854.00	4426.00	35409.00	बाला जी ट्रेडर्स
45	ग्राम उमरारा के मजरा मिलक में मेन रोड से जूनियर हाईस्कूल तक सी.सी. टाईल्स रोड निर्माण ।	493099.00	435863.00	8806.00	8806.00	4403.00	35221.00	बाला जी ट्रेडर्स
46	ग्राम जिगनिया रोड से अतर सिंह के खेत	984228.00	869986.00	17576.00	17576.00	8788.00	70302.00	बाला जी ट्रेडर्स

	तक खडन्जा निर्माण कार्य ।							
47	ग्राम स्योडारा में रामधून के मकान से मुनीम की दुकान तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।	997322.00	881558.00	17810.00	17810.00	8906.00	71238.00	बाला जी ट्रेडर्स
48	ग्राम स्योडारा में बिलारी डारनी मार्ग से प्रथमा बैंक के सामने से रामधून के मकान तक सी.सी टाईल्स ।	937941.00	896066.00	16750.00	16750.00	8375.00	-	बाला जी ट्रेडर्स
49	ग्राम ग्वाल खेडा के ग्राम नवादा शाहपुर में नत्थू के मकान से जगत सिंह के मकान तक ।	626212.00	598254.00	11183.00	11184.00	5591.00	-	साई कान्ट्रेक्टर
50	ग्राम ग्वारऊ राजपाल सिंह के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य ।	697502.00	666362.00	12456.00	12456.00	6228.00	-	साई कान्ट्रेक्टर
51	ग्राम ग्वालखेडा के ग्राम नवादा शाहपुर में डामर मार्ग से अम्बेडकर पार्क तक सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।	989197.00	945034.00	17665.00	17666.00	8832.00	-	साई कान्ट्रेक्टर
52	विकास खण्ड बिलारी के कार्यालय के शौचालय की मरम्मत निर्माण कार्य ।	939595.00	897648.00	16778.00	16780.00	8389.00	-	साई कान्ट्रेक्टर
53	ग्राम ग्वारऊ में बिजली घर से वाल्मीकि शमशान तक सी.सी.टाईल्स निर्माण कार्य ।	940742.00	898742.00	16800.00	16800.00	8400.00	-	साई कान्ट्रेक्टर

54	ग्रामकनोवी में सम्पर्क मार्ग से स्कूल तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।	986962.00	942900.00	17626.00	17624.00	8812.00	-	साई कान्ट्रेक्टर
55	ग्राम ग्वारऊ में पदम के मकान से अम्बेडकर पार्क तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ।	698692.00	667497.00	12478.00	12478.00	6239.00	-	साई कान्ट्रेक्टर
56	ग्राम ज्योडेरा में धर्मपाल सिंह के मकान से नेमपाल सिंह के खेत तक खण्डन्जा निर्माण कार्य ।	252924.00	241634.00	4516.00	4516.00	2258.00	-	अरविन्द गुप्ता
57	ग्राम खाबरी अब्बल में रामस्वामनी के खेत से दिनेश शर्मा के खेत तक खंडजा निर्माण कार्य ।	606634.00	579549.00	10834.00	10834.00	5417.00	-	अरविन्द गुप्ता
58	ग्राम नगलिया जट में खाबरी अब्बल रोड से चौ0 बलराम सिंह के घर तक सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।	691132.00	660277.00	12342.00	12342.00	6171.00	-	अरविन्द गुप्ता
59	ग्राम नमैनी गद्दी में पहाडपुर मार्ग से मदन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य ।	770260.00	735870.00	13756.00	13756.00	6878.00	-	अरविन्द गुप्ता
60	ग्राम फत्तेपुर नत्था में अवुपुरा मार्ग से शिव मन्दिर धाम तक खडंजा निर्माण कार्य ।	818129.00	781604.00	14610.00	14610.00	7305.00	-	अरविन्द गुप्ता
61	ग्राम रामनगर गंगपुर में छोटे के मकान से तालाब तक नाला निर्माण कार्य ।	825402.00	788552.00	14740.00	14740.00	7370.00	-	अरविन्द गुप्ता

62	ग्राम बेहटा सरथल में होली चौक से बब्बन की टयूबवैल तक सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।	971713.00	928329.00	17353.00	17354.00	8677.00	-	अरविन्द गुप्ता
63	ग्राम खाबरी अब्बल में शमशान से लेकर मकरन्दपुर के रास्ते तक खडंजा निर्माण कार्य ।	989924.00	945728.00	17678.00	17678.00	8840.00	-	अरविन्द गुप्ता
64	ग्राम जरगाव में हाट मिक्स प्लाट के सामने से प्रजापतियों की धर्मशाला तक खडंजा निर्माण कार्य ।	990755.00	946519.00	17694.00	17694.00	8848.00	-	अरविन्द गुप्ता
65	ग्राम अजमत नगर ज्योडारा में राजबीर के खेत से विपिन के खेत तक सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।	996154.00	951684.00	17788.00	17788.00	8894.00	-	अरविन्द गुप्ता
66	ग्राम खडौआ में हरपाल सिंह के मकान से राजू सिंह के घर तक सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।	253381.00	253381.00	4738.00	4738.00	2369.00	-	ओमवीर सिंह
67	ग्राम भूड मरेसी में गोवंश आश्रय स्थल में डामर रोड तक सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।	883449.00	780906.00	15776.00	15776.00	7888.00	63104.00	ओमवीर सिंह
68	ग्राम समाथल में मेन रोड से रघुपत सिंह के मकान तक सी.सी. टाईल्स निर्माण कार्य ।	107140.00	94703.00	1914.00	1914.00	957.00	7652.00	गजेन्द्र सिंह
69	विकास खण्ड कार्यलय परिसर में गेराज की मरम्मत का कार्य ।	136905.00	130790.00	2446.00	2446.00	1223.00	-	गजेन्द्र सिंह
70	ग्राम हाथीपुर बहुद्दीन में प्रेमपाल के मकान	306064.00	270537.00	5466.00	5466.00	2733.00	21862.00	गजेन्द्र सिंह

	से तालाब तक नाला निर्माण ।							
71	ग्राम समाथल में अल्हापुर तुरखेडा मार्ग से दामोदर के खेत के सामने शिव मन्दिर शिव मन्दिर तक सी.सी टाईल्स ।	885229.00	845709.00	15808.00	15808.00	7904.00	-	गजेन्द्र सिंह
	योग		44952095.00	861036.00	861044.00	518340.00	1121679.00	

उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां हैः-

(1) उपरोक्त दर्शित किसी भी निर्माण अथवा मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावली लेखापरीक्षा में परीक्षण हेतु मांग किये जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं कि गयी । अतः दर्शित शुध्द भुगतान रू0- 44952095.00 के औचित्य की पुष्टि नहीं कि जा सकी । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(2) क्रमांक 4,11,14,31,32,37,38,41,44,47,49 व 66 पर दर्शित कार्य ग्रां पंचायतो के अन्दर काराये गये थे । जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमानुसार दो ग्रांम पंचायातो के बीच लाभार्थियों की सुविधा हेतु कार्य कराये जाने चाहिए । किन्तु क्षेत्र पंचायत बिलारी द्वारा उक्त कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये । इस प्रकार ख0वि0 अधिकारी द्वारा शासन के निर्देशो का उलंघन तो किया ही गया साथ ही यह ज्ञात न हो सका की ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यो की डुप्लीकेसी तो नहीं हुई है । विभागीय स्तर पर इसकी जांच किया जाना अपेक्षित है ।

(3) क्षेत्र पंचायत द्वारा सभी ठेकेदारो से जमानत जमा करायी जानी चाहिए थी । किन्तु क्रमांक 18,19,21,27 से 39 तक , 48 से 66 तक, 69, तथा क्रमांक 71 पर दिखाये कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारो से जमानत जमा नही करायी गयी थी । जबकि ठेका देते समय ही जमानत जमा करायी जानी थी । पूरी जमानत जमा न करने पर बाकि जमानत उनके बिलो से काटी जानी चाहिए थी । यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक रही । क्षेत्र पंचायत में जमानत का हिसाब भी भली प्रकार नही रखा गया है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं ।

(4) उपरोक्त दर्शित कार्यो के ठेकेदारो को किए गये भुगतान से रू0- 861036.00 आयकर एवं रू0- 861044.00 जी.एस.टी. की कटोती की गयी थी । लेखापरीक्षा में इनके कोषागार में जमा किए जाने के प्रमाण में चालान/इश्यू चैक न0-/बैंक स्टैटमेंट आदि उपलब्ध नहीं कराये गये । पुष्टि न हो सकने की दशा में उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस राशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(5) आलोच्य वर्ष में ठेकेदारो के बिलो से लेबर सेस की कटोति रू0- 429528.00 की गयी थी । यह राशि उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1966 के अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण के खाते में जमा की गयी थी अतवा नहीं इसकी पुष्टि में बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला । अतः इस राशि के उक्त बोर्ड के पक्ष में भेजे जाने की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पुष्टि न हो सकने की दशा में उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्री भवानी प्रसाद शुक्ल, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । इस राशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि- 99183772.48

12. क्षेत्र पंचायत - कुन्दरकी वर्ष 2021-22 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-56 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में मनरेगा कन्टीजेन्सी व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -932014.16 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-57 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह मद व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -5246562.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-58 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना अनुदान राशि मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -700000.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-59 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में निविदा बिक्री मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -195382.80 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-60 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में अस्थाई गोवंश मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -270000.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-61 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में अनुरक्षण मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -366259.36 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-62 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में आंगनबाडी केन्द्र मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -200000.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-63 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में कन्टीजेन्सी मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -2589933.22 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-64 अनुदान पंजिका-3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कन्टीजेन्सी मद में रू0 2589933.22 व्यय किया गया है जबकि वास्तविक व्यय 3425910.06 है । इस प्रकार कुल अन्तर रू0- 833976.84 है, जो गबन किया गया है । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । उक्त गबन की धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-65 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में 15वां वित्त अनटाईड मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -17964369.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-66 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में पंचम वित्त मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया - 19348505.40 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके लिए उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पं0(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत ,खण्ड विकास अधिकारी - श्री विरेन्द्र सिंह एव श्रीमति श्वेता वर्मा, लेखाकार- श्री विजेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि - 4864700.78

13. क्षेत्र पंचायत - मूढा पाण्डे वर्ष 2021-22 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-67 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में मनरेगा प्रशासनिक मद व्यय की गई कुल धनराशि रुपया - 1801606.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख- नवदीप यादव,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता, लेखाकार- नितिन कुमार, एवं अवर अभियन्ता - सूर्य प्रसाद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-68 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में निर्वाचन मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -10815.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख- नवदीप यादव,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता, लेखाकार- नितिन कुमार, एवं अवर अभियन्ता - सूर्य प्रसाद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-69 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -5299896.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख- नवदीप यादव,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता, लेखाकार- नितिन कुमार, एवं अवर अभियन्ता - सूर्य प्रसाद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-70 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह ब्याज मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -24039.16 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख- नवदीप यादव,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता, लेखाकार- नितिन कुमार, एवं अवर अभियन्ता - सूर्य प्रसाद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-71 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में AVRY अनुदान राशि मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया - 580000.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख- नवदीप यादव,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता, लेखाकार- नितिन कुमार, एवं अवर अभियन्ता - सूर्य

प्रसाद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-72 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में विविध प्राप्तियां मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया - 135000.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख-नवदीप यादव,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता, लेखाकार- नितिन कुमार, एवं अवर अभियन्ता - सूर्य प्रसाद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-73 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में निविदा बिक्री मद में व्यय की गई कुल धनराशि रुपया - 267523.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा । जिसके प्रति ब्लाक प्रमुख-नवदीप यादव,खण्ड विकास अधिकारी - श्रीमति श्रद्धा गुप्ता, लेखाकार- नितिन कुमार, एवं अवर अभियन्ता - सूर्य प्रसाद मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में संबन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि- 8118879.16

14. क्षेत्र पंचायत - मुरादाबाद वर्ष 2021-22 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-74 वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राफ्ट रिजस्टर 02 में अंकित कार्य- 01) गुरेठा में मैन रोड लल्लू सिंह के घर के पास से कब्रिस्तान तक सी०सी० टाइल्स रोड निर्माण कार्य की व्यप पत्रावली व्यय प्रमाणक कुल लागत रू0 988868 तथा 02- शाहआलमपुर में ट्रांस्फार्मर के पास से प्रा० वि० तक सी०सी० टाइल्स रोड नाली पर व्यय रू0 438193.00 की कार्य पत्रावली व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी- सुश्री प्रक्षा यादव, लेखाकर अनीता पादव मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश जित्ता पंचायत क्षेत्र पंचायत (बजट एवं समान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के अन्तर्गत गम्भीर अनियमियतता की गयी है उक्त पर स्पष्टीकरण आपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अनिवार्य होगी ।

कुल धनराशि - 1427061.00

15. क्षेत्र पंचायत - डिलारी वर्ष 2021-22 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-75 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में मनरेगा प्रशासनिक मद व्यय की गई कुल धनराशि रुपया-798348.32 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिसके लिए 30प्र0 जिला पं० तथा क्षेत्र पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेश चौहान, लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अनिवार्य होगी ।

प्रस्तर-76 अनुदान पंजिका के अनुसार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह मद व्यय की गई कुल धनराशि रुपया -8614698.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिसके लिए 30प्र0 जिला पं० तथा क्षेत्र पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत, खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेश चौहान, लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अनिवार्य होगी ।

प्रस्तर-77 पंचम राज्य वित्त आयोग से वर्ष 2021-22 में रु0-10407573.00 एवं 15वां वित्त आयोग से रू०-10795343.00 कुल रु0-21202916.00 आहरण किया गया था। जिसके खर्च से सम्बंधित मात्र 53 पत्रावलीयां लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गयी। उपलब्ध पत्रावलियों में दर्शित कार्यों पर कुल खर्च 19063967.00 किया गया। शेष धनराशि रु0-2138949.00 खर्च की पत्रावलियां सुलभ नहीं करायी गयी । जिसके कारण उसके व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए उ०प्र० जिला पं० तथा क्षेत्र पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेश चौहान, लेखाकार- श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अनिवार्य होगी ।

प्रस्तर-78 ठेकेदारों के भुगतान बिल से टी.डी.एस रू0-428886.00 व जी.एस.टी भी रु0-428886.00 की कटौति की गयी थी। काटी गयी उक्त टी०डी०एस० व जी०एस०टी० की धनराशि सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा की पुष्टि में चालान/इश्यू चैक नम्बर / बैंक स्टेटमेंट आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। पुष्टि न होने की दशा में उ0प्र0 जिला पं० तथा क्षेत्र पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत, खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेश चौहान, लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अनिवार्य होगी ।

प्रस्तर-79 वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से सेस की कटोती रू0 214443.00 की गयी थी। यह राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण के खाते में जमा की गयी थी अथवा नहीं इसकी पुष्टि में बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति आदि कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला। अतः इस राशि के उक्त बोर्ड के पक्ष में भेजे जाने की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न हो सकने की दशा में उ0प्र0 जिला पं० तथा क्षेत्र पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेश चौहान, लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अनिवार्य होगी ।

प्रस्तर-80 वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों को रू0-2144430.00 का भुगतान जी.एस.टी के रूप में किया गया है। लेकिन इसकी पुष्टि में जी.एस.टी चालान उपलब्ध नहीं कराया गया। पुष्टि न हो सकने की दशा में जिसके लिए 30प्र0 जिला पं० तथा क्षेत्र पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 177 के तहत खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेश चौहान, लेखाकार श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्यरूप से जिम्मेदार है। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अनिवार्य होगी ।

कुल धनराशि - 14339754.32

16. क्षेत्र पंचायत - भगतपुर टाण्डा वर्ष 2021-22 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-81 आलोच्य वर्ष मे निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि वितीय वर्ष मे सेस धनराश रु 423100,00 तथा टी०डी०एस० धनरारी रु0 8,46,000,00 एव संस्था द्वारा जमा 2 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशी रु0 8,46,000,00 और इस प्रकार कुल कटॉती 50 21,15,100,00 निर्माण कार्यों के बिलों से की गयी। इसके साथ ही साथ ठेकेदारो को 10 प्रतिशत जी०एस०रु० 4321000,00 का भुगतान भी किया गया है जिसको जमा करने का दायित्व भी सम्बांधित ठेकेदार के पास निहित है। इस प्रकार संस्था द्वारा जमा धनराशि रु0 21,15,100,00 तथा ठेकेदार द्वारा जमा धनराशि रु0 43,21,000,00 कुल धनराशि रु0 6346100.00 के जमा चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जो अत्यंत गम्भीर आपत्ति का विषय है। अत उपरोक्त दर्शित धनराशि की पुष्टि जमा चालान से करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में उ०प्र० जि० पं० तथा क्षे०प० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1958 के नियम 177 के तहत तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री नत्थू लाल गंगवार, श्री यशवंत कुमार सिंह, श्री मनीष चौधरी, श्री जी०बी० पाठक एव लेखाकार श्री देवेनद्र सिंह से उक्त धनराशि की वसुली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 6346100.00

17. क्षेत्र पंचायत - ठाकुरद्वारा वर्ष 2021-22 जनपद- मुरादाबाद।

प्रस्तर-82 प्रमुख सचिव पंचायतीराज, अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 में निहित है कि क्षेत्रपंचायत द्वारा एक ही ग्राम के परिसीमन में कार्य नहीं कराया जायेगा। अपितु एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए निर्माण कार्य कराए जायेंगे । क्षेत्रपंचायत ठाकुरद्वारा वर्ष 2021-22 के निर्माण पत्रावलियो की जाँच में पाया गया कि राज्यवित्त तथा 15वें केन्द्रीय वित से कराए गये सभी निर्माण कार्य ग्राम के परिसीमन में ही कराए गये है। अतः उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर गंभीर वितीय अनियमितता की गयी है। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1.	ग्राम स्तुपुरा में निहाज के घर से शोभा के घर की ओर तथा इमरत के घर से हरवंश के घर की ओर सी.सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	302510.00
2.	ग्राम मुनिया खेड़ा में मेनरोड से भी सी रोड (पचं होनी को कान तथा यावा हौनी के पर से रामचंद्र सिंह के घर तक सी. सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य	668375.00
3.	ग्राम बाहपुर बालियाँ में शिव मंदिर से नरपत के घर की ओर सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य	991190.00
4.	ग्राम स्तुपुरा में शरीफ नगर रोड से कार के घर तक तथा मेनरोड पनवारी बाल्मीकि से प्रमोद के घर की ओर सी. सी. टाइल्स निर्माण कार्य।	886026.00
5.	ग्राम अमानताबाद में राकेश चौहान के घर से चामुंडा मंदिर की ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	987160.00
6.	ग्राम रतुपुरा में सतीश के घर से विजयपाल के घर की ओर तथा करन सिंह के घर से नरेन्द्र सिंह के घर तक सी.सी. टाइल्स निर्माण कार्य ।	859138.00
7.	ग्राम नारायनपुर छंगा में संतोष कुमारी के घर से पुलिया की और नाला निर्माण कार्य।	486245.00

8.	ग्राम पीलकपुर गुमानी में देवराज के घर से श्यामलाल/ सुशील के घर की और नाला निर्माण कार्य।	633607.00
9.	नयागांव बहादरनगर में शमीम के पर से जाकिर के घर की और नाला निर्माण कार्य।	569764.00
10.	ग्राम शरीफ नगर में कय्यूम के घर से साजिद के घर की ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	513815.00
11.	ग्राम शिव नगर में चौराहे से सुल्ताना के घर की और नाला निर्माण कार्य।	392640.00
12.	ग्राम अब्दुल्लापुर लेदा में चन्दन के घर से लपकना नदी तक नाला निर्माण कार्य ।	724544.00
13.	ग्राम कालेवाला में मेनरोड पर प्रजापतियों के सामने पुलियाँ निर्माण कार्य।	798751.00
14.	ग्राम करनवाला खालसा मझरे में घसीटा के घर से मलखान के घर की और सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	396925.00
15.	ग्राम रूपपुर टंडौला में सी.सी. पक्की रोड से मंदिर/ सिद्ध स्थान की ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	760929.00
16.	ग्राम गझेडा आलम में विक्रम के घर से चौराहे की ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	992399.00
17.	ग्राम रामूवाला गणेश में मेनरोड से मंदिर की ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य ।	826257.00
18.	ग्राम शेरपुर पट्टी में स्वरूप के घर से चामुंडा की ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	745601.00
19.	ग्राम लालपुर पीपलसाना में तेजपाल जाटव से सड़के घर से हरपाल की पुलियाँ ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य	850399.00
20.	ग्राम पाडला में अशोक के मकान से नरेन्द्र की मकान की ओर नाला निर्माण कार्य।	624839.00
21.	ग्राम आलमगीरपुर में त्रिमल सिंह के घर (प्रायमरी स्कूल) से भरत सिंह के घर की ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य ।	990718.00
22.	ग्राम किशनपुर गांवड़ी में रमेश सैनी के घर से काशीराम प्रजापति के घर की ओर सी. सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य ।	987724.00
23.	ग्राम सुरजन नगर के मंझरा जय नगर में पुरानें नाले से घनश्याम सिंह की पुलियों की ओर नाला निर्माण कार्य ।	984360.00
24	ग्राम सकल पुर में तस्लीम के घर के सामने नहर पर पुलियाँ निर्माण कार्य।	691049.00
25.	ग्राम कुओं खेड़ा खालसा में धर्मवीर के घर से जय कुमार की कोठरी की ओर सी.सी. टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य ।	530694.00
	योग	18195659.00

अतः उक्त सभी कार्य शासनादेश के विपरीत कराकर व्यय धनराशि रु 18195659.00 का गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस प्रति खंड विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार चंद्रा, ब्लाक प्रमुख श्रीमति संजना सैनी, लेखाकार श्री अतीक अहमद तथा जे.ई श्री निर्मल कुमार व श्री गुलाम मुस्तफा उत्तरदायी है। अतः रु० 18195659.00 की वसूली उक्त उत्तरदायी से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-83 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वर्ष 2021-22 के अंतर्गत पात्र आवेदन पत्रों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवश्यक आय प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो मान्य नहीं हैं। अतः ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाना चाहिये था, जिसे निरस्त न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०स०	आवेदन पत्र	जारी किये गये आय प्रमाणपत्र का दिनांक	विवाह की तिथि
1	सोनम कुमारी पुत्री रूप सिंह भरतावाला	14.11.2017	11.12.2021
2	कुमारी भावना पुत्री स्व. भोला सिंह, शरीफनगर	17.05.2018	11.12.2021
3	मीनाक्षी पुत्री धर्म सिंह, राजूपुर मिलक	11.08.2018	11.12.2021
4	मोनिका पुत्री वैदराज सिंह, कुआँ खैडाखालसा	17.05.2018	11.12.2021
5	प्रियंका पुत्री मदन सिंह, फरीदनगर	26.07.2018	11.12.2021

उक्त अनियमितता के लिए खंड विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार चंद्रा, ए.डी.ओ. समाज कल्याण श्री विख्यात कुमार तथा सम्बंधित सचिव उत्तरदायी हैं। 51000.00 दर 05 =255000.00 की वसूली उक्त उतरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-84 दिनांक 11.12.2021 में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में खाना, कैटरिंग, स्टेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टेंट मैटसहित, फ्लावरडेकोरेशन वरमाला वैलूनडेकोरेशन, विडियो ग्राफी, वैनरफ्लैक्स, साउंडसिस्टम आदि विभिन्न सेवाओं हेतु दिनांक 29.11.2021 एवं दिनांक 05.12.2021 को एक साथ एक निविदा समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित की गयी। व्यय पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त सेवाओं हेतु प्राप्त सभी तीनो निविदाओं को स्वीकार कर लिया गया। तीनो निविदाओं (फर्मों) के मध्य उक्त सेवाओं को टुकड़ों में बॉट कर सेवाएँ प्राप्त की गयी ।

बी.एम.डब्लू ट्रेडर्स से स्टेज, सोफासेट, कुर्सी, सजावट, टेंट मैटसहित, फूलो का काम आदि का सेवा प्राप्त कर रु० 684902.00 का भुगतान किया गया राजपुताना मैरेज हाल से जनरेटर, साउंड सिस्टम, माइक, वरमाला, शहनाई, ब्रासबैंड, विडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लैंडस्क्रीन आदि का सेवा प्राप्त कर रु० 313232.00 का भुगतान किया गया। बी.डी.डब्लू कैटेर्स से नास्ता व खाना का सेवा प्राप्त कर रु० 514500.00 का भुगतान किया गया ।

लेखा परीक्षा में पाया गया की तीनो सेवाओं हेतु फर्जी रूप से तीर्ना फर्मों के मध्य कोटेशन प्राप्त कर स्वीकार किये गये हैं। इसप्रकार खंड विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार चंद्रा तथा ए.डी.ओ समाजकल्याण श्री विख्यात कुमार ने कूट रचना कर मनमाने रूप से उक्त कुल धनराशि रु० 1512634.00 का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता किया है। इस प्रति उक्त धनराशि की वसूली श्री मनीष कुमार चंद्रा तथा श्री विख्यात कुमार से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-85 अनुदान रजिस्टर-3 में अम्बेडकर प्रोत्साहन योजना मद में गत वर्ष की शेष धनराशि रु० 610000.00 थी । वर्ष दौरान माह सितम्बर में रु० 146952.00 और प्राप्त हुए । इसप्रकार उक्त योजना से कुल रु० 756952.00 के सापेक्ष माह सितम्बर तक रु० 556952.00 व्यय किये गये । शेष रु० 200000.00 का

आंगनबाड़ी निर्माण में व्यय किया गया। लेखा परीक्षा की दृष्टि में रु० 200000.00 का किया गया व्यय दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इसप्रकार रु०-200000.00 की वसूली खंड विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार चंद्रा तथा लेखाकार श्री अतीक अहमद से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जसपाल सिंह का भवन किराया माह अगस्त 2021 से माह मार्च 2022 तक का 174.00 रु० प्रति माह की दर से कुल रु० 1392.00 का बकाया चल रहा है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री जयपाल सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

जनपद- फतेहपुर

प्रारूप-03

प्रस्तर-01

1- क्षेत्र पंचायत- असोथर वर्ष-2021-22 जनपद- फतेहपुर

क्षेत्र पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्माण सामग्री आपूर्ति-कर्ता फर्म के बिलों से 01-11-21 से 31-03-22 तक आपूर्तिकर्ता फर्म के बिलों से नियमानुसार आयकर की कटौती की गयी है। किंतु 04/21 से 31-10-21 तक नियमानुसार निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म के बिलों से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिनका विवरण निम्वत है-

क्र0 स0	कार्य एवं व्यय-विवरण 1- राजवित्त आयोग:	बिल/भुगतान तिथि	बिल की धनराशि	आगणित आयकर की धनराशि दर 2%	अभ्युक्ति
1	खडंजा मरम्मत एवं पुलिया नि.- सरकंडी में बाबू सिंह के डेरा से शिवराम के डेरा तक- मां शीतला ब्रिकफील्ड	124/ 01-10-21 125/27-09-21	418950.00 198240.00	8379.00 3965.00	
2	खडंजा नि.- सरकंडी में पासिन डेरा से ननकवा के खेत तक- मे0 मां शीतला ब्रिकफील्ड	126/28-09-21 123/01-10-21	111033.00 251370.00	2221.00 5028.00	
3	इंटरलार्किंग नि.- रामनगर कोहना में मौली के घर से नन्हा के घर तक- नारायण इं. प्राइजेज	20/27-09-21 18/01-10-21	324188.00 165772.00	6484.00 3315.00	बिल से जी.एस.टी.रूपया 6498.00 की कटौती के बाद रूपया 317690.00 के

					बजाय रूपया 318390.00 अर्थात् बिलों से रूपया 700.00 अधिक भुगतान।
4	इंटरलाकिंग नि.- सिधांव में दुकान से राकेश के घर तक- मे0 नारायण इं. प्राइजेज	23/26-10-21	293144.00	5863.00	
5	इंटरलाकिंग नि.-गढी मे राम नरेश के खेत से चन्दी तालाब तक- मे0 त्रिपाठी इं. प्राइजेज	152/26-09-21 114/28-09-21	365510.00 482287.00	7310.00 9646.00	
6	इंटरलाकिंग नि.-गढी में घनश्याम बाबा मोड से राम नरेश के खेत तक- मे0 त्रिपाठी इं. प्राइजेज	153/26-09-21	365510.00	7310.00	
7	इंटरलाकिंग नि.- जमलामऊ में बाबू लाल कोरी के घर से छिछनी मार्ग तक- मे0त्रिपाठी इं. प्राइजेज	202/26-10-21	497412.00	9948.00	
8	इंटरलाकिंग नि.-गढी में मेंनरोड से घनश्याम बाबा तक- मे0 त्रिपाठी इं. प्राइजेज	201/26-10-21 113/28-09-21	466732.00 471362.00	9335.00 9428.00	
9	2-15 वां वित्त आयोग से सी.सी.रोड नि. व नाली मरम्मत- सरकण्डी मे रामू के घर से भोला के घर तक मे0नारायण इं. प्राइजेज	19/01-10-21 21/25-10-21 25/25-10-21	253914.00 183720.00 94572.00	5078.00 3674.00 1891.00	
10	इंटरलाकिंग- सरकंडी में कसियापुर से गडेरियन के डेरा तक-	22/26-10-21	497412.00	9948.00	

	में0 नारायण इं. प्राइजेज				
11	खडंजा मरम्मत एवं पुलिया नि.- सरकंडी में नहर से आशा पाल के घर तक- मे0 मयंक द्विवेदी ट्रेडर्स	07/26-10-21	239400.00	4788.00	
12	सामु.शौचालय नि.- गढी में : में मयंक दिवेदी ट्रेडर्स	02/25-09-21	349482.00	6900.00	
13	सामु.शौचालय नि.- सरकंडी में: में मयंक दिवेदी ट्रेडर्स	05/25-09-21 03/25-09-21	296799.00 374252.00	5936.00 7485.00	
			6701061.00	**133932.00**	

इस प्रकार उपरोक्तानुसार आपूर्तिकर्ता फर्म के बिलों से नियमानुसार आयकर की 2 प्रतिशत की दर से कुल रुपया 1,33,932-00 की कटौती नहीं की गयी है, और न ही यह धनराशि शासकीय मद में जमा की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड वि.अधि. श्री प्रवीणानंद व लेखाकार श्री सूर्य प्रकाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधि. श्री प्रवीणानंद एवं लेखाकार श्री सूर्य प्रकाश से समान रूप से (50:50 प्रतिशत) किये जाने के उपरांत धनराशि शासकीय मद में जमा करायी जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.-2)

प्रस्तर-02

प्रस्तर 1 में सारिणी के क्रमांक 3 पर अंकित निर्माण कार्य पत्रावली- इंटरलाकिंगः राम नगर कोहना से मौली के घर से नन्हा के घर तक हेतु नारायण इं. प्राइजेज को बिल नं.-18/01-10-21 रुपया 3,24,188-00 में जी.एस.टी. कटौती 2% की दर से रुपया 6484-00 के बजाए रुपया 6,498-00 अर्थात रु.14-00 अधिक करके फर्म को रुपया 3,17,704-00 के बजाए रुपया 3,18,690-00 अर्थात रुपया 686-00 अधिक भुगतान किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड वि. अधि. श्री प्रवीणानद व लेखाकार श्री सूर्य प्रकाश संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति सपष्ट करते हुए, इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधि. श्री प्रवीणानंद एवं लेखाकार श्री सूर्य प्रकाश से समान रूप से (50:50 प्रतिशत) की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.स.-3)

प्रस्तर-03

आलोच्य वर्ष में नि. कार्य पत्रावली में सलंग्न कतिपय मस्टर रोलों की जांच में पाया गया कि कतिपय श्रमिको की उपस्थिति एक ही कार्यावधि में एक से अधिक जगह (कार्यों) अंकित करते हुए, मजदूरी-भुगतान किया गया है। विवरण निम्नांकित है-

क्र0स0	कार्य श्रमिक का नाम सर्व श्री....	म.रोल नं0 /दिनांक	कार्यावधिः कब से कब तक	दिवस	भुगतानित धनराशि	म.रोल नं0 /दिनांक	कार्यावधिः कब से कब तक	दिवस	भुगतानित धनराशि	अभ्युक्ति
1	उमेश चंद्र पुत्र चंद्रिका-कुशल	129/	21-10-21 से 27-10-21 तक	07	3150.00 कु.	148/	22-10-21 से 05-11-21 तक	14	6300.00 कु.	एक ही कार्यावधि में दो जगह मजदूरी भुगतान।
2	त्रिभुवन पु. चंद्र सेवक-अकुशल/कुशल	129/	21-10-21 से 27-10-21 तक	07	2100.00 अकु.	148/	22-10-21 से 05-11-21 तक	14	6300.00 कु.	एक ही कार्यावधि में दो जगह तथा कुशल/अकुशल मजदूरी भुगतान।
3	सूर्य भान पु. ब्रज भूषण-अकुशल/कुशल	129/	21-10-21 से 27-10-21 तक	07	2100.00 अकु.	148/	22-10-21 से 05-11-21 तक	14	6300.00 कु.	एक ही कार्यावधि में दो जगह तथा कुशल/अकुशल मजदूरी भुगतान।
4	सुमन पत्नी त्रिभुवन-अकुशल	129/	21-10-21 से 27-10-21 तक	07	2100.00 अकु.	148/	22-10-21 से 05-11-21 तक	14	4200.00 अकु.	एक ही कार्यावधि में दो जगह मजदूरी भुगतान।
5	उषा पत्नी अवधेश-अकुशल	129/	21-10-21 से 27-10-21 तक	07	2100.00 अकु.	148/	22-10-21 से 05-11-21 तक	14	4200.00 अकु.	एक ही कार्यावधि में दो जगह मजदूरी भुगतान।
6	अर्पित पुत्र उमेश	129/	21-10-21 से 27-10-21 तक	07	3150.00 कु.	146/	22-10-21 से 05-11-21 तक	12	5400.00 कु.	एक ही कार्यावधि में दो जगह मजदूरी भुगतान।
7	अरुण प्रताप सिंह/ राम प्रताप	129/	21-10-21 से 27-10-21 तक	07	2100.00 अकु.	146/	22-10-21 से	12	5400.00 कु.	एक ही कार्यावधि में दो जगह तथा कुशल/अकुशल

							05-11-21 तक			मजदूरी भुगतान।
8	सरोज पत्नी वीर करन	129/	21-10-21 से 27-10-21 तक	07	2100.00 अकु.	144/	22-10-21 से 05-11-21 तक	13	3900.00 अकु.	एक ही कार्यावधि में दो जगह मजदूरी भुगतान।
	कुल योग			56	**16800.00**			107	**42000.00**	

इस प्रकार उपरोक्त मस्टर रोलों में एक ही श्रमिक को एक ही कार्यावधि में दो जगह तथा कुशल अकुशल मजदूरी भुगतान कुल रुपया 58800.00 दर्शित है। जिससे उक्त मस्टर रोलों में दर्शित मजदूरी भुगतान फर्जी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड वि.अधि.श्री प्रवीणानंद /डा. विनय कुमार, लेखाकार श्री सूर्य प्रकाश तथा कार्य-प्रभारी श्री रामाशीष यादव-जे.इ.एम.आई. संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे समान रूप से (33:33:33) वसूली की जानी अपेक्षित है।(मूल आ.सं.-4)

<u>प्रस्तर</u>-4

आलोच्य वर्ष में नि. कार्य पत्रावली में संलग्न कतिपय मस्टर रोलों की जांच में पाया गया कि कतिपय कार्यों / मस्टर रोलों में कार्य करने वाले श्रमिकों को मजदूरी - भुगतान न करके किसी अन्य के खाते में कुल रुपया 83550.00 मजदूरी भुगतान हुआ है। विवरण निम्नाक्ति है-

क्र0 स0	**कार्य का नाम**	**मस्टर रोल नं.**	**मस्टर रोल में श्रमिक का नाम**	**भुगतानित धनराशि**	**प्राप्त कर्ता जिसके खाते में भुगतान हुआ है**	**भुगतानित धनराशि**	**अभ्युक्ति**
1	इटरलाकिग-रामनरेश के खेत से चंदी तालाब तक	अंकित नहीं	छैला पु. सुखराम	8400.00	चेतन	8400.00	
			रमन देवी पत्नी जितेंद्र	8400.00	जितेंद्र	11700.00	
			राजन सिंह / जितेंद्र	8400.00	उमा देवी	8400.00	
			आशीष /कृष्ण कुमार	3900.00	रोहित सिंह	8400.00	
			हिमांशु सिंह/राम कुमार	3300.00			
			रामराज /रामकुमार	4500.00			
		योग		**36900.00**		**36900.00**	

2	इंटरलाकिंग-गढ़ी में घनश्याम बाबा के मोड से रामनरेश के ख़ेत तक	अंकित नहीं	राम फेर/ महेश सिंह	8700.00	गोरे सिंह	8700.00	
			राहुल सिंह /मुन्ना	8700.00	लल्लू सिंह	8700.00	
			संजू/ गया प्रसाद	8700.00	ननकवा/सुखराम	8700.00	
		योग		**26100.00**		**26100.00**	
3	ख0नि0 सरकंडी में पासिन डेरा से ननकवा के खेत तक	127/128	मंजू देवी /राम बिहारी	8700.00			मजदूरी भुगतान नहीं।
			देवेन्द्र /राम दत्त	3150.00	देवेन्द्र/राम दत्त	11850.00	
		योग		**11850.00**		**11850.00**	
4	इंटरलॉकिंग सिधांव में दुकान के पास से राकेश के घर तक	142/145	कुलदीप /पृथ्वी	4200.00	कुलदीप	3900.00	कम मजदूरी भुगतान।
			फूलमती/ छेद्दू	4500.00	फूलमती	3900.00	कम मजदूरी भुगतान।
		योग		**8700.00**		**7800.00**	कम मजदूरी भुगतान।
		कुल योग		**83550.00**		**82650.00**	

अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, तदानुसार तत्कालीन खण्ड वि.अधि. श्री प्रवीणानन्द, लेखाकार श्री सूर्य प्रकाश तथा अवर अभियंता श्री रामाशीष यादव से संयुक्त व समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.-5)

प्रस्तर-5

क्षेत्र पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में अनुदान-पंजिका-2 एवं नि. कार्य पत्रावली के अनुसार-खड़न्जा मरम्मत एवं पुलिया निर्माण-सरकंडी में बाबू सिंह के डेरा से शिवराम के डेरा तक हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय-भुगतान दर्शित है-

क्र0 स0	कार्य का नाम	व्यय-भुगतान विवरण	भुगतानित धनराशि	अभ्युक्ति
1	खडंजा एवं पुलिया निर्माण- सरकंडी में बाबू सिंह के डेरा से शिवराम के डेरा तक	में. शीतला ब्रिक फील्ड नरेनी फतेहपुर	410571.00	पुलिया निर्माण हेतु सीमेंट-मोरंग, गिट्टी सरिया आदि नि. सामग्री क्रय नहीं। अतएव पुलिया निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। किन्तु इस हेतु प्राक्कलन के अनुसार व्यय धनराशि कुल रूपया 99550.00
		में. शीतला ब्रिक फील्ड नरेनी फतेहपुर	194275.00	
		मजदूरी भुगतान	252450.00	
		कुल योग	857296.00	

				काल्पनिक व्यय भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त नि. कार्य में पुलिया निर्माण हेतु सीमेंट-मोरंग, गिट्टी, सरिया आदि नि. सामग्री क्रय नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य में पुलिया निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है किन्तु पुलिया निर्माण हेतु प्राक्कलन के अनुसार व्यय की धनराशि रुपया 99550.00 काल्पनिक व्यय-भुगतान दर्शाकर, धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड वि.अधि. श्री प्रवीणानन्द, लेखाकार श्री सूर्य प्रकाश तथा अवर अभियंता श्री रामाशीष यादव से संयुक्त व समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ.सं.-6)

<u>प्रस्तर-6</u>

क्षेत्र पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में अनुदान-पंजिका-2 के अनुसार-रा. वित्त /15वां वित्त आयोग मद से निम्न विवरणानुसार कुल रुपया 33,72,749-00 व्यय-भुगतान दर्शित है:-

क्र0 स0	कार्य का नाम	व्यय-भुगतान विवरण	भुगतानित धनराशि	अभ्युक्ति
1	पक्का नाला निर्माण सरवाल में महादेव के घर से मोतीदास पिपरा मार्ग तक।	में. ओम टेडर्स में. ओम टेडर्स मजदूरी मजदूरी	434117.00 305654.00 18300.00 216150.00	किंतु दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशियों की पुष्टि मे नि. कार्य-पत्रावलियां यथा-व्यय-प्रमाणक, अनु-मानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक-स्वीकृति, एम.बी. व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, तथा टेण्डर-पत्रावली तथा स्टाक नि.कार्य रजि.आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशियां अपुष्ट रही। संगत अभिलेखो से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।
2	पक्का नाला निर्माण चक पैगम्बरपुर में राजकरन सिंह के घर से कल्लू गड़रिया के घर तक।	में. आर्यन इन्टर प्राईजेज में. आर्यन इन्टर प्राईजेज मजदूरी मजदूरी	434117.00 305654.00 18300.00 209100.00	
3	पक्का नाला निर्माण सरकंडी में पुलिया से महावीर के घर तक ।	में.मयंक दिवेदी ट्रेडर्स मजदूरी मजदूरी	624375.00 90300.00 106950.00	
4	गौशाला निर्माण देवलान	में. आर्यन इन्टर प्राईजेज में. आर्यन इन्टर प्राईजेज में. आर्यन इन्टर प्राईजेज मजदूरी मजदूरी मजदूरी	91722.00 91722.00 91722.00 9900.00 9900.00 9900.00	

5	गौशाला निर्माण जमलमऊ	में. आर्यन इन्टर पाईजेज में. आर्यन इन्टर प्राईजेज में. आर्यन इन्टर प्राईजेज मजदूरी मजदूरी मजदूरी	91722.00 91722.00 91722.00 9900.00 9900.00 9900.00	
		कुल योग	**3372749.00**	

किंतु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशियों की पुष्टि में नि. कार्य-पत्रावलियो-यथा व्यय-प्रमाणक, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम.बी.कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा टेण्डर-पत्रावली व स्टाक एवं नि.कार्य रजि. आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि उक्ति की पुष्टि हेतु आवश्यक व अपेक्षित हैं। अन्यथा स्थिति में व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड वि.अधि. श्री प्रवीणानन्द, लेखाकार श्री सूर्य प्रकाश तथा अवर अभियंता श्री रामाशीष यादव से संयुक्त व समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।(मूल आ.सं.-7)

प्रस्तर- 7

क्षेत्र पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि-क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में विभिन्न मदों से कराये गये निर्माण कार्यों में अकुशल श्रमिकों को मजदूरी-भुगतान रुपया 300.00 /दिवस की दर से किया गया है। जबकि वि. खण्ड में ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में अकुशल श्रमिकों को मजदूरी भुगतान रुपया 204.00 / दिवस की दर से हुआ है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में विभिन्न मदों से कराये गये निर्माण कार्यों में अकुशल श्रमिकों को अधिक दर से मजदूरी-भुगतान (रुपया 204.00 /दिवस के बजाए रुपया 300.00 /दिवस की दर से) करके,अधिक मजदूरी भुगतान की आगणित धनराशि कुल रुपया 437760.00 शासकीय-अनुदान धनराशि का दुर्विनियोग किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड वि.अधि. श्री प्रवीणानंद /डा. विनय कुमार लेखाकार-श्री सूर्य प्रकाश तथा अवर अभियंता श्री रामाशीष यादव से संयुक्त व समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

01- नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत नेवादा जनपद- कौशाम्बी वर्ष लेखापरीक्षा- 2021-2022

1- **प्रस्तर-1-** कार्य का नाम - सेंवढ़ा में गुड्डू के घर से अन्तो के घर तक इण्टर लोकिंग कार्य
योजना का नाम - केन्द्रीय वित्त आयोग
कार्य प्रभारी का नाम - श्री प्रेमचन्द्र पटेल प्रभारी एडीओ(एस के)
ठेकेदार का नाम - तुलसी इन्टरप्राइजेज
प्राक्कलन लागत - 231088-0
भुगतान को धनराशि - 206610-0

उक्त निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न कमियाँ पाई गई है।

क - शपथ पत्र खाली पाया गया अर्थात् भरा ही नहीं गया और न ही शपथी के हस्ताक्षर पाये गये है।

ख - मस्टर रोल में श्रमिकों के अँगूठानिशानी प्रमाणित नहीं पाये गये है।

ग - कार्य के मध्य का फोटो ग्राफ नही पाया गया है।

घ - निविदा विज्ञापन के प्रमाण में समाचार पत्रों की कटिंग पत्रावली में नहीं पाई गई है

ड-- प्रतिवेदन में कार्ययोजना क्रमांक संख्या अंकित नहीं की गई है और न ही कार्यस्थल की स्थिति का उल्लेख किया गया है।

च - कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अथवा कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही पाया गया है। जबकि उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 नियम 38 के अनुसार कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है कि समाप्ति का प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी या सदस्य ने स्वयं निर्माण कार्य की जांच न कर ली हो और प्रत्येक प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया जाएगा कि प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी या सदस्य ने स्वयं निर्माण कार्य की विस्तृत जांच की है और यह भी उल्लेख किया जाएगा कि निर्माण कार्य विस्तृत योजनाओं और विशिष्टियों के अनुसार समुचित रीति से निष्यादित किया गया है। उपरोक्त कमियों एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अभाव में कराया गया कार्य अनियमित रहा उक्त नियम का पालन न कर रू0 206610-00 के भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विमल प्रकाश पाण्डेय एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र साहू उत्तरदायी रहे। अत: नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

02- नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत कड़ा तहसील –सिराथू जनपद- कौशाम्बी वर्ष लेखापरीक्षा- 2021-2022

प्रस्तर-२ - मूल आपत्ति क्र०-(9) ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जी0 एस0 टी0 एवं आयकर वसूल माह फरवरी 2022 व मार्च 2022 का कुल रुपये 299620-00 मात्र को दिनाँक 31-3-22 तक आयकर एवं व्यापार कर विभाग में जमा नहीं किया गया है ,एवं व्यापार कर विभाग में जमा नहीं किया गया है जिसे दिनाँक 31-3-22 तक ही जमा किया जाना चाहिए । किन्तु ऐसा न कर वित्तीय अनियमितता की गई है ,। किन्तु ऐसा न कर वित्तीय

अनियमितता की गई है ,जिसके लिए प्रमुखश्रीअनुज सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर त्रिपाठी जिम्मेदार रहे । अत: नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

03 - **नाम क्षेत्र पंचायत- सरसवां जनपद कौशाम्बी** आपत्ति - पत्र वर्ष 2021 2022 **आपत्ति - पत्रन**

प्रस्तर-3- लेखा परीक्षा के दौरान निर्माण पत्राचलों की जाँच में पाया गया किठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के बिल से 1 प्रतिशत लेबर सेंस कटौतीन न कर गम्भीर अनियमितता कीगयी है जबकि भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (राजगार एवंसेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुरूप उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवंसेवा शर्त विनियम) नियम 2009 बनाया। नियम यह प्राविधानित करता है किठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर केरूप में नियोक्ता द्वारा काठी जायेगी। विवरण निम्नवत है

• - सं -	कार्य का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि
1	दानपुर में ओम प्रकाश धोबी के घर से बहादुर रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य	**520443-00**	**5204-00**
2	सरसवां में मोन मिश्रा के घर से खुन्जू पाण्डेय के घर से होते हुए भोला दूबे के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	**405794-00**	**4058-00**
3	सरसवां में बेटा कहार के घर से शंकर जी मंदिर तक नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य	**338510-00**	**3385-00**
4	अन्भावा में पवन पाण्डेय के ट्यूबेल से हिनौता सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा निर्माण	**896512-00**	**8965-00**
5	कृषि रक्षा बीज गोदाम में खड़न्जा निर्माण	**432651-00**	**4327-00**
6	पभोषा में रोशन सरोज के घर से सुभाषचन्द्र के घर तक नाला निर्माण	**797976-00**	**7980-00**
7	अन्धावा में सोहन सरोज के घर से शिवभूषण के घर तक खड़न्जा निर्माण	**989123-00**	**9891-00**
8	अन्धावा में उदल मेहतर के घर से महन्त तालाब तक नाला मरम्मत	**572727-00**	**5727-00**

9	अन्धावा में प्रा०वि० से छेदी के खेत तक खडन्जा निर्माण	**990934-00**	**9909-00**
10	पभोषा में बक्शी का पुरा में लालमणि के मकान से कमलेश नाऊ के घर तक खडन्जा निर्माण	**993893-00**	**9938-00**
11	पुनवार में मेन रोड से भैरव बाबा तक इन्टरलाकिंग कार्य	**991948-00**	**9919-00**
12	नवीन प्रा०स्वा० केन्द्र से शाहपुर भवनसूरी में काली रोड तक खडन्जा निर्माण	**625793-00**	**6457-00**
13	पूरब सरांवा में कोयली का पुरा से सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा	**989308-00**	**9893-00**
14	पभोषा में श्यामलाल के घर से अमीना रोड तक खड़न्जा	**989927-00**	**9899-00**
	•		**105353-00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 14 निर्माणकार्यों पर रू0 105353:00 लंबर से कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षतिपहुँचाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीदेवन्द्र कुमार ओझा एवं लेखाकार श्री मुकुन्द कृष्ण उत्तरदायी हैं जिनसे बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

04- नाम क्षेत्र पंचायत-कौशाम्बी **जनपद- कौशाम्बी** आपत्ति-पत्र आपत्ति-पत्र वर्ष 2021 2022

प्रस्तर-4- लेखा परीक्षा के दौरान निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया किठेकेदार / आपूर्तिकर्ता के बिल से 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती न कर गम्भीरअनियमितता की गयी है जबकि भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) अधिनियम 1996 अधिनियमित किया। अधिनियम केअनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माणकर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियम) नियम 2009 बनाया। नियम यहप्राविधानित करता है कि ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशतधनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। विवरणनिम्नवत है

	कार्य का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	1 प्रतिशत लेबर शेष धनराशि
1	मेडुवा में गुलालपुर मेन रोड से सरकारी ट्यूबेल होते हुए खड़न्जा निर्माण कार्य	**461146-00**	**4611-00**
2	गोइठा में मुड़िया डोली में बचऊ लाल पासी के हैण्ड पम्प से तालाब तक इंटरलाकिंग का कार्य	**341083-00**	**3411-00**
3	मझियारी में सज्जन के घर से बसन्त के घर तक इंटरलाकिंग	**423322-00**	**4233-00**
4	ठोकसहा से सिरसी में रोशन लाल के घर तक इंटरलाकिंग	**290597-00**	**2906-00**
5	अर्काफतेहपुर में सड़क से गैस एजेन्सी तक खडंजा निर्माण	**522843-00**	**5228-00**
6	बारा में गंगा के घर से सूरजदीन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	**398989-00**	**3990-00**
7	शुगौली में मॉचंदिका देवी मंदिर से यमुना किनारे खडंजानिर्माण	**352230-00**	**3522-00**
8	क्षेत्र पंचायत परिसर में भवनों / मकानों का मरम्मत कार्य	**401193-00**	**4012-00**
9	गहिला सम्पर्क मार्ग से पृथ्वीपाल के खेत तक इंटरलाकिंग कार्य	**986598-00**	**9866-00**
10	ऐगवा में राजेश के घर से झल्लर के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	**484209-00**	**4842-00**
11	उरई अशराजपुर में हरिनारायण द्विवेदी के ट्यूबेल से नहर तक इंटरलाकिंग कार्य	**661986-00**	**6620-00**
12	ढिया में पन्ना के पुरा में राजेन्द्र के घर से शिव के घर तक नाली निर्माण	**420355-00**	**4204-00**
13	क्षेत्र पंचायत सुन्दरीकरण	**98560-00**	**986-00**
14	मझियारी में सज्जन के घर से बसंत के घर तक इंटरलाकिंग	**411054-00**	**4111-00**
15	जुगराजपुर में हरिमोहन के घर से अजय कुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	**412320-00**	**4123-00**
16	बजहां खुर्रमपुर में हामिदउल्ला के घर से मूलचन्द के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	**438219-00**	**4382-00**
17	जुगराजपुर में अदालती त्रिपाठी के घर से लल्लन तिवारी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	**406647-00**	**4066-00**
18	शिदाब में गुरूप्रसाद मिश्र के घर से संजीवनी धोबी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	**624704-00**	**6247-00**

19	गहिला में श्यामसुन्दर के खेत से तालाब तक इंटरलाकिंग कार्य	**777394-00**	**7774-00**
20	कोषणा इमाम में सुखलाल के घर के पास नाली एवं इंटर लाकिंग कार्य	**631354-00**	**6314-00**
	•		**95448-00**

- उक्त विवरण से स्पष्ट है कि 20 निर्माण कार्यो पर रू0 95448-00 लेबरसे कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री देव कुमार एवं लेखाकार श्री मुकुन्दलाल उत्तरदायी है जिनसे बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

05 -- क्षेत्र पंचायत का नाम - मंझनपुर जनपद कौशांबी लेखापरीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-5- क्षेत्र पंचायत मंझनपुर वर्ष **2021-**22 की लेखापरीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिसका विवरण निम्नवत है:-

1- लेखापरीक्षा के दौरान निर्माण पत्रावली की जॉच में पाया गया कि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के बिल से 1 प्रतिशत लेबरसेस की कटौती न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है जबकि भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम) अधिनियम 1996 अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुरूप उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम) नियम 2009 बनाया । नियम यह प्राविधानित करता है कि ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। विवरण निम्नवत है:-

क्र॰	कार्य का नाम	सामग्री पर भुगतान	मस्टररोल पर भुगतान	योग	1प्रतिशत सेस की कटौती धनराशि	लेबर की कटौती धनराशि	अन्तर
1	बहादुरपुर में दानपुर रोड से रामजीयादव के घर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**734269-00**	**166041-00**	**900310-00**	**9003-00**	**7343-00**	**1660-00**
2	भरसवाँ में महेवाऊनो रोड से उमरा में सुरेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**670403-00**	**154776-00**	**825179-00**	**8252-00**	**6704-00**	**1548-00**
3	अर्का मण्झनपुर मार्ग से जू॰हा॰पिपरकुण्डी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**731606-00**	**174825-00**	**906431-00**	**9064-00**	**7316-00**	**1748-00**

4	बहादुरपुर में दानपुर रोड से बच्चन के घर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**422039-00**	**94029-00**	**516068-00**	**5161-00**	**4220-00**	**941-00**
5	इब्राहीमपुर में सीसी रोड से तालाब तक नाली व पुलिया निर्माण कार्य।	**213359-00**	**73644-00**	**287003-00**	**2870-00**	-	**2870-00**
6	ओसा दानपुर सम्पर्क मार्ग से अफजल के नलकूप खडन्जा निर्माण कार्य।	**267371-00**	**198099-00**	**465470-00**	**4655-00**	**1841-00**	**2814-00**
7	चकसहनपुर में काली मातादेवी के स्थान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	**277844-00**	**118569-00**	**396413-00**	**3964-00**	-	**3964-00**
8	सादिकपुर सेमरहा में प्राथमिक विद्यालय ऊनोथाम्बा आलावलपुर रोड के बगल रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य।	**321461-00**	**83922-00**	**405383-00**	**4054-00**	**3214-00**	**840-00**
9	बरलहा के सालेपुर में पक्की रोड से सुन्दरपासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**297521-00**	**73638-00**	**371159-00**	**3712-00**	**2975-00**	**737-00**
10	टेवाँ में सरकारी समरसेबुल से कल्लू गौतम के खेत तक नाली निर्माण कार्य।	**392279-00**	**127653-00**	**519932-00**	**5199**	**3923-00**	**1276-00**
11	ओसा करारी मार्ग से हिसामपुर तक खडन्जा निर्माण कार्य।	**459880-00**	**127653-00**	**587533-00**	**5875-00**	**4599-00**	**1276-00**
12	जजौली नहर से गौशाला मार्ग पर खडन्जा निर्माण कार्य	**567600-00**	**196158-00**	**763758-00**	**7638-00**	**5406-00**	**2232-00**
13	गुवारातैयबपुर में पिपरकुण्डी रोड से तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**818431-00**	**174825-00**	**993256-00**	**9932-00**	**7316-00**	**2616-00**
14	बहादुरपुर टेवाँ रोड से रामचन्द्र कुम्हार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**795159-00**	**160764-00**	**955923-00**	**9559-00**	**7099-00**	**2460-00**
15	अर्जलीपुर से मीरापुर को जाने वाली पर कच्चेमार्ग पर मिट्टी खडन्जा व पुलिया निर्माण कार्य।	**610948-00**	**143682-00**	**754630-00**	**7546-00**	**5454-00**	**2092-00**
	योग	**7580160-00**	**2068278-00**	**9648448-00**	**96484-00**	**67410-00**	**29074-00**

क - उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू॰ **9648438-00** पर 1 प्रतिशत रू॰ **96484-00** लेबरसेस होता है। जिसके सापेक्ष रू ॰**67410-00** रूपये ही किया गया है । इस प्रकार कुल रू॰96484-00 जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। भारत सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम) अधिनियम 1996 अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुरूप उ॰प्र॰ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्ते विनियम) नियम 2009 बनाया । नियम यह प्राविधानित करता है कि ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूमें नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी । जिसके लिए श्री सुधीर कुमार खण्ड विकास अधिकारी

श्री सुरेन्द्र कुमार साहू एवं श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी हैं । उक्त के विरूद्ध वैधानिक/विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र॰	कार्य का नाम	सामग्री आपूर्ति की धनराशि	रायल्टी
1	बहादुरपुर में दानपुर रोड से रामजीयादव के घर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**734269-00**	**35100-00**
2	भरसवाँ में महेवा ऊनो रोड से उमरा में सुरेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**670403-00**	**33300-00**
3	अर्का मण्झनपुर मार्ग से जू॰हा॰पिपरकुण्डी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**731606-00**	**41220-00**
4	बहादुरपुर में दानपुर रोड से बच्चन के घर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**422039-00**	**20250-00**
5	इब्राहीमपुर में सीसी रोड से तालाब तक नाली व पुलिया निर्माण कार्य।	**213359-00**	**16461-00**
6	सादिकपुर से मरहा में प्राथमिक विद्यालय ऊनोथाम्बा आलावलपुर रोड के बगल रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य।	**321461-00**	**23850-00**
7	बरलहा के सालेपुर में पक्की रोड से सुन्दरपासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**297521-00**	**18000-00**
8	टेवाँ में सरकारी समरसेबुल से कल्लू गौतम के खेत तक नाली निर्माण कार्य।	**392279-00**	**37800-00**
9	गुवारातैयबपुर में पिपरकुण्डी रोड से तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**818431-00**	**41220-00**
10	बहादुरपुर टेवाँ रोड से रामचन्द्र कुम्हार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**795159-00**	**34200-00**
	योग	**4664921-00**	**301401-00**

ख)- निर्माण कार्य सामग्री आपूर्तिकर्ता के बिल से रू॰301401-00 की रायल्टी कटौती की गयी है किन्तु कटौती की गयी धनराशि को लेखा शीर्षक में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री सुधीर कुमार खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार साहू एवं श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी हैं। उक्त के विरूद्ध वैधानिक/विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

ग)- उपरोक्त दर्शित निर्माण कार्यों की सूची में क्रम सं॰1 से 15 तक के कार्यों में आपूर्तिकर्तओं के बिल रु0-7580160-00 से जीएसटी रु॰-785639-00 की कटौती की गयी है ,जिसे राजकीय कोषागार / सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री सुधीर कुमार खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार साहू

एवं श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी हैं। उक्त के विरूद्ध वैधानिक/विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र.	**कार्य का नाम**	**सामग्री पर भुगतान**	**जीएसटी कटौती धनराशि**
1	बहादुरपुर में दानपुर रोड से रामजीयादव के घरइण्टरला किंग का कार्य।	**734269-00**	**88111-00**
2	भरसवाँ में महेवा ऊनो रोड से उमरा में सुरेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**670403-00**	**80443-00**
3	अर्का मण्झनपुर मार्ग से जू॰हा॰पिपरकुण्डी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**731606-00**	**88192-00**
4	बहादुरपुर में दानपुर रोड से बच्चन के घर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**422039-00**	**50644-00**
5	इब्राहीमपुर में सीसी रोड से तालाब तक नाली व पुलिया निर्माण कार्य।	**213359-00**	**25603-00**
6	ओसा दानपुर सम्पर्क मार्ग से अफजल के नलकूप खडन्जा निर्माण कार्य।	**267371-00**	**22087-000**
7	चकसहनपुर में काली माता देवी के स्थान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	**277844-00**	**20742-00**
8	सादिकपुर सेमरहा में प्राथमिक विद्यालय ऊनोथाम्बा आलावलपुर रोड के बगल रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य।	**321461-00**	**38575-00**
9	बरलहा के सालेपुर में पक्की रोड से सुन्दरपासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**297521-00**	**35702-00**
10	टेवाँ में सरकारी समरसेबुल से कल्लू गौतम के खेत तक नाली निर्माण कार्य।	**392279-00**	**47073-00**
11	ओसा करारी मार्ग से हिसामपुर तक खडन्जा निर्माण कार्य।	**459880-00**	**22994-00**
12	जजौली नहर से गौशाला मार्ग पर खडन्जा निर्माण कार्य	**567600-00**	**27028-00**
13	गुवारातैयबपुर में पिपरकुण्डी रोड से तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**818431-00**	**87792-00**
14	बहादुरपुर टेवाँ रोड से रामचन्द्र कुम्हार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**795159-00**	**85195-00**
15	अर्जलीपुर से मीरापुर को जाने वाली पर कच्चे मार्ग पर मिट्टी खडन्जा व पुलिया निर्माण कार्य।	**610948-00**	**65458-00**
	योग	**7580160-00**	**785639-00**

घ)- उपरोक्त दर्शित निर्माण कार्यों की सूची में क्रम सं॰1 से15 तक के कार्यों में आपूर्ति कर्तओं के बिल से आयकर रु0-162597-00 की कटौती की गयी है जिसे राजकीय कोषागार / सम्बन्धित हेड में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री सुधीर कुमार खण्डविकासअधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार साहू एवं श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से उत्तरदायी हैं। उक्त के विरूद्ध वैधानिक/विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र.	**कार्यकानाम**	**सामग्री पर भुगतान**	**आयकर कटौती धनराशि**

1	बहादुरपुर में दानपुर रोड से रामजीयादव के घर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**734269-00**	**16447-00**
2	भरसवाँ में महेवाऊनो रोड से उमरा में सुरेश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**670403-00**	**15017-00**
3	अर्का मण्झनपुर मार्ग से जू॰हा॰पिपरकुण्डी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**731606-00**	**16388-00**
4	बहादुरपुर में दानपुर रोड से बच्चन के घर इण्टरलाकिंग का कार्य।	**422039-00**	**9454-00**
5	इब्राहीमपुर में सीसी रोड से तालाब तक नाली व पुलिया निर्माण कार्य।	**213359-00**	**4779-00**
6	ओसा दानपुर सम्पर्क मार्ग से अफजल के नलकूप खडन्जा निर्माण कार्य।	**267371-00**	**4548-00**
7	चकसहनपुर में काली माता देवी के स्थान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	**277844-00**	**6392-00**
8	सादिकपुर सेमरहा में प्राथमिक विद्यालय ऊनोथाम्बा आलावलपुर रोड के बगल रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य।	**321461-00**	**7201-00**
9	बरलहा के सालेपुर में पक्की रोड से सुन्दरपासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**297521-00**	**6664-00**
10	टेवाँ में सरकारी समरसेबुल से कल्लू गौतम के खेत तक नाली निर्माण कार्य।	**392279-00**	**8787-00**
11	ओसा करारी मार्ग से हिसामपुर तक खडन्जा निर्माण कार्य।	**459880-00**	**10301-00**
12	जजौली नहर से गौशाला मार्ग पर खडन्जा निर्माण कार्य	**567600-00**	**12109-00**
13	गुवारातैयबपुर में पिपरकुण्डी रोड से तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**818431-00**	**16388-00**
14	बहादुरपुर टेवाँ रोड से रामचन्द्र कुम्हार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	**795159-00**	**15903-00**
15	अर्जलीपुर से मीरापुर को जाने वाली पर कच्चे मार्ग पर मिट्टी खडन्जा व पुलिया निर्माण कार्य।	**610948-00**	**12219-00**
	योग	**7580160-00**	**162597-00**

06 - नाम संस्था- क्षेत्र पंचायत- चायल जनपद- कौशाम्बी___2- वर्ष लेखा- 2021-22

प्रस्तर- 6 - क्षेत्र पंचायत चायल द्वारा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार जो कार्य करायें गये है वह ग्राम पंचायत की परिधि में कराए गए हैं जैसा कि कार्यो के नाम से स्पष्ट है। जबकि शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93 जी 2004 टी*o*सी*o* के अनुसार एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को प्राप्त अनुदानों से दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य कराए जाएगें।

इस प्रकार निम्न कार्यो को ग्राम पंचायत की परिधि में कराकर शासनादेश के विपरीत कार्य कराए गए है जो कि अनियमित रहे। इस प्रकार निम्न कार्यो में व्यय सम्पूर्ण धनराशि अनियमित रही। इसके लिए प्रमुख श्री दिलीप कुमार प्रजापति एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर त्रिपाठी व श्री विमल प्रकाश पाण्डेय जिम्मेदार रहे। अत: उत्तरदायरी कर्मचारियों / अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही ।

क्र0स0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि
01	कोइलहा में दया मार्डन स्कूल से सतीश के घर तक इण्टर लॉकिग।	464047-42
02	रसूलाबाद उर्फ कोईलहा में अशोक के घर से तालाब तक नाली निर्माण।	312093-46
03	रसूलाबाद उर्फ कोईलहा में डा0 सुहैल के घर से इशरत के घर तक इण्टर लॉकिग।	436553-30
04	मनौरी मोहम्मदपुर मार्ग से वसीम के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य।	147359-28
05	बगहिया डामर से गुड्डू दिवाकर के ट्यूबवेल तक इण्टर लॉकिग कार्य।	665374-50
06	पहाडपुर में बुधराम के घर से लेकर हुबलाल के घर तक नाली निर्माण।	358604-70
07	ग्राम पंचायत हरदुआ में सार्वजनिक शोचालय का निर्माण।	295417-70
08	रसूलाबाद उर्फ कोइलहा में सडक से सुरेश सोनकर के घर तक इण्टर लॉकिग।	147199-86
09	चिल्लाशाहबाजी में संगम के घर से देवमान के घर तक इण्टर लॉकिग।	577406-72
	योग	3404057-05

सडक वर्गीकरण रजिस्टर से पुष्टि नहीं कराई गयीजिससे स्पष्ट होता है कि कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा दो ग्रामों को आच्छादित कराने वाले नहीं कराए गए है और क्षेत्र पंचायत का स्वामित्व है अथवा नहीं।

07 - नाम संस्था - क्षेत्र पंचायत - मूरतगंज जनपद- कौशाम्बी वर्ष लेखा- 2021-22

प्रस्तर-7- ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनाजी0एस0टी0 एण्ड टी0डी0एस0 एवं पी0एम0गोष्ठी कार्यशाला तीन शीर्षों का एक ही बैंक खाता संख्या 1309010002400 खुला हुआ है। बैंक ऑफ बडौदा मूरतगंज में जिसमें तीनों शीर्षों का प्रारम्भिक अवशेष ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रूपया 639012-40 दर्शित हैजबकि खाते (उक्त) के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष रूपया 546655-40 दर्शित है। अतः अन्तर रूपया 92357-00 का रहा। यह अन्तर गत वर्ष/वर्षो का है। अन्तिम अवशेष में पास बुक और ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में अन्तर नहीं हैक्योंकि आलोच्य वर्ष में अन्तर अनुचित रूप से समाप्त किया गया है। उदाहरण स्वरूप मु0मं0 सामुहिक विवाह योजना में माह-04/21 में व्ययपासबुक के अनुसार रूपया 470000-00 है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय रूपया373000-00 ही दर्ज है। इसी प्रकार 04/21 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपया 175000-00 की आय दर्ज है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में आय शून्य दर्शित है।

माह- मई में आय सही दर्शित है जो कि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार है जबकि व्यय बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रूपया 208000-00 दर्शित है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रूपया 130000-00 ही दर्ज है।

माह- अक्टूबर 2021 व नवम्बर 2021 में पास बुक के अनुसार आय और व्यय क्रमशः रूपया 385732-00 और व्यय रूपया 385000-00 हैजबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में आय और व्यय रूपया 280000-00 ही दर्शाया गया है।

माह-दिसम्बर 2021 में आय पास बुक के अनुसार रूपया 2422570-00 है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में रूपया 2275000-00 ही दर्ज है। पास बुक के अनुसार व्यय रूपया 147570-00 दर्ज है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय रूपया शून्य दर्शित है।

माह-जनवरी 2022 में पास बुक के अनुसार आय रूपया 259989-00 जबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में आय शून्य दर्ज है। पास बुक में व्यय रूपया 2240000-00 दर्ज है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में भी रूपया 2240000-00 दर्ज है।

माह-फरवरी 2022 में पास बुक के अनुसार आय रूपया 77629-00 दर्ज हैजबकि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में शून्य दर्ज है।

माह-दिसम्बर 2021 से जी0एस0टी0 व आयकर एवं माह- फरवरी 2022 से पी0एम0 गोष्ठी कार्यशाला का खाता भी उक्त सामूहिक विवाह योजना के साथ संचालित है। सर्वप्रथम मु0मं0 सामुहिक विवाह अनुदान योजना के खाते को अलग संचालित किया जाना अपेक्षित है। दूसरा अनुदान खाते के पूर्व से चले आ रहे अन्तर को स्पष्टतः रिकन्सीलेशन बनाया जाना चाहिए और अन्तर के वास्तविक कारणों को खोजा जाना एवं तद्नुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

इस हेतु लेखाकार श्री प्रदीप कुमार मौर्य व खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेश रायश्री देवेन्द्र कुमार ओझा व श्री प्रवीण कुमार उत्तरदायी है। अत: नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही ।

प्रस्तर - 8 - क्षेत्रीय निधि (केन्द्रीय वित्त आयोग) के खाता संख्या 13090100025-169 के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर निम्न प्रकार से है-

01-04-2021 का प्रारम्भिक अवशेष पास बुक के अनुसार- 7834294-00

01-04-2021 काप्रार0अव0 ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार- 7826963-00

अन्तर- 7331-00

अन्तर के कारणों को खोजा जाना एवं तद्नुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर - 09 - क्षेत्र पंचायतमूरतगंज द्वारा वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसारकार्य एक ही ग्रामपंचायतकी परिधि में कराए गए हैं जैसा कि कार्यो के नामों से स्पष्ट है। जबकि शासनादेश संख्या 866/33-2-14-93 जी 2004 टी0सी0 के अनुसार एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत जो कार्य करायेगी उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कराया जाय।

क्र0स0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि
01	दुर्गापुर सैयद सरॉवा में रमेश के घर से राम सुचित के घर होते हुए अशर्फी के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य।	593701-00
02	लोहारा में अनिल के घर से असगर महाजन के घर तक सी0सी0रोड मरम्मत कार्य।	499457-25
03	ग्राम लोहारा कें मंसूर के घर से सूरज पाल के घर तक इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य।	528846-00
04	लोहारा में लल्लू लोहार के घर होते हुए नुरूल्ला के घर तक पक्की नाली निर्माण।	94902-52
05	ग्राम सोखदा के कब्रिस्तान के पास बॉके के घर होते हुए नुरूल्ला के घर तक नाला एवं पुलिया निर्माण।	800686-52

06	ग्राम उजिहिनी खालसा में राम चन्द्र मौर्य के घर से साबिर मियॉ के घर तक इण्टर लॉकिग।	804682-00
07	ग्राम सोखदा के मजरा में इमामबाडा से होते हुए शेर सिंह के घर तक इण्टर लॉकिग।	939906-00
08	अरई सुमेरपुर में भीमसेन के घर से गुलाम वपारिस के घर तक नाला निर्माण।	214351-00
	योग	4476532-29

आदि उक्त प्रसार से ग्राम पंचायत के अन्दर ही विभिन्न कार्य कराये गए हैजो कि अनियमितता की श्रेणी में आते है।

साथ में सडक वर्गीकरण रजिस्टर से पुष्टि नहीं कराई गई जिससे भी स्पष्ट होता है कि कार्य दो ग्रामों को आच्छादित करने वाले नहीं कराए गए है। इस प्रकार धनराशि रूपया 4476532-29 के कराए गए सम्पूर्ण कार्य अनियमित रहे इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेश रायश्री देवेन्द्र ओझा वश्री प्रवीण कुमार एवं प्रमुख श्री राम प्रसाद उत्तरदायी रहे। अत: नियमानुसार विभागीय / बैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही ।

जनपद- प्रतापगढ़

प्रारूप-3

प्रस्तर-1 क्षेत्र पंचायत- कुंडा वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना - लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रू0 400378.00 का व्यय किया जाना दर्शित है लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी हैं, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44 बी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्ते व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना अपरहण की श्रेणी का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अपरहण की श्रेणी की से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद कुमार सिंह /प्रतीक सिंह /सुश्री अपर्णा एवं लेखाकार ओंकार नाथ/ श्री करुणेश पाण्डेय का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

प्रस्तर-2 क्षेत्र पंचायत- कुंडा वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

प्रमाणक विहीन व्यय : - निम्न व्यय के संबंध मे व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रही जिससे इनकी पुष्टि नहीं की जा सकी ।

क्रम सं.	मद का नाम	रू
1	प्रशासनिक मद	128500.00
	योग	128500.00

पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना अपरहण की श्रेणी में आता है । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में अपरहण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद कुमार सिंह /प्रतीक सिंह /सुश्री अपर्णा एवं लेखाकार ओंकार नाथ/ श्री करुणेश पाण्डेय का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

प्रस्तर-3 क्षेत्र पंचायत- मानधाता वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना - लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रू0 1542000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी हैं, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 161/2017/44 बी0आई0पी0/26.03.2017-4(88)/93टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्ते व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

प्रस्तर-4 क्षेत्र पंचायत- मानधाता वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

जी.एस.टी. टी.डी.एस की कटौती करके जमा न किया जाना : - जी एस टी प्रणाली के अंतर्गत सी जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत्र पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया है. उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 1.10.2018 से प्रभावी है । इस सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर ने 26 सितम्बर 2018 यह निर्देशित किया है कि समस्त सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा रुपया 2.50 लाख से अधिक के सप्लाई के आदेश के विरुद्ध किये गए भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से सी जी एस टी तथा एक प्रतिशत की दर से एस जी एस टी की कटौती किया जाना अपेक्षित है तथा सप्लायर के प्रान्त से बाहर होने की दशा में 2% की दर से आई जी एस टी की कटौती किया गया है ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ठेकेदरो के बिलों से काटी गयी (प्राप्त) टी.डी.एस. राशि अंकन रु० 115460.00 तथा जी०एस०टी० रु० 101994.00 अंतरर्गत प्राप्त की गयी राशि अंकन रु० 217454.00 की जमा की पुष्टि में चालान रसीद आदि नहीं रहे जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार और लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-5 क्षेत्र पंचायत- मानधाता वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, नियम 2009 के अनुपालन में पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों को भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती

करके रुपये **50994.00** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार और लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-6 क्षेत्र पंचायत- शिवगढ़ वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यय धनराशि रू 25660=00 से संबंधित कोई भी निमार्ण पत्रवाली / व्यय प्रमाणक / आदि लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराए गए । जिससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय व काल्पनिक कार्य दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है अन्यथा व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है । अतः उक्त की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1. श्री प्रतीक सिंह 2. श्री गणेश दत्त शुक्ला एवं लेखाकार श्री उत्तम कुमार नागर से क्रमशःकार्यरत अवधि के सापेक्ष ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-7 क्षेत्र पंचायत- शिवगढ़ वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

आंगनबाड़ी केंद्र में व्यय धनराशि रू 4573=00 से संबंधित कोई भी निमार्ण पत्रवाली / व्यय प्रमाणक / आदि लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराए गए । जिससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय व काल्पनिक कार्य दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है अन्यथा व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है । अतः उक्त की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामपाल एवं लेखाकार श्री उत्तम कुमार नागर से क्रमशःकार्यरत अवधि के सापेक्ष ततारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

प्रस्तर-8 क्षेत्र पंचायत- लक्ष्मणपुर वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस जमा न किया जाना :- शासनादेश सं0-5837/33-2-2017-122जी0/17 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर 2017 पंचायती राज अनुभाग-2 के प्रस्तर 8 के क्रमांक 1 के अनुसार कन्टीजेन्सी/लेबर सेस कर का निर्धारण आंकित लागत में जी०एस०टी० जोड़ने के उपरोक्त प्राप्त लागत पर 1 प्रतिशत लेबरसेस की कटौती की जानी है । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों को भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **217603.00** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती आकांक्षा सिंह एवं लेखाकार **श्री मोती लाल पटेल** उत्तरदायी रहे। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-9 क्षेत्र पंचायत- कालाकांकर वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस जमा न किया जाना :- शासनादेश सं0-5837/33-2-2017-122जी0/17 लखनऊ दिनांक दिसम्बर दिनांक 2017 पंचायती राज अनुभाग-2 के प्रस्तर 8 के क्रमांक 1 के अनुसार कन्टीजेन्सी/लेबर सेस कर का निर्धारण आंकित लागत में जी०एस०टी० जोड़ने के उपरोक्त प्राप्त लागत पर 1 प्रतिशत लेबरसेस की कटौती की जानी है । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों को भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **231030.00** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी कु० अपर्णा सैनी और लेखाकार श्री माया शंकर तिवारी उत्तरदायी है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-10 क्षेत्र पंचायत- रामपुर संग्रामगढ़ वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों को रुपये **19547492.00** भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **195474.92** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव / श्री अस्वनी कुमार सरोज/ श्री मकसूद अहमद सिद्दीकी और लेखाकार श्री पवन कुमार यादव उत्तरदायी है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत- लालगंज वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

शासनादेश संख्या -752/36-2-10-46/2012 लखनऊ दिनांक -15 सितम्बर 2010 के अनुसार लेबर सेस निर्माण कार्यों की धनराशि का एक प्रतिशत काटकर यूपी भवन एवं अन्य संनिनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष मे जमा

किया जाना चाहिए राज्य वित्त द्वारा कराए गए कुल निर्माण धनराशि रुपए 4383000.00 का एक प्रतिशत रुपए 43830.00 जमा न करके राजस्व की क्षति कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके प्रति खंड विकास अधिकारी का नाम-श्री मुनव्वर खान (01-04-2021 से 29-11-2021) 2-श्री अश्वनी कुमार सोनकर (30-11-2021 से 31-03-2022) महेंद्र कुमार श्रीवास्तव उत्तरदाई हैं ।

प्रस्तर-12 क्षेत्र पंचायत- बाबागंज वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में पंचम राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों को रुपये **19113454.00** भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **191134.54** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार यादव / श्री जितेन्द्र कुमार और लेखाकार श्री माया शंकर तिवारी उत्तरदायी है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत- सडवा चन्द्रिका वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

आलोच्य वर्ष 2021-22 के ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार निम्न योजनाओं की धनराशि का प्रारंम्भिक व वर्ष में प्राप्त धनराशि के कुल योग का वर्ष के दौरान कोई उपभोग नहीं किया गया है जिससे सामान्य जन उक्त धनराशि से सृजित होने वाले जनोपयोगी कार्यो से लाभन्वित न हो सके जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/तत्कालीन ब्लाक प्रमुख उत्तरदायी है। अवशेष अनुदान राशि का विवरण निम्नवत है-

राज्य वित-25204510.25

केन्द्र वित- 26906508.40

कुल- 52111018.65

प्रस्तर-14 क्षेत्र पंचायत- संडवा चन्द्रिका वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में

कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा सांसद निधि एवं विधायक निधि के अंतरगत विभिन्न निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों को रुपये **1902000.00** भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **19020.00** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली – 1965 के नियम – 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम – 177 के अधीन तत्कालीन । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती शमा सिंह / श्री शरद कुमार सिंह / श्री दीपक कुमार सिंह /श्री प्रमोद कुमार सिंह और लेखाकार श्री मोती लाल उत्तरदायी है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत- बिहार वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा (केन्द्रीय वित्त + राज्य वित्त) कार्यों पर ठेकेदारों को रुपये **4835648.00** भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **48356.48** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार/ श्री सुधाकर दुबे और लेखाकार श्रीनाथ प्रजापति का दायित्व निर्धारण किया जाता है । जो गंभीर अनियमितता श्रेणी में आता है नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत- सांगीपुर वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा (केंद्रीय वित्त + राज्य वित्त) कार्यों पर ठेकेदारों को रुपये **9745383.00** भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती नहीं की गई है रुपये **97453.83** को जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा

सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती शमा सिंह/ श्री रमा शंकर और लेखाकार श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत- गौरा वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा (केन्द्रीय वित्त + राज्य वित्त +विधायक निधि) कार्यों पर ठेकेदारों को रुपये **20240681.00** भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **202406.81** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती निशा तिवारी और लेखाकार श्री शिव प्रसाद का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत- मंगरौरा वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों को रुपये **2504865.00** भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **25049.00** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती निशा तिवारी और लेखाकार श्री शिव प्रसाद का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत- आसपुर देवसरा वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में किसान सम्मान निधि प्रशासनिक मद में दिनांक 01.06.2021 का कार्य प्रभारी श्री कमलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा चेक संख्या 000195/01.06.2021 से 30000.00 प्राप्त कर किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजन में खर्च कर ग्राम रजिस्टर द्वितीय में दर्शित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष सम्बन्धित पत्रावली बार-बार मांगे जाने के वावजूद भी लेखाकार द्वारा यह कह कर टाल दिया गया की इसकी पत्रवाली नहीं मिल रही है । वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः रू 30000.00 श्री कमलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री शिव मोहन पाण्डेय और खण्ड विकास अधिकारी श्री ओंम प्रकाश मिश्रा से सयुक्त जिम्मेदारी के कारण ब्याज सहित वसूली किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत- आसपुर देवसरा वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा वर्ष में किसान सम्मान निधि प्रशासनिक मद में दिनांक 01.06.2021 का कार्य प्रभारी श्री संजय कुमार शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी ने चेक संख्या 000271/01.06.2021 से 19000.00 प्राप्त कर किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजन में खर्च कर ग्राम रजिस्टर द्वितीय में दर्शित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष सम्बन्धित पत्रावली बार-बार मांगे जाने के वावजूद भी लेखाकार द्वारा यह कह कर टाल दिया गया की इसकी पत्रवाली नहीं मिल रही है । वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करना अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः रू 19000.00 श्री संजय कुमार शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री शिव मोहन पाण्डेय और खण्ड विकास अधिकारी श्री ओंम प्रकाश मिश्रा से सयुक्त जिम्मेदारी के कारण ब्याज सहित वसूली किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत- आसपुर देवसरा वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा वर्ष में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के खाता संख्या बैंक ऑफ बडौदा ढकवा के खाता संख्या 14110100024509 दिनांक 12.04.2021 को रू0 455000.00, एवं दिनांक 01.09.2021 को 420000.00 अर्थात कुल रू0 875000.00 प्राप्त किया गया, और दिनांक 12.04.2021 से 03.09.2021 के मध्य 25 लाभर्थियों को 35000.00 की दर से रू0 875000.00 लाभर्थियों के खाते स्थानानतरित किया गया है। किन्तु इसे ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एवं तृतीय में उक्त धनराशि की प्रवृष्टि नहीं की गई है और न ही उक्त से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली प्रस्तुत की गई। कुल रू 875000.00 सयुक्त जिम्मेदारी के कारण खण्ड विकास अधिकरी श्री ओंम प्रकाश मिश्र एवं लेखाकार श्री शिव मोहन पाण्डेय तथा सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) श्री राजेन्द्र प्रसाद निषाद पर इस अनियमितता का दायित्व निर्धारित किया जाता है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त हेने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत- आसपुर देवसरा वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

अनुदान का समय से उपभोग नहीं - ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्था के द्वारा विभिन्न मदों में कुल रूपये 3687345.70 व्यय किया गया जब कि प्राप्त अनुदान रूपये 23157433.00 रहा. इस प्रकार प्राप्त अनुदान का 15.92% ही व्यय किया गया है । यदि इस प्राप्त अनुदान में 1.4.2021 को प्रारंभिक अवशेष रूपये 44966585.00 -की धनराशि को मिला लिया जाए तो कुल रूपये 68124018.85 आय मद में प्राप्त हुए । इस प्रकार वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध

धनराशि का 5.41% धनराशि ही व्यय की गयी अर्थात 31 मार्च 2022 को कुल उपलब्ध धनराशि का 95.56% रूपये 64436673.15 बचा रहा । उल्लेखनीय है कि शासन के द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है जिसका उपभोग न होने की दशा मे बाज़ार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है । वर्षांत में लगभग 95.56% की अवशेष धनराशि विकास कार्यो के अत्यंत धीमी गति से संपादन का सूचक है । यह तथ्य इस बात का भी सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर विकास खंड के प्रबंधक "खंड विकास अधिकारी" का नियंत्रण ठीक-ठाक नहीं रहा । यह विकास्तामक कार्यो के प्रति उदासीनता का भी द्योतक है । विभिन्न वर्षों में वर्षान्त अवशेष धनराशि का किन कारणों से उपभोग नहीं किया गया इसका कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत- पट्टी वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

आयकर टी.डी.एस की कटौती करके जमा न किया जाना : - वित्त पथ 2016 आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्य एवम दायित्व के उपबंध के बिंदु 11 के अनुसार और आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों वर्क कंट्रैक्ट अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति के प्रतिफल में किये गए भुगतानों के सम्बन्ध में स्रोत्र पर आयकर की कटौती भुगतान की धनराशि पर 2% की दर से की जाएगी । किसी एक बिल की धनराशि 30 हजार या इससे अधिक होने पर यह कटौती की जाएगी किन्तु प्रत्येक बार धनराशि 30 हजार से कम होने पर यह देखना आवश्यक होगा कि किस बिंदु पर उस फर्म को भुगतान की कुल धनराशि 75 हजार से ऊपर हो जाएगी ठीक उसी समय बिल से भुगतान किये गए समस्त धनराशि से 2% की कटौती सुनिश्चित की जाएगी । आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे । ऐसा किये जाने मे विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर "न काटे गए आयकर की धनराशि" के बराबर अर्थदंड / पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान है । आयकर अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को स्रोत पर काटी गई कर की राशि को नियम 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जमा कराना होता है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति स्रोत पर कर नहीं काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के अन्दर सरकारी खजाने में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उस व्यक्ति को चूक करदाता माना जाएगा तथा धारा 201 के अन्तर्गत उस के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जो स्रोत पर कर काटने के लिए दायी है, कर की पूरी राशि अथवा कोई भाग नहीं काटता है तो उस पर न काटे गए कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड (पेनल्टी) लगाई जा सकती है। कर काटने वाला व्यक्ति काटी गई कर की राशि को विलम्ब से जमा कराने की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज का दायी होगा। यह ब्याज कर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की तिथि तक लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर काटकर केन्द्रीय सरकार कोष में जमा नहीं कराता है तो उसे कम से कम 3 माह का कठोर कारावास, जिसे 7 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है।

आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों के बिलों से कुल रुपये (15965+4160+4590+4590+2626) = **31930.00** की कटौती करके संगत खाते में जमा न करके दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम प्रकाश और लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी है।नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त हेने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-24 क्षेत्र पंचायत- पट्टी वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

जी.एस.टी. टी.डी.एस की कटौती करके जमा न किया जाना : - जी एस टी प्रणाली के अंतर्गत सी जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत्र पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया

है. उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 1.10.2018 से प्रभावी है । इस सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर ने 26 सितम्बर 2018 यह निर्देशित किया है कि समस्त सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा रुपया 2.50 लाख से अधिक के सप्लाई के आदेश के विरुद्ध किये गए भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से सी जी एस टी तथा एक प्रतिशत की दर से एस जी एस टी की कटौती किया जाना अपेक्षित है तथा सप्लायर के प्रान्त से बाहर होने की दशा में 2% की दर से आई जी एस टी की कटौती किया जाना अपेक्षित है । इस कटौती हेतु टैन/पैन आधारित जीएसटी नम्बर लेना अनिवार्य है । इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सर्कुलर संख्या 65/39/2018-डीडीआर दिनांक 14.09.2018 के द्वारा जारी किये गए है ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ठेकेदारों के बिलों से जीएसटी टी डी एस की रुपये **28,613.00** की कटौती किया जाना दर्शित है परंतु इसे जमा किये जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा । इस प्रकार जीएसटी टी डी एस की धनराशि रु0 28,613.00 को संगत खाते में जमा न करके राजकीय राजस्व का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम प्रकाश और लेखाकार श्री बृजेश कुमार उत्तरदायी है।

प्रस्तर-25 क्षेत्र पंचायत- पट्टी वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में चतुर्थ राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों को रुपये 13,32,523.00 भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष लेबर सेस की कटौती करके रुपये **14,507.00** को श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम प्रकाश और लेखाकार श्री बृजेश कुमार का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-26 क्षेत्र पंचायत- पट्टी वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

अप्रयोज्य धनराशि : - विकासखंड के खातों की जाँच और ग्रांट रजिस्टर से लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि 31मार्च 2022 को निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों में धनराशि कई वर्षो से अप्रयोज्य है इसे या तो उपभोग किया जाना चाहिए था अन्यथा की दशा में इसे मूल विभाग को वापस सुनिश्चित किया जाना चाहिए था । ऐसे मद निम्नलिखित हैं -

क्रम सं.	मद का नाम	वर्ष का अंतिम अवशेष
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	155000.00
2	युवक मंगल दल प्रोत्साहन	2000.00
3	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	2000.00

4	कन्या सुमंगला योजना	2000.00
5	अटल कृषि मेला	50000.00
	योग	**211000.00**

उक्त मदों में बची धनराशि कई वर्षो से निष्प्रयोज्य पड़ी है । इस प्रकार रूपये 2,11,000.00 रोककर गंभीर अनियमितता की गयी है । यह उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम प्रकाश व राम प्रसाद और लेखाकार श्री बृजेश कुमार का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-27 क्षेत्र पंचायत- पट्टी वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

प्रमाणक विहीन व्यय : - निम्न व्यय के संबंध मे व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रही जिससे इनकी पुष्टि नहीं की जा सकी ।

क्रम सं.	मद का नाम	वर्ष का अंतिम अवशेष
1	आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण	109584.00
2	मनरेगा प्रशासनिक मद	20045.00
	योग	**129629.00**

पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक है । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री राम प्रकाश व राम प्रसाद और लेखाकार श्री बृजेश कुमार का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-28 क्षेत्र पंचायत- बाबाबेलखरनाथधाम वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

आयकर टी.डी.एस की कटौती करके जमा न किया जाना : - वित्त पथ 2016 आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्य एवम दायित्व के उपबंध के बिंदु 11 के अनुसार और आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 C के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों वर्क कंट्रैक्ट अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति के प्रतिफल में किये गए भुगतानों के सम्बन्ध में स्रोत्र पर आयकर की कटौती भुगतान की धनराशि पर 2% की दर से की जाएगी । आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि

को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे । आयकर कटौती किये जाने मे विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर "न काटे गए आयकर की धनराशि" के बराबर अर्थदंड / पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान है । आयकर अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को स्रोत पर काटी गई कर की राशि को नियम 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जमा कराना होता है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति स्रोत पर कर नहीं काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के अन्दर सरकारी खजाने में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उस व्यक्ति को चूक करदाता माना जाएगा तथा धारा 201 के अन्तर्गत उस के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जो स्रोत पर कर काटने के लिए दायी है, कर की पूरी राशि अथवा कोई भाग नहीं काटता है तो उस पर न काटे गए कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड (पेनल्टी) लगाई जा सकती है। कर काटने वाला व्यक्ति काटी गई कर की राशि को विलम्ब से जमा कराने की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज का दायी होगा। यह ब्याज कर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की तिथि तक लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर काटकर केन्द्रीय सरकार कोष में जमा नहीं कराता है तो उसे कम से कम 3 माह का कठोर कारावास, जिसे 7 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है।

आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों के बिलों से कुल रुपये **81644.00** की कटौती करके संगत खाते में जमा करने का कोई प्रमाणक / पत्रावली उपलब्ध नहीं रही । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार यादव व हरिओम गुप्ता और लेखाकार श्री उत्तम कुमार नागर का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-29 क्षेत्र पंचायत- बाबाबेलखरनाथधाम वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

जी.एस.टी. टी.डी.एस की कटौती करके जमा न किया जाना : - जी एस टी प्रणाली के अंतर्गत सी जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत्र पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया है । उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 1.10.2018 से प्रभावी है । इस सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर ने 26 सितम्बर 2018 यह निर्देशित किया है कि समस्त सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा रुपया 2.50 लाख से अधिक के सप्लाई के आदेश के विरुद्ध किये गए भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से सी जी एस टी तथा एक प्रतिशत की दर से एस जी एस टी की कटौती किया जाना अपेक्षित है तथा सप्लायर के प्रान्त से बाहर होने की दशा में 2% की दर से आई जी एस टी की कटौती किया जाना अपेक्षित है । इस कटौती हेतु टैन/पैन आधारित जीएसटी नम्बर लेना अनिवार्य है । इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सर्कुलर संख्या 65/39/2018-डीडीआर दिनांक 14.09.2018 के द्वारा जारी किये गए है ।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ठेकेदारों के बिलों से जीएसटी टी डी एस की रुपये **81644.00** की कटौती किया जाना दर्शित है परंतु इसे जमा किये जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं रहा । इस प्रकार जीएसटी टी डी एस की धनराशि रु0 81644.00 को संगत खाते में जमा करने का कोई प्रमाणक/पत्रावाली उपलब्ध नहीं रही । पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के

नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार यादव व हरिओम गुप्ता और लेखाकार श्री उत्तम कुमार नागर का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-30 क्षेत्र पंचायत- बाबाबेलखरनाथधाम वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

लेबर सेस की कटौती करके जमा न किया जाना :- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1996, कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम 2006 के अनुपालन में राज्य वित्त के अंतर्गत परियोजनाओं के स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 1% लेबर सेस की कटौती करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में कराया जाएगा । आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों पर ठेकेदारों को भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष लेबर सेस की कटौती रुपये **40822.00** करके श्रम विभाग के निर्धारित मद में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । जमा चालान एवं नक्शा प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है ।

पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता का परिचायक रहा । अभिलेख / प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली - 1965 के नियम - 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम - 177 के अधीन तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार यादव व हरिओम गुप्ता और लेखाकार श्री उत्तम कुमार नागर का दायित्व निर्धारण किया जाता है । नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-31 क्षेत्र पंचायत- बाबाबेलखरनाथधाम वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

विकासखंड के खातों की जाँच और ग्रांट रजिस्टर से लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि 31मार्च 2022 को निम्न मदों में धनराशि कई वर्षो से अप्रयोज्य है इसे या तो उपभोग किया जाना चाहिए था अन्यथा की दशा में इसे मूल विभाग को वापस सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

क्र	मद का नाम	प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
1	सांसद निधि योजना	92090.00	0.00	0.00	92090.00
2	विधायक निधि योजना	901617.00	0.00	0.00	901617.00
3	एनआरएलएम प्रशिक्षण मद	708.50	30.00	0.00	738.50
4	कन्या सुमंगला कंटीजेन्सी	4000.00	0.00	0.00	4000.00
	योग	998415.50	30.00	0.00	998445.50

उक्त मदों में बची धनराशि कई वर्षो से निष्प्रयोज्य पड़ी है । इस प्रकार रूपये 998445.50 रोककर गंभीर की गयी है । जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री उमेश कुमार यादव व हरिओम गुप्ता और लेखाकार श्री उत्तम कुमार नागर उत्तरदायी है। नियमानुसार स्पष्टीकरण न प्राप्त हेने की दशा में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-32 क्षेत्र पंचायत- सदर वर्ष-2021-22 जनपद- प्रतापगढ़

शासनदेश संख्या-752/36-2-10-46/2012 लखनऊ दिनांक -15 सितम्बर 2010 के अनुसार लेबर सेस निर्माण कार्यों की धनराशि का एक प्रतिशत काटकर यूपी भवन एवं अन्य संनिनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष मे जमा किया जाना चाहिए राज्य वित्त द्वारा कराए गए कुल निर्माण धनराशि रुपए 3485570.00 का एक प्रतिशत रुपए 34855.70 जमा न करके राजस्व की क्षति कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके प्रति - खंड विकास अधिकारी 1-डॉ अकांक्षा -सिंह (01-04-2021 से 06-01-2022) 2-श्री जी डी शुक्ला (07-01-2022 से 31-03-2022)3-लेखाकार - धनिराम पटेल उत्तरदाई हैं ।

जनपद - प्रयागराज

प्रारूप –3

क्षेत्र पंचायत

1 क्षेत्र पंचायत - कोरॉव **जनपद - प्रयागराज**

लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18 से 2021-22

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 1- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा इलाहाबाद बैंक, अयोध्या में खाता संख्या- 21959593414 एवं खाता संख्या- 21959593425 में 31 मार्च 2018 को अवशेष रूपया- 67904-00 एवं रूपये 13925-00 अंकित है, जो कि 31 मार्च 21 में बढकर क्रमशः रूपये- 74142-00 एवं 16026-00 दर्शित है। 31 मार्च 2022 में क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा उक्त खातों को माह- फरवरी 2022 में बन्द कर दिया गया किन्तु इन खातों में उपलब्ध धनराशि स्थानान्तरण/व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त दोनों खातों में शेष धनराशियों के स्थानान्तरण/व्यय की पुष्टि की वांछित अभिलेखों/व्यय प्रमाणकों से करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा उक्त धनराशियों की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकर से की जानी अपेक्षित है।

(पैरा-1)

प्रस्तर 2- वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदानों में व्यय किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख/पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गयें जिससे उक्त धनराशि के अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/ लेखाकार/जे0ई0 उत्तरदायी है।

व्यय विवरण वर्ष 2018-19 क्षेत्र पंचायत कोरॉव

क्र0सं0	अनुदान का नाम	वर्ष में व्यय
1	क्षेत्रीय सांसद निधि	157780
2	विधायक निधि	1456622
3	प्रधानमंत्री आवास	736980
4	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	2648050
	योग	**4999432**

व्यय विवरण वर्ष 2019-20 क्षेत्र पंचायत कोरॉव

क्र0सं0	अनुदान का नाम	वर्ष में व्यय
1	क्षेत्रीय सांसद निधि	817363
2	विधायक निधि	1755165
3	प्रधानमंत्री आवास	1100452
4	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	2831607
योग		**6504587**

व्यय विवरण वर्ष 2020-21 क्षेत्र पंचायत कोरॉव

क्र0सं0	**अनुदान का नाम**	**वर्ष में व्यय**
1	क्षेत्रीय सांसद निधि	1463841
2	विधायक निधि	1910180
3	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	20590
4	चौदहवॉ वित्त प्रशासनिक मद	89858
	योग	**3484469**

व्यय विवरण वर्ष 2021-22 क्षेत्र पंचायत कोरॉव

क्र0सं0	अनुदान का नाम	वर्ष में व्यय
1	क्षेत्रीय सांसद निधि	283614
2	विधायक निधि	7168600
3	शौचालय प्रशिक्षण	639236
4	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	580608
	योग	**8672058**

(पैरा-3)

प्रस्तर 3- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2019-20 में सामान्य ब्याज मद में रूपये 106125-00 वर्ष 2020–21 में रूपया 121917-00 तथा वर्ष 2021-22 में रूपया 96976-00 कुल रूपया 325018-00 व्यय किया गया है। संस्था द्वारा सामान्य ब्याज मद से किये गये उक्त व्यय का कोई विवरण/अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। सामान्य ब्याज मद से किये गये व्यय की स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। इसके अभाव में उक्त व्यय के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-4)

प्रस्तर 4- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2017-18 में विभिन्न अनुदानों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है. व्यय विवरण वर्ष 2017-18 क्षेत्र पंचायत कोरॉव

क्र0सं0	अनुदान का नाम	वर्ष में व्यय
1	क्षेत्रीय सांसद निधि	1442897
2	सामान्य ब्याज	8060
3	तेरहवॉ वित्त आयोग	717904
4	राज्य वित्त आयोग	709925
5	विधायक निधि	761484
6	आयकर कटौती	34385
7	वैट कटौती	17554
8	रायल्टी कटौती	2702
9	इंदिरा आवास कंटीजेसी	840336

10	पंचायत निर्वाचन मानदेय	96750
11	चौदहवां वित्त प्रशासनिक मद	72516
12	कटीजेंसी व्यय प्रशासनिक मद	106
13	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	3496855
	योग	**8201474**

वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत द्वारा रूपये 8201417.00 उपरोक्त योजनाओं में व्यय किया गया है। किन्तु व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गयें जिससे उक्त धनराशि के अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लेखाकारजे 0ई0 उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा-5)

प्रस्तर 5- क्षेत्र पंचायत कोरॉव की अनुदान पंजिका-तृतीय के अनुसार निर्माण कार्य अर्नेस्ट मनी योजना में माह- मार्च- 2021 में रूपये- 900-00 से व्यय कम दर्शाकर रूपये- 483173-00 के स्थान पर रूपये- 482273-00 अंकित पाया गया। इसी क्रम में रूपये- 483173-00 के स्थान पर रूपये- 482273-00 को ही वर्ष 2021-22 में ओपनिंग बैंलेस के रूप में पकडा गया तथा दिनांक 31-03-2022 को रूपया- 135744-00 के स्थान पर रूपये- 134844-00 अवशेष अंकित किया गया। बैंक स्टेटमेन्ट से अंतर का समाधान न होने की दशा में रूपये- 900-00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-6)

प्रस्तर 6- क्षेत्र पंचायत कोरॉव की अनुदान पंजिका- तृतीय के अनुसार तेरहवें वित्त योजना की धनराशि रूपये- 717904-00 को माह- सितम्बर-2017 में राज्य वित्त योजना में व्यय/स्थानान्तरित करके डाला गया है जो कि पूर्णतः अनियमित है। एक मद की योजना का पैसा बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के स्थानान्तरित/व्यय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रूपये- 717904-00 के अनियमित मदवार परिवर्तन/स्थानान्तरण/व्यय के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(पैरा-8)**

प्रस्तर 7- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक बायोगैस अनुदान योजना में रूपये 16215-00 का उपभोग/ व्यय न करके अवशेष रखा गया है। यह स्थिति सर्वथा उचित नहीं है। उक्त धनराशि को उपभोग/व्यय न किये जाने की दशा में शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार बायोगैस अनुदान में रूपये 16215-00 को अवशेष रखकर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उक्त धनराशि का दुरूपयोग करने हेतु उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-9)

प्रस्तर 8- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा पंचायत निर्वाचन मानदेय मद में दिनांक 31-03-2018 को अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार रूपये- 8250-00 अवशेष दर्शित है। उक्त मद में रूपये- 8250-00 अनुदान पंजी-तृतीय के अनुसार 31 मार्च 2022 तक वर्षवार अवशेष दर्शित है। इस प्रकार योजना की धनराशि का उपभोग/व्यय न होने की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-10)

प्रस्तर 9- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा अनुदान पंजी-तृतीय के अनुसार चौदहवें वित आयोग मद में 31 मार्च 2021 को रूपये- 385429-00 अवशेष दर्शित है। संस्था द्वारा उक्त मद में वर्ष 2021-22 में मात्र रूपये- 119-00 का व्यय अनुदान पंजिका तृतीय में दर्शित है तथा 31 मार्च 2022 को रूपये- 685310-00 अवशेष दर्शित है। यह उल्लेखनीय है कि चौदहवॉ वित्त योजना समाप्त हो चुका है। क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त मद में शेष धनराशि का उपभोग सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त न किये जाने की दशा में शासन को उक्त धनराशि वापस किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-11)

प्रस्तर 10- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार निर्माण कार्य के लिए अर्नेस्ट मनी सम्बन्धित ठेकेदारों से टेण्डर के समय ठेकेदारों से नहीं वसूली गयी है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत

तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली के नियम-24(1) के अनुसार रूपये 200 प्रति टेण्डर की दर से सम्बन्धित ठेकेदारों से अर्नेस्ट मनी की जानी अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-12)

प्रस्तर 11- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2021-22 से पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवे वित से कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की रैंडम आधार पर समीक्षा उपरान्त निम्नलिखित कमियॉ पायी गयी-

1- निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया, जिससे कार्य को समाप्त होने की पुष्टि नहीं होती है। यह उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्यनियमावली 1984 के नियम-38 का उल्लंघन है।

2- निर्माण पत्रावलियों में ठेकेदारों का सक्षम स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र तथा नवीनतम 06 माह का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

3- निर्माण पत्रावलियों में प्राक्कलन में चयैनेज वार दोनों तरफ की चौडाई की माप न दर्शाते हुए एक ही लाईन में एस्टीमेट बना दिया गया है, जो सही नहीं है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का ऑकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं है तथा पी0डबल्यू0डी0 के नियमों के विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नहीं है। प्राक्कलन के साथ कार्य का एल सेक्सन व क्रास सेक्सन तथा साईड प्लान ही संलग्न नहीं है। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-06 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित है।

4- रैंडम आधार पर समीक्षा उपरान्त निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्यो पर प्रारम्भिक प्राक्कलन से अधिक भुगतान पाया गया -

क्र0सं0	कार्य का नाम	मद का नाम	प्रा0 प्राक्कलन के अनुसार		वास्तविक भुगतान		अधिक भुगतान का अन्तर	
			मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
1	सेमरी बाघराय भाव सम्पर्क मार्ग से पंचम पटेल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य (पंचम राज्य वित्त से)	लेयिंग ऑफ कंसोलिडेशन जी एस बी ग्रेड 1	43.18 सीयूएम	57299.85	44.30 सीयूएम	58786.10	1.12	1488.25
		लेयिंग ऑफ स्टोन डस्ट इन बेस्ड ऑफ जिग-जैग पेविंग ब्लॉक एंड जॉइंट्स	21.59 सीयूएम	16645.89	22.20 सीयूएम	17116.20	0.61	470.31
		लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	431.80 एसक्यूएम	356666.80	443.40 एसक्यूएम	366248.40	11.60	9681.60
	योग	---	---	---	---	---	---	**11538.16**
2	पसाना में बाबादीन के घर से कल्लू धरकार के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य (पंचम राज्य वित्त से)	लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	195.50 एसक्यूएम	161483.00	205.62 एसक्यूएम	169842.12	10.12	8359.12
		लेयिंग ऑफ स्टोन डस्ट इन बेस्ड ऑफ जिग-जैग पेविंग ब्लॉक एंड जॉइंट्स	09.78 एसक्यूएम	7540.38	10.27 एसक्यूएम	7918.17	0.49	377.79
		लेयिंग ऑफ कंसोलिडेशन जी एस बी. ग्रेड -1	19.55 सीयूएम	25942.85	20.58 सीयूएम	27309.66	1.03	1366.81

		सीसी इन 1:2:4 विद सीमेंट सी. सौंड 20 एमएम एस. ग्रीट	0.98 सीयूएम	7301.00	0.99 सीयूएम	7375.50	0.01	74.50
		इ /डब्ल्यू इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन इंक्लूडिंग लिफ्ट अप टू 1.50एम एंड लीड अप टू 30एम	10.20 सीयूएम	1632.00	10.25 सीयूएम	1640.00	0.05	8.00
	योग	---	---	---	---	---	---	**10186.22**
3	खीरी रामगढ में कमला शंकर कोल के घर से बनवारी लाल के घर तक इण्टर लॉकिग(पंचम राज्य वित्त से)	लेयिंग ऑफ स्टोन डस्ट इन बेस्ड ऑफ जिग-जैग पेविंग ब्लॉक एंड जॉइंट्स	12.70 सीयूएम	9791.70	14.37 सीयूएम	11079.27	1.67	1287.57
		लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	254.00 एसक्यूएम	209804.00	287.47 एसक्यूएम	237450.22	33.47	27646.22
	योग	---	---	---	---	---	---	**28933.79**
4	अयोध्या में काली सडक से शंकर जी के मन्दिर तक इण्टर लॉकिग (पंचम राज्य वित्त से)	लेयिंग ऑफ स्टोन डस्ट इन बेस्ड ऑफ जिग-जैग पेविंग ब्लॉक एंड जॉइंट्स	29.21 सीयूएम	22520.91	30.30 सीयूएम	23361.30	1.09	840.39
		लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	584.20 एसक्यूएम	482549.20	605.86 सीयूएम	500440.36	21.66	17891.16
	योग	---	---	---	---	---	---	**18731.55**
5	सेमरी बाघराय में बजरंगबली रामगोपाल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य (पंचम राज्य वित्त से)	लेयिंग ऑफ स्टोन डस्ट इन बेस्ड ऑफ जिग-जैग पेविंग ब्लॉक एंड जॉइंट्स	11.50 सीयूएम	8866.50	12.70 सीयूएम	9791.70	1.20	925.20
		लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	230.00 सीयूएम	189980.00	254.22 सीयूएम	209985.72	24.22	20005.72
	योग	---	---	---	---	---	---	**20930.92**
6	कोसफरा में चन्दन चमार के घर से बनवारी लाल चमार के घर तक इण्टर लॉकिग (पंचम राज्य वित्त से)	एम-150 क्लास बी/डब्ल्यू विद सीमेंट, सी. सैंड इन 1:4	10.58 सीयूएम	53958.00	10.65 सीयूएम	54315.00	0.07	357.00
		प्लास्टर इन 1:4 सी/एफ. सैंड मोर्टार	46.00 एसक्यूएम	6440.00	47.15 एसक्यूएम	6601.00	1.15	161.00
		लेयिंग ऑफ स्टोन डस्ट इन बेस्ड ऑफ जिग-जैग पेविंग ब्लॉक एंड जॉइंट्स	12.70 सीयूएम	9791.70	13.11	10107.81	0.41	316.11
		लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	254.00 एसक्यूएम	209804.00	262.55	216866.30	8.55	7062.30
	योग	---	---	---	---	---	---	**7896.41**

7	चिरॉव पुलिया से फूलचन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिग (पंचम राज्य वित्त से)	लेयिंग ऑफ कंसोलिडेशन जी एस बी. ग्रेड -1	50.80 सीयूएम	67411.60	51.65 सीयूएम	68539.55	0.85	1127.95
		लेयिंग ऑफ स्टोन डस्ट इन बेस्ड ऑफ जिग-जैग पेविंग ब्लॉक एंड जॉइंट्स	25.40 सीयूएम	19583.40	25.85 सीयूएम	19930.35	0.45	346.95
		लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	508.00 एसक्यूएम	419608.00	516.52	426645.52	8.52	7037.52
	योग्	-	-	-	-	-	-	**8512.42**
8	सेमरी बाघराय सम्पर्क मार्ग से नान्हक के घर तक इण्ट लॉकिग (पंचम राज्य वित्त से)	लेयिंग ऑफ कंसोलिडेशन जी एस बी. ग्रेड -1	15.40 सीयूएम	20435.80	16.80 सीयूएम	22293.60	1.40	1857.80
		लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	154.00 एसक्यूएम	127204.00	167.36 एसक्यूएम	138239.36	13.36	2057.44
	योग्	-	-	-	-	-	-	**3915.24**
9	पटेहरी काली रोड से विक्रम सिंह के तालाब तक इण्टर लॉकिग कार्य (पंचम राज्य वित्त से)	ई/डब्ल्यू इन कटिंग ऑर इन फिलिंग इन ऑरडिनरी सॉयल आई /सी लीड अप 30एम& लिफ्ट अप टू 150एम आई /सी ऑल कम्प एज़ पर एसएल न०.	33.75सीयूएम	2700.00	57.08सीयूएम	4566.40	23.33	1866.40
		सी/ओ ग्रैन्युलर सब बेस बाइ प्रोवाइडिंग वेल ग्रेडिड मैटेरियल स्पेसिफिकेशन ईन यूनीफॉर्म लेयर्स विद मोलर ग्रेडर आन प्रेपयर्ड सर्फेस मिक्सिंग बाइ मिक्स ईन प्लेस मेथड विद रोटावेटर एट ओम कैंड कॅम्पेक्टिंग विद स्मूद वील रोलर टू अचीव द डिजायर्ड डेंसिटी, कम्प्लीट एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्लॉज 401(1) फ़ॉर ग्रेडिंग -1	25.00सीयूएम	35175.00	26.65सीयूएम	37496.55	1.65	2321.55
	योग्	-	-	-	-	-	-	**4187.95**
10	पवारी काली रोड से डी0सी0के घर तक इण्टर लॉकिग (पन्द्रहवॉ राज्य वित, अनटाईड से)	लेयिंग पेवर ब्लाक जिग-जैग पेविंग ब्लॉक	203.20एस क्यूएम	167843.20	203.73एस क्यूएम	168280.98	0.53	437.78
	योग्	-	-	-	-	-	-	**437.78**
11	कपासी कला में भोला सिंह पटेल के घर के पास पेयजल कूप	सीसी ईन 1:4:8 विद सीमेंट सी. सैंड 22.4-53एमएमएस.	3.24सीयूएम	13173.84	3.67 सीयूएम	14922.22	0.43	1748.38

	मरम्मत एवं कूप जगत निर्माण (पन्द्रहवॉ राज्य वित, अनटाईड से)	ब्लास्ट ईन फाउंडेशन						
	योग्	-	-	-	-	-	-	**1748.38**
12	रामपुर कलॉ कोलान बस्ती रामचन्द्र कोल के घर के पास से तालाब तक नाली निर्माण	ई/डब्ल्यू ईन एक्सवेशन ईन फाउंडेशन इनक्लूडिंग लिफ्ट अप टू 1.50एम एंड लीड अप टू 30एम	114.57 सीयूएम	18331.20	127.11 सीयूएम	20337.60	12.54	2006.40
	योग्	-	-	-	-	-	-	**2006.40**
13	राजापुर बी0डी0सी0 के घर से ननकऊ कोल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य	एम-150 क्लास बी/डब्ल्यू विद सीमेंट ली. सैंड ईन 1:4	19.41 सीयूएम	98991.00	21.09 सीयूएम	107559.00	1.68	8568.00
		प्रोवाडिंग एड लेइंग रबर मोल्डिड रिफ्लेक्टिव जिग जैग थिक 80एमएम थिक टाइल्स ऑफ प्रीकॉस्ट कम्प्रेस्ड सीसी पासिंग मिनिमम 30 एमपीएस कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आईएसआई मार्कड ब्लॉक पेवमेंट्स हैविंग थिकनेस 80 एमएम एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्लॉज 1504	633.00 सीयूएम	534885.00	646.49 सीयूएम	546284.05	13.49	11399.05
		2.5 सीएम थिक 1:2:4 प्लेन सीमेंट कंक्रीट फ्लोर विद सीमेंट अप्रूव्ड कोस्टिड सैंड एंड 2 सीएम ग्रैड अप्रूव्ड स्टोन ग्रिट विदाउट बेस कंक्रीट लेबर एंड टूल्स & प्लांटस ईटीसी रिक्वायर्ड फॉर प्रोपर कंम्पलीशन ऑफ द वर्क एक्सक्लूडिंग जीएसटी एस आई न०. 604	97.06 सीयूएम	27370.92	103.91 सीयूएम	29302.62	6.85	1931.70
	योग्	-	-	-	-	-	-	**21898.75**
14	कपूरी बैढया नाले पर पुलिया रपटा निर्माण	ई/डब्ल्यू बाइ कोर्टेज फॉर अप्रोच रोड	450.00 सीयूएम	94500.00	456.88 सीयूएम	95944.80	6.68	1444.80
	योग्	-	-	-	-	-	-	1444-80
15	राम जी शुक्ल के घर के पास पेय जल कूप जगत मरम्मत व निर्माण	सीसी ईन 1:6:2 ईन फाउंडेशन विद सी/एस & 40 एमएम एस/बी आई	4.37 सीयूएम	14858.00	4.40 सीयूएम	14960.00	0.03	102.00

		/सी/ ऑल एज पर एसआई न०.273						
	योग्	-	-	-	-	-	-	**102.00**
16	गोबरी में बन्धु निषाद के घर के पास पेयजल कूप मरम्मत व जगत निर्माण	ई/डब्ल्यू ईन एक्सकेवेशन इन फांड्स ईन मिक्स्ड सॉफ्ट आई/सी ऑल काम्प. अज पर एसआई न.251	15.64 सीयूएम	2502.24	16.92 सीयूएम	2707.20	1.28	204.96
		सीसी ईन 1:6:2 ईन फाउंडेशन विद सी/एस & 40 एमएम एस/बी आई /सी/ ऑल एज पर एस आई न.273	9.01 सीयूएम	30635.84	13.61 सीयूएम	46274.00	4.6	15638.16
		आर आर स्टोन मैसोनरी ईन 1:4 सी/एस मोर्टार ईन फाउंडेशन. एज पर एस आई न.6.14.एन.एस(ए)	11.45 सीयूएम	44647.20	12.41 सीयूएम	48399.00	0.96	3751.20
		आरअआर स्टोन मेसोनरी ईन 1:4 सी/एस मोर्टार ईन सुपर स्ट्रक्चर. एज पर एस आई न.6.14.एन.सीबी)	15.98 सीयूएम	67132.93	22.24 सीयूएम	93408.00	6.26	28275.07
		ई/डब्ल्यू कटिंग or ईन फिलिंग ईन ऑर्डिनरी सॉयल आई /सी 30एनलीड 1.50अम लिफ्ट एज पर एसआई न.253	49.90 सीयूएम	3991.72	62.31 सीयूएम	4984.80	12.41	993.08
		12 एमएम थिक प्लास्टरिंग 1:4 सीमेंट एंड सेंड मोर्टार एज पर एसआई न. 597(सी)	104.42 सीयूएम	17229.52	154.59 सीयूएम	25507.35	50.17	8277.83
	योग	-	-	-	-	-	-	**55140.30**
17	रामपुर कलॉ में रमेश पाल के घर के पास से कूप मरम्मत एवं जगत निर्माण	सीसी ईन 1:6:2 ईन फाउंडेशन विद सी/एस & 40 एमएम एस/बी आई /सी/ ऑल एज पर एसआई न.273	2.40 सीयूएम	8160.00	2.41 सीयूएम	8194.00	0.01	34.00
		आरआर स्टोन मैसोनरी ईन 1:4 सी/एस मोर्टार ईन सुपर स्ट्रक्चर. एज पर एजऑई न.6.14.एनन.एस(बी)	1.72 सीयूएम	7229.57	4.50 सीयूएम	18900.00	2.78	11670.43
	योग	-	-	-	-	-	-	**11704.00**

उपरोक्त कार्यो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 15 का उल्लघन कर बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के निर्माण कार्य के मदों मे परिवर्तन एवं विचलन किया गया तथा संशोधित प्राक्कलन भी प्रस्तुत नही किये गये। इस प्रकार परिवर्तन एवं विचलन के उपरान्त् किये गये भुगतान अनियमित है तथा अधिक भुगतान वसूली योग्य है।

उपरोक्त समीक्षा उपरान्त् वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त आयोग से कराये गये निर्माण कार्य रूपया- 8242023.00 तथा पन्द्रहवें वित्त आयोग से कराये गये समस्त निर्माण कार्य रूपया 11007145.00 कुल धनराशि- 19249168.00 का भुगतान सदिग्ध एवं अनियमित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। समस्त निर्माण कार्यो की विस्तृत जांच हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। **(पैरा-13)**

प्रस्तर 12- क्षेत्र पंचायत कोरांव जनपद- प्रयागराज द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की रैंडम आधार पर समीक्षा उपरान्त् निम्नलिखित कमियां पायी गयी:-

1- निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही पाया गया जिससे कार्य के समाप्त होने की पुष्टि नही होती है। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 38 का उल्लंघन है।

2- निर्माण पत्रालियो में चैनेजवार दोनो तरफ की चौड़ाई की माप न दर्शाते हुये एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया है जो कि सही नही है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आकलन करना सम्भव नही है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नही है, तथा लोक निर्माण विभाग के नियमो के विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नही है। प्राक्कलन के साथ कार्य का एल0 सेक्सन व क्रास सेक्सन तथा साईड प्लान भी संलग्न नही है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 06 का उल्लंघन करते हुये अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित है।

3- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 का उल्लघन कर बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के निर्माण कार्य के मदों मे परिवर्तन एवं विचलन किया गया तथा संशोधित प्राक्कलन भी प्रस्तुत नही किये गये। इस प्रकार परिवर्तन एवं विचलन के उपरान्त् किये गये भुगतान अनियमित है।

4- बडोखर में कालीकन मार्ग पर रामसिया प्रजापति के घर से कैलाश केशरी के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 171022.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द, ए0डी0ओ0, एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। उक्त कार्य के मस्टर रोल रूपया- 67054.00 की मजदूरी में 12 मजदूरो के हस्ताक्षर/अगूठे के निशान नही पाये गये। इस प्रकार उक्त मजदूरी भुगतान फर्जी है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। उक्त कार्य रूपया 10 लाख से अधिक का होने के कारण शासन की अनुमति लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही की गयी। इस प्रकार उक्त कार्य किया गया व्यय रूपया- 571241.00 अनियमित है।

5- चिरांव मुख्य सड़क से पुरूषोत्तम के घर होते हुए लल्लू पटेल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 51577.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द] ए0डी0ओ0, एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 51577.00 अनियमित है।

6- चिरांव में रोड से लाला पटेल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 63018.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द, ए0डी0ओ0 एस0 बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 63018.00 अनियमित है।

7- टीकर में हनुमान मन्दिर से राम पाल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य एवं नाली निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 33507.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द] ए0डी0ओ0] एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 33507.00 अनियमित है।

8- डील डसरी में कमलेश बी0 डी0 सी0 के घर के आगे तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 43145.00 कार्य प्रभारी श्री कमल कुमार] ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 43145.00 अनियमित है।

9- चिरांव में लल्लू कोहार के घर से श्रीकान्त आदिवासी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 28902.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द] ए0डी0ओ0, एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 28902.00 अनियमित है।

10- बड़ोखर में कालिका धाम में इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 75261.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द] ए0डी0ओ0, एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 75261.00 अनियमित है।

11- रत्यौरा करपिया सुभाष मार्ग से रामलाल कुशवाहा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 14693.00 कार्य प्रभारी श्री कमल कुमार] ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 14693.00 अनियमित है।

12- बैदवार कला मेन रोड से नरेन्द्र सिंह के घर से अजीत के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 97291.00 कार्य प्रभारी श्री कमल कुमार] ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 97291.00 अनियमित है।

13- सेमरी बाघराय मजरा भैसोड़ में इण्टर लाकिंग खड़न्जा से मजरा महादेव मुन्नीलाल कुशवाहा के घर तक डब्लू0बी0एम0 कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 186295.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द ए0डी0ओ0, एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 186295.00 अनियमित है। उक्त कार्य हेतु मेसर्स शिवम् कन्ट्रक्सन के व्यय प्रमाण संख्या- 95 दिनांक 14-01-2021 द्वारा रूपया- 340327.12 का सामान क्रय किया गया जबकि मस्टर रोल के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 10-01-2021 से आरम्भ दर्शाया गया है। साथ ही मेसर्स शिवम् कन्ट्रक्सन के व्यय प्रमाण संख्या- 112 दिनांक 14-02-2021 द्वारा रूपया- 479973.65 का सामान क्रय किया गया, जबकि मस्टर रोल के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 04-02-2021 को आरम्भ दर्शाया गया है। इससे कराये गये कार्य संदिग्ध है। साथ ही उक्त कार्य रूपया 10 लाख से अधिक का होने के कारण शासन की अनुमति लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही की गयी। इस प्रकार उक्त कार्य किया गया व्यय रूपया- 990191.00 अनियमित एवं सदिग्ध है।

उपरोक्त समीक्षा उपरान्त् वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराये गये निर्माण कार्य रूपया- 20638352.00 तथा पन्द्रहवें वित्त आयोग से कराये गये समस्त निर्माण कार्य रूपया 21969714.00 कुल धनराशि- 42608066.00 का भुगतान सदिग्ध एवं अनियमित है। इस हेतु किये गये अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-14)

प्रस्तर 13- क्षेत्र पंचायत कोरांव जनपद- प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की रैंडम आधार पर समीक्षा उपरान्त् निम्नलिखित कमियां पायी गयी:-

1- निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही पाया गया जिससे कार्य के समाप्त होने की पुष्टि नही होती है। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 38 का उल्लंघन है।

2- निर्माण पत्रालियो में चैनेजवार दोनो तरफ की चौड़ाई की माप न दर्शाते हुये एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया है जो कि सही नही है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आकलन करना सम्भव नही है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नही है तथा लोक निर्माण विभाग के नियमो के विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नही है। प्राक्कलन के साथ कार्य का एल0 सेक्सन व क्रास सेक्सन तथा साईड प्लान भी संलग्न नही है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 06 का उल्लंघन करते हुये अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित है।

3- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 का उल्लघन कर बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के निर्माण कार्य के मदों मे परिवर्तन एवं विचलन किया गया तथा संशोधित प्राक्कलन भी प्रस्तुत नही किये गये। इस प्रकार परिवर्तन एवं विचलन के उपरान्त् किये गये भुगतान अनियमित है।

4-डील उसरी में काली रोड से दूध नाथ तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 67240.00 कार्य प्रभारी श्री कमल कुमार ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। उक्त कार्य में मेसर्स आशीष टेड्रर्स के व्यय प्रमाण संख्या- 18 दिनांक 22-08-2019 से रूपया- 212221.06 कर सहित का सामान क्रय किया गया है। उक्त क्रय के लगभग 05 माह पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया गया जो कार्य को संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार उक्त कार्य पर किया गया व्यय रूपया- 424337.00 अनियमित एवं संदिग्ध है।

5- पटेहरी पूरा बहरा में पण्डित पटेल बस्ती तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 46765.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द, ए0डी0ओ0] एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। उक्त कार्य में मेसर्स राज इण्टर प्राइजेज के व्यय प्रमाण संख्या- 241 दिनांक 08-06-2020 से रूपया- 172133.98 कर सहित का सामान क्रय किया गया है। उक्त क्रय के लगभग 03 माह पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया गया जो कार्य को संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार उक्त कार्य पर किया गया व्यय रूपया- 429362.00 अनियमित एवं संदिग्ध है।

6-बी0 पी0 मार्ग से श्रीमती धनराजी देवी महिला डिग्री कालेज तक लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 83116.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द ए0डी0ओ0, एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। उक्त कार्य में मेसर्स आर0 एण्ड एन0 प्राइजेज के व्यय प्रमाण संख्या- 01 दिनांक 23-08-2019 से रूपया- 450268.28 कर सहित का सामान क्रय किया गया है। उक्त क्रय के लगभग 08 माह पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया गया जो कार्य को संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार उक्त कार्य पर किया गया व्यय रूपया-633134.00 अनियमित एवं संदिग्ध है।

7-लेड़ियारी पक्की सड़क से गैस गोदाम तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 68150-00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द, ए0डी0ओ0] एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। उक्त कार्य में मेसर्स गौरी इण्टर प्राइजेज के व्यय प्रमाण संख्या- 114 दिनांक 30-11-2019 से रूपया- 212968-11 कर सहित का सामान क्रय किया गया है। उक्त क्रय के लगभग 01 माह पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया गया जो कार्य को संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार उक्त कार्य पर किया गया व्यय रूपया- 475270-00 अनियमित एवं संदिग्ध है।

8- खाजी बिहार बस्ती से लेकर भोला पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 102394.00 कार्य प्रभारी श्री कमला शंकर बिन्द, ए0डी0ओ0, एस0बी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। उक्त कार्य के मस्टर रोल में मजदूरो के हस्ताक्षर/अगूठे के निशान नही पाये गये। इस प्रकार मजदूरी भुगतान फर्जी है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। मस्टरोल रोल उक्त कार्य में मेसर्स गौरी इण्टर प्राइजेज के व्यय प्रमाण संख्या- 107 दिनांक 22-02-2019 से रूपया- 305418.83 कर सहित का सामान क्रय किया गया है। उक्त कार्य प्रस्ताव दिनांक 19-06-2019 को क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रस्तावित एवं अनुमोदित है। उक्त कार्य के प्रस्ताव एवं अनुमोदन से पूर्व ही सामान क्रय किया गया तथा उक्त क्रय के लगभग 08 माह पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया गया जो कार्य को संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार उक्त कार्य पर किया गया व्यय रूपया- 622413.00 अनियमित एवं संदिग्ध तथा फर्जी है।
उपरोक्त समीक्षा उपरान्त् वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराये गये निर्माण कार्य रूपया- 8572856.00 तथा चौदहवें वित्त आयोग से कराये गये समस्त निर्माण कार्य रूपया 277166.00 कुल धनराशि- 8850022.00 का भुगतान सदिग्ध एवं अनियमित है। इस हेतु किये गये अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-15)

प्रस्तर 14- क्षेत्र पंचायत कोरांव जनपद- प्रयागराज द्वारा वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की रैंडम आधार पर समीक्षा उपरान्त् निम्नलिखित कमियां पायी गयी:-
1- निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही पाया गया जिससे कार्य के समाप्त होने की पुष्टि नही होती है। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 38 का उल्लंघन है।
2- निर्माण पत्रालियो में चैनेजवार दोनो तरफ की चौड़ाई की माप न दर्शाते हुये एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया है जो कि सही नही है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आकलन करना सम्भव नही है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नही है तथा लोक निर्माण विभाग के नियमो के विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नही है। प्राक्कलन के साथ कार्य का एल0 सेक्सन व क्रास सेक्सन तथा साईड प्लान भी संलग्न नही है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम- 06 का उल्लंघन करते हुये अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान अनियमित है।
3- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 का उल्लघन कर बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के निर्माण कार्य के मदों मे परिवर्तन एवं विचलन किया गया तथा संशोधित प्राक्कलन भी प्रस्तुत नही किये गये। इस प्रकार परिवर्तन एवं विचलन के उपरान्त् किये गये भुगतान अनियमित है।
4- डील उसरी में हरी लाल के घर के सामने स्थित कूप की मरम्मत एवं जगत निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 18666.00 कार्य प्रभारी श्री नागेन्द्र कुमार, पदनाम- बी0 टी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टररोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 18666.00 अनियमित है। साथ ही क्षेत्र पंचायत की बैठक दिनांक 19-06-2019 को उक्त कार्य को प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया गया है। जबकि उक्त कार्य हेतु मेसर्स आशीष ट्रेडर्स के व्यय प्रमाणक संख्या- 1151 दिनांक 01-06-2019 द्वारा रूपया- 74105.00 का सामान क्रय किया गया तथा मस्टर-रोल में उक्त कार्य दिनांक 01-06-2019 को आरम्भ दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य के अनुमोदन के पूर्व ही सामान का क्रय एवं कार्य आरम्भ किया गया। जो कि अनियमित है। इस प्रकार रूपया- 97566.00 का व्यय अनियमित है। साथ ही उपरोक्त व्यय प्रमाणक रूपया- 74105.00 के सापेक्ष किया

गया भुगतान रूपया- 78900-00 गलत पाया गया क्योकि जी0 एस0 टी0 का आकलन सही नही पाया गया। व्यय प्रमाणक रूपया 82997.00 से पारित किया गया जो कि व्यय प्रमाणक की स्थिति को और भी सदिग्ध बनाता है।

5- विकास खण्ड मुख्यालय पर खण्ड विकास अधिकारी कक्ष का विस्तारीकरण कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 43925.00 कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, पदनाम- लेखाकार को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टर-रोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 43925.00 अनियमित है। साथ ही उक्त कार्य के मस्टर-रोल रूपया- 43925.00 की मजदूरी में 25 मजदूरो के हस्ताक्षर/अगूठे के निशान नही पाये गये। इस प्रकार उक्त मजदूरी भुगतान फर्जी है। इस प्रकार मेसर्स गौरी इण्टर प्राइजेज से व्यय प्रमाणक संख्या- 02 दिनांक 25-05-2018 एवं प्रमाण संख्या- 04 दिनांक 30-06-2018 द्वारा क्रय की गयी उक्त कक्ष विस्तारीकरण सामग्री रूपया 274137.00 का क्रय सदिग्ध एवं फर्जी है।

6- बड़ोखर में जवाँ बाध पक्की सड़क से शेवरी कालेज तक इण्टर लाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान रूपया- 245722.00 कार्य प्रभारी श्री नागेन्द्र कुमार सिंह] पदनाम- बी0 टी0 को किया गया है। जो कि अनियमित है। मजदूरी का भुगतान मस्टर-रोल के अनुसार सम्बन्धित मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त कार्य में मजदूरी में किया गया भुगतान रूपया- 245722.00 अनियमित है। साथ ही उक्त कार्य के मस्टर-रोल रूपया- 56154.00 की मजदूरी में 10 मजदूरो के हस्ताक्षर/अगूठे के निशान नही पाये गये। इस प्रकार उक्त मजदूरी भुगतान फर्जी है।

उपरोक्त समीक्षा उपरान्त् वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग से कराये गये निर्माण कार्य रूपया- 12257134.00 का भुगतान सदिग्ध एवं अनियमित है। इस हेतु किये गये अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-16)

प्रस्तर 15- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2017-18
01	सांसद निधि	1442897-00
02	तेरहवॉ वित्त	717904-00
03	राज्य वित्त	709925-00
04	विधायक निधि	761484-00
05	चौदहवॉ वित्त	72516-00
	योग	3704726-00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 3704726-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुॅचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रूपया- 3704726-00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रूपया- 37047.26 की कटौती न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-17)

प्रस्तर 16- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2018-19
01	सांसद निधि	157780-00
03	राज्य वित्त	12257134-00
04	विधायक निधि	1456622-00
05	चौदहवॉ वित्त	5518-00
	योग	13877054-00

संस्था द्वारा

आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 13877054-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुॅचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रूपया- 13877054-00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रूपया- 138770.54 की कटौती न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-18)

प्रस्तर 17- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2019-20
01	सांसद निधि	817363-00
03	राज्य वित्त	8572856-00
04	विधायक निधि	1755165-00
05	चौदहवॉ वित्त	277166-00
	योग	11422550-00

संस्था द्वारा

आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 11422550-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुॅचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रूपया- 11422550-00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रूपया- 114225.50 की कटौती न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-19)

प्रस्तर 18- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2020-21
01	सांसद निधि	1463841-00
02	राज्य वित्त	20638352-00
03	विधायक निधि	1910180-00
04	चौदहवॉ वित्त	89858-00

05	पन्द्रहवॉ वित्त	21969714-00
योग		46071945-00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 46071945-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुॅचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रूपया- 46071945-00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रूपया- 460719.45 की कटौती न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-20)

प्रस्तर 19- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2021-22
01	सांसद निधि	283614-00
02	राज्य वित्त	8242023-00
03	विधायक निधि	7168600-00
04	पन्द्रहवॉ वित्त	11007145-00
योग		26701382-00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 26701382-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुॅचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रूपया- 26701382-00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रूपया- 267013.82 की कटौती न करने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। **(पैरा-21)**

प्रस्तर 20- क्षेत्र पंचायत कोरांव की अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2021-22 में माह- अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2021 तक जी0एस0टी0 की कटौती का विवरण अंकित नही किया गया है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। **(पैरा-22)**

प्रस्तर 21- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2017-18
01	सांसद निधि	1442897-00
02	तेरहवॉ वित्त	717904-00
03	राज्य वित्त	709925-00
04	विधायक निधि	761484-00
05	चौदहवॉ वित्त	72516-00
योग		3704726-00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 3704726-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से वैट/जी0एस0टी0 (01 अप्रैल 17 से 30 जून 2017 तक वैट एवं 01 जुलाई 17 से 31 मार्च 18 जी0एस0टी) की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में वैट/जीएसटी (01 अप्रैल 17 से 30 जून 2017

तक वैट एवं 01 जुलाई 17 से 31 मार्च 18 जी0एस0टी) कटौती रूपये 17554-00 की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से वैट/जी0एस0टी0 (01 अप्रैल 17 से 30 जून 2017 तक वैट एवं 01 जुलाई 17 से 31 मार्च 18 जी0एस0टी) कटौती रूपये 74094.52 की जानी थी। इस प्रकार वैट/जी0एस0टी0 कटौती रूपये 56540.52 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-23)

प्रस्तर 22- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2018-19
01	सांसद निधि	157780-00
03	राज्य वित्त	12257134-00
04	विधायक निधि	1456622-00
05	चौदहवॉ वित्त	5518-00
योग		13877054-00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 13877054-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से जीएसटी की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार जीएसटी कटौती नहीं की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से जीएसटी कटौती रूपये- 277541.08 की जानी थी। इस प्रकार जी0एस0टी0 कटौती रूपये- 277541.08 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पैरा-24)

प्रस्तर 23- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2019-20
01	सांसद निधि	817363-00
03	राज्य वित्त	8572856-00
04	विधायक निधि	1755165-00
05	चौदहवॉ वित्त	277166-00
योग		**11422550-00**

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 11422550-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से जीएसटी की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार जी0एस0टी0 कटौती नहीं की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 कटौती रूपये 228451.00 की जानी थी। इस प्रकार जी0एस0टी0 कटौती रूपये 224851.00 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पैरा-25)

प्रस्तर 24- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2020-21

01	सांसद निधि	1463841-00
02	राज्य वित्त	20638352-00
03	विधायक निधि	1910180-00
04	चौदहवॉ वित्त	89858-00
05	पन्द्रहवॉ वित्त	21969714-00
योग		**46071945-00**

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 46071945-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार जी0एस0टी0 कटौती नहीं की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 कटौती रूपये 921438.9 की जानी थी। इस प्रकार जी0एस0टी कटौती रूपये- 921438.9 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। । **(पैरा-26)**

प्रस्तर 25- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2021-22
01	सांसद निधि	283614-00
02	राज्य वित्त	8242023-00
03	विधायक निधि	7168600-00
04	पन्द्रहवॉ वित्त	11007145-00
योग		**26701382-00**

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 26701382-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में जी0एस0टी0 कटौती रूपये 436422-00 की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 कटौती रूपये 534027.64 की जानी थी। इस प्रकार जी0एस0टी0 कटौती रूपये 97605.64 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पैरा-27)

प्रस्तर 26- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2017-18
01	सांसद निधि	1442897-00
02	तेरहवॉ वित्त	717904-00
03	राज्य वित्त	709925-00
04	विधायक निधि	761484-00
05	चौदहवॉ वित्त	72516-00
योग		**3704726-00**

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 3704726-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दोप्रतिशत की दर से टी0डी0एस0/आयकरकी कटौती की जानी चाहिए थी।संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में टीडीएस/आयकर कटौती रूपये- 34385-00 की गयी गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपया- 74094.52 की जानी थी। इस प्रकार टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपया- 39709.52 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। **(पैरा-28)**

प्रस्तर 27- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2018-19 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2018-19
01	सांसद निधि	157780-00
03	राज्य वित्त	12257134-00
04	विधायक निधि	1456622-00
05	चौदहवॉ वित्त	5518-00
योग		**13877054-00**

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 13877054-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0/आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपये- 212451-00 की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस/आयकर कटौती रूपये- 277541.08 की जानी थी। इस प्रकार टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपये- 65090.08 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। **(पैरा-29)**

प्रस्तर 28- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2019-20
01	सांसद निधि	817363-00
03	राज्य वित्त	8572856-00
04	विधायक निधि	1755165-00
05	चौदहवॉ वित्त	277166-00
योग		**11422550-00**

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 11422550-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0/आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपये- 184360-00 की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपये- 228451.00 की जानी थी। इस प्रकार टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपये- 44091.00 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पैरा-30)

प्रस्तर 29- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2020-21

01	सांसद निधि	1463841-00
02	राज्य वित्त	20638352-00
03	विधायक निधि	1910180-00
04	चौदहवॉ वित्त	89858-00
05	पन्द्रहवॉ वित्त	21969714-00
योग		**46071945-00**

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 46071945-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0/आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में टीडीएस/आयकर कटौती रूपये- 756824-00 की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस/आयकर कटौती रूपये- 921438.90 की जानी थी। इस प्रकार टीडीएस/आयकर कटौती रूपये- 164614.9 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पैरा-31)

प्रस्तर 30- क्षेत्र पंचायत कोरॉव द्वारा वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजी तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया-

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2021-22
01	सांसद निधि	283614-00
02	राज्य वित्त	8242023-00
03	विधायक निधि	7168600-00
04	पन्द्रहवॉ वित्त	11007145-00
योग		**26701382-00**

संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में व्यय रूपया- 26701382-00 किया गया। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार दो प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0/आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपये- 478725-00 की गयी। जबकि 2 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपये- 534027.64 की जानी थी। इस प्रकार टी0डी0एस0/आयकर कटौती रूपये- 55302.64 कम की गयी। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पैरा-32)

2 क्षेत्र पंचायत - प्रतापपुर **जनपद - प्रयागराज**

लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-2021

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 31 क्षेत्र पंचायत प्रतापपुर द्वारा वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त आयोग द्वारा निश्न व्यय का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया

क्र	दिनांक		विवरण	धनराशि
1	06-10-20	राज्य वित्त	अनुवा में हण्डिया रोड से आरआरसी रोड राम उपाध्याय के पर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय	740852.00
2	06-10-20	राज्य वित्त	भोगवारा में रामसजीवन के पर में मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय	746518.00

			योग	**1487370.00**

संस्था द्वारा उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक यथा कैश मेमों, विल इनवाईस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल, एस्टीमेट वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कापूर्ति प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन व विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी, लेखाकार थी तीर्थराज तिवारी एवं कार्य प्रभारी थी विक्रम प्रसाद से रू 1487370.00 मय ब्याज सहित बराबर बराबर बसूली का दायित्व निर्धारित किया जाता है। (मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर (32) क्षेत्र पंचायत प्रतापपुर द्वारा वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त आयोग द्वारा निम्न व्यय का कोई विवरण उपलब्ध नाहीं कराया गयाः

क्र	दिनांक		विवरण	धनराशि
1	17-07-20	राज्य वित्त	पिलखिनी में महेन्द्र मिश्रा के मशीन से आत्माराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	299697.00
2	17-07-20	राज्य वित्त	पतवा मुतफर्का में जंघई वरना मार्ग से अशोक पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	202674.00
			योग	**502371.00**

संस्था द्वारा उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक यथा कैश मेमों, विल इनवाईस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल, एस्टीमेट वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तया सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी, लेखाकार थी तीर्थराज तिवारी एवं कार्य प्रभारी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से रु0 502371.00 मय ब्याज सहित बराबर बराबर वसूली किया जाना अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर (33) क्षेत्र पंचायत प्रतापपुर द्वारा वर्ष 2020-2021 में राज्य वित्त आयोग द्वारा निश्न व्यय का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गयाः-

क्र	दिनांक		विवरण	धनराशि
1	18-7-20	राज्य वित्त	भोगवारा में चन्द्रप्रकाश के घर से बन्धनपुर पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य	202698.00
2	17-07-20	राज्य वित्त	रायपुर में सुरेन्द्र सिंह के घर से जय करन सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	199210.00
3		राज्य वित्त	लोगीडीह में रामलोचन मिश्रा के घर से बरना जंघई मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	171446.00
			योग	573354.00

संस्था द्वारा उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक यथा कैश मेमों, विल इनबाईस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल, एस्टीमेट वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी, लेखाकार श्री तीर्थराज तिवारी एवं कार्य प्रभारी श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव से रु0573354.00 मय ब्याज सहित बराबर बराबर वसूली किया जाना अपेक्षित है **(मूल आपत्ति संख्या-5)**

प्रस्तर **(34)** संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 12108594.00 किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते हुए गंभीर वित्तिय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार सामग्री व्यय रु0 12108594.00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर मेस रु0 121086.00 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शित्र लेबर विभाग के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार को बराबर-बराबर रुप से जिम्मेदार किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति संख्या -7)**

प्रस्तर **(35)** 31-03-2021 का अन्तिम अवशेष रु0 17958227.00 को प्रयुक्त न कर शासनादेशों का उल्लघंन कर गंभीर अनियमितता किया गया है। उक्त धनराशि को राज्य सरकार को वापस किए जाने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी, श्रीमती मृदुला एवं लेखाकार थी तीर्थराज तिवारी को बराबर रुप से उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति संख्या -2)**

3 क्षेत्र पंचायत- प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 36- क्षेत्र पंचायत प्रतापपुर द्वारा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त आयोग द्वारा निम्न व्यय का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गयाः-

क्रम.	दिनांक	वाउचर नं	विवरण	धनराशि रु0
1	05-02-2022	5वॉ एफसी/21-22पी/9	वरना मार्ग पर लोकचरन के घर से अशोक हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग	667788.00
2	07-02-2022	5वॉ एफसी/21 22 पी/10	जंघई दुर्गागंज में शंकर जी के मन्दिर तक ईण्टरलाकिंग	710674.00
3	07-02-2022	5वॉ एफसी /21-22 पी/11	खण्ड विकास अधिकारी के निवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई पर व्यय	413721.00
			योग	**1792183.00**

संस्था द्वारा उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक यथा कैश मेमों,विल इनवाईस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल,एस्टीमेट वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174

केविपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीशुभम यादव एवं लेखाकार श्री अजय श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

(पैरा 3)

प्रस्तर 37 - क्षेत्र पंचायत प्रतापपुर द्वारा वर्ष 2021-2022 में केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा निम्न व्यय का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गयाः-

क्र	दिनांक	वाउ नं	विवरण	धनराशि रु0
1	05-02-2022	XVवित्त आयोग /21-22पी/1	पूरे मिश्रा में पक्की सड़क से हनुमान मन्दिर तक ईण्टरलाकिंक कार्य	497079.00
2	07-02-2022	XVवित्त आयोग /21-22पी/1	पिलखिनी में पिच रोड से राजकिशोर मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंक कार्य	404850.00
			योग	901929.00

संस्था द्वारा उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी पुष्टि प्रमाणक यथा कैश मेमों,विल इनवाईस, सप्लाई आदेश, मस्टर रोल,एस्टीमेट वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 केविपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शुभम यादव एवं लेखाकार श्री अजय श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

(पैरा 4)

प्रस्तर 38- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रतिभूति की धनराशि रु0- 1175520.00 को निविदाकर्ताओं को वापस किया गया है।यह धनराशि किन किन निविदाकर्ताओं को वापस किया गया इसका विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया जो कि अपेक्षित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीशुभम यादव एवं लेखाकार श्री अजय श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

(पैरा 5)

प्रस्तर 39- आलोच्य वर्ष की अनुदान रजिस्टर तृतीय की जॉच में पाया गया कि, निम्न मदों का अंतिम अवशेष अनप्रयुक्त पड़ा रहाः-

क्रम 0	मद का नाम	अंतिम अवशेष 31-03-2022 को
1	ब्याज	443434.32
2	राज्य वित्त	13032615.00
3	राज्य वित्त ब्याज	292003.00
4	सांसद निधि	356439.00
5	अस्थायी गौवंश	5601.00
6	प्रतिभूति की धनराशि	78720.00
7	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	20000.00
8	केन्द्रीय वित्त	21244741.00
9	केन्द्रीय वित्त ब्याज	528753.00
10	विधायक निधि	201195.00

11	प्रधानमंत्री संगोष्ठी	92482.00
12	अनुरक्षण मद	612500.00
	योग	**36908483.32**

यह धनराशि आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में लगातार अप्रयुक्त पड़ा रहा। इन मदों में जमा धनराशि को सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(पैरा 7)**

प्रस्तर 40- वर्ष आलोच्य में क्षेत्र पंचायत स्तर पर ठेकेदारों के विलों सें काटी गई टी0 डी0 एस0 राशि रु0 39769.00 एवं जी0एस0 टी0 अन्तर्गत प्राप्त की गयी राशि रु0 393508.00 की जमा की पुष्टि में चालान रशीद आदि उपलब्ध नहीं रहे, जिसके फलस्वरुप उक्त धनराशि के जमा होने की पूर्ण पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शुभम यादव एवं लेखाकार श्री अजय श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 8)

प्रस्तर 41- संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 7021080.00 किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते हुए गंभीर वित्तिय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार सामग्री व्यय रु0- 7021080.00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0- 70210.80 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शिघ्र लेबर विभाग के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार को बराबर-बराबर रुप से जिम्मेदार किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 11)

प्रस्तर 42- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर की धनराशि रु0 229881.00 को अप्रैल 2021 में जमा दर्शाया गया है। किन्तु उक्त जमा का चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त जमा की पुष्टी नहीं हो सकी। पुष्टी कराया जाना अपेक्षित रहा। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शुभम यादव एवं लेखाकार श्री अजय श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा12)

4 क्षेत्र पंचायत- सहसों जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्तियों का विवरण

2021-22

प्रस्तर 43- क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा कराये जाने के संदर्भ में शासनादेश संख्या आडिट 1598/दस/2011-322(9) दिनांक 25.07.2011, आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक-805/संप्रेक्षा/क्षेत्र पंचायत ऑडिट/2011-2012, पत्रांक-1013/संप्रेक्षा क्षेत्र पंचायत आडिट/ 2012 दिनांक 09.01.2012 एवं पत्रांक- 1257/संप्रेक्षा अनु0/ ऑडिट / सह0 समि0 एवं पंचायत/2017-18 दिनांक 20.11.2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि लेखा परीक्षा दल को क्षेत्र पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराते हुए क्षेत्र पंचायत की शत प्रतिशत लेखा परीक्षा पूर्ण कराई जाये। किन्तु कई बार पत्र द्वारा सूचित करने लिखित एवं मौखिक सूचना दिए जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं रहे।

अतः ग्रान्ट III में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि 5167121.00 पर अधिभार की कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधाकर दुबे (31.10.2021 से 31.03.2022 तक) एवं लेखाकार श्री सोनू सिन्हा जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

क्र0	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1	राज्य वित्त आयोग	4605296.00
2	मनरेगा प्रशासिनक	29500.00
3	प्रशासनिक मद	310050.00
4	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	222000.00
5	अर्जित ब्याज एवं चार्जेज	275.00
योग		**5167121.00**

(पैरा-1)

प्रस्तर 44- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत, अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0-16949743-00 जो वर्षान्त में 31-03-2022 को भी उक्त राशि अंकन 16949743-00 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। उक्त के विषय में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि का समय से निस्तारण अपेक्षित रहा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती कविता तिवारी एवं श्रीमती दिव्या सिंह तथा श्री सुधाकर दुबे, लेखाकार- श्री सोनू सिन्हा जिम्मेदार है। **उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है**

(पैरा-2)

5- क्षेत्र पंचायत - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2019 -2020

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 45 प्रस्तर 1 लेखापरीक्षा में निर्माण पत्रावली की जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिल से सम्बन्धित लेबर सेस 1 प्रतिशत एवं जीएसटी 2 प्रतिशत की धनराशि की कटौती नहीं की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि राजकीय धनराशि की अनियमितता खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीश गुप्ता व लेखाकार श्री यज्ञ श्री धमेन्द्र द्वारा किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है -

क्र०	कार्य का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	लेबर शेष 1 प्रतिशत	जीएसटी 2 प्रतिशत	ठेकेदार को जी०एस०टी० 12 प्रतिशत का भुगतान	लेबर शेष व जी०एस०टी० का योग
1.	ग्राम सभा पौड़न में रसीद के घर से बद्रा प्रसाद के घर होते हुए हरिशंकर के घर तक	455675.00	4557.00	8137.00	48882.00	12694. 00

	इण्टरलाकिंग का कार्य					
2.	संग्राम पट्टी में राजेन्द्र सिंह के घर से पक्की सडक तक इण्टरलाकिंग का कार्य	355130.00	3551.00	6342.00	38049.00	9893.00
3	मकसूदना में राधेश्याम के दरवाजे से वीरेश यादव के घर से होते हुए एकान्त बहादुर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	439256.00	4393.00	7844.00	47063.00	12237.00
4	बढ़ौली में पक्की सड़क से लालचन्द हरिजन के घर से मंगला मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	257160.00	2572.00	4592.00	27553.00	7164.00
5	ग्राम सभा रसूलपुर में सन्तोष सिंह के गेट से रमेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	284978.00	2889.00	5089.00	30533.00	7939.00
6	ढ़ुदुआ ने पक्की सड़क से इन्द्रजीत बी.डी.सी. के घर होते हुए गनेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	385916.00	3859.00	6891.00	41348.00	10750.00
	योग	**2178115.00**	**21782.00**	**38895.00**	**233428.00**	**60677.00**

(i) उपरोक्त दर्शित कार्यों में जीएसटी अधिनियम 2017 के अन्तर्गत धारा 5 में 2.5 लाख से अधिक के सप्लाई पर आपूर्तिकर्ता के बिल से 2 प्रतिशत जीएसटी की कटौती की जायेगी जिसे जीएसटी कार्यालय में ऑनलाइन जीएसटी जमा किया जायेगा किन्तु उक्त नियम का पालन न कर आपूर्तिकर्ता को 12 प्रति "गत का भुगतान कर दिया गया है तथा ऑनलाईन /आफलाईन जीएसटी जमा किये जाने का कोई प्रमाणक भी संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, यदि 2 प्रतिात जीएसटी कटौती कर जीएसटी जमा किया गया होता तो जीएसटी की पूरी जानकारी ऑनलाईन जॉच की जा सकती थी किन्तु धनराशि की कटौती न किये जाने के कारण जीएसटी जमा का कोई साक्ष्य न होने के कारण जीएसटी जमा किये जाने की पुष्टि नहीं होती अतः स्पष्ट है कि राजकीय राजस्व का अनियमित व्यय श्री के०के० भाडेय ख०वि०अ० एवं श्रीमती सपना अवस्थी ०वि० अ० एवं श्री मृदुला ख०वि०अ० एवं श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से रू० 233428.00 की वसूली बराबर-बराबर दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(ii) उपरोक्त दर्शित विवरण में लेवर सेस की धनराशि रू0 21782.00 को आपूर्तिकर्ता के बिल से कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। शासनादेश संख्या 362/9 9-2016- 165 / 13 दिनांक 03 मार्च 2016 के क्रम में भवन एवं सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का 1 प्रतिशत देय उपकर उ०प्र० भवन एवं सन्निनिर्माण कार्य कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किया जाना अनिवार्य है किन्तु उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। अतः रू० 21782.00 की वसूली श्री के०के० पाण्डेय ख०वि०अ० एवं श्रीमती सपना अवस्थी ख०वि० अ० एवं श्री मृदुला ख०वि०अ० एवं श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से बराबर-बराबर दण्डात्मक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर **46** उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 21 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि टेण्डर प्रकाशन तिथि से कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जायेगा किन्तु उक्त नियम का पालन न कर मनमाने ढंग से टेण्डर का प्रकाशन कर निविदा आमन्त्रित की गयी है विवरण निम्नवत है:-

क्र०	**कार्य का नाम**	**निविदा प्रकाशन तिथि**	**टेण्डर आमंत्रण तिथि**	**व्यय कृत लागत**
1	ग्राम सभा पौडन में रसीद के घर से बद्री प्रसाद के घर होते हुए हरिशंकर के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	06-07-2019	20-07-2019	550830.00
2	संग्राम पट्टी में राजेन्द्र सिंह के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग का कार्य-	06-07-2010	20-07-2019	427010.00
3	मकसूदना में राधेश्याम के दरवाजे से वीरेश यादव के घर से होते हुए एकान्त बहादुर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	06-07-2010	20-07-2019	529391.00
4	बढ़ौली में पक्की सड़क से लालचन्द हरिजन के घर से मंगला मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	06-07-2010	20-07-2019	311070.00

5	ग्राम तना रसूलपुर में सन्तोष सिंह के गेट से रमेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	06-07-2010	20-07-2019	349498.00
6	ढुढुआ में पक्की सड़क से इन्द्रजीत बी.डी.सी. के घर होते हुए गनेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	06-07-2010	20-07-2019	478276.00
			योग	**2646075.00**

उपरोक्त दर्शित कार्य विज्ञापन में तीन सप्ताह का समय नियमानुसार नहीं दिया गया है जिससे ठेकेदारों पर प्रतिस्पर्धा न होने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाकर रू० 2646075.00 का गम्भीर वित्तीय अनियमितता श्री के०के० पाण्डेय ख०वि०अ० एवं श्रीमती सपना अवस्थी ख०वि० अ० एवं श्री मृदुला ख०वि०अ० एवं श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव लेखाकार द्वारा की गयी है जिनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-2)

6 क्षेत्र पंचायत- **सैदाबाद** जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 47- वर्ष आलोच्य में क्षेत्र पंचायत स्तर पर ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी आयकर राशि दिनांक 01-04-2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू0- 120283-00 वर्ष मे प्राप्त रु0 186328-00 एवं वर्ष मे उपभोग रु0 140199-00 की जमा/उपभोग की पुष्टि में चालान रसीद/प्रमाणक आदि उपलब्ध नही रहे, जिसके फलस्वरूप उक्त राशि के जमा होने की पूर्ण पुष्टि नही की जा सकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही उपरोक्त में क्रमशः रुपया 140199.00 उपभोग दर्शित है उपरोक्त मदों में आयकर से प्राप्त धनराशि के उपभोग किए जाने का औचित्य अस्पष्ट है खंड विकास अधिकारी- 1 श्री श्रीश गुप्ता, 2 श्री विकास शुक्ला, 3 श्री गौरवेंद्र सिंह, लेखाकार - 1 श्री सचिन कुमार, 2 श्री अमित भास्कर जिम्मेदार है उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-1)

प्रस्तर 48- आलोच्य वर्ष राज्य वित्त से रुपया- 830308.00 जालापुर में उमाशंकर के हास्पीटल से शिवधारी बिंद के घर तक इंटरलाकिंग के कार्य पर किये गये व्यय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। नियमानुसार अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर गबन माना जाता है जिसकी वसूली बराबर खंड विकास अधिकारी श्री गौरवेंद्र से रू0 415154.00 एवं वरिष्ट लेखाकार श्री अमित भास्कर से रू0- 415154.00 बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

(पैरा-2)

प्रस्तर 49 - लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रू०- 2,70,000-00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग- 3 के शासनादेश सं० 161/2017/44 वी०आई०पी०/26.03.2017-4(88)/93 टी सी /लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्ते व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना उक्त धन के अपहरण का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न

कराये जाने की स्थिति में उक्त धन के अपहरण की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खंड विकास अधिकारी- श्री गौरवेंद्र एवं लेखाकार- श्री अमित भास्कर का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा-3)

प्रस्तर 50- लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि अनुदान पंजी भाग - 03 में जमानत एवं फार्म बिक्री मद एक साथ ही प्रविष्टि कर दी गयी है । दिनांक 01-04-2021 को इस संयुक्त मद में रू 663286.00 अवशेष दर्शाया गया था। आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजी 03 में इस मद में आय रू.194380.00 एवं रू 3800.00 व्यय दिखाया गया । इस प्रकार 31-03-2022 को रू. 853866.00 अवशेष रहे । लेखा परीक्षा में जमानत पंजी तथा फार्म बिक्री पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी । नियमानुसार जमानत मद तथा फार्म बिक्री से आय अलग अलग दिखाना चाहिए था तथा जमानत नियमानूसार वापस की जानी चाहिए थी एवं फार्म बिक्री से आय शासन के खाते में जमा की जानी चाहिए थी । विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस गंभीर अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है जिससे रू. 861466-00 का वर्षवार वर्गीकरण कर उचित मद में प्रविष्टि कर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा सके । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-15)

प्रस्तर 51- वर्ष आलोच्य में क्षेत्र पंचायत स्तर पर ठेकेदारों के बिलों से टी0 डी0 एस0/ जी0 एस0 टी0 दिनांक 01-04-2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू0- 107392-00 वर्ष मे प्राप्त रु0 166369-00 एवं वर्ष मे उपभोग रु0 245923-00 की जमा/उपभोग की पुष्टि में चालान रसीद/प्रमाणक आदि उपलब्ध नही रहे, जिसके फलस्वरूप उक्त राशि के जमा होने की पूर्ण पुष्टि नही की जा सकी । यह गंभीर अनियमितता है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी- 1 श्री श्रीश गुप्ता, 2 श्री विकास शुक्ला, 3 श्री गौरवेंद्र सिंह, लेखाकार - 1 श्री सचिन कुमार, 2 श्री अमित भास्कर जिम्मेदार है उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-16)

7 क्षेत्र पंचायत- सोरॉव जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20 से 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 52- क्षेत्र पंचायत सोरॉव द्वारा 23-06-2020 को उ0 प्र0 ग्रामीण मिशन योजना के तहत भिन्न-भिन्न तिथियों को समूह सखियों के बैठक के आयोजन एवं खाने- पीने पर खर्च रु0- 15540.00 दिनांक- 23-06-2020 चेक नम्बर 064847 द्वारा श्री जगपति प्रजापति प्रबन्धक ब्लाक मिशन को किया गया है। इस व्यय से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक, विल इनवाइस तथा इस व्यय से संबंधित कोई भी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस धनराशि को गबन मानते हुए लेखाकार श्री मदन पटेल एवं श्री जगपति प्रजापति से बराबर-बराबर मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-1)

प्रस्तर 53- क्षेत्र पंचायत सोरॉव द्वारा उ0 प्र0 ग्रामीण मिशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 25-06-2020 को चेक नम्बर- 064848 द्वारा रु0- 20,000.00 एवं दिनांक- 05-09-2020 के चेक नम्बर- 066333.00 द्वारा रु0- 20,000.00 निष्क्रिय समूहों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण हेतु श्री जगपति प्रजापति ब्लाक मिशन प्रबन्धक को भुगतान किया गया है।इस भुगतान से संबंधित कोई भी पत्रावली यथा व्यय प्रमाणक प्रशिक्षण हेतु आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुल रु0 40,000.00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी वसूली मय ब्याज लेखाकार श्री मदन पटेल एवं श्री जगपति प्रजापति से बराबर- बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-2)

प्रस्तर 54- क्षेत्र पंचायत सोरॉव के इन्द्राआवास कण्टीजेन्सी/प्रधानमंत्री आवास कण्टीजेन्सी के अन्तर्गत दिनांक 27-06-2019 को जीप संख्या- यूएमवी-3926 में यात्रा हेतु डीजल भरवाने के लिए रु0- 30,000.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अस्मिता सेन को चेक नं0- 011808 दिनांक 13-08-2019 को भुगतान किया गया है।इस भुगतान से संबंधित कोई भी पत्रावली यथा लाग बुक तथा डीजल भुगतान का विल इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया। अतः भुगतानित रु0- 30,000.00 को गबन घोषित करते हुए इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अस्मिता सेन एवं लेखाकार श्री मदन पटेल से मय ब्याज बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-3)

प्रस्तर 55- आलोच्य वर्षों की अनुदान रजिस्टर तृतिय की जॉच में पाया गया कि, निम्न मदों का अंतिम अवशेष अनप्रयुक्त पड़ा रहाः-

क्रम सं0	मद का नाम	अंतिम अवशेष 31-03-2022 को
1	बायो गैस अनुदान	4346.00
2	आदर्श जलाशय	35295.00
3	सांसद निधि	223923.00
4	तेरहवॉ वित्त	50373.00
5	वैकल्पिक उर्जा	13300.00
6	खाद्यान्न ढुलाई	106556.00
7	एन0 टाईड फण्ड	117494.00
8	आंगनवाड़ी केन्द्र	149519.00
9	पिछड़ी जाति सर्वे	700.00
10	सामुदायिक स्वच्छता	1002.00
11	आवासीय प्रशिक्षण	70.00
12	प्रशिक्षण	13000.00
13	नवयुवक मंगल दल	29000.00
total		744578-00

यह धनराशि आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में लगातार अप्रयुक्त पड़ा रहा। इन मदों में जमा धनराशि को सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित रहा। अप्रयुक्त धनराशि को वापस न कर के गंभीर अनियमितता की गई है जिसका उत्तर दायित्व खंड विकास अधिकारी श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, लेखाकार श्री मदन पटेल, श्री कमलेश कुमार जिम्मेदार हैं

(पैरा-9)

प्रस्तर 56- आलोच्य वर्षों की अनुदान रजिस्टर तृतिय की जॉच में पाया गया कि, निम्न मदों का अंतिम अवशेष अनप्रयुक्त पड़ा रहाः-

क्र0सं	**योजना का नाम**	अंतिम अवशेष 31-03-2021 को
1	बायो गैस	4346.00
2	आदर्श जलाशय	35295.00
3	विधायक निधि	1511678.00
4	सांसद निधि	223923.00
5	राज्य वित्त	6784010.00

6	तेरहवॉ वित्त	50373.00
7	वैकल्पिक उर्जा प्रसार	13300.00
8	खाद्यान्न ढुलाई	106556.00
9	एन टाईड फण्ड	117494.00
10	आंगनवाड़ी केन्द्र	149519.00
11	पिछड़ी जाति रैपिड सर्वे	700.00
12	सामुदायिक स्वच्छता	1002.00
13	आवासीय प्रशिक्षण	70.00
14	प्रधानमंत्री आवास कण्टीजेन्सी	00.00
15	प्रशिक्षण	13000.00
16	नवयुवक मंगल दल	29000.00
17	जमानत धनराशि	132122.00
18	मनरेगा कण्टीजेन्सी	57533.00
19	ब्लाक मिशन	132122.00
20	अस्थायी गौवंश	440735.00
21	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	98511.00
22	केन्द्रीय वित्त	12674531.00
योग		**22721192.00**

यह धनराशि आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में लगातार अप्रयुक्त पड़ा रहा। इन मदों में जमा धनराशि को सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित रहा। अप्रयुक्त धनराशि को वापस न कर के गंभीर अनियमितता की गई है जिसका उत्तर दायित्व खंड विकास अधिकारी श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, लेखाकार श्री मदन पटेल, श्री कमलेश कुमार जिम्मेदार हैं

(पैरा-10)

प्रस्तर 57- आलोच्य वर्षों की अनुदान रजिस्टर तृतिय की जॉच में पाया गया कि, निम्न मदों का अंतिम अवशेष अनप्रयुक्त पड़ा रहाः-

क्र0सं	**योजना का नाम**	अंतिम अवशेष 31-03-2020 को
1	बायो गैस	4346.00
2	आदर्श जलाशय	35295.00
3	विधायक निधि	1434716.00
4	सांसद निधि	223923.00
5	राज्य वित्त	7768296.00
6	तेरहवॉ वित्त	50373.00
7	वैकल्पिक उर्जा प्रसार	13300.00
8	खाद्यान्न ढुलाई	106556.00
9	एन टाईड फण्ड	117494.00
10	आंगनवाड़ी केन्द्र	149519.00
11	पिछड़ी जाति रैपिड सर्वे	700.00
12	सामुदायिक स्वच्छता	1002.00
13	आवासीय प्रशिक्षण	70.00

14	प्रधानमंत्री आवास कण्टीजेन्सी	00.00
15	प्रशिक्षण	13000.00
16	नवयुवक मंगल दल	29000.00
17	जमानत धनराशि	390352.00
18	मनरेगा कण्टीजेन्सी	562270.00
19	ब्लाक मिशन	244723.00
20	अस्थायी गौवंश	4829.00
21	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	275286.00
22	**योग**	**11425050.00**

यह धनराशि आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में लगातार अप्रयुक्त पड़ा रहा। इन मदों में जमा धनराशि को सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित रहा। अप्रयुक्त धनराशि को वापस न कर के गंभीर अनियमितता की गई है जिसका उत्तर दायित्व खंड विकास अधिकारी श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, लेखाकार श्री मदन पटेल, श्री कमलेश कुमार जिम्मेदार हैं

(पैरा-11)

प्रस्तर 58- क्षेत्र पंचायत सोरॉव द्वारा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-22 में विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय किया गया हैः-

क्रसं	मद का नाम	वर्ष 2019-2020	वर्ष 2020-2021	वर्ष 2021-2022	य़ोग
1	राज्य वित्त	1155856.00	5613898.00	6041244.00	12810998.00
2	विधायक निधि	1308913.00	256899.00	00.00	1565812.00
3	केन्द्रीय वित्त	00.00	978657.00	8396679.00	9375336.00
4	योग	2464769.00	6849454.00	14437923.00	23752146.00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में सामग्री क्रय पर व्यय रु0- 23752146.00 किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते हुए गंभीर वित्तिय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार सामग्री व्यय रु0- 23752146.00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0- 237521.00 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शिघ्र लेबर विभाग के खाते में जमा न कर के गंभीर अनियमितता की गई है जिसका उत्तर दायित्व खंड विकास अधिकारी श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, लेखाकार श्री मदन पटेल, श्री कमलेश कुमार जिम्मेदार हैं

(पैरा-14)

8 क्षेत्र पंचायत- ऋंगवेरपुर जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 59- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0 24661034.00 जो वर्षान्त में 31-03-2022 को भी उक्त राशि अंकन- 24661034.00 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। जो की गंभीर अनियमितता है, इसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी- श्री विकास शुक्ला, श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता लेखाकार- श्री अनिल कुमार का है, जिसका विवरण निम्नवत है-

Sr. no-	मद का नाम	अंतिम अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग	8802237.00

2	केन्द्रीय वित्त आयोग	14897947.00
3	ब्याज	1530.00
4	जमानत	661010.00
5	टेण्डर	29000.00
6	गोवंश आश्रय	1710.00
7	लेबर सेस कटौती	32687.00
8	आयकर कटौती	75175.00
9	जीएसटीएन कटौती	65378.00
10	प्रधानमंत्री संगोष्ठी कार्यक्रम	94360.00
योग –		**24661034.00**

(पैरा-2)

प्रस्तर 60 - आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत ऋंगवेरपुर द्वारा चयनित निर्माण कार्य कराए गए हैं उनमें अधिकतर कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी कराए गए हैं। शासनादेश संख्या 04 / 866 / 33-2 -14 -93 जी / 2004 टी सी दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायत सब्सिडियरीटी सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करेंगे अर्थात जो कार्य निचले स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर ढंग से हो सकता है वह कार्य ऊपर के स्तर पर न कराया जाए। इसी शासनादेश में क्षेत्र पंचायत प्राप्त विकास कार्य हेतु अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित वाले कार्यों को संपादित कराया जाएगा। इसका उल्लंघन शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93G/2004 दिनांक 12/1/ 2015 के निर्देशों का उल्लंघन होगा। पुनः पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या1838/33-2-2015-03/ 2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक या अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराएंगी। पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 5837/33-2-2017-112 जी/17 दिनांक 20/ 12 /2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र पंचायत एक ही गांव के अंदर कार्य नहीं करेंगे यदि ऐसा किया जाता है खंड विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे। उपरोक्त सभी आदेशों निर्देशों का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र पंचायत शृंगवेरपुर द्वारा रूपया 26,18,465.00 के निम्नानुसार निर्माण कार्यों को ग्राम पंचायत के अंदर एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक निर्माण कार्य कर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। जो की गंभीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री विकास शुक्ला, श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता लेखाकार- श्री अनिल कुमार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम/कार्य का नाम	व्यय की धनराशि
1	राज्य वित्त/इण्टर लाकिंग परथापुर भगदेवर के पसियान मोहल्ले से कल्लू पासी के घर तक	279842.00
2	राज्य वित्त/इण्टर लाकिंग खेरावां में देबेन्द्र पाल के मकान से आयोध्या पाल के मन्दिर तक	379988.00
3	राज्य वित्त/इण्टर लाकिंग खरगापुर बेरावां दिलीप ओझा के घर से राम गरीब सरोज के घर तक	328589.00
4	राज्य वित्त/इण्टर लाकिंग लाई कोहान बस्ती में मोहन के घर से लोहासिंह के घर तक	342357.00
5	राज्य वित्त/इण्टर लाकिंग इब्रारहिमपुर में रमेश विश्वकर्मा के घर से छोटे पाल के घर तक	343595.00
6	केन्द्रीय वित्त/इण्टर लाकिंग पियरी उर्फ बिजलीपुर में बड़ी मस्जिद से शौकत अली के घर से होते हुए कमरूद्दीन के घर तक	324517.00

7	केन्द्रीय वित्त/इण्टर लाकिंग उल्दा बाबा का पुरा से मुन्शीलाल के घर से सुंरेश पाण्डेय के घर तक	340135.00
8	केन्द्रीय वित्त/इण्टर लाकिंग बरईहरख में नन्द लाल विश्वकर्मा के घर से पप्पू सरोज के घर तक	279442.00
	योग :	**26,18,465.00**

(पैरा-11)

प्रस्तर 61- क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से रूपया- 2528810.00 एवं केन्द्रीय वित्त से रूपया- 1071634.00 कुल रूपया- 3600444.00 के कुल 10 निर्माण कार्य कराये गये। जिसके सापेक्ष लेबर सेस रूपया- 32687.00 काटा गया। नियमानुसार कुल निर्माण कार्य पर हुए व्यय के सापेक्ष 1 प्रतिशत् की दर से लेबर सेस काटा जाना अपेक्षित है। कुल 10 निर्माण कार्यो पर रूपया- 3600444.00 के सापेक्ष लेबर सेस रूपया 36004.44 आकलित होता है। इस प्रकार रूपया 3317.44 लेबर सेस कम काटा गया। जो की गंभीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री विकास शुक्ला, श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता लेखाकार- श्री अनिल कुमार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (पैरा-12)

9 क्षेत्र पंचायत - उरुवा जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2019 -2020

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 62. अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार क्षेत्र पंचायत- उरूवा जनपद- प्रयागराज द्वारा वर्ष- 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त में रूपया- 2313674.00, विधायक निधि में रूपया- 132000.00 एवं सासंद निधि में रूपया- 977812.00 कुल रूपया- 3423486.00 के निर्माण कार्यो के सापेक्ष नियमानुसार 01 प्रतिशत् की दर से लेबर सेस रूपया- 34234.86 की कटौती नही की गयी है, जो अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 श्रीवास्तव, सुश्री कविता तिवारी, श्री सी0पी0 श्रीवास्तव, एवं लेखाकार श्री निरंकार अग्रवाल उत्तरदायी है (सामान्य आपत्ति संख्या- 20)

प्रस्तर 62-संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में अनुदान पंजिका 3 में खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिशचन्द्र शुक्ल से रूपया- 12800.00 वसूल किया जाना अंकित किया गया है। जो कि 31 मार्च 2020 को भी वसूली हेतु शेष दर्शित है। इस प्रकार वसूली न करके संस्था को रूपया 12800.00 की आर्थिक क्षति पहुचायी जा रही है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 श्रीवास्तव, सुश्री कविता तिवारी, श्री सी0पी0 श्रीवास्तव, एवं लेखाकार श्री निरंकार अग्रवाल उत्तरदायी है। (सामान्य आपत्ति संख्या- 21)

10 क्षेत्र पंचायत- उरुवा जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 64- निम्नलिखित निर्माण कार्यो में निम्नवत् आपत्तियां पायी गयी जिस हेतु खण्ड तत्कालीन विकास अधिकारी श्री सी0पी0 श्रीवास्तव एवं श्री ब्रह्मपाल सिंह तथा लेखाकार श्री राजेश पाल जिम्मेदार हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

1- परानीपुर में रोशनलाल पटेल के घर से शीतला प्रसाद के घर तक इण्टर लांकिग कार्य में टेण्डर प्रकाशन केवल एक ही समाचर पत्र में प्रकाशित किया गया हैं जो कि अनियमित है। दिनांक 02-08-2021 को रूपया-188470.00 का भुगतान फर्म को किया गया जिसकी पुष्टि में कोई भी बाउचर/पत्रावली व अन्य सुसंगत लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।

2- थमौरा में पी0डब्लू0डी0 रोड से लक्ष्मण यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में निविदा का प्रकाशन केवल एक एक ही समाचर पत्र में प्रकाशित किया गया हैं जो कि अनियमित है। जिलाधिकारी द्वारा ठेकेदार का चरित्र प्रमाण पत्र वर्ष 2018 में जारी किया गया मान्य नही है। नवीनतम 06 माह का चरित्र प्रमाण-पत्र अपेक्षित है। निविदा प्रक्रिया तकनीकी रूप से अनर्ह 03 फर्मो से रेट लेकर पूरी की गयी है जो कि अनियमित है। कार्य आदेश दिनांक- 03-12-2021 को जारी हुआ जबकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक-04-11-2021 अंकित है। इस प्रकार कराया गया कार्य संदिग्ध है।

3- मुनाई बृजराज भारतीय के घर तक नाला तक पक्की नाली निर्माण कार्य में तीन फर्मो के टेण्डर प्राप्त हुए। वी0वी0कन्ट्रक्सन ने विभागीय दर से 2 प्रतिशत् अधिक] साई कन्ट्रक्सन ने विभागीय दर से 0.1 प्रतिशत् अधिक एवं रिवान्शु सेल्स ने विभागीय दर पर निविदा प्रस्तुत करी। रिवान्शु सेल्स जिसके द्वारा विभागीय दर पर न्यूनतम निविदा प्रस्तुत की गयी को स्वीकृत न करके साई कन्ट्रक्सन की निविदा स्वीकृत की गयी। इस प्रकार न्यूनतम दर/टेण्डर की फर्म को स्वीकृति न देकर टेण्डर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के 21(5) का उल्घघन किया गया।

4- राम नगर चौकी दिघिया मार्ग से मस्जिद होते हुए साधन सहकारी समिति तक एवं मस्जिद से विश्वम्भर नाथ के घर तक आर0सी0सी0 रोड कार्य में ठेकेदार रिवान्शु सेल्स का चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 31-10-2018 का निर्गत पाया गया] जो कि अमान्य है। चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह का होना अपेक्षित है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य पूर्ण होने की तिथि अंकित नही है। कार्य आदेश दिनांक 03-12-2021 को निर्गत किया गया जबकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य प्रारम्भ ही दिनांक 06-01-2022 है। इस प्रकार के कार्य आदेश के 01 माह बाद कार्य आरम्भ किया गया। विलम्ब का कोई कारण उल्लिखित नही किया गया।

5- औता एवं लालता प्रसाद के घर से चौकी दिघिया काली रोड तक अण्डर ग्राउन्ड नाली निर्माण कार्य की पत्रावली में मात्र टेण्डर प्रकाशन का एक ही समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। जनसंदेन्श समाचार पत्र में प्राकशन का साक्ष्य अप्रस्तुत रहा। पत्रावली मे फर्म का रनिंग/अंतिम बिल एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र का भुगतान की पुष्टि में नही लगा है। इस प्रकार उक्त कार्य में फर्म को किया गया वास्तविक भुगतान रूपया- 293282.00 अपुष्ट रहा।

(पैरा-2)

प्रस्तर 65- आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजि.तृतीय के अनुसार दिनांक 31-03-22 को धनराशि रु0 30409825.21 अवशेष रहे उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय न कर के गंभीर अनियमितता की गई है

क्र.सं.	मद का नाम	अंतिम शेष
1	चतुर्थ राज्य वित्त	6065083.00
2	ब्याज	368716.73
3	विधायक निधि	563263.00
4	जमानत धनराशि (राज्य वित्त)	2420453.00
5	आयकर/वैट/राज्य वित्त	125473.00
6	सांसद निधि	47771.00
7	जमानत/टेण्डर/सांसद/ विधायक	88266.00
8	राज्य वित्त (ब्याज)	1242803.28

9	इन्दिरा आवास ब्याज	5000.00
10	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल	1751.00
11	ब्याज ग्रामीण आजीविका मिशन	995.00
12	जी0एस0टी0 राज्य वित्त	109310.00
13	जी0एस0टी0 सांसद/ विधायक निधि	11882.00
14	क्षेत्र निधि केन्द्रीय वित्त	18812163.00
15	क्षेत्र निधि पंचायत राज्य वित्त	500.00
16	नीर निर्मल योजना	16495.20
17	पंचम एवं केन्द्रीय वित्त टेण्डर फार्म बिक्री से प्राप्त	84000.00
18	ब्लाक अनुरक्षण मद से प्राप्त	445900.00
	योग-	30409825.21

जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 श्रीवास्तव एवं श्री ब्रह्मपाल सिंह तथा लेखाकार श्री राजेश पाल जिम्मेदार हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-4)

प्रस्तर -66 क्षेत्र पंचायत ऊरवा द्वारा वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया हैः.

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1-	चतुर्थ राज्य वित्त	10866992.00
2-	सांसद निधि	594107.00
3-	क्षेत्र निधि केन्द्रीय वित्त	12841325.00
	योग-	24302424.00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में व्यय रु0- 24302424.00 किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था] जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते हुए गंभीर वित्तिय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रु0 24302424.00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0 243024.20 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शीघ्र लेबर विभाग के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 श्रीवास्तव एवं श्री ब्रह्मपाल सिंह तथा लेखाकार श्री राजेश पाल जिम्मेदार हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-20)

प्रस्तर 67- लेखा परीक्षा में पाया गया कि सांसद व विधायक निधि से जी0एस0टी0 कटौती रु0 11882.00 तथा राज्य वित्त आयोग से रु0 450314.00 कुल योग रु0 462196.00 की आय हुई है जिसे नियमानुसार अगले माह के 10 तारीख तक जमा कर देना चाहिए था किन्तु वित्तीय वर्ष के अन्त तक अपने पास ही रोककर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 श्रीवास्तव एवं श्री ब्रह्मपाल सिंह तथा लेखाकार श्री राजेश पाल जिम्मेदार हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा-21)

प्रस्तर 68- आलोच्य वर्ष. 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजि0 तृतीय के अनुसार दिनांक 31-03-22 को धनराशि रु0 548197.00 आयकर मद में व्यय/जमा दर्शित है। किन्तु उक्त की पुष्टि में चालान प्रस्तुत नही किया गया। जमा की पुष्टि चालान से करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही आयकर/वैट/राज्य वित्त धनराशि 125473.00 वर्षान्त शेष है। जिसे आयकर विभाग को जमा नही कराया गया है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 श्रीवास्तव एवं श्री ब्रह्मपाल सिंह तथा लेखाकार श्री राजेश पाल जिम्मेदार हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1	आयकर/वैट/अन्य/सांसद	13665.00
2	आयकर/वैट/राज्य वित्त	493830.00
3	आयकर केन्द्रीय वित्त	40702.00
	योग -	548197.00

(पैरा-22)

11 क्षेत्र पंचायत- मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष-2020-21 एवं 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 69- वित्तीय वर्ष- 2020-21 *में* निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	मद का नाम	वर्ष का व्यय
1	विधायक निधि	1558602
2	राज्य वित्त आयोग	5566711
3	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	190000
4	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल	3075911
5	पन्द्रहवाँ वित्त	8710333
योग		19101557.00

अभिलेख प्रस्तुत न होने से उक्त धनराशि रूपया 19101557.00 के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। जो अपहरण का द्योतक है इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- श्री राजेन्द्र कुमार, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार का श्री संजय कनौजिया, श्री कमलेश कुमार, व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा-3)

प्रस्तर 70- वित्तीय वर्ष- *2021-22 में* निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत है -

क्रंम सख्या	मद का नाम	वर्ष का व्यय
1	विधायक निधि	118000
3	आंगनबाड़ी केन्द्र	70007
4	राज्य वित्त आयोग	331390
5	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	150000
6	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल	3207244
7	पन्द्रहवाँ वित्त	1458181
योग		5334822-00

अभिलेख प्रस्तुत न होने से उक्त धनराशि रूपया 5334822.00 के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। जो अपहरण का द्योतक है इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- श्री राजेन्द्र कुमार, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार का श्री संजय

कनौजिया, श्री कमलेश कुमार, व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा-4)

प्रस्तर 71 - आलोच्य वर्षो की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न खातों में अक्टूबर 2021 तक अंतिम अवशेष पड़ा हुआ था। किन्तु नवम्बर 2021 में उक्त खातों से संवंधित अंतिम अवशेष को सरकार को वापस करना दिखाया गया है। खातों से संवंधित धनराशि को वापस किया गया इसकी पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे वापस की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, प्रमाणकों का न प्रस्तुत किया जाना उक्त धनराशि का अपहरण दर्शित करता है इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- श्री राजेन्द्र कुमार, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार का श्री संजय कनौजिया, श्री कमलेश कुमार, व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

क्र0 सं0	मद का नाम	वापस की गया धनराशि (रु0)	अंतिम अवशेष 31-03-2022 को
1	पिछड़ी जाति रैपिड सर्वे	4200.00	00.00
2	सेस कटौती	13427.00	00.00
3	पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण	47600.00	00.00
4	स्वच्छ शौचालय प्रशिक्षण	2500.00	00.00
5	आंगनवाड़ी केन्द्र	70007.00	00.00

(पैरा-7)

प्रस्तर 72- संख्या द्वारा आलोच्य वर्षो में उक्त मदों से निर्माण कार्यो पर रु0- 10645931.00 व्यय किया गया है। इस धनराशि पर शासनादेशों के अनुसार 1% का दर से लेबर सेस रु0- 106459.00 की कटौती की जानी चाहिए थी जो न काटकर गंभीर अनियमितता की गयी है और सामग्री आपुर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है। अत: लेबर सेस रु0- 106459.00 को उ0प्र0 भवन, अन्य सान्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा कराने के लिए खण्ड विकास अधिकारी- श्री राजेन्द्र कुमार, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार का श्री संजय कनौजिया, श्री कमलेश कुमार, व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2020-2021	वर्ष 2021-2022	योग
1	विधायक निधि	935161.00	70800.00	1005961
2	राज्य वित्त आयोग	3340027.00	198834.00	3538861
3	केन्द्रीय वित्त आयोग	5226200.00	874909.00	6101109
	योग	9501388.00	1144543.00	10645931
कुल सेस लेबर कटौती				106459.00

(पैरा 11)

प्रस्तर 73- संस्था द्वारा वर्ष 2020-2021 में रू- 515668.00 तथा वर्ष 2021-2022 में रू0- 48000.00 आयकर जमा किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान आयकर जमा से चालान प्रस्तुत नहीं करने के कारण आयकर जमा की पुष्टि नहीं हो सकी।इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- श्री राजेन्द्र कुमार, श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, श्री संजय

कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार का श्री संजय कनौजिया, श्री कमलेश कुमार, व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (पैरा 12)

12 क्षेत्र पंचायत- शंकरगढ़ जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 74- वर्ष आलोच्य में क्षेत्र पंचायत स्तर पर ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी आयकर राशि अंकन रू0- 15794.00 (विधायक निधि) + 122240.00 (चतुर्थ राज्य वित्त) + 121937.00 (के० वी०) = 259971.00 की जमा की पुष्टि में चालान रसीद आदि उपलब्ध नही रहे, जिसके फलस्वरूप उक्त राशि के जमा होने की पूर्ण पुष्टि नही की जा सकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही उपरोक्त मे क्रमशः रूपया- 7639.00, रूपया- 185958.00 एवं रूपया- 200465.00 का व्यय दर्शित है। उपरोक्त मदो में आयकर से प्राप्त धनराशि को व्यय किये जाने का औचित्य अस्पष्ट है। जो गंभीर अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- श्री अमित कुमार मिश्रा तथा लेखाकार - श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 1)

प्रस्तर 75- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रू०- 5,66,070.80 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 161/2017/44-वी०आई०पी०/26.03.2017-4(88)/93 टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्ते व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना अपहरण का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अपहरण की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री अमित कुमार मिश्रा तथा लेखाकार - श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा 2)

प्रस्तर 76 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत रू0- 3,12,6294.00 कुल रू0- 1,85,6687.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी /लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि / सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं० ग्राम्य 91 वी0नि0 (1) / 38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि /

सासद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नही हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अपहरण की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री अमित कुमार मिश्र एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा 3)

प्रस्तर 77- वित्तीय वर्ष- 2021-22 *में* निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत है -

क्रम संख्या	मद का नाम	व्यय की धनराशि
1	टेण्डर धनराशि विधायक निधि	37036.00
2	गोवंश भरण पोषण मद	9085423.00
3	क्षेत्र निधि केन्द्रीय वित्त	6158939.00
योग :-		15281398.00

वर्ष के दारौन ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों/पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नही किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना अपहरण का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अपहरण की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री अमित कुमार मिश्र एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा 4)

प्रस्तर 78- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0- 33514357.75 जो वर्षान्त में दिनांक- 31.03.2022 को भी उक्त राशि अंकन- 33514357.75 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। जो गंभीर अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- श्री अमित कुमार मिश्र एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 9)

प्रस्तर 79- वर्ष आलोच्य में क्षेत्र पंचायत स्तर पर ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी (प्राप्त) टी०डी०एस०/जी०एस०टी राशि अंकन रू0- 42693.00 (विधायक निधि + 109149.00 (चतुर्थ राज्य वित्ती) + 108878.00 (के० वी०) = 260720.00 की जमा की पुष्टि में चालान रसीद आदि उपलब्ध नही रहे, जिसके फलस्वरूप उक्त राशि के जमा होने की पूर्ण पुष्टि नही की जा सकी जो गंभीर अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- श्री अमित कुमार मिश्र एवं लेखाकार श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 10)

13 क्षेत्र पंचायत- बहादुरपुर जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18 से 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 80- अग्रिम रजिस्टर उपलब्ध न होने से अनुदान रजिस्टर॥ में निम्न अग्रिम भुगतानों के समायोजन की जांच न हो सकी, विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	मद का नाम	दिनांक	धनराशि	अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम
1.	प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण कन्टीजेंसी	25.10.2019	10000	श्री सोनू सिन्हा
2.	प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण कन्टीजेंसी	30.10.2019	29900	श्री सोनू सिन्हा

इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1 श्री सत्य प्रताप सिंह, 2- श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, 3 श्रीमती मृदुला 4 श्री श्रीश गुप्ता, 5- श्रीमती दिव्या सिंह, 6- श्रीमती मृदुला, 7. श्री मनोज कुमार सिंह, लेखाकार- 1- श्री कृष्णकांन्त शुक्ल 2 श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 1)

प्रस्तर 81- लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक में अनुदान रजिस्टर॥ एवं अनुदान रजिस्टर भागा॥। ही उपलब्ध कराये गये। लेखापरीक्षा में निर्माण पत्रावलियां शासनादेशों बैंक पासबुकें समस्त व्यय प्रमाणकों परिसम्पत्त रजि0 वर्क रजि0 चल-अचल सम्पत्ति रजि0 स्टाक रजि0 निर्माण कार्य रजि0 हस्तगत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण पत्र सामग्री एवं श्रमांश पर व्यय की गई धनराशियों का विवरण पत्र कार्यवाही रजिस्टर बजट पत्रावली ठेकेदारों की पंजीयन रजिस्टर जमानत रजिस्टर डेड स्टाक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये इसके अतिरिक्त आयकर जी0एस0टी0 लेबर सेस आदि से सम्बन्धित विवरण पत्र/पंजिकाएं भी जांच हेतु उपलब्ध नहीं रही जिससे लेखा परीक्षा मात्र (2) रजिस्टरों में अंकनों एवं विश्लेषणों पर सीमित रही। विभागीय अधिकारियों का ध्यान रिकार्डस् को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा कराये जाने के संदर्भ में शासनादेश संख्या आडिट- 1598/दस/2011-322(9) दिनांक 25.07.2011, आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक- 805/ संप्रेक्षा/क्षेत्र पंचायत ऑडिट/2011-2012, पत्रांक-1013/ संप्रेक्षा क्षेत्र पंचायत आडिट/ 2012 दिनांक 09.01.2012 एवं पत्रांक- 1257/ संप्रेक्षा अनु0/ ऑडिट / सह0 समि0 एवं पंचायत/ 2017-18 दिनांक 20.11.2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि लेखा परीक्षा दल को क्षेत्र पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराते हुए क्षेत्र पंचायत की शत प्रतिशत लेखा परीक्षा पूर्ण कराई जाये। किन्तु कई बार पत्र द्वारा सूचित करने लिखित एवं मौखिक सूचना दिए जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं रहे। अतः ग्रान्ट III में विभिन्न मदों में वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि 8920442.00, वर्ष 2018-19 में व्यय धनराशि 14497890.00, वर्ष 2019-20 में व्यय धनराशि 15429862.00, 2020-21 में व्यय धनराशि 10494861.00, 2021-22 में व्यय धनराशि 47436639.00 पर अधिभार की कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की

ब्याज सहित वसूली के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्य प्रताप सिंह 09.12.2016 से 04.07.2017, श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव 05.07.2017 से 19.08.2019, श्रीमती मृदुला 19.08.2019 से 17.02.2021, श्रीश गुप्ता 18.02.2021 से 21.07.2021, श्रीमती दिव्या सिंह 31.03.2021 से 31.10.2021, श्रीमती मृदुला 31.10.2021 से 06.01.2022, श्री मनोज कुमार सिंह 07.01.2022 से आतिथि एवं लेखाकार श्री कृष्णाकांत शुक्ल, श्री अनिल कुमार यादव, श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव (वर्ष 2019 से आतिथि), जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

वर्ष 2017-18

क्र.सं.	**मद का नाम**	**वर्ष में व्यय**
1	राज्य वित्त आयोग	4358779
2	विधायक निधि	1459827
3	इन्दिरा आवास कन्टीजेंसी	164725
4	सांसद निधि/आंगनवाड़ी	2240000
5	ब्याज मद	20316
6	प्रधानमंत्री आवास (कन्टी)	326795
7	समाज कल्याण	350000
	योग	**8920442**

वर्ष 2018-19

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1.	राज्य वित्त आयोग	8755293
2.	विधायक निधि	3390179
3.	इन्दिरा आवास कन्टीजेंसी	846
4.	ब्याज मद	20487
5.	प्रधानमंत्री आवास (कन्टी0)	325439
6.	स्चच्छ भारत मिशन	155646
7.	शादी अनुदान	1750000
8.	गोवंश आश्रय स्थल	100000
योग		**14497890**

वर्ष 2019-20

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1.	राज्य वित्त आयोग	8686881
2.	विधायक निधि	953684
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रास0)	697907
4.	गोवंश आश्रय स्थल	3711884
5.	ब्याज	13764
6.	जी.एस.टी.	104437
7.	शादी अनुदान	561000
8.	एन.आर.एल.एम.	88306
9.	मुख्यमंत्री सा0वि0यो0	611999
योग		**15429862**

वर्ष 2020-21

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1.	राज्य वित्त आयोग	6265056
2.	विधायक निधि	382743
3.	आंगनबाड़ी केन्द्र	224000
4.	गोवंश आश्रय स्थल	2841690
5.	एन.आर.एल.एम.	441072
6.	नीर निर्मल योजना	148500
7.	पंचम वित्त आयोग	58800
8.	जी.एस.टी.	133000
योग		**10494861**

वर्ष 2021-22

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1.	विधायक निधि	80722
2.	नीर निर्मल योजना	66000
3.	13वॉ वित्त आयोग	42735
4.	मुख्यमंत्री सा0वि0यो0	264000
5.	गोवंश आश्रय स्थल	2744380
6.	एन.आर.एल.एम.	131715
7.	पंचम वित्त आयोग	17223272
8.	15वॉ राज्य वित्त आयोग	26883815
योग		**47436639**

(पैरा 3)

प्रस्तर 82 - क्षेत्र पंचायत, अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0- 9038973.00 जो वर्षान्त में 31-03-2018, रू0- 8210992.00 जो वर्षान्त में 31-03-2019, रू0- 2244994.00 जो वर्षान्त में 31-03-2020, रू0- 21668240.00 जो वर्षान्त में 31-03-2021, रू0- 9365953.00 जो वर्षान्त में 31-03-2022 को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया अवशेष रहा। कुल रुपया 50529152.00 का समयानुसार व्यय ना किया जाना गंभीर अनियमितता है इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1 श्री सत्य प्रताप सिंह, 2- श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, 3 श्रीमती मृदुला 4 श्री श्रीश गुप्ता, 5- श्रीमती दिव्या सिंह, 6- श्रीमती मृदुला, 7. श्री मनोज कुमार सिंह, लेखाकार- 1- श्री कृष्णकांन्त शुक्ल 2 श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 5)

प्रस्तर 83 -अनुदान रजिस्टर॥ में दिनांक 05.11.2021 को श्री राजकुमार सिंह भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख को रु0 115637.00 का भुगतान मानदेय मद में किया गया है।(पंचम वित्त से) इसकी अवधि दिनांक 18.03.2016 से 29.06.2017 तक का भुगतान किया गया, इसके शासनादेश, जिसके द्वारा भुगतान किया गया है का उल्लेख नहीं है। जो अनियमितता है कोई भी शासनादेश पूर्व तिथियों से लागू नहीं होता है। इसकी नियमानुसार जांच करके आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1 श्री सत्य प्रताप सिंह, 2- श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, 3 श्रीमती मृदुला 4 श्री श्रीश गुप्ता, 5- श्रीमती दिव्या सिंह, 6- श्रीमती मृदुला, 7. श्री मनोज

कुमार सिंह, लेखाकार- 1- श्री कृष्णकांन्त शुक्ल 2 श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 6)

प्रस्तर 84- ग्रान्ट रजिस्टर- 3 में मद के विवरण के समीक्षा से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदारो के बिल से नियमानुसार आयकर रायल्टी लेबर सेस एवं टी0 डी0 एस0 (जी0 एस0 टी0) की कटौती नही की गयी है। वर्ष 2018-19 में जी0एस0टी0 रूपया- 19464.00 वर्ष 2019-20 में जी0 एस0 टी0 रूपया- 84973.00 एवं वर्ष 2020-21 में जी0एस0टी0 रूपया- 133000.00 कुल रूपया- 237437.00 प्राप्त एवं व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में चालान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार वर्षवार आयकर लेबर सेस रायल्टी एवं जी0एस0टी0 की कटौती नहीं किया जाना गंभीर अनियमितता है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1 श्री सत्य प्रताप सिंह, 2- श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, 3 श्रीमती मृदुला 4 श्री श्रीश गुप्ता, 5- श्रीमती दिव्या सिंह, 6- श्रीमती मृदुला, 7. श्री मनोज कुमार सिंह, लेखाकार- 1- श्री कृष्णकांन्त शुक्ल 2 श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (पैरा 7)

14 क्षेत्र पंचायत- जसरा जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 85 - क्षेत्र पंचायत जसरा द्वारा वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया हैः-

क्रसं	मद का नाम	वर्ष 2021-22
1	राज्य वित्त	10797640.80
2	विधायक निधि	893166
3	केन्द्रीय वित्त	6776928
योग		18467734.80

संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में व्यय रु0- 18467734.80 किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते हुए गंभीर वित्तिय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रु0- 18467734.80 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0- 1,84,677.34 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लेबर विभाग के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- **श्री देवेन्द्र ओझा, श्री अजीत मिश्रा श्री हरिओम गुप्ता, श्री अमित मिश्रा** एवं लेखाकार- **श्री अमरजीत यादव** को बराबर-बराबर रुप से उत्तरदायित्व आकलित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 14)

15 क्षेत्र पंचायत - करछना जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-2020 से 2020-21

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर- 86 वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त, विधायक निधि क्रमशः रू0 826248.00+19625.00=2779873.00 रूपये का व्यय किया गया जिसका 1 प्रतिशत लेबर सेस रू0 27798.73 होता है। जो कि कटौती क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं की गयी अतः उपरोक्त 27798.73 रू0 की धनराशि गम्भीर अनियमित रही जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव सन्दीप मांगिया युवराज सिह व नवीन गुप्ता तथा लेखाकार श्री अल्पनारायण सिंह का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या– 22)

प्रस्तर-87- आलोच्य वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त, विधायक निधि व सांसद निधि द्वारा व्यय क्रमशः रू0 11708808.00+271333.65+679764.00=22422314.65 रहा। जिसका 1 प्रतिशत लेबर सेस रू0 224223.14 की कटौती नहीं की गयी जो कि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव सन्दीप मांगिया युवराज सिह व नवीन गुप्ता तथा लेखाकार श्री अल्पनारायण सिंह का है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या– 23)

16 क्षेत्र पंचायत- करछना जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 88- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रू0- 45,641.00 व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त मनरेगा प्रशासनिक मद की प्रत्रावली प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे ग्राम विकास अनुभाग- 7 के शासनादेश सं0 2150/अडतीस-7-2013-369 एन०आर०ई०जी०ए० /2008/ लखनऊ दिनांक 16.07.2013 के परिपालन में प्रशासनिक मद पर व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नही की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा सं0 12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का व्यय आयुक्त ग्राम्य विकास व रोजगार गारण्टी आयुक्त द्वारा गये निदेशों के क्रम में भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में न हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अपहरण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन कुमार गुप्ता, श्री अशोक कुमार मौर्य, श्री जितेंद्र कुमार व श्री राम विलास राय एवं लेखाकार श्री अल्पनारायण सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा 1)

प्रस्तर 89- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रू०- 3,66,000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे समाज कल्याण अनुभाग- 3 के शासनादेश सं० 161/2017/44 वी०आई०पी०/ 26.03.2017-4(88)/93 टीसी/लखनऊ दिनांक 12.10.2017 के परिपालन में पात्रता की शर्ते व व्यय के मार्गदर्शक नियमों की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण लाभार्थियों की सूची व भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व बैंक स्टेटमेन्ट की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अपहरण की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला

पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन कुमार गुप्ता, श्री अशोक कुमार मौर्य, श्री जितेंद्र कुमार व श्री राम विलास राय एवं लेखाकार श्री अल्पनारायण सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा 2)

प्रस्तर 90- वित्तीय वर्ष- 2021-22 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष लेखाकार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है विवरण निम्नवत है -

क्रम संख्या	मद का नाम	व्यय की धनराशि
1	15वां वित्त	12355911
2	सासंद निधि	290553.10
3	आंगनवाडी केन्द्र	00
4	धरोहर /जमानत धनराशि	48960
5	अस्थाई गौवंश	1406468
6	आयकर कटौती	470800
7	टेन्डर फार्म विक्री	113034
8	उ0प्र0रा0 ग्रा0आ0 मिशन	241190.21
9	म0प्र0म0आ0 साथ आयोजित संगोष्ठी	269940
10	सुपुर्दगी गौवंश का भरण पोषण	795840
11	14 वां वित्त ग्रा0पं0 प्रशासनिक मद	96506.40
12	ठेकेदारी पंजीयन शुल्क	27500
योग -		16116702-71

वर्ष के दारौन ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित उपरोक्त व्यय की पुष्टि प्रमाणकों / पत्रावलियों के आधार पर करायी जानी थी, किन्तु उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन लेखाकार द्वारा नही किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गंभीर अपहरण की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नवीन कुमार गुप्ता, श्री अशोक कुमार मौर्य, श्री जितेंद्र कुमार व श्री राम विलास राय एवं लेखाकार श्री अल्पनारायण सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा 3)

प्रस्तर 91- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत, अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0 30498937.76 जो वर्षान्त में 31-03-2022 को भी उक्त राशि अंकन 30498937.76 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। जो गंभीर अनियमितता का विषय है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी 1- श्री नवीन कुमार गुप्ता, श्री अशोक कुमार मौर्य, श्री जितेंद्र कुमार व श्री राम विलास राय एवं लेखाकार श्री अल्पनारायण सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (पैरा 8)

प्रस्तर 92- वर्ष आलोच्य में क्षेत्र पंचायत स्तर पर ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी (प्राप्त) टी०डी०एस०/ जी0एस0टी0 राशि अंकन रू0- 4,92,945.00 की जमा की पुष्टि में चालान रसीद आदि उपलब्ध नही रहे, जिसके फलस्वरूप उक्त राशि के जमा होने की पूर्ण जो गंभीर अनियमितता है जिस हेतु खण्ड विकाश अधिकारी श्री नवीन कुमार गुप्ता, श्री अशोक कुमार मौर्य, श्री जितेंद्र कुमार व श्री राम विलास राय एवं लेखाकार श्री अल्पनारायण सिंह का दायित्व निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (पैरा 9)

17 क्षेत्र पंचायत- मेजा जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 93- क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा कराये जाने के संदर्भ में शासनादेश संख्या- आडिट-1598/दस/2011-322(9) दिनांक 25.07.2011 आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक- 805 /संप्रेक्षा/ क्षेत्र पंचायत ऑडिट /2011-2012, पत्रांक-1013/ संप्रेक्षा क्षेत्र पंचायत आडिट / 2012 दिनांक 09.01.2012 एवं पत्रांक- 1257/ संप्रेक्षा अनु0 / ऑडिट / सह0 समि0 एवं पंचायत / 2017-18 दिनांक 20.11.2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि लेखा परीक्षा दल को क्षेत्र पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराते हुए क्षेत्र पंचायत की शत प्रतिशत लेखा परीक्षा पूर्ण कराई जाये। किन्तु कई बार पत्र द्वारा सूचित करने लिखित एवं मौखिक सूचना दिए जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं रहे।

अतः ग्रान्ट III में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि रूपया- 55730092.92 पर अधिभार की कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डॉ सपना अवस्थी एवं श्री ब्रम्हपाल सिंह एवं लेखाकार श्री मदन मोहन जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

क्र0	मद का नाम	वर्ष में व्यय
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	13841986
2	मनरेगा प्रशासिनक	43341
3	विधायक निधि	1195440
4	आयकर कटौती	268677
5	गोवंश आश्रय स्थल निधि	20483340.42
6	स्वच्ह भारत मिशन	649095
7	राष्ट्रीय आजीविका मिशन	333036
8	नीर निर्मल परियोजना	66000
9	केन्द्रय वित्त	6526378
10	पंचम वित्त आयोग	12194471
11	प्रधानमंन्त्री संगोष्ठी	128210

12	मुख्यमंन्त्री सामूहिक विवाह योजना	118
13	विविध मद	0.50
योग		55730092.92

(पैरा-1)

प्रस्तर 94- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत, अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0- 38273501.54 जो वर्षान्त में दिनांक 31-03-2022 को भी उक्त राशि अवशेष रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। जो गंभीर अनियमितता है इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डॉ सपना अवस्थी एवं श्री ब्रम्हपाल सिंह एवं लेखाकार श्री मदन मोहन जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-2)

प्रस्तर 95- ग्रान्ट रजिस्टर 3 में मद के विवरण के समीक्षा से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदारो के बिल से नियमानुसार रायल्टी लेबर सेस एवं जी0 एस0 टी0 की कटौती नही की गयी है। नियमानुसार कटौती की जानी अपेक्षित है। आयकर कटौती में प्रारम्भिक शेष रूपया- 145434.00 एवं वर्ष में प्राप्त रूपया- 371102.00 कुल रूपया- 516536.00 के सापेक्ष जमा रूपया- 268677.00 ग्रान्ट रजिस्टर 3 में दर्शित है। जमा की पुष्टि में चालान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। साथ ही शेष आयकर राशि 247859.00 नियमानुसार जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डॉ सपना अवस्थी एवं श्री ब्रम्हपाल सिंह एवं लेखाकार श्री मदन मोहन जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (पैरा-3)

प्रस्तर 96- ग्रान्ट रजिस्टर तीन में आलोच्य वर्ष में जमानत की धनराशि एवं निविदा दर्शायी गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष दौरान चतुर्थ राज्य वित्त, पंचम राज्य वित्त, केन्द्रीय वित्त, एवं विधायक निधि से निर्माण कार्य कराये गये है। कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष निविदा विक्री फार्म से सम्बन्धित ठेकेदारो से धनराशि न प्राप्त करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुचायी गयी है। नियमानुसार निविदा फार्म से धनराशि आकलित करके उत्तदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है। साथ ही सम्बन्धित ठेकेदारो से जमानत की राशि न लेकर घोर लापरवाही की गयी है। जिस लिए उत्तरदायी व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करके कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डॉ सपना अवस्थी एवं श्री ब्रम्हपाल सिंह एवं लेखाकार श्री मदन मोहन जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पैरा-4)

18 क्षेत्र पंचायत- फूलपुर जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 97- आलोच्य वर्ष-2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजि-तृतीय के अनुसार 31.03.2022 को धनराशि- 34248924-70 अवशेष रहे उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय न करके गंभीर अनियमितता की गई, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती कविता तिवारी, श्री प्रवीण नन्द लेखाकार- श्री जगपत सिंह पर निर्धारित किया जाता है, उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है विवरण निम्नावत है-

क्र.सं.	मद का नाम	अंतिम शेष
1	तेरहवाँ वित्त योजना	4368833.79
2	टेण्डर हेतु प्रतिभूति	252200.00
3	ब्याज मद	42832.76
4	प्रधानमंत्री आवास अनुदान	17214.00
5	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	875060.00
6	गोवंश आश्रय स्ाल	95032.60
7	विधायक निधि योजना	560566.00
8	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ	20000.00
9	जनसूचना	1000.00
10	पंचम राज्य वित्त	7483592.00
11	15 वित्त योजना	18806540.00
12	ग्राम स्तरी विज्ञान	3882.00
13	सांसद निधि	132601
14	प्रधानमंत्री संगोष्ठी	21903
15	आयकर	173707-55
16	अनुरक्षण	1387960
योग -		34248924-70

(पैरा 6)

प्रस्तर 98- क्षेत्र पंचायत फूलपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया हैः-

क्रसं	मद का नाम	वर्ष 2021-22
1	चतुर्थ राज्य वित्त	269754
2	विधायक निधि	767407
3	केन्द्रीय वित्त	7012515
4	पंचम राज्य वित्त	5725037
योग		13774713.00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में व्यय रु0- 1,37,74,713.00 किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते हुए गंभीर वित्तिय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रु0- 1,37,74,713.00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0- 1,37,447.13 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शिघ्र लेबर विभाग के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्रान्ट रजिस्टर तीन के अनुसार टी0डी0एस/आयकर एवं जी0एस0टी0 की नियमानुसार कटौती निर्माण कार्यो पर हुए व्यय से नही की गयी है। जो गंभीर अनियमितता है इसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती कविता तिवारी, श्री

प्रवीण नन्द लेखाकार- श्री जगपत सिंह पर निर्धारित किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 17)

19 क्षेत्र पंचायत - कौड़िहार जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2015 -2016 से 2017-18

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 99 अनुदान पंजिका तीन के अनुसार वर्ष- 2015-16 में विधायक निधि से रूपया- 4852680.00, सासंद निधि से रूपया- 328022.00, तृतीय राज्य वित्त से रूपया- 8511146.00 एवं तेरहवां वित्त से रूपया- 3658262.00 कुल ब्यय रूपया- 17350110.00 के निर्माण कार्य कराये गये, जिसके सापेक्ष- 1 प्रतिशत् की दर से लेबर सेस रूपया- 173501.1 कटौती की जानी अपेक्षित थी, जो कि नही की गयी। इस प्रकार लेबर सेस रूपया- 173501.10 की नियमानुसार कटौती न किये जाने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री तेजभान सिंह, श्री जयकेश त्रिपाठी** एवं लेखाकार **श्री अशोक कुमार** उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या– **16**)

प्रस्तर 100 अनुदान पंजिका तीन के अनुसार वर्ष- 2016-17 में विधायक निधि से रूपया- 2418926.75, तृतीय राज्य वित्त से रूपया- 4613961.00, चतुर्थ राज्य वित्त से रूपया- 6675716.00 एवं तेरहवां वित्त से रूपया- 61960.00 कुल ब्यय रूपया- 13770563.75 के निर्माण कार्य कराये गये, जिसके सापेक्ष 1 प्रतिशत् की दर से लेबर सेस रूपया- 137705.6 कटौती की जानी अपेक्षित थी, जो कि नही की गयी। इस प्रकार लेबर सेस रूपया- 137705.60 की नियमानुसार कटौती न किये जाने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री तेजभान सिंह, श्री अरूण कुमार सिंह, श्री दयाराम सेठ** एवं लेखाकार **श्री अशोक कुमार** उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या– **17**)

प्रस्तर 101 अनुदान पंजिका तीन के अनुसार वर्ष- 2017-18 में विधायक निधि से रूपया- 1244803.7, चतुर्थ राज्य वित्त से रूपया- 5947562.00 कुल ब्यय रूपया- 7192365.7 के निर्माण कार्य कराये गये, जिसके सापेक्ष 1 प्रतिशत् की दर से लेबर सेस रूपया- 71923.6 कटौती की जानी अपेक्षित थी, जो कि नही की गयी। इस प्रकार लेबर सेस रूपया- 71923.60 की नियमानुसार कटौती न किये जाने के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री दयाराम सेठ, डा0 आराधना त्रिपाठी** एवं लेखाकार **श्री अशोक कुमार** उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या– **18**)

प्रस्तर 102 वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजिका तीन के अनुसार अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में माह- अप्रैल 2015 में रूपया- 11309.00 प्रारम्भिक शेष रूपया- 11309.00 था। जिसके सापेक्ष रूपया- 1309.00 ब्यय किया गया तथा शेष रूपया- 10000.00 अंकित पाया गया। उक्त अंन्तिम अवशेष माह मई 2015 में भी अंकित पाया गया। किन्तु माह - जून 2015 में उक्त अन्तिम अवशेष बिना ब्यय दर्शाये समाप्त कर दिया गया। माह- मार्च 2016 में उक्त योजना में प्रारम्भिक अवशेष शून्य दर्शाते

हुये रूपया- 197500.00 आय दर्शाया गई तथा बिना कोई ब्यय दर्शाये अन्तिम अवशेष भी रूपया- 197500.00 दर्शाया गया। इस प्रकार बिना ब्यय दर्शाये तथा ब्यय प्रमाणको के अभाव में रूपया- 10000.00 का अपहरण पाया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजभान सिंह, श्री जयकेश त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या– 21)

प्रस्तर 103 वर्ष- 2015-16 में तृतीय राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत माह- अप्रैल 2015 में अन्तिम अवशेष रूपया- 584574.00 अनुदान पंजिका तीन में दर्शित पाया गया। माह- मई 2015 में प्रारम्भिक अवशेष रूपया- 584574.00 के सापेक्ष रूपया- 1001342.00 का ब्यय दर्शाया गया तथा अन्तिम अवशेष रूपया- 416768.00 ऋणात्मक दर्शाया गया। माह- जून 2015 में रूपया- 1800.00 का ब्यय दर्शाया गया तथा अन्तिम अवशेष रूपया- 418568.00 ऋणात्मक दर्शाया गया। माह- जुलाई 2015 में रूपया- 153500.00 का ब्यय दर्शाया गया तथा अन्तिम अवशेष रूपया- 572068.00 ऋणात्मक दर्शाया गया। उक्त माहों में सम्बन्धित योजना में धनराशि उपलब्ध न होने के उपरान्त् भी ब्यय दर्शाये जाने का औचित्य भी स्पष्ट नही पाया गया। उक्त ऋणात्मक ब्यय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजभान सिंह, श्री जयकेश त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या– 22)

प्रस्तर 104 वर्ष- 2015-16 में अनुदान पंजिका तीन के अनुसार तेरहवे वित्त योजना में माह- फरवरी 2016 में अन्तिम अवशेष रूपया- 17140.00 दर्शित पाया गया। माह- मार्च 2016 में प्रारम्भिक अवशेष रूपया- 17140.00 के सापेक्ष ब्यय रूपया- 79100.00 दर्शित पाया गया। इस प्रकार अन्तिम अवशेष रूपया- 61960.00 ऋणात्मक दर्शित पाया गया। उक्त माह में सम्बन्धित योजना में धनराशि उपलब्ध न होने के उपरान्त् भी ब्यय दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट नही पाया गया। उक्त ऋणात्मक ब्यय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजभान सिंह, श्री जयकेश त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या– 23)

प्रस्तर 105 वर्ष- 2015-16 में अनुदान पंजिका तीन के अनुसार विधायक निधि में माह- अप्रैल 2015 में प्रारम्भिक अवशेष रूपया- 819634.00 दर्शित पाया गया। रूपया-259000.00 आय दर्शित की गयी, इस प्रकार कुल रूपया- 1078634.00 के सापेक्ष रूपया- 1351719.00 का व्यय दर्शाया गया, इस प्रकार माह- अप्रैल 2015 में अन्तिम अवशेष रूपया- 273085.00 ऋणात्मक दर्शित पाया गया। उक्त माह में सम्बन्धित योजना में धनराशि उपलब्ध न होने के उपरान्त् भी ब्यय दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट नही पाया गया। उक्त ऋणात्मक ब्यय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजभान सिंह, श्री जयकेश त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या– 24)

प्रस्तर 106 वर्ष- 2016-17 में अनुदान पंजिका तीन के अनुसार लोहिया आवास वसूली मद में माह- जून 2016 में रूपया- 70000.00 आय दर्शायी गयी है। रूपया- 70000.00 ही अन्तिम अवशेष दर्शाया गया है।

जबकि माह- जूलाई 2016 में रूपया- 90000.00 प्रारम्भिक अवशेष दर्शाते हुये रूपया- 90000.00 का ब्यय दर्शाकर अन्तिम अवशेष रूपया- शून्य दर्शाया गया है। इस प्रकार रूपया- 20000.00 से प्रारम्भिक अवशेष को बिना आय में दर्शाये बिना औचित्य के बढ़ा दिया गया तथा बिना आय के रूपया- 20000.00 के अधिक का व्यय भी दर्शाया गया है। इस प्रकार रूपया- 20000.00 बिना आय के ब्यय दर्शाये जाने का औचित्य नही पाया गया है। यह अनियमितता है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री तेजभान सिंह, श्री अरूण कुमार सिंह, श्री दयाराम सेठ एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या– 26)

प्रस्तर 107 वर्ष- 2017-18 में अनुदान पंजिका तीन में इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी में माह- जून 2017 में रूपया- 41646.00 प्रारम्भिक अवशेष दर्शाया गया है। रूपया- 41646.00 को आय पक्ष में दर्शाया गया तथा योग शून्य दर्शाया गया एवं रूपया- 41646.00 व्यय दर्शाया गया व अन्तिम अवशेष रूपया- 37860.00 दर्शाया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है सम्बन्धित लेखाकार द्वारा उक्त मद में गलत प्रविष्टियां अंकित की गयी है। माह- जूलाई 2017 में प्रारम्भिक शेष रूपया- 3786.00 दर्शाया गया जो कि अन्तिम अवशेष से भिन्न है। माह- अक्टूबर 2017 में प्रारम्भिक अवशेष रूपया- 69460.00 दर्शाया गया तथा रूपया- 69460.00 ब्यय दर्शाया गया एवं रूपया- 48238.00 अन्तिम अवशेष अनुदान पंजिका तीन में दर्शाया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। अन्तिम अवशेष रूपया- शून्य हो जाना चाहिए था। जबकि माह- नवम्बर 2017 में रूपया- 48238.00 प्रारम्भिक अवशेष दर्शाते हुये रूपया- 46432.00 का ब्यय दर्शाते हुये रूपया- 1806.00 अन्तिम अवशेष में दर्शाये गये। माह- दिसम्बर 2017 में रूपया- 9000.00 का व्यय दर्शाते हुये रूपया- 7194.00 ऋणात्मक अन्तिम अवशेष दर्शाया गया। माह- जनवरी 2018 में रूपया- 7194.00 ऋणात्मक प्रारम्भिक दर्शाया गया तथा रूपया- 2059506.00 आय दर्शायी गयी तथा कुल योग भी रूपया- 2059506.00 दर्शाया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। उक्त माह में रूपया- 47192.00 ब्यय दर्शाते हुये रूपया- 2003314.00 अन्तिम अवशेष दर्शाया गया यह भी त्रुटिपूर्ण पाया गया। इस प्रकार माह- मार्च 2018 में उक्त मद में अन्तिम अवशेष रूपया- 1532072.00 दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में जाचोपरांन्त् अन्तिम अवशेष रूपया- 1483634.00 पाया गया। जो कि रूपया- 48438.00 से कम है। यह धन का अपहरण दर्शित करता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दयाराम सेठ, डा0 आराधना त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(सामान्य आपत्ति संख्या–27)

20 क्षेत्र पंचायत - कौड़िहार **जनपद - प्रयागराज**

लेखा परीक्षा वर्ष- 2018-2019 से 2020-21

आपतियों का विवरण

प्रस्तर 108 क - दिनांक 28-03-2018 को हुसैनपुर में पुलिया निर्माण पर कुल रुपया 362509.00 का व्यय यां० रजि० में दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष 2% जीएसटी/टीडीएस (7250.18),2% आइ

टी/ टीडीएस (7250.18) एवं 1% लेबर सेस (3625.99) अर्थात कुल रुपया 18125.00 की कटौती की जमा पुष्टि का व्यय प्रमाणक / रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से पुष्टि नहीं हो सकी । नियमानुसार प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को जमा करके अभिलेख रखे जाने के निर्देश है परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया की उक्त व्यय प्रमाणक अव्यवस्थित, गार्डफ़ाइल, मे नहीं रखी गई इससे स्पष्ट होता है की उक्त कटौतियाँ संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराई गई येसी स्थिति में वितीय अनियमितता है मय ब्याज वसूली एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी श्रीमती आराधना त्रिपाठी (बीडीओ) अवर अभियंता सी० पी० मौर्या, अरविन्द कुमार, कृष्ण कुमार एवं लेखाकार श्री अशोक कनौजिया पर अपेक्षित है ।

(ख) दिनांक 28-03-2018 को एडीओ (पी) कक्ष में एलमुनियम केविन निर्माण पर रुपये 39485.00 का व्यय ग्रां० रजि० में दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष 2% जीएसटी/टीडीएस (789.7), 2% आइ टी / टीडीएस (789.7) एवं 1% लेबर सेस (394.85) अर्थात कुल रुपया 1974.25 की कटौती की जमा पुष्टि का व्यय प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से पुष्टि नहीं हो सकी/नियमानुसार प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को जमा करके अभिलेख रखे जाने के निर्देश है परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया की उक्त व्यय प्रमाणक अव्यवस्थित, गार्डफ़ाइल, मे नहीं रखी गई इससे स्पष्ट होता है की उक्त कटौतियाँ संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराई गई येसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता है मय ब्याज वसूली एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी श्रीमती आराधना त्रिपाठी (बीडीओ) अवर अभियंता सी० पी० मौर्या, अरविन्द कुमार, कृष्ण कुमार एवं लेखाकार श्री अशोक कनौजिया पर अपेक्षित है

(ग) दिनांक 04-06-2018 को अहमदपुर पावन में इंटरलॉकिंग निर्माण पर रुपये=341975.00 का व्यय यां० रजि० में दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष 2% जीएसटी/टीडीएस (6839.5),2% आइ टी/ टीडीएस (6839.5) एवं 1% लेबर सेस (3419.75) अर्थात कुल रुपया 17098.75 की कटौती की जमा पुष्टि का व्यय प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से पुष्टि नहीं हो सकी/नियमानुसार प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को जमा करके अभिलेख रखे जाने के निर्देश है परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया की उक्त व्यय प्रमाणक अव्यवस्थित, गार्डफ़ाइल, मे नहीं रखी गई इससे स्पष्ट होता है की उक्त कटौतियों संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराई गई येसी स्थिति में वितीय अनियमितता है मय ब्याज वसूली एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी श्रीमती आराधना त्रिपाठी (बीडीओ) अवर अभियंता सी० पी० मौर्या, अरविन्द कुमार, कृष्ण कुमार एवं लेखाकार श्री अशोक कनौजिया पर अपेक्षित है ।

(घ) दिनांक 04-09-2018 को बुदौना में इंटरलॉकिंग निर्माण पर रुपये 546963.00.00 का व्यय यां० रजि० में दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष 2% जीएसटी/टीडीएस (10936.26), 2% आंइ टी/ टीडीएस(10936.26) एवं 1% लेबर सेस (5469.63) अर्थात कुल रुपया 27348.15 की कटौती की जमा पुष्टि का व्यय प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से पुष्टि नहीं हो सकी। नियमानुसार प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को जमा करके अभिलेख रखे जाने के निर्देश है परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया की उक्त व्यय प्रमाणक अव्यवस्थित, गार्डफ़ाइल, मे नहीं रखी गई इससे स्पष्ट होता है की उक्त कटौतियाँ संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराई गई येसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता है मय ब्याज

वसूली एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी श्रीमती आराधना त्रिपाठी (बीडीओ) अवर अभियंता सी० पी० मौर्या, अरविन्द कुमार, कृष्ण कुमार एवं लेखाकार श्री अशोक कनौजिया पर अपेक्षित है।

(ड) दिनांक 11-09-2018 को हथिगहा मे इंटरलॉकिंग निर्माण पर रुपये 711559.00.00.00 का व्यय ग्रां० रजि० में दर्शित है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष 2% जीएसटी/टीडीएस (14231.18),2% आइ टी/टीडीएस (14231.18) एवं 1% लेबर सेस (7115.59) अर्थात कुल रुपया=35577.95 की कटौती की जमा पुष्टि का व्यय प्रमाणक / रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से पुष्टि नहीं हो सकी/नियमानुसार प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को जमा करके अभिलेख रखे जाने के निर्देश है परंतु लेखा परीक्षा में पाया गया की उक्त व्यय प्रमाणक अव्यवस्थित, गार्डफ़ाइल, मे नहीं रखी गई इससे स्पष्ट होता है की उक्त कटौतियाँ संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराई गई येसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता है मय ब्याज वसूली एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी श्रीमती आराधना त्रिपाठी (बीडीओ) अवर अभियंता सी० पी० मौर्या, अरविन्द कुमार, कृष्ण कुमार एवं लेखाकार श्री अशोक कनौजिया पर अपेक्षित है / (सा0 आ० सं-03)

प्रस्तर 109 -खंड विकास अधिकारी के कक्ष मरम्मत सामग्री का भुगतान रुपये 19100.00 शेख कुतुबउद्दीन (आईएसबी) को किया गया है जो की तत्कालीन राजकीय कर्मचारी रहे है नियम विरुद्ध उक्त धनराशि का भुगतान किया गया साथ ही लेखा परीक्षा से संबंधित अभिलेख भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा येसी स्थिति में उक्त धनराशि का गबन है मय ब्याज वसूली एवं नियमानुसार विभागीय कार्यवाही उत्तरदायी आहरण वितरण अधिकारी श्रीमती आराधना त्रिपाठी (बीडीओ) अवर अभियंता सी० पी० मौर्या, अरविन्द कुमार, कृष्ण कुमार एवं लेखाकार श्री अशोक कनौजिया पर अपेक्षित है ।

(सा० आ० सं-04)

21 क्षेत्र पंचायत- कौड़िहार जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 110- कौड़िहार ब्लॉक परिसर मे शहीद चबूतरा के बगल मे रुपये 862000.00 का इंटर लॉकिंग का कार्य कराया जाना दर्शित है किन्तु उक्त कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा मे अभिलेख यथा-परिसंपत्ति रजिस्टर,निर्माण कार्य पत्रावली ,प्री एस्टमेट ,एम बी, कार्यवाही रजिस्टर, टेंडर/ कोटेशन पत्रावलि आदि अप्राप्त होने से उक्त धनराशि के गबन से इनकार नहीं किया जा सकता इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- श्री विकास शुक्ला, श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता, श्री रमाशंकर सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री टी०के० सिंह, लेखाकार श्री अशोक कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री सी०पी० मौर्या, आर० आई० डी०, श्री कृष्ण कुमार, जे० ई०. एम० आई०, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है (पैरा 1)

प्रस्तर111- ग्राम पंचायत पिथिपूर मे इत्ते कोटेदार के घर के पास कूप मरम्मत कार्य मे रुपये 131000.00 ग्रांट रजिस्टर मे दर्शित है किन्तु उक्त कार्य से संबंधित कोई भी अभिलेख यथा -परिसंपत्ति रजिस्टर ,प्री स्टिमेट ,स्टिमेट ,एम बी, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत टेंडर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा अप्राप्ति की स्थिति से यह प्रामाणिक होता है की उक्त धनराशि को संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गवन किया गया इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- श्री विकास शुक्ला, श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता,

श्री रमाशंकर सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री टी०के० सिंह, लेखाकार श्री अशोक कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री सी०पी० मौर्या, आर० आई० डी०, श्री कृष्ण कुमार, जे० ई०. एम० आई०, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है (पैरा 2)

प्रस्तर 112- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0 45777013-00 जो वर्षान्त में 31-03-2022 को भी उक्त राशि अंकन 45777013-00 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- श्री विकास शुक्ला, श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता, श्री रमाशंकर सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री टी०के० सिंह, लेखाकार श्री अशोक कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री सी०पी० मौर्या, आर० आई० डी०, श्री कृष्ण कुमार, जे० ई०. एम० आई०, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्रसं	मद का नाम	अंतिम अवशेष
1	2	3
1	पंचम राज्य वित्त	16603554.00
2	पन्द्रहवा केन्द्रीय वित्त	26778521.00
3	पंचम/केन्द्रीय/विधायक निधि /जमानत कटौती	1875275.00
4	मुख्यमंत्री शादी अनुदान	48208.00
5	गोवंश आश्रय/गोवंश सुपुर्दगी	135340.00
6	विधायक निधि	32730.00
7	सामान्य ब्याज	8385.00
8	**योग**	**45777013.00**

(पैरा 5)

प्रस्तर 113- क्षेत्र पंचायत कौड़िहार मे वर्ष- 2021-22 मे प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत प्राप्त कर जो निर्माण कार्य कराए गए है उनमे अधिकतर निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराए गए /शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14-93 जी0 /2004 टी 0 सी 0 दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतें सब्सिडियारीति के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करेगी अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता था वह उसी स्तर से कराया जाए और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए /इसी शासनादेश मे क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित करेगी /इसका उलँघन शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी0 /2004 दिनांक 12-1-2015 के निर्देशों का उलँघन होगा /पुनः पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं -1838/33-2-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा निर्देशित किया गया की क्षेत्र पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदान से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराएगी /पंचायती राज अनुभाग -2 शासनादेश सं -5837/33-2-2017-122 जी 0/17 दिनांक 20-02-17 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया की क्षेत्र पंचायते एक गाव के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कराएगी अगर एसा किया जाता जाता है तो इस हेतु खंड विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे /उपरोक्त सभी आदेशों /निर्देशों का उलँघन करते हुए क्षेत्र पंचायत कौड़िहार के ग्राम पंचायत हथिगवा मे रुपये 3100000.00 का वर्ष -2021-22 मे अधिकतर निर्माण /मरम्मत कार्य की स्वीकृत देकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है/ इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार

एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- श्री विकास शुक्ला, श्रीमती अस्मिता सेन, श्री श्रीश गुप्ता, श्री रमाशंकर सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री टी०के० सिंह, लेखाकार श्री अशोक कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री सी०पी० मौर्या, आर० आई० डी०, श्री कृष्ण कुमार, जे० ई०. एम० आई०, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (पैरा 12)

22 क्षेत्र पंचायत- कौंधियारा जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 114- आलोच्य वर्ष-2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजि- तृतीय के अनुसार 31.03.2022 को धनराशि 28425226.35 अवशेष रहे, उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय न कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसका दायित्व पर रहा, विवरण निम्नावत है। खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती मीना सिंह लेखाकार- श्री रोहित आर्य जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्र.सं.	मद का नाम	अंतिम शेष
1	विधायक निधि	19466
2	राज्यवित्त आयोग	6687149-35
3	तेरहवॉ वित्त आयोग	407
4	पन्द्रहवॉ वित्त आयोग	19120340
5	सांसद निधि	21442
6	ब्याज	81326-52
7	तकनीकी एवं प्रषसनिक मद	766811
8	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	434170-18
9	टेण्डर फार्म विक्री / जमानत धनराषि	373197
10	अस्थायी गौवन्ष आश्रयस्थल	683851-30
11	ब्लाक प्रबन्धन इकाई मिषन	669
12	वी0वी0पी0 कन्टीजेन्सी	20000
13	गोपालक को सुपुदर्गी	216060
14	ठेकेदार /आपूर्ति कत्र्ता से आयकर कटौती	337
योग -		28425226.35

(पैरा-6)

प्रस्तर 115- क्षेत्र पंचायत कौधियारा द्वारा वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया हैः-

क्रसं	मद का नाम	वर्ष 2021-22
1	राज्य वित्त	10260174
2	विधायक निधि	111075
3	केन्द्रीय वित्त	7621772
योग		17993021.00

संस्था द्वारा आलोच्य वर्षो में व्यय रु0- 17993021.00 किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते हुए गंभीर वित्तिय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रु0- 17993021.00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0- 179930.21 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लेबर विभाग के खाते में ना कर गंभीर अनियमितता की गई है इसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती मीना सिंह लेखाकार- श्री रोहित आर्य जिम्मेदार है। खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती मीना सिंह लेखाकार- श्री रोहित आर्य को बराबर-बराबर रुप से जिम्मेदार किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-17)

23 क्षेत्र पंचायत- धनुपूर जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 116- ग्रांट रजिस्टर के अनुसार दिनांक- 31-03-2022 को रुपये 10920.00 राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम एवं रुपये-21793.00 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत कुल धनराशि रुपये-32713.00 विगत कई वर्षो से अवशेष पड़ी है अनुदान की धनराशि सदुपयोग न होने की दशा मे संबंधित विभाग के माद्यम से राज्य सरकार को अनुदान की धनराशि वापस कर दिया जाना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा एसा कोई प्रयास नहीं किया गया है /यह अनुदान की धनराशि क्षेत्र पंचायत द्वारा संचालित किस बैंक खाते मे जमा है पुष्टि भी नहीं कराई गई जो गंभीर अनियमितता है, इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री अखिलेश कुमार तिवारी, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, श्री कुलदीप कुमार, श्रीमती मृदुला, श्री मनोज कुमार सिंह, एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 4)

प्रस्तर 117- अनुदान रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष -2020-21 मे 29 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 मे मात्र 34.40 प्रतिशत ही व्यय किया गया उल्लेखनीय है की शासन द्वारा संथा को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष मे उपभोग हेतु दिया जाता है जिसका समयान्तर्गत उपभोग न होने की दशा मे बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है । यह इस तथ्य / बात का सूचक की अनुदान के उपभोग पर खंड विकास अधिकारी का नियंत्रण ठीक ठाक नहीं रहा वर्षांत अवशेष कुल अनुदान की धनराशि क्रमशः रुपये -32573390.00 व रुपये -47789757.00 किन कुल रुपया- 80363147-00 का उपभोग नहीं किया जा सका, जो कि गंभीर अनियमितता है, इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री अखिलेश कुमार तिवारी, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, श्री कुलदीप कुमार, श्रीमती मृदुला, श्री मनोज कुमार सिंह, एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(पैरा 6)

प्रस्तर 118 - क्षेत्र पंचायत धनुपूर द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 मे प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत प्राप्त कर जो निर्माण कार्य कराए गए है उनमे अधिकतर निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराए गए /शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14-93 जी0 /2004 टी 0 सी 0 दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतें सब्सिडियारीति के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करेगी अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता था वह उसी स्तर से कराया जाए और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए /इसी शासनादेश मे क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित करेगी /इसका उलँघन शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी0 /2004 दिनांक 12-1-2015 के निर्देशों का उलँघन होगा /पुनः पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं -1838/33-2-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा निर्देशित किया गया की क्षेत्र पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदान से

एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराएगी /पंचायती राज अनुभाग -2 शासनादेश सं -5837/33-2-2017-122 जी 0/17 दिनांक 20-02-17 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया की क्षेत्र पंचायते एक गाव के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कराएगी अगर एसा किया जाता जाता है तो इस हेतु खंड विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे /उपरोक्त सभी आदेशों /निर्देशों का उलँघन करते हुए क्षेत्र पंचायत धनुपूर द्वारा वर्ष -2020-21 मे रुपये- 9947355.00 एवं 2021-22 मे रुपये- 20969268.00 निर्माण/मरम्मत सौन्दरीकरण कार्य निम्न ग्राम पंचायत- शंकरपुर, मिदूरा, कुकुढ़ा, पियारी आमेपुर, महाराजपुर, दमगढ़ा, लोकमानपुर, सरेहूए, भुई, बहुपुर, मवैया, मसाधि, भोपतपुर, बख्तियारा, बंदीपट्टी जराव, मिश्री, देवा विक्रमपुर, फरीदपुर, मर्रौ, कोटदाक्षिण, कॉगयापुर, दत्तपुर,बिथौली,पहारपुर,अढ़नी,गिर्दकोट,बनपुरवा,कलना,करारीभदौली,एवं शुकुलपुर मे मात्र एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे के घर तक अथवा एक विशिष्ठ स्थान से दूसरे स्थान तक निर्माण कार्य की स्वीकृत देकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है/इस हेतु इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री अखिलेश कुमार तिवारी, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, श्री कुलदीप कुमार, श्रीमती मृदुला, श्री मनोज कुमार सिंह, एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 9)

24 क्षेत्र पंचायत- मांडा जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 119- लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अंतर्गत रुपये -3046200.00 का व्यय किया जाना दर्शित है उक्त के सापेक्ष कराए गए कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा मे जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई ,जिससे ग्राम विकास अनुभाग -3 के शासनादेश सं 2305/38-3-2001-500(9)/ 99 टीसी /लखनऊ दिनांक 05-07-2001 के परिपालन मे विधायक निधि /सांसद निधि के अंतर्गत कार्यदाई संस्थाओ को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवन करने के संबंध मे दिए गए मार्ग दर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा मे नहीं की जा सकी /पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण विकास विभाग अनुभाग-3 के शासनादेश सं ग्राम्य 91 वि0 नी0 (1) /38-3-2002 दिनांक 10-04-2002 द्वारा दिए गए विधायक निधि /सांसद निधि के मार्गदर्शक सिद्धांतों के परिपालन की जानकारी नहीं हो सकी /अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति मे गंभीर अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ,जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री रमाशंकर सिंह एवं लेखाकार श्री मदन लाल पटेल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 1)

प्रस्तर 120- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0 67146630.00 जो वर्षान्त में 31-03-2022 को भी उक्त राशि अंकन 67146630.00 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। खण्ड विकास अधिकारी- तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री रमाशंकर सिंह एवं लेखाकार श्री मदन लाल पटेल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्रम	मद का नाम	अंतिम अवशेष
1	2	3
1	बायो गैस	22045.00

2	राज्यवित्त एवं पंचमवित्त	25426661.00
3	13वा राज्यवित्त	41747.00
4	सांसद निधि	89070.00
5	अंबेडकर विशेष रोज0 योजना	178198.00
6	युवक मंगल दल प्रोत्साहन भत्ता	20200.00
7	आपूर्तिकर्ता आयकर कटौती	13533.00
8	आपूर्तिकर्ता वैटकर कटौती	106746.00
9	विधायक निधि	1135715.00
10	14वांवित्त प्रशासनिक मद	952663
11	15 वां वित्त आयोग	33256095.00
12	सामान्य ब्याज	233581.00
13	अस्थाई गोवंशआश्रय स्थल	3765327.00
14	धरोहर/जमानत राशि	800017.00
15	उद्गम स्थान पर आयकर कटौती	102945.00
16	14वांवित्त ग्राम पंचायत प्रशासनिक मद	959205.00
17	गौ पालक सुपुर्दगी	42882.00
योग		67146630.00

(पैरा 4)

प्रस्तर 121- दिनांक 23-02-2023 को रुपये-17230.00 ,रुपये -29391.00,रुपये -10497.00, रुपये -27821.00, रुपये -22912.00 जी0 एस0 टी0 एवं आयकर की कटौती ग्रांट रजिस्टर मे विभिन्न कार्य क्रमशः सुरेन्द्र गौतम के घर से समरजीत के घर तक इंटर- लॉकिंग,प्रेम शंकर के घर से संगमलाल के घर तक इंटरलॉकिंग , बिंदबली के घर से पाल बस्ती तक इंटरलॉकिंग,दंडपान मे पिच रोड से सोनू मौर्या के घर तक इंटरलॉकिंग, महेश सिंह के घर से शंभू नाथ के घर तक इंटरलॉकिंग दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा मे जी0 एस0 टी0 एवं आयकर(टीडीएस)की कटौती संबंधी जमा चालान रसीद प्रस्तुत न करने से कुल रुपये-107851.00 की पुष्टि नहीं हो सकी खण्ड विकास अधिकारी- तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री रमाशंकर सिंह एवं लेखाकार श्री मदन लाल पटेल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व है । उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा 5)

प्रस्तर 122- क्षेत्र पंचायत मांडा मे वर्ष- 2021-22 मे प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत प्राप्त कर जो निर्माण कार्य कराए गए है उनमे अधिकतर निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराए गए /शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14-93 जी0 /2004 टी0 सी0 दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतें सब्सिडियारीति के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करेगी अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता था वह उसी स्तर से कराया जाए और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए /इसी शासनादेश मे क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित करेगी /इसका उलँघन शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी0 /2004 दिनांक 12-1-2015 के निर्देशों का उलँघन होगा /पुनः पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं -1838/33-2-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा निर्देशित किया गया की क्षेत्र पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदान से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराएगी /पंचायती राज अनुभाग -2 शासनादेश सं -5837/33-2-2017-122 जी 0/17 दिनांक 20-02-17 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया की क्षेत्र पंचायते एक गाव के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कराएगी अगर एसा किया जाता जाता है तो इस हेतु खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे /उपरोक्त सभी आदेशों /निर्देशों का उलँघन करते हुए क्षेत्र

पंचायत मांडा के ग्राम पंचायत सैबसा, चिलबिला, पयागपुर, बरहाकला, पियारी, दंडपानपुर, दशवार,धनावल,कोषणाखुर्द,बखाऊरा,सुरबादलपुर,गौरैयाकला,मांडा खास प्रमुख कार्यालय, दोहथा,मे रुपये - 7670400.00 का वर्ष -2021-22 मे अधिकतर निर्माण /मरम्मत कार्य की स्वीकृत देकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री रमाशंकर सिंह एवं लेखाकार श्री मदन लाल पटेल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 8)

25 क्षेत्र पंचायत- हँडिया जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 123- लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि अनुदान पंजी भाग- 03 में जमानत एवं फार्म बिक्री मद एक साथ ही प्रविष्टि कर दी गयी है । दिनांक- 01-04-2021 को इस संयुक्त मद में रू0- 37171.00 अवशेष दर्शाया गया था। आलोच्य वर्ष- 2021-22 में अनुदान पंजी- 03 में इस मद में आय रू.- 00 एवं रू.-00 व्यय दिखाया गया । इस प्रकार 31-03-2022 को रू.- 37171.00 अवशेष रहे । लेखा परीक्षा में जमानत पंजी तथा फार्म बिक्री पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी । नियमानुसार जमानत मद तथा फार्म बिक्री से आय अलग अलग दिखाना चाहिए था तथा जमानत नियमानूसार वापस की जानी चाहिए थी एवं फार्म बिक्री से आय शासन के खाते में जमा की जानी चाहिए थी । विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस गंभीर अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है जिससे रू.- 37171.00 का वर्षवार वर्गीकरण कर उचित मद में प्रविष्टि कर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा सके ।इस हेतु तत्कालीन नाम खण्ड विकास अधिकारी- श्री राज बहादुर यादव, श्री विकास शुक्ला, श्री देव कुमार, नाम लेखाकार- श्री कुलदीप यादव उत्तरदायित्व है। **उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है**

(पैरा-11)

प्रस्तर 124- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में संस्था का प्रारंभिक अवशेष रू0- 23366165.10 , वर्ष की आय रू0- 36328041.00 तथा वर्ष का व्यय रू0- 13804556.60 एवं वर्षांत अवशेष रू0- 45889649.50 रहा । स्पष्ट है क्षेत्र पंचायत द्वारा मात्र 22.28 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग किया गया है । संस्था को अनुदान विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिया जाता है जिसका समय से उपयोग नहीं किये जाने से शासन के उद्देश्य पूरे नहीं होते । इस हेतु तत्कालीन नाम खण्ड विकास अधिकारी- श्री राज बहादुर यादव, श्री विकास शुक्ल, श्री देव कुमार, नाम लेखाकार- श्री कुलदीप यादव उत्तरदायित्व है। जिसका विवरण निम्नवत् है। **उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है**

क्र0	मद अनुदान	अंतिम अवशेष(31/03/2022)
01	डुबकी कला आंगनबाडी केंद्र	75798.00
02	नौ अदद आंगनबाडी केंद्र्र	29122.00
03	चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग	20255882.81
04	अंबेडकर विशेष रोजगार	8968.65
05	युवक मंगल दल	2000.00
06	जमानत व फार्म बिक्री	37171.00
07	हैंडपंप मरम्मत	37500.00
08	पंचायत प्रशिक्षण स्वच्छता	11020.00

09	इंदिरा आवासा कंटिंजेंसी	902.00
10	इंदिरा आवास शौचालय	6000.00
11	महामाया आवास शौचालय	11933.00
12	स्वजल धारा	300.00
13	विज्ञान संचारकों का नेटवर्क	8000.00
14	विधायक निधि	18518.00
15	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल	57743.30
16	विभिन्न मदों से प्राप्त ब्याज	297664.34
17	नीर	99000.00
18	केंद्रीय वित्त आयोग	23911511.70
19	सांसद निधि	1022703.00
20	जी एस टी एवं आयकर	(-) 2088.30
योग -		**45889649.50**

(पैरा-12)

प्रस्तर 125- क्षेत्र पंचायत के आलोच्य वर्ष में ग्रान्ट रजिस्टर- 3 में जी0एस0टी0 एवं आयकर से वर्ष में प्राप्त रूपया- 249007.00 एवं वर्ष में उपभोग रूपया- 251096.00 अंकित है। जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती का विवरण पृथक पृथक मदवार अंकित किया जाना अपेक्षित है। जी0एस0टी0 एवं आयकर कटौती की पुष्टि के सापेक्ष चालान प्रस्तुत नही किये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रान्ट रजिस्टर- 3 में दिनांक- 31-03-2022 को रूपया- 2088.30 ऋणात्मक दर्शित है। जिसका औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया अपेक्षित है। साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में लेबर सेस एवं रायल्टी की कटौती का विवरण ग्रान्ट रजिस्टर 3 में अंकित नही किया गया है। लेबर सेस एवं रायल्टी की नियमानुसार कटौती का विवरण चालान सहित स्पष्ट न किया जाना गंभीर अनियमितता है। इस हेतु तत्कालीन नाम खण्ड विकास अधिकारी- श्री राज बहादुर यादव, श्री विकास शुक्ला, श्री देव कुमार, नाम लेखाकार- श्री कुलदीप यादव उत्तरदायित्व है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **पैरा-13)**

26 क्षेत्र पंचायत- होलागढ़ जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2016-17 से 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 126- आलोच्य वर्ष- 2021-22/2020-21/2019-20/2018-19/2017-18/2016-17 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0 3834474.00 /5220360-00/ 10809053-00/ 4851962-00/ 1717324.00/ 4347313.00 जो वर्षान्त में 31-03-2022/ 31-03-2021/31-03-2020/31-03-2019/31-03-2018/31-03-2017 को भी उक्त राशि अंकन- 3834474.00/ 5220360-00/ 10809053-00/4851962-00/ 1717324.00/4347313.00 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। उक्त के विषय में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि का समय से निस्तारण अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17

क्र.सं.	मद का नाम	अंतिम शेष
1	विधायक निधि	515657
2	राज्यवित्त आयोग	3527010
3	संासद निधि	16314
4	ब्याज	87368

5	युवक मंगल दल प्रोत्साहन	18000
6	इ0आ0प्र0व्यय0	182964
	योग -	4347313.00

वर्ष 2017-18

क्र.सं.	मद का नाम	अंतिम शेष
1	विधायक निधि	487221
2	राज्यवित्त आयोग	207967
3	संासद निधि	16314
4	ब्याज	87368
5	युवक मंगल दल प्रोत्साहन	18000
6	इ0आ0प्र0व्यय0	1000
7	स्वच्छ भारत मिशन	378500
8	प्र0आ0ग्रा0प्रा0मद	520954
	योग -	1717324.00

वर्ष 2018-19

क्र.सं.	मद का नाम	अंतिम शेष
1	विधायक निधि	491014
2	राज्यवित्त आयोग	3369931
3	संासद निधि	16314
4	ब्याज	87368
5	युवक मंगल दल प्रोत्साहन	18000
6	इ0आ0प्र0व्यय0	50
7	स्वच्छ भारत मिशन	378500
8	प्र0आ0ग्रा0प्रा0मद	90785
9	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल	400000
योग -		**4851962**

वर्ष 2019-20

क्र.सं.	मद का नाम	अंतिम शेष
1	विधायक निधि	494616
2	राज्यवित्त आयोग	9636047
3	सासद निधि	16314
4	ब्याज	87368
5	युवक मंगल दल प्रोत्साहन	18000
6	इ0आ0प्र0व्यय0	50
7	स्वच्छ भारत मिशन	378500
8	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल	190
9	रा0ग्रा0आ0मिशन	115505
10	तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय	62463
	योग -	10809053-00

वर्ष 2020-21

क्र.सं.	मद का नाम	अंतिम शेष
1	विधायक निधि	518679
2	राज्यवित्त आयोग	1578498
3	संसद निधि	16314
4	ब्याज	87368
5	युवक मंगल दल प्रोत्साहन	18000
6	इ0आ0प्र0व्यय0	50
7	स्वच्छ भारत मिशन	378500
8	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल	171
9	रा0ग्रा0आ0मिशन	98285
10	तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय	62463
11	क्षेत्र निधि/केन्द्रीय वित्त	2462032
	योग -	**5220360-00**

वर्ष 2021-22

क्र.सं.	**मद का नाम**	**अंतिम शेष 31-03-2022**
1	**विधायक निधि**	**518679**
2	**राज्यवित्त आयोग**	**898791**
3	**स्वच्छ भारत मिशन**	**378500**
4	**केन्द्रीय वित्त आयोग**	**1668484**
5	**सांसद निधि**	**36989**
6	**ब्याज**	**139614**
7	**युवक मंगल दल प्रोत्शाहन**	**18000**
8	**तकनीकी एवं प्रशसनिक मद**	**62463**
9	**मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना**	**30918**
10	**अस्थायी गौवन्श आश्रयस्थल**	**81986**
11	**इ0आ0प्र0व्यय0**	**50**
योग -		**3834474.00**

(पैरा 7)

प्रस्तर 127- क्षेत्र पंचायत होलागढ़ द्वारा वर्ष 2016-17 से 2021-22 में विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र सं	मद का नाम	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22
1	राज्य वित्त	428700	7092209	4446799	4281409	16079540	8489719
2	विधायक निधि	1759728	1166436	375207	182598	43937	-
3	केन्द्रीय वित्त	--	--	--	--	13137476	10968782
योग		2188428	8258645	4822006	4464007	29260953	19458501

संस्था द्वारा आलोच्य वर्षों में व्यय रु0- 68409840.00 किया गया है। इस व्यय पर संस्था द्वारा शासनादेशों के अनुसार एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस काटा जाना चाहिए था, जो न काटकर संस्था द्वारा

सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुचाया गया है। यह कृत करके संस्था द्वारा शासनादेशों का उल्लघन करते हुए गंभीर वित्तिय अनियमितता की गयी है। नियमानुसार व्यय रु0- 68409840.00 पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस रु0- 684098.40 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शिघ्र लेबर विभाग के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्रान्ट रजिस्टर तीन के अनुसार टी0डी0एस/आयकर एवं जी0एस0टी0 की नियमानुसार कटौती निर्माण कार्यो पर हुए व्यय से नही की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त करो की कटौती करके चालान से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तर दायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 8)

प्रस्तर 128- वर्ष 2021-22 वर्ष में केन्द्र वित्त धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराया गया-

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**कार्य मे व्यय की गई धनराशि**
1	शाहपुर कल्याण नेवादा में राजेश मिश्र के घर के पास कूप मरम्मत कार्य	141504.00
2	शाहपुर कल्याण नेवादा में रामरूप पटेल का कूप मरम्मत	147448.00
3	राजापुर चैबारा में संगम लाल मौर्य कूप मरम्मत	144389.00
4	कल्याणपुर में बदल राम पटेल के घर के पास कूप मरम्मत	144896.00
5	कल्याणपुर में नीरज पाण्डेय के घर के पास कूप मरम्मत	145498.00
6	कल्याणपुर में बैजनाथ का पूरा में शत्रुघ्न सिंह के घर के पास कूप मरम्मत	144389.00
7	मुकुन्दपुर में जितेन्द्र सिंह के घर के पास कूप मरम्मत	162552.00
8	गारवपुर में पन्ना लाल के घर काली माँ मंदिर के पास कूप मरम्मत	144599.00
9	हरीडीह में इन्द्रजीत पटेल के घर के पास कूप मरम्मत कार्य	147667.00
10	तरती में स्व0 सीताराम पाल के घर के पास कूप मरम्मत कार्य	149498.00
11	न्यायीपुर में राजाराम पटेल के घर पास कुआँ मरम्मत कार्य	149103.00
12	चाँदपुर सराय भारत में जयकरण के घर के पास कुँआ मरम्मत कार्य	151372.00
13	अचलूपुर में नीरज शुक्ला के घर पास कूप मरम्मत कार्य	145040.00
योग		1917955.00

उपरोक्त कार्यों के करवाने में पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 का परिपालन नहीं किया गया है और न ही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधान से यह प्रमाण पत्र लेकर लगाया गया है कि उपरोक्त कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं करवाया गया है, जिसके कारण उपरोक्त कार्यों में दोहराव (डुप्लीकेसी) होने की स्थिति है। उपरोक्त कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के परिपालन तथा ग्राम पंचायतों के प्रधानों के प्रमाण पत्र के अभाव में अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रजीत यादव तथा लेखाकार श्री अरविन्द त्रिपाठी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (पैरा 19)

प्रस्तर 129- वर्ष 2021-22 वर्ष में राज्यवित्त धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराया गया-

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**कार्य मे व्यय की गई धनराशि**
1	निगदिलपुर में बुद्धिराम पासी के घर से महादेव तालाब तक पक्की नाली निर्माण कार्य	443200.00
2	पचदेवरा में प्रा0वि0 से रामनरेश गौतम के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य	535629.00

3	उमरिया सारी में इन्द्र बहादुर के घर के पास कूप मरम्मत कार्य	151485.00
4	सराय हरीराम में हरी लाल यादव के घर के पास कूप मरम्मत कार्य	145303.00
5	उमरिया सारी में सुदर्शन पटेल के घर के पीछे इण्टरलाकिंग कार्य	225858.00
6	चाँटी देवतादीन के घर से कल्लू सरोज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	173000.00
7	ग्राम पंचायत पूरबनारा में दयाराम सरोज के घर से इण्टरलाकिंग कार्य	580713.00
8	रैया में बच्चन पासी के घर से रामनरेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	225858.00
योग		2481046.00

उपरोक्त कार्यों के करवाने में पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 का परिपालन नहीं किया गया है और न ही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधान से यह प्रमाण पत्र लेकर लगाया गया है कि उपरोक्त कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं करवाया गया है, जिसके कारण उपरोक्त कार्यों में दोहराव (डुप्लीकेसी) होने की स्थिति है। उपरोक्त कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2015 के परिपालन तथा ग्राम पंचायतों के प्रधानों के प्रमाण पत्र के अभाव में अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रजीत यादव तथा लेखाकार श्री अरविन्द त्रिपाठी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा 20)

27 क्षेत्र पंचायत - चाका जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-2018 से 2019-20

आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर 130— अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार क्षेत्र पंचायत- चाका जनपद- प्रयागराज द्वारा वर्ष 2017-18 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः रूपया- 3348056.00 रूपया-11988030.00 एवं रूपया- 6103220.00 कुल रूपया- 21439306.00 के निम्नवत् मदों के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के सापेक्ष नियमानुसार 1 प्रतिशत् की दर से लेबर सेस रूपया- 214393.06 की कटौती नही की गयी हैए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संन्दीप कुमार एवं श्री नवीन श्रीवास्तव लेखाकार श्री इसरार अहमद एवं श्री प्रमोद कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

वर्ष 2017-18

क्रम संख्या	विवरण	व्यय
1	चतुर्थ राज्य वित्त	2598056
2	सांसद निधि	750000
योग :—		3348056-00

वर्ष **2018-19**

कम संख्या	विवरण	व्यय
1	चतुर्थ राज्य वित्त	5920861
2	सांसद निधि	4751494
3	विधायक निधि	1315675
योग :–		11988030-00

वर्ष **2019-20**

कम संख्या	विवरण	व्यय
1	चतुर्थ राज्य वित्त	3663233
2	विधायक निधि	2439987
योग :–		6103220-00

सामान्य आपत्ति संख्या–**20**

प्रस्तर 131– अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष- 2017-18 में आगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण के मद में माह जुलाई 2017 में प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान व्यय किये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि शून्य दर्शित है। माह- अगस्त 2017 में उक्त मद में आय-ब्यय शून्य अंकित है। माह- सितम्बर 2017 में उक्त मद में रूपया- 22,10000.00 अनुदान प्राप्त करना दर्शाया गया है। जिसमें व्यय नही दर्शाया गया है एवं अवशेष धनराशि रूपया- 22,10000.00 ही दर्शित है। किन्तु आगामी माह- अक्टूबर 2017 में बिना व्यय दर्शाये उक्त मद में सम्पूर्ण अनुदान धनराशि रूपया- 22,10000.00 को शून्य दर्शाया गया है। उक्त मद में बिना व्यय अंकित किये इस प्रकार सम्पूर्ण अनुदान धनराशि रूपया- 22,10000.00 को शून्य दर्शाना संदिग्ध है। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि कोई भी व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे कि उक्त धनराशि के अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संन्दीप कुमार एवं लेखाकार श्री इसरार अहमद उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है सामान्य आपत्ति संख्या-21

28 क्षेत्र पंचायत- चाका जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 132- क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा कराये जाने के संदर्भ में शासनादेश संख्या- आडिट-1598/दस/2011-322(9) दिनांक 25.07.2011, आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक- 805/संप्रेक्षा/क्षेत्र पंचायत ऑडिट/2011-2012, पत्रांक- 1013/संप्रेक्षा क्षेत्र पंचायत आडिट/ 2012 दिनांक 09.01.2012 एवं पत्रांक- 1257/संप्रेक्षा अनु0/ ऑडिट/ सह0 समि0 एवं पंचायत/2017-18 दिनांक 20.11.2017 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि लेखा परीक्षा दल को क्षेत्र पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराते हुए क्षेत्र पंचायत की शत प्रतिशत लेखा परीक्षा पूर्ण कराई जाये। किन्तु कई बार पत्र द्वारा सूचित करने लिखित एवं मौखिक सूचना दिए जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं रहे।

अतः ग्रान्ट रजिस्टर III में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि **5862693.1** पर अधिभार की कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी 1° पवन कुमार गुप्ता 04-05-18 से 12-08-2021, अशोक कुमार मोर्य 12-08-21 से 18-08-21, 3° अस्मिता सेन 18-08-21 से 30-10-21, 4° चन्द्रमणि 30-10-21 से 06-01-22, 5°सपना अवस्थी 06-01-22 से 23-05-22 एवम लेखाकार श्री प्रमोद श्रीवास्तव उत्तरदाई है । उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

आय - व्यय विवरण वर्ष 2021-22 क्षेत्र पंचायत- चाका

क्र0	अनुदान का नाम	वर्ष में व्यय
1	पंचम राज्य वित्त	3019156
2-	ब्याज	145153.4
3-	जमानत	50444
6-	टी.डी.एस	38632
7-	गोवंश आश्रय स्थल	1013305
8-	जी एस टी	126332
9-	बेटी बचाओ बेटी पढाओ	14000
10-	पंद्रहवॉ वित्त	1182786
11-	ब्याज गोवंश	1947
12-	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021	205725
13-	तकनीकी एवं प्रशासनिक मद	65212.7
योग		**5862693.1**

(**पैरा-2**)

प्रस्तर 133- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत, अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0- **14994730.94** जो वर्षान्त में 31-03-2022 को भी उक्त राशि अंकन- **14994730.94** रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। जो गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- पवन कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मौर्य , अस्मिता सेन, चन्द्रमाठी, सपना अवस्थी लेखाकार- श्री प्रमोद श्रीवास्तव उत्तरदायी रहें। अतएव विभागीय अधिकारियो का ध्यान उचित कार्यवाही की ओर आकृष्ट किया जाता है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (**पैरा-5**)

प्रस्तर 134- आलोच्य वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त से रू0 3019156.00 तथा केंद्रीय वित्त से रू0- 1182786.00 व्यय किये गये किंतु उक्त रू0- 4201942.00 से एक प्रतिशत की दर से नियमानुसार रू0- 42019.00 लेबर सेस नहीं काटा गया । जो गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- पवन कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मौर्य , अस्मिता सेन, चन्द्रमाठी, सपना अवस्थी लेखाकार- श्री प्रमोद श्रीवास्तव उत्तरदायी रहें। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (**पैरा-6**)

प्रस्तर 135- ग्रान्ट रजिस्टर 3 में मद के विवरण के समीक्षा से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ठेकेदारो के बिल से नियमानुसार जी0 एस0 टी0 मद में रूपया- 87700.00 प्रारम्भिक शेष था। वर्ष में रूपया- 73741.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल रूपया- 161441.00 के सापेक्ष रूपया- 126332.00 व्यय/जमा दर्शाया गया है तथा रूपया- 35109.00 शेष है। जी0 एस0 टी0 रूपया- 126332.00 व्यय/जमा की पुष्टि में चालान प्रस्तुत नही पाया गया। साथ ही शेष जी0 एस0 टी0 रूपया- 35109.00 सम्बंधित विभाग में जमा नही कराया गया, जो गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए खण्ड विकास

अधिकारी- पवन कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मौर्य , अस्मिता सेन, चन्द्रमाठी, सपना अवस्थी लेखाकार- श्री प्रमोद श्रीवास्तव उत्तरदायी रहें। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-7)

प्रस्तर 136- ग्रान्ट रजिस्टर 3 में मद के विवरण के समीक्षा से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ठेकेदारो के बिल से नियमानुसार आयकर/ टी डी एस मद में रूपया- 00-00 प्रारम्भिक शेष था। वर्ष में रूपया- 73741.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल रूपया- 73741.00 के सापेक्ष रूपया- 38632-00 व्यय/जमा दर्शाया गया है तथा रूपया- 35109.00 शेष है। टी0डी0एस0 रूपया- 38632-00 व्यय/जमा की पुष्टि में चालान प्रस्तुत नही पाया गया। साथ ही टी0डी0एस0 रूपया- 35109.00 शेष आयकर विभाग में जमा नही कराया गया, जो गम्भीर अनियमितता है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- पवन कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मौर्य , अस्मिता सेन, चन्द्रमाठी, सपना अवस्थी लेखाकार- श्री प्रमोद श्रीवास्तव उत्तरदायी रहें। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है **(पैरा-8)**

29 क्षेत्र पंचायत- बहरिया जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर 137- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार विधायक निधि के अन्तर्गत रू0- 890809.75 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के सापेक्ष कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे ग्राम विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 2305/38-3-2001-500(9)/99टीसी /लखनऊ दिनांक 05.07.2001 के परिपालन में विधायक निधि / सांसद निधि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करने एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में दिये गये मार्गदर्शक नियमों के परिपालन की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पत्रावली अप्रस्तुत रहने के कारण विकास अनुभाग-3 के शासनादेश सं० ग्राम्य 91 वी0नि0 (1) / 38-3-2002 दिनांक 10.04.2002 द्वारा दिये गये विधायक निधि / सासद निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपालन की जानकारी नही हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अपहरण की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती कविता तिवारी श्री धीरेन्द्र तिवारी लेखाकार- श्री अरुण कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है

(पैरा-1)

प्रस्तर 138- आलोच्य वर्ष- 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर 3 अनुसार वित्त की अवशेष राशि अंकन रू0 43678190.15 जो वर्षान्त में 31-03-2022 को भी उक्त राशि अंकन रू0- 43678190.15 रही उक्त राशि को समयान्तर्गत व्यय नही किया गया। खण्ड विकास अधिकारी- **श्रीमती कविता तिवारी श्री धीरेन्द्र तिवारी** लेखाकार- **श्री अरुण कुमार त्रिपाठी** उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नवत है-

S.no-	मद का नाम	अंतिम अवशेष
1	2	3
1	राज्य वित्त आयोग	14339740.50
2	केन्द्रीय वित्त आयोग	25315060.00
3	विधायक निधि	850028.70
4	ब्याज	345226.15
5	सांसद निधि	323542.00
6	जमानत	355673.00

7	टेण्डर	286332.00
8	गोवंश आश्रय	363356.80
9	ब्लॉक मिशन	3572.00
10	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	20000.00
11	टी0 डी0 एस0 कटौती	254414.00
12	जीएसटीएन कटौती	221228.00
13	मनरेगा	17.00
	कुल योग -	43678190.15

(पैरा-4)

प्रस्तर 139- संस्था द्वारा निविदा में चयनित आपूर्तिकर्ता से अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि काटी जानी अथवा जमा कराया जाना चाहिये। परन्तु संस्था द्वारा आलोच्य वर्षो की लेखा परीक्षा में किसी भी आपूर्तिकर्ता से जमानत की धनराशि रु. 1827888.14 जमा नहीं करायी गयी है। यह शासनादेशों का घोर उल्लघन है। खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती कविता तिवारी श्री धीरेन्द्र तिवारी लेखाकार- श्री अरुण कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(पैरा-5)

प्रस्तर 140- आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत बहरिया द्वारा चयनित निर्माण कार्य कराए गए हैं उनमें अधिकतर कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी कराए गए हैं । शासनादेश संख्या 04 / 866 / 33-2 -14 -93 जी / 2004 टी सी दिनांक 24 जून 2014 के अनुसार तीनों स्तर की पंचायत सब्सिडियरीटी सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करेंगे अर्थात जो कार्य निचले स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर ढंग से हो सकता है वह कार्य ऊपर के स्तर पर न कराया जाए। इसी शासनादेश में क्षेत्र पंचायत प्राप्त विकास कार्य हेतु अनुदानों से दो या अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित वाले कार्यों को संपादित कराया जाएगा। इसका उल्लंघन शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93G/2004 दिनांक 12/1/ 2015 के निर्देशों का उल्लंघन होगा। पुनः पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या1838/33-2-2015-03/ 2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक या अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराएंगी। पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या- 5837/33-2-2017-112 g /17 दिनांक 20/ 12 /2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र पंचायत एक ही गांव के अंदर कार्य नहीं करेंगे यदि ऐसा किया जाता है खंड विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे । उपरोक्त सभी आदेशों निर्देशों का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र पंचायत बहरिया द्वारा अनेक निर्माण कार्यों को ग्राम पंचायत के अंदर एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक निर्माण कार्य कर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- **श्रीमती कविता तिवारी श्री धीरेन्द्र तिवारी** लेखाकार- **श्री अरुण कुमार त्रिपाठी** उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

क्रमांक	**योजना का नाम का नाम**	**व्यय की धनराशि**
1	राज्य वित्तध् इण्टर लाकिंग ज्ञानीपटेल के घर से दारा पटेल के घर तक	477347
2	राज्य वित्तध्इण्टर लाकिंग से सोना देवी के घर तक सराय	467685
3	राज्य वित्तध्इण्टर लाकिंग मनोज यादव के घर से मन्दिर तक	400775
4	राज्य वित्तध्इण्टर लाकिंग कृष्ण कुमार पटेल के घर से रंजीत पटेल के घर तक	731880
5	राज्य वित्तध्इण्टर लाकिंग संजय गार्ड के घर के पीछे से रामकिशोर के घर तक	742816
6	राज्य वित्तध्इण्टर लाकिंग गुलाब चन्द्र साहू के घर से हंसराज के घर तक	1067198

7	राज्य वित्तध्इण्टर लाकिंग पंकज श्रीवास्तव के घर से छविनाथ मिश्रा के घर तक	696059
8	राज्य वित्तध्इण्टर लाकिंग हरिहर बस्ती राजन गौतम के घर से गौतम के घर तक	833094
9	केन्द्रीय वित्तध्इण्टर लाकिंग वीरापुर रोड अनुपम तिवारी के घर से राकेश तिवारी के घर तक	870902
10	केन्द्रीय वित्तध्इण्टर लाकिंग दशरथ यादव के घर से रामजी दूबे के घर तक	477297
11	केन्द्रीय वित्तध्इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण निक्कू यादव के घर से बसंन्त पटेल के घर तक	515924
12	केन्द्रीय वित्तध् नाली निर्माण सरजू प्रसाद के घर से श्याम बाबू के घर तक	214120
13	केन्द्रीय वित्तध् इण्टर लाकिंग कुंज बिहारी के घर से सी0सी0 रोड तक	552951
	योग-	**8048048-00**

(पैरा-14)

प्रस्तर 141- क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त से रूपया- 8745798.70 केन्द्रीय वित्त से रूपया- 8642273.00 एवं विधायक निधि रूपया- 890809.75 कुल रूपया- 18278881.45 के निर्माण कार्य कराये गये। जिसके सापेक्ष लेबर सेस रूपया- 01 प्रतिशत् की दर से लेबर सेस काटा जाना अपेक्षित है। निर्माण कार्यो पर रूपया- 18278881.45 के सापेक्ष लेबर सेस रूपया- 182788.81 नही काटा गया। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी- **श्रीमती कविता तिवारी श्री धीरेन्द्र तिवारी** लेखाकार- **श्री अरुण कुमार त्रिपाठी** उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

(पैरा-15)

जनपद – मुजफ्फरनगर मण्डल - सहारनपुर

क्षेत्र पंचायत -मोरना के वर्ष 2020-21 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपतिया /प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-01 क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना तीन अखबारो की विज्ञप्ति की कटिंग कार्य प्रारम्भ से पूर्व मध्य एवं कार्य पूर्ण हो जाने के बाद की फोटो हैसियत से अधिक ठेकेदारो से प्राप्त जमानत की राशि जमा की पुष्टि में कोई पुष्टि पत्र के टेण्डर स्वीकृत किया। जिसका विवरण निम्न है-

क्र० सं०	नाम कार्य	नाम ठेकेदार जिसके नाम टेण्डर स्वीकृत हुआ	टेण्डर स्वीकृत करते समय धनराशि जी०एस०टी० सहित	भुगतान	अपहरण
1	ग्राम करहैडा में ब्रजपाल के खेत से मनोज लम्बरदार के खेत की ओर खण्डजा निर्माण	एस०एस० कान्ट्रेक्टर ग्राम तेवडा	992702	1053591	60889

2	ग्राम धीराहेडी में प्रा०वि० से हरपाल के खेत तक आर०सी० सी० व नाला निर्माण कार्य	मौ० असलम पुत्र नसीम अहमद ग्राम नंगला बजुर्ग जानसठ	991603.20	1047468.00	55864.80
3	किशनपुर में इन्तजार अन्सरी के मकान से करहेडा की सडक की ओर सी०सी० निर्माण कार्य	मो०असलम पुत्र नसीम अहमद ग्राम नगंला बुजुर्ग	631747.00	706284.00	74537.00
4	दरियबाद में नरेश के मकान से बिहारगढ के मार्ग की ओर सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	मौ० असलम पुत्र नसीम अहमद ग्राम नंगला बजुर्ग जानसठ	488804.40	519636.00	30831.60
		योग	3104856.60	3326979.00	222122.40

1. क्षेत्र पंचायत द्वारा टेण्डर स्वीकृत करते समय स्वीकृत टेण्डर की धनराशि से अधिक 222122.40 का सम्बन्धित ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में धनराशी स्वीकृत से अधिक भुगतान करने हेतु मिनट/बुक/कार्यवाही रजि0 एवं संबंधित सक्षम अधिकारी का आदेश अनुपलब्ध रहा।उक्त अधिक भुगतान रूपया222122.40 की वसूली सम्बन्धित श्री राम आशीष बी०डी०ओ० से की जानी आपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या-18)

<u>क्षेत्र पंचायत -चरथावल के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपतिया /प्रस्तरों का विवरण</u>

<u>प्रस्तर-02</u> क्षेत्र पंचायत चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमित्ताओ एवं अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके प्रति समुचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-:

क्षेत्र पंचायत चरथावल मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित व्यय भी दर्शित है -

क्रम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
1.	ग्राम दूधली में सतपाल के मकान से गोपी के मकान तक इन्टरलॉक कार्य।	239010.00	श्री मोहित त्यागी मुजफ्फरनगर को पंचम राज्य वित से भुगतान

2.	ग्राम बलवाखेड़ी में रामफूल के घर से अजमेर सिंह के घर तक इन्टरलॉक कार्य।	836093.00	मै० पवन कुमार को० लूब बागपत को पंचम राज्य वित्त से भुगतान
3.	ग्राम बिरालसी में देवी मन्दिर से वीर सिंह के घर तक इन्टरलॉक कार्य।	992295.00	मै० खुर्शीद आलम को० शेरपुर को पंचम राज्य वित से भुगतान
4.	ग्राम रोनिहरजीपुर में हरपाल प्रधान के घर से रविन्द्र के घर तक इन्टरलॉक कार्य।	486810.00	मै० राजकुमार को० करोदा हाथी को पंचम राज्य वित्त से भुगतान
	योग	2554208.00	

लेखा परीक्षा के समय उक्त निर्माण कार्यों की पत्रावली अनुपलब्ध रही जिसके कारण उक्त कार्यों के निर्माण व्ययो की जाँच नहीं की जा सकी। व्यय किये गये रूपये 2554208.00 की जाँच व पुष्टि कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा ब्लॉक प्रमुख श्री अजय कुमार पुण्डीर, खण्ड विकास अधिकारी श्री तुलसीराम तथा श्री चन्द्रमोहन, लेखाकार श्री प्रमोद कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री चन्द्र सिंह एवं श्री कुलदीप सिंह आदि से इनके कार्यकाल के अनुसार रूपये 2554208.00 समान रूप से जमा कराया जाना अपेक्षित है। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-02)

<u>क्षेत्र पंचायत -खतौली के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपतिया /प्रस्तरों का विवरण</u>

<u>प्रस्तर-03</u> क्षेत्र पंचायत खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमित्ताओ एवं अपहरण के प्रकरण प्रकाश मे आये जिनके प्रति समुचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-:

1- क्षेत्र पंचायत खतौली मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित व्यय भी दर्शित है -

क्रम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
1.	ग्राम मुनव्वर कलों में विनय के मकान से महेन्द्र के मकान की ओर इन्टरलॉक निर्माण कार्य।	828310.00	मै0 चौहान ठेकेदार को भुगतान
2.	ग्राम मोधपुर में बालकिशन के मकान से जितेन्द्र मास्टर जी के मकान की ओर इन्टरलॉक निर्माण कार्य।	686966.00	मै0 चौहान ठेकेदार को भुगतान
	योग	1515276.00	

उपरोक्त निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा के समय उक्त पत्रावलि अनुपलब्ध रही जिसके कारण उक्त कार्यों के निर्माण व्ययो की जाँच नहीं की जा सकी। व्यय किये गये रूपये 1515276.00 की जाँच व पुष्टि कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती संजो, खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार विश्वकर्मा तथा श्री रत्नाकर सिंह, लेखाकार श्री भूपेन्द्र मोहन शर्मा एवं अवर अभियन्ता श्री मनोज कुमार आदि से इनके कार्यकाल के अनुसार रूपये 1515276.00 समान रूप से जमा कराया जाना अपेक्षित है। उचित कार्यवाही अपेक्षित है। (साधारण आपत्ति संख्या-02)

<u>क्षेत्र पंचायत -शाहपुर के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपतिया /प्रस्तरों का विवरण</u>

<u>प्रस्तर-04</u> प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दिनांक 17.09.21 को रूपये 214442.00 का भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया गया है।

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	धनराशि	
1	सैनी टेडर्स ए०सी०कय	38232-00	
2	गम्भीर इल्क्ट्रोनिक्स एल्यूमिनियम पार्टिशन	36500.00	
3	श्री श्रीपति इन्फोटेक	19000.00	
4	अग्रवाल इल्कैट्रीयल	3710.00	
5	भारत फर्नीचर	70000.00	
6	अग्रवाल इल्कैटीयल	47000.00	
	योग	214442.00	

बैटरी इन्वेटर, फर्नीचर आदि कय एवं मरम्मत कार्य बिना कुटेशन, बजट विभागीय स्वीकृति के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि लेखा परक्षा जाँच में न की जा सकी। अतः उक्त व्यय अप्रमाणिक रहा। जिसकी वसूली बी०डी०ओ० एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0स0 01)

<u>प्रस्तर-05</u> क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना तीन विज्ञप्ति अखबारो की कटिंग आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र से अधिक टेण्डर स्वीकृत करना तथा प्राप्त टेण्डरो से तुलनात्मक चार्ट के टेण्डर स्वीकृत करना गम्भीर अनियमितता का घोतक रहा। जिसका विवरण निम्न है-

क्र0 सं0	निर्माण कार्य	नाम टेण्डर जिनके नाम स्वीकृत हुआ	कुल टेण्डर की धनराशि जी०एस०टी० सहित
1	अलियारपुर से बसवाडा सम्पर्क मार्ग मिटटी खडन्जा निर्माण	भगवती इन्टरप्राइजेज अमित त्यागी नि० ग्राम चॉदपुर बुढाना	803000.00
2	मोरकुक्का से उपस्वास्थ्य केन्द्र की चार दीवारी निर्माण	भगवती इन्टरप्राइजेज अमित त्यागी नि० ग्राम	587009.00

		चॉदपुर बुढाना	
3	शाहपुर खतौली सम्पर्क मार्ग पर महेश त्यागी के भटटे से डबल सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खण्डजा निर्माण	भगवती इन्टरप्राइजेज अमित त्यागी नि० ग्राम चॉदपुर बुढाना	861818.00
4	शोरो सम्पर्क मार्ग पर चाँदपुर से शिवदत्त के घर से अनिल के प्लाट तक खडन्जा निर्माण	अवन्तिका कान्ट्रेक्टर शाहपुर मु०नगर प्रो० विकास कुमार गाँव गढी बहादुरपुर	127178.00
5	ग्राम डबल से प्राचीन सिद्ध पीठ श्री महाकाली मन्दिर के कोने से पुलिया तक इन्टर लॉकिंग नाला निर्माण / कार्य	अवन्तिका कान्ट्रेक्टर शाहपुर मु०नगर प्रो० विकास कुमार गाँव गढी बहादुरपुर	541235.00
6	ग्राम धनायन में बालेश्वर के मचान से देवस्थान माता तक इन्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	अवन्तिका कान्ट्रेक्टर शाहपुर मु०नगर प्रो० विकास कुमार गाँव गढी बहादुरपुर	555148.00
7	सेहजनी तगान में घसीटा की ट्यूबवैल से नीरज के खेत तक मिटटीखडन्जा निर्माण कार्य/	अवन्तिका कान्ट्रेक्टर शाहपुर मु०नगर प्रो० विकास कुमार गाँव गढी बहादुरपुर	619451.00
8	मुबारिकपुर में गोयला सम्पर्क मार्ग पर पुष्टि से रजवाहे तक मिटटी खडन्जा/ निर्माण कार्य।	अवन्तिका कान्ट्रेक्टर शाहपुर मु०नगर प्रो० विकास कुमार गाँव गढी बहादुरपुर	994318.00
	योग		5089157.00

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि भगवती इन्टरप्राजेज से प्रोपराइटर अमित त्यागी नि०ग्राम चॉदपुर बुढाना से 380000.00 व प्रोपराइटर विकास कुमार 550000.00 (पाँच लाख पचास हजार) का कुल 930000.00 (नौ लाख तीस हजार) के हैसियत प्रमाण पत्र से अधिक निर्माण कार्य किया गया है। जिस हेतु बी0 डी0 ओ0 श्री जयवीर सिंह तेवतिया एवं लेखाकार श्री अरविन्द कुमार द्वारा टेन्डर कार्य लापरवाही रख गंभीर आपत्तिजनक टेन्डर स्वीकृत किए गए है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

(सा0आ0स0 02)

क्षेत्र पंचायत - मुजफ्फरनगर के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तिया /प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-06

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यो के सापेक्ष सम्बन्धित ठेकेदारों को किये गये भुगतान में 10 प्रतिशत की दर से रू0 3215728.00 का भुगतान जी0एस0टी0 मद में किया जाना दर्शाया गया है। उक्त की पुष्टि में क्षेत्र पंचायत में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नही करया गया है। जो अपेक्षित रहा । जिस हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी डा0 नेहा शर्मा एंव लेखाकार श्री पंकज कुमार गुप्ता का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मु0आ0सं0 09)

क्षेत्र पंचायत - बुढ़ाना के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तिया /प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-07

केन्द्रीय वित्त आयोग बैक खाते से रू0 1678364.00 का आहरण किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है। जिसके कारण उक्त किया गया आहरण अप्रमाणिक रहा। जिसकी वसूली खंड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार व लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0स0 01)

प्रस्तर-08

राज्य वित्त आयोग बैक खाते से रू0 1685257.00 का आहरण किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी प्रमाणक/पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है। जिसके कारण उक्त किया गया आहरण अप्रमाणिक रहा। जिसकी वसूली खंड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार व लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0स0 03)

प्रस्तर-09

केन्द्रीय वित्त से कराये गये निर्माण कार्यो में भुगतान की गयी धनराशि में श्रम विभाग को 1 प्रतिशत लेबर सैस की कटौती न कर भुगतान नही किया गया । जो कि रू0 86519.00 होती है। जिसका समस्त दायित्व खंड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार व लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी का है। अतः रू0 86519.00 की राजस्व की हानि पहुचाई गयी है। जिसकी वसूली खंड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार व लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 13)

प्रस्तर-10

राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्यो में भुगतान की गयी धनराशि में श्रम विभाग को 1 प्रतिशत लेबर सैस की कटौती न कर भुगतान नही किया गया । जो कि रू0 120605.00 होती है। जिसका समस्त दायित्व खंड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार व लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी का है। अतः रू0

120605.00 की राजस्व की हानि पहुचाई गयी है। जिसकी वसूली खंड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार व लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 14)

प्रस्तर-11

लेखा परीक्षा वर्ष में 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्धारा केन्द्रीय वित्त आयोग से मात्र रू0 8552432.00 की निर्माण पत्रावलिया जांच हेतु प्रस्तुत की गयी। जिसमें निम्न कमिया/आपत्तियां प्रकाश में आयी-

(1) प्रत्येक कार्य की मात्र दो ही निविदा प्राप्त की गयी है। जबकि कम से कम तीन निविदा प्राप्त की जानी थी।

(2) जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है संलग्न अनुबंध पत्र सादे कागज पर बनाया गया है। जबकि 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये था।

(3) कार्य की फोटो चरणब्रद्ध होनी चाहिये थी। मात्र कार्य की समाप्ति की फोटो संलग्न है।

(4) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(5) अधिकांश कार्य ग्राम के अन्दर कराये गये है जो कि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

(6) श्रम विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(7) निर्माण सामग्री का पी0डब्ल0डी0 से लैब टेस्टिंग प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त कराया गया सम्पूर्ण कार्य अनियमित रहा। अतः अंकन रू0 8552432.00 की वसूली खंड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार, अभियंता श्री रोहताश कुमार व लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 15)

प्रस्तर-12

लेखा परीक्षा वर्ष में 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्धारा राज्य वित्त आयोग से मात्र रू0 12025811.00 की निर्माण पत्रावलिया जांच हेतु प्रस्तुत की गयी। जिसमें निम्न कमिया/आपत्तियां प्रकाश में आयी-

(1) प्रत्येक कार्य की मात्र दो ही निविदा प्राप्त की गयी है। जबकि कम से कम तीन निविदा प्राप्त की जानी थी।

(2) जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है संलग्न अनुबंध पत्र सादे कागज पर बनाया गया है। जबकि 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये था।

(3) कार्य की फोटो चरणब्रद्ध होनी चाहिये थी। मात्र कार्य की समाप्ति की फोटो संलग्न है।

(4) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(5) अधिकांश कार्य ग्राम के अन्दर कराये गये है जो कि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

(6) श्रम विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

(7) निर्माण सामग्री का पी0डब्ल0डी0 से लैब टेस्टिंग प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त कराया गया सम्पूर्ण कार्य अनियमित रहा। अतः अंकन रू0 12025811.00 की वसूली खंड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार, अभियंता श्री रोहताश कुमार व लेखाकार श्री सुशील कुमार त्यागी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 16)

क्षेत्र पंचायत - बघरा के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तिया /प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-13

क्षेत्र पंचायत बघरा, जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमित्ताओ एवं अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके प्रति समुचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-: क्षेत्र पंचायत बघरा मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित व्यय भी दर्शित है

क्रम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
1	ग्राम नसीरपुर अहमद बस्ती में इन्टरलॉक निर्माण कार्य।	432997.00	मै0 श्री बालाजी कन्सट्रक्सन को पंचम राज्य वित्त से भुगतान
2	ग्राम सोहजनी में तेजपाल	572628.00	मै0 श्री राम इन्टर प्राईजेज को केन्द्रीय वित अनुदान से भुगतान
3	ग्राम नरोत्तमपुर में सोमपाल	924000.00	मैं० श्री राम इन्टर प्राईजेज को केन्द्रीय वित्त अनुदान से भुगतान
	योग	1929625.00	

निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा के समय उक्त पत्रावली अनुपलब्ध रही जिसके कारण उक्त कार्यों के निर्माण व्ययो की जाँच नहीं की जा सकी। व्यय किये गये रूपये 1929625.00 की जाँच व पुष्टि कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सतीश गौतम, खण्ड विकास अधिकारी, श्री मौ० आसिफ, लेखाकार तथा श्री चन्दर सिंह, अवर अभियन्ता से यह राशि रूपये 1929625.00 की वसूली समान अनुपात मे किया जाना अपेक्षित है। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (साधारण आपत्ति संख्या-02)

क्षेत्र पंचायत - जानसठ के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तिया /प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-14

क्षेत्र पंचायत जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमित्ताओ एवं अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके प्रति समुचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है:-

क्षेत्र पंचायत जानसठ मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार निम्नलिखित कार्य 15 वा वित्त आयोग से प्राप्त टाईड तथा अनटाईड फण्ड मद से कराया जाना दर्शित है :-

क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी

1.	ग्राम तालड़ा में लाल्ला के मकान से शोभाराम के मकान तक नाला निर्माण कार्य (टाईड फण्ड से)	845460.00	मै० आर० वी० सी० कन्सट्रैक्सन को भुगतान
2.	घटायन उत्तरी में बस स्टैन्ड से जयपाल के मकान तक सड़क के दोनो और नाली निर्माण कार्य (टाईड फण्ड से)	492426.00	मै० आर० वी० सी० कन्सट्रैक्सन को भुगतान
3.	राजपुर कलाँ में सी०सी० निर्माण कार्य (अनटाईड फण्ड से)	641520.00	मै० जितेन्द्र कुमार कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को भुगतान
	योग	1979406.00	

उक्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयी :-

1) निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ, कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु पत्रावलियों में इसका कड़ाई से पालन नहीं किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

2) क्षेत्र पंचायत जानसठ द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बहार कार्य कराये गये दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी०डब्लू डी०/ संस्थाओं के अनआपत्ति प्रमाण पत्र निर्माण पत्रावलियो मे संलग्न नही है जिसके कारण कार्यों के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

3) निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं० - 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे एम० एम० 11 संलग्न नही है। जबकि यह आवश्यक था।

4) निर्माण कार्यों की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

5) उपरोक्त कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कैशबुक जिसमें तिथिवार प्रमाणको के अनुसार व्ययो का पूर्ण ब्यौरा अंकित हो अप्रस्तुत रही। कैशुबक तैयार ही नही की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें उक्त कार्यों के प्रस्ताव पारित हो अप्रस्तुत रही तथा निर्माण पत्रावलियो मे भी निर्माण समिति की स्वीकृति का कोई प्रपत्र संलग्न नही है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 1979406.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वितीय अनियमित्ता है। अतः पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत /नियमावली के नियम संख्या - 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री नरेन्द्र, ब्लाक प्रमुख, श्री सन्त कुमार, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री मनोज, लेखाकार व श्री मदन, "जे०ई० से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 1979406.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यावाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(साधारण आपत्ति संख्या-03)

<u>प्रस्तर-15</u>

क्षेत्र पंचायत जानसठ मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर-2 के अनुसार निम्नलिखित कार्य राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से कराया जाना दर्शित है :-

क्रम संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
1-	ग्राम राठौर मे सी0सी0 निर्माण कार्य।	846450.00	मै0 जितेन्द्र कुमार कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को भुगतान
2-	ग्राम सलारपुर में राज कुमार के खेत से राकेश के खेत तक इन्टर लाकिंक कार्य	602415.00	मै0 जितेन्द्र कुमार कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को भुगतान
	योग	1448865.00	

उक्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश मे आयी :-

1) निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ, कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

2) क्षेत्र पंचायत जानसठ द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कराये गये दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी०डब्लू डी०/ संस्थाओ के अनआपत्ति प्रमाण पत्र निर्माण पत्रावलियो मे संलग्न नही है जिसके कारण कार्यों के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

3) निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं० -- 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे एम० एम0 - 11 संलग्न नही है। जबकि यह आवश्यक था।

4) निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

5) उपरोक्त कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कैशबुक जिसमें तिथिवार प्रमाणको के अनुसार व्ययो का पूर्ण

ब्यौरा अंकित हो अप्रस्तुत रही। कैशुबक तैयार ही नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें उक्त कार्य के प्रस्ताव पारित हो अप्रस्तुत रही तथा निर्माण पत्रावलियो मे भी निर्माण प्रबन्ध समिति की स्वीकृति का कोई प्रपत्र संलग्न नही है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 1448865.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। अतः पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत / नियमावली के नियम संख्या 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री नरेन्द्र, ब्लाक प्रमुख, श्री सन्त कुमार, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री मनोज, लेखाकार व श्री मदन, जे०ई० से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 1448865.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यावाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (साधारण आपत्ति संख्या-04)

<u>क्षेत्र पंचायत -पुरकाजी के वर्ष 2021-22 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तिया /प्रस्तरों का विवरण</u>

<u>प्रस्तर-16</u>

क्षेत्र पंचायत पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमित्ताओ एवं अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिनके प्रति समुचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है:-

1- क्षेत्र पंचायत पुरकाजी मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित व्यय भी दर्शित है :-

क्र	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
1-	ग्राम खाईखेड़ी में इन्टरलॉक कार्य।	557733.00	मै० श्री नाथ जी कन्सट्रक्सन को पंचम राज्य वित्त से भुगतान
2-	गैस्ट हाउस मरम्मत भुगतान	498723.00	मै० रुद्रा कन्सट्रक्सन को पंचम राज्य वित्त से भुगतान
3-	खिन्दडिया में कार्य पर भुगतान	437412.00	मै0 बिजेन्द्र एण्ड कम्पनी को पंचम राज्य वित्त से भुगतान
4-	झवरपुर में ख० नि० पर भुगतान	1022340.00	मैं० रुद्रा कन्सट्रक्सन को पंचम राज्य वित्त से भुगतान

5-	वि० ख० परिसर में दिवार पुनः निर्माण	252239.00	मै0 नीरज सीमेन्ट एजेन्सी को पंचम राज्य वित्त से भुगतान
	योग	2768447.00	

लेखा परीक्षा के समय उक्त निर्माण कार्यों की पत्रावली अनुपलब्ध रही जिसके कारण उक्त कार्यों के निर्माण व्ययो की जाँच नहीं की जा सकी। व्यय किये गये रूपये 2768447.00 की जाँच व पुष्टि कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव व श्री रणजीत कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुनील कुमार, लेखाकार तथा श्री आनन्द कुमार (आर०ई०डी०), अवर अभियन्ता से यह राशि रूपये 2768447.00 की वसूली समान अनुपात मे किया जाना अपेक्षित है। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(साधारण आपत्ति संख्या-02)

क्षेत्र पंचायत -जानसठ के वर्ष 2019-20 व 2020-21 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तिया /प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष 2020-21 में जी.एस.टी. व टी.डी.एस. कटौती केंद्रीय वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग से दिनांक 31.03.2021 तक कुल रु० 2069248.00 की कटौती की गई है। परंतु दिनांक 31.03.2021 तक तीन वाउचर्स द्वारा रु०177300.00 तक ही कोषागार में जमा किया गया।

06.03.2021	जी.एस.टी. पी.एन.बी. चेक संख्या-868001	रु० 70920.00
06.03.2021	टी.डी.एस. पी.एन.बी. चेक संख्या-868002	रु० 70920.00
08.03.2021	शेष. चेक संख्या-868003	रु० 35460.00
	योग	रु०177300.00

अवशेष रु०1891948.00 दिनांक 31.03.2021 तक कोषागार में जमा नहीं किए गए हैं। यह अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है, इसे तुरंत कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री मनोज वालिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री संत प्रकाश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(मूल आ०सं०-14)

<u>प्रस्तर-18</u>

दिनांक 15.05.2020 चतुर्थ राज्य वित्त खाते से चेक संख्या-052012, 062096 प्रिया साफ्ट हेतु रु०30000.00 भुगतान किया गया, परंतु उक्त वाउचर्स लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जो अनियमित रहा, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री मनोज वालिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री संत प्रकाश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। (मूल आ०सं०-16)

<u>प्रस्तर-19</u>

दिनांक 14.07.2020 को चतुर्थ राज्य वित्त से रु0 5029.00 स्टेशनरी मद में भुगतान किया गया है। परंतु उपरोक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री मनोज वालिया एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री संत प्रकाश सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (मूल आ०सं०-17)

<u>जनपद -सहारनपुर</u>

<u>क्षेत्र पंचायत पुवारंका अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22</u>
<u>गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण</u>

प्रस्तर- **01**

वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा गॉव के अन्दर राज्य वित्त से कराये गए कार्यों का विवरण-

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम पडली खुशालपुर में मरसफा के मकान से सुमन के घर तक मेन रोड़ की ओर सीसी रोड़ व नाली निर्माण	**699054.00**
2	ग्राम मुगलमाजरा में सुलेमान के घर से फुरकान के घर तक सीसी रोड़ व नाली निर्माण	**785050.00**
3	ग्राम दमकड़ी में कल्लू की चक्की से मस्जिद होते हुए शाहरूख के घर तक सीसी रोड़ व नाली निर्माण	**903889.00**
4	ग्राम सुमली में याकूब के घर से मॉगा के घर तक देवला रोड की और सीसी रोड व नाली निर्माण	**59170.00**
	योग	**2447163.00**

वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा गॉव के अन्दर केन्द्रीय वित्त से कराये गए कार्यों का विवरण-

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम ढमोला में अख्तर के घर से यामिन के घर से होते हुए कुर्बान के घर तक सीसी रोड़ व नाली निर्माण	**645257.00**
2	ग्राम निवादा में जगदीश के घर से भानु के घर सीसी रोड़ व नाली निर्माण	**278150.00**
3	ग्राम लखनोती कला में सुशिल के घर से राजकुमार के घर तक सी सी रोड़	**289569.00**
4	ग्राम लखनोती खुर्द में सूरेश के कांटे से अश्वनी के मकान तक सी सी रोड	**380335.00**
5	ग्राम चौरादेव में गौरव के घर से हरपाल के घर तक सी सी व नाली निर्माण	**603479.00**
6	ग्राम देवला में जाकिर की दुकान से नरसिंह की दुकान की और नाला निर्माण	**986807.00**
7	ग्राम मांडेबांस में ट्रांसफार्मर से आरिफ के घर तक सी सी व नाली निर्माण	**669065.00**
8	ग्राम पुवारंका में सी सी व नाली निर्माण	**717391.00**
	योग	**4570053.00**

1. उपरोक्त कुल अंकन धनराशि रू0 2447163-00 व रू0 4570053-00 कुल योग रू0 7017216-00 के कार्यो के सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं कि क्षेत्र पंचायतों को शासनादेश सं0 806/33-2-14-93 सी/2014 दिनांक 24-06-2014 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया हैं कि अनुदान को दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यो को सम्पादित करने में व्यय किया जाएगा। किन्तु शासनादेश का स्पष्ट उल्लंधन करते हुए मनमाने ढंग से गांव के बीच में कार्य कराया जाना गंभीर आपत्तिजनक हैं।

2. उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत के कोई अनापत्ति पत्र भी नहीं लिया गया हैं।

3. उपरोक्त कार्य कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी हैं जिससे प्रतीत होता हैं कि इन शर्तो के बिना ही कार्य कराये गए हैं।

4. कार्य समाप्ति पर किसी भी सक्षम अधिकारी के कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने का प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट हैं कि उपरोक्त कार्यो को कराने में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितताए बरती गयी हैं (जिसमें कुल रू0 7017216-00 व्यय किये गए हैं) जिसके लिए श्री मेहरबान ब्लांक प्रमुख कु0 नीरू मलिक खंड विकास अधिकारी श्री राजिव शर्मा लेखाकार एवं श्री रवि गुप्ता लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। इनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर- 2.

वर्ष 21-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नानुसार व्यय किये गए है जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

1- ख0वि0अ0कार्यालय की छत मरम्मत रंगाई व पुताई	253143.00
2- बी0डी0ओ0 कक्ष का सौन्दर्यीकरण	117337.00
3- प्रमुख कक्ष फर्नीचर भुगतान	95580.00
4- प्रमुख कक्ष विश्राम फर्नीचर क्रय	70800.00
5- ख0वि0अ0 कक्ष टेबल साइन टेबल	34574.00
6- ख0वि0अ0 कुर्सी क्रय	60770.00
7- ख0वि0अ0 कक्ष विस्तारीकरण	550596.00
8- बैटरी इन्वटर क्रय	29425.00
9- स्टील अलमारी क्रय	8024.00
10- विकास खण्ड की मरम्मत रगाई आदि	43360.00
योग	1200609.00

(I) रु० 1200609.00 का भुगतान अन्य मदों जैसे कि एल.ई.डी. लाइट, फ़र्निचर, बिजली, स्टेशनरी आदि के विरूद्ध किया गया है | किन्तु इस कार्यो को कराये जाने से सम्बंधित कोई वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति व मांग पत्र पत्रावलियों में नहीं पाया गया है न ही इनके क्रय किये जाने की पुष्टि में डेड स्टॉक रजिस्टर ही उपलब्ध कराया गया है| अतः बिना मांग पत्र एवं वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति के माल क्रय करना गंभीर आपत्तिजनक एवं अनियमित रहा | जिस प्रति कु0नीरू मलिक खण्डविकास अधिकारी एव एकाउन्टेट श्री रवि गुप्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है| इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(II) रु० 1200609.00 का व्यय किया जाना इस ओर इंगित करता है कि विकास कार्यों की उपेक्षा कर धनराशि का उपभोग केवल विकास खंड कार्यालय के व्यय पर किया गया है| शासनादेश सं0 1067/78-2-2017-42आई टी/2017 दिनांक 12.05.2017, शासनादेश सं0 1107/78-2-2017-42आई टी/2017 दिनांक 5.12.2017, 256/78-2-2017-42आई टी/2017 दिनांक 24.04.2018, एवं 489/78-2-2018-42 आई टी/2017 टी सी दिनांक 26.08.2018 का स्पष्ट उल्लंघन है| यदि यह कार्य इ-टेंडरिंग द्वारा किया जाता तो स्वाभाविक रूप से कुल लागत कम आती| जो कार्य इ-टेंडरिंग के माध्यम से किये जा सकते थे उनको टुकडो में विभाजित कर अपने चहेते फर्म को कार्य देने की मंशा से शासनादेश की अवहेलना की गयी है| जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है जिस प्रति कु0नीरू मलिक खण्डविकास अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है| इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(III) शासनादेश स० 2747/78-2-2017/25 आई टी/2001 दि0 05.08.2017, 523/18.02.2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23.08.17, 540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 03-11-2017 के अनुसार कार्यालय व्यय की

आवश्यकता हेतु क्रय जैम पोर्टल से किये जाने चाहिय थे| जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है | परन्तु लोकल बाजार से क्रय की गयी है जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है | जिस प्रति कु0नीरू मलिक खण्डविकास अधिकारी श्री रवि गुप्ता, लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है| इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर- 3.

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि रु० 190000.00 का भुगतान क्षेत्र के बी डी सी एवं ग्राम प्रधानो द्वारा मीटिंग में भाग लेने हेतु मानदेय के रूप में किया गया है| उक्त व्यय की जांच में पाया गया कि इस धनराशी का भुगतान विधायक निधि से किया गया है तथा बाद में इस धनराशी को निधि खाते से विधायक निधि में ट्रान्सफर किया गया है | उल्लेखनीय है कि विधायक निधि की धनराशी आम जनता के लाभ के लिए आवंटित की जाती है न कि किसी मीटिंग के मानदेय हेतु | उक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है | कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है |इस प्रकार रु० 190000.00 का भुगतान मनमाने ढंग से विधायक निधि से किया जाना अनियमित एवं गंभीर आपतिजनक है जिसके लिए कु० नीरू मालिक, खंड विकास अधिकारी, श्री मेहरबान, ब्लांक प्रमुख जिम्मेदार हैं | अतः विभागीय समुचित कार्यवाही अपेक्षित है | (आपत्ति संख्या 03)

क्षेत्र पंचायत मुजफ्फराबाद अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22
गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर- 4

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021.22 में कराये गये निर्माण कार्यो के सापेक्ष संबंधित ठेकेदारों को किये गये भुगतान में 10 प्रतिशत की दर से रू0 1351379-00 का भुगतान जी0एस0टी0 मद में किया जाना दर्शाया गया हैं। उक्त की पुष्टि में क्षेत्र पंचायत में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। जो अपेक्षित रहा। जिसे हेतु खंड विकास अधिकारी रवि प्रकाश एवं लेखाकार श्री अनिल गोयल का दायित्व निर्धारण (उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर संख्या- 5

वर्ष 2021-22 से संबंधित निम्न निर्माण पत्रावलियां लेखा परीक्षा में जांच हेतु अनुपलब्ध रहीं। विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्रं0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	ग्राम डाडक में सी0सी0रोड़ निर्माण	753761-00	अनिल कुमार
2	ग्राम रंडोल में खडंजा निर्माण	873197-00	मुकेश कुमार
3	ग्राम जिवाला में राकेश के घर तक नाला/सी0सी0 निर्माण	722255-00	रमेंश चंद
4	ग्राम कुर्डी खेड़ा सोसायटी में इंटरलॉकिग कार्य	528858-00	मैं0 जय दुर्गा एंटरप्राइजेज
5	ग्राम शेरपुर में संजय के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	579989-00	अनिल कुमार
6	ग्राम पुरका टांडा में खडंजा निर्माण	916857-00	मैं0 जय दुर्गा एंटरप्राइजेज
7	ग्राम बाकरपुर में तालाब की प्रतिधारक दीवार का निर्माण	705406-00	ऋषिपाल
	योग	5080323-00	

अतः उपरोक्त निर्माण पत्रावलियों को जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश एवं लेखाकार श्री अनिल गोयल का दायित्व निर्धारण (उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए रू0 5080323-00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 02)

प्रस्तर संख्या- 6

क्षेत्र पंचायत मुजफ्फराबाद की निर्माण पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित कमियॉ प्रकाश में आयी-

क्र0सं0	कार्य का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	निर्माण पत्रावलियों में पायी गयी कमियॉ
1	लम्बल हेड़ी में लाखन के खेत से नीरज के बाग तक खडंजा निर्माण	980095-00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की चरणबद्ध फोटो, कार्य योजना संलग्न नहीं हैं।
2	विकास खंड परिसर में स्थिति प्रमुख कक्ष का जिर्णोदधार	504718-00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की चरणबद्ध फोटो, कार्य योजना, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुण्वत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
3	शाहजहांपुर में कयूम के घर से इदरीश के घर तक सी0सी0 कार्य	524107-00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की चरणबद्ध फोटो, कार्य योजना, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुण्वत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
4	विजोपुरा में लोकेश त्यागी के प्लॉट से रामकिशोर त्यागी के घर तक सी0सी0 कार्य	433682-00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की चरणबद्ध फोटो, कार्य योजना, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुण्वत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
5	बिहारीगढ में जगदीश के मकान से चंद्रपाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	652621-00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की चरणबद्ध फोटो, कार्य योजना, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुण्वत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
6	हलवाना में सीटू के मकान से राजपाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण	814825-00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य की चरणबद्ध फोटो, कार्य योजना, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुण्वत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
	योग	3920048-00	

अतः उक्त किये गये कार्य लेखा परीक्षा की दृष्टि से अप्रमाणिक रहें। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश अवर अभियंता श्री हरि शंकर एवं लेखाकार श्री अनिल गोयल का दायित्व निर्धारण (उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं तथा रू0 3920048-00 की वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 12)

प्रस्तर संख्या- 07

उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 39 के अनुसार 05.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किए जाने के पूर्व अधिशासी अभियंता द्वारा एवं 10.00 लाख से अधिक की लागत के सभी निर्माण कार्यो का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्यो के अंतिम रूप से कार्यो के भुगतान के पूर्व उक्त प्रावधान का उल्लंघन कर निरीक्षण नहीं कराया गया । उदाहरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र0सं0	विवरण	धनराशि

1	मुजफ्फराबाद में रविदास मंदिर के पास सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1051025-00
2	पढलोकर में लोकेश के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	1002073-00
3	रामपुर कलां में जमशेद आदि के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	1041752-00
4	मुजफ्फराबाद में पुलिया तक सी0सी0 निर्माण	1000372-00
	योग	4095222-00

उपरोक्त विषयक के अनुसार परिक्षेत्रीय अभियंता द्वारा निरीक्षण न कराकर अनियमितता की गयी। खंड विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश एवं अवर अभियंता श्री हरि शंकर का दायित्व निर्धारण (उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 13)

प्रस्तर संख्या-08

क्षेत्र पंचायत मुजफ्फराबाद में वर्ष **2021-22** में टेंडर फार्म की बिक्री से रू0 **192080.00** की आय प्राप्त की जानी दर्शित हैं। किन्तु उक्त धनराशि पर संबंधित विभाग को **18** प्रतिशत की दर से रू0 **34574.00** जी0एस0टी0 जमा नहीं की गयी हैं। जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश एवं लेखाकार श्री अनिल गोयल का दायित्व निर्धारण(उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत)करते हुए रू0 34574-00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 14)

क्षेत्र पंचायत **गंगोह** अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22
गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या **9—**

क्षेत्र पंचायत गंगोह की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर प्रकाश मे आया कि गौवंश हेतु प्राप्त अनुदानों एवं व्ययो का लेखा जोखा अनुदान पंजिका 1,2,3 मे अंकित नही किया गया है। जबकि यह नितान्त आवश्यक था। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत एस0बी0आई0 बैंक एकांउट संख्या-00000040289501351 वृहद गौ संरक्षण केन्द्र खानपुर अफगान के अनुसार वर्ष 2021-2022 में उक्त मद की स्थिति निम्नलिखित है :-

दिनांक 1.4.2021 को गत वर्ष का प्रा0 शेष	शून्य
वर्ष 2021-2022 मे प्राप्त अनुदान	2023230.00
वर्ष 2021-2022 मे ब्याज आय	5735.00
योग	**2028965.00**
वर्ष 2021-2022 मे व्यय	1744452.60
वर्षान्त मे 31.03.2022 को दर्शित शेष	284512.40

वर्ष आलोच्य 2021-2022 मे गौंवश अनुदान मद मे रूपये 1744452.60 व्यय दर्शाया गया है। इस व्यय राशि की जाँच/पुष्टि हेतु कैशबुक जिसमें प्राप्त राशि एवं व्यय राशियो के तिथिवार व्यय प्रमाणक अंकित हो, व्यय राशि का उपयोगित प्रमाण पत्र, व्यय राशि के प्रमाणक/बिल की पत्रावली/प्रमाणक गार्ड फाइल श्रमिको के मस्टर रोल, भूसा/चारा सामग्री की स्टाक बुक, गौशाला का

सक्षम विभाग द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, गऊशाला में गौवंश की प्रमाणित संख्या जिससे भूसा/चारा व्यय की जाँच पुष्टि की जा सके, सम्बन्धित मद के शासनादेश/विभागीय आदेश जिसके अनुसार यह व्यय किया गया है आदि आदि लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहे। पशु चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, पशुपालन विभाग द्वारा गौंवश की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट। उक्त मद का विधिवत लेखा जोखा अनुदान पंजिकाओ मे न करना, व्यय राशि की जाँच-पुष्टि न कराया जाना अपहरण प्रतीत होता है। अतः पूर्ण जाँच एवं पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति मे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या-179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 1744452.60 वसूली किया जाना उचित है। अतः जाँच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियो से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 1744452.60 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (साधारण आपत्ति संख्या-02)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **10—**

क्षेत्र पंचायत गंगोह की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर प्रकाश मे आया कि मनरेगा कन्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत अनुदान पंजिका 2 व 3 अनुसार कुल रूपये 1516436.28 व्यय दर्शित है। इस राशि मे ग्रान्ट रजिस्टर-2 के पृष्ठ-32 अनुसार दिनांक 7.12.2021 को चैक संख्या 790705 द्वारा रूपये 1140480.00 का भुगतान बाबत आर0एस0 मानदेय भुगतान 12/2020 से 3/2021 तक का दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा के समय अवशेष रहे मानदेय की पत्रावली, गत वर्ष 12/2020 से 3/2021 तक की अवधि मानदेय वास्तव मे भुगतान किया जाना शेष था से सम्बन्धित प्रपत्र/अभिलेख एवं अवशेष बकाया मानदेय भुगतान करने की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, कैशबुक, मानदेय भुगतान पंजिका, सम्बन्धित कार्मिको की उपस्थिति/पंजिका/मस्टर रोल सम्बन्धित रोजगार सेवको की व्यक्तिगत पत्रावलियाँ, मनरेगा कन्टीजेन्सी मद का उपयोगित प्रमाण पत्र आदि आदि अप्रस्तुत रहने के कारण रोजगार सेवक को मानदेय रूपये 1140480.00 भुगतान राशि की जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह अपहरण प्रतीत होता है। अतः पूर्ण जाँच एवं पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति मे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या-179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 1140480.00 वसूली किया जाना उचित है। अतः जाँच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियो से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 1140480.00 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (साधारण आपत्ति संख्या-03)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **11—**

क्षेत्र पंचायत गंगोह की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर प्रकाश मे आया कि मनरेगा कन्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत अनुदान पंजिका 2 व 3 अनुसार कुल रूपये 1516436.28 व्यय दर्शित है। इस राशि मे ग्रान्ट रजिस्टर-2 के अनुसार निम्नलिखित व्यय भी दर्शित है :-

क्रम	दिनांक	ग्रान्ट रजिस्टर-2 मे पृष्ठ	व्यय धनराशि	अभियुक्ति
1	20ण्5ण्2021	31	5000ण्00	चैक सं0 790683 द्वारा जीप बैट्री क्रय का भुगतानए पुरानी बैट्री की स्थितिए नई खरीद बैट्री का स्टांक लेखा अस्पष्ट।
2	20ण्5ण्2021	31	13180ण्00	पैट्रोल खरीद का भुगतान।
3	22ण्7ण्2021	31	16490ण्00	पैट्रोल खरीद का भुगतान।
4	12ण्8ण्2021	31	14455ण्00	पैट्रोल खरीद का भुगतान।
5	7ण्10ण्2021	31	14753ण्00	पैट्रोल खरीद का भुगतान।

6	7ण्2ण्2022	32	19719ण्00	पैट्रोल खरीद का भुगतान।
7	24ण्3ण्2022	32	19280ण्00	पैट्रोल खरीद का भुगतान।
8	12ण्8ण्2021	31	9913ण्00	जीप मरम्मत का भुगतान उक्त की पत्रावली, स्वीकृति ,व्यय प्रमाणक लागबुक आदि अप्रस्तुत रहे।
9	20ण्5ण्2021	31	3994ण्00	प्रिन्टर इंक क्रय
10	3ण्6ण्2021	31	15500ण्00	कम्प्यूटर मरम्मत
11	3ण्6ण्2021	31	600ण्00	प्रिन्टर टोनर क्रय कमांक 9 से 11 तक के व्यय प्रमाणक स्वीकृति पत्रावली आदि अप्रस्तुत रहीं।
	कुल योग		132884ण्00	

मनरेगा कन्टीजेन्सी मद से कार्यालय जीप मरम्मत, बैट्री, पट्रौल आदि के व्यय किये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा क्योकि गाडी मद का बजट पृथक से प्राप्त होता है। मनरेगा कन्टीजेन्सी से कार्यालय जीप मद मे व्यय किया जाने से सम्बन्धित विभागीय आदेश भी अवलोकनार्थ अप्रस्तुत रहे। कैशबुक जिसमें तिथिवार व्ययो का प्रमाणको के अनुसार पूर्ण ब्यौरा अंकित हो भी अप्रस्तुत रही। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। अतः पूर्ण जाँच एवं पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति मे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या-179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 132884.00 वसूली किया जाना उचित है। अतः जाँच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियो से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 132884.00 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (साधारण आपत्ति संख्या-04)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **12—**

क्षेत्र पंचायत गंगोह की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर प्रकाश मे आया कि मनरेगा कन्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत अनुदान पंजिका 2 व 3 अनुसार कुल रूपये 1516436.28 व्यय दर्शित है। इस राशि मे ग्रान्ट रजिस्टर-2 के अनुसार निम्नलिखित व्यय भी दर्शित है :-

क्रम	दिनांक	ग्रान्ट रजिस्टर 2- मे पृष्ठ	व्यय धनराशि	अभियुक्ति
1	3ण्6ण्2021	31	20469ण्00	स्टेशनरी खरीद
2	24ण्3ण्2022	32	17973ण्56	स्टेशनरी एवं कार्यालय व्यय
3	22ण्7ण्2021	31	6350ण्00	कार्यालय व्यय श्री सुजीत कुमार वर्मा लेखाकार को भुगतान।
4	17ण्2ण्2022	32	10130ण्00	कार्यालय व्यय श्री सुजीत कुमार वर्मा लेखाकार को भुगतान।
	कुल योग		54922ण्56	

लेखा परीक्षा के समय उक्त क्रय सामान के व्यय प्रमाणक/पत्रावली, सामान क्रय सम्बन्ध मे कोटेशन/टैन्डर/कार्यालय स्टेशनरी का मांग पत्र आदि अप्राप्त रहे। कैशबुक जिसमें तिथिवार व्ययो का प्रमाणको के अनुसार पूर्ण ब्यौरा अंकित हो भी अप्रस्तुत रही। लेखा परीक्षा मे स्टेशनरी स्टाक पंजिका भी अप्रस्तुत के कारण 1.4.2021 को स्टेशनरी स्टाक शेष की स्थिति, उक्त भुगतानो से क्रय स्टेशनरी की आमद, प्रयोग उपरान्त दिनांक 31.3.2022 को शेष स्टेशनरी स्टाक की जाँच पुष्टि नही हो सकी।

शासनादेश संख्या- 23/2020/279/18-2-2020-97 (ल0ऊ0) 2016 दिनांक 19 जून 2020 के अनुपालन शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही क्रय करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त शासनादेश के बाद किसी भी प्रक्रियां से क्रय किया जाना वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी मे माना जायेगा। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या-179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 54922.56 वसूली किया जाना उचित है। अतः जाँच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियो से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 54922.56 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (साधारण आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या **13 —** क्षेत्र पंचायत गंगोह मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार निम्नलिखित कार्य 15 वा वित्त आयोग से प्राप्त टाईड फण्ड मद से कराया जाना दर्शित है :-

क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
.1	ग्राम राम सहाय वाला मे यात्री शेड का निर्माण (पार्ट पेमन्ट)	175999.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान (सम्बन्धित निर्माण पत्रवली अप्रस्तुत)
.2	ग्राम बीराखेड़ी मे यात्री शेड का निर्माण	116274.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
.3	ग्राम रण्धेड़ी मे यात्री शेड का निर्माण	116042.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
.4	ग्राम कोटड़ा मे यात्री शेड का निर्माण	116564.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
.5	ग्राम धलापड़ा मे यात्री शेड का निर्माण	183168.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
.6	ग्राम राम सहाय वाला मे मेन सड़क पर यात्री शेड का निर्माण	302551.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
.7	ग्राम रण्धेड़ी मे मेन सड़क यात्री शेड के पास 01 हैण्ड पम्प लगाने का व्यय	184443.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
.8	ग्राम धलापड़ा मे मेन सड़क यात्री शेड के पास 01हैण्ड पम्प लगाने तथा शौचालय बनाने का व्यय	298845.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
.9	ग्राम कोटड़ा मे मेन सड़क यात्री शेड के पास 01 हैण्ड पम्प लगाने का व्यय	183939.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
.10	ग्राम बीराखेड़ी मे मेन सड़क यात्री शेड के पास 01हैण्ड पम्प लगाने का व्यय	184645.00	श्री मसूद अख्तर ,ठेकेदार को भुगतान
	योग	**1862470.00**	

उक्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश मे आयी :-

1) उपरोक्त क्रमांक 01 से 10 तक कराये गये कार्यो को 15वे वित्त टाईड फण्ड से कराया जाना दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत टाईड फण्ड से कराये जाने वाले कार्यो की स्वीकृत कार्ययोजना में उपरोक्त 01 से 10 तक के कार्य कार्ययोजना मे शामिल ही नही है। अतः कार्ययोजना से बाहर कार्य कराया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है।

2) निर्माण पत्रावलियो में प्रायः शासनादेश संख्या – 1836/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के अनुपालन मे तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न नही है।

3) निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ , कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु अधिकांश पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

4) क्षेत्र पंचायत गंगोह द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कराये गये दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी0डब्लू डी0/ संस्थाओ के अनआपत्ति प्रमाण पत्र निर्माण पत्रावलियो मे संलग्न नही है जिसके कारण कार्यो के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

5) निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं0 – 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे एम0 एम0 – 11 संलग्न नही है। जबकि यह आवश्यक था।

6) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 535 (व) के अनुसार प्रत्येक 50 हजार रूपये से ऊपर के कार्यो का अन्तिम भुगतान बिना ए0 ई0 प्रमाण पत्र के बिना नही किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों मे उक्त आशय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

7) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 537 एवं 538 के अनुसार प्रारूप – 22 (आ), 27 (आ) एवं 27 (बा) का जे0ई0 द्वारा कोई पालन नही किया गया है। निर्माण पत्रावलियों से उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।

8) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के अध्याय 14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422, 423 के अनुपालन मे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलो/बाउचरो आदि का पूर्ण लेखा जोखा माप पुस्तिका मे अंकित किया जायेगा। किन्तु इसका कोई पालन नही किया गया है।

9) निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

10) कराये गये निर्माण कार्यो का पूर्ण लेखा-जोखा अचल सम्पत्ति रजिस्टर मे किया गया है अथवा नही इसकी जाँच एवं पुष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत कर नही करायी गयी है।

11) उपरोक्त कराये गये कार्यो से सम्बन्धित कैशबुक जिसमें तिथिवार प्रमाणको के अनुसार व्ययो का पूर्ण ब्यौरा अंकित हो अप्रस्तुत रही। कैशुबक तैयार ही नही की गई है। इसके अतिरिक्त जल प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें हैण्डपम्प लगाने के प्रस्ताव पारित हो अप्रस्तुत रही तथा निर्माण पत्रावलियो मे भी जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृति का कोई प्रपत्र संलग्न नही है।

12) उपरोक्त कराये गये कार्यो को सरकारी संस्था से न कराकर प्राइवेट ठेकेदार श्री मसूद अख्तर से कराया गया है किन्तु जल निगम अथवा लघु सिचांई विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त नही किये गये है। एन0ओ0सी0 के प्रमाणपत्र सम्बन्धित पत्रावलियों मे सलंग्न नही है। यह शासन एवं विभाग आदेशो का उल्लंघन है।

13) उपरोक्त कराये गये सभी कार्य श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार से ही कराया जाना क्षेत्र पंचायत के अधिकारियो की साठगाठ की ओर संकेत करता है।

आदि आदि।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 1862470.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है जो अधिभार योग्य है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार व श्री महेश कुमार, जे0ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 1862470.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (साधारण आपत्ति संख्या-07)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **14—**

क्षेत्र पंचायत गंगोह मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित कार्य 15 वा वित्त आयोग से प्राप्त टाईड फण्ड मद से कराया जाना दर्शित है :-

क्रम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
.1	ग्राम झाड़वन मे सामुदायिक शौचालय का निर्माण	398239.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.2	विकाखण्ड गंगोह परिसर मे सामुदायिक शौचालय का निर्माण	365211.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.3	विकाखण्ड गंगोह परिसर मे कम्पोस्ट पिट का निर्माण	230629.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.4	ग्राम आलमपुर मे लखनौती रोड से शमशान घाट तक मिट्टी खड़ौंजा कार्य	243327.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.5	ग्राम विश्नहेड़ा मे महबूब के घर से आलम के घर तक सी0सी 0निर्माण	934700.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.6	ग्राम मोहनपुरा मे मेन रोड से प्राइमरी स्कूल तक मिट्टी खडौंजा कार्य	429539.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.7	ग्राम कम्हेड़ा मे कल्लू के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य	785461.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.8	ग्राम दूधला मे दूधला-जेहरा मार्ग से गाँव की ओर सी0सी 0निर्माण	850983.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.9	ग्राम भोगी माजरा मे इसम के खेत से पारस के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य	407082.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.10	ग्राम आलमपुर मे अय्यूब के मकान से जाहिद के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य	166126.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान

.11	ग्राम डूभर किशनपुर मे मिट्टी खडौंजा कार्य	642884.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.12	ग्राम टिडौली में मेन सड़क से तालिब के मकान तक नाली निर्माण	315226.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.13	ग्राम मोहनपुरा मे शब्बीरा के मकान से जाहिद के मकान तक नाली निर्माण	886186.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.14	ग्राम मोहनपुरा मे हारुण के मकान से शब्बीरा के मकान तक नाला निर्माण	719067.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.15	ग्राम जुखेड़ी मे कश्मिरा के मकान से रघुनाथ के मकान तक नाला निर्माण	642100.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.16	ग्राम कोटड़ा मे जमशेद के खेत से संदीप के बाग तक खडन्जा निर्माण	761019.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.17	ग्राम मनोहरा में भंवर के खेत से संदीप के बाग तक खडन्जा निर्माण	853344.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.18	ग्राम सलारपुरा मे श्मशान घाट में छतरी निर्माण	298707.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.19	ग्राम सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र गंगोह में01 नग कम्पोस्ट पिट निर्माण	228250.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.20	ग्राम कल्लरहेडी में 01 नग कम्पोस्ट पिट का निर्माण	227937.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.21	ग्राम सराजपुर तकीपुर में 01 नग कम्पोस्ट पिट का निर्माण	226001.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.22	ग्राम मोहनपुरा में 02 नग कम्पोस्ट पिट का निर्माण	452425.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
	योग	11064443.00	

उक्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश मे आयी :-

1) उपरोक्त क्रमांक 01 से 22 तक कराये गये कार्यो को 15वे वित्त टाईड फण्ड से कराया जाना दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत टाईड फण्ड से कराये जाने वाले कार्यो की स्वीकृत कार्ययोजना में उपरोक्त 01 से 22 तक के कार्य कार्ययोजना मे शामिल ही नही है। अतः कार्ययोजना से बाहर कार्य कराया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है।

2) निर्माण पत्रावलियो में प्रायः शासनादेश संख्या – 1836/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के अनुपालन मे तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न नही है।

3) निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ , कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु अधिकांश पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

4) क्षेत्र पंचायत गंगोह द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कराये गये दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी0डब्लू डी0/ संस्थाओ के अनआपत्ति प्रमाण पत्र निर्माण पत्रावलियो मे संलग्न नही है जिसके कारण कार्यो के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

5) निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं0 – 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे एम0 एम0 – 11 संलग्न नही है। जबकि यह आवश्यक था।

6) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 535 (व) के अनुसार प्रत्येक 50 हजार रूपये से ऊपर के कार्यो का अन्तिम भुगतान बिना ए0 ई0 प्रमाण पत्र के बिना नही किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों मे उक्त आशय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

7) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 537 एवं 538 के अनुसार प्रारूप – 22 (आ), 27 (आ) एवं 27 (बा) का जे0ई0 द्वारा कोई पालन नही किया गया है। निर्माण पत्रावलियों से उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।

8) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के अध्याय 14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422, 423 के अनुपालन मे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलो/बाउचरो आदि का पूर्ण लेखा जोखा माप पुस्तिका मे अंकित किया जायेगा। किन्तु इसका कोई पालन नही किया गया है।

9) निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

10) कराये गये निर्माण कार्यो का पूर्ण लेखा-जोखा अचल सम्पत्ति रजिस्टर मे किया गया है अथवा नही इसकी जाँच एवं पुष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत कर नही करायी गयी है।

11) उपरोक्त कराये गये कार्यो से सम्बन्धित कैशबुक जिसमें तिथिवार प्रमाणको के अनुसार व्ययो का पूर्ण ब्यौरा अंकित हो अप्रस्तुत रही। कैशुबक तैयार ही नही की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें उक्त कार्यो के प्रस्ताव पारित हो अप्रस्तुत रही तथा निर्माण पत्रावलियो मे भी निर्माण प्रबन्ध समिति की स्वीकृति का कोई प्रपत्र संलग्न नही है।

12) उपरोक्त कराये गये सभी कार्य श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार से ही कराया जाना क्षेत्र पंचायत के अधिकारियो की साठगाठ की ओर संकेत करता है।

13) टाईड फण्ड की स्वीकृत कार्ययोजना से बाहर के कार्य कराये गये है। तथा कार्यो का ग्राम पंचायतो आदि से अनआपत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नही किया गया है।
आदि आदि।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 11064443.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है जो अधिभार योग्य है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार व श्री महेश कुमार, जे0ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 11064443.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (साधारण आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर संख्या **15—**

ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार दिनांक 3.5.2021 को श्रीमती कमलेश ब्लाक प्रमुख को 6/2020 से 4/2021 तक का रूपये 107800.00 मानदेय 12 माह का भुगतान राज्य वित्त आयोग से भुगतान अंकित है। उक्त में जून 2020 से मार्च 2021 तक का 11 माह का भुगतान गत वर्ष 2020-2021 से सम्बन्धित है। बकाया मानदेय की पुष्टि में पत्रावली/अवशेष बकाया मानदेय भुगतान करने की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, मानदेय भुगतान पंजिका/प्रमाणक आदि भी अप्रस्तुत रहे। उक्त के अभाव मे यह भुगतान अपुष्ट रहे है जो अधिभार योग्य है। उक्त की पूर्ण जाँच व पुष्टि कराई जाय अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतअधिनियम /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 107800.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (साधारण आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर संख्या **16—**

ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार दिनांक 6.1.2022 को बी0डी0सी0 बैठक में मानदेय रूपये 150000.00 राज्य वित्त अनुदान से किया जाना दर्शित है किन्तु इस व्यय की जाँच एवं पुष्टि हेतु बी0डी0सी0 कार्यवाही पंजिका, उपस्थिति की पंजिका/उपस्थिति प्रमाण/माननीय बी0डी0सी0 सदस्यो को मानदेय भुगतान करने की पंजिका/प्रमाणक आदि अप्रस्तुत रहे। उक्त के अभाव में यह भुगतान अपुष्ट रहे है जो अधिभार योग्य है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 150000.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (साधारण आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर संख्या **17—**

ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार दिनांक 21.10.2021 को प्रमुख कक्ष मे कुर्सी व मेज क्रय हेतु रूपये 38232.00 तथा इस पर जी0एस0टी0 आदि का रूपये 10346.00 इस प्रकार रूपये 48578.00 का भुगतान फर्नीचर हेतु तथा दिनांक 23.3.2022 को प्रमुख कक्ष मे इनवर्टर बैटरा हेतु रूपये 12000.00 का भुगतान इस प्रकार कुल रूपये 60578.00 राज्य वित्त अनुदान से दर्शित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त क्रय से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक, बिल/डैड स्टाक पंजिका जिसमे यह क्रय फर्नीचर एवं इनवर्टर बैट्रा की आमद का पूर्ण लेखा जोखा दर्ज हो, कोटेशन, टैण्डर, प्रमुख कक्ष मे फर्नीचर की मांग का पत्र एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदि आदि व्यय राशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु अप्रस्तुत रहें। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या – 23/2020/279/18-2-2020-97 (ल0उ0) 2016, दिनांक 19 जून 2020 के अनुपालन मे शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त शासनादेश के बाद किसी भी प्रक्रियाँ से क्रय किया जाना वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी मे माना जायेगा। अतः यह राशि रूपये 60578.00 अधिभार योग्य है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 60578.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (साधारण आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर संख्या **18—**

ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार दिनांक 3.2.2022 को रूपये 433344.00 का भुगतान विकास खण्ड परिसर मे प्रमुख कक्ष का जीर्णोद्वार हेतु तथा दिनांक 3.2.2022 को ही रूपये 585454.00 का इस प्रकार कुल रूपये 1018798.00 परिसर मे कार्यालय भवन की मरम्मत रंगाई पुताई एवं आवासीय परिसर की ओर चाहर दीवारी का निर्माण हेतु राज्य वित्त अनुदान से श्री मसूद अख्तर ठेकेदार को दर्शित है किन्तु उक्त व्ययो की जाँच एवं पुष्टि हेतु अचल सम्पत्ति का रजिस्टर जिसमें इन कार्यो का पूर्ण लेखा जोखा दर्ज हो अनुपलब्ध रहा। अचल सम्पत्ति यह अन्य कोई पंजिका/पत्रावली भी प्रस्तुत नही की गई जिससे यह स्पष्ट व पुष्टि हो सके कि उक्त कार्य इस दिनांक से पूर्व कब कराया गया था। राज्य वित्त अनुदान से सम्बन्धित पूर्ण विस्तृत स्वीकृत कार्ययोजना जिसमें निर्माण कार्यो/प्रशासनिक मद के व्ययो आदि का धनराशि सहित उल्लेख हो पत्रावली/पंजिका अप्रस्तुत रही। राज्य वित्त अनुदान जनता के विकास कार्यो हेतु सरकार द्वारा दिया गया है न कि उक्त मदो पर व्यय किये जाने हेतु/राज्य वित्त अनुदान मे प्रशासनिक मद की राशइ व स्वीकृति भी अप्रस्तुत रही। इसके अतिरिक्त :--

1) निर्माण पत्रावलियो में प्रायः शासनादेश संख्या – 1836/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के अनुपालन मे तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न नही है।

2) निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ , कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु अधिकांश पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

3) निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं0 – 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे एम0 एम0 – 11 संलग्न नही है जबकि यह आवश्यक था।

4) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 535 (व) के अनुसार प्रत्येक 50 हजार रूपये से ऊपर के कार्यो का अन्तिम भुगतान बिना ए0 ई0 प्रमाण पत्र के बिना नही किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों मे उक्त आशय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

5) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 537 एवं 538 के अनुसार प्रारूप – 22 (आ), 27 (आ) एवं 27 (बा) का जे0ई0 द्वारा कोई पालन नही किया गया है। निर्माण पत्रावलियों से उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।

6) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के अध्याय 14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422, 423 के अनुपालन मे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलो/बाउचरो आदि का पूर्ण लेखा जोखा माप पुस्तिका मे अंकित किया जायेगा। किन्तु इसका कोई पालन नही किया गया है।

7) निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

8) कराये गये निर्माण कार्यो का पूर्ण लेखा-जोखा अचल सम्पत्ति रजिस्टर मे किया गया है अथवा नही इसकी जाँच एवं पुष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत कर नही करायी गयी है।

9) उपरोक्त कराये गये कार्यो से सम्बन्धित कैशबुक जिसमें तिथिवार प्रमाणको के अनुसार व्ययो का पूर्ण ब्यौरा अंकित हो अप्रस्तुत रही। कैशुबक तैयार ही नही की गई है।

10) उपरोक्त कराये गये कार्यो को सरकारी संस्था से न कराकर प्राइवेट ठेकेदार श्री मसूद अख्तर से कराया गया है किन्तु जल निगम अथवा लघु सिचांई विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त नही किये गये है। एन0ओ0सी0 के प्रमाणपत्र सम्बन्धित पत्रावलियों मे सलंग्न नही है। यह शासन एवं विभाग आदेशो का उल्लंघन है।

11) उपरोक्त कराये गये सभी कार्य श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार से ही कराया जाना क्षेत्र पंचायत के अधिकारियो की साठगाठ की ओर संकेत करता है।

आदि आदि।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 1018798.00 अधिभार योग्य है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार व श्री महेश कुमार, जे0ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 1018798.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।
(साधारण आपत्ति संख्या-12)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **19—**

ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या-01 पर दिनांक 1.4.2021 राज्य वित्त आयोग अनुदान का शेष रूपये 6324468.70 दर्शित है किन्तु ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय मे यह रूपये 6424730.26 अंकित है। अन्तर रूपये 100261.56 का कारण स्पष्ट नही किया गया। इसी प्रकार दिनांक 31.03.2022 को ग्रान्ट रजिस्टर मे पृष्ट 08 पर रूपये 6889052.70 शेष अंकित है जबकि अनुदान तृतीय के पृष्ठ-33 पर रूपये 8280359.54 शेष राज्य वित्त का दर्शाया गया है। अन्तर रूपये 1391306.84 का कारण स्पष्ट नही किया गया। अन्तर समाधान विवरण पत्र भी नही है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अन्तर की पूर्ण जाँच/पुष्टि कराई जाय अन्यथा की स्थिति उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 1391306.84 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।
(साधारण आपत्ति संख्या-13)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **20—**

ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के (पृष्ठ संख्या-32) अनुसार मनरेगा प्रशासनिक मद से दिनांक 9.12.2021 को श्री सुजीत कुमार वर्मा लेखाकार को रूपये 37440.00 मनरेगा रैली लखनऊ हेतु भुगतान दर्शित है। इस व्यय राशि की जाँच पुष्टि हेतु विभागीय आदेश, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, पत्रावली, व्यय राशि के प्रमाणक आदि अप्रस्तुत रहें। जिसके कारण यह राशि अपुष्ट रही। यह अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जो अधिभार योग्य है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 37440.00

वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (साधारण आपत्ति संख्या-14)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **21—**

क्षेत्र पंचायत गंगोह मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित कार्य राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से कराया जाना दर्शित है :-

क्रम संख्या	**कार्य का संक्षिप्त विवरण**	**ग्रान्ट रजिस्टर-2 के अनुसार व्यय राशि**	**टिप्पणी**
.1	ग्राम मनोहरा मे प्रेम के मकान से प्रीतम के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	121853.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.2	ग्राम भोगी माजरा चरण सिंह के खेत से अजय के खेत तक मिट्टी खडंजा कार्य	169254.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.3	ग्राम मोहनपुरा मे भोगी माजरा के मेन रोड से सुल्लर के खेत तक मिट्टी खडंजा कार्य।	116906.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.4	ग्राम बोडपुर मे अख्तर के खेत से शमशान घाट तक मिट्टी खडंजा	871326.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.5	ग्राम पीरमाजरा मे तालाब से कब्रीस्तान की ओर खडंजा निर्माण।	92074.00	श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार को भुगतान
.6	ग्राम सालियर में रजवाहे से माधोपुर मार्ग पर इन्टर लोकिंग कार्य।	479042.00	श्री मुकेश गुप्ता , ठेकेदार को भुगतान
.7	ग्राम लखनौती के मजरा भगवानपुर मे महेन्द्र के मकान से ब्रजपाल के मकान तक	436076.00	श्री प्रदीप कुमार , ठेकेदार को भुगतान
.8	ग्राम दूधला मे कुतुबखेडी मार्ग पर धीरज के खेत तक मिट्टी खडंजा कार्य।	912971.00	श्री मुकेश गुप्ता , ठेकेदार को भुगतान
	योग	**3199502.00**	

उक्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश मे आयी :-

1) उपरोक्त क्रमांक 01 से 8 तक कराये गये कार्यो को राज्य वित्त फण्ड से कराया जाना दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त फण्ड से कराये जाने वाले कार्यो की स्वीकृत कार्ययोजना में उपरोक्त 01 से 8 तक के कार्य कार्ययोजना मे शामिल ही नही है। अतः कार्ययोजना से बाहर कार्य कराया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है।

2) निर्माण पत्रावलियो में प्रायः शासनादेश संख्या – 1836/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के अनुपालन मे तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न नही है।

3) निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ , कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु अधिकांश पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

4) क्षेत्र पंचायत गंगोह द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कराये गये दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी0डब्लू डी0/ संस्थाओ के अनआपत्ति प्रमाण पत्र निर्माण पत्रावलियो मे संलग्न नही है जिसके कारण कार्यो के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

5) निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं0 – 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे एम0 एम0 – 11 संलग्न नही है। जबकि यह आवश्यक था।

6) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 535 (व) के अनुसार प्रत्येक 50 हजार रूपये से ऊपर के कार्यो का अन्तिम भुगतान बिना ए0 ई0 प्रमाण पत्र के बिना नही किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों मे उक्त आशय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

7) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 537 एवं 538 के अनुसार प्रारूप – 22 (आ), 27 (आ) एवं 27 (बा) का जे0ई0 द्वारा कोई पालन नही किया गया है। निर्माण पत्रावलियों से उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।

8) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के अध्याय 14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422, 423 के अनुपालन मे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलो/बाउचरो आदि का पूर्ण लेखा जोखा माप पुस्तिका मे अंकित किया जायेगा। किन्तु इसका कोई पालन नही किया गया है।

9) निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

10) कराये गये निर्माण कार्यो का पूर्ण लेखा-जोखा अचल सम्पत्ति रजिस्टर मे किया गया है अथवा नही इसकी जाँच एवं पुष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत कर नही करायी गयी है।

11) उपरोक्त कराये गये कार्यो से सम्बन्धित कैशबुक जिसमें तिथिवार प्रमाणको के अनुसार व्ययो का पूर्ण ब्यौरा अंकित हो अप्रस्तुत रही। कैशुबक तैयार ही नही की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें उक्त कार्य के प्रस्ताव पारित हो अप्रस्तुत रही तथा निर्माण पत्रावलियो मे भी निर्माण प्रबन्ध समिति की स्वीकृति का कोई प्रपत्र संलग्न नही है।

12) उपरोक्त कराये गये सभी कार्य श्री मसूद अख्तर, ठेकेदार से ही कराया जाना क्षेत्र पंचायत के अधिकारियो की साठगाठ की ओर संकेत करता है।

आदि आदि।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 3199502.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है जो अधिभार योग्य है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती कमलेश एवं श्रीमती मुन्नीदेवी, ब्लाक प्रमुख, श्री डा0 छत्रपाल सिंह एवं श्री विवेक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुजीत कुमार वर्मा, लेखाकार व श्री महेश कुमार, जे0ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 3199502.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (साधारण आपत्ति संख्या-15)

क्षेत्र पंचायत देवबन्द अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022
गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या **22**—

क्षेत्र पंचायत देवबन्द की वर्ष 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर प्रकाश मे आया कि मनरेगा कन्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत अनुदान पंजिका 2 व 3 अनुसार कुल रूपये 173624.50 व्यय दर्शित है। इस राशि मे ग्रान्ट रजिस्टर-2 के अनुसार निम्नलिखित व्यय भी दर्शित है :-

क्रम	दिनांक	ग्रान्ट रजिस्टर-2मे पृष्ठ	व्यय धनराशि	अभियुक्ति
1	16व6व2021	41	3337व00	जनरेटर डीजल हेतु श्री रविन्द्र कुमार ,लेखाकार को भुगतान ;बिल/लाग बुक नहीं हैं।)
2	2व8व2021	41	2651व00	जनरेटर डीजल हेतु श्री रविन्द्र कुमार ,लेखाकार को भुगतान ;बिल/लाग बुक नहीं हैं।)
3	2व8व2021	41	18790व00	कन्टीजैन्सी बिल हेतु श्री रविन्द्र कुमार ,लेखाकार को भुगतान
4	30व9व2021	41	15826व00	कन्टीजैन्सी बिल (स्टेशनरी) मे0 ब्रजमोहन लाल राजवंशी को भुगतान।
5	13व1व2022	42	15826व00	कन्टीजैन्सी बिल (स्टेशनरी) मे0 ब्रजमोहन लाल राजवंशी को भुगतान।
6	30व9व2021	41	8579व00	कन्टीजैन्सी बिल हेतु श्री रविन्द्र कुमार ,लेखाकार को भुगतान
7	24व2व2022	42	10278व00	कन्टीजैन्सी बिल (स्टेशनरी) मे0 ब्रजमोहन लाल राजवंशी को भुगतान।
8	17व1व2022	42	13877व00	कन्टीजैन्सी बिल हेतु श्री रविन्द्र कुमार ,लेखाकार को भुगतान
9	13व1व2022	42	31360व00	दिनांक 4व10व2021को लखनऊ में आयोजित मनरेगा सम्मेलन हेतु बस किराया दीपक ट्रैवल्स अम्बाला रोड सहारनपुर को भुगतान।
10	13व1व2022	42	11160व00	उक्त सम्मेलन मे जलपान का व्यय श्री रविन्द्र कुमार , लेखाकार को भुगतान।
11	24व2व2022	42	4700व00	श्री श्याम जी इन्फोटैक देवबन्द को सी.पी.यू.ए मदर बोर्ड हेतु भुगतान।
12	1व3व2022	42	32600व00	अक्षय उर्जा शाप सहारनपुर के सौर उर्जा सयंन्त्र मरम्मत हेतु भुगतान।
	कुल योग		**168984व00**	

उपरोक्त मनरेगा कन्टीजेन्सी मद से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियाँ, स्वीकृति, बिल/प्रमाणक आदि अप्रस्तुत रहे तथा कैशबुक जिसमें तिथिवार व्ययो का प्रमाणको के अनुसार पूर्ण ब्यौरा अंकित हो भी अप्रस्तुत रही। उपरोक्त में क्रमांक संख्या 4,5 तथा 7 में स्टेशनरी खरीद करने के सम्बन्ध में शासनादेस का पालन नही किया गया है जबकि शासनादेश संख्या- 23/2020/279/18-2-2020-97 (ल0 30) 2016 दिनांक 19 जून 2020 के अनुपालन शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही क्रय करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त शासनादेश के बाद किसी भी प्रक्रियां से क्रय किया जाना वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी मे माना जायेगा। क्रमांक संख्या 9 एवं 10 से सम्बन्धित विभागीय आदेश /स्वीकृति एंव इसके

बिल आदि भी अप्राप्त रहे। क्रमांक संख्यां 3,6 तथा 8 के व्ययो का विवरण अनुदान पंजिका में अंकित नही है और सम्बन्धित बिल/बाउचर/पत्रावली व स्वीकृति आदि अप्रस्तुत रहे। यह अपहरण प्रतीत होता है। अतः पूर्ण जाँच एवं पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति मे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली के नियम संख्या-179 क से अं तक के प्राविधानानुसार रूपये 168984.00 वसूली किया जाना उचित है। अतः जाँच उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियो से यथा श्रीमती शबनम बेगम एवं श्रीमती ममता त्यागी, ब्लाक प्रमुख, श्री दुष्यन्त कुमार सिंह, सुश्री ज्योति बाला, श्री अजय कुमार एवं श्री आजम अली, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रविन्द्र कुमार बालियान, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 168984.00 की धनराशि अविलम्ब वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(साधारण आपत्ति संख्या-02)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **23—**

क्षेत्र पंचायत देवबन्द मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित कार्य राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से कराया जाना दर्शित है :-

क्रम संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
.1	ग्राम देवबन्द देहात भायला रोड आय्युब के खेत से इरफान अन्सारी तक खडंजा कार्य	595188.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.2	विकासखण्ड कार्यालय देवबन्द में बी0डी0ओ0 आवास की मरम्मत	272497.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.3	ग्राम नूनाबड़ी में यामीन के खेत से शराफत की ओर मिट्टी /खडंजा कार्य।	111447.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
	योग	**979132.00**	

उक्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश मे आयी :-

1) उपरोक्त क्रमांक 01 से 3 तक कराये गये कार्यो को राज्य वित्त फण्ड से कराया जाना दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त फण्ड से कराये जाने वाले कार्यो की स्वीकृत कार्ययोजना में उपरोक्त 01 से 3 तक के कार्य कार्ययोजना मे शामिल ही नही है। अतः कार्ययोजना से बाहर कार्य कराया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है।

2) निर्माण पत्रावलियो में प्रायः शासनादेश संख्या – 1836/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के अनुपालन मे तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न नही है।

3) निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ , कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु अधिकांश पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

4) क्षेत्र पंचायत देवबन्द द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कराये गये दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी0डब्लू डी0/ संस्थाओ के **अनआपत्ति प्रमाण पत्र निर्माण पत्रावलियो मे**

संलग्न नही है जिसके कारण कार्यो के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

5) निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं0 – 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे **एम0 एम0 – 11 संलग्न नही है।** जबकि यह आवश्यक था।

6) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 535 (व) के अनुसार प्रत्येक 50 हजार रूपये से ऊपर के कार्यो का अन्तिम भुगतान बिना ए0 ई0 प्रमाण पत्र के बिना नही किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों मे उक्त आशय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

7) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 537 एवं 538 के अनुसार प्रारूप – 22 (आ), 27 (आ) एवं 27 (बा) का जे0ई0 द्वारा कोई पालन नही किया गया है। निर्माण पत्रावलियों से उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।

8) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के अध्याय 14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422, 423 के अनुपालन मे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलो/बाउचरो आदि का पूर्ण लेखा जोखा माप पुस्तिका मे अंकित किया जायेगा। किन्तु इसका कोई पालन नही किया गया है।

9) निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

10) कराये गये निर्माण कार्यो का पूर्ण लेखा-जोखा अचल सम्पत्ति रजिस्टर मे किया जाना पुष्टि नही कराया गया है जिससे यह भी अस्पष्ट रहा कि उपरोक्त कार्य इससे पूर्व भी कराये गये है अथवा नही।

11) उपरोक्त कराये गये कार्यो से सम्बन्धित कैशबुक जिसमें तिथिवार प्रमाणको के अनुसार व्ययो का पूर्ण ब्यौरा अंकित हो अप्रस्तुत रही। कैशुबक तैयार ही नही की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें उक्त कार्य के प्रस्ताव पारित हो अप्रस्तुत रही तथा निर्माण पत्रावलियो मे भी निर्माण प्रबन्ध समिति की स्वीकृति का कोई प्रपत्र संलग्न नही है।

12) उपरोक्त कराये गये सभी कार्य मै0 छाया कन्सट्रक्सन से ही कराया जाना क्षेत्र पंचायत के अधिकारियो की साठगाठ की ओर संकेत करता है।

आदि आदि।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 979132.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है जो अधिभार योग्य है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती शबनम बेगम एवं श्रीमती ममता त्यागी, ब्लाक प्रमुख, श्री दुष्यन्त कुमार सिंह, सुश्री ज्योति बाला, श्री अजय कुमार एवं श्री आजम अली, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रविन्द्र कुमार बालियान, लेखाकार व श्री अरविन्द कुमार (एम0आई0), जे0ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 979132.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (साधारण आपत्ति संख्या-03)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **24—**

क्षेत्र पंचायत देवबन्द मे वर्ष 2021-2022 के ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित कार्य 15 वा वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड फण्ड मद से कराया जाना दर्शित है :-

क्रम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	ग्रान्ट रजिस्टर दितीय के अनुसार व्यय राशि	टिप्पणी
.1	ग्राम सापला बक्काल में जाहिद के खेत से रियासत के खेत की ओर नाला	410446.00	श्री यशपाल सिंह ठेकेदार को भुगतान
.2	ग्राम सापला खत्री में दिलशाद के मकान से खडंजा	560688.00	श्री यशपाल सिंह ठेकेदार को भुगतान
.3	ग्राम दूधली में रविदास मन्दिर में सी0सी0	369173.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.4	ग्राम इस्सापुर मजरा गढ़ी में मि/0खं0	489854.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.5	ग्राम मकबरा में पुलियां एवं खंडजा	951611.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.6	ग्राम राजुपुर में कब्रिस्तान तक सी0सी0	608698.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.7	ग्राम थीतकी में कादिर के मकान से फुलासी मार्ग की ओर सी0सी0	525412.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.8	ग्राम मानकी के मदीना मज्जिद की ओर मि/0खं0	520950.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.9	ग्राम फुलास अकबरपुर में गुलफाम के खेत से खडंजा	243779.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.10	ग्राम हासिमपुरा में मुस्ताक के खेत से इरफान के खेत की ओर मि/0खं0	576187.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
.11	ग्राम जडौदा जट में प्रमोद के खेत से ओमप्रकाश के खेत की ओर मि/0खं0	535348.00	मै0 छाया कन्सट्रक्शन, ग्राम सुल्तानपुर को भुगतान
	योग (-)कम्प्यूटर आपरेटर की गलती के कारण कटौती वापसी। वास्तविक व्यय धनराशि का कुल योग	5792146.00 (-) 47854.00 **5744292.00**	

उक्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश मे आयी :-

1) उपरोक्त क्रमांक 01 से 11 तक कराये गये कार्यो को 15वे वित्त अनटाईड फण्ड से कराया जाना दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनटाईड फण्ड से कराये जाने वाले कार्यो की **स्वीकृत कार्ययोजना में उपरोक्त 01 से 11 तक के कार्य कार्ययोजना मे शामिल ही नही है। अतः कार्ययोजना से बाहर कार्य कराया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है।**

2) निर्माण पत्रावलियो में प्रायः शासनादेश संख्या – 1836/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.7.2015 के अनुपालन मे तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न नही है।

3) निर्माण पत्रावलियो में कार्य प्रारम्भ , कार्य के मध्य और कार्य समाप्त होने पर तीन फोटो चित्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए था किन्तु अधिकांश पत्रावलियों मे इसका कड़ाई से

पालन नही किया गया है और कार्य पूर्ण होने वाले फोटो पर कार्य का वर्ष भी अंकित नही किया गया है। यह स्थिति कार्य की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।

4) क्षेत्र पंचायत देवबन्द द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य कराये गये दर्शित है किन्तु ग्राम पंचायत /जिला पंचायत/पी0डब्लू डी0/ संस्थाओ के **अनआपत्ति प्रमाण पत्र निर्माण पत्रावलियो मे संलग्न नही है** जिसके कारण कार्यो के डुप्लीकेसी की पूर्ण सम्भावना है और फर्जी कार्य दर्शाकर धन अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

5) निर्माण पत्रावलियों मे उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिक कर्म अनुभाग के शासनादेश सं0 – 1345/86-2019 दिनांक 15-7-2019 के अनुपालन मे **एम0 एम0 – 11 संलग्न नही है।** जबकि यह आवश्यक था।

6) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 535 (व) के अनुसार प्रत्येक 50 हजार रूपये से ऊपर के कार्यो का अन्तिम भुगतान बिना ए0 ई0 प्रमाण पत्र के बिना नही किया जायेगा। किन्तु निर्माण पत्रावलियों मे उक्त आशय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है।

7) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के नियम 537 एवं 538 के अनुसार प्रारूप – 22 (आ), 27 (आ) एवं 27 (बा) का जे0ई0 द्वारा कोई पालन नही किया गया है। निर्माण पत्रावलियों से उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।

8) वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – 6 के अध्याय 14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422, 423 के अनुपालन मे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलो/बाउचरो आदि का पूर्ण लेखा जोखा माप पुस्तिका मे अंकित किया जायेगा। किन्तु इसका कोई पालन नही किया गया है।

9) निर्माण कार्यो की पत्रावलियों मे कार्य पूर्ण के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न नही पाये गये है।

10) कराये गये निर्माण कार्यो का पूर्ण लेखा-जोखा अचल सम्पत्ति रजिस्टर मे किया जाना पुष्टि नही कराया गया है जिससे यह भी अस्पष्ट रहा कि उपरोक्त कार्य इससे पूर्व भी कराये गये है अथवा नही।

11) उपरोक्त कराये गये कार्यो से सम्बन्धित कैशबुक जिसमें तिथिवार प्रमाणको के अनुसार व्ययो का पूर्ण ब्यौरा अंकित हो अप्रस्तुत रही। कैशुबक तैयार ही नही की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें उक्त कार्यो के प्रस्ताव पारित हो अप्रस्तुत रही तथा निर्माण पत्रावलियो मे भी निर्माण प्रबन्ध समिति की स्वीकृति का कोई प्रपत्र संलग्न नही है।

12) उपरोक्त कराये गये सभी कार्य **मै0 छाया कन्सट्रक्सन** से ही कराया जाना क्षेत्र पंचायत के अधिकारियो की साठगाठ की ओर संकेत करता है।

अतः अनटाईड फण्ड की स्वीकृत कार्ययोजना से बाहर के कार्य कराये गये है तथा कार्यो का ग्राम पंचायतो आदि से अनआपत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नही किया गया है।
आदि आदि।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर रूपये 5744292.00 की विधिवत जाँच व पुष्टि नही की जा सकी। यह गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है जो अधिभार योग्य है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से श्रीमती शबनम बेगम एवं श्रीमती ममता त्यागी, ब्लाक प्रमुख, श्री दुष्यन्त कुमार सिंह, सुश्री ज्योति बाला, श्री अजय कुमार एवं श्री आजम अली, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रविन्द्र कुमार बालियान, लेखाकार तथा श्री अरविन्द कुमार (एम0आई0), जे0ई0 से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 5744292.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (साधारण आपत्ति संख्या-04)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **25—**

वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त आयोग अनुदान मद से ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय में दिनांक 18.5.2021 को केन्द्रीय अंश में जमा कराया जाना दर्शित है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

दिनांक	धनराशि
18ण्5ण्2021	120ण्00
18ण्5ण्2021	15967ण्00
18ण्5ण्2021	53141ण्00
18ण्5ण्2021	25790ण्00
18ण्5ण्2021	4980ण्00
योग	**99998ण्00**

राज्य वित्त अनुदान से केन्द्रीय अंश में जमा कराये जाने से सम्बन्धित विभागीय आदेश/पत्रावली/ स्वीकृति/ केन्द्रीय अंश मे उक्त जमा राशियो की प्राप्ति रसीदे/ट्रांसफर प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहे जिसके कारण रूपये 99998.00 व्यय की जाँच पुष्टि नही की जा सकी। अतः उक्त जमा/व्यय राशि की पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्रीमती शबनम बेगम एवं श्रीमती ममता त्यागी, ब्लाक प्रमुख, श्री दुष्यन्त कुमार सिंह, सुश्री ज्योति बाला, श्री अजय कुमार एवं श्री आजम अली, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रविन्द्र कुमार बालियान, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 99998.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(साधारण आपत्ति संख्या-05)

<u>प्रस्तर संख्या</u> **26—**

वर्ष 2021-2022 में ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार टी0डी0एस0 गतवर्ष का दिनांक 1.4.2021 को प्रारम्भिक शेष रूपये 45189.00 था, वर्ष 2021-2022 में रूपये 21109.00 प्राप्त हुये तथा इस प्रकार योग रूपये 66298.00 भुगतान किया जाना था जिसके सापेक्ष रूपये 133504.00 भुगतान कर दिया गया है रूपये 67206.00 ऋणात्मक (-) अन्तिम शेष 31.03.2022 को दर्शा दिया गया है। इसी प्रकार जी0एस0टी0 2% मद में गतवर्ष का दिनांक 1.4.2021 को प्रारम्भिक शेष रूपये 45190.00 था, वर्ष 2021-2022 में रूपये 21110.00 प्राप्त हुये तथा इस प्रकार योग रूपये 66300.00 भुगतान किया जाना था जिसके सापेक्ष रूपये 133506.00 भुगतान कर दिया गया है रूपये 67206.00 ऋणात्मक (-) अन्तिम शेष 31.03.2022 को दर्शा दिया गया है। इसी प्रकार जी0एस0टी0 2% (राज्य वित्त) मद में गतवर्ष का दिनांक 1.4.2021 को प्रारम्भिक शेष शून्य था, वर्ष 2021-2022 में रूपये 20680.00 प्राप्त हुये तथा इस प्रकार योग रूपये 20680.00 भुगतान किया जाना था जिसके सापेक्ष रूपये 21110.00 भुगतान कर दिया गया है रूपये 430.00 ऋणात्मक (-) अन्तिम शेष 31.03.2022 को

दर्शा दिया गया है। इसी प्रकार जमानत (अनटाईड) मद में गतवर्ष का दिनांक 1.4.2021 को प्रारम्भिक शेष शून्य था, वर्ष 2021-2022 में रूपये 265385.00 प्राप्त हुये तथा इस प्रकार योग रूपये 265385.00 भुगतान किया जाना था जिसके सापेक्ष रूपये 384844.00 भुगतान कर दिया गया है रूपये 119459.00 ऋणात्मक (-) अन्तिम शेष 31.03.2022 को दर्शा दिया गया है। इसी प्रकार टी0डी0एस0 (अनटाईड) मद में गतवर्ष का दिनांक 1.4.2021 को प्रारम्भिक शेष शून्य था, वर्ष 2021-2022 में रूपये 96102.00 प्राप्त हुये तथा इस प्रकार योग रूपये 96102.00 भुगतान किया जाना था जिसके सापेक्ष रूपये 103431.00 भुगतान कर दिया गया है रूपये 7329.00 ऋणात्मक (-) अन्तिम शेष 31.03.2022 को दर्शा दिया गया है। इसी प्रकार जी0एस0टी0 2% (अनटाईड) मद में गतवर्ष का दिनांक 1.4.2021 को प्रारम्भिक शेष शून्य था, वर्ष 2021-2022 में रूपये 96104..00 प्राप्त हुये तथा इस प्रकार योग रूपये 96104.00 भुगतान किया जाना था जिसके सापेक्ष रूपये 103434.00 भुगतान कर दिया गया है रूपये 7330.00 ऋणात्मक (-) अन्तिम शेष 31.03.2022 को दर्शा दिया गया है। उक्तानुसार देय राशियो से अधिक के भुगतान कर दिये गये है उक्त स्थिति गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता है। उक्तानुसार रूपये 67206.00+67206.00+430.00+119459.00+7329.00+7330.00 इस प्रकार कुल रूपये 268960.00 के अधिक अनियमित भुगतान कर दिये गये है जो अधिभार योग्य है। अधिक किये गये भुगतानो का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी का है। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत /नियमावली के नियम संख्या – 179 क से अं तक के प्राविधानानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से यथा श्री दुष्यन्त कुमार सिंह, सुश्री ज्योति बाला, श्री अजय कुमार एवं श्री आजम अली, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री रविन्द्र कुमार बालियान, लेखाकार से इनके कार्यकाल के अनुसार समान अनुपात मे रूपये 268960.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। समुचित कार्यवाही हेतु विभाग उच्च अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(साधारण आपत्ति संख्या-06)

क्षेत्र पंचायत सरसावा अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22
गम्भीर आपत्तियाँ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या **27**—

वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाँव के अन्दर केन्द्रीय वित्त से कराये गए कार्यों का विवरण=

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	हरडा खेडी में जमशेद व आरिफ तक इंटरलॉकिंग	187443ण00
	योग	187443ण00

(I) उपरोक्त कुल अंकन धनराशी रु० 187443.00 के कार्यों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायतों को शासनादेश स० 806/33-2-14-93 सी /2014 दिनांक 24-6-2014 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अनुदान को दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करने में व्यय किया जाएगा | किन्तु शासनादेश का स्पस्ट उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से गांव के बीच में कार्य कराया जाना गंभीर आपत्ति जनक है|

(II) उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से कोई अनापत्ति पत्र भी नहीं लिया गया है|

(III) उपरोक्त कार्य कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव, तकनिकी एवं प्रशाशनिक स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि इन शर्तों के बिना ही कार्य कराये गए हैं |
(IV) कार्य समाप्ति पर किसी भी सक्षम अधिकारी के कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने का प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया है|

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों को कराने में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितताए बरती गयी है)जिसमे कुल रु० 187443.00 व्यय किये गए हैं (जिसके लिए श्री अहतसाम अकरम, ब्लाक प्रमुख, श्री ताहिर हसन, ब्लाक प्रमुख, श्री सहेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी, श्री सुभाष बालियान, लेखाकार ओमपाल, व श्री तपेंदर सैनी जे0ई0 संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है| (आपत्ति संख्या 01(1))

प्रस्तर संख्या 28-

कार्यों का अनियमित विभाजन किया गया -शौचालय निर्माण

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम उगरपुर में सामुदायिक शौचालय निर्माण	399008ण00
2	ग्राम गोविंदपुर में सामुदायिक शौचालय निर्माण	403322ण00
3	ग्राम पहलवानपुर में सामुदायिक शौचालय निर्माण	382698ण00
4	ग्राम सलेमपुर में सामुदायिक शौचालय निर्माण	613128ण00
	योग	1798156ण00

उक्त कार्य ई.टेंडरिंग के द्वारा किया जाना था। परन्तु लेखा परीक्षा की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने चहेते ठेकेदारो को फायदा पहुचाने के उददेश्य से उक्त कार्य अलग-अलग विभाजित कर कराया गया हैं। जो शासनादेश सं0 1066/33-3-2021-38/2021 दि0 2-7-21 के पैरा 4 (क (का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि यह कार्य ई-टेंडरिंग द्वारा किया जाता तो लागत कम लगती। साथ ही उक्त समस्त कार्यो की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही की गयी । अतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से बिना ई टेंडरिंग के कार्य कराने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देते हुए कार्य कराने की प्रक्रिया नियमों एव शासनादेशो के उल्लंघन को स्पष्ट दर्शाती है। जिसके लिए श्री अहतसाम अकरम, ब्लाक प्रमुख, श्री ताहिर हसन, ब्लाक प्रमुख, श्री सहेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी, श्री सुभाष बालियान, लेखाकार ओमपाल, व श्री तपेंदर सैनी जे0ई0 संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है| (आपत्ति संख्या 01(2))

प्रस्तर संख्या 29-

कार्यों का अनियमित विभाजन किया गया)केन्द्रीय वित्त - (नाला एवं सीसी रोड निर्माण

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम अपलाना में सीसी नाला निर्माण	1006751ण00
2	ग्राम दभेडा कला में सीसी निर्माण	1078962ण00
3	ग्राम हरडाखेडी में नाला भुगतान	1078845ण00
4	ग्राम अपलाना में नाला निर्माण	1037718ण00
5	ग्राम दभेडा कला में सीसी निर्माण	1071192ण00
6	ग्राम हरडाखेडी में नाला भुगतान	1076945ण00
7	ग्राम घाघोड़ में नाला निर्माण	1058955ण00
8	ग्राम घाघोड़ में नाला निर्माण	1059792ण00
9	ग्राम हुसैनपुर में सीसी निर्माण	1071126ण00
	योग-	9540286ण00

उक्त कार्य ई.टेंडरिंग के द्वारा किया जाना था। परन्तु लेखा परीक्षा की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने चहेते ठेकेदारो को फायदा पहुचाने के उददेश्य से उक्त कार्य बिना ई-टेंडरिंग के ही करा लिए गए हैं एक ही ग्राम के कार्यों को भी अलग-अलग विभाजित कर कराया गया हैं। जो शासनादेश सं0 1066/33-3-2021-38/2021 दि0 2-7-21 के पैरा 4 (क (का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि यह कार्य ई-टेंडरिंग द्वारा किया जाता तो लागत कम लगती। साथ ही उक्त समस्त कार्यो की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही की गयी । अतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से बिना ई टेंडरिंग के कार्य कराने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देते हुए कार्य कराने की प्रक्रिया नियमों एव शासनादेशो के उल्लंघन को स्पष्ट दर्शाती है। जिसके लिए श्री अहतसाम अकरम, ब्लाक प्रमुख, श्री ताहिर हसन, ब्लाक प्रमुख, श्री सहेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी, श्री सुभाष बालियान, लेखाकार ओमपाल, व श्री तपेंदर सैनी जे0ई0 संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (आपत्ति संख्या 01(3))

प्रस्तर संख्या 30. कार्यों का अनियमित विभाजन किया गया)राज्य वित्त - (नाला एवं सीसी रोड निर्माण

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम कादर गढ़ का सीसी निर्माण	1068810ण00
2	ग्राम सलेमपुर में सीसी निर्माण	1014934ण00
	योग-	2083744ण00

उक्त कार्य ई.टेंडरिंग के द्वारा किया जाना था। परन्तु लेखा परीक्षा की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने चहेते ठेकेदारो को फायदा पहुचाने के उददेश्य से उक्त कार्य बिना ई-टेंडरिंग के ही करा लिए गए हैं एक ही ग्राम के कार्यों को भी अलग-अलग विभाजित कर कराया गया हैं। जो शासनादेश सं0 1066/33-3-2021-38/2021 दि0 2-7-21 के पैरा 4 (क (का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि यह कार्य ई-टेंडरिंग द्वारा किया जाता तो लागत कम लगती। साथ ही उक्त समस्त कार्यो की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही की गयी । अतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से बिना ई टेंडरिंग के कार्य कराने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देते हुए कार्य कराने की प्रक्रिया नियमों एव शासनादेशो के उल्लंघन को स्पष्ट दर्शाती है। जिसके लिए श्री अहतसाम अकरम, ब्लाक प्रमुख, श्री ताहिर हसन, ब्लाक प्रमुख, श्री सहेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी, श्री सुभाष बालियान, लेखाकार ओमपाल, व श्री तपेंदर सैनी जे0ई0 संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या 01(4))

प्रस्तर संख्या **31**.

वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाँव के अन्दर राज्य वित्त से कराये गए कार्यों का विवरण=

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम मालक पुर में रिजवान की दूकान से वकील के मकान तक सीसी रोड	677204ण00
2	ग्राम मालक पुर में मैंन रोड से इसरार की और व ईदगाह से फुरकान की और निर्माण	653810ण00
3	डीडोली खेडा में पप्पू से राजकुमार के घर तक निर्माण	520766ण00
4	शाहजहाँ पुर में बलजीत से रविंदर तक सी सी रोड	982203ण00
	योग	2833983ण00

(1) उपरोक्त कुल अंकन धनराशी रु० 2833983.00 के कार्यों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायतों को शासनादेश स० 806/33-2-14-93 सी /2014 दिनांक 24-6-2014 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अनुदान को दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करने में व्यय किया जाएगा | किन्तु शासनादेश का स्पस्ट उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से गांव के बीच में कार्य कराया जाना गंभीर आपत्ति जनक है|

(2) उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से कोई अनापत्ति पत्र भी नहीं लिया गया है|

(3) उपरोक्त कार्य कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव, तकनिकी एवं प्रशाशनिक स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि इन शर्तों के बिना ही कार्य कराये गए हैं |
(4) कार्य समाप्ति पर किसी भी सक्षम अधिकारी के कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने का प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया है|

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों को कराने में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितताए बरती गयी है)जिसमे कुल रु० 2833983.00 व्यय किये गए हैं (जिसके लिए – श्री अहतसाम अकरम, ब्लाक प्रमुख, श्री ताहिर हसन, ब्लाक प्रमुख, श्री सहेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी, श्री सुभाष बालियान, ओमपाल, लेखाकार व श्री तपेंदर सैनी जे0ई0 संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है| (आपत्ति संख्या 03)

क्षेत्र पंचायत रामपुर मनिहारन अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22
गम्भीर आपत्तियाँ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या 32—

वर्ष 2021-22 से संबंधित निम्न निर्माण पत्रावलियों लेखा परीक्षा में जांच हेतु अनुपलब्ध रही। विवरण निम्न प्रकार हैं-

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	ग्राम साधल में शवदाह गृह का निर्माण	169186.00	मै0 इशरत अली
2	ग्राम सुरम तखेड़ी में शवदह गृह का निर्माण	169169.00	मै0 इशरत अली
3	ग्राम ढाकादयी में सी0सी0 निर्माण	169080.00	मै0 बलबीर सिंह
	योग	507435.00	

अतः उपरोक्त निर्माण पत्रावलियों को जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं। जिसे हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी श्रीमती श्रुति शर्मा(01.03.2021 से 05.08.2021 तक), श्री रवि प्रकाश(05.08.2021 से 31.10.2021 तक), डॉ सी0पी0 सिंह(31.10.2021 से 31.10.2021 तक), श्री मोकम सिंह(01.11.2021 से 06.01.2022 तक) एवं श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव(07.01.2022 से 31.12.2022 तक) से उनके कार्यकाल के अनुसार एवं लेखाकार श्री विपिन कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए रू0 507435.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर संख्या- 33

क्षेत्र पंचायत रामपुर मनिहारन में वर्ष 2021-22 में टेंडर फार्म की बिक्री से रू0 63720.00 की आय प्राप्त की जानी दर्शित हैं। किन्तु उक्त धनराशि पर संबंधित विभाग को 18 प्रतिशत की दर से रू0 11470.00 जी0एस0टी0 जमा नहीं की गयी हैं। जिसे हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी श्रीमती श्रुति शर्मा(01.03.2021 से 05.08.2021 तक), श्री रवि प्रकाश(05.08.2021 से 31.10.2021 तक), डॉ सी0पी0 सिंह(31.10.2021 से 31.10.2021 तक), श्री मोकम सिंह(01.11.2021 से 06.01.2022 तक) एवं श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव(07.01.2022 से 31.12.2022 तक) से उनके कार्यकाल के अनुसार एवं लेखाकार श्री विपिन कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए रू0 11470.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 13)

प्रस्तर संख्या- 34

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यो के सापेक्ष संबंधित ठेकेदारों को किये गये भुगतान में 10 प्रतिशत की दर से रू0 1411027.00 का भुगतान जी0एस0टी0 मद में किया जाना दर्शाया गया हैं। उक्त की पुष्टि में जिला पंचायत में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। जो अपेक्षित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती श्रुति शर्मा(01.03.2021 से 05.08.2021 तक), श्री रवि प्रकाश(05.08.2021 से 31.10.2021 तक), डॉ सी0पी0 सिंह(31.10.2021 से 31.10.2021 तक), श्री मोकम सिंह(01.11.2021 से 06.01.2022 तक) एवं श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव(07.01.2022 से 31.12.2022 तक) से

उनके कार्यकाल के अनुसार एवं लेखाकार श्री विपिन कुमार का दायित्व निर्धारण(उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 14)

<u>प्रस्तर संख्या</u>-35

क्षेत्र पंचायत रामपुर मनिहारन की निर्माण पत्रावलियां की जांच में निम्नांकित कमियां प्रकाश में आयी-

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	निर्माण पत्रावलियों में पायी गयी कमियां
1	मुंडीखेडे के पास तालाब से शमशान घाट की ओर सीसी कार्य	786445.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्रए पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं। वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं हैं।
2	मिर्जापुर में मियागढी मार्ग पर कम्मो के खेत से सुहार वाले तालाब तक नाला निर्माण	312718.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्रए पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
3	जनदेधा समसपुर में प्रसादी के घेर से ऋषिपाल के घेर तक नाला निर्माण	192475.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्रए पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
4	हरेडकी रामपुर बडगांव मार्ग हरि ग्लोबल स्कूल की ओर सी0सी0 कार्य	776094.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्रए पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
5	पहासु जनता इंटरकॉलिज से बब्लू के घर होते हुए रजवाहे की ओर नाला निर्माण	854448.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्रए पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
6	जन्धेड़ा समसपुर में विनोद पंवार मंडल अध्यक्ष के घर से फौजी के प्लांट की ओर सी0सी0 कार्य	319975.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्रए पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
7	कल्लपुर गुर्जर में रविदास मस्जिद के पास से रजवाहे की ओर नाला निर्माण	813813.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्रए पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
8	ग्राम जनदेधा समसपुर में चरण सिंह के खेत से रघुवीर के खेत की ओर मिट्टी कार्य	645067.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।
9	सोना अर्जुनपुर में श्रीपाल के खेत से अशोक कुमार के खेत तक खंडजा निर्माण	575583.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।
10	ढाकादयी में शुलभ शोचालय एवं पार्क की बाउड्रीवाल का निर्माण	943100.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्रए पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं।
11	मिर्जापुर में पप्पु के खेत से मिर्जापुर सिरसली मार्ग की ओर खंडजा निर्माण	538282.00	हैशियत प्रमाण पत्र अवैध हैंए चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।
	योग	6758000.00	

अतः उक्त किये गये कार्य लेखा परीक्षा की दृष्टि से अप्रमाणिक रहें। जिस हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी श्रीमती श्रुति शर्मा(01.03.2021 से 05.08.2021 तक), श्री रवि प्रकाश(05.08.2021 से 31.10.2021 तक), डॉ सी0पी0 सिंह(31.10.2021 से 31.10.2021 तक), श्री मोकम सिंह(01.11.2021 से 06.01.2022 तक) एवं श्री कमला प्रसाद श्रीवास्तव(07.01.2022 से 31.12.2022 तक) से उनके कार्यकाल के अनुसार, अवर अभियंता श्री सी0पी0 सिंह व देवेन्द्र कुमार एवं लेखाकार श्री विपिन कुमार का दायित्व निर्धारण(उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अंतर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। अन्यथा की स्थिति में रू0 6758000.00 की वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 15)

क्षेत्र पंचायत..नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या 36—

कार्यो का अनियमित विभाजन किया गया(राज्य वित्त)-खडंजा एवं सीसी रोड़ निर्माण

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम नंदन पुर धरमवीर के खेत से दंघेडा मार्ग तक मिटटी खडंजा	1113319ण00
2	खेडा मुग़ल में बीर सिंह के मकान से ताजपुर रोड तक सीसी निर्माण	1057785ण00
3	त्तैय्यब पुर देवी सिंह के खेत से मिटटी खडंजा	1096487ण00
	योग	3267591ण00

उक्त कार्य ई.टेंडरिंग के द्वारा किया जाना था। परन्तु लेखा परीक्षा की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने चहेते ठेकेदारो को फायदा पहुचाने के उददेश्य से उक्त कार्य बिना ई-टेंडरिंग के ही करा लिए गए हैं एक ही ग्राम के कार्यों को भी अलग-अलग विभाजित कर कराया गया हैं। जो शासनादेश सं0 1066/33-3-2021-38/2021 दि0 2-7-21 के पैरा 4 (क (का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि यह कार्य ई-टेंडरिंग द्वारा किया जाता तो लागत कम लगती। साथ ही उक्त समस्त कार्यो की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही की गयी । अतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से बिना ई टेंडरिंग के कार्य कराने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देते हुए कार्य कराने की प्रक्रिया नियमों एव शासनादेशो के उल्लंघन को स्पष्ट दर्शाती है। जिसके लिए श्री विजय कुमार तिवारी, खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार, खंड विकास अधिकारी श्री अमरीश कुमार खंड विकास अधिकारी व श्री सोहन लाल लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है| (आपत्ति संख्या 01

क्षेत्र पंचायत **बलियाखेड़ी** अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या 37.

वर्ष 2021-22 ग्रांट III रजिस्टर की जांच में गंभीर आपत्ति प्रकाश में आई हैं |

(I) राज्य वित्त खाते का प्रारंभिक अवशेष ग्रांट III रजिस्टर अनुसार रु० 3529593.40 दर्शाया गया है| जबकि बैंक स्टेटमेंट अनुसार इस खाते का प्रारंभिक अवशेष रु० 4900228.40 है इस प्रकार दोनों में अंतर रु० 1370635.00 है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रांट III रजिस्टर में माह मार्च 2021 के अंत में कोई भी चेक भुगतान हेतु अवशेष न होने का प्रमाणपत्र भी अंकित किया गया है| इस प्रकार से उक्त धनराशी रु० 1370635.00 का अंतर होना गंभीर आपत्ति जनक है | इस प्रति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है |

(II) ग्रांट III रजिस्टर राज्य वित्त खाते की जांच में प्रकाश में आया कि क्षेत्र पंचायत लेखाकार द्वारा मनमाने ढंग से नियमो के विरूद्ध ग्रांट III रजिस्टर में पृविष्टियाँ की हैं उदाहरनार्थ -

(i) ग्रांट III रजिस्टर राज्य वित्त खाते से माह अप्रैल में दिनांक 12-4-21 में रु० 48040.00 व 13-4-21 में रु० 48039.00 का व्यय कुल व्यय रु० 96070.00 किया है किन्तु इन व्ययों की कोई पृविष्टि माह के व्यय में अंकित नहीं की गयी हैं|

(ii) इसके अतरिक्त माह जून में राज्य वित्त खाते में कुल रु० 1238547.00 की धनराशी प्राप्त हुई है| किन्तु इस धनराशी का अंकन माह जून में न कर इसे माह जुलाई में किया गया है|
(iii) अन्य प्रकरण में माह दिसंबर 2021 में रु० 48852.00 व माह जनवरी 2022 में रु० 7080.00 की धनराशी इस खाते में प्राप्त हुई है किन्तु उक्त दोनों धनराशियां ग्रांट III खाते में अंकित नहीं की गयी हैं
(iv) माह फरवरी में ग्रांट III रजिस्टर में राज्य वित्त आयोग खाते का प्रारंभिक शेष रु० 9603254.40, प्राप्त रु०1078501.00 व्यय रु० 1339233.00 व शेष रु०8742522.40 दर्शाया गया है| जबकि गणना अनुसार अवशेष धनराशी रु० 9342522.40 आती है | इस प्रकार दोनों में अंतर रु० 500000.00 का रहा जो वर्षांत तक भी नहीं सुधारा गया है| अंतिम अवशेष रु० 500000.00से कम किया गया है अतऐव यह अपहरण है जिसके लिए सुश्री ज्योति बाला, खंड विकास अधिकारी व श्री अरुण कुमार उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी, श्री अनिल गोयल, लेखाकार **संयुक्त रूप से जिम्मेदार** हैं |जिसकी वसूली इन सबसे बराबर बराबर ,मय ब्याज , की जानी अपेक्षित है |उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के रख रखाव में अत्यंत लापरवाही बरती जा रही है| इनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है |(आपत्ति संख्या 09)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 38.

वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाँव के अन्दर राज्य वित्त से कराये गए कार्यों का विवरण=

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम मोहनपुर गुर्जर में धीरज से सूरजभान की और सी सी निर्माण कार्य	656338ण00
2	ग्राम चुन्हेटी शेख में तेजपाल से प्रा० वि० तक सी सी रोड निर्माण	835156ण00
3	ग्राम बलाचोर में मैंन रोड से श्रीराम कि और सी सी रोड निर्माण	896176ण00
4	ग्राम भलस्वा में मीर हसन से धीर सिंह की और सी सी निर्माण कार्य	990297ण00
5	ग्राम भलस्वा में सोमपाल से सोसायटी की और सी सी निर्माण कार्य	962898ण00
6	ग्राम भाभरी में प्रा० वि० से जनार्धन तक सी सी रोड निर्माण	1056974ण00
7	ग्राम सहजवा में सी सी रोड निर्माण)कार्य वर्ष 21.22 की कार्य योजना में शामिल नहीं है	862288ण00
	योग	6260127ण00

(I) उपरोक्त कुल अंकन धनराशी रु० 6260127.00 के कार्यों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायतों को शासनादेश स० 806/33-2-14-93 सी /2014 दिनांक 24-6-2014 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अनुदान को दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करने में व्यय किया जाएगा | किन्तु शासनादेश का स्पस्ट उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से गांव के बीच में कार्य कराया जाना गंभीर आपत्ति जनक है|
(II) उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से कोई अनापत्ति पत्र भी नहीं लिया गया है|
(III) उपरोक्त कार्य कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव, तकनिकी एवं प्रशाशनिक स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि इन शर्तों के बिना ही कार्य कराये गए हैं |
(IV) कार्य समाप्ति पर किसी भी सक्षम अधिकारी के कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने का प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया है|

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों को कराने में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितताए बरती गयी है)जिसमे कुल रु० 6260127.00 व्यय किये गए हैं (जिसके लिए श्रीमती सोनिया ब्लाक प्रमुख, सुश्री ज्योति बाला खंड विकास अधिकारी व श्री अरुण कुमार उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी, श्री अनिल

गोयल लेखाकार एवं श्री तपेन्द्र सैनी जे० इ० संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है (आपत्ति संख्या 10)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 39.

वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाँव के अन्दर केन्द्रीय वित्त से कराये गए कार्यों का विवरण=

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम रसूलपुर पापडेकी में ऋषिपाल से संदीप तक खडंजा	721564ण00
2	ग्राम कुरलकी में जयपाल से मदन त्यागी तक सी सी निर्माण कार्य	883111ण00
3	ग्राम निठोरी रकबा में अर्जुन से सुभाष तक खडंजा कार्य	511016ण00
	योग	2115691ण00

(I) उपरोक्त कुल अंकन धनराशी रु०2115691.00 के कार्यों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायतों को शासनादेश स० 806/33-2-14-93 सी /2014 दिनांक 24-6-2014 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अनुदान को दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करने में व्यय किया जाएगा | किन्तु शासनादेश का स्पस्ट उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से गांव के बीच में कार्य कराया जाना गंभीर आपत्ति जनक है|

(II) उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से कोई अनापत्ति पत्र भी नहीं लिया गया है|

(III) उपरोक्त कार्य कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव, तकनिकी एवं प्रशाशनिक स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि इन शर्तों के बिना ही कार्य कराये गए हैं |

(IV) कार्य समाप्ति पर किसी भी सक्षम अधिकारी के कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने का प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया है|

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों को कराने में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितताए बरती गयी है (जिसमे कुल रु० 2115691.00 व्यय किये गए हैं) जिसके लिए श्रीमती सोनिया ब्लाक प्रमुख, सुश्री ज्योति बाला खंड विकास अधिकारी व श्री अरुण कुमार उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी, श्री अनिल गोयल लेखाकार एवं श्री तपेन्द्र सैनी जे० इ० संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है| (आपत्ति संख्या 11)

<u>प्रस्तर संख्या</u> –40

कार्यों का अनियमित विभाजन किया गया -नाला निर्माण

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम रसूलपुर पापडेकी में जमील से सत्तार तक बड़े खाली की ओर आर सी सी नाला निर्माण	1054742ण00
2	ग्राम रसूलपुर पापडेकी में समीम से समशाद तक बड़े खाली की ओर आर सी सी नाला निर्माण	785878ण00
3	ग्राम रसूलपुर पापडेकी में इम्तियाज से बड़े खाली की ओर आर सी सी नाला निर्माण	1093160ण00

4	ग्राम रसूलपुर पापडेकी में कामिल तक नाला निर्माण	1031923ण्00
5	ग्राम रसूलपुर पापडेकी में रामदास तक नाला निर्माण	989638ण्00
6	ग्राम रसूलपुर पापडेकी में गुड्डू तक नाला निर्माण	1064148ण्00
	योग	6019489ण्00

उक्त कार्य ई.टेंडरिंग के द्वारा किया जाना था। परन्तु लेखा परीक्षा की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने चहेते ठेकेदारो को फायदा पहुचाने के उददेश्य से उक्त कार्य अलग-अलग विभाजित कर कराया गया हैं। जो शासनादेश सं0 1066/33-3-2021-38/2021 दि0 2-7-21 के पैरा 4 (क (का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि यह कार्य ई-टेंडरिंग द्वारा किया जाता तो लागत कम लगती। साथ ही उक्त समस्त कार्यो की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही की गयी । अतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से बिना ई टेंडरिंग के कार्य कराने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देते हुए कार्य कराने की प्रक्रिया नियमों एव शासनादेशो के उल्लंघन को स्पष्ट दर्शाती है। जिसके लिए श्रीमती सोनिया ब्लाक प्रमुख, सुश्री ज्योति बाला खंड विकास अधिकारी व श्री अरुण कुमार उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी, श्री अनिल गोयल लेखाकार एवं श्री तपेन्द्र सैनी जे० इ० संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है| (आपत्ति संख्या 12)

<u>प्रस्तर संख्या</u>.41

कार्यों का अनियमित विभाजन किया गया -यात्री शेड

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम कोटा में यात्री शेड निर्माण	325665ण्00
2	ग्राम सुभरी में यात्री शेड निर्माण	207202ण्00
3	ग्राम लाखनौर में यात्री शेड निर्माण	206677ण्00
4	ग्राम बेलडा जुनारदार में यात्री शेड निर्माण	326729ण्00
	योग	1066273ण्00

उक्त कार्य ई.टेंडरिंग के द्वारा किया जाना था। परन्तु लेखा परीक्षा की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने चहेते ठेकेदारो को फायदा पहुचाने के उददेश्य से उक्त कार्य अलग-अलग विभाजित कर कराया गया हैं। जो शासनादेश सं0 1066/33-3-2021-38/2021 दि0 2-7-21 के पैरा 4 (क (का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि यह कार्य ई-टेंडरिंग द्वारा किया जाता तो लागत कम लगती। साथ ही उक्त समस्त कार्यो की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही की गयी । अतः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से बिना ई टेंडरिंग के कार्य कराने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देते हुए कार्य कराने की प्रक्रिया नियमों एव शासनादेशो के उल्लंघन को स्पष्ट दर्शाती है। जिसके लिए श्रीमती सोनिया ब्लाक प्रमुख, सुश्री ज्योति बाला खंड विकास अधिकारी व श्री अरुण कुमार उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी, श्री अनिल गोयल लेखाकार एवं श्री तपेन्द्र सैनी जे० इ० संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है| (आपत्ति संख्या 13)

क्षेत्र पंचायत नकुड़ अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22
गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या 42

वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाँव के अन्दर राज्य वित्त से कराये गए कार्यों का विवरण=

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम दौलत पुर चापरचीडी फूल चाँद से सरदार मंजीत सिंह के घर से सरदार गुल्विंदर व धन्ना सिंह तक सीसी निर्माण	654797ण00
2	ग्राम रणदेवा में कंवरपाल शर्मा से यशपाल धीमान की गली तक सीसी निर्माण	326778ण00
3	ग्राम जाजवा में नरेश के मकान से नकली के मकान तक सीसी निर्माण	432685ण00
4	कुंदन गढ़ में राकेश सैनी के घर से ऋषिपाल के घर तक सीसी निर्माण	196197ण00
	योग	1610457ण00

(I) उपरोक्त कुल अंकन धनराशी रु० 1610457.00 के कार्यों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायतों को शासनादेश स० 806/33-2-14-93 सी /2014 दिनांक 24-6-2014 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अनुदान को दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करने में व्यय किया जाएगा | किन्तु शासनादेश का स्पस्ट उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से गांव के बीच में कार्य कराया जाना गंभीर आपत्ति जनक है|

(II) उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से कोई अनापत्ति पत्र भी नहीं लिया गया है|

(III) उपरोक्त कार्य कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव, तकनिकी एवं प्रशाशनिक स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि इन शर्तों के बिना ही कार्य कराये गए हैं |

(IV) कार्य समाप्ति पर किसी भी सक्षम अधिकारी के कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने का प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया है|

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों को कराने में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितताए बरती गयी है)जिसमे कुल रु० 1610457.00 व्यय किये गए हैं (जिसके लिए श्री सुभाष चौधरी ब्लाक प्रमुख, श्री विजय तिवारी खंड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री रवि कुमार गुप्ता, श्री महेश कुमार अवर अभियंता, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है|

(आपत्ति संख्या 01(1))

प्रस्तर संख्या 43- वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा गाँव के अन्दर केन्द्रीय वित्त से कराये गए कार्यों का विवरण=

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी

1	कपूरी में अफसर के मकान से मेहरबान के मकान तक सीसी निर्माण	370052ण00
2	बांदुखेदी में समयपाल के मकान से ओमप्रकाश के घर तक नाला निर्माण	204163ण00
3	बुल्लेवाला में रामकुमार के मकान से सिद्धपाल के घर तक नाला निर्माण	397365ण00
4	सिरासका में इसम सिंह के मकान से सोनू के मकांन तक नाला निर्माण	570497ण00
	योग	1542077ण00

(I) उपरोक्त कुल अंकन धनराशी रु० 1542077.00 कार्यों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायतों को शासनादेश स० 806/33-2-14-93 सी /2014 दिनांक 24-6-2014 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अनुदान को दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करने में व्यय किया जाएगा | किन्तु शासनादेश का स्पस्ट उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से गांव के बीच में कार्य कराया जाना गंभीर आपत्ति जनक है|

(II) उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से कोई अनापत्ति पत्र भी नहीं लिया गया है|

(III) उपरोक्त कार्य कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव, तकनिकी एवं प्रशाशनिक स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि इन शर्तों के बिना ही कार्य कराये गए हैं |

(IV) कार्य समाप्ति पर किसी भी सक्षम अधिकारी के कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने का प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया है|

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों को कराने में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितताए बरती गयी है)जिसमे कुल रु० 1542077.00 व्यय किये गए हैं (जिसके लिए श्री सुभाष चौधरी ब्लाक प्रमुख, श्री विजय तिवारी खंड विकास अधिकारी, श्री रवि कुमार गुप्ता लेखाकार, श्री महेश कुमार अवर अभियंता, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं| इनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही अपेक्षित है|

(आपत्ति संख्या 01(2))

क्षेत्र पंचायत ननौता अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

गम्भीर आपत्तियाँ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या 44

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 86 के अनुसार क्षेत्र पंचायत अपने विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी जो किसी ग्राम विशेष में न होकर दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करें। इसी प्रकार चतुर्थ एवं पंचत राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान के उपभोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिद्धान्त का निर्धारण किया

गया हैं। इसी सन्दर्भ में पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया और बिन्दु-2 के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि तीनो स्तर की पंचायतें सब्सीडियरी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यो का चयन करें अर्थात जो कार्य नीचे स्तर से पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से कराया जा सकता हैं, वह उसी स्तर पर कराया जाये ऊपर के स्तर पर कार्य न कराया जाए। इससे स्पष्ट हैं कि क्षेत्र पंचायत को धनराशि/अनुदान विभिन्न मद में प्राप्त होती हैं, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों का लाभान्वित करने के लिये कार्य कराया जाए।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि निम्न विवरणानुसार कार्य एक ही ग्राम पंचायत में कराये गये हैं तथा प्राप्त अनुदान का मनमाने ढंग से व्यय कर शासनादेश के विपरित रू0 3332331.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी हैं, जिस प्रति लेखाकार श्री विपिन कुमार अग्रवाल तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

क्रंम संख्या	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
1	2021.22	पठानपुरा से सी0सी0रोड़ में मास्टर जुल्फिकार के घर तक सी0सी0 रोड़	873688.00
2	2021.22	तिलफरा में गौतम शर्मा के मकान से हरपाल फौजी के मकान तक सी0सी0 रोड़	855566.00
3	2021.22	झबीरण में सुशील पाल के मकान से रविदास मंदिर तक सी0सी0 रोड़	880271.00
4	2021.22	मुस्कीपुर में मेनपाल के घर से अमरीश के बाग तक सी0सी0 रोड़	347841.00
5	2021.22	मुस्कीपुर में मैन सड़क से जसवीर के खेत तक मिट्टी खड्जा	374965.00
		योग	3332331.00

(आपत्ति संख्या 01)

क्षेत्र पंचायत सढ़ौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण

प्रस्तर संख्या **45-**

विभिन्न कार्यो से आयकर एवं सेस की कटौती दिनांक 31.03.2022 को रू0 187732.00(1.88 लाख) क्षेत्र पंचायत के खातों में अवशेष थी। जिसमें से रू0 147521.00 माह जुलाई-21 में विभिन्न ठेकेदारों के बिलों से कटौती किया गया था जिसे अगले माह संबंधित हेड़ों में जमा कर दिया जाना चाहिए था किन्तु उक्त धनराशि को लेखाकार द्वारा समय पर जमा नहीं कराया गया। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री सुजीत वर्मा एवं खंड विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश सिंह उत्तरदाई हैं। आयकर एवं सेस को संबंधित विभागों के हेड़ों में जमा कर ई-फाइलिंग कराया जाना एवं लगने वाली पेनाल्टी को लेखाकार श्री सुजीत वर्मा एवं खंड विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर संख्या 46- वर्ष दौरान कराए गए निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराए गए हैं जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- 1838/33-3-2015-03/2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती हैं, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाने चाहिए। इस प्रकार समस्त कार्य अनियमित रूप से एवं उक्त शासनादेश का उल्लघन करते हुए कराए गए जिसके लिए तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख विश्वास चौधरी एवं खंड विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश सिंह, श्री छत्रपाल सिंह, श्री रणवीर सिंह एवं श्री विजय कुमार सिंह उत्तरदाई हैं। वर्ष दौरान कराए गए कार्यों एवं उनमें व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् हैं-

क्रं0	योजना	कार्य विवरण	धनराशि (लाख रू0द्ध
1	पंचम राज्य वित्त	ग्राम कदीम में मेन गली कुशल पाल राना के घर से मोहन के घर तक सी सी	3ण्566
2	पंचम राज्य वित्त	ग्राम मुर्तजापुर में पप्पू के घर से श्याम लाल के घर की ओर सी सी	3ण्536
3	पंचम राज्य वित्त	ग्राम रोगला हथोली में जय सिंह के घर से जिले सिंह के घर की ओर सी सी	9ण्783
4	पंचम राज्य वित्त	ग्राम अमादपुर में मुस्तफा के घर से मेहरबान के घर की ओर सी सी	3ण्335
5	पंचम राज्य वित्त	ग्राम चक अबाबकपुर में प्रमोद के घर से नाथी राम के घर तक सी सी	5ण्719
6	पंचम राज्य वित्त	ग्राम नूरपुर में ओम प्रकाश के घर से नथु के घर की ओर सी सी	5ण्003
7	पंचम राज्य वित्त	ग्राम कासमपुर में मेहदी के घर से जसवीर के घर तक सी सी	9ण्03
8	पंचम राज्य वित्त	ग्राम नूरपुर में कामिल के घर से इस्लाम के घर की ओर सी सी	2ण्45
9	पंचम राज्य वित्त	ग्राम मॅझरी में बलराम के घर से सही राम के घर की ओर सी सी	6ण्781
10	केन्द्रीय वित्त	ग्राम कदीम में नाथी राम सैनी के घर से ओमवीर सिंह के घर तक नाला निर्माण	0ण्747
11	केन्द्रीय वित्त	ग्राम सलेमपुर गढ़ा में शमीम के घर से मुल्कीराम के घर की ओर सी सी	7ण्687
12	केन्द्रीय वित्त	ग्राम रायपुर(नूरबस्ती) में यासीन के घर से इस्लाम के घर की ओर सी सी	5ण्077
		योग	62ण्714

(आपत्ति संख्या 02)

जनपद- शामली

प्रारूप-5

जनपद का नाम- शामली **मण्डल का नाम- सहारनपुर**

लेखा परीक्षा वर्ष:2021-22

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा अधिभार सम्बन्धी आपत्तियाः-

1-क्षेत्र पंचायत कॉधला

प्रस्तर 01- क्षेत्र पंचायत कॉधला द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबंधित ठेकेदारों को किये गये भुगतान में 10 प्रतिशत की दर से रू0 1886680.00 का भुगतान जी0एस0टी0 मद में किया जाना दर्शाया गया है। उक्त की पुष्टि में क्षेत्र पंचायत में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नही कराया गया है। जो अपेक्षित रहा। अभिलेख अप्राप्त रहने की दशा में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली के साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं लेखाकार श्री वेद प्रकाश का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 01)

प्रस्तर 02- क्षेत्र पंचायत कॉधला वर्ष 2021-22 से संबंधित निम्न निर्माण पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में जांच हेतु अनुपलब्ध रही। विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	ग्राम जसाला में बिजेन्द्र के मकान से नरेश के मकान तक नाला निर्माण	241080.00	मैसर्स इनायत अली
2	ग्राम जसाला में अरविन्द के मकान से निरंजन के मकान तक सी0सी0 कार्य	99394.00	मैसर्स इनायत अली
3	ग्राम अल्दी में देवेन्द्र के खेत से सुरेश पुत्र साधू तक खडंजा निर्माण	64182.00	मैसर्स इनायत अली
4	ग्राम अल्दी में मेन रोड से पंडित के घर तक खडंजा निर्माण	236552.00	मैसर्स इनायत अली
5	गढी रामकोर में राजेन्द्र के मकान से मांगेराम के मकान तक नाला निर्माण	372470.00	मैसर्स इनायत अली
6	मलकपुर में खुर्शीद के घर से मस्जिद तक सी0सी0 निर्माण	301132.00	मैसर्स आरिफ
7	किवाना में लिसाड लिंक मार्ग से विसम्भर के मकान तक इंटरलॉकिंग	573544.00	मैसर्स ओमबीर सिंह
8	इस्लामपुर घसौली में रविन्द्र के मकान से मुकेश के मकान तक नाला निर्माण	104550.00	मैसर्स ओमबीर सिंह

9	गढी रामकोर में योगेश के मकान से मेन रोड तक सी0सी0 कार्य	942987.00	मैसर्स इनायत अली
10	असदपुर मे श्मशान मार्ग पर खडंजा निर्माण	381791.00	मैसर्स इनायत अली
11	रामपुर खेडी में कांधला किवाना मार्ग से राजेन्द्र के खेत तक खडंजा निर्माण	407257.00	मैसर्स इनायत अली
12	नानुपूरी में बाबू राम के खेत से नहर तक खडंजा कार्य	607455.00	मैसर्स इनायत अली
	योग	**4332394.00**	

अतः उपरोक्त निर्माण पत्रावलियों को जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं लेखाकार श्री वेद प्रकाश का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए रू0 4332394.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 02)**

प्रस्तर 03- क्षेत्र पंचायत कांधला की निर्माण पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित कमियॉ प्रकाश में आयी-

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**भुगतान की गयी धनराशि**	**निर्माण पत्रावलियों में पायी गयी कमियॉ**
1	ग्राम डूंडूखेडा में प्राथमिक स्वास्थ कैन्द्र में इंटरलॉकिंग कार्य	623054.00	हैशियत प्रमाण पत्र एक्सपायर है, श्रम विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नही है, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नही है।
2	कांधला देहात में दिल्ली सहारनपुर रोड से आदर्श कालॉनी तक खडंजा कार्य	862734.00	हैशियत प्रमाण पत्र एक्सपायर है, श्रम विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नही है, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नही है।
3	इस्लामपुर घसौली में बिजली घर से मोहर सिंह के खेत तक खडंजा कार्य	894968.00	हैशियत प्रमाण पत्र एक्सपायर है, श्रम विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नही है, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नही है।
4	भ्रमखेडा में ग्राम से रजवाहे तक सी0सी0 निर्माण कार्य	1056563.00	हैशियत प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा है, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नही है, न ही निर्माण सामग्री पर देय रॉयल्टी संबंधित विभाग को जमा नही की गयी है, श्रम विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नही है, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नही है।

5	डूंडूखेडा बांगर में धर्म सिंह के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक नाला निर्माण	956056.00	हैशियत प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा है, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नही है, न ही निर्माण सामग्री पर देय रॉयल्टी संबंधित विभाग को जमा नही की गयी है, श्रम विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नही है, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नही है।
6	अटटा में सोहनवीर के मकान से ऋपाल के मकान तक नाला निर्माण	795888.00	हैशियत प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा है, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नही है, न ही निर्माण सामग्री पर देय रॉयल्टी संबंधित विभाग को जमा नही की गयी है, श्रम विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नही है, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पर प्रमुख के हस्ताक्षर नही है।
	योग	**5189263**	

अतः उक्त किये गये कार्य लेखा परीक्षा की दृष्टि से अप्रमाणिक रहे। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी सुनील कुमार, अवर अभियंता श्री अमित कुमार एवं लेखाकार श्री वेद प्रकाश का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रू0 5189263.00 की वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 16)

प्रस्तर 04- क्षेत्र पंचायत कांधला में वर्ष 2021-22 में निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत एवं ठेकेदारों के मध्य हुए अनुबंध/शपथ पत्र में दर्शित है कि अगर क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्धारित समय अवधि से अधिक समय में कार्य पूर्ण होता है तो संबंधित ठेकेदार से नियमानुसार धारा 3 एवं 7 के अंतर्गत कम से कम 1 प्रतिशत की दर से अर्थ दण्ड वसूला जायेगा। विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य समाप्ति हेतु संस्था द्वारा निर्धारित तिथि	ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य में विलम्ब हुए दिनों की संख्या	लेखा परीक्षा अनुसार विलम्ब की धनराशि	काटा गया विलम्ब शुल्क	कम काटा गया विलम्ब शुल्क
1	ग्राम पंजोखरा में शमशान मार्ग पर सी0सी0 कार्य	22-12-21	23-05-22	05 माह	2327.00	--	2327.00
2	इस्लामपुर घसौली में बिजली घर से मोहर	04-04-22	03-05-22	1 माह	8950.00	--	8950.00

	सिंह के खेत तक खंडजा कार्य						
3	ग्राम पंजोखरा में दिल्ली सहारनपुर रोड पर सामुदायिक शौचालय निर्माण	29-02-22	28-05-22	3 माह	6654.00	--	6654.00
	योग				**17931.00**		**17931.00**

जिस हेतु खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, लेखाकार श्री वेद प्रकाश, अवर अभियंता श्री अमित कुमार का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। तथा रू0 17931.00 की वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0-17)**

प्रस्तर 05- क्षेत्र पंचायत कांधला द्वारा निम्नांकित कराये गये खडंजा निर्माण कार्यो में प्रयुक्त की गयी ईटों पर उत्तर प्रदेश शासन के 45वे संशोधन भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के शासनादेश संख्या 641/86-2018(सा0)/2017 लखनऊ दिनांक 27 मार्च 2018 की व्यवस्था के अनुसार ईंट बनाने की मिटटी पर रॉयल्टी रू0 54.00 प्रति हजार ईट की दर से देय होगी। जिसे 15 दिन के अंदर संगत लेखा शिर्ष में जमा किया जाना है। ऐसा न किये जाने पर संबंधित लेखाकार/खंड विकास अधिकारी से रायल्टी की धनराशि का 5 गुना वसूली की जायेगी। विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**कार्य का विवरण**	**प्रयुक्त ईटों की संख्या**	**देय रॉयलटी की धनराशि**
1	ग्राम गढीरखा में इस्मे के खेत से राजकुमार के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य	46176	2494.00
2	गंगेरू में बुंदाके भटटे के पास गंगेरू गढी रोड पर खडंजा निर्माण	35520	1918.00
3	कांधला देहात में दिल्ली सहारनपुर रोड से आदर्श नगर खडंजा निर्माण	17760	959.00
4	इस्लामपुर घसौली में बिजली घर से मोहर सिंह के खेत तक खडंजा निर्माण	35520	1918.00
5	भारसी एलम सम्पर्क मार्ग से तेजपाल के खेत तक खडंजा निर्माण	25456	1375.00
6	भारसी एलम सम्पर्क मार्ग से धीर सिंह की टयूवेल तक खडंजा निर्माण	18944	1023.00
7	जसाला में मंदिर से रेलवे स्टेशन की लाइन की ओर खडंजा निर्माण	34632	1870.00
	योग		**11557.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार रॉयल्टी रू0 11557.00 के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार से रॉयल्टी जमा करने का प्रमाण पत्र (ट्रेजरी चालान) की प्रमाणित प्रति और खनना एमएम-11 की मूल दूसरी प्रति फाइलन में संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की दशा में रॉयल्टी की दर और उसका पांच गुना रू0 57785.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार एवं लेखाकार श्री वेद प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 18)

प्रस्तर 06- क्षेत्र पंचायत कांधला में वर्ष 2021-22 में टैंडर फार्म की बिक्री से रू0 33000.00 की आय प्राप्त की जानी दर्शित है। किन्तु उक्त धनराशि पर संबंधित विभाग को 18 प्रतिशत की दर से रू0 5940.00 जी0एस0टी0 जमा नही की गयी है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार एवं लेखाकार श्री वेद प्रकाश का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए रू0 5940.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 19)

2-क्षेत्र पंचायत कैराना

प्रस्तर 07- क्षेत्र पंचायत कैराना द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यो के सापेक्ष संबंधित ठेकेदारों को किये गये भुगतान में 10 प्रतिशत की दर से रू0 1050512.00 का भुगतान जी0एस0टी0 मद में किया जाना दर्शाया गया है। उक्त की पुष्टि में जिला पंचायत मे कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नही कराया गया है। जो अपेक्षित रहा। अभिलेख अप्राप्त रहने की दशा में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली के साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरित कुमार व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र एवं लेखाकार श्री मारूफ अली का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 01)

प्रस्तर 08- क्षेत्र पंचायत कैराना की वर्ष 2021-22 से संबंधित निम्न प्रत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में जांच हेतु अनुपलब्ध रही। विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	ग्राम बरनावी में झिंझाना रोड से उपपल के खेत से सिखों के डेरे की ओर खडंजा निर्माण	374572.00	मैसर्स इंसार कॉनट्रेक्टर
2	अकबरपुर सूनहेटी में रफजू डॉक्टर की दूकान से तालाब की ओर नाला निर्माण	812764.00	मैसर्स इंसार कॉनट्रेक्टर
3	अकबरपुर सूनहेटी में उपरोक्त का अवशेष कार्य पूर्ण	608555.00	मैसर्स इंसार कॉनट्रेक्टर
4	ग्राम भूरा में पूलिया निर्माण	271980.00	मैसर्स इंसार कॉनट्रेक्टर
5	ग्राम गंद्राऊ में हजी अखलाख से वादिल तक खडंजा निर्माण	387920.00	मैसर्स इंसार कॉनट्रेक्टर
6	ग्राम भूरा में कैराना झिंझाना रोड से राजपाल पुत्र खेमचंद तक खडंजा निर्माण	139502.00	मैसर्स इंसार कॉनट्रेक्टर
7	ग्राम दबहेडी में कानिल से कब्रिस्तान तक खडंजा निर्माण	240088.00	मैसर्स प्रेरणा इंट्रप्राजेज
8	ग्राम कन्नी खेडी में शौकत से गयूर पुत्र हुस्न तक खडंजा निर्माण	195642.00	मैसर्स प्रेरणा इंट्रप्राजेज
	योग	**3031023.00**	

अतः उपरोक्त निर्माण पत्रावलियों को जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री परित कुमार व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र एवं लेखाकार श्री मारूफ अली का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए रू0 3031023.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 02)

3-क्षेत्र पंचायत शामली

प्रस्तर 09- क्षेत्र पंचायत शामली द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबंधित ठेकेदारों को किये गये भुगतान में 10 प्रतिशत की दर से रू0 883937.00 का भुगतान जी0एस0टी0 मद में किया जाना दर्शाया गया है। उक्त की पुष्टि में जिला पंचायत में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नही कराया गया है। जो अपेक्षित रहा। अभिलेख अप्राप्त रहने की दशा में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली के साथ तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के

नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 01)**

प्रस्तर 10- क्षेत्र पंचायत शामली वर्ष 2021-22 से संबंधित निम्न निर्माण पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में जांच हेतु अनुपलब्ध रही। विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**धनराशि**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**
1	ग्राम करौदा हाथी में खानपुर सम्पर्क मार्ग से सहदेव की खेत की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य	931393.00	मै0 अविका कंसट्रक्सन
2	ग्राम खानपुर तलवा मजरा में उमेश के मकान से शिवचरण के मकान तक सी0सी0 निर्माण	662998.00	मै0 अविका कंसट्रक्सन
3	ग्राम बहावडी में खेल मैदान से प्रा0केन्द्र तक इंटरलॉकिंग कार्य	216684.00	मै0 अविका कंसट्रक्सन
	योग	**1811075.00**	

अतः उपरोक्त निर्माण पत्रावलियों को जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए रू0 1811075.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 02)**

प्रस्तर 11- निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया है कि ग्राम करौदा हाथी में धर्मेन्द्र के खेत से सुनिता के खेत तक मिटटी खडंजा कार्य दिनांक 11-10-2021 से 18-11-2021 तक किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य पर केन्द्रीय वित्त आयोग से मैसर्स रिदिमा एंटरप्राइजेज को रू0 482006.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य का अवशेष कार्य दिनांक 03-01-2022 से 05-01-2022 को सम्पन्न कराया जाना दर्शित है। जिसका भुगतान राज्य वित्त निधि से रू0 126622.00 का उक्त ठेकेदार को किया गया है। उक्त कार्य मद परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। इस प्रकार उक्त का अवशेष कार्य पर किया गया व्यय अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, अवर अभियंता श्री ब्रहम प्रकाश एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसादका दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 04)**

प्रस्तर 12- क्षेत्र पंचायत शामली की निर्माण पत्रावलियों की जांच में निम्नांकित कमियॉ प्रकाश मे आयीः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	निर्माण पत्रावलियों में पायी गयी कमियॉ
1	ग्राम बरला जट में नदी की ओर मिटटी खडंजा	605045.00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैशियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नही है,
2	ग्राम सिम्भालका में माइनर झाल में संजीव के डेरे से सुधीर के फार्म तक सी0सी0 कार्य	303051.00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैशियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नही है। रॉयल्टी भी नही काटी गयी है।
3	ग्राम करौदा हाथी कुरमाली सम्पर्क मार्ग से सुरेन्द्र के खेत की ओर सी0सी0 कार्य	842365.00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैशियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नही है। रॉयल्टी भी नही काटी गयी है।
4	ग्राम करौदा हाथी में हरबीर के मकान से कुरमाली सम्पर्क मार्ग पुलिया तक सी0सी0 कार्य	631888.00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैशियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नही है। रॉयल्टी भी नही काटी गयी है।
5	ग्राम भाजू में पुलिया पटटी वाले शमशान स्थल की चारदिवारी व सी0सी0 कार्य	774878.00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैशियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नही है। रॉयल्टी भी नही काटी गयी है।
6	विकास खण्ड में आवासीय भवनों का जीणोद्धार कार्य	852343.00	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैशियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पी0डब्लू0डी0 से प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न नही है। रॉयल्टी भी नही काटी गयी है।
	योग	**4009570.00**	

अतः उक्त किये गये लेखा परीक्षा की द्ष्टि से अप्रमाणिक रहे। जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, अवर अभियंता श्री ब्रहम प्रकाश एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। तथा रू0 4009570.00 की वसूली उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 16)**

प्रस्तर 13- क्षेत्र पंचायत शामली के पंचम राज्य वित्त के बैंक खाता संख्या 1822000101314751 से दिनांक 10.01.2022 को के पीएफएमएस द्वारा ना मालूम/अज्ञात को रूपए 218109.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी ग्रांट रजिस्टर दो में प्रविष्टि नही की गयी है, जिस कारण ग्रांट रजिस्टर दो एवं बैंक स्टेटमेंट में रूपये 218109.00 का अंतर रहा। लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान/व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से उक्त व्यय प्रमाणित नही माना जा सकता। जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री मनीष दत्त एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 17)

प्रस्तर 14- क्षेत्र पंचायत शामली में वर्ष 2021-22 में टेंडर फार्म की बिक्री से रू0 79500.00 की आय प्राप्त की जानी दर्शित है। किन्तु उक्त धनराशि पर संबंधित विभाग को 18 प्रतिशत की दर से रू0 14310.00 जी0एस0टी0 जमा नही की गयी है। जिस हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के अन्तर्गत) करते हुए रू0 14310.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 18)**

4-क्षेत्र पंचायत थाना भवन

प्रस्तर 15- क्षेत्र पंचायत थानाभवन में वर्ष 2021-22 में कराये गये कार्यो से ठेकेदारो के बिलो से वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) की रू0 385522.00, टी0डी0एस0 की रू0 385530.00 की तथा लेबर सेस रू0 192765.00 की कटौती की गयी। जिससे सम्बन्धित विभाग में जमा कराये जाने की पुष्टि में कोई चालान/पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। जिससे उक्त धनराशियॉ जमा कराये जाने की पुष्टि सम्भव न हो सकी। इस प्रकार कुल रू0 963817.00 जमा न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा तत्कालीन आंकिक व तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(मू0आ0सं0- 01)

प्रस्तर 16- क्षेत्र पंचायत थानाभवन, पंचायत राज अनुभाग 3 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2025 दिनांक 31 जुलाई 2015 से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गय थें। उक्त शासनादेश के पैरा 2 बिंदू 2 में अंकित है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदानों से एक से अधिक राजस्व को लाभांवित करने वाले कार्यो को ही संपादित किया जाएगा, परन्तु वर्ष 21-22 में क्षेत्र पंचायत थानाभवन द्वारा शासनादेश में वर्णित मार्गदर्शन सिद्धातो का उल्लंघन करते हुए अधिकांश कार्य कराए गए है जो एक ही राजस्व ग्राम

पंचायत के निवासियो को लाभांवित करती है इस प्रति प्रशासनिक विभाग एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	कराये गये कार्यो का विवरण	धनराशि
1	ग्राम हिंड में जिला टी0बी0 अस्पताल पर सी0सी0 सडक व नाली कार्य	590231.00
2	ग्राम आबादगढ में बारात घर निर्माण कार्य	486486.00
3	ग्राम देवीपुरा में शमशान रोड निर्माण कार्य	369870.00
4	ग्राम रसीदगढ में तालाब की पुलिया निर्माण कार्य	297997.00
5	ग्राम हिरंवाडा में प्राईमरी स्कूल की ओर पक्का नाला निर्माण कार्य	992519.00
	योग	**2737003.00**

उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उक्त धनराशि रू **2737003.00** की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 06)

5-क्षेत्र पंचायत ऊन

प्रस्तर 17- क्षेत्र पंचायत ऊन वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित निम्न निर्माण पत्राविया लेखा परीक्षा में जांच हेतु अनुपलब्ध रही। विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	रज्जाकनगर में शामली करनाल वाले रजवाहे की पटरी पर सी0सी0 निर्माण	854526.00	गुलजार एन्टरप्राइजेज
2	जिजौला- मंजूरा- अमलाबुर आने वाली सडक पर खडंजा	66049.00	शिवशक्ति कन्स्ट्रक्शन ख्यावडी
3	मुण्डेट खादर में महेश की ट्यूबवेल से ब्रहमपाल के खेत तक खडंजा	440082.00	सतवीर सिंह ठेकेदार
4	पेलखा में तालाब से विनोद के खेत तक नाला निर्माण	672273.00	विकास मलिक ठेकेदार
	योग	**2032930.00**	

अतः निर्माण पत्रावलियों को आगामी लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राजकुमार तायल का दायित्व निर्धारण (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 176 के

अन्तर्गत) करते हुए रू0 2032930.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 09)

6-क्षेत्र पंचायत ऊन वर्ष 2019-20 व 2020-21 वर्ष दौरान की गयी-

प्रस्तर 18- क्षेत्र पंचायत ऊन, शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31 जुलाई 2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर नही बल्कि दो ग्राम पंचायत को जोडने वाले निर्माण कार्यो को कराना है, जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध ग्राम पंचायत के अन्दर रू0 922185.00 का अनियमित व्यय किया गया है विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि
1	ग्राम वेदखेडी में तेजपाल के घर से कंकन के मकान तक सी0सी0 निर्माण	191107.00
2	ग्राम पिण्डौरा में ओमवीर के घर से गोपी के घर तक सी0सी0 निर्माण	315862.00
3	ग्राम असरफपुर में मोसीन की दुकान से मस्जिद तक सी0सी0 निर्माण	415216.00
	योग	**922185.00**

इस प्रकार शासनादेश का पालन न कर क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अन्दर रू0 922185.00 का अनियमित व्यय किया गया, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरित रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री बलराम कुमार एवं श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 02)

प्रस्तर 19- क्षेत्र पंचायत ऊन वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निम्न मदों में किये गये व्यय की धनराशि के सापेक्ष संस्था न कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नही कराया गया है विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष 2019-20

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	आंगनवाडी भवन निर्माण	6643968.00
2	गोवंश संरक्षण	1610249.00
	योग	**8254217.00**

वर्ष 2020-21

क्र0 सं0	मद का नाम	दर्शित व्यय धनराशि
1	आंगनवाडी भवन निर्माण	934302.00
2	स्वच्छता परियोजना प्रबन्ध इकाई	69772.00
	योग	**1004074.00**
	वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 का महायोग	**9258291.00**

लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान ग्रान्ट रजिस्टर मे दर्शित उपरोक्त उक्त के अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। लेखा परीक्षा में प्रमाणक व पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के दायित्वों का पालन संस्था द्वारा नही किये गाय जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पत्रावली व प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना गम्भीर अनियमितता का परिचायक रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरित रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री बलराम कुमार एवं श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए वसूली किया जाना अपेक्षित है। **मू0आ0सं0- 03)**

प्रस्तर 20- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जांच की गयी निर्माण पत्रावलियों पर निम्न विवरणानुसार कमियां/आपत्तियाँ पायी गयीः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनराशि	लेखा परीक्षा दौरान पायी गयी कमियां
1	ग्राम बीबीपुर में विपिन के खेत से बीबीपुर रोड सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा	461417.00	1-एम0बी0 संलग्न नही है। 2-कार्य प्रारम्भ/समाप्ति फोटोग्राफ संलग्न नही। 3-ठेकेदारो के हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न नही।
2	वेदखेडी में रिषीपाल की टयूबवैल से पावटी खुर्द सम्पर्क मार्ग पर महिपाल के खेत तक सी0सी0 निर्माण	781460.00	1-एम0बी0 संलग्न नही है। 2-कार्य प्रारम्भ/समाप्ति फोटोग्राफ संलग्न नही। 3-ठेकेदारो के हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न नही। 4-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही।
3	वेदखेडी में रिषीपाल के खेत से शमशान तक सी0सी0 निर्माण	397035.00	1-एम0बी0 संलग्न नही है। 2-ठेकेदारो के हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न नही। 3-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही।

4	चौसाना में पठानपुरा रोड से कुण्डा सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा	589814.00	1-एम0बी0 संलग्न नही है। 2-कार्य प्रारम्भ/समाप्ति फोटोग्राफ संलग्न नही। 3-ठेकेदारो के हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न नही। 4-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही।
5	ग्राम जमालपुर में गोगामाढी से शाकुम्भरी माता मन्दिर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण	849917.00	1-एम0बी0 संलग्न नही है। 2-कार्य प्रारम्भ/समाप्ति फोटोग्राफ संलग्न नही। 3-ठेकेदारो के हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न नही। 4-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही।
6	ग्राम पावटी खुर्द में निन्दर के खेत से सलेक के मकान तक सी0सी0 निर्माण	244924.00	1-एम0बी0 संलग्न नही है। 2-कार्य प्रारम्भ/समाप्ति फोटोग्राफ संलग्न नही। 3-ठेकेदारो के हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न नही। 4-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही।
7	ग्राम मुण्डेट में योगेश के खेत से लब्बा दाउदपुर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा कार्य	793230.00	1-एम0बी0 संलग्न नही है। 2-कार्य प्रारम्भ/समाप्ति फोटोग्राफ संलग्न नही। 3-ठेकेदारो के हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न नही। 4-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही।
8	ग्राम गागौर में तालाब से शिव मन्दिर की ओर सी0सी0 निर्माण	794219.00	1-एम0बी0 संलग्न नही है। 2-कार्य प्रारम्भ/समाप्ति फोटोग्राफ संलग्न नही। 3-ठेकेदारो के हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न नही। 4-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही।
	योग	**4912016.00**	

अतः उक्त किया गया व्यय रू0 4912016.00 अनियमितता/अप्रमाणित रहा, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरित रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री बलराम कुमार एवं श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 04)

प्रस्तर 21- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लेखा परीक्षा जांच में निम्न निर्माण पत्रावली उपलब्ध नही करायी गयी है जिससे निम्न के सापेक्ष किया गया व्यय अप्रमाणित रहा, विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**धनराशि**	**चैक संख्या**	**भुगतान प्राप्त कर्ता**

1	अशरफपुर में बलकार के डेरे के पास सी0सी0 निर्माण	337650.00	843573	आर0के0 ट्रेडर्स
2	पठानपुरा से अमानपुर तक सी0सी0 निर्माण	78260.00	843757	आर0के0 ट्रेडर्स
3	वेदखेडी में मंसूरा रोड से बीबीपुर रोड तक सी0सी0 निर्माण	231696.00	843761	आर0के0 ट्रेडर्स
4	पठानपुरा में गढी सीमा की ओर सम्पर्क मार्ग पर खण्डजा कार्य	312303.00	843763	डी0के0 ट्रेडर्स
5	वेदखेडी में जमालपुर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी खडंजा कार्य	711549.00	843772	आर0के0 ट्रेडर्स
6	रंगाना में भूमिया खेडा वाल्मिकी बस्ती से शमशान घाट सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कार्य	317226.00	132592	डी0के0 ट्रेडर्स
7	विकास खण्ड कार्यालय की चारदीवारी निर्माण	404681.00	पी0एफ0एम0एस0	अमित कुमार
8	बीबीपुर में मंसूरा रोड से खमा के खेत तक खडंजा कार्य	590046.00	पी0एफ0एम0एस0	अमित कुमार
9	पिण्डौरा में बस स्टैण्ड से चैनपाल के मकान तक इंटरलॉकिंग	691394.00	पी0एफ0एम0एस0	विकास मलिक
	योग	**3634805.00**		

अतः उक्त किया गया व्यय रू0 3634805.00 अनियमित/अप्रमाणित रहा, जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरित रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री बलराम कुमार एवं श्री ज्ञानेशवर प्रसाद तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0- 05)

प्रस्तर 22- ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार दिनांक 17.03.2021 में रू0 32332.00 का 01 वाटर कूलर क्रय का भुगतान ठेकेदार विकास मलिक को किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया एवं उक्त भुगतान ठेकेदार विकास मलिक को किस आधार पर किया गया यह भी अस्पष्ट रहा। अतः उक्त किया गया भुगतान लेखा परीक्षा की दृष्टि से संदिग्ध रहा जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरित रहा एवं उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(मू0आ0सं0- 06)**

जनपद – चंदौली **मण्डल- वाराणसी**

प्रारूप- 3

क्षेत्र पंचायत

1-क्षेत्र पंचायत – बरहनी **विकास क्षेत्र – बरहनी**

वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर-1 आलोच्च वर्ष में मनरेगा प्रशासनिक मद में रु0 75279.80 का अनुदान प्राप्त हुआ है दिनांक 01-04-2021 के प्रारम्भिक अवशेष को जोड़ लिया जाए तो कुल आय रु0 628158.10 है, इस मद से रु0 551880.00 ई.पी.एफ. कार्मिक कटौती की गयी है , यह किस आदेश के अंतर्गत किया गया इससे संबंधित कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा. यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री महेंद्र प्रसाद चौबे व श्री राहुल सागर एवं लेखाकार श्री सियालाल यादव उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं 06)**

प्रस्तर-2 आलोच्च वर्ष में विविध मद में रु0 117460.00 की आय हुई है। वर्ष आलोच्च में रु0 39200.00 व्यय किए गए है | अंतिम अवशेष रु0 78260.00 रहा . कहा -कहा धनराशि व्यय किया गया,इससे संबंधित पत्राचार अभिलेख एवं फाइल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा . लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 39200.00 अपहृत आँकलित की जाती है । खण्ड विकास अधिकारी श्री महेंद्र प्रसाद चौबे व श्री राहुल सागर एवं लेखाकार श्री सियालाल यादव से उपरोक्त धनराशि समान रूप से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल कर खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है | **(सा0आ0सं 07)**

प्रस्तर-3 राज्य वित्त मद से ग्राम पंचायत छोटी बगही मेंन सड़क से रामा मौर्य के घर तक इंटरलाकिंग कार्य व रिटरनिंग वाल का कार्य कराया गया है ,जिसमे श्री राजकुमार चौधरी कार्य प्रभारी एवं श्री विनोद कुमार मिश्र तकनीकी प्रभारी नियुक्त किए गए है । उपरोक्त कार्य हेतु कृष्ण इंटरप्राइजेज को सामग्री का निम्न प्रकार से भुगतान किया गया है -

क्रं सं	धनराशि	कटौती	शुध्द भुगतान
1.	758257.00	1-टी डी एस - 15165.00	722626.00
		2-जी एस टी - 15165.00	
		3-रायल्टी - 5301.00	
		योग - 35631.00	

मजदूरी= 102632.00

उपरोक्त दर्शित कार्य पर आपत्तियाँ निम्नानुसार है -

1-पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय में तीन सप्ताह से कम का समय है। नियमानुसार टेंडर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नही किया गया है |

2-उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है,जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्ही कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक की सीमा में आते है |

3-मापन पंजिका पर खंड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख व जांचकर्ता का हस्ताक्षर तो है, परंतु हस्ताक्षर की तिथि अंकित नहीं है ।
4-फोटोग्राफ के तीन चरणों में कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ पत्रावलि में संलग्न नहीं है, जबकि साइन बोर्ड हेतु रु0 3000.00 प्राक्कलीत है।
5-विगत तीन वर्षों में किसी योजना के अंतर्गत दर्शित कार्य को नहीं कराया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
6-विक्रेता का हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड की छाया प्रति, सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश एवं एम.एम. 11 पत्रावलि में संलग्न नहीं है।
7-प्रथम पक्ष खंड विकास अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध पत्र संलग्न नहीं है।
8-मस्टर रोल क्रमांकित एवं दिनांकित नहीं है तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामग्री पर व्यय रु0 758257.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु0 102632.00 कुल रु0 860889.00 व्यय अनियमित है,जिसके लिए लेखाकार श्री सियालाल यादव, खंड विकास अधिकारी **श्री महेंद्र प्रसाद चौबे व श्री राहुल सागर**, कार्यप्रभारी श्री राजकुमार चौधरी, तकनीकी प्रभारी श्री विनोद कुमार मिश्रा जिम्मेदार है| जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित अपेक्षित है | **(सा 0 आ 0 सं10)**

2-क्षेत्र पंचायत – धानापुर
विकास क्षेत्र – धानापुर
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर-4 आयकर अधिनियम 1961 यथा संसोधित की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती के उपरान्त ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। आयकर कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तगत (प्रत्येक तिमाही के अंतिम तिथि को) लेखा शीर्ष 21 मे जमा किए जाने के लिए संस्था के आहरण व वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे ऐसा किए जाने से विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गए आयकर के धनराशि के बराबर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 से आयकर की कटौती एक वर्ष मे 30 हजार से अधिक या सभी बिलों का योग 75 हजार हो पर 2.00 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजि0 दो एवं तीन में आयकर पर टीडीएस कटौती मद का खाता नहीं बनाया गया है। जबकि तिथिवार कटौती से आय व व्यय/जमा का अंकन करते हुए वर्ष के प्रारम्भ (1.4..2021) व अंत (31.3.2022) का अवशेष निकाला जाना चाहिए था। जिससे स्पष्ट पता चलता कि कितनी कटौती कब की गयी और कब जमा की गयी तथा वर्षांत आयकर कटौती की स्थिति क्या रही और इसे नियमानुसार जमा किया गया अथवा नहीं । किंतु संस्था पर यह विवरण अप्राप्त है। उक्त गणना प्रमाणकों पर उपलब्ध विवरण के आधार पर की गई

है । विभागीय अधिकारियों का घ्यान संस्था द्वारा सभी बिलो पर की गयी कटौती को ग्रांट रजि0 दो व तीन में लेखांकन कर गणना करते हुए कुल आय-व्यय व वर्षांत अवशेष की गणना किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में 11.4.2022 का यूनियम बैंक का (वित्तीय वर्ष 2021-22) चालान प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आयकर की टीडीएस कटौती 253271.00 जमा है। किंतु ग्राट रजि0 में मदवार स्पष्ट विवरण न होने से स्पष्ट नहीं है कि यह सम्पूर्ण धनराशि आलोच्य वर्ष की ही है।

क्रं	कार्य का नाम व पूर्ण पता	आयकर 2.24 %	आयकर 2.00%	अंतर
1	बुध्धूपुर में देवमुरत के घर से हनुमान मंदिर तक इंटर०	15180	13553	1627
2	ग्राम पंचायत अमरा में घूरे यादव के घर से पप्पू मास्टर के घर तक साइडवाल व इंटरलाकिंग	11442	10216	1226
3	जमुरना में हनुमान मंदिर के पास सार्वजानिक स्थल पर इंटरलाकिंग	5192	4636	556
4	ब्लाक मीटिंग हाल में पीवीसी पेव्लिंग	16961	15144	1817
5	वि०ख० प्रमुख मीटिंग हाल खंड विकास अधिकारी कक्ष में विधुतीकरण व प्लम्बरिंग	3520	3143	377
6	प्रमुख कक्ष मीटिंग हाल बीडीओ कक्ष में फर्नीचर कार्य सुन्दरीकरण	18804	16870	2024
7	तोरवा में शंकर जी के मंदिर से रणजीत के घर वाया गुड्डू के घर इंटरलाकिंग	13430	11991	1439
8	विकास खंड में प्रमुख कक्ष व बीडीओ कक्ष स्टोर रूम फर्श दीवाल व टाइल्स कार्य	12212	10903	1309
9	विकास में गेट का जीर्णोधार	3088	2757	331
10	महुरा में रामउग्रह के घर से राम विलाश के घर तक इंटरलाकिंग व साइडवाल	4945	4415	530
11	हिन्गुतरगढ़ में किशुनपुर में शिवपालसिंह के घर तक साइडवाल व इंटरलाकिंग कार्य	8519	7606	913
12	अलमाखातोपुर में मुख्य मार्ग से प्रजापति बस्ती तक नाली व इंटरलाकिंग कार्य	12672	11315	1357
13	बासगौव में अवधेश के घर से ब्रहम बाबा पोखरी तक इंटरलाकिंग व साइडवाल	11282	10073	1832
14	विकास खंड में प्रमुख कक्ष बीडीओ में पवीसी पैवलिंग व टाइल्स कार्य	17099	15267	1832
15	विकास खंड परिसर में बाउंड्री वाल मर ०	10381	9269	1112
16	ग्राम पचायत करी हनुमान मंदिर से तालाब तक इंटरलाकिंग	10807	9649	1158
17	रसूलपुर में कनाहिया के घर के पास तालाब से काली माता मंदिर तक साइड वाल व इंटर०	16425	14665	1760
18	वर्दीसाडा में पंचायत भवन से हालिया बस्ती तक मिट्टी खडंजा कार्य	11975	10692	1283
19	अमरा में घूरे यादव के घर से पप्पू मास्टर के घर तक साइड वाल व इंटरलाकिंग	11442	10216	1226
20	सोनाहुली में में रोड से मुन्ना सिंह माइनर वाया सुनील सिंह के घर तक इंटरलाकिंग	13568	12114	1454
21	निवाज के घर से मंगरू शाह के मजार तक इंटरलाकिंग	4179	3721	448
22	डबरिया में प्रा0वि9 से महेन्द्र कन्नौजिया के घर तक इंटरलाकिंग	11800	10536	1264
23	कवलपुरा में अशोक सिंह के घर से त्रिभुवन व विजयी सिंह के घर तक इंटरलाकिंग	11551	10313	1238
	योग	256474	228361	28113

लेखाकार द्वारा यह कटौती 2.00 प्रतिशत की जगह 2.24 प्रतिशत की दर से की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रु 28113 की अधिक कटौती अनियमित रूप से की गयी। अधिक वसूली व जमा की गई धनराशि के सम्बंध में नियमानुसार कार्रवाई अपेक्षित है। उक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 दिनांक 11.04.2022 को एसेसमेंट वर्ष 2022-23 का आयकर टीडीएस जमा का चालान प्रस्तुत किया गया । जिसके अनुसार खण्ड विकास अधिकारी धानापुर द्वारा आयकर 253271, दण्ड 5000 व ब्याज 3500 सहित 261771 जमा किया गया। आयकर कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत (प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को) जमा न किए जाने के लिए संस्था के आहरण व वितरण अधिकारी उत्तरदायी इस प्रकार दण्ड व ब्याज 8500.00 वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि से जमा किया जाना राजकीय धन का दुरुपयोग है। जिसके लिए लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव व तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री अरविन्द कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। जिनसे समान रूप से आधी-आधी धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम 2009 ;जो 4 फरवरी 2009 से उ0प्र0 मे लागू है ; के नियम 4..3 के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटी जायेगी। इसी प्रकार शासनादेश सं0 1090/36-.2.-12-.252/11 दिनांक 3.12.2012 द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस कटौती कर राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करने का प्रावधान है। जिससे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं चलायी जानी है। किंतु ज्ञातव्य है कि निर्माण कार्य में प्रयोज्य सामग्री के आपूर्तिकर्ता से उपकर की वसूली नहीं की जा सकती। किंतु जिस व्यक्ति/संस्था/सरकारी विभाग/उपक्रम के द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है अथवा जिस निर्माणकर्ता एजेंसी/संविदाकार के द्वारा निर्माण कराया जाता है उनके द्वारा सम्पूर्ण निर्माण लागत (जिसमें निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर व्यय की गई धनराशि शामिल है) पर उपकर देय होगा, किंतु संस्था के प्रमाणकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्नानुसार श्रम उपकर अनियमित रूप से काटा गया है।

क्रम सं	कार्य का नाम व पूर्ण पता	श्रम उपकर 1 % की दर से
1	बुध्धूपुर में देवमुरत के घर से हनुमान मंदिर तक इंटर०	6777
2	ग्राम पंचायत अमरा में घूरे यादव के घर से पप्पू मास्टर के घर तक साइडवाल व इंटरलाकिंग	5108
3	जमुरना में हनुमान मंदिर के पास सार्वजानिक स्थल पर इंटरलाकिंग	2318
4	ब्लाक मीटिंग हाल में पीवीसी पेव्लिंग	7572
`5	वि०ख० प्रमुख मीटिंग हाल खंड विकास अधिकारी कक्ष में विधुतीकरण व प्लम्बरिंग	1571
6	प्रमुख कक्ष मीटिंग हाल बीडीओ कक्ष में फर्नीचर कार्य सुन्दरीकरण	8435
7	तोरवा में शंकर जी के मंदिर से रणजीत के घर वाया गुड्डू के घर इंटरलाकिंग	5995
8	विकास खंड में प्रमुख कक्ष व बीडीओ कक्ष स्टोर रूम फर्श दीवाल व टाइल्स कार्य	5452
9	विकास में गेट का जीर्णोधार	1379
10	महुरा में रामउग्रह के घर से राम विलाश के घर तक इंटरलाकिंग व साइडवाल	2207
11	हिन्गुतरगढ़ में किशुनपुर में शिवपालसिंह के घर तक साइडवाल व इंटरलाकिंग कार्य	3803
12	अलमाखातोपुर में मुख्य मार्ग से प्रजापति बस्ती तक नाली व इंटरलाकिंग कार्य	5657

13	बासगौव में अवधेश के घर से ब्रहम बाबा पोखरी तक इंटरलाकिंग व साइडवाल	5036
14	विकास खंड में प्रमुख कक्ष बीडीओ में पवीसी पैवलिंग व टाइल्स कार्य	7633
15	विकास खंड परिसर में बाउंड्री वाल मर ०	4634
16	ग्राम पचायत करी हनुमान मंदिर से तालाब तक इंटरलाकिंग	4824
17	रसूलपुर में कनाहिया के घर के पास तालाब से काली माता मंदिर तक साइड वाल व इंटर०	7333
18	वर्दीसाडा में पंचायत भवन से हालिया बस्ती तक मिट्टी खडंजा कार्य	5346
19	अमरा में घूरे यादव के घर से पप्पू मास्टर के घर तक साइड वाल व इंटरलाकिंग	5108
20	सोनाहुली में में रोड से मुन्ना सिंह माइनर वाया सुनील सिंह के घर तक इंटरलाकिंग	6057
21	डबरिया में प्रा0वि9 से महेन्द्र कन्नौजिया के घर तक इंटरलाकिंग	5268
22	कवलपुरा में अशोक सिंह के घर से त्रिभुवन व विजयी यिं हके घर तक इंटरलाकिंग	5157
	योग	**112670**

इस प्रकार स्पष्ट है कि रु 112670.00 की कटौती लेखाकार द्वारा अनियमित रूप से की गयी। जिसे सस्था पर ही जमाकर रखा गया है। उक्त धनराशि के सम्बंध में नियमानुसार कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। अपेक्षित है। साथ ही उक्त अनियमितता के लिए उत्तरदायी तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजि0 दो एवं तीन में श्रम उपकर मद का खाता नहीं बनाया गया है। जबकि तिथिवार कटौती से आय व व्यय/जमा का अंकन करते हुए वर्ष के प्रारम्भ व अंत का अवशेष निकाला जाना चाहिए था। जिससे स्पष्ट पता चलता कि कितनी कटौती कब की गयी और कब जमा की गयी तथा वर्षांत श्रम कटौती की स्थिति क्या रही। किंतु संस्था के ग्रांट रजि0-2 में यह विवरण अप्राप्त है। उक्त गणना प्रमाणकों पर उपलब्ध विवरण के आधार पर की गई है। संस्था द्वारा बिलो पर की गयी कटौती को ग्रांट रजि0 दो व तीन में लेखांकन कर कुल आय व जमा तथा वर्षांत अवशेष का अंकन करते हुए विवरण रखना चाहिए। अतः नियमानुसार नियमानुसार विभागीय कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 क्षेत्र पंचायत के वर्ष 2021-22 के नक्शा आय-व्यय के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न मद में धन एकाधिक वर्षों से जमा हैं- दिनांक 31.3..21 से 31.3.2022 तक पूर्वांचल निधि का धन 246869.00 व अनुरक्षण मद का 4962.00 जमा है। इसी प्रकार ब्याज से आय व बैंक कटौती को छोड दे तो 14 वां वित्त प्रशासनिक मद का धन 3422343.30 संस्था पर जमा है। ज्ञातव्य है कि इसके उपभोग हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-जी-39011/4/2015-एफडी दिनांक 16 दिसम्बर 2015 को निर्देश जारी किए गए थे। किंतु इसका उपभोग नहीं किया गया। अब आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इस प्रकार 3674174.23 अवशेष अनुदान संस्था पर अनियमित रूप से जमा है। जबकि नियमानुसार वर्षात तक समस्त धनराशि उपभोग कर लिया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में उसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। उ0प्र0 बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन को एवं ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तिया मद में इकट्टा करके आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का स्रोत माना जाता है। यदि किसी कारण से धन वापस न किया जा सके तो आगामी वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। चाहिए थी। किंतु संस्था द्वारा 3674174.23 राजकीय धन रोका जाना व महालेखाकार से अनुमति भी नहीं लेना गंभीर अनियमितता है। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध मे विभागीय कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 पंचम राज्य वित्त से ''जमुरना में हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक स्थल पर इण्टरलाकिंग कार्य '' की पत्रावली की जाँच की गयी जिसमें निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीं-

1- पत्रावली से संलग्न टेन्डर की नोटिस दिनांक 22.10.2021 को प्रकाशित की गयी है जिसके अनुसार टेन्डर जमा करने की अवधि मात्र 8 दिन बाद 29.10.2021 को 3.00 बजे दी गयी है। जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 (ख) की टिप्पणी के अनुसार ''युक्ति युक्त समय नोटिस प्रकाशन से तीन सप्ताह से कम नहीं होगा''का स्पष्ट उल्लंघन है। एजी की गाइडलाइन के अनुसार अरजेंसी की दशा में भी अल्पकालीन टेडर हेतु भी 10 दिन का स्पष्ट समय दिया जाना अनिवार्य है। पत्रावली में केवल हिंदुस्तान में ही छपा टेडर ही संलग्न है जबकि नियमानुसार टेन्डर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में किया जाना चाहिए।

2- टेन्डर हेतु अनन्या कन्स्ट्रक्सन ,मां शारदा कन्स्ट्रक्सन एवं यश कन्स्ट्रक्सन के दावेदारों ने दर विभागीय दर से 0.50 प्रतिशत अधिक ए 0.10 प्रतिशत अधिक एवं यश क0 ने विभागीय दर पर सामग्री आपूर्ति की बात कही है। उ0प्र0क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984

के नियम 21(3) के अनुसार '' टेन्डर देने वाला मदों के सामने अंकों और शब्दों में दरे भरेगा। अन्य रूप में तैयार किया गया कोई भी टेंडर अस्वीकार कर दिया जायेगा।'' स्पष्ट है कि नियमों का पालन नहीं किया गया।

3- पत्रावली में टेंडर के साथ नियम 21(2) (तीन) के अनुसार अनुबन्ध या करार पत्र प्राप्त नहीं है। नियमानुसार बिना करार के कार्य शुरू नहीं कराया जा सकता। कार्यदेश निर्गत होने के 21 दिनों के भीतर ठेकेदार से संविदा कर लिया जाना चाहिए था। बिना करार के कार्य कराया गया।

4- सामग्री क्रय का क्रयादेश पत्रावली में संलग्न नहीं है।

5- सामग्री का अंकन स्टॉक रजि0 में अंकित नहीं है।

इस प्रकार उक्त योजना पर 266086.81 का भुगतान नियमों के विरुद्ध कर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध मे विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत दिनांक 29.10.2921 को 85720.00 मनरेगा सम्मेलन में भाग लेने हेतु बस किराया आदि पर व्यय है। शासनादेश सं01964/38-7-10 आरईजीए/2008 26.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें इस मद से सर्वप्रथम योजना के कार्मिकों के मानदेय का भुगतान किया जाना है। उक्त मानदेय के अतिरिक्त निम्न मदों पर व्यय किया जा सकता है-1- सूचना शिक्षा व संचार 2-प्रशिक्षण 3-एमआईएस 4-गुणवत्ता नियंत्रण /अनुश्रवण 5-शिकायत निवारण प्रणाली 6-व्यावसायिक सेवाएं 6-आपरेशनल (कार्यालय व्यय) एक्सपेंस। उक्त यात्रा किस मद के अन्तगत की गयी उसका उद्देश्य क्या था व सक्षम अधिकारी का आदेश तथा वित्तीय अनुमोदन लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं है। इस प्रकार गैर अनुमन्य प्रयोजन हेतु बिना सक्षम स्तर के आदेश के धन का दुरूपयोंग किया गया। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एंव लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध मे विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि 31.3.2022 को ग्रांट रजि0 के अनुसार अंतिम अवशेष 49731221.39 है ,जबकि पासबुक में जमा अवशेष 49787497.71 हैं। इस प्रकार दोनों में 56276.32 का अंतर है। लेखाकार से पूछ-ताछ करने पर अंतर का कारण बहुत पुराना केजीबी आवाजापुर में 13915.00: डीसीबी धानापुर में 2611.32 एवं डाकघर में 56276.32 जमा बताया गया है। किंतु यह धन किस योजना का है और कब से जमा है ज्ञात नहीं है। उ0प्र0 जिला पं0 तथा क्षेत्र पंचायत बजट सामान्य लेखा नियमावली-1965 के नियम

84 (2) के अनुसार प्रत्येक महीने के अंत में रोकड वही के अवशेषों का बैक के अवशेष की जांचकर उसका समाधान किया जाना है। इसी प्रकार शासनादेश सं0-1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.1.2011 से ही कैग के द्वारा निर्धारित माडॅल एकाउटिंग सिस्टम व प्रिया साफ्ट के 8 डाटा प्रपत्रों में बैंक समाधान विवरण बनाये जाने का स्पष्ट निर्देश था। किंतु प्रारूप-3 आनलाइन तो दूर भौतिक रूप से भी नहीं बनाया गया न ही अनुदान का रख-रखाव ही ठीक ढंग से किया गया। अनुदान की धनराशि का सन्दर्भित शर्तों के अनुरूप वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित करना होता है अन्यथा की स्थिति में उसे वापस कर दिया जाता है। ऐसे में 56276.32 के मद का पता न चलना व लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान भी उसका समाधान न हो पाना गंभीर प्रकरण है। उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध मे विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में कुल रु 2964177.50 व्यय किया गया है। जिसमें 863750.00 सामग्री पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है-

क्रं सं	दिनांक	अनुदान पंजी में विवरण का विवरण	धनराशि
1	05.08.2021	मे0 विवेक ट्रेडर्स धानापुर	29200
2	05.08.2021	उक्त	20000
3	05.08.2021	देवासी इण्टरप्राइजेज धानापुर	10000
4	05.08.2021	मे0 पूजा एसोसिएट रविनगर मुगलसराय	25000
5	05.08.2021	मे0 अरविंद जनरल स्टोर	8980
6	05.08.2021	मे0 उ0प्र0 आजीविका मिशन उत्पाद	24500
7	05.08.2021	मे0 माया टेंट हाउस	25300
8	05.08.2021	मे0 लक्ष्मी डिजीटल स्टूडियो	4000
9	12.01.2022	कन्याओ की सामग्री एवं भोजन व टेंट हेतु	716770
		योग	**863750**

क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त क्रय करते समय शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 व क्रय के वित्तीय नियम का पालन नहीं किया गया है। शासनादेश के अनुसार 20000.00 से अधिक के क्रय हेतु कोटेशन एवं 100000.00 से अधिक क्रय पर टेंडर आमंत्रित करना अनिवार्य है। किंतु तालिका से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से अनियमित रूप से सामग्री क्रय की गयी।

इसी प्रकार क्रमांक-9 पर कन्याओ की सामग्री एवं भोजन एवं टेंट हेतु व्यय है। यह भुगतान अप्रत्यक्ष व अनियमित है। इस प्रकार कुल 863750.00 के उक्त व्यय में क्रय व भुगतान के वित्तीय औचित्य व शासनादेश का उल्लंघन कर अनियमितता की गयी। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध मे विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मद में कुल रु 863750.00 सामग्री पर व्यय किया गया है। जीएसटी अधिनियम 2017 के अन्तगत धारा 51 में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तगत 2 प्रतिशत जीएसटी टीडीएस व आयकर अधिनियम 1961 यथा संशेधित की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर 2 प्रतिशत आयकर कटौती कर किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किए जाने का प्रावधान

है। इस प्रकार कुल किए गए व्यय पर 17275 जीएसटी टीडीएस व 17275 आयकर कटौती न कर संस्था द्वारा कुल 34550.00 की राजकीय क्षति पहुचायी गयी । उक्त अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध मे विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 क्षेत्र पंचायत द्वारा 15 वे वित्त से बघारी में प्रा0वि0 से मस्जिद मेनरोड तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है जिसके पत्रावली की जांच में निम्न अनियमितता प्रकाश में आयी–

1- निविदा का प्रकाशन 9.1.21 को किया गया जिसमें निविदाकर्ताओं को 15.1.2021 तक मात्र सात दिवस का समय दिया गया जबकि कम-से-कम तीन सप्ताह का समय दिया जाना था।

2- मात्र दो ही निविदा कर्ताओं अजय इण्टरप्राइजेज माधोपुर एवं यश कं0 द्वारा निविदा भरी गयी थी उसी आधार पर तुलनात्मक चार्ट तैयार कर दिया गया। जबकि कम-से-कम तीन निविदा ली जानी थी। निविदा प्रपत्र पर धरोहर राशि का अंकन नहीं है। बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होती। निविदा में अजय कं0 ने शासकीय दर पर सामग्री आपूर्ति करनें एवं यश कं0 ने 7 प्रतिशत अधिक दर पर सामग्री आपूर्ति की बात कही है। जो प्रतिस्पर्धा के दौर में तर्कसंगत नही लगता है। नियमानुसार दर का अंकन अंको व शब्दों में किया जाना था। इस तुलनात्मक चार्ट पर अवर अभियंता , एडीओं (कृषि) , एडीओ (समाज कल्याण) , एडीओ (सहकारिता) व खण्ड विकास अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

3- अनुबंध हेतु 27.2.2019 को क्रय किया गया स्टांप रिक्त है। अनुबंध नहीं किया गया है।

4- सामग्री 01.09..2021 को क्रय की गयी है। जबकि पहले मस्टर रोल की कार्यावधि 10.8.2021 से 16.8.21 है। सामग्री खरीद के पूर्व ही कार्य प्रारंभ दर्शाया गया है। एमबी पर कार्य प्रारंभ की तिथि 10.8.2021 तो है परंतु मापन तिथि 18.8.2021 है। जिसमें एमबी में मजदूरी 65719.55 दर्ज है जिसके सापेक्ष 65628 का भुगतान भी हुआ है किन्तु अंतिम मस्टर रोल के अनुसार कार्य 7.9.2021 तक चला है तो फिर 18.8.2021 को ही एमबी कैसे कर दी गयी।

5- सामग्री क्रय का क्रयादेश , स्टॉक रजिस्टर ,कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं है।

6- प्रस्तुत बिल की धनराशि 569402 के सापेक्ष शुद्ध भुगतान 539262 किया गया है। कटौती की धनराशि 30140 का विवरण प्राप्त नहीं है इसे ग्रांट रजि0 में दर्ज किया जाना अपेक्षित था। उपर्युक्त न्यूनताओ से स्पष्ट है कि 635030.00 के भुगतान में गंभीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध मे विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 शासनादेश सं0-57/2016/477/अडतीस-9-16-500 22/2018 दिनांक 13 अक्टूबर 2016 के अनुसार विधायक विकास निधि की धनराशि के बचत खाते में जमा पर अर्जित ब्याज को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में जमा कराना होगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा इस अर्जित ब्याज को सुसंगत राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने का प्रावधान है।

विधायक निधि के जमा धन पर आलोच्य वर्ष में अर्जित ब्याज 22218.00 है। शासनदेश के अनुसार इसे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वापस न कर अनियमित रुप से संस्था पर रोक कर रखा गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एंवं लेखाकार श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध मे विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

3-क्षेत्र पंचायत – चंदौली
विकास क्षेत्र – चंदौली
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर-15 सामग्री आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा जमानत मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2021 को रू0 1481033.00 रहा। वर्ष के दौरान रू0 1119434.00 ठेकेदार के बिलों से कटौती की गयी और रू0 1160400.00 वापस किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को अन्तिम अवशेष रू0 1440067.00 रहा। संस्था द्वारा जमानत का रजिस्टर नही रखा गया है जिससे जमानत मद में आय-व्यय एवं अवशेष की पुष्टि की जा सके। संस्था में कार्य कर रहे प्रत्येक ठेकेदार का अलग-अलग खाता रखा जाना चाहिये। लेखा परीक्षा में जमानत की पुष्टि न कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन **खण्ड विकास अधिकारी श्री तारकेश्वर तिवारी** एवं लेखाकार श्री श्यामजी पाल उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। रजिस्टर तैयार कर आवश्यक पुष्टि के उपरान्त ही जमानत का भुगतान अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 आंगनबाड़ी रंगाई पुताई मद के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू0 21000.00 रहा वर्ष में रु0 18000.00 (प्रति केन्द्र रु0 3000.00 की दर से) छः आंगन बाड़ी केन्द्रों- पड़पा**,** बबुरी-1**,** बबुरी-2**,** बबुरी-3**,** मद्धूपुर एवं कांटा की रंगाई पुताई पर मेसर्स गीतांजली होम डे. चन्दोली को दिनांक 07.09.2021 को भुगतान किया गया है। फर्म से कोई अनुबन्ध नही कराया गया और न ही प्रति वर्ग फीट दर निर्धारित किया गया जो आवश्यक रहा। निधारित दरों की स्वीकृति के अभाव में भुगतान अनियमित रहा जिसके प्रति तत्कालीन **खण्ड विकास अधिकारी श्री तारकेश्वर तिवारी** एवं लेखाकार श्री श्यामजी पाल उत्तरदायी रहे। । उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 स्वच्छ पेयजल शौचालय मद के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू0 873600.00 रहा वर्ष में प्रति केन्द्र रु0 10000.00 (टीडीएस एवं जीएसटी 200रु0 कटौती सहित) की दर से रु0 60000.00 छः आंगन बाड़ी केन्द्रों- नवहीं, बिसौरी, केशवपुर, जरखोरकला, छित्तो एवं बबुरी पर पेयजल व्यवस्था हेतु मेसर्स आशीष मशीनरी स्टोर चन्दोली को दिनांक 07.09.2021 को भुगतान किया गया है। फर्म से कोई अनुबन्ध नही कराया गया और न ही स्टीमेट अथवा एम0 बी0 प्रस्तुत की गयी जिससे प्रत्येक केन्द्र पर व्यय की धनराशि निर्धारित की जा सके। निधारित दरों की स्वीकृति के अभाव में रु0 60000.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसके प्रति तत्कालीन **खण्ड विकास अधिकारी श्री तारकेश्वर तिवारी** एवं लेखाकार श्री श्यामजी पाल उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 अनुरक्षण मद में लिपिक वर्गीय आवासों के अनुरक्षण/रंगाई पुताई कार्य पर यूबीआई चेक सं0 066198 द्वारा रु0 127144.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री शशिकान्त पाण्डेय को किया गया है जो अनियमित रहा जिसके प्रति **खण्ड विकास अधिकारी श्री तारकेश्वर तिवारी** एवं लेखाकार श्री श्यामजी पाल उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

4-क्षेत्र पंचायत – नौगढ़
विकास क्षेत्र – नौगढ़
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर-19 वर्ष आलोच्य में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में शेष जी0एस0टी0 धनराशि रू0 81,642.00 में से मात्र रू0 1759.00 ही जमा किया गया है। इस प्रकार वर्षान्त में रू0 79,883.00 अवशेष रही जिसे कोषागार में जमा न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुदामा सिंह यादव एवं लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार व श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। विभागीय अधिकारियों का ध्यान रू0 79883.00 कोषागार में जमा कराने तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-4)**

प्रस्तर-20 टी0डी0एस0 मद में प्रा0 शेष रू0 72,568.00 तथा वर्ष में वसूल रू0 72,662.00 कुल रू0 1,45,230.00 के सापेक्ष मात्र रू0 1759.00 ही जमा किया गया। इस प्रकार रू0 1,43,471.00 जमा न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुदामा सिंह यादव एवं लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार व श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। विभागीय अधिकारियों का ध्यान रू01,43,471.00 जमा कराने तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-5)**

प्रस्तर-21 रायल्टी मद में वर्ष दौरान वसूल रू0 12,361.00 को कोषागार में जमा न कर अवशेष रखकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुदामा सिंह यादव एवं लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार व श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। विभागीय अधिकारियों का ध्यान रू0 12361.00 जमा कराने तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु आकृष्ट है। (आ0 सं0-6)

प्रस्तर-22 विधायक निधि मद में रू0 5,72,662.30 वर्षान्त में अवशेष रहा जिसे कार्य समाप्ति होने की दशा में सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुदामा सिंह यादव एवं लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार व श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-7)**

प्रस्तर-23 सांसद निधि मद में रू0 40,304.95 वर्षान्त में अवशेष रहा जिसे कार्य समाप्त होने के बाद सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुदामा सिंह यादव एवं लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार व श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0-8)

प्रस्तर-24 विधायक निधि मद से कराये गये निर्माण कार्यो की मजदूरी सीधे मजदूरो के खातो मे अन्तरित न कर तत्कालीन कार्य प्रभारी को किया गया है, जो पूर्ण रूप से अनियमित रहा। इस प्रकार रू0 2,09,459.00 मजदूरी का अनियमित भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुदामा सिंह यादव एवं लेखाकार श्रीजितेंद्र कुमार व श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-9)

प्रस्तर-25 सांसद निधि मद में कराये गये निर्माण कार्यो की मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरो के खातो में अन्तरित न कर कार्य प्रभारी को किया गया है, जो पूर्ण रूप से अनियमित रहा। इस प्रकार रू0 1,33,676.00 मजदूरी का अनियमित भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सुदामा सिंह यादव एवं लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार व श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-10)

5-क्षेत्र पंचायत – सकलडीहा
विकास क्षेत्र – सकलडीहा
<u>वर्ष - 2021-2022</u>

प्रस्तर-26 क्षेत्र पंचायत सकलडीहा की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित वित्तीय अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिसके निस्तारण हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-

वर्ष आलेच्य में विधायक निधि से कराये गये कार्य क्रमशः दुगौली में पुलिया निर्माण व फुल्ली में मण्डी समिति के पास बाहा पर पुलिया निर्माण पर मजदूरी भुगतान रू0 54,100.00 व रू0 30420.00 कुल रू0 84,520.00 का भुगतान चेक सं0 06630 दि0- 07.01.22 एवं 06632 दि0 07.01.22 से कार्य प्रभारी श्री संजय यादव, ग्रा0पं0अ0 को करके वित्तीय अनियमितता की गई है जिसका उत्तरदायित्व ख0वि0अ0 श्री गुलाब चन्द्र एवं लेखाकार श्री विजय कुमार एवं कार्यप्रभारी श्री संजय यादव का रहा। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-2)**

प्रस्तर-27 वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त से कराये गये विभिन्न कार्यो की कार्य पत्रावलियां बार-बार मांग के पश्चात् भी प्रस्तुत नही की गई जिसका विवरण निम्नवत् है-

1-राज्य वित्त

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**सामग्री व्यय**	**श्रमांश व्यय**	**योग**
1	वर्थरामें तालाब पर सीढ़ी व घाट निर्माण	846848	53200	9,00,048
2	मधुवन मेट रोड से अदालत दूबे के घर तक खड़न्जा निर्माण	796391	21280	817671
3	खोर रमेश साव के घर से रघु के घर तक साइड वाल व इण्टर लाकिंग व नाली	852793	129624	982417
4	सकलडीहा अली नगर मार्ग से भार मरू मौर्य के घर तक नाली साइडवाल इ0ला0	856314	-	856314
5	बरठी में सैयद राजा मार्ग से जोखूराम के घर तक खड़न्जा मरम्मत	425947	-	425947
6	सहरोई में अलीनगर मेंन इ0ला0 से बड़की नहर तक साइडवाल नाली व इ0ला0	851058	-	851058
7	उकनी पाल राय (मनिहरा)मुख्य सड़क से हवलदार के घर तक साइडवाल इ0ला0	116649	-	116649
	योग -	**47,46,000**	**204104**	**49,50,104**

2- केन्द्रीय वित्त

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**सामाग्री व्यय**	**श्रमांश व्यय**	**योग**
1	लेहरा मण्डी में भोगल यादव के घर से त्रिवेणी यादव के घर तक नाली व इ0ला0 कार्य	200732	-	200732
2	नागेपुर मेन रोड से गिरधारी के घर तक साइडवाल/इ0ला0	838295	144344	982639
3	छित्तमपुर में सगरनाथ के घर से श्रवणराम के घर तक इ0ला0 कार्य	881569	111564	993133
4	खोर मे पप्पू सिंह से डब्लू के घर तक साइडवाल/ इ0ला0	836817	-	836817
5	डैना मे मुख्य मार्ग से राजभर बस्ती तक नाली/इ0ला0/साइडवाल	280014	-	280014
6	कोरी नर्व देश्वर के घर से शिवपूजन के घर तक साइडवाल/ इ0ला0	861434	-	861434
7	खगवल मेन रोड से तालाब तक सा0वा0/इ0ला0/नाली	825189	-	825189
8	चांदपुर मे सी0सी0 रोड से मनोज के खेत तक इ0ला0/सा0वा0	778030	-	778030
	योग -	**55,02,080**	***2,55,908***	**57,57,988**

अतः राज्य वित्त से रू0 49,80,104.00 एवं केन्द्रीय वित्त से रू0 57,57,988.00 अर्थात् कुल व्यय रू0 1,07,38092 की कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गई है जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री गुलाब चन्द्र तथा लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0 सं0-3)

प्रस्तर-28

1- वर्ष आलोच्य की अनु0पं0-2 के अनुसार राज्यवित्त मद से कुल रू0 1,36,66,433.00 का भुगतान फर्मो को सामग्री हेतु किया गया है किन्तु फर्मो से नियमानुसार जमानत की कटौती नही की गई है। लेखा परीक्षा गणना के अनुसार कुल भुगतान रू0 1,36,66,433.00 पर 8% की दर से रू0 10,93,315.00 जमानत की कटौती न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री गुलाब चन्द्र व लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-4)**

2- वर्ष आलोच्य में केन्द्रीय वित्त आयोग से कुल रू0 2,23,43,936.00 सामाग्री मद पर विभिन्न फर्मो को भुगतान किया गया है जिस पर नियमानुसार 8% की दर से जमानत राशि रू0 17,87,515.00 होती है जबकि रू0 71,774.00 ही लिया गया है। इस प्रकार रू0 17,15,741.00 कम जमानत की कटौती कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री गुलाब चन्द्र एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-6)**

प्रस्तर-29 वर्ष आलोच्य में केन्द्रीय वित्त आयोग से कराये गये निम्न कार्यो की पत्रावली से स्पष्ट हुआ कि मेंा श्याम कन्सट्रक्सन द्वारा प्रस्तुत बिलो से कटौतियो के पश्चात् भुगतान रू0 25,941.00 अधिक कर धन का अपहरण किया गया जिसके लिए ख0वि0अ0 श्री गुलाब चन्द्र व लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं	कार्य का नाम	बिल सं0	तिथि	धनराशि	टी0डी0 एस0	जी0एस0 टी0	रायल्टी	किया गया भुगतान	भुगतान जो होना चाहिए	अधिक भुगतान
1	दुगौली में वृजनाथ के घर से राम जी के घर तक इ0ला0 कार्य	36	20.11.20	247800	6191.50	6191.50	166	297014	291061	5953
		37	20.11.20	55810	-	-	-	-	-	-
2	बरठी मे राजेश के घर से अवधेश के घर तक सीवर नाली व सी0सी0कार्य	38	20.11.20	214557	7554.50	7554.50	9005	353599	333611	19988
		39	20.11.20	143168	-	-	-	-	-	-
	योग-			**6,61,335**	**13746**	**13746**	**9171**	**6,50,613**	**6,24,672**	**25,941**

(आ0 सं0–5)

प्रस्तर-30 वर्ष आलोच्य में के0वि0आ0 मद के अन्तगत कराये गये विभिन्न कार्यो पर फर्मो को सामाग्री हेतु भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं	कार्य का नाम	फर्म का नाम	धनराशि	जी0एस0टी0 कटौती	टी0डी0एस0 कटौती
1	लेहरा सड़क से काली मन्दिर तक इंटर लाकिंग	सद्गुरू कंन्स0	75456	1509	1509
2	सदलपुरा में दयालपुर महाविद्यालय से संघती सम्पर्क मार्ग तक सा0वा0/इ0ला0	श्याम कंन्स0	467041.73	9341	9341
3	लेहरा मण्डी से भोवल यादव के घर से त्रिवेणी यादव के घर तक नाली/इ0ला0	सद्गुरू कंन्स0	200732	4015	4015
4	तुलसी आश्रम से मेन रोड से चन्द्रिका के घर से होते हुए गन्दा नाला तक सीवर चैका कार्य	श्याम कंन्स0	216443	4329	4329

5	फुल्ली मे राधेश्याम के घर से निर्मल तिवारी के घर तक इ0ला0	श्याम कंन्स0	389498	7790	7790
6	सदलपुरा में प्रा0वि0 से प्रमोद सिंह के फार्म तक मि0/खडन्जा	श्याम कंन्स0	281101.67	5622	5622
7	तुलसी आश्रम से सकलडीहा रोड तक मि0/ख0	श्याम कंन्स0	304662	6093	6093
		योग-		**38699**	**38699**

उपरोक्तानुसार किए गए भुगतान के सापेक्ष जीएसटी रू0 38699 तथा टीडीएस रू0 38699.00 कुल रू0 77,398.00 की कटौती न कर फर्मो को अधिक भुगतान करके राजकीय धन का दुरूपयोग ख0वि0अ0 श्री गुलाब चन्द्र एवं लेखाकार श्री विजय कुमार द्वारा किया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-7)**

प्रस्तर-31 विधायक निधि मद में वर्षान्त में 2,05,882.60 अवशेष रहा जिसे अप्रयुक्त रह जाने की दशा में सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न कर वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन किया गया है। इस वित्तीय अनियमितता के लिए ख0वि0अ0 श्री गुलाब चन्द्र एवं लेखाकार श्री विजय कुमार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-8)**

6-क्षेत्र पंचायत – नियमताबाद
विकास क्षेत्र – नियमताबाद
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर-32 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय पर व्यय रू0 11407742.85 रहा, इस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रू0 228155.00 आयकर की कटौती किया जाना अपेक्षित है।लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके आयकर की कटौती नहीं करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह व श्री ज्वाला प्रसाद एवं लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 उ0प्र0 भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 की उपधारा-2 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित समस्त निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में कुल निर्माण लागत का 1प्रतिशत की दर से उपकर की वसूली का प्रावधान है। जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल व्यय 12904116.85 पर कोई भी श्रम उपकर नहीं काटा गया है, अतः रू0 129041.16 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह व श्री ज्वाला प्रसाद एवं लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया, कि वर्षात में रू0 336721.00 की जी0एस0टी0 कटौती राजकीय कोषागार में जमा कराई जानी शेष है। इस प्रकार राजकीय धन 336721.00 को रोक कर रखा जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्रीमती रक्षिता सिंह व श्री ज्वाला प्रसाद एवं लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

7-क्षेत्र पंचायत – शहाबगंज
विकास क्षेत्र – शहाबगंज
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर-**35** टी**0**डी**0**एस**0/**जी**0**एस**0**टी**0** मद के अन्तर्गत दि**0 01.04.2021** को प्रारम्भिक अवशेष रू**0** 253028.00 रहा तथा वर्ष के दौरान कुल रु**0** 552338.00 की कटौती की गयी। किन्तु वर्ष में कोई धनराशि कोषागार में जमा नही किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को इस मद में रू**0** 805366.00 अन्तिम अवशेष रहा । टी**0**डी**0**एस**0/**जी**0**एस**0**टी**0** अवशेष रु**0** 805366.00 कोषागार में जमा न

कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है**,** जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। जीएसटी मद की धनराशि रु**0** 805366.00 कोषागार में जमा कराये जाने के साथ ही उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-2)**

प्रस्तर-36 रायल्टी मद में प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01.04.2021 को रू 294005.00 रहा। वर्ष के दौरान कुल रु0 57168.00 की कटौती की गयी। किन्तु वर्ष में कोई धनराशि कोषागार में जमा नही किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को इस मद में रू0 351173.00 अन्तिम अवशेष था। रायल्टी अवशेष रु0 351173.00 कोषागार में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या उत्तरदायी रहे। रायल्टी मद की धनराशि रु0 351173.00 कोषागार में जमा कराये जाने के साथ ही उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-3)**

प्रस्तर-**37** वर्ष **2021-22** में ग्राण्ट रजिस्टर-**3** अपूर्ण पाया गया। प्रविष्टियां माह जुलाई **2021** से प्रारम्भ कर माह मार्च **2022** तक की गयी हैं। माह अप्रैल **2021** से जून **2021** तक का प्रा**0** शेष**,** आय**,** व्यय एवं अवशेष ग्राण्ट रजिस्टर-**3** में लेखा अंकित नही किया गया है और न ही इस अवधि का लेखा ग्रान्ट रजिस्टर-**2** में किया गया है। ग्राण्ट रजिस्टर-**3** में अंकित माह जुलाई **2021** का सभी मदों का प्रारम्भिक शेष रु**0 18481277.93** पुष्टिकृत नही है। अनुदान रजिस्टर तैयार न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन लेखा कार श्री जितेन्द्र प्रसाद जिम्मेदार रहे। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मजीत सिंह अपने पर्यवेक्षणीय दायित्व के प्रति उदासीन रहे। ग्राण्ट रजिस्टर-**3** अद्यतन पूर्ण कराकर प्रारम्भिक अवशेष की पुष्टि कराया जाना चाहिये तथा उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ 0 सं0-6)

प्रस्तर-38 लेखा परीक्षा में निम्नांकित मदों में ग्राण्ट रजिस्टर-3 में गणना में हुई त्रुटि के कारण अन्तिम अवशेष में भिन्नता पायी गयी-

मद	**ग्राण्ट रजिस्टर-3 के अनुसार अन्तिम अवशेष**	**उपरोक्त तालिका के अनुसार अन्तिम अवशेष**	**अन्तर**
टी0डी0एस0	806366.00	805366.00	+1000.00 (माह मार्च के योग में अन्तर)
राज्य वित	2313305.77	2342527.77	-29222.00 (माह फरवरी के योग में अन्तर)
जमानत	1973871.00	1973651.00	+220 (माह नवम्बर में रु0 200 तथा जनवरी में रु0 20 का अन्तर)
केन्द्रीय वित्त	5736783.00	5539241.00	+197542 (माह अक्टूबर के योग में अन्तर)
अंतर का योग			**+ 169540**

इस प्रकार ग्राण्ट रजिस्टर-3 में विभिन्न मदों का अवशेष त्रुटिपूर्ण गणना करके रु0 169540.00 से अधिक दर्शित कर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है जो घोर लापरवाही एवं राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्य उत्तरदायी रहे। अन्तर का समाधान एवं उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्व विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-6)**

8-क्षेत्र पंचायत – चकिया
विकास क्षेत्र – चकिया
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर-39 **राज्य वित्त आयोग-** अनुदान पंजिका भाग- तीन के अनुसार इस शीर्ष में रू 5092548.00 व्यय किया गया है। उक्त अनुदान से मुजफ्फरपुर में हन्तू बाबा के घर से पुरानाडीह तक खड़न्जा कार्य विकास खण्ड परिसर में चहारदिवारी मरम्मत लोहरपुरवा हिनौती में छब्बन के घर से विनोद के घर तक नाली निर्माण कार्य हिनौती दक्षिणी में नूर मुहम्मद के घर से नसरूल्ला के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य गनेशपुर मेन रोड से शिवबहादुर के द्वार से लालबहादुर के घर तक साइड वाल सी0सी0 निर्माण कार्य इत्यादि कार्य अनुदान पंजिका भाग-दो के अनुसार कराया गया है। परन्तु सम्प्रेक्षण में उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पंत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राक्कलन निविदाकर्ताओं के नाम स्वीकृत निविदा सामग्री क्रय प्रमाणक मजदूरी का मस्टर रोल मापन पंजिका साइन बोर्ड फोटोग्राफ टेण्डर आमंत्रण की तिथि टेण्डर खोले जाने की तिथि एवं अन्य संलग्नकों की जाँच एवं सम्बन्धित जानकारी संभव नहीं हो सकी। निर्माण कार्य पंत्रावली एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित साक्ष्य सम्प्रेक्षण में अप्राप्त रहने के कारण दर्शित व्यय रू 5092548.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(आ0 सं0-3)

प्रस्तर-40 **केन्द्रीय वित्त आयोग-** अनुदान पंजिका भाग - तीन के अनुसार इस मद में रू0 6939821.00 उपभोग किया गया हैं। अनुदान पंजिका भाग- दो के अनुसार उक्त अनुदान से वर्ष में धनावल कला में राम अधार के घर से विजय चौहान के घर तक नाली निर्माण, मुजफ्फरपुर में सुदामा के खेत से पुरानाडीह तक नाली निर्माण, मुजफ्फरपुर में उमेश के घर से बुद्ध मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण, इन्दुपुरवा में धनावल माइनर के गुल से साइडवाल, प्रीतपुर लतीफशाह पर टिन शेड के नीचे साइड वाल, सी0सी0 निर्माण चकिया में महिला अस्पताल के पास सी0सी0 इण्टर लाकिंग इत्यादि कार्य कराया गया है। उल्लेखनीय हैं कि लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे कार्य योजना टेण्डर आमंत्रण एवं खोले जाने की तिथि निविदाकर्ताओं के नाम स्वीकृत निविदा, प्राक्कलन, सामग्री क्रय प्रमाणक, मस्टर रोल, मापन पंजिका, साइन बोर्ड, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य संलग्नकों की जाँच एवं सम्बन्धित जानकारी सम्भव नहीं हो सकी। निर्माण कार्य पत्रावलियाँ एवं अन्य व्यय से सम्बद्ध साक्ष्य सम्प्रेक्षण में प्रस्तुत नही किये जाने के कारण दर्शित व्यय रू 6939821.00 अनियमित व्यय है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-4)**

प्रस्तर-41 **विधायक निधि-** अनुदान पंजिका भाग-तीन के अनुसार विधायक निधि से रू 1241405.00 व्यय किया गया है। अनुदान पंजिका भाग- दो अनुसार उक्त निधि से चितोड़ी में बब्बन राम के घर से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 नाली निर्माण चितौड़ी में रज्जू के घर से मेन रोड तक सी0सी0 नाली निर्माण उतरौत में गौरख के घर से शिवराज के घर तक सी0सी0 निर्माण चितौड़ी में रज्जू के घर से मोनू पाठक के बाउन्ड्री तक सी0सी0 नाली निर्माण इत्यादि कार्य कराया गया दर्शित है। परन्तु सम्प्रेक्षण में निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य योजना टेण्डर आमंत्रण एवं खोले जाने की तिथि निविदाकर्ताओं के नाम स्वीकृत निविदा सामग्री दरों का

तुलनात्मक चार्ट सामग्री क्रय प्रमाणक मस्टर रोल प्राक्कन मापन पंजिका फोटोग्राफ साइन बोर्ड कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य संलग्नकों की जाँच एवं सम्बन्धित जानकारी सम्भव नहीं हो सकी। निर्माण कार्य पत्रावलियाँ एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित साक्ष्य सम्प्रेक्षण में अप्राप्त रहने के कारण दर्शित व्यय रू 1241405.00 अनियमित व्यय है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-5)

प्रस्तर-42 **सांसद निधि-** अनुदान पंजिका भाग-तीन के अनुसार सांसद निधि से रू 334009.10 व्यय किया है। अनुदान पंजिका भाग-दो के अनुसार उपरोक्त निधि से सोनहुल मेन रोड से राजाराम के घर तक सी० सी० कार्य देवतापुर मे पियुष दुबे के घर से सुरेश दुबे के घर तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य भलुआ भिलौड़ी मे मेन रोड से होते हुए सत्यदेव के खेत तक साइडवाल इत्यादि निर्माण कार्य दर्शित है परन्तु निर्माण कार्य पत्रावली आडिट में अप्राप्त रहने के कारण सम्बन्धित जाँच एवं जानकारी नहीं हो सकी। निर्माण कार्य पत्रावली एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण दर्शित व्यय रू 334009.10 लेखा परीक्षा में अनियमित व्यय आंकलित की जाती है उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-6)**

प्रस्तर-43 **मनरेगा प्रशासनिक मद-** अनुदान पंजिका भाग-तीन के अनुसार इस मद में रू 1803819.00 उपभोग किया गया है। इस मद से मनरेगा सम्मेलन पर व्यय कार्मिक इ.पी० एफ० कटौती एवं ब्याज की धनराशि सन्ड्री एकाउन्ट मे जमा दर्शित है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित साक्ष्य लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः दर्शित व्यय रू 1803819.00 अनियमित है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-7)**

प्रस्तर-44 **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-** अनुदान पंजिका भाग-तीन के अनुसार इस शीर्ष में 6490014.00 व्यय किया गया है। इस धनराशि का व्यय सामूहिक विवाह मे जोड़े का गिफ्ट का सामान आपूर्ति में प्रोत्साहन की राशि उनके खाते में आर० टी० जी० एस० के माध्यम से ट्रान्सफर करने में साउन्ड टेण्ट लन्च इत्यादि पर व्यय अनुदान पंजिका भाग-दो में दर्शाया गया है। सम्प्रेक्षण में सामूहिक विवाह मे शामिल जोड़ो की सूची एवं पत्रावलि प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त दर्शित व्यय रू 6490014.00 अनियमित है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-8)**

प्रस्तर-45 **जी०एस०टी०**– दिनांक 01.04.21 को इस मद में प्रा० शेष रू 315560.00 रहा। वर्ष में उक्त मद में रू 3198.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिनांक 31.03.22 को उक्त शीर्ष में रू 318758.00 दर्शित हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त धनराशि दिनांक 31.03.22 तक राजकीय कोषागार में जमा कर देना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतः रू० 318758.00 राजकीय धन संस्था द्वारा रोक कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। उक्त के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-9)**

प्रस्तर-46 **टी०डी०एस०-** दिनांक 01.04.21 को अनुदान पंजिका भाग-तीन के अनुसार इस मद रू 315560.00 रहा। वर्ष में मात्र रू 3198.00 टी० डी० एस० कटौती अनुदान पंजिका में दर्शित है। इस प्रकार दिनांक

31.03.22 को उक्त मद में रू 318758.00 अवशेष दर्शित है। उक्त धनराशि दिनांक 31.03.22 तक राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है। संस्था द्वारा राजकीय धनराशि रू 318758.00 रोककर रखा जाना अनियमित है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आसं-10)**

प्रस्तर-47 **रायल्टी-** दिनांक 01.04.21 को रायल्टी मद में प्रा० शेष रू 17637.00 रहा। अनुदान पंजिका के अनुसार रायल्टी कटौती से प्राप्त एवं कोषागार में जमा धनराशि शुन्य रहा। इस प्रकार वर्ष में रायल्टी की कटौती नहीं किया जाना एवं पूर्व में कटौती की धनराशि रू 17637.00 दिनांक 31.03.22 तक संस्था द्वारा रोककर रखा जाना लेखा परीक्षा मत में अनियमितता हैं जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह, श्री सुदामा सिंह यादव व श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं लेखाकार श्री अंजनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-11)**

9-क्षेत्र पंचायत –चहनिया
विकास क्षेत्र – चहनिया
वर्ष - 2021-2022

प्रस्तर-48 आयकर कटौती -- आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 (सी) के अनुसार शासकीय अनुदान से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने के उपरांत ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है । आयकर की कटौती एवं काटी गई धनराशि को निर्धारित समय के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम तिथि को लेखा शीर्षक- 21 में जमा किए जाने में विफल रहने के पर आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदाई रहे।

आलोच्य वर्ष में निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री आपूर्ति के बिलों से टीडीएस नहीं काटा गया है :-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	बिल का विवरण	टी०डी०एस०
1	हृदयपुर में पंचायत भवन से प्रमोद कुशवाहा के खेत तक सी०सी० रोड निर्माण	स्वास्तिक एंटरप्राइजेज दिनांक 07.11.21 रुपया 648331.00	12967.00
2	चहनिया धानापुर मार्ग से अतुल मिश्रा के घर तक सी०सी०/ इंटरलॉकिंग कार्य	(i)बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 22.11.21 रुपया 697896.00 (ii) बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 06.12.21 रुपया 95471.00	13958.00 1909.00
3	चहानिया में पृथ्वीराज सिंह के घर से मेंन रोड तक सी०सी०/ इंटरलॉकिंग कार्य	(i) बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 06.11.21 रुपया 288509 (li)बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 12.11.21 रुपया 120136.00	5770.00 2403.00
4	नैढी में मेंन रोड से ग्राम में जाने के लिए सी०सी ०रोड/ इंटरलॉकिंग कार्य	(i)मेसर्स हर हर महादेव एंटरप्राइजेज दिनांक 05.11.21 रुपया 115477.00	2310.00 4779.00

		(ii) मेसर्स हर हर महादेव एंटरप्राइजेज दिनांक 25.1 1.21 रुपया 238926.00	
5	सोनबरसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इंटरलॉर्किंग कार्य	i)मेसर्स बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 05.11.21 रुपया 481842.00 (ii)मेसर्स बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 13.1 1.21 रुपया 329964.00	9637.00 6599.00
6	सोनबरसा में जुड़ा हरधन मार्ग से हनुमान जी के मंदिर तक सी०सी० रोड निर्माण	मेसर्स बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 01.01.22 रुपया 847024.00	16940.00
7	चहनियाॅ में पृथ्वीराज सिंह के घर से मेंन रोड तक नाली निर्माण	मेसर्स बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 06.11.21 रुपया 8873 4.00	1775.00
8	जुड़ा हरधन में नहर पर पुलिया निर्माण कार्य	स्वास्तिक एंटरप्राइजेज दिनांक 06.11.21 रुपया 363236.00	7265.00

9	अजगर। में राजाराम के घर से विनोद यादव के घर तक सी०सी०/ इंटरलॉर्किंग कार्य	स्वास्तिक एंटरप्राइजेज दिनांक 14.1 1.21 रुपया 581005.00	11620.00
10	सोनबरसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जिर्णोद्धार कार्य	बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 1 0.11.21 रुपया 324294.00	6486.00
11	रमौली में पप्पू मौर्य के घर से मिश्री राम के घर तक ढक्कनदार नाली/ सी०सी० रोड/ इंटरलॉर्किंग	(i)स्वास्तिक एंटरप्राइजेज दिनांक 2 0.11.21 रुपया 447383.00 (ii)स्वा।स्तिक एंटरप्राइजेज दिनांक 28.1 1.21 रुपया 228535.00	8948.00 4571.00
12	सोनबरसा में शंकर जी के मंदिर से मारूका माई मंदिर होते हुए सी०सी० रोड तक सी,सी० कार्य	स्वास्तिक एंटरप्राइजेज दिनांक 01.01.22 रुपया 356833.00	7137.00
13	बैराठ में भोला कनौजिया के घर से दशरथ पाल के घर तक सी०सी ०रोड/ इंटरलॉर्किंग कार्य	स्वास्तिक एंटरप्राइजेज दिनांक 10.1 1.21 रुपया 218140.00	4363.00
14	सोनबरसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मदन सिंह के दलान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	काशिका कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर दिनांक 05.1 1.21 रुपया 211304.00	4226.00
15	खंडवारी बाजार सहित चौराहे पर सीमेंटेड ब्रेंच का निर्माण	महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज दिनांक 06.01.22 रुपया 25896 3.00	5179.00
16	महुआरी खास में शिवदुलार के घर के उतरी सिरे से शिवराम सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	(I)जय बजरंग कंस्ट्रक्शन दिनांक 06.11.21 रुपया 112935.00 (ii)जय बजरंग कंस्ट्रक्शन दिनांक 09.12.21 रुपया 381256.00	2259.00 7625.00
17	खोनपुर में छोटू मिश्रा के घर से नहर पुलिया तक खड़ंजा मरम्मत कार्य	मेसर्स बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिनांक 06.01.22 रुपया 155001.00	3100.00
18	चहानियाॅ विकासखंड परिसर में स्थित अधिकारी एवं प्रमुख कक्ष का मरम्मत कार्य	मेसर्स अभियंत्रण दिनांक 05.11.21 रुपया 353991.00	7080.00
19	विकास खंड परिसर में स्थित कर्मचारी एवं अधिकारी कक्ष में पेयजल, विद्युतीकरण कार्य	मेसर्स अभियंत्रण दिनांक 05.11.21 रुपया 222138.00	4443.00
20	विकास खंड परिसर में पार्क हेतु इंटरलॉर्किंग कार्य	मेसर्स अभियंत्रण दिनांक 05.11.21 रुपया 206076.00	4122.00
		योग ---	**167471.00**

इस प्रकार आयकर अधिनियम के अनुसार सामग्री आपूर्ति बिलों से स्रोत पर आयकर कटौती न कर रुपया 167471.00 से शासन को क्षति करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी उत्तरदाई हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-3)**

प्रस्तर-49 अनुबंध पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में प्रथम पक्ष खंड विकास अधिकारी एवं द्वितीय पक्ष विक्रेता फर्म के मध्य अनुबंध रुपया 10.00 के स्टांप पेपर पर किया गया ,संलग्न पाया गया, जबकि नियमानुसार दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध रुपया 100.00 के स्टांप पेपर पर किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में कुल 21 निर्माण कार्य पत्रावली उपलब्ध कराई गई । इस प्रकार किए गए कुल अनुबंध के हिसाब से रुपया 210.00 का स्टांप पेपर प्रस्तुत किया गया जबकि कुल 2100.00 मूल्य के स्टांप पेपर पर अनुबंध होना चाहिए था। इस प्रकार संस्था द्वारा रुपए 1890.00 मूल्य के कम स्टांप पेपर प्राप्त कर शासन को राजकीय राजस्व की क्षति करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी जिम्मेदार हैं । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-4)

प्रस्तर-50 राज्य वित्त आयोग-

1- बैंक स्टेटमेंट एवं अनुदान पंजिका भाग 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष में कुल रुपया 16491293.83 उपभोग किया गया है , जबकि संप्रेक्षषण में कुल रुपया 7631397.00 व्यय का निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत रहा । शेष धनराशि रुपया 8859896.83 की पत्रावलि प्रस्तुत न कर एवं अनुदान पंजिका-2 न तैयार कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी जिम्मेदार हैं । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-5-i)**

2- अनुदान पंजिका भाग 3 में राज्य वित्त आयोग निधि में दिनांक 01.04.21 को प्रारंभिक शेष 3175449.27 दर्शाया गया है ,जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उपरोक्त तिथि को प्रारंभिक शेष रुपया 4398192.83 रहा । इस प्रकार अनुदान पंजिका भाग 3 में बैंक स्टेटमेंट के सापेक्ष रुपया 1222743.56 प्रारंभिक शेष कम अनुदान दर्शायी गई है जो अनियमित है ,जिसके लिए लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या एवं खंड विकास अधिकारी श्री गुलाब चंद्र उत्तरदाई हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-5-ii)**

3- अनुदान पंजिका भाग 3 के अनुसार दिनांक 01.04.21 से 3 1.10.21 तक राज्य वित्त निधि में कुल रुपया 5484043. 00 अनुदान प्राप्त हुआ है ,जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उपरोक्त अवधि में कुल रुपया 5576421.00 अनुदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनुदान पंजिका में बैंक स्टेटमेंट के सापेक्ष रुपया 92378.00 कम अनुदान प्राप्त अंकित है ,जो अनियमित है , जिसके लिए लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्य ,श्री जितेंद्र कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री गुलाब चंद्र ,श्री ज्वाला प्रसाद एवं श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी जिम्मेदार हैं । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-5-iii)**

प्रस्तर-51 केंद्रीय वित्त आयोग -

1- बैंक स्टेटमेंट एवं अनुदान पंजिका भाग 3 के अनुसार वर्ष में उक्त निधि में रुपया 4010818.00 व्यय किया गया है, जबकि लेखा परीक्षा में कुल रुपया 908904.00 का निर्माण कार्य पत्रावली (सोनबरसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इंटरलॉकिंग कार्य पर व्यय रुपया 811221.00 एवं चहनिया में पृथ्वीराज के घर से मैंनरोड तक नाली निर्माण कार्य पर व्यय रुपया 97683.00 उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार शेष धनराशि रुपया 3101914.00 का कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अनुदान पंजिका-2 तैयार नहीं किया गया है ।

अतः संस्था द्वारा रुपया 3101914.00 का व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना लेखा परीक्षा में अनियमित आकलित की जाती है, जिसके लिए लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार एवं श्री अमित कुमार त्रिपाठी तथा खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी उत्तरदाई हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-6-i)**

2- अनुदान पंजिका भाग 3 में केंद्रीय वित्त आयोग निधि का 01.04.21 को प्रारंभिक शेष रुपया 6876829.00 अंकित है, जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रारंभिक शेष रुपया 7235213.00। इस प्रकार अनुदान पंजिका भाग 3 में बैंक स्टेटमेंट के सापेक्ष रुपया 358384.00 प्रारंभिक शेष कम दर्शाया गया है, जो अनियमित है, जिसके लिए लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या व खंड विकास अधिकारी श्री गुलाब चंद्र जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(आ0 सं0-6-ii)**

3-अनुदान पंजिका भाग 3 के अनुसार दिनांक 01.04.21 से 31.1 0.21 तक केंद्रीय वित्त निधि में कुल रुपया 7235666.00 अनुदान प्राप्त हुआ है, जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उपरोक्त अवधि में रुपया 7362981.00 अनुदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनुदान पंजिका में बैंक स्टेटमेंट के सापेक्ष रुपया 127315.00 अनुदान कम प्राप्त अंकित है ,जो अनियमित है एवं इसके लिए लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्या व श्री जितेंद्र कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री गुलाब चंद्र, श्री ज्वाला प्रसाद एवं श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी उत्तरदाई हैं । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-6-iii)**

प्रस्तर-52 राज्य वित्त निधि से खंडवारी बाजार सहित चौराहे पर सीमेंटेड ब्रेंच के निर्माण हेतु महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज को भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्रम संख्या	**प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि**	**संस्था द्वारा की गई कटौतियां**	**फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान**	**भुगतान का माध्यम व तिथि**
1	06.01.22 रुपया 258963.00 ब्रेंच 30 नग दर 8632.11	जीएसटी= 5179.00 जमानत= 20717.00 योग =25896.00	233067.00	पी०एफ० एम० एस० दिनांक 05.02.20 22

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत है :-

1-निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाओं के दरों में तुलनात्मक चार्ट के अनुसार उमरावती इंटरप्राइजेज द्वारा निविदा विभागीय दर पर , मां दुर्गा इंटरप्राइजेज द्वारा विभागीय दर से 15% अधिक दर पर एवं महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज द्वारा विभागीय दर से 20% अधिक दर पर सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा भरी गई। उमरावती इंटरप्राइजेज की निविदा विभागीय दर पर होने के कारण स्वीकृत भी की गई परंतु स्वीकृत निविदा की उपेक्षा करते हुए महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज से सामग्री क्रय की गई जिसका दर विभागीय दर से 20% अधिक रहा ,जो अनियमित एवं गंभीर आपत्तिजनक है। इस प्रकार महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज से उक्त सामग्री रुपया 43160.00 अधिक मे [रुपया 258963.00 -रूपया 215803.00 (विभागीय दर)] क्रय की गई एवं रुपया 42297.00 से संस्था को क्षति पहुंचाया गया। विवरण इस प्रकार है:-

--महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज से 20% अधिक दर पर सामग्री मूल्य = 258963.00

जी०एस०टी० 2%(-) 5179.00

=253784.00---(I)

-----विभागीय दर पर सामग्री मूल्य----------=215803.00

जी०एस०टी० 2%(-)=4316.00

=211487.00---(ii)

2- सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश मेसर्स उमरावती इंटरप्राइजेज को संबोधित है, परंतु सामग्री क्रय महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज से किया गया है ।

3- इस प्रकार संस्था को रुपया 43160.00 (i) ---(ii) से क्षति पहुंचाई गई है जिसमे रु0 42297.00 का अपहरण एवं अधिक जी0एस0टी0 जमा रु0 863.00 का दुरुपयोग किया गया है। निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः 11.10.21 एवं 20.10.21 है जो नियमत: नहीं है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय 3 सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए।

4- टेंडर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है।

5- चरित्र प्रमाण पत्र , हैसियत प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामग्री क्रय अनियमित रूप से किया गया है एवं रुपया 42297.00 का अपहरण एवं रुपया 863.00 का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी , खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी जिम्मेदार हैं । उत्तरदाई व्यक्तियों से आधा-आधा धनराशि अद्यतन ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-7)**

प्रस्तर-53 राज्य वित्त से ग्राम पंचायत हृदयपुर में पंचायत भवन से प्रमोद कुशवाहा के खेत तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य कराया गया है, जिसके लिए स्वास्तिक इंटरप्राइजेज को भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्रम संख्या	**प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि**	**संस्था द्वारा की गई कटौतियां**	**फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान**	**भुगतान का माध्यम व तिथि**
1	07.11.21 रुपया 648331..00	जीएसटी=12967.00 रॉयल्टी=12726.00 जमानत=51866.00.00 योग =77559..00	570772'.00	पी०एफ० एम० एस० दिनांक 12.12.21

मजदूरी- (i) दिनांक 04.11.21 से 01.1 2.21 रुपया 100532.00 पी०एफ०एम०एस० दिनांक 12.12.21 उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार हैं:-

(1) पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः दिनांक 11.10.21 एवं 20.10.21 रखा गया, जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय 3 सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए। नियमानुसार टेंडर भी दो समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है ,जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत की सीमा में आते हो।

(3)फोटोग्राफी के तीन चरणों का फोटोग्राफी पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(4)विगत 3 वर्षों में किसी योजना के अंतर्गत उपरोक्त कार्य को नहीं कराया गया है ,इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।

(5) चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र ,एम०एम०- 11 पत्रावली में संलग्न नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामग्री पर व्यय रुपया 570772.00 एवं मजदूरी पर व्यय रुपया 100532.00 कुल व्यय रुपया 671304.00 अनियमित है, जिसके लिए लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी, कार्य प्रभारी श्री संतोष कुमार मिश्र,स०वि०अ० (सांख्यिकी) एवं तकनीकी प्रभारी श्री वीरेंद्र कुमार, अवर अभियंता (ग्रा०अ०वि०) उत्तरदाई हैं । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0-8)

प्रस्तर-54 नैढी में मेंन रोड से नैढी ग्राम में जाने के लिए सी०सी० रोड/ इंटरलॉकिंग कार्य हेतु मेसर्स हर हर महादेव इंटरप्राइजेज को किए गए भुगतान का विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि	संस्था द्वारा की गई कटौतियां	फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान	भुगतान का माध्यम व तिथि
1	05.11.21 रुपया 115477..00	जीएसटी= 2310.00 रॉयल्टी=897.00 जमानत=14754.00. योग =17961..00	100723.00	पी०एफ० एम० एस० दिनांक 12.12.21
2	25.11.21 रुपया 238926..00	जीएसटी= 4779.00 रॉयल्टी=6737.00 जमानत=19114.00 योग =30630..00	208296.00	पी०एफ० एम० एस० दिनांक 30.01.22
		योग	**305812.00**	

मजदूरी से

(1) 05.11.21 से 19.11.21 रुपया 12564.00 पी०एफ० एम० एस० दिनांक 12.12.21

(2) 25.11.21 से 08.12.21 रुपया 47376.00 पी०एफ० एम० एस० दिनांक 13.01.22

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार हैं :-

1-निविदा आमंत्रण एवं खोलने का समय क्रमशः दिनांक 11.10.21 वह 20.10.21 रहा ,जो नियमत: नहीं है । क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय कम से कम तीन सप्ताह का होना चाहिए।

2-नियमानुसार टेंडर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है। समाचार पत्र (जनवार्ता) की मूल प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।

3- चरित्र प्रमाण पत्र,हैसियत प्रमाण पत्र,सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश, एम०एम०-11 पत्रावली में संलग्न नहीं है।

4- विगत 3 वर्षों में किसी योजना के अंतर्गत दर्शित कार्य को नहीं कराया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

5-उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत की सीमा में आते हैं

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सामग्री पर व्यय रुपया 305812.00 एवं मजदूरी पर व्यय रुपया 59940.00 कुल व्यय रुपया 365752.00 अनियमित है। उक्त के प्रति लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार ,श्री अमित कुमार त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी उत्तरदाई हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-9)**

प्रस्तर-55 केंद्रीय वित्त से ग्राम पंचायत सोनबरसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इंटरलॉकिंग कार्य हेतु मेसर्स बाबा कीनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी को भुगतान का विवरण इस प्रकार है:--

क्रम संख्या	प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि	संस्था द्वारा की गई कटौतियां	फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान	भुगतान का माध्यम व तिथि
1	05.11.21 रुपया 481842..00	जीएसटी= 9637.00 रॉयल्टी =718.00 जमानत= 38547.00. योग =48902..00	432940.00	पी०एफ० एम० एस० दिनांक 18.12.21
2	13.11.21 रुपया 329964..00	जीएसटी= 6599.00 रॉयल्टी =3563.00 जमानत= 26397.00 योग =36559..00	293405.00	पी०एफ० एम० एस० दिनांक 02.01.22
			योग-726345.00	

मजदूरी --

1 दिनांक 04.11.21 से 07.11.21 रुपया 4128.00 पी०एफ० एम० एस० दिनांक 21.12.21

2.दिनांक 08.11.21 से 21.11.21 रुपया 80748.00 पी०एफ० एम० एस० दिनांक 02.01.22

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार हैं :-

1-पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खोलने का समय क्रमशः दिनांक 11.10.21 वह 20.10.21 रहा ,जो नियमत: नहीं है । क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय कम से कम तीन सप्ताह का होना चाहिए। नियम।नुसार टेंडर का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है।

2-मस्टर रोल के अनुसार एवं मापन पंजिका के अनुसार कार्य प्रारंभ तिथि 04.11.21 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21.1.22 है, परंतु कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य प्रारंभ की तिथि 08.11.21 अंकित है । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर इंटरलॉकिंग कार्य की लंबाई व चौड़ाई का विवरण अंकित नहीं है ।

3-कार्य के तीन चरणों में से दो चरणों का -(१) कार्य प्रारंभ से पूर्व का व (२) कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं है।

4-विगत 3 वर्षों में किसी योजना के अंतर्गत दर्शित कार्य को नहीं कराया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

5-चरित्र प्रमाण पत्र,,हैसियत प्रमाण पत्र,सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश, एम ०एम०- 11 पत्रावली में संलग्न नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सामग्री पर व्यय रुपया 726345.00 एवं मजदूरी पर व्यय रुपया 84876.00 कुल व्यय रुपया 811221.00 अनियमित है। उक्त के प्रति लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी उत्तरदाई हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**(आ0 सं0-10)**

प्रस्तर-56 राज्य वित्त से ग्राम अजगर। में राजाराम के घर से विनोद यादव के घर तक सी०सी०/ इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु स्वास्तिक इंटरप्राइजेज को भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्रम संख्या	प्रमाणक का दिनांक एवं धनराशि	संस्था द्वारा की गई कटौतियां	फर्म को किया गया शुद्ध भुगतान	भुगतान का माध्यम व तिथि
1	14.11.21 रुपया 581005..00	जीएसटी= 11620.00 रॉयल्टी =2878.00 जमानत= 46480.00 योग =60978.00	520027.00	पी०एफ० एम० एस० दिनांक 11.01.22

(i) दिनांक 09.11.21 से 04.1 2.21 रुपया 65088.00 पी०एफ०एम०एस० दिनांक 11.01.22 उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्न।नुसार हैं:-

1-पत्रावली के अनुसार निविदा आमंत्रण एवं खुलने का समय क्रमशः दिनांक 11.10.21 एवं 2 0.10.21 रखा गया, जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 के टिप्पणी के अनुसार यह समय 3 सप्ताह से काम नहीं होना चाहिए। नियमानुसार टेंडर प्रकाशन दो समाचार पत्रों में नहीं किया गया है।

2- उपरोक्त दर्शित कार्य एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित है ,जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा उन्हीं कार्यों को कराया जाना चाहिए जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत की सीमा में आते हो।

3-फोटोग्राफी के तीन चरणों में से दो चरणों का --(१) कार्य प्रारंभ से पूर्व का (२) कार्य करते हुए श्रमिकों का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

4-चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र ,एम०एम०- 11 पत्रावली में संलग्न नहीं है ।

5-विगत 3 वर्षों में किसी योजना के अंतर्गत उपरोक्त कार्य को नहीं कराया गया है ,इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।

6-मस्टर रोल क्रमांकित एवं दिनांकित नहीं है तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सामग्री पर व्यय रुपया 520027.00 एवं मजदूरी पर वह रुपया 65088.00 कुल व्यय रुपया 585115.00 अनियमित है, जिसके लिए लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी उत्तरदाई हैं । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-11)**

प्रस्तर-57 लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका भाग 2 उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि संस्था में अनुदान पंजिका भाग 2 बनाया ही नहीं गया है। अतः निम्नांकित व्ययों का विवरण एवं व्ययों की पुष्टि के साक्ष्य अप्राप्त रहा:

क्रम संख्या	**अनुदान का नाम**	**धन राशि**
1	मनरेगा प्रशासनिक व्यय	89129.00

2	गोवंश आश्रय	1178640.00
3	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	446996.00
4	क्षेत्र निधि	4225072.00
	योग	5939837.00

इस प्रकार उपरोक्त मदों का व्यय विवरणहीन होने के कारण दर्शित व्यय रुपया 5939837.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती है, जिसके प्रति लेखाकार लेखाकार श्री अमित कुमार त्रिपाठी एवं खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी उत्तरदाई हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(आ0 सं0-12)**

प्रस्तर-58 टेंडर फॉर्म--- लेखा परीक्षा में कुल 21 निर्माण कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत की गई । निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु तीन निविदा फॉर्म भरे गए। इस प्रकार कुल भरे गए निविदा फार्मो से रुपया 63000.00 प्राप्त हुआ जिसका अंकन अनुदान पंजिका भाग 3 में नहीं करके रुपया 6300.00 (21 पत्रावली × प्रत्येक कार्य के तीन निविदा फार्म भरे गए × प्रत्येक निविदा फार्म की कीमत रुपया 1000.00) की अनियमितता की गई है , जिसके लिए लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-13)**

प्रस्तर-59 अनुदान पंजिका भाग 3 एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01.04.21 के प्रारंभिक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	मद का नाम	अनुदान पंजिका में दिनांक 01.04.21 को दर्शित धनराशि	बैंक स्टेटमेंट के अनुरुप 01.04.21 को प्रारंभिक शेष	अंतर
1	विधायक निधि	485352.00	536369.00	51017.00
2	गोवंश आश्रय	1252.00	2549.00	1297.00
3	क्षेत्र निधि	अंकित नहीं है	958634.29	958634.29
4	बि०डि०ओ०/ सहा० बि०डि०ओ०	अंकित नहीं है	29410.00	29410.00
5	एन०आर०एल०एम०	अंकित नहीं है	30379.18	30379.18
			योग	1070737.47

उपरोक्त विवरण के अनुसार बैंक स्टेटमेंट के सापेक्ष अनुदान पंजिका भाग 3 में दिनांक 01.04.21 को अनुदान या तो कम अंकित है या अंकित ही नहीं है । इस प्रकार अनुदान पंजिका में दिनांक 01.04.21 को प्रारंभिक शेष कम या अंकित नहीं करके रुपया 1070737.47 की अनियमितता की गई है, जिसके लिए लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्य एवं खंड विकास अधिकारी श्री गुलाबचंद उत्तरदाई हैं। समुचित विभाग के कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-14)**

प्रस्तर-60 अनुदान पंजिका भाग 3 (दिनांक 01.04.21 से 3 1.10.21तक) एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उपरोक्त अवधि में प्राप्त अनुदान में अंतर विद्यमान है ,जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**अनुदान पंजिका मै दिनांक 01.04.21 से 3 1.10.21 तक अंकित आय**	**बैंक स्टेटमेंट के अनुरुप 01.04.21 को प्रारंभिक शेष**	**अंतर**

1	विधायक निधि	शून्य	12124.00	12124.00
2	गोवंश आश्रय	590880..00	592691..00	1811.00
3	क्षेत्र निधि	अंकित नहीं है	892038.00	892038.00
4	बि०डि०ओ०/ सहा० बि०डि०ओ०	अंकित नहीं है	666.00	666.00
5	एन०आर०एल०एम०	अंकित नहीं है	222.00	222.00
			योग	**906861.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार बैंक स्टेटमेंट के सापेक्ष अनुदान पंजिका भाग 3 में 01.04.21 से 31.10.21 तक प्राप्त अनुदान कम अंकित है। इस प्रकार अनुदान पंजिका में उक्त अवधि में प्राप्त अनुदान कम दर्शित करके रुपया 906861.00 की अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश आर्य एवं खंड विकास अधिकारी श्री गुलाबचंद उत्तरदाई हैं। समुचित विभाग के कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-15)**

प्रस्तर-61 अनुदान पंजिका भाग 3 के प्रथम खंड(दिनांक 01.04.21 से 31.10.21 तक) में दिनांक 31.10.21 को दर्शित वित्तीय अवशेष का अंकन अनुदान पंजिका भाग 3 के दूसरे खंड में (दिनांक 01.1.21 से 31.03.22) अंकित नहीं किया गया है। विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	मद का नाम	अनुदान पंजिका भाग 3 में दिनांक 31.10.21 को दर्शित धनराशि
1	जमानत फर्म	1129980.00
2	टेंडर फॉर्म	71715.00
3	रॉयल्टी	159222.00
4	टी०डी०एस०	412456.00
5	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	63004.00
	योग	1836377.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार अनुदान पंजिका भाग 3 के प्रथम खंड में दिनांक 31.10.21 को दर्शित धनराशि को अनुदान पंजिका-3 के दूसरे खंड में दिनांक 01.11.21 से 31.03.22 तक में अंकित न करके रुपया 1836377.00 की अनियमितता की गई है, जिसके प्रति लेखाकार श्री जितेंद्र कुमार एवं श्री अमित कुमार त्रिपाठी एवं खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी उत्तरदाई हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(आ0 सं0-16)**

जनपद - गाजीपुर

जनपद - गाजीपुर संभाग - वाराणसी

नाम संस्था - क्षेत्र पंचायत **वर्ष - 2021-22**

1- क्षेत्र पंचायत - रेवतीपुर **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 1 अनुदान पंजिका तृतीय के अवलोकन से स्पष्ट है की वित्त वर्ष 2021-22 में आयकर की प्राप्ति रु० 646450.00 हुई है परंतु उक्त धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा-274(बी) के अनुसार काटे गये आयकर को जमा न करना आपराधिक कृत है। लेखा परीक्षा में काटे गये आयकर का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं रहा। आयकर की धनराशि रु० 646450.00 राजकोष में जमा न कर दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र व हरिशंकर प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राणा जिम्मेदार हैं। अत: रू० 646450.00 की ब्याजमय वसूली आहरण के अनुसार लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र व हरिशंकर प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राणा से आहरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र०-13)

प्रस्तर - 2 अनुदान पंजिका तृतीय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 में जी0एस0टी0 मद के अंतर्गत रु० 634314.00 की प्राप्ति हुई है परंतु उक्त धनराशि को राजकोष मे जमा न करके स्वयं संस्था के पास अवशेष धनराशि के रूप मे पड़ी है जो दुरुपयोग का प्रकरण है। माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत कटौती व जमा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र व हरिशंकर प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राणा जिम्मेदार हैं। अत: रु० 634314.00 की ब्याजमय वसूली आहरण के अनुसार लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र व हरिशंकर प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राणा से करायी जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र०-14)

प्रस्तर - 3 अनुदान पंजिका तृतीय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 में जमानत मद के अंतर्गत रु० 397824.00 की प्राप्ति हुई है परंतु उक्त धनराशि को संबंधित को वापस न करके स्वयं संस्था के पास रु० 397824.00 अवशेष धनराशि के रूप मे पड़ी है जो दुरुपयोग का प्रकरण है। इसके लिए लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र व हरिशंकर प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राणा जिम्मेदार हैं। अत: रु० 397824.00 की ब्याजमय वसूली आहरण के अनुसार लेखाकार श्री कौशल कुमार मिश्र व हरिशंकर प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राणा से करायी जानी अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-15)

2 - क्षेत्र पंचायत - मरदह **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 4 आयकर कटौती - वित्त पथ 2016 आहरण एवं वित्त्ारण अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व के उपबंध के बिन्दु 11 के अनुसार तथा आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा

194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों अथवा किसी काम के लिये श्रम की पूर्ति की प्रतिफल में किये गये भुगतान के सम्बन्ध में स्रोत पर आयकर की कटौती भुगतान की धनराशि पर 2.24% की दर से की जायेगी तथा काटी गयी आयकर की धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वित्त ारण अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा आयकर काटने वाले के द्वारा काटी गयी धनराशि को विलम्ब से जमा करने की दशा में 15% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि जमा करने की तिथि तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। यह ब्याज आयकर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा करने तक लगाया जायेगा।

आलोच्य वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि वर्ष 2020-21 में आयकर कटौती की धनराशि का प्रारम्भिक अवशेष रू० 44162.00 था तथा वर्ष में रू० 232931.00 आयकर कटौती की गयी व रू० 141423.00 आयकर सरकारी खजाने में जमा किया गया तथा 31.03.2021 को रू० 135670.00 कटौती की धनराशि सरकारी लेखा शीर्ष में जमा नहीं की गयी तथा वर्ष 2021-22 में कुल रू० 303178.00 आयकर की कटौती की गयी जिसे 31.03.2022 तक सरकारी लेखा शीर्ष में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार रु० 135670.00 + 303178.00 = 438348.00 आयकर कटौती की धनराशि सरकारी कोष में जमा नहीं की गयी तथा धनराशि का दुरुपयोग किया गया। इस दुरुपयोग के प्रति लेखाकार श्री रवी अव्वल व खण्ड विकास अधिकारी शिरीष वर्मा उत्तरदायी हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह धनराशि रू० 438348.00 लेखा परीक्षा समाप्ति तक सरकारी कोष में जमा नहीं की गयी। अतः यह धनराशि जब भी जमा की जाती है तो आयकर काटने की तिथि से आयकर कटौती की धनराशि जमा करने की तिथि तक 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेखाकर रवी अव्वल व खण्ड विकास अधिकारी शिरीष वर्मा से अतिरिक्त धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है। अत: प्रत्येक से आधी आधी धनराशि (रू० 219174.00) की वसूली ब्याज सहित कराया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-2)

प्रस्तर - 5 जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० कटौती- जी०एस०टी० प्रणाली के अन्तर्गत सी०जी०एस०टी० अधिनियम 2017 के अन्तर्गत धारा 15 में स्रोत पर कर कटौती के लिये प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया है। उ०प्र० में यह अधिनियम 01-10-2018 से प्रभावी है। इस सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर ने 26 सितम्बर 2018 को यह निर्देशित किया है कि समस्त सरकारी विभागों सरकारी एजेन्सियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा रू० 2.50 लाख से अधिक सप्लाई आदेश के विरूद्ध किये गये भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से सी०जी०एस०टी० तथा एक प्रतिशत की दर से एस०जी०एस०टी० की कटौती किया जाना अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष 2020-21 व 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि जी०एस०टी० की कटौती नियमानुसार 2% (सी०जी०एस०टी० ु-1% व एस०जी०एस००टी -1%) की दर से की थी है लेकिन यह कटौती की धनराशि निम्न विवरणानुसार जमा नहीं की गयी है।

वर्ष 2020-21 में जी०एस०टी० कटौती की धनराशि का प्रारम्भिक अवशेष रू० 396032.00 था वर्ष में रू० 207971.00 की जी०एस०टी० की कटौती की गयी तथा रु० 165723.00 जी०एस०टी० कटौती की धनराशि सरकारी कोष में जमा की गयी। इस प्रकार रू० 438280.00 दिनांक 31-03-2021 को जी०एस०टी० कटौती की धनराशि सरकारी कोष में जमा नहीं की गयी पुनः वर्ष 2021-22 में रू० 279217.00 जी०एस०टी० की कटौती हुई इसे भी सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार कुल रू० 717497.00 जी०एस०टी० कटौती की धनराशि को सरकारी कोष में जमा न कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। जिस प्रति लेखाकर श्री रवी कुमार अव्वल तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री शिरीष वर्मा उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से आधी-आधी धनराशि (रू० 358747.50 प्रत्येक से) मय ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-3)

प्रस्तर - 6 क्षेत्र पंचायत मरदह की वर्ष 2020-21 व 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि वर्ष 2020-21 में गोवंश भरण पोषण पर रू० 394530.00 तथा वर्ष 2021-22 में रु० 149160.00 कुल रू० 543690.00 गो-आश्रय स्थलों को गोवंश भरण पोषण हेतु हस्तान्तरित किया गया है। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा गो-आश्रय केन्द्रो से रू० 543690.00 के उपभोग का कोई प्रमाणक बिल/बाउचर प्राप्त नहीं किया गया है। और न ही गो-आश्रय केन्द्रों द्वारा लेखा परीक्षा में कोई उपभोग/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। जिससे रू० 543690.00 के अपहरण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रति लेखाकार रवी अव्वल तथा खण्ड विकास अधिकारी शिरीष वर्मा उत्तरदायी हैं। अतः प्रत्येक से आधी-आधी धनराशि (रू० 271845.00 प्रत्येक से) ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-4)

प्रस्तर - 7 उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 86 के अनुसार क्षेत्र पंचायत अपने विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करते हुए खण्ड विकास हेतु प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी जो किसी ग्राम विशेष में न होकर दो या दो से अधिक गाँवों के हितों को लाभान्वित करे। इसी प्रकार चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान के उपभोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिद्धान्त का निर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग तीन शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-3-2015 दिनांक 19 जून 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय क्षेत्र पंचायत की स्वयं की तथा उन्हें हस्तांतरित सम्पत्तियों यथा प्रा०स्वास्थ्य केन्द्र, पशुचिकित्सालय, कृषि तथा विपणन गोदाम, आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर अवश्य व्यय किया जायेगा। तथा शेष 50% धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने बाले पूर्व में हुए विकास कार्यो सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव एवं नये निर्माण कार्यों पर व्यय किया जायेगा।

लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत के परिसम्पत्ति सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहें जिस कारण मरम्मत एवं रख-रखाव सम्बन्धी गाइड लाइन की पुष्टि न की जा सकी। कराये गये निर्माण कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2020-21 व 2021-22 में निम्न विवरणानुसार कार्य एक ही ग्राम पंचायत से सम्बंधित है तथा राज्य वित्त एवं पन्द्रहवाँ वित्त से प्राप्त धनराशि का मनमाने ढंग से व्यय कर शासनादेश के विपरीत रू० 5838526.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये लेखाकार श्री रवी अव्वल तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री शिरीष वर्मा उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0 सं0	**वर्ष**	**कार्य का नाम**	**भुगतान की धनराशि**
1	2020-21	रानीपुर में चट्टी से धर्मेन्द्र सिंह के घर तक सी सी रोड	954830.00
2	2020-21	घरिहा में सत्येन्द्र सिंह के बैठक वशिष्ट सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	480859.00
3	2020-21	रुहीपुर मे मोहन प्रजापति के घर से रामा पाण्डेय के घर तक मिट्टी खड़ंजा	55539.00
4	2020-21	रानीपुर में पिच रोड से भवन यादव के घर तक मिट्टी खड़ंजा	322520.00
5	2020-21	डांडीकलाँ मे अजय के घर से कांता के घर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य	95602.00
6	2020-21	बिहरा में विजय पाण्डेय के घर से गोपाल पाण्डेय के खेत तक खड़ंजा	292454.00
7	2020-21	इकैथा बारी मे शिव यादव के घर से पारस यादव के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	433498.00
		योग	**2635302.00**
8	2021-22	रानीपुर में बच्चन सिंह के घर से बलवंत सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	930321.00
9	2021-22	हरहरी में दीना खरवार के घर से रमाशंकर सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	566081.00
10	2021-22	रानीपुर मे पिंटू के खेत से पोखरी तक ढक्कनदार नाली व सी०सी० रोड	874222.00
11	2021-22	नोनरा में राजनरायण सिंह के घर से रामबच्चन के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	284454.00
12	2021-22	अविसहन सी०सी० रोड से मनोज सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	548146.00
		योग	**3203224.00**

		वर्ष 2020-21 में	2635302.00
		वर्ष 2021-22 में	3203224.00
		योग	5838526.00

(सा०आ०सं०-5)

प्रस्तर - 8 क्षेत्र पंचायत मरदह की वर्ष 2020-21 व 2021-22 की लेखा परीक्षा मे प्रकाश मे आया की दिनांक 31-03-2022 को अनुदान पंजिका तृतीय में चेक सं0 9208 रु० 76210.00 दिनांक 07-11-2016 को भुगतान किया गया था लेकिन यह चेक अभी तक अनाहरित चेक के रूप में दर्शित किया जा रहा है। जबकि तीन माह बाद चेक निरस्त हो जाता है। अतः रु० 76210.00 का अनाहरित चेक दर्शाकर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिस प्रति लेखाकार श्री रवि अव्वल एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शिरीष वर्मा उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(सा०आ०सं०-20)

3 - क्षेत्र पंचायत - सादात ले०प० वर्ष - 2020-21 से 2021-22

प्रस्तर - 9 लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका तृतीय के आधार पर तैयार की गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्य वित्त एवं 15वां वित्त के सापेक्ष प्रमुख रूप से निर्माण कार्य में दर्शित व्यय की गयी धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार प्रकाश में आया। संस्था द्वारा इन दोनों योजनाओं में कितना व्यय किया गया है कोई विवरण प्रस्तुत नहीं रहा है।

क्र0सं0	वर्ष	15 वाँ वित्त/राज्य वित्त धनराशि जिनसे संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की गई	पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं
1	2020-21	8034528.00	17870956.00
2	2021-22	23128506.00	11496777.00
	योग	31163034.00	29367733.00

उपरोक्तानुसार राज्य वित्त एवं 15वां वित्त मद में दोनों वर्षों में निर्माण कार्यों में दर्शित व्यय की धनराशि रू० 29367733.00 की पुष्टि सम्बन्धित पत्रावलियों के अभाव में नहीं की जा सकी। प्रस्तुत कर दर्शित व्ययों की पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। अन्यथा की दशा में रू० 293637733.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अ० श्री गोपाल यादव, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री अनिल कुमार व श्री शिरीष वर्मा एंव लेखाकार मनोज सिंह व श्री अरविन्द गुप्ता से आहरण के अनुसार करायी जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-05)

प्रस्तर - 10 राज्य वित्त एवं 15वां वित्त के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्माण कार्यों में दर्शित व्ययों तथा प्रस्तुत पत्रवालियों के अनुसार आयकर, जी०एस०टी० एवं रायल्टी मद में वर्षवार की गई कटौतियों की स्थिति प्रकाश में आयी किन्तु राजकीय राजस्व की कटौती एवं उनके सापेक्ष राजकोष में जमा की गई धनराशियों का कोई विवरण अनुदान पंजी में अंकित नहीं है।

वर्ष	15 वाँ वित्त/राज्य वित्त योजना में दर्शित व्यय की कुल धनराशि	अपेक्षित जी.एस.टी. /आयकर न्यूनत की धनराशि		प्रस्तुत कटौतिया	पत्रावलियों में दर्शित राजस्व कटौतियाँ	
		आयकर	जी.एस.टी.	आयकर	जी.एस.टी.	वसूली
2020-21	25905484.00	518110.00	518110.00	174450.00	160607.00	38263.00
2021-22	34625283.00	692506.00	692506.00	233280.00	462557.00	174686.00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावलियों के अभाव में उपखनिजों तथा उनके सापेक्ष अपेक्षित रायल्टी की धनराशि का नियमन नहीं हो सका। धनराशि का निर्धारण कर रायल्टी मद की राजस्व मद की धनराशि राजकोष में जमा करायी जानी चाहिए।

उपरोक्तानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० मद में अपेक्षित धनराशियों तथा प्रस्तुत पत्रावलियों में दर्शित राजकीय राजस्व की धनराशियों के पश्चात शेष धनराशि रु० 1177389 की कटौती न कर भुगतान करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे।

वर्ष	आयकर/ जी.एस.टी. की अपेक्षित कुल धनराशि	पत्रावलियों से दर्शित राजस्व की कटौती की कुल धनराशि	कम की गई कटौती की धनराशि
2020-21	1036220.00	373320.00	662900.00
2021-22	1385012.00	870523.00	514489.00
		1243843.00	1177389.00

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पत्रावलियों में दर्शित राजकीय राजस्व की की गई कटौती की धनराशि रू० 1243843.00 के राजकीय कोष में जमा की पुष्टि नहीं करायी गयी। धनराशि रू० 1243843.00 रोक कर रखकर राजकीय राजस्व का दुरूपयोग किया जा रहा है। उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। अत: रू० 1243843.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अ० श्री गोपाल यादव, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री अनिल कुमार व श्री शिरीष वर्मा एंव लेखाकार मनोज सिंह व श्री अरविन्द गुप्ता से आहरण के अनुसार करायी जानी अपेक्षित है। (आ०सं०-06)

प्रस्तर - 11 लेखा परीक्षा अवधि 2020-21 एवं 2021-22 में अनुदान पंजी के आधार पर तैयार की गई सूचना के अनुसार अनुदान की धनराशियों के सापेक्ष कमाए गए सूद की धनराशियों तथा उसके उपभोग की स्थित निम्न प्रकार प्रकार में आयी।

वर्ष	ब्याज से दर्शित आय	ब्याज मद से दर्शित व्यय	वर्षांत शेष
2020-21	523694.00	-	1473395.00
2021-22	836349.00	640934.00	1668810.00

उपरोक्त की समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा योजनावार अनुदान की धनराशियों के सापेक्ष अर्जित ब्याज का विवरण एवं दर्शित व्यय का विवरण अलग-अलग योजनावार तैयार न कर एक ही शीर्ष ब्याज मद में समाहित कर लिया गया है। जो आपत्तिजनक है। उपरोक्त अवधि में कुल रु० 640934.00 का व्यय ब्याज के सापेक्ष (वर्ष 2021-22 में) दर्शित है। शासन के निर्देशानुसार जिस योजना के सापेक्ष अनुदान की धनराशि से ब्याज का अर्जन हुआ है वह उसी योजना के सापेक्ष अनुदान की धनराशि मानी गयी है। किन्तु योजनावार ब्याज के सापेक्ष व्यय की धनराशि का विवरण उपलब्ध न होने तथा इससे सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत न करने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वर्षान्त 31-03-2022 के ब्याज मद/अनुदान की अवशेष धनराशि रु० 1668810.00 को शासन को प्रत्यावर्तित न कर रोक रखकर दुरुपयोग किया जा रहा है। दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। अत: रु० 1668810.00 की मय ब्याज वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अ० श्री गोपाल यादव, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री अनिल कुमार व श्री शिरीष वर्मा एंव लेखाकार मनोज सिंह व श्री अरविन्द गुप्ता से आहरण के अनुसार करायी जानी अपेक्षित है।(आ०सं०-07)

प्रस्तर - 12 लेखा परीक्षा अवधि 2020-21 एवं 2021-22 में अन्य प्राप्तियों के सापेक्ष दर्शित व्यय की धनराशि रु० 1999855.00 की पुष्टि सप्बन्धित पत्रावलियों के अभाव में नहीं की जा सकी जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अ० श्री गोपाल यादव, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री अनिल कुमार व श्री शिरीष वर्मा एंव लेखाकार मनोज सिंह व श्री अरविन्द गुप्ता हैं। पत्रावलियां प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी चाहिए। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	**दर्शित व्यय की धनराशि**
2020-21	502921.00
2021-22	1496934.00
योग -	**1999855.00**

(आ०सं०-08)

प्रस्तर - 13 लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार गोवंश आश्रय स्थल मद में कुल रु० 1035808.00 व्यय दर्शित किया गया है जिससे सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गई। फलतः दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अ० श्री गोपाल यादव, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री अनिल कुमार व श्री शिरीष वर्मा एंव लेखाकार मनोज सिंह व श्री अरविन्द गुप्ता हैं।पत्रावलियां प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

वर्ष	**दर्शित व्यय की धनराशि**
2020-21	125820.00
2021-22	909988.00
योग	**1035808.00**

(आ०सं०-09)

प्रस्तर - 14 विगत वर्षों में आयकर मद में की गई कटौती की धनराशियों के 31-03-2021 एवं 31-03-2022 को रु० 25785.00 यथावत देय दर्शित किया गया है। आयकर की कटौती कर उसे राजकोष में जमा न कर रोक रखकर राजकीय राजस्व के दुरूपयोग हेतु आहरण वित्त्ारण अधिकारी/ कटौती करने वाले अधिकारी के विरूद्ध एफ०आई०आर० एवं राजस्व की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड लगाए जाने की दोनों कार्यवाही आयकर अधिनियम में व्यावस्थित है। आयकर की धनराशि रू० 25785.00 जमा न कर रोक रखने का दुरूपयोग करने का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का संयुक्त रूप से रहा। आयकर की धनराशि को समतुल्य अर्थदण्ड की धनराशि वसूल कर राजकोष में तत्काल जमा कराया जाना अपेक्षित है। अत: रू० 25785.00 की मय ब्याज वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अ० श्री गोपाल यादव, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री अनिल कुमार व श्री शिरीष वर्मा एंव लेखाकार मनोज सिंह व श्री अरविन्द गुप्ता से आहरण के अनुसार करायी जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-11)

प्रस्तर - 15 लेखा परीक्षा अवधि 2020-21 एवं 2021-22 में अनुदान पंजी पर अंकित विवरण के अनुसार बैंक एवं संस्था के बीच निम्नानुसार अंतर पाया गया। लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक / बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्ष	**संस्था के अनुसार अवशेष**	**बैंक**	**अंतर**
2020-21	22183819.26	22888441.71	704622.45
2021-22	21794880.76	22528783.21	733902.45

संस्था द्वारा बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया। अतः अंतर की धनराशि रू० 733902.45 के समाधान की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कर समाधन पुष्टित कराया जाना अपेक्षित है। अनुदान पंजी पर अंतर का कारण/निवारण निम्नानुसार दर्शित किया गया है।

क्र0 सं0	**चेक सं**	**दिनांक**	**धनराशि**	
1	5179	15-02-2012	2000.00	
2	7881	15-02-2012	2000.00	
3	5790	20-09-2013	20500.00	
4	5793	26-09-2013	14310.00	704623.45
5	387	02-04-2014	10000.00	
6	972	30-06-2020	20000.00	
7	विवरणहीन	-	635813.45	
8	67037	18-01-2022	29280.00	
		योग	733903.45	

उपरोक्तानुसार क्रमांक 1 से 7 पर अंकित कुल धनराशि रु० 704623.45 विगत वर्षों से यथावत वर्ष प्रतिवर्ष अंतर के रूप में दर्शित किया जा रहा है। बैंक द्वारा संस्था की अपेक्षा अधिक धनराशि से देयता दर्शित की जा रही है। कोई पार्टी/व्यक्ति/पक्ष कार्य करने के पश्चात अब तक बैंक भुगतान हेतु नहीं गया, यह असंभव है। कार्य करके भुगतान न लेने की स्थिति में भुगतान से सम्बन्धित कृत कार्यों तथा कृत कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत भुगतान की स्थिति पूर्णतया संदिग्ध है। लेखा परीक्षा की दृष्टि में यह दर्शित शेष उपरोक्त भुगतान पूर्णतया अवास्तविक है अथवा विवादित है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अ० श्री गोपाल यादव, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री अनिल कुमार व श्री शिरीष वर्मा एंव लेखाकार मनोज सिंह व श्री अरविन्द गुप्ता हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-12)

4 - क्षेत्र पंचायत - जखनिया **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 16 वर्ष 2021-22 में राज्यवित्त एवं 15वाँ वित्त (अनटाईड) शीर्ष अंतर्गत कराये गए समस्त कार्यों पर लेबर सेस की धनराशि ठेकेदार मेसर्स पार्थ कंस्ट्रक्शन के बिलो से कटौती नहीं की गयी। फिर भी लेबर सेस की धनराशि रु० 37475.00 दिनांक 03-01-2022 को ऑनलाइन माध्यम से श्रम विभाग को 15वीं वित्त शीर्ष से भुगतान किया गया है। यह स्थिति प्रमुख अभियंता (विकास) एवं

विभागाध्यक्ष लो० नि० वि० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 19 एम टी/ सामान्य वर्ग/ 40 एम टी-45/2017 दिनांक 19-12-17 में वर्णित व्यवस्था के विपरीत है।

अतः रु० 37475.00 लेबर सेस की धनराशि बिना ठेकेदार के बिलों से काटे ही श्रम विभाग को प्रेषित करने से क्षेत्र निधि के धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री सम्पत्ति कुमार व श्री कमलेश सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। अतः अंकित धनराशि रु० 37475.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से सामान रूप से ब्याज सहित करायी जानी अपेक्षित है। अत: रु० 37475.00 की मय ब्याज वसूली उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन लेखाकार श्री सम्पत्ति कुमार व श्री कमलेश सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव से सामान रूप से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 17 दिनांक 01-04-2021 को 15वाँ वित्त टाईड शीर्ष का प्रारम्भिक अवशेष रु० 4358127.00 था। वर्ष दौरान रु० 9381716.00 अनुदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल मिलाकर रु० 13739843.00 के सापेक्ष आलोच्य वर्ष का व्यय रु० 00.00 है। बजट की उपलब्धता के बावजूद कार्ययोजना तैयार कर कार्य सम्पादित न कराना यह दर्शाता है कि संस्था द्वारा जानबूझकर विकास कार्य में रुचि नहीं ली गयी है तथा अनुदान की धनराशि को बैंक खाते में अनियमित ढंग से रोक कर रखने से ब्याज अर्जित किया गया है। यह स्थिति लेखा परीक्षा दृष्टिकोण से नितान्त आपत्तिजनक है। यह स्थिति उ०प्र० क्षे०पं० तथा जिला पं० नि० का नि० 1984 की नियम सं०4 के उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के विपरीत है। अतः (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली -1965 के नियम सं-177 (1) के अनुसार नियत सीमा के भीतर सरकारी अनुदान का व्यय न करने के लिए ब्लॉक प्रमुख श्रीमती इन्दु देवी व खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। इनके विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

5 - क्षेत्र पंचायत -मुहम्मदाबाद ले०प० वर्ष - 2021-22

प्रस्तर - 18 अनुदान पंजिका-तृतीय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 में आयकर की प्राप्ति रु० 845758.00 हुई है। परन्तु उक्त धनराशि को राजकोष में जमा नही किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 274 (बी) के अनुसार 'काटे गये आयकर को जमा न करना आपराधिक कृत्य है। लेखा परीक्षा में काटे गये आयकर को नियमानुसार राजकोष में जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत नही रहा। आयकर की धनराशि रु० 845758.00 राजकोष में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इसके लिए लेखाकार श्री विनय राय व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील सिंह व श्री अनुराग राय जिम्मेदार हैं। इनके विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०क्र०-13)

प्रस्तर - 19 अनुदान पंजिका- तृतीय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 में जी०एस०टी० मद के अन्तर्गत रू० 755144.00 की प्राप्ति हुई। परन्तु उक्त धनराशि रू० 755144.00 को राजकोष में जमा न करके स्वयं संस्था के पास अवशेष धनराशि के रूप में पड़ी है। जो गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत कटौती एवं जमा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए लेखाकार श्री विनय राय व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील सिंह व श्री अनुराग राय जिम्मेदार हैं। इनके विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-14)

6 - क्षेत्र पंचायत - देवकली **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 20 वित्तीय वर्ष 2021-22 मे अनुदान पंजिका के अनुसार संस्था द्वारा रु० 155471.00 लेबर सेस की कटौती की गई है। कटौती के उपरांत दिनांक 26-03-2010 के आदेश के क्रम् में भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत होने वाले उपकार की प्राप्तियों को राष्टीकृत बैंक में जमा कराया जाना अपेक्षित है। लेकिन संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष मे इस धनराशि को जमा नहीं कराया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा व लेखाकार श्री दिवाकर पाण्डेय उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आ०सं०-02)

7 - क्षेत्र पंचायत - गाज़ीपुर (सदर) **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 21 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट रहा कि निम्नांकित कराये गये कार्य एक ही ग्राम सभा सीमा के अंतर्गत अवस्थिति है-

क्रमांक	कार्य का नाम	कुल भुगतान
1	ग्राम पंचायत महमूद दफफलपुर में रम्मन यादव के घर से मनीराम यादव के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	533688.00
2	ग्राम पंचायत नूरपुर में विजयी शर्मा के घर से सुरेश कुशवाहा के टूबेल तक इन्टरलॉकिंग कार्य	576519.00
3	ग्राम पंचायत धावा में इकबाल खान के घर से हवलदार राम के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	781912.00
4	ग्राम पंचायत बधुई खुर्द में किशोर के घर से राजेन्द्र के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	525531.00
5	ग्राम पंचायत कैथवलिया में अमरनाथ के घर से रामबृक्ष के मकान तक इन्टरलॉकिंग कार्य	526902.00
6	ग्राम पंचायत धावा में दीपचन्द के घर से नगीना यादव के खेत तक ढक्कनदार नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य	795734.00

7	ग्राम पंचायत भदेव में रामबदन यादव के खेत से रामबच्चन यादव के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य	377030.00
8	ग्राम पंचायत डिलिया में तुफ़ैल अहमद के घर से गुलाब कन्नौजिया के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य	284319.00
9	ग्राम पंचायत भदेव में हरिजन बस्ती से रामजीत कुशवाहा के टूबेल तक खड़ंजा निर्माण कार्य	378018.00
10	चक बधुईया सरकारी टूबेल से सरताज के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य	504670.00
11	बिराईच में बिराईच चट्टी से झुरी के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य	227408.00
12	भटौली में रामबदन के घर से संसार बिन्द के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य	283412.00
	योग	5801143.00

यह स्थिति शासनादेश सं0 866/33-2-14 जी0/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 में दर्शित व्यवस्था के विपरीत है। उक्त शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों को लाभन्वित कराने वाले कार्य कराने है अतः शासनादेश का अनुपालन न होने से रु० 5801143.00 का भुगतान अनियमित पाया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार राय, लेखाकार श्री सम्पति कुमार व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ममता यादव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-21)

8 - क्षेत्र पंचायत -बाराचवर **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 22 वर्ष में रु० 1595861.00 आयकर अनुदान पंजिका तृतीय एवं द्वितीय में दर्शित है, जिसे दिनांक 31-03-2022 तक राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है। आयकर अधिनियम की धारा-194(सी) के अनुसार निर्माण कार्यों के सापेक्ष भुगतानों के सापेक्ष सम्बन्धित से आयकर की कटौती करने के उपरान्त ही धनराशियों का भुगतान किया जाना चाहिए तथा काटी गयी धनराशि ससमय नियत शीर्ष में जमा कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर आयकर की धनराशि के बराबर भुगतान कर्ता अधिकारी के ऊपर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

इस धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना आपेक्षित है। राजकीय कोषागार में जमा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये लिए तत्कालीन ख०वि०अ० श्री सुशील सिंह व लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-02)

प्रस्तर - 23 अनुदान पंजिका - तृतीय के अनुसार वर्ष 2021-22 में जी०एस०टी० से प्राप्त धनराशि रु० 599045.00 तथा प्रारम्भिक अवशेष रु० 820026.00 कुल धनराशि रु० 1419071.00 को दि० 31-

03-2022 तक जमा नहीं कराया गया है तथा रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० श्री सुशील सिंह व लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-03)

प्रस्तर - 24 विधायक निधि के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली में मस्टरोल नही पाया गया-

1. सिउरी अमहट रसड़ा रोड से भीकम अमहट हाकिम जी तक पेपर्स ब्लाक कार्य हेतु रु० 54560.00 (मिठाई लाल)

2. पहराजपुर में काशीनाथ के घर से चन्द्रमा खरवार के घर तक इण्टरलांकिग रु० 35624.00 (मिठाई लाल)

3. पैकवली में पिच सड़क से दीना राजभर के घर तक इण्टरलांकिग कार्य पर रु० 49296.00 (जितेन्द्र कुमार श्री०)

इस कार्यों पर विभिन्न तिथियों तथा चेकों के माध्यम से कुल रु० 139480.00 का भुगतान कार्य प्रभारी के नाम पर किया गया है, लेकिन कार्य पत्रावली में मस्टर रोल प्रस्तुत न करने से यह ज्ञात नही हो सका कि सम्बन्धित धनराशि किसको प्राप्त हुई। अतः इस धनराशि के अपहरण की आशंका बनी हुई है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० श्री सुशील सिंह व लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल उत्तरदायी हैं। अत: रु० 139480.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख०वि०अ० श्री सुशील सिंह व लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल से सामान रूप से अद्यतन ब्याज सहित करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०क्र०-04)

प्रस्तर - 25 15वां वित्त के अन्तर्गत हुए कार्य थाना करीमुद्दीनपुर में जीक जैक इण्टरलांकिग कार्य का टेण्डर आमत्रंण दिनांक 21-12-2021 है, जबकि इस कार्य पर रु० 428316.00 (चार लाख अठाइस हजार तीन सौ सोलह) की धनराशि दि० 20-11-2021 को ही दर्शाया गया है, जो राज ट्रेडर्स के नाम से हैं। बाऊचर संख्या 246/20-11-2021 है। टेण्डर आमत्रंण के पूर्व ही कार्य का भुगतान हुआ है जो कि संभव ही नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस कार्य पर अनियमित भुगतान किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० श्री सुशील सिंह तथा लेखाकार श्री रवीन्द्र जायसवाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

9 - क्षेत्र पंचायत - भांवरकोल ले०प० वर्ष - 2021-22

प्रस्तर - 26 आयकर अधिनियम की धारा 200 के श्रोत पर काटी गई आयकर धनराशि को केन्द्रीय सरकार के कोंष में निर्धारित समय अवधि के अंदर जमा करना होता है। आलोच्य वर्ष मे सामग्री खरीद के बिल से कुल रु० 218709.00 की कटौती सुनिश्चित की गई है लेकिन इसे लेखा

परीक्षा अवधि तिथि तक/नियमित रुप से जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार मौर्य एवं लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल०आ०सं०-02)

प्रस्तर - 27 जी०एस०टी० एक्ट के अनुसार 2 प्रतिशत के दर से टी0डी0एस0 की कटौती किया जाना है। आलोच्य वर्ष 2021-22 मे सामग्री खरीद से 2% की दर से जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कुल रु० 195280.95 की कटौती सुनिश्चित की गई है। लेखा परीक्षा तिथि तक/नियमानुसार नियमित रुप से रु० 195280.95 जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गई। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार मौर्य एवं लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल०आ०सं०-03)

10 - क्षेत्र पंचायत - जमानिया **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 28 वर्ष 2021-22 में 15वां वित्त से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत का आंशिक पत्रावली हई प्रस्तुत किया गया है विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है।

क्रमांक	मद	कुल व्यय (रुपये)	उपलब्ध अभिलेख जिसकी जाँच की गई (रु०)	अप्राप्त अभिलेख जिसकी जाँच नहीं की गई (रु०)
1	2	3	4	5
1	15 वां वित्त	4965514.00	4956076.57	9437.43

इस अनियमितता के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीनरायन व खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री मनोज सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है व अप्राप्त अभिलेखों मे दर्शित व्यय में दर्शित व्यय के जाँच हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना है।

(आ०सं०-02)

प्रस्तर - 29 वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित शीर्ष में व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप अतः शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	शीर्ष	व्यय (रुपये)
1	2	3
1	विधायक/सांसद निधि	74436.51
2	सोशल ऑडिट प्रशि0	6450.00

	योग	**80886.51**

इस अनियमितता के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीनारायन व श्री अरुण कुमार वर्मा लेखाकार श्री मनोज सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-03)

11. क्षेत्र पंचायत - भदौरा **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 30 वर्ष 2021-22 मे 15वाँ वित्त से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली न प्रस्तुत कर आंशिक पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया ।

विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित है-

क्रमांक	**मद**	**कुल व्यय(रुपये)**	**उपलब्ध अभिलेख जिसकी जाँच की गयी (रु०)**	**अप्राप्त अभिलेख जिसकी जाँच नहीं की गयी (रु०)**
1	15वाँ वित्त	9669037.00	7158533.00	2510504.00

उक्त अनियमितता के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री मोती राम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है व अप्राप्त अभिलेखों में दर्शित व्यय के जाँच हेतु समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(आ०सं०-02)

प्रस्तर - 31 वर्ष 2021-22 में विधायक निधि में व्यय धनराशि रु० 10400.00 से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। फलस्वरूप यथा शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस अनियमितता के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा व श्री मोती राम लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-03)

12 - क्षेत्र पंचायत -सैदपुर **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 32 आलोच्य वर्ष (2021-22) की लेखा परीक्षा में पाया गया की अनुदान पंजिका तृतीय में आयकर/जी०एस०टी० मद में दिनांक 31-03-2022 को रुपया 1080815.00 अवशेष दर्शित है।

आयकर अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्य में किये गये भुगतान के संबंध में श्रोत पर की गयी आयकर कटौती की

धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार जी०एस०टी० प्रणाली के अंतर्गत धारा 51 में श्रोत पर जी०एस०टी० कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया है। इस प्रकार आयकर एवं जी०एस०टी० मद में अवशेष कुल धनराशि रु० 1080815.00 को उक्त नियमानुसार निर्धारित शीर्ष में जमा न कर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मौर्य व लेखाकार श्री संजय गुप्ता उत्तरदायी हैं। अत: रु० 1080815.00 की मय ब्याज वसूली उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मौर्य से रू० 540407.50 व लेखाकार श्री संजय गुप्ता से रू० 540407.50 करायी जानी अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर - 33 आलोच्य वर्ष (2021-22) की लेखा परीक्षा में पाया गया की अनुदान पंजिका तृतीय में लेबर सेस मद में दिनांक 31-03-2022 को रु० 179200.00 अवशेष दर्शित है जबकि नियमानुसार कटौती के उपरांत इस धनराशि की निर्धारित समयान्तर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा कर यू०टी०आर० नंबर प्राप्त करना चाहिए था किन्तु इस प्रक्रिया का पालन न कर उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मौर्य व लेखाकार श्री संजय गुप्ता उत्तरदायी हैं। अत: रु० 179200.00 की मय ब्याज वसूली उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मौर्य से रू० 89600.00 व लेखाकार श्री संजय गुप्ता से रू० 89600.00 करायी जानी अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या- 16)

प्रस्तर - 34 आलोच्य वर्ष (2021-22) की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान पंजिका तृतीय में दिनांक 31-03-2022 को टेन्डर फार्म बिक्री से प्राप्त आय रु० 91500.00 दर्शित है जिसे निर्धारित समयान्तर्गत राजकीय कोष में जमा न कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मौर्य व लेखाकार श्री संजय गुप्ता उत्तरदायी हैं। अत: रु० 91500.00 की मय ब्याज वसूली उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मौर्य से रू० 45750.00 व लेखाकार श्री संजय गुप्ता से रू० 45750.00 करायी जानी अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-17)

प्रस्तर - 35 आलोच्य वर्ष (2021-22) की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत 15वें वित्त के अंतर्गत कराये गये कार्य ग्राम पंचायत गौरी में पिच रोड से जायसवाल के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य की पत्रावली से ज्ञात होता है कि कार्यदायी फर्म न्यू जय दुर्गा स्टील उद्योग के संलग्न बाउचर में निम्न विवरणानुसार धनराशि देय दर्शित है जिसे खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार ने सत्यापित भी किया है।

बाउचर न0/दिनांक	-	08/18.12.2021
बिल की धनराशि	-	526397.24
जी0एस0टी0 12%	-	63167.67

	योग		- 589565.00
			(-) 295
			589270.00
कटौती -	आयकर 2%		11785.00
	जी0एस0टी0 2%		11786.00
	लेबर सेस 1%		5892.00
	कुल कटौती	=	29463.00

शुद्ध भुगतान = रु० 589270-29463

= रु० 589808.00 (पत्रावली में दर्शित है)

इस प्रकार उपरोक्त फर्म को रु० 589808.00 शुद्ध भुगतान किया गया है जबकि शुद्ध भुगतान रु० 589270.00 - रु० 29463.00 = रु० 559807 होना चाहिए। स्पष्ट है कि फर्म न्यू जय दुर्गा स्टील उद्योग को रु० 589805 - रु० 559807 = रु० 30001.00 अधिक शुद्ध भुगतान करते हुए कूट रचना कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मौर्य व लेखाकार श्री संजय गुप्ता संयुक्त उत्तरदायी है। जिसकी मय ब्याज वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मौर्य से रु० 15000.50 व लेखाकार श्री संजय गुप्ता से रु० 15000.50 करने हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति संख्या-18)

13 - क्षेत्र पंचायत - बिरनो **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 36 वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित शीर्ष में व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। फलस्वरूप यथा शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

क्रमांक	**शीर्ष**	**व्यय(रुपये)**
1	आवास	40000.00
2	पंचायत निर्वाचन	510150.00
	योग	**550150.00**

इस अनियमितता के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुराग राय व लेखाकार श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी उत्तरदायी है।

14 – क्षेत्र पंचायत -करण्डा **ले०प० वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर - 37 31.03.2022 के अनुदान पंजीका द्वितीय के अनुसार निम्नानुसार आयकर जी०एस०टी० लेबर सेस अवशेष दर्शित है जबकि कटौती किये गये आयकर, जी०एस०टी० एवं लेबर सेस की धनराशि को सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कर देना चाहिए था।

विवरण **धनराशि**

आयकर	-	3310.00	2%
जी.एस.टी.	-	3310.00	2%
लेबर सेस	-	1655.00	1%
योग	-	**8275.00**	

इस प्रकार रु० 8275.00 सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा न कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुचायी गई है एवं गम्भीर अनिमितता की गई है जिसके लिए श्री राजकुमार केशरी लेखाकार एवं श्री मनोज कुमार वर्मा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-11)

प्रस्तर - 38 दिनांक 23.03.2022 तो रु० 126463.00 को भुगतान जय मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन कं० को ग्राम पंचायत बांसाबाध में रेनवाटर हार्वेस्टिंग कार्य हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक (जय मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन कं०) प्रस्तुत रहा लेकिन पत्रावली अपूर्ण पायी गयी। अतः कार्य की पूर्णत संदिग्ध है। जो कि वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर - 39 दिनांक 21.01.2022 को रु० 418765.00 का भुगतान ग्राम पंचायत दिनापुर में श्री शिवपूजन बाबा के आश्रम में छः सीट शौचालय निर्माण जय माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन को किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक (जय माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन कं०) प्रस्तुत रहा लेकिन पत्रावली अपूर्ण पायी गई। अतः कार्य की पूर्णत संदिग्ध है। जो कि वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर - 40 दिनांक 02.12.2021 को रु० 411789.00 का भुगतान विकास खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष की साज सज्जा फर्नीचर आपूर्ति एवं जीर्णोधार कार्य हेतु जय माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन को किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित कार्य की पत्रावली एवं डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में आवश्यक जाँच न की जा सकी। सम्बन्धित भुगतान वित्तीय नियमो के प्रतिकूल किया गया है। अतः अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री राजकुमार केशरी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

15 - क्षेत्र पंचायत - मनिहारी ले०प० वर्ष - 2019-20, 2020-1 व 2021-22

प्रस्तर - 41 वर्ष 2019-20 मे राज्य वित्त मद के अन्तर्गत रु० 317600.00 व्यय किया गया। परन्तु व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा मे व्यय प्रमाणक/ पत्रावली अप्राप्त रही । जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि न हो सकी। जिसके जिम्मेदार लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्री शमसेर सिंह हैं। उक्त धनराशि रु० 317600.00 की मय ब्याज वसूली लेखाकार मनोज कुमार सिंह से रू० 158800.00 एवं खण्ड विकास अधिकारी शमशेर सिंह से रू० 158800.00 करायी जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-03)

प्रस्तर - 42 अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार वर्ष 2019-20 मे ब्याज मद से रु० 15093.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु उपरोक्त धन को शासन को वापस कर दिया गया या किसी कार्य पर व्यय किया गया के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमापक प्रस्तुत नही रहा। अतः उक्त धनराशि अपहरण कर लिया गया है। जिसके जिम्मेदार तत्कालीन लेखाकार मनोज कुमार सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शमशेर सिंह हैं। उक्त धनराशि रु० 15093.00 की मय ब्याज वसूली लेखाकार मनोज कुमार सिंह से रू० 7546.50 एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शमशेर सिंह से रू० 7546.50 करायी जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-04)

प्रस्तर - 43 अनुदान पंजिका तृतीय के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयकर मद मे प्रा० अवशेष रु० 229368.00 है। जो कि वर्षान्त मे भी समान बना है। उक्त धनराशि को राजकीय कोष मे जमा नही किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 274 (बी) के अनुसार काटे गये आयकर को जमा न कराना गम्भीर अनियमितता है। आयकर की धनराशि रु० 229368.00 को राजकीय कोष मे जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए समान रूप से श्री मनोज कुमार सिंह लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शमसेर सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-05)

प्रस्तर - 44 वर्ष 19-20 को अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत रु० 1143937.00 दर्शित है। लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमापक/पत्रावली अप्राप्त रहा है। अतः उक्त धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिए लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शमसेर सिंह उत्तरदायी हैं। अत: धनराशि रु० 1143937.00 की मय ब्याज वसूली लेखाकार मनोज कुमार सिंह से रू० 571968.50 एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शमशेर सिंह से रू० 571968.50 करायी जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-06)

प्रस्तर - 45 वर्ष 19-20 मे अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत प्रा0 अवशेष व वर्ष का अन्तिम अवशेष रु० (-) 53927.00 दर्शित किया गया है। सांसद निधि/विधायक निधि खाते मे भुगतान से कम धनराशि होने (-) मे भुगतान किया गया है। रु० (-) 53927.00 मद से भुगतान किया गया। उसका उल्लेख लेखा परीक्षा मे स्पष्ट नही किया। अत: धनराशि रू० 53927.00 पूर्ण रूप से अनियमित है। जिसके लिए लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह, मोती राम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शमसेर सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-07)

प्रस्तर - 46 वर्ष 19-20 मे अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास मे वर्ष रु० 341869.00 दर्शित है। लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्यय पुष्टि हो सके। जिससे स्पष्ट है कि धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए पूर्ण रूप से लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह, श्री मोती राम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शमसेर सिंह (तत्कालीन) पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अत: धनराशि रु० 341869.00 की वसूली लेखाकार श्री मनोज कुमार सिंह, श्री मोती राम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री शमसेर सिंह (तत्कालीन) से समान रूप से करायी जानी अपेक्षित है।

(आ०सं०-08)

प्रस्तर - 47 वर्ष 20-21 मे अनुदान पंजिका तृतीय के जांच मे यह ज्ञात हुआ कि माह जुलाई 2020 मे रु० 79032.00 की आय हुई पूर्व में प्रा० अवशेष **(-**9854) था। उक्त माह मे धनराशि प्राप्त के बाद अवशेष रू० 69178.00 होना चाहिए। लेकिन अनुदान पंजिका द्वितीय में उक्त माह मे रू० 59178.0 दर्शित है अनुदान पंजिका तृतीय मे रूपया 10000.00 कम अंकित किया गया है इससे स्पष्ट है कि अनुदान पंजिका द्वितीय से इसका मिलान नही किया गया है। अनुदान पंजिका तृतीय का अनुदान पंजिका द्वितीय से मिलान कर अंकन किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं०-09)

प्रस्तर - 48 वर्ष 20-21 मे पत्रावली सं० 7 ग्राम पंचायत बरहट पिच रोड के पास सर्वदा पाण्डेय के घर से जय प्रकाश सिंह के घर तक इन्टलाकिंग कार्य मे सीता देई का टेण्डर स्वीकृत है। जबकि भुगतान नीलम सिंह को किया गया है। रु० 407564.00 का भुगतान निलम सिंह को किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वित्तीय अनिमियतता लेखाकार श्री मोती राम तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री शमसेर सिंह

(तत्कालीन) एवं कार्य प्रभारी श्री अमरेन्द्र चौहान, अवर अभियन्ता द्वारा किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-10)

प्रस्तर - 49 वर्ष 20-21 मे ग्राम सभा पहाड़पुर खुर्द मे कैलाश के मकान से घनश्याम मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर रामअवध सेठ को चेक सं०-17229,17304 कुल मजदूरों की संख्या 21 को भुगतान रु० 51753.00 मजदूरी दिया गया जो नियम विरूद्ध है। मजदूरों के खातों मे भुगतान न कर एक व्यापारी को भुगतान किया गया है। इस अनिमियतता के लिये लेखाकार श्री मोती राम तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री शमसेर सिंह (तत्कालीन) एवं कार्य प्रभारी श्री अमरेन्द्र चौहान, अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं०-12)

प्रस्तर - 50 वर्ष 20-21 मे पन्द्रहवां वित्त मे विकास क्षेत्र मनिहारी के स्वास्थ केन्द्र पर चार सिटेड शौचालय निर्माण मे कोई टेण्डर नही किया गया है। पत्रावली के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही था। न ही लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया गया। रु० 448284.00 सामग्री पर एवं रु० 88179.00 मजदूरी व्यय दर्शित है। परन्तु टेण्डर का पालन न करते हुए मनमाने ढंग से राधे ईट उद्योग, होम एजेंसी ,जय माँ दुर्गा हार्डवेयर को भुगतान रु० 448284.00 का भुगतान किया गया जो अनिमियतता है। तथा 88179.00 का भुगतान मजदूरी पर दर्शित है। जो मजदूरों के खाते मे धनराशि भुगतान लिखा गया। परन्तु लेखा परीक्षा मे मजदूरों से सम्बन्धित खाते अप्राप्त रहे। अतः भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार श्री मोती राम तथा अवर अभियन्ता श्री अमरेन्द्र चौहान तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री डी.के. मिश्रा की है, जिनसे ब्याज मय वसूली अपेक्षित है।

(आ०सं०-13)

प्रस्तर - 51 ग्राम पंचायत (1) खड़वाडीह मे जयराम राजभर के घर से हरिपाल कुशवाहा के घर तक भूमिगत नाली निर्माण (2) ग्राम पंचायत खड़वाडीह से रविन्द्र राजभर के घर तक निर्माण (3) ग्राम पंचायत वसेवां मे काली माता मन्दिर से देई कुशवाहा के घर तक इण्टलाकिंग कार्य (4) ग्राम पंचायत परेवां मे करीमुल्लाहपुर मे पी.डब्लू.डी. रोड से नहर माइनर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य। उक्त कार्यो पर कार्यप्रभारी/निरीक्षण कर्ता अवर अभियन्ता आर एस श्री अमरेन्द्र चैहान को नियुक्त किया गया है। परन्तु पत्रावली मे न तो नियुक्ति प्रमाण पत्र/ मेमो और न ही निरीक्षण कर्ता द्वारा कोई निरीक्षण रिपोर्ट भी पत्रावली मे उपलब्ध नहीं था। और पत्रावली मे संलग्न पत्रो पर भी खण्ड विकास अधिकारी एवं ठेकेदार तथा अवर अभियन्ता आर.एस. के हस्ताक्षर नही है। और जिस पर हस्ताक्षर है उन पर कार्यालय के द्वारा कोई पत्रांक व दिनांक अंकित नही है। संलग्नक बाउचर पर भी कोई दिनांक अंकित नही है। इससे स्पष्ट है कि केवल काल्पनिक रूप से पत्रावली बनाकर भुगतान किया गया जो

पूर्ण रूप से गबन की श्रेणी मे आता है। कार्य प्रबंध पर रु० 254413.00 एवं वित्तीय कार्य रु० 436105.00 एवं वित्तीय कार्य पर रु० 538896.00 और चतुर्थ कार्य पर रु० 573751.00। अतः कुल रु० 1803165.00 का अपहरण लेखाकार श्री मोती राम तथा निरीक्षण कर्ता अवर अभियन्ता आर.एस. श्री अमरेन्द्र चौहान तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री डी.के. मिश्रा द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली इन तीनों लोगों से समान रूप से ब्याज सहित की जाय।

(आ०सं०-14)

जनपद- जौनपुर

प्रारूप-3

1- क्षेत्र पंचायत- बदलापुर जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-1 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री रू. 13271871.41 के भुगतान किया गया। जिसपर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत के दर से रू. 297289.91 की टी0डी0एस0 की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र रू. 213978 की कटौती की गयी। इस प्रकार रू. 83312 की टी.डी.एस. कटौती न करके गंभीर अनियमितता की गयी एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गौरवेंद्र सिंह एवं शरत चन्द्र श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री सिद्धार्थ कुमार उत्तरदायी हैं।

- अत: इस धनराशि रू. 83312 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गौरवेंद्र सिंह एवं शरत चन्द्र श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री सिद्धार्थ कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में कराया जाना अपेक्षित है।

2-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री रू.13271871.41 के भुगतान किया गया। जिसपर नियमानुसार 2 प्रतिशत के दर से रू. 265437.42 की जी.एस.टी. की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र रू.194216 की कटौती की गयी। इस प्रकार रू. 71221 की जी.एस.टी. कटौती न करके गंभीर अनियमितता की गयी एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गौरवेंद्र सिंह एवं शरत चन्द्र श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री सिद्धार्थ कुमार उत्तरदायी हैं।

अत: इस धनराशि रू. 71221 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गौरवेंद्र सिंह एवं शरत चन्द्र श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री सिद्धार्थ कुमार से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में कराया जाना अपेक्षित है।

2- क्षेत्र पंचायत- बरसठी जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा में वर्ष 2021–22 के दौरान सामुहिक विवाह योजना स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित पत्रावली मॉगोपरान्त उपलब्ध नही करायी गयी। जिससे संबंधित तथ्य की जॉच नही

की जा सकी। परिणाम स्वरूप किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता।

योजना का नाम	धनराशि
सामुहिक विवाह योजना	304260.00
स्वच्छ भारत	413909.92
योग–	718169.92

अतः पत्रावली प्रस्तुत नही करने के कारण उक्त शीर्ष में प्रयुक्त दर्शित धनराशि रू0 718169.92 के व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजन राय एवं श्री सर्वेश मोहन एवं लेखाकार श्री धनन्जय कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

3- क्षेत्र पंचायत- डोभी जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-3 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री रू. 16993592.00 के भुगतान किया गया। जिसपर नियमानुसार 2.24 प्रतिशत के दर से रू. 380656.00 की टी0डी0एस0 की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र रू. 332166.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रू. 48490.00 की टी.डी.एस. कटौती न करके गंभीर अनियमितता की गयी एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीक विकास खण्ड अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी एवं लेखाकार श्री लालजी राम उत्तरदायी हैं।

अत: इस धनराशि रू. 48490.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी एवं लेखाकार श्री लालजी राम से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री रू. 16993592.00 के भुगतान किया गया। जिसपर नियमानुसार 2 प्रतिशत के दर से रू. 339872.00 की जी.एस.टी. की जानी चाहिए थी किन्तु मात्र रू. 331328.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रू. 8544.00 की जी.एस.टी. कटौती न करके गंभीर अनियमितता की गयी एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है जिसके लिए तत्कालीक खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी एवं लेखाकार श्री लालजी राम उत्तरदायी हैं।

अत: इस धनराशि रू. 8544.00 की वसूली मय ब्याज संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री छोटे लाल तिवारी एवं लेखाकार श्री लालजी राम से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में कराया जाना अपेक्षित है।

4- क्षेत्र पंचायत- जलालपुर जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-5 लेखा परीक्षा वर्ष में रू0 138707.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी। किन्तु संबंधित शीर्ष में धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 138707.00 से

संबंधित शीर्ष में ससमय जमा न करके धन का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है।

अतः इस धनराशि रू0 138707 को संबंधित शीर्ष में जमा करने के साथ–साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह से कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा वर्ष में उपलब्ध कराये गये ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार कुल रू0 6935466.00 का सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया। नियमानुसार इस पर 2.24 % की दर से टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती की जानी चाहिए थी किन्तु टी0डी0एस0 की कुल धनराशि रू0 155354.00 की कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखकार उत्तरदायी है।

अतः इस धनराशि रू0 155354.00 की वसूली मय ब्याज सहित संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह से करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

5- क्षेत्र पंचायत- करंजाकला जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा वर्ष में निर्माण कार्य में फर्मो से सामग्री क्रय रू0 28790660.00 के बिलों / प्रमाणकों से रू0 1220712.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। परन्तु चालान एवं बैंक से रू0 1216123.00 जमा की पुष्टि होती है। इस प्रकार अन्तर 4589.00 रू0 से राजकीय राजस्व प्रभावित रहा। फर्म के बिल से टी0डी0एस0 काटकर सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित शासकीय हेड में जमा न किया जाना अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

6- क्षेत्र पंचायत- केराकत जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 से 2021-22 में रू0 412961.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी किन्तु सम्बन्धित शीर्ष मे धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । इस प्रकार कटौती की गई धनराशि 412961.00 सम्बन्धित शीर्ष मे ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रू0 412961.00 को सम्बन्धित शीर्ष मे जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 से 2021-22 में रू0 372083.00 की जी0एस0टी0 कटौती की गयी । किन्तु सम्बन्धित शीर्ष मे धनराशि जमा की पुष्टि से संबंधित कोई भी चालान/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । इस प्रकार कटौती की गई धनराशि रू0 372083.00 सम्बन्धित शीर्ष मे ससमय जमा न करके धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन

खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि रू0 372083.00 को सम्बन्धित शीर्ष मे जमा करने के साथ-साथ संस्था के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह एवं लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित की विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

7- **क्षेत्र पंचायत- मछलीशहर जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22**

प्रस्तर-10 दिनाँक 03-03-2022 को अनुरक्षण मद से चैनल गेट क्रय हेतु रू0 73616.00 एवं टाइल्स क्रय हेतु रू0 12384.00 का भुगतान सिंह इण्टर प्राइजेज को नही करके कार्य प्रभारी द्वारा नगद किया गया है । इस प्रकार उपभोग धनराशि का भुगतान सिंह इण्टर प्राइजेज को एकाउण्ट पेयी चेक के द्वारा नहीं किया गया है । कार्य प्रभारी को 86000.00 रू0 का भुगतान किया गया है, एवं कार्य प्रभारी द्वारा क्रमशः उक्त धनराशि का नगद भुगतान फर्म को किया गया है । जो गम्भीर अनियमितता है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

8- क्षेत्र पंचायत- मुफ्तीगंज जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-11 वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग मद में प्राप्त धनराशि में से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 8845211.00 एव राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त धनराशि में से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 4121133.00 का भुगतान निर्माण सामग्री खरीद में किया गया है। जी0एस0टी0 एवं आयकर नियमानुसार सम्बन्धित सप्लायर के बिलों से क्रमशः 2% एवं 2.24% की कटौती भुगतानित धनराशि से की जानी चाहिए थी। लेकिन क्षेत्र ंपंचायत के अभिलेखानुसार वर्ष दौरान सामग्री खरीद बिलों पर जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती न करके राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। केन्द्रीय वित आयोग मद की धनराशि रू0 8845211.00 एव राज्य विता आयोग मद की धनराशि रू0 4121133.00 कुल धनराशि रू0 12966344.00 पर जी0एस0टी0 रू0 259327.00 एव आयकर रू0 290446.00 कुल रू0 549773.00 सम्बन्धित विभागीय नियमानुसार ब्याज सहित लेखाकार श्री हरिदयाल एवं कार्य अवधि के अनुसार विकास खण्ड अधिकारी श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह से वसूल करके राजकीय राजस्व मद में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 वर्ष 2021-22 में राज्य वित आयोग मद में प्रस्तुत कुल 13 फाइलों निम्न विवरणानुसार जांच हेतु प्रस्तुत की गयी। जिन पर कुल व्यय रू0 6118355.00 दर्शाया गया है। जिसमें से वर्ष दौरान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रू0 5238477.00 का भुगतान हुआ है। भुगतान धनराशि में से सामग्री खरीद मद से आयकर एवं जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 174736.00 को घटाकर सामग्री एवं लेबर पर शुद्ध भुगतान रू0 5063741.00 किया गया है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर ब्यय	कुल धनराशि
1	मुरारा में यादव बस्ती चैराहा से जय प्रकाश के घर तक	368474.00	36032.00	404506.00

2	ग्रा0पं0 बेलाव चन्द्रभान के घर से केवल नागर के धर तक इण्टरलाकिंग	798552.00	44880.00	843432.00
3	भदेवरा में नहर से राम अवतार के घर तक मि0ख0 कार्य	502719.00	87450.00	590169.00
4	सुरैला में रमाशंकर के घर से राम सिंह के धर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	222995.00	20290.00	243285.00
5	भदेवरा में सीताराम के मशीन से हरखू के खेत तक मिट्टी खडण्जा कार्य।	438325.00	44880.00	483205.00
6	देवकली पिच रोड़ से नन्दलाल के घर तक मि0ख0 कार्य।	260999.00	31824.00	292823.00
7	बीरमपुर में खडण्जा से हरिजन बस्ती पुलिया तक मि0ख0 कार्य।	551708.00	68544.00	620252.00
8	घुरहूपुर सैयद बाबा से रेनू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	366795.00	20400.00	387195.00
9	भोगीपट्टी में साहेब के खेत से मशीन तक इण्टरलाकिंग कार्य।	482637.00	22848.00	505485.00
10	मठबाबा से पाण्डेयपुर सरहद तक मि0 ख0 कार्य।	306592.00	38556.00	345148.00
11	ग्रा0पं0 कटहरा पिच रोड़ से सर्वेष के खेत तक मि0ख0 कार्य।	393460.00	21000.00	414460.00
12	सुरैला में पिच रोड़ से ओम प्रकाश के धर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	265923.00	24488.00	290411.00
13	निशान में रोड़ से कृष्णानन्द के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	636356.00	61628.00	697984.00
	योग-	5595535.00	522820.00	6118355.00

उक्त फाइलों के अवलोकन से निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी।

1. कार्य प्रभारी की नियुक्ति पत्र पर पत्रांक दिनांक अंकित नही है। क्र0सं0 2,5,7,8,9,10 समस्त कार्यो के लिए श्री प्रमोद कुमार को ही कार्य प्रभारी बनाया गया है। नियुक्ति पत्र पर पत्रांक अंकित न होना दर्शाता है कि कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ठेके पर कराया गया है। बाद में कार्य प्रभारी बना दिया गया।
2. संलग्न मस्टररोल पर निर्गत क्रमांक दिनांक अंकित नही है। बाजार के प्रिन्टेड मस्टररोल प्रयुक्त किया है। जो नियमानुसार गलत है।
3. मस्टररोल पर श्रमिकों के पिता/पति का नाम अंकित नही है। उपस्थिति लेने वाले अधिकारी /कर्मचारी के हस्ताक्षर नही है।
4. मस्टररोल में साप्ताहिक अवकाश नही दिये गये है। क्र0सं0 3,5

5. त्रिस्तरीय फोटो सलग्न नही है। क्र0 4 एवं 12 को छोड़कर।

6. क्र0सं0 6 पर अंकित कार्य के साथ संलग्न मस्टररोल पर श्रमिक के नाम ही अंकित नही है।

7. श्रमिकों को मजदूरी उनके बैंक खाते में न करके केवल एक व्यक्ति के नाम मस्टररोल की पूरी धनराशि ट्रान्सफर की गयी है।

8. शासनादेश संख्या 1838 /33-3-2015-03 /2015 के विपरीत ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराया गया है तथा ग्राम पंचायत से दर्शित कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र नही प्राप्त किया गया है।

9. शासनादेश सं0-ए-1-864 /दस-08-15 (1)/ 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के विपरीत बिना कोटेशन /टेण्डर प्राप्त किये सामग्री खरीद की कार्यवाही की गयी है। लेखा परीक्षा के समय समाचार पत्रों में टेण्डर हेतु विज्ञापन तो दिया जाना परिलक्षित है। लेकिन किस-2 फर्म से टेण्डर प्राप्त हुए तुलनात्मक चार्ट क्या रहा, किसकी निविदा स्वीकार हुई स्पष्ट नही रहा।

10. फाइलों में अंकित आकड़ों एवं संलग्न प्रपत्रों के अनुसार स्टीमेट की धनराशि एम0बी0 की धनराशि एवं वास्तविक भुगतान की धनराशि में भारी अन्तर है। जैसे-क्र0सं0 1 में तथा अन्य सभी में-

स्टीमेट की धनराशि- 402113.00 /सामग्री 39749.00 मजदूरी

एम0बी0 की धनराशि-392704.00/सामग्री 39035.00 मजदूरी

वास्तविक भुगतान- 368474.00 /सामग्री 36032.00 मजदूरी

इसी प्रकार सभी लगभग सभी फाइलों में अन्तर विद्यमान है।

11. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त तिथि एम0बी0 बुक पर अंकित नही है।

12. चल अचल सम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत नियमावली 1965 के नियम 29 के विपरीत है।

उक्त आपत्तियों के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य वित्त मद में वर्ष में हुए भुगतान में से जी0एस0टी0 एवं आयकर की आॅकलित धनराशि को घटाने पर रू0 5063741.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार श्री हरिदयाल एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग मद में प्रस्तुत कुल 20 फाइलें जिन पर निर्माण कार्य किया गया है, निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर व्यय	कुल धनराशि
1	ग्रा0पं0 सुरैला में पिच रोड़ से निर्भय के घर तक इण्टरलाकिंग	487278.00	26928.00	514206.00
2	रसूलपुर ओझनियाँ में विधायक के दुकान से होते हुए दुबई के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	192033.00	65688.00	257721.00

3	ग्रा0पं0 बीरमपुर में पुलिया से हरिजन बस्ती तक खडण्जा निर्माण।	140140.00	45696.00	185836.00
4	पसेवा में रोड़ से माता प्रसाद के घर नाली निर्माण।	377702.00	28560.00	406262.00
5	ग्रा0पं0 कुण्डी में इनरू के घर से नाला तक इण्टरलाकिंग कार्य।	371837.00	20808.00	392645.00
6	ग्रा0पं0 सुरैला में संजय के घर से सुरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	498141.00	18768.00	516909.00
7	पिच रोड़ से अरबिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	546551.00	30600.00	577151.00
8	पुलिया से चन्द्रशेखर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	305196.00	18360.00	323556.00
9	सर्की में पिच रोड़ से गामा मास्टर के सरहद से होते हुए इम्मा के घर तक ख0 निर्माण कार्य।	605136.00	39200.00	644336.00
10	भुइली में मिठाई मौर्या के घर से कृपा सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	300146.00	28727.00	328873.00
11	राम प्रताप के मकान से राम अधार के मशीन तक ख0 निर्माण कार्य।	66418.00	3500.00	69918.00
12	पौनी में खडण्जा से जगत यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	355349.00	13300.00	368649.00
13	कन्हौली मेन रोड़ से सुनील के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	308523.00	11550.00	320073.00
14	लखठेपुर पिच रोड़ से रामजनम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	338418.00	14000.00	352418.00
15	लाल चन्द्र चैहान के घर से नाली तक भूमिगत नाली।	265486.00	8400.00	273886.00
16	पतौरा में वंश यादव के मकान से पिच रोड़ तक मिट्टी ख0 निर्माण	174332.00	9450.00	183782.00
17	मुर्तजाबाद में पिच रोड से प्रकाश यादव के धर तक इण्टरलाकिंग कार्य	383354.00	7000.00	390354.00
18	काकोरी देवाकलपुर में प्रवेश यादव के मशीन से चन्नर यादव के मशीन तक मि0/ख0 कार्य	381811.00	20650.00	402461.00
19	लालमन के घर से बाहा तक नाली निर्माण।	488169.00	-	488169.00
20	सोसा पट्टी में रामनाथ के घर से वंश के घर तक नाली निर्माण	610403.00	67128.00	677531.00
	योग-	7196423.00	478313.00	7674736.00

- फाइलों के अवलोकन से निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी।

1. कार्य प्रभारी की नियुक्ति पत्र पर पत्रांक दिनांक अंकित नही है। समस्त कार्यो के लिए श्री प्रमोद कुमार को ही कार्य प्रभारी बनाया गया है। नियुक्ति पत्र पर पत्रांक अंकित न होना दर्शाता है कि कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ठेके पर कराया गया है। बाद में कार्य प्रभारी बना दिया गया।

2. ज्यादातर सभी प्रमाणक चाहे जिस फर्म के है एक ही राइटिंग में लिखे गये प्रतीत होते है। उदाहरण क्र0सं0 4, 1, 5 इत्यादि

3. संलग्न मस्टररोल पर निर्गत क्रमांक दिनांक अंकित नही है। बाजार के प्रिन्टेड मस्टररोल प्रयुक्त किया गया है। जो नियमानुसार गलत है।

4. मस्टररोल पर श्रमिकों की उपस्थिति में काटपीट की गयी है। क्र0सं0 5, 2 मस्टररोल पर उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर नही है।

5. क्र0सं0 2 की फाइल में संलग्न मस्टररोल 12 श्रमिक है जिनमें केवल 10 श्रमिक के ही नाम लिखे गये है। शेष 2 पर श्रमिक बिना नाम के ही हाजिरी लगाई गयी है।

6. मस्टररोल पर श्रमिक के पिता/पति का नाम अंकित नही है। ज्यादातर मस्टररोल में धन के समायोजन हेतु अन्तिम श्रमिक की उपस्थिति में उपस्थिति कम की गयी है।

7. श्रमिकों को मजदूरी उनके बैंक खाते में न करके केवल एक व्यक्ति के नाम मस्टररोल की पूरी धनराशि ट्रान्सफर की गयी है।

8. त्रिस्तरीय फोटो संलग्न नही है।

9. शासनादेश संख्या 1838 /33-3-2015-03 /2015 के विपरीत ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराया गया है तथा ग्राम पंचायत से कार्य न कराये जाने का प्रमाण पत्र नही प्राप्त किया गया है।

10. शासनादेश सं0-ए-1-864 /दस-08-15 (1)/ 86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के विपरीत बिना कोटेशन /टेण्डर प्राप्त किये सामग्री खरीद की कार्यवाही की गयी है। लेखा परीक्षा के समय समाचार पत्रों में टेण्डर हेतु विज्ञापन तो दिया जाना परिलक्षित है। लेकिन किस-2 फर्म से टेण्डर प्राप्त हुए तुलनात्मक चार्ट क्या रहा, किसकी निविदा स्वीकार हुई स्पष्ट नही रहा।

11. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त तिथि एम0बी0 बुक पर अंकित नही रहा।

12. फाइलो में अंकित आकड़ों एवं संलग्न प्रपत्रों के अनुसार स्टीमेट की धनराशि एम0बी0 की धनराशि एवं वास्तविक भुगतान की धनराशि में भारी अन्तर की स्थिति है।

13. मस्टररोल के अनुसार कार्य समाप्ति पहले हुई दर्शित है लेकिन इससे सम्बन्धित खरीद सामग्री बाद की तिथि में दर्शित हैं जैसे-क्र0सं0 1 में कार्य समाप्ति तिथि मस्टररोल के अनुसार 04.11.2021 हुई सामग्री खरीद प्रमाणक के अनुसार खरीद सामग्री 10.11.2021 को हुई है।

14. फाइलों के साथ मस्टररोल संलग्न नही है क्र0सं0 7 से 20 तक

15. चल अचल सम्पत्ति रजिस्टर नही बनाया गया है।

उक्त आपत्तियों के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य वित्त मद में वर्ष में हुए भुगतान में से जी0एस0टी0 एवं आयकर की आॅकलित धनराशि को घटाने पर रू0 7674736.00 में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेखाकार श्री हरिदयाल एवं

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह की है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 वर्ष 2021-22 की अनुदान रजिस्टर -2 एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दर्शित निम्न फाइलों पर व्यय किया गया है। लेकिन इनकी पुष्टि में फाइले जांच हेतु प्रस्तुत नही रही। जिससे इन पर टिप्पणी नही की जा सकी। फाइलें प्रस्तुत करके जांच करायी जाय।

क्र0सं0	कार्य का नाम	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर ब्यय	कुल धनराशि
1	शहाबुद्दीनपुर में जहरू के घर से नाला तक इण्टरलाकिंग कार्य।	372018.00	13650.00	385668.00
2	निशान में रोड से कृष्णा नन्द के धर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	667584.00	2454.00	670038.00
3	मुरारा में यादव बस्ती चैराहा से जय प्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	344213.00	36032.00	380245.00
4	भदेवरा में नहर से राम अवतार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	482610.00	87450.00	570060.00
5	सुरैला में पिच रोड़ से ओम प्रकाश के धर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	106557.00	24488.00	131045.00
6	सुरैला में रमाशंकर के घर से राम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	212994.00	20290.00	233284.00
	योग-			

उक्त कार्यो में दर्शित धनराशि में फाइलों के अनुसार तथा वास्तविक कार्य समाप्ति हुए व्यय के अनुसार जाच करायी जाय।

केन्द्रीय वित्त आयोग मद में अनुदान रजिस्टर-2 एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान निर्माण् कार्यो पर कुल व्यय सामग्री एवं मजदूरी सहित रू0 9509027.00 दर्शित है। इसमें सामग्री मूल्य पर आयकर एवं जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 375036.00 घटाने पर वास्तविक मूल्य जो भुगतान हुआ रू0 9133991.00 में गम्भीर अनियमितता उक्त विवरण के अनुसार किया गया है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्री लेखाकार हरिदयाल एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी समयावधि के अनुसार की होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

9- क्षेत्र पंचायत- मुगंराबादशाहपुर जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-15 लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है .

क0स0	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष 01.04.2021	वर्ष के दौरान कटौती की गई धनराशि	वर्ष के दौरान सम्बन्धित शीर्ष में जमा की गई धनराशि	अन्तिम अवशेष 31.03.2022
1	जी0एस0टी0 टी0डी0एस0	146268-00	440846-00	321720-00	265394-00

लेखा परीक्षा में उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई-

I. लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान रू 321720.00 जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया गया ।जिसमें से रू 146268.00 जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 गत वर्ष में ही जमा किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करके लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह एवं बी0डी0ओ0 श्री पीयूष कुमार सिंह द्वारा लापरवाही की गयी ।

ठ. रू 265394.00जी0 एस0टी0 टी0डी0एस0 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर धन का दुरूपयोग किया गया जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ श्री पीयूष कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उत्तरदायी है।

रू 265394.00 जी0 एस0टी0 टी0डी0एस0 को अविलम्ब सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने भविष्य में नियमानुसार जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कटौती करने उससे सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा कराये जाने तथां सम्बन्धित शीर्षक में जमा करने मे विलम्ब हेतु उत्तरदायी तत्कालीन बी0डी0ओ श्री पीयूष कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार आयकर टी0डी0एस0 से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है .

क0स0	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष 01.04.2021	वर्ष के दौरान कटौती की गई धनराशि	वर्ष के दौरान सम्बन्धित शीर्ष में जमा की गई धनराशि	अन्तिम अवशेष 31.03.2022
1	आयकर टी0डी0एस0	149637-00	442806-00	325087-00	267356-00

लेखा परीक्षा में उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई-

I. लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान रू 325087.00 आयकर टी0डी0एस0 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया गया ।जिसमें से रू 149637.00 आयकर टी0डी0एस0 गत वर्ष में ही जमा किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करके लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह एवं बी0डी0ओ0 श्री पीयूष कुमार सिंह द्वारा लापवाही की गयी ।

ठ. रू 267356.00आयकर टी0डी0एस0 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर धन का दुरूपयोग किया गया जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ श्री पीयूष कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उत्तरदायी है।

रू 267356.00 आयकर टी0डी0एस0 को अविलम्ब सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने, भविष्य में नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 की कटौती करने, उससे सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा कराये जाने तथां सम्बन्धित शीर्षक में जमा करने मे विलम्ब हेतु उत्तरदायी

तत्कालीन बी0डी0ओ श्री पीयूष कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

10- क्षेत्र पंचायत- रामपुर जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-17 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो में प्रयुक्त सामाग्री रू0 25565492.00 के भुगतान के सापेक्ष नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी टी0डी0एस0 रू0 511309.00 की कटौती की गयी। किन्तु संबंधित शीर्ष में ससमय जमा न कर धन का दुरूपयोग किया गया। जिसके लिए तत्तकालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार धनन्जय उत्तरदायी हैं। अतः कटौती की गयी समस्त धनराशि को संबंधित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री धनन्जय पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 1 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864 / दस 08,15(1) 86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय के लिए टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही साथ उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-10-2016 /253/18.02.2016-3 (एस0पी0) 2010 दिनांक 1 अप्रैल 2016 के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा अपनायी गयी टेण्डर प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियां पायी गयी-

(1). टेण्डर प्रपत्र के विक्रय से होने वाले आय का लेखा पुस्तकों में नही किया गया है। उल्लेखनीय है कि 1 लाख से 10 लाख के अनुमानित मूल्य के टेण्डर के लिए टेण्डर प्रपत्र का मूल्य न्यूनतम 400 अधिकतम 1500 होना चाहिए।

(2). टेण्डर का आमंत्रण दिनांक 18.08.2021 को तथा दिनांक 19.08.2021 को टेण्डर खोला गया जबकि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार टेण्डर देने वाले को युक्ति-युक्त समय जो नोटिस प्रकाशन के बाद कम से कम तीन सप्ताह होना चाहिए।

(3). अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। जिससे इस बात की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता कि अर्नेस्ट मनी लिया ही न गया हो। उल्लेखनीय है कि अर्नेस्ट मनी प्रत्येक मुहर बन्द टेण्डर के साथ दिया जाना चाहिए। अर्नेस्टमनी की धनराशि 1 लाख तक अनुमानित मूल्य वाली सामाग्री के लिए 1500 तथा इसके उपर प्रत्येक 1 लाख उसके या उसके उपर के लिए अतिरिक्त रू0 1000.00 होना चाहिए।

(4). जमानत धनराशि से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नही किया गया जिससे इस बात की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता कि जमानत की धनराशि लिया ही न गया हो। जमानत की धनराशि टेण्डर स्वीकृति होने के बाद ली जायेगी। जो संबिदा मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार इसके बगैर ठेका न करना वैध होगा और न ही तब तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। जब तक की अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर ठेके के विलेख पर ठेकेदार और खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाय।

(5.) निविदा प्रपत्र के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार रू0100 के स्टैम्प पेपर के साथ अनुबन्ध गठित किया जाना चाहिए किन्तु पत्रावली में अनुबन्ध पत्र संलग्न नही पाया गया।

स्पष्ट है कि टेण्डर प्रक्रिया की खानापूर्ति कर कुछ लोगो को लाभ पहुचाया गया है तथा संस्था को टेण्डर प्रक्रिया अपनाने से होने वाले लाभ से वंचित किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो में उक्त टेण्डर प्रक्रिया का पालन न कर रू0 24481525.00 की अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री धनन्जय उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो में प्रयुक्त सामाग्री रू0 25565492.00 के भुगतान के सापेक्ष नियमानुसार 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर टी0डी0एस0 रू0 572667.00 की कटौती की गयी। किन्तु संबंधित शीर्ष में ससमय जमा न कर धन का दुरूपयोग किया गया। जिसके लिए तत्तकालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार धनन्जय उत्तरदायी हैं। अतः कटौती की गयी समस्त धनराशि को संबंधित शीर्ष में जमा करने के साथ-साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री धनन्जय पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

11- क्षेत्र पंचायत- शांहगज जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-20 दिनांक 31.03.2022 को विभिन्न मदो में रु0 1544896.60 को अवशेष रखा गया है | जबकि उक्त समस्त योजनाओ को बंद हुये काफी समय व्यतीत हो चुका है | अनुदान को रोके जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है | जो सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के विरुद्ध रहा | जिसके लिए श्री अनुराग राय, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एव श्री दिनेश कुमार, लेखाकार उत्तरदायी है | अतः अप्रयुक्त अनुदान रु0 1544896.60 वित्तीय सहायता दाता को वापस किये जाने हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है |

क्र0 स0	योजना का नाम	वर्षान्त में शेष
1	हरिजन पेयजल योजना	10591.10
2	विशेष समावित्त योजना	2400.00
3	ग्रा0भू0रो0 योजना	12.00
4	एस0जी0आर0वाई0	645514.50
5	निर्बल वर्ग आवास	884487.00
6	रा0 उन्नत चूल्हा योजना	1892.00
	योग	1544896.60

12- क्षेत्र पंचायत- सिरकोनी जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-21 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत माह अगस्त 2021 में रु० 288017.17 एव् माह जनवरी 2022 में रु 32000 अर्थात कुल रुपया

(288017.28+32000=320017.28) 320017.28 का व्यय अनुदान रजिस्टर में दर्शित हैं । जिसमें रू 17.28 बैक चार्ज के रूप में सम्मलित है । इस प्रकार व्यय धनराशि रू 320000.00 की पुष्टि में कोई भी पत्रावली /विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती हैं

उत्तर प्रदेश शासनदेश सं०-161/2017/44वी.आई.पी./26-03-2017-4(188)/93 टी सी दिनांक 12-10-2017 के प्रस्तर (ग) के अनुसार प्रत्येक जोड़ी के विवाह पर रु०51000 अनुमन्य था ।(रु०35000 लाभार्थी के खाते में अंतरण+रु 10000 विवाह सामग्री पर एव् रु 6000 विवाह आयोजन पर खर्च)! अभिलेखों /विवरण के अभाव में स्पष्ट नहीं है कि व्यय, शासनादेश के अनुरूप हूआ है अथवा नहीं । अतः रु० 320000.00 अनियमित व्यय हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी श्री प्रवीन कुमार त्रिपाठी एव् लेखाकार श्री मोहम्मद शकील अंसारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-22 ग्रान्ट रजिस्टर एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू 239855.00 व्यय किया गया किन्तु धनराशि रू 239855.00 से सम्बन्धित अभिलेख ध्व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण व्यय अपुष्टित रहा् । जिससे व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती हैं तथा वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री शकील अंसारी उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 बैंक स्टेटमेन्ट खाता संख्या 430502011013158 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा सिरकोनी के अनुसार ब्लाक स्वच्छ परियोजना प्रबंन्ध इकाई योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021.22 में रू 383032.26 व्यय किया गया,जिसमें रू 70.8 बैंक चार्ज के रूप में शामिल है इस प्रकार व्यय धनराशि रू 382961.46 से सम्बन्धित अभिलेख /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण व्यय अपुष्टित रहा~ ए जिससे व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती हैं तथा वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री शकील अंसारी उत्तरदायी है । उल्लेखनीय है कि उक्त मद का लेखा ग्रान्ट रजिस्टर में नही किया गया है।

अतः रु० 382961.46 अनियमित व्यय हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एव् लेखाकार श्री शकील अंसारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 बैंक स्टेटमेन्ट खाता संख्या 140502011011377 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा सिरकोनी के अनुसार चैदहवा वित्त आयोग तकनीकी एवं प्रशासनिक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू 312476.90 व्यय किया गयाए जिसमें रू 5.90 बैंक चार्ज के रूप में शामिल है इस प्रकार व्यय धनराशि रू 312471.00 से सम्बन्धित अभिलेख व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण व्यय अपुष्टित रहा। जिससे व्यय के नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती हैं तथा वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी

एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि उक्त मद का लेखा ग्रान्ट रजिस्टर में नही किया गया है।

अतः रु० 312471.00 अनियमित व्यय हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एव् लेखाकार श्री शकील अंसारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 अनुदान रजिस्टर-2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनटाइड योजना अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो पर भुगतान दर्शित है। किन्तु मांगोपरान्त कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही करायी गयी

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामाग्री का मूल्य	जी0एस0टी कटौती की धनराशि	इनकम टैक्स कटौती की धनराशि	सामाग्री क्रय पर शुद्व भुगतान	मजदूरी पर व्यय	कुल धनराशि
1	सुल्तानपुर द्वितीय में हिसामपुर से सोलंकी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	489031-00	9781-00	-	479250-00	34000-00	513250-00
2	बहतीपुर में ट्वेल से प्रा0लि0तक खडण्जा निर्माण कार्य	682562-00	13651-00	-	668911-00	67576-00	736486-00
3	ताला मझवारा में महथा पासी के घर से राजमन के घर तक इण्टर लांकिग कार्य	908405-00	18168-00	-	890237-00	54825-00	945062-00
4	कोतवालपुर में पिच रोड से राम प्रसाद के के घर तक इन्टरलांकिग कार्य	908270-00	18157-00	-	890113-00	54825-00	944938-00
5	जलालुद्दीनपुर में शंकर गुप्ता के घर से महर तक	733761-00	14676-00	-	719085-00	54400-00	773484-00
	योग	3722029-00	74433-00	-	3647596-00	265625-00	3913221-00

अतः रु० 3913221.00 अनियमित व्यय हेतु तत्कालिन खंड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एव् लेखाकार श्री शकील अंसारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है

क0स0	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष 01.04.2021	वर्ष के दौरान कटौती की गई धनराशि	वर्ष के दौरान सम्बन्धित शीर्ष में जमा की गई धनराशि	अन्तिम अवशेष 31.03.2022
1	जी0एस0टी0 टी0डी0एस0	282440-00	272387-00	474350-00	80477-00

लेखा परीक्षा में उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई-

लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान फरवरी 2022 में रू 474350.00 जी0एस0टी0,टी0डी0एस0 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया गया ।जिसमें से रू 282440.00 जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 गत वर्ष में ही जमा किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न करके लेखाकार शकील अंसारी एवं बी0डी0ओ0 श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा लापवाही की गयी ।

रू 80477.00 जी0 एस0टी0,टी0डी0एस0 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर धन का दुरूपयोग किया गया जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री शकील अंसारी उत्तरदायी है।

रू 80477.00 जी0 एस0टी0,टी0डी0एस0 को अविलम्ब सम्बन्धित शीर्ष में जमा करने, भविष्य में नियमानुसार जी0एस0टी0, टी0डी0एस0 की कटौती करने, उससे सम्बन्धित शीर्ष में ससमय जमा कराये जाने तथां सम्बन्धित शीर्षक में जमा करने मे विलम्ब हेतु उत्तरदायी तत्कालीन बी0डी0ओ श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री शकील अंसारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने के उपरांत ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है आयकर की काटी गई धनराशि को निर्धारित समय के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष- 21 में जमा किए जाने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होता है

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न फर्मों को सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान किया गया है जिस पर नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है। जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	**मद का नाम**	**भुगतान योग धनराशि**	**अवधारित आयकर टी0डी0एस0 की धनराशि (2.24 प्रतिशत)**	**कटौती न की गई आयकर टी0डी0एस0 की धनराशि**
1	**राज्य वित्त**	**7014907.00**	**157133.92**	**157133.92**
2	**केन्द्रीयवित्त अनटाइड**	**3722029.00**	**83373.45**	**83373.45**
3	**केन्द्रीय वित्त टाइड**	**5352699.00**	**119900.46**	**119900.46**

	योग	**16089635.00**	**360407.83**	**360407.83**

अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार अवधारित आयकर टी0डी0एस0 की धनराशि रुपया 360407.83नियमानुसार सामाग्री बिल के भुगतान समय कटौती करके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसी भी सामाग्री बिल भुगतान के सापेक्ष आयकर टी0डी0एस0 की कटौती नही की गयी ।

अतः इस धनराशि रू 360407.83 की नियमानुसार वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री शकील अहमद से करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

13- क्षेत्र पंचायत- सुइथाकला जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-28 वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत सुइथकला के ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार निर्माण सामग्री खरीद रू0 5727114.50 किया गया है। लेकिन नियमानुसार 2.24 प्रतिशत टी0डी0एस0 एवं 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की कटौती नही की गयी है। जिससे टी0डी0एस0 रू0 128287.00 एवं जी0एस0टी0 रू0 114542.00 कुल रू0 242829.00 की राजस्व हानि संस्था के लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरस यादव द्वारा की गयी है। विभागीय नियमानुसार ब्याज की गणना तातारिख करते हुए बराबर-बराबर वसूली करके राजस्व जमा की क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 वित्तीय वर्ष- 2020-21 क्षेत्र पंचायत सुइथाकला ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 31.03.2021 को ग्राम पंचायत सभापति प्रशिक्षण/क्षे0सी0प0 मद में रू 1509370.00 अन्तिम अवशेष के रूप में दर्शित है। किन्तु वित्तीय वर्ष-2021-22 के प्रारम्भिक अवशेष में रू0 1509370.00 धनराशि का वर्णन न करके निम्न मदों पशुआश्रय में 79100.00 कार्यालय व्यय में रू0 110370.00 मुख्यमंत्री शादी अनुदान में 608000.00 दर्शाया गया है। जिसके सम्बन्ध में कोई अभिलेख /प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी।परिणाम स्वरूप किसी वित्तीय अनियमितता से इन्कार नही किया जा सकता है । जिसके लिए लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदरस यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 विगत वर्षों से ग्रान्ट रजिस्टर तीतृय में रू 88318.00 "बैंक को "दर्शित है। लेखाकार द्वारा इस सम्बन्ध में पूछ ताछ करने पर कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया गया जिससे किसी वित्तीय अनियमतता की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है उत्तरदायी व्यक्तियो के विरूध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

14- क्षेत्र पंचायत- रामनगर जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-31 1-**<u>ऐसे मद जो विगत वर्षों से 31-03-2022 तक अन्तिम अवशेष के रुप में बना रहा-</u>**

- ग्राण्ट रजिस्टर-iii के अनुसार- इ0आ0प्रशा0 मदमें - 2869=64 रु0
  - राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रम - 2000=00 रु0
  - बी आर जी एफ मद में - 5143=00 रु0
  योग- : 10012-64

इस प्रकार कुल- 10012=64 रु0 विगत वर्षों से ग्राण्ट- iii में अवशेष के रुप में बना रहा, जिसे न तो 31-03-22 तक खर्च किया गया है और न ही सम्बन्धित पक्ष को वापस किया गया है। ऐसा न कर संस्था द्वारा गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नितिन कुमार एवं लेखाकार श्री नीलेश श्रीवास्तव संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 **ऐसे कार्य जिस पर सामग्री भुगतान किया गया परन्तु मस्टर-रोल प्रस्तुत नहीं रहा-**

15 वाँ वि0आ0 के अन्तर्गत कराये गये कार्य जिसका मस्टररोल /ई-पेमेंट वेज लिस्ट/एफ.टी.ओ. नं0 अप्राप्त रहा।	उक्त कार्यों पर सामग्री भुगतान की धनराशि	. रा0वि0यो0 के अन्तर्गत कराये गये कार्य जिसका मस्टररोल /ई-पेमेंट वेज लिस्ट/एफ.टी.ओ. नं0 अप्राप्तरहा।	उक्त कार्यों पर सामग्री भुगतान की धनराशि
1. बनेवरा-पक्की सड़क से उर्मिला के घर तक ख0म0 2. बनेवरा- महेन्द्र पटेल के पाही से पक्की सड़क तक ख0नि0 3. बनेवरा- वंशराज पटेल के घर से महेन्द्र के घर तक ख0म0 4. नोकरा-पक्की सड़क से राजेन्द्र सिंह के मशीन तक ख0नि0	134026.00 72292.00 123439.00 366455.00	1=होरैया- शिवनन्दन के घर से विश्व कर्मा बस्ती तक पक्की नाली निर्माण 2-होरैया- (शुध्दू)/सिपूसिंह के गेट के पास पक्की सड़क से अहिरौली सरहद तक ख0नि0 2-नवेढ़िया-मेन रोड से लेकर नई मखान के घर तक ख0नि0	(130428+76612)= 207040.00 404142.00 63031.00
योग-	696212.00	**योग**	674213.00

उपरोक्त कार्यों पर 15 वाँ वि0आ0 से सामग्री अंश में कुल-696212=00 रु0 तथा रा0वि0आ0 से सामग्री अंश में कुल-674213=00 रु0 इस प्रकार दोनों मदो से कुल-1370425=00 रु0 सामग्री क्रय सापेक्ष मस्टर-रोल ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कार्य के कराये जाने की स्थिति संदिग्ध है।

- आलोच्य वर्ष-2021-22 में रा0वि0यो0 एवं 15वाँ वि0यो0से कराये गये लगभग समस्त कार्यों पर श्रमांश का भुगतान मनरेगा से किया गया है। तालिका में दर्शित उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पत्रावलियों में

विकास खण्ड स्तर से निर्गत ई-मस्टररोल (कच्चा मस्टररोल), ई पेमेंट वेज लिस्ट व उसके सापेक्ष एफ टी ओ संस्था व भुगतानित धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गये, जिस सेमस्ट रोल के बिना कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। (उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जिला पं0 निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के खण्ड-49 (1) के अनुसार उक्त प्रकरण अधिभार योग्य है।)

लेखा परीक्षा के दौरान तालिका में दर्शित कार्यों के सापेक्ष मस्टर रोल प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पटल के लेखाकार से मौखिक एवं लिखित रुप से मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि श्रमांश भुगतान के बिना सामग्री क्रय का भुगतान आधारहीन है तथा कार्य को नहीं कराया गया है।

अतःतालिका में दर्शित समस्त कार्यों पर सामग्री भुगतान की धनराशि,15वाँ वि0आ0मद से कुल-696212=00रु0 तथा रा0वि0आ0 मदसे 674213=00रु0 कुल- 1370425=रु0 श्रमांश के बिना अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नितिन कुमार ब्लॉक प्रमुख एवं लेखाकार श्री नीलेश श्रीवास्तव संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-33

पंचम रा0 वि0 यो0 के अन्तर्गत निम्न कार्यों पर दो बार भुगतान/477587=00रु0 अधिक भुगतान कर ग्राण्ट-ii में दर्ज न किया जाना-

क्र0सं0	कार्यकानाम	(5वां रा0वि0) पासबुककेअनुसारप्रथमभुगतान			(4th रा0वि0) पासबुककेअनुसारद्वितीयभुगतान		
		दिनांक	धनराशि	फर्मकानाम	दिनांक	धनराशि	फर्मकानाम
1-	वासापुर-जूडपुर पक्की सड़क से यादव बस्ती तक इ0ला0	18-9-21	166329=00	पटेल वि0मैटे0	14-10-21	166329=00	पटेल वि0मैटे
2-	होरैया-शिव नन्दन के घर से विश्व कर्मा बस्ती तक पक्की नाली	18-9-21	130428=00	पटेल वि0मैटे0	13-10-21	130428=00	पटेल वि0मैटे

3-	कुतुपुर-पक्की सड़क से ठाकुर बस्ती राहुल सिंह के घर तक इ0ला0	18-9-21	49340=00	पटेल वि0मैटे0	13-10-21	49340=00	पटेल वि0मैटे
4-	पड़रॉव-शिव मंदिर से अरबिन्द तिवारी के घर तक इ0ला0	18-9-21	131490=00	पटेल वि0मैटे0	16-10-21	131490=00	पटेल वि0मैटे
			477587=00		**योग-**	**477587=00**	

- ग्राण्ट रजि0-ii के अनुसार तालिका में दर्शित सभी कार्य के समक्ष भुगतानित धनराशि सितम्बर-2021 में पटेल बिल्डिंग मैटेरियल को सिर्फ एक बार भुगतान दर्शित रहा, जब कि तालिकामें दर्शित पास बुक के अनुसार उक्त सभी भुगतानित धनराशि को दो बार पटेल बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान किया गया है। अतःस्पष्ट है कि तालिका में दर्शित सभी कार्यों पर कुल-477587=00 रु0 अधिक भुगतान किया गया है।
- उक्त कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त पत्रावलियों में पटेल बिल्डिंग मैटेरियल का सिर्फ एक-एक बिल वाउचर संलग्न पाया गया है, जिसका विवरण निर्माण कार्य विवरण के प्रारुप-03 में अंकित है।
- ऑनलाईन फीडिंग के अनुसार तालिका में दर्शित सभी कार्यों पर पटेल बिल्डिंग मैटेरियल को दोबार भुगतान प्रथम भुगतान पांचवी रा0वि0यो0 से तथा दूसरा भुगतान चौथी रा0वि0यो0 से किया गया है। अतःस्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य पर एक ही फर्म को दोबार भुगतान किया गया है।
- उक्त कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त एम0बी0 के अनुसार भुगतान तथा ग्राण्ट रजि0-ii के अनुसार भुगतान की धनराशि लगभग समानुपातिक है, जिसमें अतिरिक्त भुगतान की कोई गुंजाईश नहीं बनती है, परन्तु फिर भी सभी कार्यों पर कुल-477587=00 रु0 अतिरिक्त भुगतान किया गया है।
- उ0प्र0जि0पं0 तथा क्षे0पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम-27 के अनुसार उक्त प्रकरण अधिभार योग्य है।

अतःउक्त भुगतान दो बार या अधिक भुगतान कर तथा ग्रांट- ii में दर्ज न कर तालिका में दर्शित सभी कार्यों परचतुर्थ रा0वि0यो0 से किया गया भुगतान-477587=00 रु0 पूर्णतया फर्जी है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार तथा ब्लाक प्रमुख द्वारा

संयुक्त रुप से अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री नितिन कुमार , ब्लाक प्रमुख तथा लेखाकार श्री नीलेश श्रीवास्तव संयुक्त रुप से उत्तदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-34

.टेण्डर से सम्बन्धित आपत्तिः (प्रतिभूति /जमानत की धनराशि एवं बयाने की धनराशि/ अर्नेस्टमनी के बिना टेण्डर स्वीकृत आदेश पारित करना):-

ले0प0 वर्ष-2021-22 में 15वाँ वि0आ0 एवं पंचम रा0वि0आ0 से कराये गये समस्त कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत की गई निविदा एवं आपूर्ति का विवरण निम्नवत हैं-

क्रम सं0	नाम	कार्य	आपूर्ति की धनराशि जी0सी0टी0 +आय कर छोड़कर लगभग	निविदा के अनुसार फर्म, जिसके द्वारा आपूर्ति की गई	योग्य प्रतिभूति/अर्स्टमनी की राशि
1.	15. वाँ वि0आ0	15 कार्य	5313875.00	ईंट उद्योग	531387.00
2.	5. वाँ वि0आ0	15 कार्य	5509592.00	ईंट उद्योग	550955.00
3.	5. वाँ वि0आ0	10 कार्य	4458580.00	ईंट उद्योग	445858.00
4.	5. वाँ वि0आ0	04 कार्य	1287472.00	साईं इण्टर लॉकिंग	128747.00
5.	5. वाँ वि0आ0	05 कार्य	594226=00	विल्डिंग मैटेरियल	59422.00
		योग	17163705.00	**योग**	1716369.60
• **संख्या 4, 5 के दर्शित कार्य क्रम संख्या 2 व 3 के कार्यों से ही सम्बन्धित है इसे अतिरिक्त कार्य न समझा जाये।**					

- उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23(1) के अनुसार स्वीकृत फर्म द्वारा ठेके /आपूर्ति की धनराशि के 10% जिसमें अर्नेस्टमनी को समाहित करते हुये प्रतिभूति / जमानत की धनराशि जमा की जायेगी।
- कोई भी ठेका / आपूर्ति आदेश तब तक वैध नहीं होगा और कोई निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा, जब तक उक्त नियत राशि जमा न कर दी जाये।
- टेण्डर प्रपत्र के अनुबन्ध/ करार/विलेख में अन्य आदेशों के साथ उक्त शर्तों पर स्वीकृत निविदा के ठेकेदार/ फर्म के साथ ख0वि0अधि0 द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। (उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-121)
- अनुमोदित ठेकेदार का रजिस्टर नर खाजाना तथा निर्धारित रजिस्ट्री शुल्क नलिया जाना(उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-18)

- ले0पं0वर्ष-2021-22 में ले0पं0 के दौरान टेण्डर से सम्बन्धित प्राप्त पत्रावली में प्रेस विज्ञप्ति की प्रति, तुलनात्मक चार्ट, स्वीकृत आदेश-पत्र, फर्मों के ठेकेदारों के आधार जी0एस0टी0एन0 आयकर एवं 500-500 रु0 के सादा स्टैम्प पेपर पत्रावली में संलग्न पाये गये, जबकि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन एवं अभिलेख पत्रावली में अप्राप्त रहा। पत्रावली में प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति की प्रति में उल्लेखितनियम व शर्तों के क्र0सं0-4 में भी जमानतराशि एफ0डी0आर0 या एन0एस0सी0 के माध्यम से खण्ड वि0अधि0-रामनगर-जौनपुर के यहाँ बंधक रखने का उल्लेख किया गया है।
- इस प्रकार संस्था द्वारा (क्षे0पं0-रामनगर) निविदा प्रक्रिया को सिर्फ श्मसान ये,तथा निविदा प्रक्रिया का पूर्ण पालन न करते हुये, महज निविदा की औपचारिकता निभाया गया है।
- निविदा से सम्बन्धित अन्य आपत्तियों में पंचम राज्यवित्त यो0 से कराये गये 25 कार्यों में से लगभग 19 कार्य, केन्द्रिय वि0यो0 हेतु प्रेस विज्ञप्ति कार्य में से कराये गये हैं। जो गम्भीर विषय है। आपत्ति यह है कि जब के0 वि0 यो0 से ही कार्य कराया जाना था तो पंचम रा0 वि0 यो0 के कार्य हेतु विज्ञापन पर अनावश्यक ब्यय क्यों किया गया। अतःनिविदा के नाम परविज्ञापित धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।
- इस प्रकार उपरोक्त आपत्तियों एवं तालिका में दर्शित विवरण से स्पष्ट है कि स्वीकृत फर्मों/ठेकेदारों से कुल कार्यों पर सामग्री आपूर्ति की धनराशि के सापेक्ष कुल-1716370.00 रु0 की प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर0./एन0एस0सी0 के रुप में संस्था द्वारा बंधकर रखा जाना था, परन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड वि0अ0 श्री नितिन कुमार एवं लेखाकार श्री नीलेश श्रीवास्तव संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-35

क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्ग त क रायेग ये कार्य के सापेक्ष कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख एवं बिल-वाउचर (मानक के अनुरुप) प्रस्तुत न कियाः-

- उक्त योजना के अन्तर्गत गौ आश्रय स्थल-कुम्भापुर में सोलर पम्प स्थापना का कार्य कराया गया है, जिसके सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ पाई गई-
- उक्त कार्य हेतु लेखा परीक्षा में प्राप्त टेण्डर पत्रावली में ठेकेदारो का सिर्फ तुलनात्मक चार्ट, 1. रुद्र इ0प्रा0 2. वेदान्ता इ0प्रा0 तथा 3. हाईलाईट इ0प्रा0, जिसमें हाई लाईट इ0प्रा0 को स्वीकृति प्रदान की गई है, के सापेक्ष फार्म बिक्रय से प्राप्त धनराशि बयाने की धनराशि तथा जमानत राशि स्वीकृत फर्म से प्राप्त नहीं किया गया।
- निविदा तिथि एवं प्रकाशन का प्रमाण अप्राप्त/ अतःनिविदा के नाम पर सिर्फ औपचारिकता किया गया है।

- उक्त कार्य हेतु-239855=00 कास्टीमेट के सापेक्ष 239855=00 रु0 हाई लाईट इण्टरप्राईज (वी0एन0 -59, दि0-28-5-21) को भुगतान किया गयै है, जबकि एम0बी0 ले0प0 मेंअप्राप्त रहा।
- बिल-वाउचर पर अंकित अलग –अलग सामग्रियों के समक्षधन राशि विवरण अंकित न कर एक मुश्त धनराशि अंकित कर दिया गया है, जिससे वाउचर मानक के अनुरुप नहीं पाया गया तथा वारंटी/गारन्टी अंकित नहीं रहा, और न ही इससे सम्बन्धित अलग से प्रमाणक प्रस्तुत किया गया।
- कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र ले0प0 में अप्राप्त।
- उक्त योजना केअन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यों-देशपत्र ले0प0 में अप्राप्त रहा, जिससे इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त योजना की धनराशि से सोलर पम्प स्थापित किया जाना हैअथवा अन्य कार्य कराया जाना था।
- तथ्यों से स्पष्ट ह कि उक्त कार्य का पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में महत्वपूर्णअभिलेख प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता किया गया है। (उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1965 के नियम-174) जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नितिन कुमार एवं लेखाकार श्री नीलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36

वासापुर,मार्ग व दूबे के घर से पिच रोड़ तक इण्टर लॉकिंग कार्य (200मी0) पर एम0बी0 के सापेक्ष बहुत कम श्रमांश भुगतान एवं कार्य पूर्ति प्रस्तुत न कि ये जाने से कार्य अपूर्ण की स्थिति-

- उक्त कार्य वर्ष-2020-21 का है, जिसमें इण्टर लॉकिंग ईंट का भुगतान वर्ष-2021-22 में किया गया है।
- प्राप्त पत्रावली के अनुसार ब्यय विवरण निम्नवत्है-
- लागत-7.60 लाख (सामग्री-696427+श्रय-63436) एम0बी0 सामग्री-596531+श्रमांश-54983.00
    - **भुगतान का विवरण-**

क्र0सं0	फर्म का नाम	भुगतान की राशि	कैश रिकार्ड/बाउचर नं0.	आयकर छोड़कर शुध्द भुगतान एवं दिनांक	श्रमांश भुगतान
1.	ईंट उद्योग (15वॉं वि0आ0)	1324072.00	45175080/वी0नं0 पी/130	128000.00(13.2.21)	एम0आर0नं0 7521 वेज लिस्ट नं0 लिस्ट 0772

1.	पटेल वि0मैटे0 (15वाँ वि0आ0)	121803.00	45177810/ वी0नं0 पी /131	116639.00(13.3.21)	अवधि-17-12-21से31-12-21 तक
1.	ओम इ0प्रा0(5thरा0वि0आ0)	340656.00	45190734/ वी0नं0 पी /1	326212.00(14.9.21)	एफ0टी0ओ0-2247290 धनराशि-14280
				570851.00	14280.00

- ले0प0 में प्राप्त पत्रावली के अनुसार श्रमांश पर कुल-14280=00 रु0 का मस्टररोल प्राप्त रहा, जबकि एम0बी0. के अनुसार श्रमांश पर 54983=00 रु0 की एम0बी0की गई है। किसी कार्य के पश्चात की गई एम0बी0की धनराशि एवं भुगतान की धनराशि में भारी अन्तर से स्पष्ट है कि यातो एम0बी0फर्जी है, या फिर कार्य पूर्ण नहीं है।
- उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र ले0प0 में प्रस्तुत नहीं रहा।
- उक्त कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ ले0प0 में प्रस्तुत नहीं रहा।
- तालिका केअनुसार एक ही कार्य के सभी भुगतानों का केश रिकार्ड में अन्तर पाया गया।
- उक्त कार्य रा0वि0 के अन्तर्गत वर्ष-2021-22 में दर्शित रहा, जबकि भुगतान सिंह ईंट एवं पटेल वि0मैटे0 को 15 वाँ वि0आ0 से तथा ओम इ0प्रा0 को 5 वाँ रा0वि0 आयोग से किया गया है, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।
- नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य की समय-सीमा में वृद्धि के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया।

- अत: उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भुगतान के समय वित्तीय नियमों की अनदेखी करना, कार्य पूर्ति एवं त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ ले0प0 में प्रस्तुत न किया जाना, श्रमांश मद में एम0बी0. एवं वास्तविक ब्यय में भारी अन्तर एवं एक ही कार्य के केश रिकार्ड में अन्तर तथा बिना कारण के कार्य की समय-सीमा में वृध्दि कर तथा कार्य को पूर्ण न कराकर कुल-585131=00 की गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नितिन कुमार एवं लेखाकार श्री नीलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ले0प0 वर्ष-2021-22 के अनाहरित चेकों एवं बैंक खातों तथा उसके समाधान की स्थिति के अनुसार चैंक संख्या-0870268, चैंक संख्या-0870276 तथा चैंक संख्या-00071 से कुल धनराशि 14430=00 रु0 विगत वर्षों (2014 व 2017 से) से अनाहरित के रुप में बना हुआ है जिसके समाधान के लिए विगत वर्षों की पास बुक, ग्राण्ट रजि0-2 व 3 ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त अनाहरित चेकों की स्थिति अज्ञात रहा उक्त चैंक एवं धनराशि से किस मद हेतु चैंक निर्गत किया गया / चैंक की धनराशि आहरित की गई अथवा नहीं की

पुष्टि ले0प0 में नहीं कराया गया, जबकि किसी चेंक की वैधता 6 / 3 माह तक अनकैस्ड की स्थिति में स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए थी परन्तु ग्राण्ट-3 में उसे लगभग 8 से 9 वर्ष ब्यतीत होने के बाद भी अनाहरित दर्शाया जा रहा है।

- अतः उक्त अनाहरित चेकों की स्थिति स्पष्ट न कर संस्था द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नितिन कुमार एवं लेखाकार श्री नीलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

14- क्षेत्र पंचायत- बक्शा जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-38 .निम्न विवनणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 भुगतान फर्म / मजदूर को न करके कार्यप्रभारी/ अन्य कर्मचारी को किया गया है

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	संबंधित मद जिससे भुगतान किया गया है।
1	कम्प्प्यूटर रिफिलिंग / मरम्मत	30.6.21	03431.	8050.00	रोहित शर्मा कम्प्यूटर आरेटर	मनरेगा प्रशासनिक मद
2	02 नग सीलिंग फैन क्रय	12.07.21	034313	6000.00	अंगत यादव कम्प्यूटर आपरेटर	मनरेगा प्रशासनिक मद
3	महिला मेट प्रशिक्षण फैन क्रय	0706.21	034346	15000.00	अंकित सिंह ए0पीओ0	मनरेगा प्रशासनिक मद
4	लखनउ टूर एण्ड टेवेल्स हेतु	08.10.21	016022	9482.00	अंकित सिंह ए0पीओ0	मनरेगा प्रशासनिक मद
5	कम्प्यूटर रिफलिंग /मरम्मत	13..1.22	016025	5575.00	अंकित सिंह ए0पीओ0	मनरेगा प्रशासनिक मद
6	मनरेगा सिक्योर लैब की स्थापना	13.1.22	016023	38940.00	अंकित सिंह ए0पीओ0	मनरेगा सिक्योर लैब
7	पंचायत निर्वाचन में डीजल क्रय	31.03.22	052494	24131.00	आमोद कुमार सिंह लेखाकार	पंचस्थानीय कार्यालय से
8	मनरेगा सोशल आडिट प्रशिक्षण में नास्ता	19.02.22	052494	6138.00	जयनाथ यादव सोशल आडिट कोर्डिनेटर	मनरेगा प्रशासनिक मद

9	बूथ निर्माण की धनराशि पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021	28.06.21	0529481	46025.00	आमोद कुमार सिंह	उप जिलाधिकारी बदलापुर द्वारा दिनांक 02.06.2021 उपलब्ध कराया गया
			योग–	159341.00		

उपरोक्त् विवरण से स्पष्ट है कि कुल रू0 159341.00 का भुगतान सेवा प्रदाता करने को /क्रय संबंधी फर्म को भुगतान न कर व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को एवं लेखाकार द्वारा स्वयं चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है तथा जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव सिंह एवं लेखाकार आमादे कुमार सिंह एवं भुगतान प्राप्त करने वाल कर्मचारी का संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त् अनियमितता की धनराशि की वसूली उत्तरदायी तीनो पक्षों से किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 में रू0 117360.00 व्यय विकास खण्ड परिसर में पूर्व में निर्मित शौचालय मरम्मत पर सामग्री हेतु रू0 105864.00 एवं मजदूरी पर रू0 11496.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उपरोक्त सामाग्री एवं मजदूरी पर कुल रू0 117360.00 भुगतान श्री सुशील कुमार शर्मा सहायक लेखाकार जो कार्य प्रभारी भी है, को किया गया है। जबकि नियमतः सामग्री क्रय संबंधित फर्म कान्हा व्रिक्स मरगूपुर एवं रूद्रा इण्टर प्राइजेज आराजी विशुनपुर जौनपुर को भुगतान किया जाना था तथा मजदूरी की धनराशि का भुगतान मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 117360.00 का भुगतान नियम विरूद्ध करते हुए अनियमितता की गई है तथा इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार आमोद कुमार सिंह एवं सहायक लेखकार श्री सुशील कुमार शर्मा (कार्यप्रभारी) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 वर्ष् 2021–22 में निम्न विवरणानुसार धनराशि डीजल क्रय हेतु व्यय/ भुगतान दर्शित किया गया हैः–

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	मद का विवरण
1	17.06.21	7742.00	रघुवंशी फिलिंग स्टेशन सिरकोनी	मनरेगा प्रशासनिक मद
2	02.09.21	4547.00	बुडलैण्ड सर्विस स्टेशन महरूपुर सिरकोनी	मनरेगा प्रशासनिक मद
3	02.09.21	16213.00	बुडलैण्ड सर्विस स्टेशन महरूपुर सिरकोनी	स्वच्छ भारत मिशन(एस0बी0एम0)
4	29.11.21	18724.00	बुडलैण्ड सर्विस स्टेशन महरूपुर सिरकोनी	स्वच्छ भारत मिशन(एस0बी0एम0)
5	18.12.21	17870.00	बुडलैण्ड सर्विस स्टेशन महरूपुर सिरकोनी	स्वच्छ भारत मिशन(एस0बी0एम0)
	योग–	65096.00		

उक्त भुगतान के संबंध में निम्न आपत्तियॉ हैः–

1– लेखा परीक्षा में डीजल क्रय से संबंधित वाहन का लागबुक प्रस्तुत नही किया गया। जिससे डीजल क्रय पर दर्शित व्यय रू0 65096.00 की पुष्टि नही की जा सकी।

2– उपरोक्त् विवरण से स्पष्ट है कि डीजल क्रय जो किया गया है वह बक्शा विकास खण्ड परिधि क्षेत्र से बाहर जा कर किया गया है। डीजल क्रय हेतु विकास क्षेत्र से बाहर आने जाने में भी डीजल का उपभोग किया जाना नियम विरूद्ध है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार आमोद कुमार सिंह एवं सहायक लेखकार श्री सुशील कुमार शर्मा (कार्यप्रभारी) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 वर्ष 2021–22 में निम्न विवरनणानुसार सामग्री क्रय पर धनराशि का भुगतान किया गया हैः–

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि	सामग्री जो क्रय किया गया	संवंधित फर्म	विवरण
1	01.01.22	133653.00	बिल्डिंग मैटेरियल	आर0एल0 कन्सट्रक्शन नौपेडवा जौनपुर	बीरभानपुर में पिच रोड से महानन्द पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।
	01.01.22	187177.00	ईट क्रय	उर्मिला ईट भट्ठा	” ” ” ”
	01.01.22	463096.00	ह्यूम पाइप क्रय	साइन स्पून पाइप फैक्ट्री	” ” ” ”
	योग–	783926.00			
2	01.01.22	247144.00	ईट क्रय	विनोद कुमार तिवारी ईट भट्ठा	मंगेसर से पिच रोड से गुलाव पाण्डेय के घर तक खडण्जा कार्य।
3	01.01.22	64559.00	निर्माण सामग्री	आर0एल0 कन्सट्रक्शन नौपेडवा जौनपुर	ग्रा0पं0 नरी में रमाशंकर सिंह के घर के पास पुलिया निर्माण हेतु
		48229.00	ईट क्रय	उर्मिला ईट भट्ठा	
	योग–	112688.00			
4	01.01.22	182252.00	ईट क्रय	विनोद कुमार तिवारी ईट भट्ठा	मोहनपुर में मुख्य मार्ग से केवट बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य।
5	01.01.22	8830.00	बिल्डिंग मैटेरियल	आर0एल0 कन्सट्रक्शन नौपेडवा जौनपुर	ग्राम पंचायत नरी में पिच रोड से रमाशंकर सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।
		27955.00	ईट क्रय	महेन्द्र यादव ईट भट्ठा	” ” ” ”
	योग–	116345.00			
6	01.01.22	252764.00	ईट क्रय	विनोद कुमार तिवारी ईट भट्ठा	ग्राम पंचायत गोरियापुर में खडण्जा कार्य।

7	01.01.22	168507.00	ईट क्रय	महेन्द्र यादव ईट भट्ठा	बडारी में अगरौरा पुलिया तक खडण्जा कार्य।
8	01.01.22	332374.00	ईट क्रय	उर्मिला ईट भट्ठा	ग्रा0पं0 रावतपुर में पिच रोड से चौरामाता मंदिर तक खडण्जा कार्य
	योग–	2196000.00			
9	01.01.22	3835747.00	ईट क्रय	महेन्द्र यादव ईट भट्ठा	कई ग्राम पंचायतों में कुल 432 नग सोख्ता गड्ठा (शोकपिट) निर्माण हेतु।
10	01.01.22	1494396.00	निर्माण सामग्री	आर0एल0 कन्सट्रक्शन नौपेडवा जौनपुर	” ” ” ”
	योग–	5330143.00			

उपरोक्त सारणी में कुल धनराशि रू0 7526143.00 का ईट क्रय एवं निर्माण सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है। ईंट क्रय एवं निर्माण सामग्री क्रय संबंधित पत्रावली में निर्माण कार्य पर मजदूरी संबंधी मस्टररोल संलग्न नही पाया गया लेखा परीक्षा की अंतिम तिथि 22.032023 तक उपरोक्त् सामग्री क्रय के सापेक्ष मजदूरी भुगतान संबंधी अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में सुलभ नही रहा। पूरे वर्ष में धनराशि का दुरूपयोग किया गया है तथा इस कृत्य के लिए खण्ड विकास अधिकारी राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार आमोद कुमार सिंह एवं सहायक लेखकार श्री सुशील कुमार शर्मा (कार्यप्रभारी) समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से निम्न विवरणानुसार धनराशि का आहरण एवं भुगतान बैक खाते के पासबुक से दर्शित है–

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	29.04.2021	12025117	25000.00	आमोद कुमार सिंह लेखाकार
2	30.10.2021	1202035381	19650.00	नरेन्द्र कुमार कम्प्यूटर आपरेटर
3	06.12.2021		14550.00	फैव्रिक इन्फोटक द्वारा नेफट
4	11.01.2022	2035384	10000.00	पिशु
5	01.02.2022	2035385	9665.00	सुनील कुमार
		योग	78865.00	

उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में सुलभ नही कराया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी राजीव कुमार सिंह एवं लेखाकार आमोद कुमार सिंह एवं सहायक लेखकार श्री सुशील कुमार शर्मा (कार्यप्रभारी) उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद - वाराणसी

क्षेत्र पंचायत - चिरईगांव जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-1

आलेच्य वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में आयकर कटौती का रू0 76082.00 अवशेष रहा। जिसे संस्था द्वारा जमा नही किया गया। वर्ष के दौरान आयकर कटौती रू0 41147.00 की गयी। कुल आयकर की धनराशि

रू0 117229.00 में रू0 37728.00 जमा कर दिया गया। उक्त की पुष्टि अभिलेखों से की गयी। शेष रू0 79501.00 जमा न कर अनियमितता की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता गुप्ता एवं लेखाकार कल्लू कुमार चौरसिया उत्तरदायी हैं। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-2)

प्रस्तर-2

आलोच्य वर्ष 2021-22 में जी0एस0टी0 कटौती अवशेष रू0 94638.00 था। वर्ष के दौरान जी0एस0टी0 रू0 181601.00 की कटौती हुई। कुल रू0 276239.00 में से रू0 178182.00 जमा किया गया। शेष रू0 98057.00 जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती अराधना त्रिपाठी व लेखाकार श्री बृजेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - काशी विघापीठ

जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यो पर रू0 436454.00 की आयकर कटौती न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है विवरण निम्नवत है-

क्रम	मद	कार्य का नाम	सामग्री भुगतान की धनराशि	आगणित आयकर जिसकी कटौती नही की गयी
1	राज्यवित्त	अखरी मेन रोड से सरोज नर्सिग होम तक इण्टर लाकिंग कार्य	752632.00	15052.00
2	राज्यवित्त	सुल्तानपुर में अशोक के घर से राम बचनके घर तक इ0ला0 कार्य	543616.73	10872.00
3	राज्यवित्त	ब्लाक परिसर में आवासीय भवन के पीछे ख0 मरम्मत	403492.00	8070.00
4	राज्यवित्त	रमना में पिच रोड से शिव शंकर के घर तक इ0 ला0 कार्य	525897.00	10518.00
5	राज्यवित्त	करसडा में वशिष्ठ नारायण के घर से छुन्ना लाल पटेल के घर तक इ0 ला0 कार्य	354106.00	7082.00
6	राज्यवित्त	घमहापुर मे रमेश के घर से राम चरित्र के घर तक इ0 ला0 कार्य	345121.00	6902.00
7	राज्यवित्त	करसड़ा में ऋषि के घर से प्रेमशंकर के घर तक इ0ला0 कार्य	899544.00	17991.00

8	राज्यवित्त	विशुनपुर में विजय शंकर के घर से विद्यापति के घर तक इ0ला0 कार्य	265507.00	5310.00
10	राज्यवित्त	करौता रोहनियां रोड से बटोरन हरिजन के घर तक इ0ला0कार्य	437474.00	8749.00
11	राज्यवित्त	माधोपुर में अलगू के घर से बनारसी के घर तक इ0ला0 कार्य	353574.00	7071.00
12	राज्यवित्त	उचगांव(दाउदपुर) में पिच रोड से संतोष पटेल के घर तक इ0ला0कार्य	715949.00	14319.00
13	राज्यवित्त	अमराखैराचक में संजय के घर से राजेश मिश्रा के घर तक इ0ला0 कार्य	383600.00	7672.00
14	राज्यवित्त	खुलाशपुर बाली पुर में मेन रोड से बी0डी0सी0 के घर के पीछे नहर तक इ0ला0कार्य	431425.00	8628.00
15	राज्यवित्त	अखरी में राजेन्द्र पटेल के घर से गोले राजभर के मकान तक इ0 ला0 कार्य	263336.82	5267.00
16	राज्यवित्त	सामुदायिक स्वा0 केन्द्र मिसिरपुर मरम्मत कार्य	768746.77	15375.00
17	राज्यवित्त	सामुदायिक स्वा0 केन्द्र रमना मरम्मत कार्य	735971.94	14719.00
18	राज्यवित्त	कल्लूपाल के घर से नटवाबीर बाबा तक इ0 ला0 कार्य	908426.44	18168.00
19	राज्यवित्त	मूडादेव में राम नरेश पटेल के मकान से अमेरिका के मकान से होते हुए पीपल के पेड तक इ0 ला0 कार्य	410210.00	8204.00
20	राज्यवित्त	बेटावर में पिच रोड से मुरली उपाध्याय के घर तक इ0 ला0कार्य	863712.00	17274.00
21	राज्यवित्त	खण्ड विकास अधिकारी विश्राम कक्ष मरम्मत कार्य	979898.34	19598.00
22	केन्द्रीय वित्त	हरिहरपुर शोभनाथ के घर से श्यामलाल के घर तक इ0ला0कार्य	457215.00	9144.00
23	केन्द्रीय वित्त	घमहापुर में मंशा के घर से सुशील के घर भूमिगत नाली कार्य	475688.07	9514.00
24	केन्द्रीय वित्त	विकास खण्ड परिसर में इ0 ला0 कार्य	893340.00	17867.00
25	केन्द्रीय वित्त	वि0ख0 परिसर में आंगनबाडी कार्या0 के सामने इ0ला0 कार्य	458720.00	9174.00
26	केन्द्रीय वित्त	चंदापुर में माँ सरस्वसी विघालय से जी0टी0 1 मंन्दिर तक इ0ला0 कार्य	468660.00	9373.00
27	केन्द्रीय वित्त	विकास खण्ड परिसर में पशु हास्पिटल के सामने इ0ला0 कार्य	583087.00	11662.00
28	केन्द्रीय वित्त	बैठक हाल का सुन्दरीकरण	939033.00	18781.00
29	केन्द्रीय वित्त	भट्ठी में कुम्हार बस्ती में प्रेम शंकर के घर से जीवधन के घर तक इ0ला0 कार्य	421548.00	8431.00
30	केन्द्रीय वित्त	डेल्हना में पिचरोड से गोवंश आश्रय स्थल तक इ0ला0 कार्य	571189.00	11423.00

31	केन्द्रीय वित्त	जफराबाद में दिनेश के घर से रामनाथ के घर तक भूमिगत नाली कार्य	386036.69	7721.00
32	केन्द्रीय वित्त	भठ्ठी में पंधारी प्रजापति के घर से डीहबाबा मंन्दिर तक इ0ला0 कार्य	404756.00	8095.00
33	केन्द्रीय वित्त	अखरी में मेन रोड से रंगनाथ यादव के घर तक इ0ला0 का0	463951.00	9279.00
34	केन्द्रीय वित्त	छितौनी में छोटेलाल के घर से निर्मल पटेल के घर तक इ0ला0 कार्य	368898.00	7378.00
35	केन्द्रीय वित्त	उचगांव में हीरा पटेल के घर से सोनू शर्मा के घर तक इ0 ला0 कार्य	920473.00	18409.00
36	केन्द्रीय वित्त	कोरौता गोपालपुर में कैलाश मौर्या के घर से अजीत गौड़ के घर तक भूमिगत नाली कार्य	368313.00	7366.00
37	केन्द्रीय वित्त	कुरहुआ राजभर बस्ती में लल्लन के घर से मल्लू के घर तक भूमिगत नाली कार्य	355170.00	7103.00
38	केन्द्रीय वित्त	छितौनी में मन्ता पटेल के घर से दीना पटेल के घर तक भूमिगत नाली	414820.00	8296.00
39	केन्द्रीय वित्त	अखरी में अलगू कन्नौजियां के घर से लालचंद कनौजिया के घर तक इ0ला0कार्य	275951.00	5519.00
40	सांसद निधि	डेल्हना, बखरिया अनंतपुर में स्ट्रीटलाईट कार्य	722700.00	14454.00
41	अनुरक्षण मद	वि0 ख0 परिसर में चौकीदार आवास, जेनरेटर रूम तथा गैरेज का मरम्मत	531020.00	10620.00
योग-			21822808.11	436454.00

उक्त गम्भीर अनियमितता रू0 436454.00 में से रू0 105090.00 के लिये तत्कालीन खं0वि0अधि0 श्रीमती रक्षिता सिंह तथा तत्कालीन लेखाकार श्री बृजेश कुमार पाण्डेय तथा रू0 331364.00 के लिये तत्कालीन खं0 वि0 अधि0 श्रीमती आराधना त्रिपाठी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री बृजेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। य़थोचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

आलेच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के अंतर्गत कुल रू0 759086.00 की कटौती की गयी है। इस आलोच्य वर्ष के दौरान रू0 750790.00 राजकीय कोषागार में जमा किया गया तथा रू0 8296.00 संस्था में रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 श्रीमती आराधना त्रिपाठी तथा लेखाकार श्री बृजेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

क्षेत्र पंचायत - हरहुआ
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22
प्रस्तर-5

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड परिसर में विभिन्न स्थानों पर सोलरलाइट स्थापना कार्य पर रू0 29574.00 तथा विकास खण्ड परिसर एवं विभिन्न ग्राम पंचायत के स्थानों पर स्ट्रीटलाइट स्थापना कार्य पर रू0 238369.00 (कुल रू0 267943.00) का भुगतान मै0 गायत्री कनसट्रक्सन सोयेपुर वाराणसी को किया गया है। उक्त भुगतान पर निम्न लेखा परीक्षा आपत्तियाँ है-

1- उक्त सोलर लाइट का स्थापना कार्य नेडा उ0 प्र0 अथवा उसके द्वारा अनुमोदित फर्म से न कराकर एक कन्सट्रक्शन कम्पनी से कराया गया है जो आपत्तिजनक है।

2- उक्त सोलर लाइट का स्थापना किन स्थानो पर किया गया है, का विवरण अप्राप्त रहा।

3- कार्य पत्रावली में पी0एफ0एम0एस0 शीट संलग्न नही है।

4- कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ उपलब्ध नही रहा।

5- स्ट्रीटलाइट का स्थापना कार्य एक विद्युत सामग्री आपूर्तिकर्ता कम्पनी से न कराकर एक कन्सट्रक्शन कम्पनी से करायी गयी है जो आपत्तिजनक है।

6- उक्त स्ट्रीटलाईट का स्थापना ग्राम पंचायत में किन स्थानो पर किया गया है, का विवरण अप्राप्त रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रू0 267943.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी धर्मेन्द्र प्रसाद व्दिवेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी हैं। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा आयकर स्रोत पर कटौती के अंतर्गत कुल रू0 500349.00 की कटौती की गयी है। आलोच्य वित्तीय वर्ष के अंत तक कटौती की गयी धनराशि रू0 500349.00 को निर्धारित शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा न कर संस्था में रोककर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 श्री धर्मेन्द्र प्रसाद व्दिवेदी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री रवीन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी हैं। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के अंतर्गत कुल रू0 445007.00 की कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष के दौरान रू0 300722.00 राजकीय कोषागार में जमा किया गया तथा रू0 144285.00 संस्था में रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र प्रसाद व्दिवेदी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रविन्द्र कुमार यादव उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

इस मद में वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अवशेष रू0 1027.00 था तथा वित्तीय वर्ष के दौरान इस मद में रू0 445007.00 प्राप्त हुआ तथा रू0 300722.00 व्यय किया गया । वर्षांत में रू0 144285.00 अवशेष रहा। गणनानुसार रू0 145312.00 अवशेष होता है तथा अंतर रू0 1027.00 है। माह जून के अंतिम शेष को जुलाई माह में प्रारम्भिक शेष शून्य अंकित कर रू0 1027.00 को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार रू0 1027.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र प्रसाद व्दिवेदी तथा तत्कालीन लेखाकार श्री कल्लू कन्नौजिया उत्तरदायीं हैं। ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - बड़ागाँव

जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-9

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री क्रय पर व्यय रू0 13210534.00 रहा इस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से रू0 264210.68 आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन संस्था के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से आयकर की कटौती न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपांकर आर्य एवं तत्कालीन लेखाकार श्री विजयकान्त सिंह उत्तरदायी हैं। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्षान्त में रू0 449340.00 की जी0 एस0 टी0 कटौती राजकीय कोषागार में जमा करायी जानी शेष है। इस प्रकार राजकीय धन रू0 449340.00 को रोककर रखा जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपांकर आर्य एवं तत्कालीन लेखाकार श्री विजयकान्त सिंह उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

निर्माण कार्यो में सन्निहित श्रंमाश का भुगतान सीधे प्रत्येक मजदूर/ श्रमिक के खाते में किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि एवं पूर्वाचल विकास निधि तथा मधुमख्खियाँ गौशाला के अन्तर्गत कराये गये कार्यो हेतु श्रमांश का भुगतान प्रत्येक मजदूर/ श्रमिक के खाते में न करके अनियमित तरीके से कार्य प्रभारी को किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर विधायक निधि के कार्यो की मजदूरी रू0 792400.00 एवं पूर्वाचल विकास निधि की मजदूरी रू0 109900.00 तथा मधुमख्खियाँ गौशाला की मजदूरी रू0 167820.00 कुल रू0 1070120.00 श्रमांश भुगतान इसी तरीके से किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस तरीके से श्रमांश भुगतान होने से मजदूरों /श्रमिको को उचित मजदूरी प्राप्त होने की पुष्टि नहीं होती है, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के पूर्णतः प्रतिकूल है तथा गम्भीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक हैं। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपांकर आर्य एवं तत्कालीन लेखाकार श्री विजयकान्त जिम्मेदार है। कार्यो की सूची निम्नलिखित है।

1- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के कार्यो की मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी को

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	मजदूरी की धनराशि (रू0) मे
1.	ग्राम पंचायत असवारी में प्राथमिक विद्यालय में बाँउन्ड्री वाल का निर्माण	79020.00

2.	ग्राम पंचायत अनेई में ब्रह्म बाबा मंदिर के सामने घाट का निर्माण कार्य	66320.00
3.	ग्राम सभा मधुमखियाँ में प्रधानमंत्री सड़क से श्रीपत पटेल के घर तक इन्टरलाकिंग	32340.00
4.	ग्राम सभा बसनी में (चनौली) में सुरेश सिंह के मशीन के पास से मंदिर तक ब्रिक खड़ंजा कार्य	62000.00
5.	विकास खण्ड बड़ागाँव में ताड़ीडीह मुख्य मार्ग से नन्दलाल तिवारी के मकान तक इन्टरलांकिग कार्य	29700.00
6.	ग्राम पंचायत रसुलहा में अकोढा रोड से डीह बाबा मंदिर गेट तक ब्रिक खड़ंजा कार्य	62000.00
7.	ग्राम सभा कनियर विकास खण्ड बड़ागाँव में कनियर भीटी मार्ग पर पिच रोड़ से अकबाल सिंह के घर तक इण्टरलाकिगं कार्य	-----
8.	ग्राम सभा विश्वनाथपुर विकास खण्ड बड़ागाँव में पिच रोड से मायाशंकर पटेल के घर तक इण्टरलाकिगं कार्य	40600.00
9.	ग्राम पंचायत चंगवार में पिच रोड राजेश के मशीन से ए0 एन0 एम0 सेंटर तक पिच रोड़ तक सी0 सी0 रोड कार्य	-----
10.	ग्राम सभा भीटी में विकास खण्ड बड़ागाँव में सुरेश मिश्रा के चक से डा0 मन्नर राम पटेल के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	35140.00
11.	हसनपुर वीरांव पिच सड़क से साईपुर जीबोध सिंह के चक तक ईट खड़ंजा कार्य	------
12.	हसनपुर अनेई पिच मार्ग से स्व0 वीरेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग	56880.00
13.	ग्राम पंचायत अकोढा में आदर्श पोखरा / जलाशय पर सीढी निर्माण कार्य	116060.00
14.	ग्राम पंचायत बौलिया में जय प्रकाश चौरसिया के घर से मेवा शाह के घर तक ईट खड़ंजा कार्य	----
15.	रसुलहाँ में अकोढा मार्ग से नन्द किशोर के घर होते हुए सत्येन्द्र सिंह के घर तक सी0 सी0 रोड का निर्माण	74400.00
16.	ग्राम पंचायत कनियर में नारायण राजकीय नलकूप शीतला प्रधान के खेत से प्रधानमंत्री रोड़ कृष्णदेव के घर तक ईट खड़ंजा कार्य	-----
17.	नयेपुर बरजी पिच मार्ग से संजय सिंह के घर से होते हुए सभाजीत पटेल के घर तक इण्टरलाकिगं का कार्य	46160.00
18.	ग्राम सभा मनेर कालिका धाम मार्ग से पूर्व प्रधान अवधेश सिंह के घर से होते हुए सर्वजीत सिंह एवं देवेन्द्र सिंह तक इण्टरलाकिंग कार्य	-----
19.	बलुआ में स्व0 सागर सिंह के घर से दुखी हरिजन के बगल से जमुना साव के घर तक ब्रिक खड़ंजा कार्य	----
20.	कोदई में तालुकदार सिंह के घर से महेश मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	37020.00

21.	ग्राम सभा दबेथुआ में मीराशाह कठिराँव सम्पर्क मार्ग से पाल बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	54760.00
	योग	792400.00

2 - <u>पूर्वाचल विकास निधि की मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को</u>

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	मजदूरी की धनराशि (रू0) मे
1	चक खरावन में विकास खंड बड़ागाँव में पिच रोड से राजेन्द्र के मशीन तक ईट खड़ंजा कार्य	83360.00
2	ग्राम पंचायत खरावन में भिखारीपुर बौली से के0 जी0 बी0 बैंक रोड़ खरावन तक इण्टरलाकिगं कार्य	26540.00
	योग	109900.00

2- <u>मधुमख्खियाँ गौशाला की मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को</u>

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	मजदूरी की धनराशि (रू0) मे
1	ग्राम पंचायत मधुमख्खियाँ में निराश्रित गौशाला स्थल	167820.00

क्षेत्र पंचायत - सेवापुरी
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

<u>प्रस्तर-12</u>

आयकर टी0 डी0 एस0 की कटौती आलोच्य वर्ष 2021-22 में सामग्री खरीद रू0 11318628.00 के सापेक्ष बिल (सूची1) से कुल रूपये 226372.60 की कटौती न कर गंभीर अनियमितता की गयी है. जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री रमाशंकर सिंह और लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-13</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि से रू0 1577576.00 व्यय किया गया है लेखा परीक्षा के दौरान अंतरिम आपत्ति में व्यय प्रमाणक, एस्टिमेट, मापपुस्तिका, फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति आदि की मांग की गई लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न किया गया इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रू0 1577576.00 का अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रमाशंकर सिंह और लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा उत्तरदायी है। विवरण निम्न है-

मद/ कार्य का नाम	व्यय धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	वसूली की धनराशि
सांसद निधि	448782.00	खंड विकास अधिकारी श्री रमाशंकर सिंह लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा	खण्ड विकास अधिकारी 50% लेखाकार 50%
पूर्वांचल विकास निधि	848191.00		
प्रोजेक्टर पर व्यय	69874.00		
विकासखण्ड सुन्दरीकरण	210729.00		
योग	1577576.00		

प्रस्तर-14

क्रय सामग्री और मजदूरी सम्बन्धी अधोलिखित भुगतान का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि बिना बाउचर और मस्टर रोल के ही अग्रिम भुगतान किये गये हैं क्योंकि वाउचर के अनुसार भुगतान तिथियाँ बैंक के अनुसार भुगतान तिथि से आगे की हैं। अंतरिम आपत्ति में समाधान की अपेक्षा की गयी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार कुल रू0 1175836.00 का मनमाने ढंग से वित्तीय नियमों के विपरीत भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रमाशंकर सिंह और लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	सामग्री भुगतान वाउचर न0/ दिनांक	धनराशि रू0	मजदूरी / मस्टर रोल पर तिथि	बैंक के अनुसार भुगतान
सकलपुर ए.एन. एम	वाउचर न0 99 व / 06.04.22	296474.00	08.04.22 से 10.05.22	14.12.21
गहरपुर ए.एन. एम	वाउचर न0 151 व 152 / 06.04.22	295629.00	05.04.22 से 02.05.22	14.12.21
ठठरा ए.एन. एम	वाउचर न0 155 व 156 / 05.04.22	284784.00	04.04.22 से 01.05.22	14.12.21
बिहड़ा ए.एन. एम	वाउचर न0 154 व 153 / 06.04.22	298949.00	04.04.22 से 01.05.22	14.12.21
	योग	1175836.00		

प्रस्तर-15

वाउचर और मस्टर रोल पर तिथि का अंकन नहीं - लेखा परीक्षा के दौरान पत्रावली कि जाँच में यह पाया गया कि अधोलिखित कार्य के सामग्री भुगतान के वाउचर और मस्टर रोल पर तिथि का अंकन नहीं किया गया है। अपवाद में व्यय प्रमाणक पर तिथि का अंकन न पाया जाना संभव है लेकिन एक से ज्यादा में अंकन न पाया जाना गंभीर लापरवाही और बिना प्रमाणक के भुगतान की संभावना को सूचित करता है। अंतरिम आपत्ति में समाधान की अपेक्षा की गयी थी लेकिन ऐसा नही किया गया इस प्रकार रूपये 3115181.00 की गंभीर अनियमितता

के लिए खंड विकास अधिकारी श्री रमाशंकर सिंह और लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा उत्तरदायी है। विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	वाउचर नं0 / मस्टर रोल	धनराशि	
ग्राम पंचायत इसरवार में मुत्युज्य के खेत से नाला तक जल निकासी ह्यूम पाइप कार्य सीवर	वा0 न0 - 158	247722.00	डेट नही
ग्राम पंचायत भोरकला में पिच रोड़ से अमरनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	वा0 न0 - 93	333330.00	डेट नही
ग्राम पंचायत हरिहरपुर में देहली माता मन्दिर शौचालय निर्माण	वा म0 रो0 - 1.2 म0 न0	23578.00 8704.00	डेट नही
ग्राम पंचायत घोसीला में कस्तूरबा गांधी वालिका विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य	वा0 न0 - 205 वा0 न0 - 59 म0 रो0 - 1,2,3	23578.00 193683.00 29792.00	डेट नही
ग्राम पचवार में भोनू के घर से पप्पू और मोती के सीवर लाइन	म0 रो0 - 1,2	22722.00	डेट नही
विकास खण्ड परिसर में सामुदायिक शौचालय	वा0 न0 - 204 वा0 न0 -	23578.00 8704.00	डेट नही
कपसेठी थाना में सामुदायिक शौचालय निर्माण	म0 रो0 - 206	23578.00	डेट नही
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवापुरी प्रांगड़ में शौचालय निर्माण	वा0 न0 - 201-202 म0 रो0 - 1,2,3	282513.00 55216.00	डेट नही
ग्राम सकलपुर एएन एम सेंटर मरम्मत कार्य	वा0 न0 - 99-100	296474.00	डेट नही
गोसाईपुर में झिलमिल यादव के घर से रमेश यादव के घर तक खड़जा कार्य	वा0 न0 - 11/ वा0 न0 - 807/	39139.00 251086.00	डेट नही
ग्राम पंचायत तेंदुई के यादव बस्ती में रामलाल के खेत से शारदा प्रसाद के घर तक खड़जा	वा0 न0 - 13/ वा0 न0 - 809	49160.00 141077.00	डेट नही
विकास खंड के 5 आवासीय भवनों का मरम्मत	वा0 न0 -89/ म0 रो0 -1-4	94144.00 23186.00	डेट नही
विकास खण्ड परिसर में सीडीपीओ का0 कक्ष एवं	वा0 न0 - 86/	112526.00	डेट नही
ग्राम पंचायत हिरमपुर में लल्लू पासी से भैया लाल के घर तक खड़ंजा	वा0 न0 - 12 वा0 न0 - 808	399791.00 94171.00	डेट नही
पी एच सी सेवापुरी में सामुदायिक शौ0	वा0 न0 - 201-202 म0 रो0 - 1-3	282513.00 55216.00	डेट नही
	योग	3115181.00	

प्रस्तर-16

त्रिस्तरीय पंचायत को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के सबंधं में मार्ग दर्शक सिद्धान्त-शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक - 31.06.2015 में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत के बिन्दु दो के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती

है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें। इस्टीमेट से यह अस्पष्ट रहा कि राजस्व ग्राम संबंधी आदेश का परिपालन किया गया है या नही। कार्य विवरण पत्रावली के अनुसार अधिकांश कार्य ग्राम पंचायत में ही कराये गये है। इस प्रकार गाइडलाइन का पालन न कर रू0 5769496.00 के दुर्विनियोग के लिए खंड विकास अधिकारी श्री रमाशंकर सिंह और लेखाकार श्री बिहारी सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

विवरण निम्नवत है-

	राज्य वित्त 2021-22 कार्य का नाम व पूर्ण पता	सामग्री शु0 भु0	मजदूरी
1	ग्राम तेंदुइ मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	84712.00	17160
2	ग्राम बरेमा में ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	126493.00	19756
3	ग्राम रामेश्वरम मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	86090.00	16168
4	ग्राम कपसेठी मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	312662.00	54604
5	ग्राम राम डीह मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	175286.00	69972
6	ग्राम सकलपुर मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	78558.00 296474.00	16525 53146
7	ग्राम गहरपुर मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	78723.00 295629.00	12614 56700
8	ग्राम ठठरा मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	41209.00 36368.00 11403.00 3193.00 284784.00	27114 54352
9	ग्राम बिहड़ा मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	46772.00 36368.00 11402.00 3193.00 298949.00	24347 53082
10	ग्राम सिखड़ी मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	22909.00 36368.00 2682.00	15845
11	ग्राम बरकी मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	104032.00	32509
12	ग्राम हाथी मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	183069.00	54367
13	ग्राम करधना मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	54786.00 11403.00 35922.00	17262
14	ग्राम मनियारीपुर मे ए एन एम सेंटर मरम्मत कार्य	86012.00	17568
15	प्रा0 स्वा0 केन्द्र सेवापुरी प्रांगड़ मे ई0 लाँ0 रोड़ निर्माण और टाइल्स	325768.00	55760
16	गोसाईपुर में झिलमिल यादव के घर से रमेश यादव के घर तक खड़ंजा कार्य 20-21	39139.00 251086.00	76226
17	ग्राम पंचायत तेंदुई के यादव बस्ती में रामलाल के खेत से शादरा प्रसाद के घर तक खड़ंजा 20-21	49160.00 141077.00	46066

18	विकासखंड के 5 आवासीय भवनों का मरम्मत और साज सज्जा	94144.00	23186
19	वि0 ख0 प0 में सी0 डी0 पी0ओ0 कक्ष में साज सज्जा एवं शौ0 नि0	112526.00	
20	ग्राम पंचायत बरेमा में हिमाचल पटेल के मशीन से अमरजीत सिंह खड़ंजा		12768
21	ग्राम पंचायत चकलोल में शिवशंकर बाग से अखिलेश सिंह खड़ंजा		49237
22	ग्राम पंचायत हिरमनपुर में लल्लू पासी से भैया	399791.00 94171.00	129093
23	विकास खंड परिसर में बी0 डी0 ओ0 आवास मरम्मत	380639.00	31117
	योग	4732952.00	1036544
	सम्पूर्ण योग	5769496.00	

क्षेत्र पंचायत - आराजीलाईन
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा जी0 एस0 टी0 स्रोत पर कटौती के अंतर्गत कुल रू0 395353.00 की कटौती की गयी है। इस मद में गत वर्ष का रू0 564982.00 प्रारम्भिक शेष था जिसे दिनांक 08.11.2021 को निर्गत (चेक संख्या 010389 रू0 240510.00 पंचम वित्त, चेक संख्या 010390 रू0 321502.00 पंद्रहवां वित्त , तथा चेक संख्या 000121 रू0 2970.00 विधायक निधि द्वारा जमा कर दिया गया है।
आलोच्य वर्ष में की गयी जी0 एस0 टी0 कटौती धनराशि रू0 395353.00 को निर्धारित शीर्ष में राजकीय कोषागार में जमा न कर वर्ष पर्यन्त (31 मार्च 2022 तक) संस्था में रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खं0 वि0 अधि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, खं0 वि0 अधि0 श्री विजय कुमार जायसवाल तथा लेखाकार कैलाश कुमार सोनकर उत्तरदायी हैं। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा सांसद आदर्श ग्राम निधि से ग्राम पंचायत परमपुर में सामुदायिक शौचालय बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराया गया हैं। जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक कुमार शर्मा ग्राम विकास अधिकारी है। इस कार्य पर दिनांक 23.12.2021 को चेक संख्या 310394 से रू0 61754.00 मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी श्री दीपक कुमार शर्मा को किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संलग्न

मस्टर रोल पर दिनांक 01.12.2021 से 07.12.2021 तथा दिनांक 08.12.2021 से 14.12.2021 तक कार्य कराया गया है, पर श्रमिकों के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान अंकित नही हैं।

मस्टर रोल पर श्रमिकों द्वारा धनराशि प्राप्त न करने से स्पष्ट होता है कि आहरित धनराशि रू0 61754.00 कूट रचित मस्टर रोल तैयार कर अपहृत कर ली गयी है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार जायसवाल तथा कार्य_प्रभारी श्री दीपक शर्मा एवं लेखाकार श्री कैलाश सोनकर से किया जाना अपेक्षित है जो इसके लिए उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 19

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा सांसद आदर्श ग्राम निधि से ग्राम पंचायत परमपुर में जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण (टाइल्स, पेण्टिंग एवं विद्यालय भवन मरम्मत) कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री दीपक कुमार शर्मा ग्राम विकास अधिकारी है। इस कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल जिस पर 12 श्रमिकों ने 7 दिन तक कार्य किया है तथा चेक संख्या 010400 दिनांक 20.01.2022 से कार्य प्रभारी श्री दीपक कुमार शर्मा को रू0 22456.00 का भुगतान किया गया है के विरूद्ध निम्न आपत्तियाँ है-

क- मस्टर रोल पर कार्य की अवधि अंकित नही है।

ख- मस्टर रोल पर क्रमांक 10,11तथा 12 के श्रमिक क्रमशः धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सुखई राम, करन राय पुत्र राधे, तथा दीपक राय पुत्र साधुराम के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान अंकित नही है।

ग- मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में न कर कार्य प्रभारी को किया गया है।

घ- मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है तथा उस पर क्रमांक अंकित नही है।

अतः स्पष्ट होता है कि कूट रचित मस्टर रोल तैयार कर श्रमांश रू0 22456.00 का अपहरित कर ली गयी हैं जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार जायसवाल तथा कार्य प्रभारी श्री दीपक शर्मा एवं लेखाकार श्री कैलाश सोनकर से किया जाना अपेक्षित है। जो इसके लिए उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

भारत सरकार के परिपत्र संख्या 65/39/2018 -डीओआर दिनांक 14-09-2018 तथा उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा- 51 के अतंर्गत स्रोत पर कर कटौती का प्रवाधान है जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि रू0 2.50 लाख से अधिक के किसी भी प्रकार के सेवा एवं माल के क्रय के सापेक्ष भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से एस0जी0टी0 तथा एक प्रतिशत की दर से सी0 जी0एस0 टी0 (कुल 2 प्रतिशत) की दर से जी0एस0टी0 (टी0 डी0 एस0) की कटौती की जायेगी।

आलेच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा भुगतान किये गये रू0 15362414.00 के सापेक्ष रू0 307248.30 की जी0एस0टी0 (टी0डी0एस0) की कटौती नही कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, श्री विजय कुमार जायसवाल तथा लेखाकार कैलाश सोनकार उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा 15वाँ वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत कुरूसातो में राम लखन बिंद के घर से गिरजा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री सुरजीत गुप्ता (ग्रा0पं0अधिकारी) है। इस कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी भुगतान का विवरण निम्नवत है-

क्रमाक	दिनांक	धनराशि		धनराशि प्राप्तकर्ता
		सामग्री	मजदूरी	
1	25-03-2022	----------	992.00	श्रमिक (अब्दुल हसन व विवेक यादव)
2	25-03-2022	36761.00	---------	मे0 महेश्वर इ0प्रा0 गंगापुर वाराणसी
योग		36761.00	992.00	
		कुल योग- 37753.00		

उक्त भुगतान के विरूध्द निम्नलिखित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ है-

1- पत्रावली में संलग्रन मस्टर रोल पर कार्य की अवधि (कब से कब तक कार्य हुआ) अंकित नही है।

2- भुगतान हेतु संलग्न नोटशीट पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही है केवल लेखाकार के हस्ताक्षर अंकित है।

3- मे0 महेश्वर इ0प्रा0 गंगापुर वाराणसी के बिल संख्या 292 पर दिनांक 4-4-2021 अंकित है जिससे स्पष्ट होता कि भुगतान लगभग एक वर्ष लम्बित रहा जिसका कारण स्पष्ट नही रहा।

अतः स्पष्ट है कि कूटरचित अभिलेख तैयार कर कर भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये कार्य प्रभारी सुरजीत गुप्ता, लेखाकार कैलाश सोनकार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार जायसवाल उत्तरदायी है। वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-22</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा 15वाँ वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत हरपुर में नया टयूबवेल रिंग रोड़ से हरसोस बार्डर तक खड़ंजा निर्माण कार्य कराया गया है जिसके कार्य प्रभारी श्री सुरजीत गुप्ता (ग्रा0पं0 अधिकारी) है। इस कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी भुगतान का विवरण निम्नवत है-

क्रमाक	दिनांक	धनराशि		धनराशि प्राप्तकर्ता
		सामग्री	मजदूरी	
1	24-01-2022/29-03-2022	78084.00	---------	मे0 समीर इ0 प्रा0 गंगापुर वाराणसी
2	24-01-2022/29-03-2022	491620.00	---------	मे0 आई0बी0एफ0 ब्रिकफील्ड रूपापुर वाराणसी
	24-01-2022/29-03-2022	----------	125496.00	श्रमिक
योग		569704.00	125496.00	
		कुल योग- 695200.00		

उक्त भुगतान के विरध्द् निम्नलिखित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ है-

1. पत्रावली में संलग्नक 6 प्रयुक्त मस्टर रोल पर कार्य की अवधि (कब से कब तक कार्य हुआ) अंकित नही है।
2. भुगतान हेतु संलग्न नोटशीट व कार्य प्रभारी की माँगपत्र पर खण्ड विकास अधिकारी व ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर अंकित नही है जबकि दोनो की मात्र मुहर लगी है। केवल लेखाकार के हस्ताक्षर अंकित है।

3. मे0 आई0बी0एफ0 ब्रिकफील्ड रूपापुर वाराणसी के बिल सं0 301 पर बिक्रेता के हस्ताक्षर अंकित नही हैं।
4. मस्टर रोल पर खण्ड विकास अधिकारी की पेड/कैन्सल्ड की मात्र मुहर लगी है हस्ताक्षर अंकित नही है।
5. मस्टर रोल 2 पर विश्वकर्मा शर्मा पुत्र लखचंन्द्र शर्मा, वकील पुत्र कमला प्रसाद तथा कैलाशनाथ सिंह पुत्र जगरनाथ पटेल के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि निर्धारित नियमों का अनुपालन न कर अपूर्ण/कूटरचित अभिलेख तैयार कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये कार्य प्रभारी सुरजीत गुप्ता, लेखाकार कैलाश सोनकर तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार जायसवाल उत्तरदायी है। वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद – भदोही मण्डल का नाम- विंध्याचल

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022
क्षेत्र पंचायत भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -1

लेखा परीक्षा में देखा गया कि दिनांक 30/3/22 को आयकर कटौती की धनराशि रुपया 1835619=00 संस्था पर अवशेष रहा समस्त कटौती की गई धनराशिको निर्धारित समय के अंतर्गत राज्य कोश के निर्धारित मद में जमा करना होता है । इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हुए आयकर की संपूर्ण कटौती धनराशि रुपया 1835619=00 रोककर अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री राजाराम एवं लेखाकार श्री कपूर चंद व जितेंद्र बहादुर सिंह उत्तरदाई रहे हैं। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(साधारण आपत्ति सं०-17)

प्रस्तर -2

लेखा परीक्षा में देखा गया कि दिनांक 30/3/22 को वैट कटौती धनराशि रुपया 66153=00 संस्था पर अवशेष रहा । समस्त कटौती की गई धनराशि को निर्धारित समय अंतर्गत राज्य कोश के निर्धारित मद में जमा करना होता है। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हुए वैट की संपूर्ण कटौती धनराशि रुपया 66153=00 रोककर अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री राजाराम एवं लेखाकार श्री कपूर चंद व जितेंद्र बहादुर सिंह उत्तरदाई रहे हैं। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(साधारण आपत्ति सं०-18)

प्रस्तर -3

लेखा परीक्षा में देखा गया कि दिनांक 30/3/22 को जी.एस.टी. कटौती धनराशि 97077=00 संस्था पर अवशेष रहा । समस्त कटौती की गई धनराशि को निर्धारित समय अंतर्गत राज्य कोश केनिर्धारित मद में जमा करना होता है। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हुए जी एस टी की संपूर्ण कटौती धनराशि रुपया 97077=00 रोककर अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री राजाराम एवं लेखाकार श्री कपूर चंद व जितेंद्र बहादुर सिंह उत्तरदाई रहे हैं। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (साधारण आपत्ति सं०-19)

क्षेत्र पंचायत- डीघ भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -4

लेखा परीक्षा में देखा गया कि दिनांक 30/3/22 को आयकर कटौती की धनराशि रुपया 913135=41, वैट कटौती धनराशि रुपया 20178=00, तथा जी.एस.टी.कटौती धनराशि 797385=00 संस्था पर अवशेष रहा। समस्त कटौती की गई धनराशि को निर्धारित समय अंतर्गत राज्य कोश के निर्धारित मद में जमा करना होता है। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हुए आयकर, जमानत, वैट तथा जी एस टी की संपूर्ण कटौती धनराशि रुपया 1730698=41 रोककर अनियमितता की गई है जिसके लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदाई रहे हैं। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(साधारण आपत्ति सं०-2)

प्रस्तर -5

अनुदान रजिस्टर भाग -3 में माह - दिसम्बर 2021 में रू0. 500000=00 का अन्तर पाया गया कारण :--- माह दिसम्बर 2021 का प्रारम्भिक अवशेष रू0. 14634817.00 है। माह में प्राप्त आय रू0. 645000.00 है इस प्रकार कुल योग 15279817=00 होता है , किन्तु अनुदान रजिस्टर में रू0. 15779817=00 अंकित है। जो रू0. 500000=00 अधिक अंकित है । इस प्रकार अन्तर रू0. 500000=00 का है। इस अन्तर के लिए लेखाकार श्री विनय कुमार शुक्ल पूर्ण रूप से उत्तर दायी है । कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(स0 आ0 सं०-3)

प्रस्तर -6

दिनांक 31-03-2022 को रू0. 71998=00 की धनराशि का चेक असमायोजित रहा। विवरण निम्नलिखित है:--

क्रम सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	47044	--	26000=00
2	050552	09-07-2021	45998=00
		योग	71998=00

उक्त विवरण से स्पष्ट क्रमांक -1 पर दिनांक अंकित नहीं है । रू0. 26000.00 असमायोजित चेक गत वर्ष मार्च 2021 या पूर्व से है । क्रमांक -2 पर दिनांक 09.07.2021 से है। अतः उक्त दोनों चेक कालातीत हो गया है। इस अन्तर के लिए लेखाकार श्री विनय कुमार शुक्ल पूर्ण रूप से उत्तर दायी है । कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(स0आ0सं०-4)

क्षेत्र पंचायत - अभोली भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर - 7

आलोच्य वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा में देखा गया की आयकर मद में रू0 646044.00 अवशेष है , जो आयकर के मद में सम्बन्धित विभाग में धनराशि जमा नही की गयी जो की अनियमितता का घोतक है । इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र तथा लेखाकार श्री सत्येन्द्र दुबे पूर्णरूप से उत्तरदायी रहें । कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(स0 आ0 सं०-4)

जनपद–मीरजापुर **मण्डल–विन्ध्याचलधाम**

प्रारूप–3 क्षेत्र पंचायत

1. क्षेत्र पंचायत–छानबे **वर्ष–2021-22**

प्रस्तर–1 अनुदान पंजिका- 3 के अवलोकन से विदित होता है कि वर्षारम्भ से वर्षान्त तक अधोलिखित शीर्षो की धनराशियों यथावत अंकित रही । इन्हें न तो व्यय किया गया, न ही संबंधित विभागों को वापस किया गया-

शीर्ष	**धनराशि**
1. पूर्वांचल विकास निधि	1011374.00
2. आश्रय स्थल / स्क्रीनिंग कैम्प	972.00
3. तकनीकी - प्रशासनिक शीर्ष (14वां वित्त)	324800.00
योग-	**1337146.00**

उक्त धनराशियों को व्यय न करके तथा न वापस करके गंभीर अनियमितता की गई जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण (1) ऋषिमुनि उपाध्याय (2) श्री अश्वनी कुमार सिंह (3) श्री सत्य प्रकाश मिश्रा (4) श्रीमती ऊषा पाल (5) श्री साहित्य प्रकाश मिश्र (6) श्री शरद कुमार सिंह पर जाता है। अतः इसके लिए उक्त सभी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।**(मूल आपत्ति संख्या–08)**

प्रस्तर–2 अनुदान पंजिका- 3 के अवलोकन से विदित होता है कि अधोलिखित शीर्षों की धनराशियों दिनांक 31.03.2022 तक उपयोग / व्यय कर लिया जाना चाहिए था जो नही किया गया ।

शीर्ष	**धनराशि**
1. आय	99298.00
2. मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना	35000.00
3. आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण	800000.00
4. जी0एस0टी0	100628.00
5. रायल्टी	834407.00
योग-	**1869333.00**

इस प्रकार उक्त धनराशियों को पूर्णतः व्यय / जमा न करके गंभीर अनियमितता की गई अतः इन्हें सम्बन्धित योजनाओं पर व्यय किया जाना चाहिए तथा इस अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारीगण (1) ऋषिमुनि उपाध्याय (2) श्री अश्वनी कुमार सिंह (3) श्री सत्य प्रकाश मिश्रा (4) श्रीमती ऊषा पाल (5) श्री साहित्य प्रकाश मिश्र (6) श्री शरद कुमार सिंह उक्त सभी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

आयकर एवं जी0एस0टी0 प्रकरणों में यदि कोई अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारीगण से वसूल कर जमा किया जाना चाहिये ।**(आपत्ति संख्या–09)**

2. क्षेत्र पंचायत–जमालपुर वर्ष–2021-22

प्रस्तर–3 आलोच्य वर्ष में रायल्टी की कटौती रुपया 692415.00 की गयी है एवं गत वर्ष की रायल्टी अवशेष रुपया 191729.00 को मिलाकर कुल रुपया 884144.00 में से रुपया 197350.00 की धनराशि जमा की गयी है। रुपया 686794.00 रायल्टी की धनराशि अवशेष रही जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं की गयी जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए

तत्कालीन लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–02)**

प्रस्तर–4 आलोच्य वर्ष में अनुदान रजिस्टर से स्पष्ट है कि ठेकेदारों के बिलों से की गयी आयकर की कटौती में से रुपया 33545.00 आयकर विभाग में नहीं जमा की गयी जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है ।**(मूल आपत्ति संख्या–03)**

प्रस्तर–5 आलोच्य वर्ष में लेबर सेस कटौती रुपया 306235.00 की गयी है जो पूर्णरूपेण दिनांक 31.03.2022 को अवशेष है। लेबर सेस पूर्ण रूपेण बकाया रखा जाना गंभीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है ।**(मूल आपत्ति संख्या–04)**

प्रस्तर–6 अनुदान रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को जी एस टी की धनराशि रुपया 185996.00 थी | आलोच्य वर्ष में जी एस टी की कटौती रुपया 615698.00 प्राप्त हुआ, जिसमें रुपया 658882.00 की धनराशि जमा की गयी तथा वर्षान्त में रुपया 142812.00 अवशेष रही । नियमानुसार मासिक जी एस टी कटौती की धनराशि अगले माह के 10 तारीख तक जी एस टी खाते में जमा कर दी जानी चाहिए | जी एस टी की अवशेष धनराशि रुपया 142812.00 जमा न किया जाना गंभीर अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी है । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–05)**

3. क्षेत्र पंचायत–सीखड़ वर्ष–2021-22

प्रस्तर–7 आलोच्य वर्ष में रॉयल्टी की कटौती रुपया 11183.00 की गयी है एवं गत वर्ष की रॉयल्टी अवशेष रुपया 57843.00 था। वर्ष में जमा शून्य रहा। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को अवशेष रु0 69026.00 रहा जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। नियमानुसार रॉयल्टी कटौती की धनराशि को निर्धारित शीर्ष में ससमय जमा कर दिया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं कर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए श्री कृष्ण कुमार सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं श्री गुलाब राय तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। अतएव उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–02)**

प्रस्तर–8 अनुदान रजिस्टर के अनुसार दिनांक 01.04.2021 को जी एस टी की धनराशि रुपया 83820.00 थी एवं आलोच्य वर्ष में जी0एस0टी0 की कटौती रुपया 42430.00 प्राप्त दर्शित है। वर्ष में जमा रु0 117682.00 की गयी है। इस प्रकार वर्षांत में रुपया 8568.00 अवशेष रही । नियमानुसार मासिक जी एस टी कटौती की धनराशि अगले माह के 10 तारीख तक जी0एस0टी0 खाते में जमा कर दी जानी चाहिए। जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि रुपया 8568.00 जमा न किया जाना गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए श्री कृष्ण कुमार सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं श्री गुलाब राय तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। अतएव उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या–05)

प्रस्तर–9 आलोच्य वर्ष में अनुदान रजिस्टर से स्पष्ट है कि ठेकेदारों के बिलों से की गयी आयकर की कटौती में से रुपया 8580.00 आयकर विभाग के निर्धारित शीर्ष में नहीं जमा की गयी जो

गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए श्री कृष्ण कुमार सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं श्री गुलाब राय तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है । अतएव उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–03)**

प्रस्तर–10 आलोच्य वर्ष में लेबर सेस कटौती रुपया 4629.00 की गयी है एवं गत वर्ष की लेबर सेस कटौती की धनराशि अवशेष रुपया 57843.00 था। वर्ष मे जमा शून्य रहा। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को अवशेष रु0 25261.00 रहा जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। नियमानुसार लेबर सेस कटौती की धनराशि को निर्धारित शीर्ष में ससमय जमा कर दिया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं कर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए श्री राकश कुमार सिंह व श्री कृष्ण कुमार सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं श्री गुलाब राय तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है ।अतएव उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–04)**

प्रस्तर–11 आलोच्च वर्ष में मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजनान्र्तगत रु0 70000.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय विवरण / पत्रावली अप्रस्तुत रहा। व्यय उ0 प्र0 शासनादेश सं0 40/2019/625/26-3- 2019-4(188)/93 टी0सी0 दिनांक 06.02.2019 के अनुरूप किया गया गया है अथवा नहीं, पत्रावली के आभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव दर्शित व्यय पूर्णतः अनियमित रहा जिस हेतु श्री कृष्ण कुमार सिंह तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री गुलाब राय तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है ।अतएव उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–06)**

4. क्षेत्र पंचायत–मझवां वर्ष–2021-22

प्रस्तर–12 ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को रु0 269068.00 जी.पी.डी.पी. (पं0) योजनान्तर्गत धनराशि विगत कई वर्षो से यथावत दर्शित चला आ रहा है। यह योजना बन्द भी हो चुकी है। अनुदान की धनराशि सदुपयोग न होने की दशा में सम्बन्धित विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को अनुदान की धनराशि वापस कर दिया जाना चाहिए, किन्तु संस्था द्वारा ऐसा कोई प्रयास नही किया गया है। यह अनुदान की धनराशि क्षेत्र पंचायत द्वारा संचालित किस बैंक खाते में जमा है, पुष्टि भी नही कराई गई। जिसके लिए ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकार अनियमित रूप से रोक कर रखने हेतु उत्तरदायी है। अतः इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या -02)**

प्रस्तर–13 क्षेत्र पंचायत मझवॉ द्वारा ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदो से रू0 128566 / रायल्टी की कटौती कर अनुदान रजिस्टर III में आय दर्शित की गई है। किन्तु वर्षान्त तक रायल्टी कटौती की धनराशि राज्य सरकार के निर्धारित खाते में जमा नही किया गया है। ग्राण्ट रजिस्टर में दिनांक 31.03.2022 को रायल्टी कटौती की धनराशि रू0 128566 / अवशेष दर्शित है । अतः राज्य सरकार को देय धनराशि रू0 128566 / अनियमित रूप से रोककर रखे जाने हेतु ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर–14 अनुदान रजिस्टर मे मुख्य मंत्री सामुहिक विवाह योजना निधि के अन्तर्गत माह अगस्त 2021 में माह का अन्तिम शेष रु0 204219 / अंकित है। किन्तु माह सितम्बर 21 में प्रारम्भिक शेष मात्र रू0 4219 ही अंकित किया गया है। स्पष्ट है कि रु0 200000 / से कम शेष ग्राण्ट रजिस्टर में दर्शित है। जिसका अपहरण तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकार के मिली भगत से किया गया है। अतः 200000 / की वसूली तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकार से बराबर 2 भाग में तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या -04)**

प्रस्तर–15 अनुदान रजिस्टर में ब्याज की धनराशि माह दिसम्बर 2021 तक रू0 151156.00 दर्शित है। किन्तु माह जनवरी 2022 मे ब्याज की धनराशि रु0 151156.00 अनुदान रजिस्टर से हटा दिया गया है। इस हेतु अन्तरिम आपत्ति पत्र संस्था को निर्गत किया गया किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया। स्पष्ट है कि रु0 151156.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार से बराबर-बराबर भाग में तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर–16 संस्था के वर्ष 2021-22 के अनुदान रजिस्टर के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार राजकीय देय धनराशि की कटौती विभिन्न मदों से की गई है। किन्तु कटौती के पश्चात निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्धारित कोष / खाते में जमा नही किया गया है । विवरण निम्न है -

क्र 0	**मद का नाम**	**प्रारंभिक शेष**	**वर्ष में प्राप्त**	**योग**	**वर्ष में व्यय जमा**	**वर्षान्त में शेष**
1	आयकर	126034.00	128906.00	254940.00	126034.00	128906.00
2	एस0 जी0एस0टी0	2184.00	68913.50	71097.50	65217.00	5880.50
3	सी0 जी0एस0टी	2184.00	68913.00	71097.50	65217.00	5880.50
				योग	**256468.00**	**140667.00**

उपरोक्तानुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि रु0 140667.00 निर्धारित समयान्तर्गत राज्य सरकार के निर्धारित कोष / खाते में जमा न कर संस्था द्वारा अपने पास अनियमित रूप से रोककर रखा गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त वर्ष में जमा कटौती की धनराशि रु0 256468.00 जमा की पुष्टि में चालान / दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः रु0 256468.00 जमा की पुष्टि नही की जा सकी। अनियमितता हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

5. क्षेत्र पंचायत–राजगढ़ वर्ष–2021-22

प्रस्तर–17 अनुदान रजिस्टर में दिनांक 01.04.2021 को विविध प्राप्ति मद की धनराशि रु0 133230.00 प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शित है। जिसे भाग-3 में भी प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया है। अनुदान रजिस्टर भाग-3 में माह अप्रैल 21 से माह नवम्बर 21 तक यथावत दर्शित किया गया है। किन्तु माह दिसम्बर 21 में बगैर व्यय किये अनुदान रजिस्टर से हटा दिया गया है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु संस्था को अन्तरिम आपत्ति पत्र दिया गया किन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि विविध प्राप्ति मद की धनराशि रु0 133230.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या-02)**

प्रस्तर–18 अनुदान रजिस्टर भाग-3 के अनुसार निम्नांकित विवरणानुसार शासकीय राजस्व की धनराशि विगत वर्षों से यथावत दर्शित किया जा रहा है।

क्र0	**मद**	**धनराशि**	**कब से**
1	आयकर कटौती	50938.00	01.04.2021 से पूर्व
2	वैट कटौती	90613.00	01.04.2021 से पूर्व
3	लेबर सेस	16160.00	01.04.2021 से पूर्व
	योग	**157711.00**	

उपरोक्तानुसार राजस्व कटौती की धनराशि अनियमित रूप से संस्था द्वारा अपने पासरोककर रखा गया है। जबकि नियमानुसार उक्तानुसार धनराशि कटौती करने के ससमय निर्धारित कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया गया है। उक्तानुसार धनराशि संस्था के किस बैंक खाते में जमा है पुष्टि भी नहीं कराई गई। अतः स्पष्ट है कि रु0 157711.00 राजकीय देय धनराशि अनियमित रूप से रोके जाने हेतु संस्था के ख0वि0अ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। अतएव उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या-03)**

6. क्षेत्र पंचायत–सिटी वर्ष–2021-22

प्रस्तर–19 क्षेत्र पंचायत सीटी के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितत का प्रकरण प्रकाश मेंआया–

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत सिटी द्वारा विभिन्न योजनाओं (मदों) में वर्ष में प्राप्त अनुदान का प्रयोग विकास कार्योंमें नही किया गया और न ही बची हुई धनराशि को शासन को वापस किया गया है जोकि निम्नलिखित है -

क.	सांसद विकास निधि	18123
ख.	चतुर्थ राज्य वित्त	7537185
ग.	विधायक निधि	1559474
घ.	पन्द्रहवा केन्द्रीय वित्त आयोग	9198841
इ	मुख्यमंत्री शादी अनुदान	84024
च.	ब्याज की धनराशि	1106895

इस प्रकार कुल धनराशि 19504542.00 रुपये का वर्ष के दौरान विकास कार्य में न तो प्रयोग किया गया और न ही शासन को वापस किया गया जोकि अनियमितता है। जिसके जिम्मेदार श्री श्वेतांक सिंह (बी0डी0ओ0) श्री दिनेश कुमार मिश्र (बी0डी0ओ0), श्री अभिनीत

कुमार (बी0डी0ओ0), श्री रामदरष (बी0डी0ओ0), श्री शिवानन्द (लेखाकार) व श्री शिवकुमार पाण्डेय (लेखाकार) है। **(मूल आपत्ति संख्या–13)**

7. क्षेत्र पंचायत–कोन वर्ष–2021-22

प्रस्तर–20 दिनांक 31/3/2022 के कुल रु0 107294.00 की धनराशि 'रॉयल्टी' शीर्ष में अनुदान पंजिका - 3 में दर्शित थी। इसे वर्ष के अन्तर्गत ही संबंधित विभाग में जमा किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। इस प्रकार इसे जमा न करने राजस्व की हानि की गयी जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव नारायण सिंह पर जाता है । इस गम्भीर अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवनाराण सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या–12)

प्रस्तर–21 अनुदान - पंजिका-3 से विदित होता है कि ब्याज शीर्ष में माह सितम्बर-21 के अन्त में 1127557.00 की धनराशि दर्शित थी । किन्तु माह जनवरी-22 के प्रारम्भ में इस धनराशि को रु0 1118129-00 अंकित किया गया। इस प्रकार इस शीर्ष में माह जनवरी का प्रारम्भिक अवशेष 1127557-1118125= 9428-00 से कम अंकित किया गया । जो अन्तर की धनराशि रु0 9428-00 के अपहरण को सिद्ध करता है अतः इसका दायित्व माह-जनवरी-22 में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव नारायण सिंह पर जाता है। अतः रु0 9428-00 की वसूली श्री शिव नारायण सिंह से तातारीख ब्याज सहित की जानी चाहिए ।**(मूल आपत्ति संख्या–13)**

प्रस्तर–22 अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि दिनांक 31/3/2022 के अन्त में कुल रु0 283059.00 के आयकर शीर्ष में दर्शित थी। इसे वर्ष में जमा किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया इस प्रकार समय से आयकर न जमा करके गम्भीर अनियमितता की गयी जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव नारायण सिंह पर जाता है अतः इसे अविलम्बआयकर विभाग में जमा किया जाना चाहिए तथा इस अनियमितता हेतु तत्कालीन हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव नारायण सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा । यदि आयकर विभाग विलम्ब हेतु कोई अर्थदण्ड आरोपित करता है तो इसे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवनारायण सिंह से वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित होगा ।**(मूल आपत्ति संख्या–14)**

प्रस्तर–23 अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि दिनांक 1/4/2021 को रु0 48319.00 की धनराशि श्रमांश शेष शीर्ष में दर्शित थी जो वर्ष पर्यन्त दर्शायी जाती रही तथा दिनांक 31/3/2022 को भी दर्शित रही। इसे वर्ष 21-22 में सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। इस गम्भीर अनियमितता का पूर्ण दायित्व वर्ष 21-22 में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार शुक्ला, श्री राम दरश चौधरी, श्री सूर्य नारायण पाण्डेय, श्री शरद कुमार सिंह तथा श्री शिव नारायण सिंह पर जाता है अतः प्राथमिकता के आधार पर उक्त रु0 48319.00 को संबंधित विभाग में जमा किया जाना चाहिए तथा इस गम्भीर अनियमितता हेतु उपरोक्त सभी खण्ड विकास अधिकारी गणों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।**(मूल आपत्ति संख्या–15)**

प्रस्तर–24 अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि माह जनवरी- 22 के अन्त में विधायक निधि शीर्ष में कुल रु0 3023626.00 की धनराशि शेष दर्शित थी जबकि रु0 2642626-00 (1 /11 / 22 का प्रारम्भिक शेष) + 381000+ 24.00 (जनवरी - 22 की आय) = 3023650.00 होना चाहिए था । माह फरवरी - 22 के प्रारम्भ में प्रारम्भिक शेष रु0 3023626.00 ही दर्शित रहा तथा फरवरी- 22 के अन्त में शेष धनराशि 3023626.00-2333813.00 (माहका व्यय) = रु0 689813-00 दर्शित रही । माह मार्च 22 के प्रारम्भ में शेष धनराशि रु0 5751112.00 दर्शायी गयी जबकि वास्तविक रूप से यह धनराशि 689813+24 = 689837.00 होती है इस प्रकार 689837-575112-00 = 114725.00 का अन्तर पाया गया। यह दिनांक 31/3/22 तक बचा रहा जिससे स्पष्ट होता है कि इस अन्तर की धनराशि 114725.00 का अपहरण किया गया है। इसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव नारायण सिंह पर जाता है अतः रु0 114725.00 की वसूली श्री शिवनारायण सिंह से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा ।**(मूल आपत्ति संख्या–16)**

प्रस्तर–25 अनुदान पंजिका - 3 से विदित होता है कि खनिज - न्यास निधि शीर्ष में माह नवम्बर - 21 के अन्त में 832541-392596 = रु0 439945 की धनराशि शेष दर्शित होनी चाहिए थी जबकि यह रु0466159-00 दर्शित रही, जिसे माह - दिसम्बर-21 के प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया। इस क्रम में इस दर्शित अवशेष के साथ आगे फरवरी - 22 के अन्त में कुल रु0 90683-00 का शेष दर्शित रहा जबकि गणनानुसार यह 64469.00 होना चाहिए था । माह- मार्च का प्रारम्भिक शेष रु0 53320.00 दर्शित था। जो लेखा परीक्षा की गणनानुसार रु0 64469.00 होना चाहिए था। इस प्रकार इसे रु0 64469-00-53320 = 11149.00 से कम दर्शाया गया है जो इस धनराशि के अपहरण को सिद्ध करता है।

अतः रु0 11149-00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव नारायण सिंह से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा।**(मूल आपत्ति संख्या–17)**

प्रस्तर–26 वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजिका - 3 में माह, जनवरी, फरवरी मार्च 22 की बैंकलेखों में शेष धनराशि का विवरण नहीं अंकित है। इसके बैंक स्टेटमेन्ट एवं पासबुकें भी उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं जिससे स्थिति अज्ञात रही । इन्हें अंकित न करना गम्भीर अनियमितता का परिचायक है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव नारायण सिंह एवं ज्ये0 लेखाकार श्री शिव किशोर पाण्डेय उत्तरदायी हैं अतः इन दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–18)**

प्रस्तर–27 वर्ष 2021-22 में 15वॉ वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चिदलिख में पटेहरा - हुसैनीपुर मार्ग से उत्तर में पी0डी0 मेमोरियल कॉनवेन्ट स्कूल तथा इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया गया है जिसकी एक- आईडी 54422045 है। इस कार्य वर कुल रु0 234034 का कुल व्यय किया गया है। कार्य पत्रावली में रखे गये रु0 34088 के मस्टर रोल पर न तो कार्य का नाम, न तो श्रमिकों के हस्ताक्षर / अंगुष्छाप अंकित पाये गये जिससे स्पष्ट होता है कि यह मस्टर रोल अवास्तविक है। इससे स्पष्ट होता है कि अवास्तविक मस्टर रोल रखकर कार्य की कुल धनराशि 234034.00 का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व कार्य के कार्य प्रभारी श्री कृपाशंकर, तकनीकी अधिकारी श्रीमती प्रिया मिश्रा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद कुमार सिंह एवं शिव नारायण सिंह पर जाता है । अतः धनराशि रु0 234034.00 की वसूली उक्त सभी

अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्मिलित रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा ।**(मूल आपत्ति संख्या–19)**

प्रस्तर–28 अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि दिनांक 31/3/2022 को चतर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग के शीर्ष में रु0 5048704-00 की धनराशि शेष थी । लेखा परीक्षक द्वारा गणना करने पर यह धनराशि 4759941.00(1/4/21 को शेष) + 7498510.00 (वर्ष में प्राप्त) - 7219175 (वर्ष में व्यय) = रु0 5039276-00 होती है । इस प्रकार अनुदान पंजिका - 3 में दर्शित धनराशि इस गणना की धनराशि से रु0 9428-00 अधिक दर्शित है । इस अन्तर का कारण सप्रमाण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा। खण्ड विकास अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।**(मूल आपत्ति संख्या–20)**

प्रस्तर–29 अनुदान पंजिका-3 के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 31/3/22 को जी0एस0टी0 शीर्ष में रु0 88597.00 की धनराशि शेष दर्शित थी। जिसे 10 अप्रैल 2022 तक संबंधित विभाग में जमा कर दिया जाना चाहिए था । इस प्रकार इस धनराशि को समय पर जमा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी । इराका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवनारायण सिंह पर जाता है। अतः इस धनराशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना चाहिए। यदि विभाग कोई आर्थिक दण्ड निर्धारित करता है तो इसे श्री शिवनारायण सिंह से वसूल कर जमा किया जाना चाहिए । **(मूल आपत्ति संख्या–21)**

8. क्षेत्र पंचायत–नारायनपुर वर्ष–2021-22

प्रस्तर–30 वित्तीय वर्ष 2021-22 में जी0एस0टी0 कटौती मद में 01.04.2021 को प्रा0 अवशेष रु000.00 था और वर्ष दौरान रु0547022.00 की कटौती करने के उपरान्त रु0478256.00 सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया परन्तु दिनॉक -31.03.2022 को रु0 68766.00 सम्बन्धित विभाग की धनराशि को रोककर वित्तीय हस्त पुस्तिका लेखा नियम खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-21 के अनुसार कोष नियमावली 7(1) के अधीन बिना किसी असमयक विलम्ब से सरकारी सेवक अपनी शासकीय क्षमता के अधीन प्राप्त धनराशि को रोककर शासकी क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता किया गया है | जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह व श्री श्यामू यादव सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या–04)

प्रस्तर–31 वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेबर सेस कटौती मद में 01-04-2021 को प्रा0 अवशेष रु0 15200.00 था और वर्ष दौरान रु0 181911.00 की कटौती करने के उपरान्त रु0 124924.00 संबंधित विभाग को वापस किया गया परन्तु दिनांक 31-03-2022 को रु0 72187.00 संबंधित विभाग की धनराशि को रोककर वित्तीय हस्त पुस्तिका लेखा नियम खण्ड–5 के भाग–1 के पैरा–21 के अनुसार कोष नियमावली 7(1) के अधीन बिना किसी असमयक विलम्ब से सरकारी सेवक अपनी शासकीय क्षमता के अधीन प्राप्त धनराशि को रोककर शासकीय क्षति पहुँचा कर वित्तीय अनियमितता किया गया है । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह व श्री श्यामू यादव सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । जिनके प्रति विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनरासि को संबंधित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या–05)

प्रस्तर–32 वित्तीय वर्ष 2021-22 में रायल्टी कटौती मद में 01-04-2021 को प्रा0 अवशेष रु0 211522.00 था और वर्ष दौरान रु0 289266.00 की कटौती करने के उपरान्त रु0 90734.00 संबंधित विभाग को वापस किया गया परन्तु दिनांक 31-03-2022 को रु0 410054.00 संबंधित विभाग की धनराशि को रोककर वित्तीय हस्त पुस्तिका लेखा नियम खण्ड–5 के भाग–1 के पैरा–21 के अनुसार कोष नियमावली-7(1) के अधीन बिना किसी असमयक विलम्ब से सरकारी सेवक अपनी शासकीय क्षमता के अधीन प्राप्त धनराशि को रोककर शासकीय क्षति पहुँचाकर वित्तीय अनियमितता किया गया है । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह व श्री श्यामू यादव सहायक लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । जनके प्रति विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि को संबंधित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या–06)

9. क्षेत्र पंचायत–लालगंज वर्ष–2011-12 से 2013-14

प्रस्तर–33 वर्ष 2011-12 में मनरेगा योजना के अंतर्गत भूसी पतरहा नाले पर डाइवर्जन / चेकडैम निर्माण के सापेक्ष कुल रु0 1346071+152717-1498788.00 व्यय किया गया है । तथा दिनांक 11.09.2011 के व्यय प्रमाणक रु0 152717.00 विनय बिल्डर्स पर बिल संख्या नहीं अंकित पायी गयी | तथा कुल व्यय किये गए धनराशि के कार्य पूर्ण होने की प्रमाण पत्र (कार्यपूर्ती) उपलब्ध नहीं रहे । अतः उक्त धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । इस अपहृत धनराशि रु0 152717+1346071=1498788.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री मोहन लाल गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीम जी उपाध्याय, दिलीप सोनकर एवं श्यामधर से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–02)**

प्रस्तर–34 वर्ष 2012-13 में मनरेगा के अंतर्गत कोलकम कला चेक डैम / डाइवर्जन निर्माण हेतु कुल रु0 32880+59160+ 215031=307071.00 का भुगतान किया गया है जिसकी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा तथा पत्रावली में कार्य को हस्तगत लिखा गया है । इस प्रकार यह कार्य एवं भुगतान को लगभग 11 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अतः उक्त धनराशि को अपहृत मानते हुए रु0 307171.00 तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीम जी उपाध्याय, दिलीप सोनकर एवं श्यामधर से मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–03)**

प्रस्तर–35 वर्ष 2011-12 में सांसद निधि योजना के अंतर्गत रु0 27,766.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | पत्रावली/व्यय प्रमाणक के अभाव में इस व्यय की पुष्टि नहीं होती है । इस प्रकार अपुष्टित धनराशि रु0 27,766.00 अपहृत सिद्ध होती है | अतः तत्कालीन उत्तरदायी व्यक्ति श्री मोहलाल गुप्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीम जी उपाध्याय, दिलीप सोनकर तथा श्यामधर से रु0 27,766.00 की वसूली मय ब्याज अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–04)**

प्रस्तर–36 वर्ष 2011-12 में प्रशसनिक मद के अंतर्गत रु0 7,88,782.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया 1 पत्रावली/व्यय

प्रमाणक के अभाव में इस व्यय की पुष्टि नहीं होती है । इसप्रकार अपुष्टितधनराशि रु0 7,88,782.00 अपहृत सिद्ध होता है | अतः तत्कालीन उत्तरदायी व्यक्ति श्री मोहलाल गुप्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीम जी उपाध्याय, दिलीप सोनकर तथा श्यामधर से रु0 7,88,782.00 की वसूली मय ब्याज अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–05)**

प्रस्तर–37 वर्ष 2011-12 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अंतर्गत रु027,35,006.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | पत्रावली/व्यय प्रमाणक के अभाव में इस व्यय की पुष्टि नहीं होती है । इसप्रकार अपुष्टित धनराशि रु027,35,006.00 अपहृत सिद्ध होती है | अतः तत्कालीन उत्तरदायी व्यक्ति श्री मोहलाल गुप्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीम जी उपाध्याय, दिलीप सोनकर तथा श्यामधर से रु027,35,006.00 की वसूली मय ब्याज अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–06)**

प्रस्तर–38 वर्ष 2012-13 में प्रशासनिक मद के अंतर्गत रु012,18,406.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | पत्रावली/व्यय प्रमाणक के अभाव में इस व्यय की पुष्टि नहीं होती है | इस प्रकार अपुष्टित धनराशि रु012,18,406.00 अपहृत सिद्ध होती है | अतः तत्कालीन उत्तरदायी व्यक्ति श्री मोहलाल गुप्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीम जी उपाध्याय, दिलीप सोनकर तथा श्यामधर से रु012,18,406.00की वसूली मय ब्याज अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–07)**

प्रस्तर–39 वर्ष 2012-13 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अंतर्गत रु024,36,440.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | पत्रावली/व्यय प्रमाणक के अभाव में इस व्यय की पुष्टि नहीं होती है । इसप्रकार अपुष्टित धनराशि रु024,36,440.00 अपहृत सिद्ध होती है | अतः तत्कालीन उत्तरदायी व्यक्ति श्री मोहलाल गुप्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीम जी उपाध्याय, दिलीप सोनकर तथा श्यामधर से रु024,36,440.00 की वसूली मय ब्याज अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–08)**

प्रस्तर–40 वर्ष 2012-13 में जातिगत आर्थिक जनगणना योजना के अंतर्गत रु042,414.00व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | पत्रावली/व्यय प्रमाणक के अभाव में इस व्यय की पुष्टि नहीं होती है इसप्रकार अपुष्टित धनराशि रु042, 414.00अपहृत सिद्ध होती है | अतः तत्कालीन उत्तरदायी व्यक्ति श्री मोहलाल गुप्ता लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीम जी उपाध्याय, दिलीप सोनकर तथा श्यामधर से रु042,414.00की वसूली मय ब्याज अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–09)**

प्रस्तर–41 वर्ष 2013-14 में ग्रामीण पेयजल प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत रु0 50,000.00 प्राप्त हुआ है जिसे वर्ष में व्यय नही किया गया है और न ही विभाग को वापस किया गया है । इस प्रकार प्राप्त धन को व्यय न करके रोककर रखना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है | अतः उक्त धनराशि का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री भीमजी उपाध्याय, दिलीप सोनकर एवं श्यामधर पर जाता है । अतः उक्त अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–10)**

10. क्षेत्र पंचायत–हलिया वर्ष–2021-22

प्रस्तर–42 वर्ष 2021-22 की अनुदान पंजिका-3 से विदित होता है कि दिनांक 31.3.2022 को रु0 35478.00 की धनराशि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना शीर्ष में शेष दर्शित थी इसे वर्ष में पूर्णतः व्यय किया जाना चाहिए था । इसे वर्ष में पूर्णतः व्यय न करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पर जाता है । अतः इसके लिये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा । साथ ही उक्त शेष धनराशि को आगामी वर्ष में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित रहा ।**(मूल आ0 संख्या–10)**

प्रस्तर–43 वर्ष 2021-22 की अनुदान पंजिका 3 से विदित होता है कि वर्षारंभ में क्रिटिकल गैप्स योजना में रु0 32003.00 की धनराशि शेष थी जो वर्षपर्यंत शेष रही तथा दिनांक 31.3.2022 को भी शेष रही । इसे न तो वर्ष में वापस किया गया न ही सम्बंधित योजना में व्यय किया गया । इस प्रकार उक्त धनराशि को रोककर गंभीर अनियमितता की गयी जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारीगण श्री राम दरश, श्री राकेश कुमार शुक्ल, श्री राकेश कुमार सिंह तथा श्री विजय कुमार पर जाता है ।अतः इसके लिये उक्त सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा । तथा इस धनराशिरु0 32003.00 को अविलम्ब सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा ।**(मूल आपत्ति संख्या–11)**

प्रस्तर–44 क्षेत्र पंचायत हलिया के वर्ष 2021-22 की ऑनलाइन कोष पंजिका से विदित होता है कि राज्य वित्त (पंचम) तथा 15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग योजना के बैंक लेखों में दिनांक 31.3.2022 को कुल रु0 25336834.00 की धनराशि शेष दर्शित थी जबकि अनुदान पंजिका -3 के अनुसार यह शेष धनराशि रु0 22714018.00 थी, जिसमे रु0 3159751.00पंचम राज्य वित्त की तथा रु0 19554267.00 केन्द्रीय वित्त आयोग योजना का है ।इस प्रकार ऑनलाइन तथा हस्तलिखित अनुदान पंजिका - 3 में कुल मिलाकर रु 25336834.00-22714018.00 = ₹ 2622816.00 का अंतर पाया गया । इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया । अतः अंतर से स्पष्ट है कि विकास खण्ड स्तर पर गंभीर अनियमितता की गयी है । अतः कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए ।यथेष्ट कारणाभाव में इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी गण श्री राम दरश, श्री राकेशकुमार शुक्ल, श्री राकेश कुमार सिंह एवं श्री विजय कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–12)**

प्रस्तर–45 दिनांक 1.4.2021 को ऑनलाइन कोष पंजिका में चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 14वें / 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग योजना में रु0 55209369.00 की धनराशि शेष दर्शित थी जबकि अनुदान पंजिका-3 के अनुसार यह शेष धनराशि रु018871543.00+23468012.00=42339555.00 थी। इस प्रकार उक्त दोनों में रु0 55209369.00-42339555.00=1,28,69,814.00 का अंतर पाया गया जिसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया । इससे विदित होता है कि विकास खण्ड स्तर पर गम्भीर अनियमितता की गयी है ।अतः कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए ।यथेष्ट कारणाभाव में इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण श्री राम दरश, श्री राकेश कुमार शुक्ल, श्री राकेश कुमार सिंह एवं श्री विजय कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा ।**(मूल आपत्ति संख्या–13)**

प्रस्तर–46 ऑनलाइन कोष पंजिका (कैश बुक) / आय-व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल रु0 27146420.00 की धनराशि चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त तथा 14वें / 15वे केन्द्रीय वित्त आयोग योजना में प्राप्त होना दर्शित है, जबकि अनुदान पंजिका - 3 के अनुसार उक्त शीर्षों में कुल प्राप्ति रु0 15321127.00 (राज्य वित्त) + 17623210.00 (केन्द्रीय वित्त) = रु0 32944337.00 रही । इस प्रकार उक्त दोनों में कुल मिलाकर रु0 27146420.00-32944337.00= (-) 5797917.00 का अंतर पाया गया, जिसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है जो विकास खण्ड स्तर पर गंभीर अनियमितता दर्शाता है । इसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण श्री राम दरश, श्री राकेश कुमार शुक्ल, श्री राकेश कुमार सिंह एवं श्री विजय कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा ।**(मूल आपत्ति संख्या–14)**

प्रस्तर–47 ऑनलाइन कोष पंजिका / कैश बुक / आय-व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 में चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त एवं 14वाँ / 15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग योजना में कुल मिलाकर रु0 57171963.00-153008 (निरस्त भुगतान) = कुल रु0 57018955.00का व्यय दर्शित है जबकि अनुदान पंजिका -3 के अनुसार यह व्यय कुल मिलाकर रु0 31032919.00(राज्य वित्त) + 21536954.00 = 52569873.00 होता है इस प्रकार उक्त दोनों मे कुल मिलाकर रु0 57018955.00-52569873.00 = 4449082.00 का अंतर पाया गयाजिसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है । यह विकास खण्ड स्तर पर गंभीर अनियमितता दर्शाता है जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण श्री राम दरश. श्री राकेश कुमार शुक्ल, श्री राकेश कुमार सिंह एवं श्री विजय कुमार केविरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा । भुगतान ऑनलाइन अप्रैल 22 से सितम्बर 21 तक शून्य दर्शित रहे ।**(मूल आपत्ति संख्या–15)**

प्रस्तर–48 अनुदान पंजिका -3 के अवलोकन से विदित होता है कि माह मार्च 22 के अंत में विभिन्न शीर्षों में कुल मिलाकर रु0 29905175.00 की धनराशि शेष थी किन्तु लेखा परीक्षा में गणनानुसार यह शेष धनराशि रु0 32299129.00 होती है जिसका विवरण इस प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) के पैरा (ख) में अंकित है । इस प्रकार इन दोनों में रु0 32299129.00-29905175.00=2393954.00 का अंतर प्राप्त होता है । इस अंतर का एक कारण यह रहा कि रुर्बन मिशन-1 में शेष धनराशि रु0 2390372.00 को माह अक्टूबर - 21 के उपरान्त दर्शाया ही नहीं गया है । तथा मार्च 22 में भी इसे अंकित नहीं किया गया है । 15वाँ केन्द्रीय वित्त आयोग की शेष धनराशि रु0 19554268.00 होती है किन्तु इसे 31.3.2022 को रु0 19554267.00 दर्शाया गया है । विविध शीर्ष में रु0 709061.00 शेष दर्शित रहे जबकि यह गणनानुसार रु0 709056.00 होती है ।इस प्रकार पन्द्रहवां वित्त एवं विविध शीर्ष में भी क्रमशः रु0 1.00 एवं रु0 5.00 का अंतर पाया गया । इस प्रकार उक्त कुल अंतर रु0 2393954.00 में से कुल रु0 239032.00 (रुर्बन-1) + 1.00 (केन्द्रीय वित्त) - 5.00 (विविध) = कुल रु02390368.00 का अंतर तो स्पष्ट रहा किन्तु आगे रु0 2393954.00 - 2390368=रु0 3586.00 का अंतर अज्ञात रहा ।अतः प्राथमिकताधार पर उक्त गंभीर अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण श्री राम दरश, श्री राकेश कुमार शुक्ल, श्री राकेश कुमार सिंह एवं श्री विजय कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा । तथा अवगत कराया जाना चाहिए कि रुर्बन मिशन-1 की शेष धनराशि रु0 2390372.00 को दिनांक 31.3.2022 को क्यों नहीं दर्शाया गया । साथ ही अज्ञात अंतर रु0 3586.00 का कारण सप्रमाण स्पष्ट किया जाना चाहिए ।**(मूल आपत्ति संख्या–16)**

प्रस्तर–49 अनुदान पंजिका -3 में माह मार्च के अंत में पासबुकों का विवरण अंकित करते हुए दिनांक 31.3.22 को इनके अवशेष अंकित किये गए हैं जो इस प्रकार है : -

1. विधायक निधि	2877286.00
2. सांसद निधि	462402.00
3. सांसद निधि	1326825.00
4. पंचम राज्य वित्त	3159751.00
5. 15वाँ केन्द्रीय वित्त	20158061.00
6. रुर्बन मिशन	1041043.00
7. क्रिटिकल गैप्स	58495.00
8. मु0 मंत्री सामू0 विवाह योजना	1029621.00
9. विविध खाता	76991.00
योग	**30875475.00**

अनुदान पंजिका 3 में विभिन्न शीर्षों में शेष धनराशियों का योग कुल रु0 29905175.00 अंकित है जबकि लेखा परीक्षा की गणनानुसार (भाग-2 (अ) के पैरा ख में अंकित) यह शेष धनराशि कुल रु0 32299129.00 है इस प्रकार पासबुकों में शेष धनराशियों का योग अनुदान पंजिका में शेष धनराशि से रु0 32299129.00-30875475.00 1423654.00कम दर्शित है । इससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 2021-22 में रु0 1423654.00 विभिन्न लेखों में बैंक खाते से आहरित तो किये गए किन्तु इनके व्यय को अनुदान पंजिका में अंकित न करके धनराशि का अपहरण किया गया ।पासबुकों / स्टेटमेंट की अनुपलब्धता के कारण इसका तिथिवार विवरण भी अज्ञात रहा ।इन सबका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार पर जाता है जो मार्च 2022 में खण्ड विकास अधिकारी थे ।अतः पासबुक / बैंक स्टेटमेंट में उपलब्ध कराकर शेष (31.3.2022 को) धनराशियों की पुष्टि कराते हुए रु0 1423654.00 (चौदह लाख तेईस हजार छः सौ चौवन मात्र) की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है । नियमतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–17)**

11. क्षेत्र पंचायत–लालगंज वर्ष–2014-15 से 2016-17

प्रस्तर–50 वर्ष 2014-15 में समदा नाले पर चेक डैम निर्माण तेरहवें वित्त के अंतर्गत दिनांक 18.02.2015 को टेंडर स्वीकृत हुआ है किन्तु टेंडर फार्म राजकीय मानक के अनुरूप / प्रपत्र पर नहीं है और न ही क्रमांक अंकित रहा, तथा विज्ञापन किस अखबार में निकाला गया संलग्न नहीं रहा । निम्नांकित तिथियों में चेक द्वारा भुगतान किया गया है जिसके सम्बन्ध निम्न आपत्तियां हैं–

दिनांक	चेक संख्या	भुगतानित धनराशि	विवरण
13.05.2015	011035	1,20,758.00	सत्श्री कंस्ट्रकशन को भुगतान
13.05.2015	011036	48,348.00	शिवाकांत यादव (ADO.ST)
06.04.2015	011023	2,21,664.00	सत्श्री कंस्ट्रक्शन को भुगतान
16.04.2015	011030	66,846.00	शिवाकांत यादव (ADO.ST)

योग -	**4,57,616.00**	

उक्त भुगतान के विरुद्ध स्टीमेट, कार्य की एम0वी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः उक्त अपहृत धनराशि रु0 4,57,616.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण एवं लेखाकार श्री मोहनलाल गुप्ता से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–02)**

प्रस्तर–51 वर्ष 2015-16 में बसेड़ा रोड से गंगा सागर रोड पर गिट्टी मोरंग कार्य पर अधोलिखित विवरणानुसार व्यय किया गया है–

1. दिनांक 02.09.2015 मेसर्स एम0डी0 राठौर	113725.00
2. दिनांक 03.10.2015 मेसर्स एम0डी0 राठौर	221623.00
3. दिनांक 18.12.2015 मेसर्स एम0डी0 राठौर	38075.00
4. श्रम पर भुगतान मस्टररोल	30284.00
योग -	**403707.00**

क्रमांक 1,2,3 पर अंकित बिलों पर बिल क्रमांक अंकित (पीrint) नहीं पाया गया । जो बिल को अवास्तविक सिद्ध करता है । अवास्तविक बिलों पर भुगतान दर्शाकर उक्त कुल धनराशि का अपहरण किया गया है । अतः उक्त रु0 403707.00 की वसूली तकालीन उत्तरदाई व्यक्ति लेखाकार श्री मोहन लाल गुप्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी गण से मय ब्याज अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–03)**

प्रस्तर–52 वर्ष 2015-16 में केहुनिया संपर्क मार्ग से परमहंस आश्रम भुकभुकिया संपर्क मार्ग पर अधोलिखित विवरणानुसार व्यय किया गया है -

1. दिनांक 06.09.2015 मेसर्स एमडी राठौर	रु0 179989.00
2. दिनांक 24.11.2015 मेसर्स एम0डी0 राठौर	रु0 646336.00
3. श्रम पर भुगतान मस्टररोल	रु0 60535.00
योग -	**रु0 888860.00**

क्रमांक 1,2 पर अंकित बिलों पर बिल क्रमांक अंकित (पीrint) नहीं पाया गया जो बिल को अवास्तविक सिद्ध करता है । अवास्तविक बिलों पर भुगतान दर्शाकर उक्त कुल धनराशि का अपहरण किया गया है । अतः उक्त रु0 888860.00 की वसूली तत्कालीन उत्तरदाई व्यक्ति लेखाकार श्री मोहन लाल गुप्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी गण से मय ब्याज अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–04)**

प्रस्तर–53 वर्ष 2015-16 में तेरहवें वित्त योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मझियार में रमेश यादव के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य किया गया है जिसपर कुल रु0 81845.00 का भुगतान किया गया है । इसी क्रम में रु0 9000.00 का भुगतान मेसर्स केसरी स्टील लालगंज को गर्डर एवं गरारी क्रय करने के विरुद्ध किया गया जिसके बिल पर बिल क्रमाक तथा टिन संख्या नहीं अंकित है । इससे यह बिल अवास्तविक सिद्ध होता है ।कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा । अतः स्पष्ट है कि अवास्तविक बिल्पर भुगतान एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न उपलब्ध कराकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है । अतः उक्त रु0 81845.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री मोहन लाल गुप्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी गण से मय ब्याज अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–05)**

प्रस्तर–54 वर्ष 2016-17 में क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत धनराशि रु0 36,000.00 प्राप्त ग्रांट-।। में दर्शित है जो वर्ष में दिनांक 31.03.2017 तक कोई व्यय न करके उक्त धनराशि को रोककर रखा गया है जबकि कोई भी अनुदान विकास कार्य हेतु व्यय के लिये होती है । अतः उक्त धनराशि रु0 36,000.00 को वर्ष में व्यय न करके गंभीर अनियमितता की गयी है । जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण पर जाता है । अतः इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी गण सर्वश्री श्यामधर, सुरेश चन्द्र राय, सुशील कुमार, विजय कुमार, गंगाराम, एवं रामचन्द्र राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–06)**

प्रस्तर–55 वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में नवाचार योजना के अंतर्गत रु0 5,42,720.00 ग्रांट रजिस्टर । में व्यय दर्शित है, जिसके सापेक्ष व्यय से सम्बंधित कोई भी अभिलेख / व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नही किये गए । इसप्रकार उक्त धनराशि रु0 5,42,720.00 की पुष्टि नहीं होती है । पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः उक्त अपहृत धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण एवं लेखाकार से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–07)**

प्रस्तर–56 वर्ष 2016-17 में त्रिस्तरीय पंचयत निर्वाचन के अंतर्गत व्यय रु0 9,300.00 ग्रांट रजिस्टर ।।। में दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय से सम्बंधित कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः उक्त अपहृत धनराशि रु0 9,300.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण एवं लेखाकार श्री मोहनलाल गुप्ता से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–08)**

प्रस्तर–57 वर्ष 2015-16 में अति0 केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत व्यय धनराशि रु0 47,417.00 ग्रांट पंजिका में दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय से सम्बंधित कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः उक्त अपहृत धनराशि रु0 47,417.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण एवं लेखाकार श्री मोहनलाल गुप्ता से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–09)**

प्रस्तर–58 वर्ष 2016-17 में टैंडर फार्म के अंतर्गत व्यय धनराशि रु0 25070.00 ग्रांट पंजिका-।। मैं दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय से सम्बंधित कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः उक्त अपहृत धनराशि रु0 25,070.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण एवं लेखाकार श्री मोहनलाल गुप्ता से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–10)**

प्रस्तर–59 वर्ष 2016-17 में पर्यवेक्षक / बी0एल0ओ0 मानदेय के अंतर्गत रु0 60,000.00 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष व्यय से सम्बंधित कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः उक्त अपहृत धनराशि रु0 60,000.00 तत्कालीन खण्ड

विकास अधिकारी गण एवं लेखाकार श्री मोहनलाल गुप्ता से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–11)**

प्रस्तर–60 वर्ष 2015-16 में तेरहवें वित्त के अंतर्गत राजधर तिवारी के घर के पास कूप जगत का निर्माण किया गया जिस पर कुल रु0 107691.00 की धनराशि व्यय की गयी, जिसमें रु0 83343.00 सामग्री पर व्यय किये गए । सामग्री क्रय के क्रम में दिनांक 30.06.2015 को रु0 67313.00 तथा दिनांक 11.09.2015 को रु 9530.00 का भुगतान मेसर्स अभिषेक दुबे को किया गया । उक्त दोनों बिलों पर टिन संख्या अंकित पायी गयी किन्तु दोनों पर बिल क्रमांक 38 अंकित पाया गया जो उक्त दोनों भुगतानों को अवास्तविक सिद्ध करता है और धनराशी के अपहरण को भी सिद्ध करता है । कार्य का कार्यपूर्ति परमा पत्र भी अनुपलब्ध रहा । अतः उक्त धनराशि रु0 107691.00 की वसूली मय ब्याज तत्कालीन लेखाकार श्री मोहन लाल गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी गण से की जानी अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–12)**

प्रस्तर–61 वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त के अंतर्गत बेलहा मेन रोड से रामानुज के घर होते हुए मेन रोड बेलहा तक डब्लू0बी0 एम0 (WBM) कार्य कराया गया है जिसपर कुल रु0 3,99,921.00 की धनराशि व्यय की गयी है जिसमें दिनांक 12.04.2015 को सेल इनवाइस संख्या 10/451के द्वारा रु0 199451.00 का भुगताना गिट्टी एवं जी0एस0बी0आपूर्ति हेतु मेसर्स अजीमुल्लाह रानीबरी लाल्गाज को किया गया है । इसी प्रकार दिनांक 24.05.2015 को भी सेल इनवाइस संख्या 10/451 के द्वारा रु0 200470.00 का भुगतान जी0एस0बी0 आपूर्ति हेतु किया गया है । अर्थात एक ही क्रमांक के सेल इनवाइस के द्वारा अलग-अलग तिथि में अलग-अलग भुगतान किया गया है जो अनियमित भुगतान है । अतः उक्त रु0 3,99,921.00 भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गयी है । जिसका दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण श्री सुरेश चन्द्र, श्री श्यामधर, श्री सुशील कुमार, श्री विजय कुमार जायसवाल, श्री गंगाराम, एवं श्री रामचन्द्रराम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–13)**

12. क्षेत्र पंचायत–लालगंज वर्ष–2017-18 व 2018-19

प्रस्तर–62 आयकर अधिनियम 1961 के सैक्शन 194 (c) के अनुसार यदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल ₹30000=00 से अधिक हो तो आयकर की कटौती की जायेगी, यह भुगतान की गई राशि पर 2% के बराबर होगी, जिस पर नियमानुसार अधिभार या अन्य उपकर भी सम्मिलित किये जायेगें । क्षेत्र पंचायत लालगंज जिला मीरजापुर के वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में टी0डी0एस0 कटौती नही की गई है विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	**वित्तीय वर्ष**	**मद का नाम**	**खण्ड विकास अधिकारी का नाम**	**भुगतान की गयी धनराशि**	**देय आयकर**	**कटौती**	**वसूली**
01	2017-18	विधायक निधि	प्रेम प्रकाश तिवारी	22139	4423	NIL	4423
		विधायक निधि	विजय नाथ द्विवेदी	58500	1170	NIL	1170
		चतुर्थ राज्य वित्त	प्रेम प्रकाश तिवारी	903796	18076	NIL	18076
		चतुर्थ राज्य वित्त	अश्विनी पाण्डेय	833063	16661	NIL	16661
		चतुर्थ राज्य वित्त	विजय नाथ द्विवेदी	517044	10341	NIL	10341
		योग		**2533542**	**50671**		**50671**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत लालगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 50671.00 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 286134.00 कुल टी0डी0एस0 की धनराशि ₹ 336805.00 की कटौती न किये जाने के कारण ₹336805.00 का ठेकेदारो को प्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है। जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-F के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में 1.5% प्रतिमाह ब्याज की दर से बराबर-बराबर भाग में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है ।

क्र0सं0	**उत्तरदायी व्यक्ति का नाम**	**पदनाम**	**सन्निहित धनराशि**
1	श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी	खण्ड विकास अधिकारी	11250
2	श्री विजय नाथ द्विवेदी	खण्ड विकास अधिकारी	46034
3	श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय	खण्ड विकास अधिकारी	8331
4	मो0 नफीस	खण्ड विकास अधिकारी	102788
5	श्री मोहन लाल गुप्ता	लेखाकार	168402
योग			**336805**

(मूल आपत्ति संख्या–02)

प्रस्तर–63 उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 के नियम 4 (3अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) नियोक्ता द्वारा काटी जाएगी। प्रमुख अभियन्ता ने अप्रैल 2010 में इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है। कटौती के पश्चात् यह धनराशि श्रम विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा की जानी है। किन्तु इस शासनादेश का अनुपालन नही किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित एवं विधायक निधि आदि कार्यो पर सामग्री एवं मजदूरी पर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल ₹16840275.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। किन्तु शासनादेश का मनमाने तरीके से उलंघन कर इस पर 1% की दर से लेबर सेस ₹168402.00 की कटौती कर श्रम विभाग के निर्धारित शीर्ष में जमा नही किया गया है। जिसके कारण राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।अतः इस धनराशि को निम्नानुसार संस्था के अधिकारियों से वसूल कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्र0 सं0	**वित्तीय वर्ष**	**मद का नाम**	**खण्ड विकास अधिकारी का नाम**	**भुगतान की गयी धनराशि**	**देय लेबर सेस कटौती**	**लेबर सेस कटौती**	**खण्ड विकास अधिकारी**	**लेखाकार**	**वसूली**
1	2017-18	विधायक निधि	श्री प्रेम प्रकाश तिवारी	221139	2211	निल	1106	1105	2211
			श्री विजय नाथ द्विवेदी	58500	585	निल	293	292	585
		चतुर्थ राज्य वित्त	श्री प्रेम प्रकाश तिवारी	903796	9038	निल	4519	4519	9038
			श्री अश्विनी पाण्डेय	833063	8331	निल	4166	4165	8331
			श्री विजय नाथ द्विवेदी	517044	5170	निल	2585	2585	5170
			योग	**2533542**	**25335**		**12669**	**12666**	**25335**
2		विधायक निधि	श्री विजय नाथ द्विवेदी	2561834	25618	निल	12809	12809	25618

			मो0 नफीस	2268245	22682	निल	11341	11341	22682
		चतुर्थ राज्य वित्त	श्री विजय नाथ द्विवेदी	1466075	14461	निल	7331	7330	14461
			मो0 नफीस	8010579	80106	निल	40053	40053	80106
			योग	**14306733**	**143067**		**71534**	**71533**	**143067**

क्र0सं0	**उत्तरदायी व्यक्ति का नाम**	**पदनाम**	**धनराशि**
1	श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी	खण्ड विकास अधिकारी	5625
2	श्री विजय नाथ द्विवेदी	खण्ड विकास अधिकारी	23018
3	श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय	खण्ड विकास अधिकारी	4166
4	मो0 नफीस	खण्ड विकास अधिकारी	51394
5	श्री मोहन लाल गुप्ता	लेखाकार	84199
कुल वसूली			**168402**

(मूल आपत्ति संख्या–03)

13. क्षेत्र पंचायत–लालगंज वर्ष–2019-20 व 2020-21

प्रस्तर–64 आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194 (सी) के अनुसार यदि किसी ठेके या उप ठेके या उपठेके का प्रतिफल रु0 30000.00 से अधिक हो तो कर की कटौती की जायेगी । यह भुगतान की गई राशि पर 2 प्रतिशत के बराबर होगी । क्षेत्र पंचायत लालगंज के वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के टी0डी0एस0 कटौती का विवरण निम्नांकित है :-

क्र0स0	**लेखा परीक्षा वर्ष**	**मद का नाम**	**भुगतान धनराशि**	**देय आयकर 2 प्रतिशत**	**आयकर कटौती**	**वसूली योग्य धनराशि**
1	2019-20	विधायक निधि	1591588.00	31832.00	--	31832.00
		चतुर्थ / पंचम वित्त	6762792.00	135256.00	--	135256.00
2	2020-21	विधायक निधि	1583711.00	31674.00	--	31674.00
		चतुर्थ / पंचम वित्त	9351082.00	187022.00	--	187022.00
		केन्द्रीय वित्त अनटाइड	7386402.00	147728.00	--	147728.00

		केन्द्रीय वित्त टाइड	3626240.00	72524.00	--	72524.00
योग				**606036.00**	**--**	**606036.00**

उपरोक्त से स्पष्ट कि क्षेत्र पंचायत लालगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 19-20 व 20-21 में निर्धारित दर अनुसार टी0डी0एस0 कटौती न किये जाने के कारण 606036.00 आयकर ठेकेदारो/सप्लायरो के बिल से न काटकर ठेकेदारो / आपूर्तिकत्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे केन्द्रीय राजस्व की प्रत्यक्ष क्षति हुई है जिसकी वसूली आयकर अधिनियम 1961 की धारा -234 - एफ के अधीन व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क के रूप में डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की दर सहित बराबर-बराबर भाग में सम्बन्धित ख0वि0 अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–02)**

प्रस्तर–65 केन्द्रीय वित्त आयोग अनटाइड योजनान्तर्गत दिनांक 16.03.2021 को प्रयाग इण्टर प्राईजेज मीरजापुर से रू0 1164896.00 का सोलर लाईट क्रय दर्शित है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनुभाग-3 उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 1066 / 33-3-2021-38 / 2021 दिनांक 02 जुलाई 2021 के एवं पूर्व के शासनादेशों के माध्यम से एल0ई0डी0 लाईट लगाये जाने की गाइड लाईन के अनुसार जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत एल0ई0डी0 लाईटो का क्रय अनिवार्यतः जैम पोर्टल से करेगी, आगे यह भी कि एनर्जी एफिशिएसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक रजिस्टर्ड कम्पनी है तथा ईईएसएल एल0ई0डी0 लाईट की स्थापना में दक्षता भी रखती है। अतः जिला पंचायते व क्षेत्र पंचायते ईईसीएल विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ से लाईट क्रय अथवा क्रय स्थापना के लिए आपूर्ति आदेश दे सकते है किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त आदेशो / निर्देशो का अनुपालन न कर स्थानीय स्तर पर में प्रयाग इण्टरप्राईजेज मीरजापुर से क्रय आदेश दर्शित है। लेखा परीक्षा दौरान प्रमाणक की अप्राप्त रहा। अतः उक्तानुसार आदेशो / निर्देशो का अनुपालन न करने हेतु संस्था के ख0वि0अ0 एवं लेखाकार अपहरण के उत्तर दायी रहे। अतः 1164896.00 वसूली तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकर से बराबर-बराबर भाग में तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–03)**

14. क्षेत्र पंचायत–लालगंज वर्ष–2021-22

प्रस्तर–66 आलोच्य वर्ष में रॉयल्टी की कटौती रुपया 246256.00 की गयी है एवं गत वर्ष की रॉयल्टी अवशेष रुपया शून्य था । वर्ष मे जमा शून्य रहा । इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को अवशेष रु0 246256.00 रहा जो गंभीर अनियमितता का द्वोतक है। नियमानुसार रॉयल्टी कटौती की धनराशि को निर्धारित शीर्ष में ससमय जमा कर दिया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं कर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए श्री रमाकान्त तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं श्री विमलेश कुमार मिश्र तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। अतएव उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–02)**

प्रस्तर–67 अनुदान रजिस्टर के अनुसार दिनांक 01.04.2021 को जीएसटी की धनराशि रुपया शून्य थी एवं आलोच्य वर्ष में जी एसटी की कटौती रुपया 230508.00 प्राप्त दर्शित है। वर्ष में जमा रु0 183716.00 की गयी है । इस प्रकार वर्षांत में रुपया 46792.00 अवशेष रही । नियमानुसार

मासिक जीएसटी कटौती की धनराशि अगले माह के 10 तारीख तक जीएसटी खाते में जमा कर दी जानी चाहिए | जीएसटी की अवशेष धनराशि रुपया 46792.00 जमा न किया जाना गंभीर अनियमितता है । जिसके लिए श्री रमाकान्त तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं श्री विमलेश कुमार मिश्र तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है । अतएव उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरूह आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या–05)

15. क्षेत्र पंचायत–पहाड़ी वर्ष–2021-22

प्रस्तर–68 ग्राण्ट रजिस्टर में आँगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु रु0 200000.00 की धनराशि विगत वर्ष की यथावत दर्शित है। आलोच्य वर्ष 2021-22 में इस मद हेतु रु0 600000. 00 और प्राप्त हुई है। जिसको वर्ष दौरान व्यय न कर दिनांक 31 मार्च 2022 को यथावत रु0 800000.00 शेष दर्शित है।

उपरोक्तानुसार अनुदान की धनराशि का उपभोग लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं किया गया है तथा यह अनुदान की धनराशि क्षेत्र पंचायत के द्वारा संचालित किस बैंक खाते में जमा है। पुष्टि नहीं कराई गई। इस हेतु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अन्तरिम आपत्ति पत्र संस्था को दिया गया, किन्तु अनुपालन संस्था द्वारा नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि शासन के द्वारा संस्था को अनुान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है, जिसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में न होने की दशा में बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। यह इस तथ्य / बात का सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर ख0वि0अधि0 का नियन्त्रण ठीक-ठाक नहीं रहा ।इस प्रकार अनुदान की धनराशि रु0 800000.00 रोके रखने / दुरूपयोग हेतु संस्था के ख0वि0अधि0 श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री सुरेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है जिनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु मु0वि0अधि0 मीरजापुर एवं पंचायतराज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।**(मूल आपत्ति संख्या–02)**

प्रस्तर–69 दिनांक 31 मार्च 2022 को अनुदान रजिस्टर भाग-3 के अनुसार निम्न विवरणानुसार शासकीय कटोती जैसे लेबर सेस, जी0एस0टी0 एवं रायल्टी की धनराशि समयान्तर्गत राजकीय कोष में जमा न कर अनियमित रूप से रोककर रखा गया है। विवरण निम्न है -

क्र0स0	**मद का नाम**	**धनराशि**
1	लेबर सेस	164612.00
2	जी0एस0टी0	123324.00
3	रायल्टी	526555.00
योग		**814491.00**

अतः उपरोक्तानुसार शासकीय कटौती की धनराशि रु0 814491.00 अनियमित रूप से संस्था द्वारा अपने पास रोककर रखा गया है। जबकि नियमानुसार धनराशि कटौती करने के एक माह के अन्तर्गत निर्धारित कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया है उक्तानुसार शासकीय कटौती की धनराशि संस्था के किस बैंक में जमा है, पुष्टि भी नहीं कराई गई। अतः स्पष्ट है रु0 814491.00 राजकीय देय धनराशि अनियमित रूप से रोके जाने हेतु ख0वि0अधि0 श्री पवन कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री सुरेश कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है । जिनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु मु0वि0 अधि0 मीरजापुर एवं पंचायतराज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है । **(मूल आपत्ति संख्या–03)**

16. क्षेत्र पंचायत–पटेहरा कला वर्ष–2021-22

प्रस्तर–70 दिनांक 31 मार्च 2022 को ग्राण्ट रजिस्टर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की धनराशि रु0 27984.00 विगत कई वर्षों से यथावत अनुदान रजिस्टर में दर्शित चला आ रहा है। आलोच्य वर्ष में इस योजना की धनराशि के उपभोग हेतु कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है । यह योजना काफी पुरानी है। अतः अनुदान के समुचित उपभोग न होने की दशा में सम्बन्धित विभाग के माध्यम से अनुदान की धनराशि राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए, किन्तु संस्था द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। अतः अनुदान की धनराशि रू0 27984.00 विगत कई वर्षों से रोके रखने / दुरूपयोग हेतु संस्था के श्री अजय कुमार तिवारी, ख0वि0अ0 एवं श्री संन्तोष कुमार सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त दोनों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु मु0वि0अ0 एवं पंचायत राज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।
(मूल आपत्ति संख्या–03)

प्रस्तर–71 दिनांक 31 मार्च 2022 को ग्राण्ट रजिस्टर में पूर्व का अन्तर लिख कर रू0 692490.00 अनाहरित चेकों के कालम में दर्शित है। जिसका विवरण अंकित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि रू0 692490.00 का अपहरण श्री अजय कुमार तिवारी ख0वि0अ0 एवं श्री सन्तोष कुमार सिंह लेखाकार द्वारा कर लिया गया है एवं विवरणहीन ग्राण्ट रजिस्टर में पूर्व का अन्तर लिखकर दर्शित किया जा रहा है। अतः रुपया 692490.00 की वसूली बराबर-बराबर भाग में श्री अजय कुमार तिवारी ख0वि0अ0 एवं श्री संतोष कुमार सिंह लेखाकार से किये जाने की आवश्यकता है । **(मूल आ0 सं0–03)**

प्रस्तर–72 दिनांक 31 मार्च 2022 को अनुदान रजिस्टर भाग-3 के अनुसार निम्न विवरणानुसार शासकीय कटौती जैसे- जी0एस0टी0, रायल्टी की धनराशि समयान्तर्गत राजकीय कोष में जमा न कर अनियमित रूप से रोक कर रखा गय है विवरण निम्न है–

क्र0स0	**मद का नाम**	**धनराशि**
2	जी0एस0टी0	128330.00
3	रायल्टी	148781.00
योग		**277111.00**

अतः उपरोक्तानुसार शासकीय कटौती की रूप से संस्था द्वारा अपने पास रोककर रखा गया है। जबकि नियमानुसार धनराशि कटौती करने के एक माह के अन्तर्गत निर्धारित कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया है उक्तानुसार शासकीय कटौती की धनराशि संस्था के किस बैंक में जमा है, पुष्टि भी नहीं कराई गई। अतः स्पष्ट है रु0 277111.00 राजकीय देय धनराशि अनियमित रूप से रोके जाने हेतु श्री अजय कुमार तिवारी ख0वि0अधि0 एवं श्री संन्तोष कुमार सिंह लेखाकार उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु मु0वि0अधि0 मीरजापुर एवं पंचायतराज निदेशक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।**(मूल आपत्ति संख्या–03)**

जनपद-सोनभद्र **मण्डल-विन्ध्याचलधाम**

क्षेत्र पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2021-22

प्रारूप-3

प्रस्तर संख्या - 1 क्षेत्र पंचायत -घोरावल (वर्ष 2021-22)

आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गई धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अन्तिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के अनुसार (यथा संशोधित) आयकर की कटौती 2 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित की जानी है। वर्ष 2021-22 की प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार पंचम वित्त की प्राप्त पत्रावली पर सामग्री पर व्यय रू० 4432218.00, विधायक निधि की प्राप्त पत्रावली पर सामग्री पर व्यय रू० 4129971.00 सांसद निधि की प्राप्त पत्रावली पर सामग्री पर व्यय रू० 1077743.00 तथा पन्द्रहवां वित्त की पत्रावली क्र०सं० 32 पर सामग्री पर व्यय रू० 283367.00 इस प्रकार सामग्री पर कुल व्यय रू० 9923299.00 रहा। इस पर नियमानुसार 2% की दर से रू० 198466.00 आयकर की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अधिनियम का उल्लंघन कर आयकर की कटौती नहीं की गई है। जिसके लिए बी०डी०ओ० श्री सर्वेश कुमार यादव, लेखाकार श्री श्याम बिहारी एवं ब्लाक प्रमुख श्री दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 2

प्रस्तर संख्या - 2 क्षेत्र पंचायत -घोरावल (वर्ष 2021-22)

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर नियम 2009 जो 4 फरवरी 2009 से उ०प्र० में लागू है, के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेंस) नियोक्ता के द्वारा काटी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार सामग्री एवं श्रमांश पर कुल व्यय रू० 21869212.00 पर 1 प्रतिशत अर्थात रू० 218692.00 लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि लेबर सेस रू० 7088.00 ही काटा गया है। इस प्रकार अन्तर रू० 211604.00 लेबर सेस की कटौती कम की गई है। जिसके लिए

बी०डी०ओ० सर्वेश कुमार यादव, लेखाकार श्याम बिहारी तथा ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी हैं। इसके बराबर-2 धनराशि मय ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 3 क्षेत्र पंचायत -घोरावल

(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजिका ॥ के अनुसार पंचम राज्य वित्त योजना में कुल व्यय रू० 12842956.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में कुल व्यय रू० 6408211.00 का ही रहा। शेष व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। जिससे उस व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार अन्तर रू० 6434745.00 का रहा। जिसकी बार-2 मांगने पर भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके लिए बी०डी०ओ० सर्वेश कुमार यादव, लेखाकार श्याम बिहारी एवं ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी रहे। इसमें बराबर-2 धनराशि मय ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 4 क्षेत्र पंचायत -घोरावल

(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजिका ॥ के अनुसार पन्द्रहवां वित्त योजना में कुल व्यय रू० 10095353.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में कुल व्यय रू० 95041.00 का ही रहा। शेष व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। जिससे उस व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार अन्तर रू० 591186.00 का रहा। जिसकी बार-2 मांगने पर भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके लिए बी०डी०ओ० सर्वेश कुमार यादव, लेखाकार श्याम बिहारी एवं ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी रहें। इसमें बराबर-2 धनराशि मय ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 5 क्षेत्र पंचायत -घोरावल

(वर्ष 2021-22)

आलोक्य वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजिका ॥ के अनुसार विधायक निधि योजनान्तर्गत कुल व्यय रू० 5293686.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में रू० 4537051.00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावली ही प्रस्तुत की गई शेष रू० 756635.00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावली बार 2 मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई। जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए बी०डी०ओ० सर्वेश कुमार यादव, लेखाकार श्याम बिहारी एवं ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी रहें। इसमें बराबर-2 धनराशि मय ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 6 क्षेत्र पंचायत -घोरावल

(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजिका 11 के अनुसार सांसद निधि क्षेत्र विकास निधि योजना में कुल व्यय रू० 2705977.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में रू० 1419783.00 व्यय से सम्बन्धित पत्रावली ही प्रस्तुत की गई। शेष रू० 1286194.00 अन्तर रहा। जिसकी पत्रावली बार-2 मांगने पर भी ले०प० में अनुपलब्ध रही। जिसकी पुष्टि न की जा सकी। जिसके लिए बी०डी०ओ० सर्वेश कुमार यादव, लेखाकार श्याम बिहारी एवं ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी रहें। इसमें बराबर-2 धनराशि मय ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 7 क्षेत्र पंचायत -घोरावल

(वर्ष 2021-22)

अन्य अवशेष मदों से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई पत्रावली या अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में ये व्यय अपुष्ट रहे। जिसके लिए बी०डी०ओ० सर्वेश कुमार यादव, लेखाकार श्याम बिहारी व ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी हैं।
इनसे बराबर-2 धनराशि मय ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्रमांक	**मद का नाम**	**व्यय धनराशि**
1	गोवंश आश्रय की धनराशि	3365703.00
2	मुख्यमंत्री योजना सामूहिक विवाह	4025000.00
3	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	833520.00
4	कस्तूरबा विद्यालय में गार्ड रूम निर्माण	198933.00
5	पंचायत निर्वाचन 2021 की धनराशि	115300.00
6	बोर्ड परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण हेतु पी0ओ0एल0	1050.00
7	मनरेगा प्रशासनिक मद	1106124.00
8	निविदा से प्राप्त धनराशि	297797.00
9	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय घोरावल में बाउण्ड्री वाल	403126.00
10	एन0आर0एल0एम0 प्रशासनिक मद की धनराशि	15810.60
11	लेबर सेस	7088.00
	योग	**10369451.60**

प्रस्तर संख्या - 8 क्षेत्र पंचायत -घोरावल

(वर्ष 2021-22)

दिनांक 01.04.2021 को विभिन्न मदों में प्रारम्भिक शेष रू० 32803081.79 एवं 31.03.2022 को विभिन्न खातों में उपलब्ध अन्तिम शेष रू० 44485927.19 है। इससे स्पष्ट है कि वास्तविक उपभोग की गति धीमी है तथा शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य सम्पन्न न कराकर उक्त धनराशियों को खाते में रोककर रखा गया तथा विकास कार्यों को बाधित किया गया एवं श्रमिकों को रोजगार से वंचित किया गया। नियमानुसार प्राप्त धनराशियों का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए व अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। किसी अपरिहार्य स्थिति में उपभोग कर पाना सम्भव न हो तो आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए। उक्त किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया जो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य के प्रति शिथिलता का द्योतक है। अनुदान रू० 44485927.19 का उपयोग रोककर मजदूरों को रोजगार से वंचित व विकास कार्य अवरूद्ध किया गया। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्याम बिहारी, खण्ड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार यादव व ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 9 क्षेत्र पंचायत -घोरावल

(वर्ष 2021-22)

दिनांक 01.07.2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर दूरे देश में एक रूपता हेतु जी०एस०टी एक्ट 2017 लागू किया गया जिसके तहत सामग्री और सेवा पर अलग-2 दर से जी०एस०टी० लागू की गई। इसी एक्ट की धारा 51 जो कि उत्तर प्रदेश में 01.10.2018 से प्रभावी है, के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर जी०एस०टी०, टी०डी०एस० कटौती किया जाना अनिवार्य है।

इस एक्ट के अनुसार टैन /पैन आधारित जी०एस०टी० नम्बर भी अनिवार्य है। इस आधारित जी०एस०टी०, टी०डी०एस० की कटौती आहरण वितरण व लेखाकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था के द्वारा 2% की दर से जी०एस०टी०, टी०डी०एस० की कटौती नहीं की जा रही है, जो आपत्तिजनक है। प्राप्त पत्रावलियों के अनुसार ठेकेदारी प्रथा सहित सामग्री पर कुल व्यय का 19044243.00 2% अर्थात् रू० 380885.00 जी०एस०टी० जमा की पुष्टि नहीं कराई गई। जिसके लिए लेखाकार लेखाकार श्याम बिहारी, खण्ड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार यादव व ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह पटेल उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 17

प्रस्तर संख्या - 10 क्षेत्र पंचायत म्योरपुर

(वर्ष 2021-22)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न वि० म० क्षे० विकास निधि व स्थानीय सांसद निधि मदों में किये व्यय क्रमशः रू० 3690418.00, एवं रू० 3661857.00 (कुल रू० 5952275.00) की पुष्टि में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

जो भी पत्रवालियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयीं वो मुख्यतः राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त योजना के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों से संबन्धित हैं। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में वि० म० क्षे० विकास निधि व स्थानीय सांसद निधि मदों के अंतर्गत किये गए व्यय रू० 5952275.00 पत्रावली या अभिलेखों के अभाव पुष्टिकृत नहीं हो सके अतः ये व्यय अनियमित हैं। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी 1-श्री निरंकार मिश्र(16/01/21 से 31/10/21),2- श्री शिव नारायण सिंह(31/10/21) से 07/01/22) , 3- श्री रवि कुमार (08/01/22 से 31/03/22) लेखाकार लेखाकार श्री राकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 02

प्रस्तर संख्या - 11 **क्षेत्र पंचायत म्योरपुर**

(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों व ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 227829.00 आयकर कटौती संस्था के पास शेष है। नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी 1-श्री निरंकार मिश्र(16/01/21 से 31/10/21),2- श्री शिव नारायण सिंह(31/10/21) से 07/01/22) , 3- श्री रवि कुमार (08/01/22 से 31/03/22) लेखाकार लेखाकार श्री राकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 03

प्रस्तर संख्या - 12 **क्षेत्र पंचायत म्योरपुर**

(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों व ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 149018.00 जीएसटी कटौती संस्था के पास शेष है। नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को राजकीय कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी 1-श्री निरंकार मिश्र(16/01/21 से 31/10/21),2- श्री शिव नारायण सिंह(31/10/21) से 07/01/22) , 3- श्री रवि कुमार (08/01/22 से 31/03/22) लेखाकार लेखाकार श्री राकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 04

प्रस्तर संख्या - 13 **क्षेत्र पंचायत म्योरपुर**

(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों व ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 32606.00 लेबर सेस कटौती संस्था के पास शेष है। नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार

राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी 1-श्री निरंकार मिश्र(16/01/21 से 31/10/21),2- श्री शिव नारायण सिंह(31/10/21) से 07/01/22) , 3-श्री रवि कुमार (08/01/22 से 31/03/22) लेखाकार लेखाकार श्री राकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 05

प्रस्तर संख्या - 14 **क्षेत्र पंचायत म्योरपुर**

(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों व ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 1410029.00 रायल्टी कटौती संस्था के पास शेष है। नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को राजकीय कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी 1-श्री निरंकार मिश्र(16/01/21 से 31/10/21),2- श्री शिव नारायण सिंह(31/10/21) से 07/01/22) , 3- श्री रवि कुमार (08/01/22 से 31/03/22) लेखाकार लेखाकार श्री राकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 06**

प्रस्तर संख्या - 15 **क्षेत्र पंचायत म्योरपुर**

(वर्ष 2021-22)

लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2021-22 के ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 की जांच में पाया गाया कि, 13वें वित्त आयोग की धनराशि रू० 581107.00 मौजूद है, जो विगत कई वर्षों से यथावत है। नियमानुसार प्राप्त धंराशियों उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए व अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। किसी अपरिहार्य स्थिति में उपभोग कर पाना संभव न हो तो आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए । इस प्रकार लम्बे समय तक राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर केन्द्रीय वित्त आयोग के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी 1-श्री निरंकार मिश्र(16/01/21 से 31/10/21),2- श्री शिव नारायण सिंह(31/10/21) से 07/01/22) , 3- श्री रवि कुमार (08/01/22 से 31/03/22) लेखाकार श्री राकेश श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 07

प्रस्तर संख्या - 16 **क्षेत्र पंचायत चतरा**

(वर्ष 2021-22)

दिनांक 01.07.2017 से वैट आदि समस्त करों को समाप्त कर पूरे देश में एकरूपता हेतु जी०एस०टी० एक्ट 2017 लागू किया जिसके तहत सामग्री और सेवा पर अलग अलग दर से जी०एस०टी० लागू की

गयी। इसी एक्ट की धारा 51, जो उत्तर प्रदेश में 01.10.2018 से प्रभावी है - के अनुसार 2% की दर से स्त्रोत पर जी०एस०टी०-टी०डी०एस० कटौती किया जाना अनिवार्य है। इस एक्ट के अनुसार टैन /पैन आधारित जी.एस.टी. नम्बर भी अनिवार्य है। इस आधारित जी०एस०टी० टी०डी०एस० की कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी समस्त पत्रावलियों में कुल सामग्री भुगतान हेतु रू० 3281668.00 का बिल मौजूद हैं, परन्तु किसी भी बिल से 2% की दर से जी०एस०टी०-टी०डी०एस० की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार रू० 65633.00 की जी०एस०टी० टी०डी०एस० कटौती न करके वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-1-श्री उमेश सिंह, 2-श्री शुभमन बरनवाल,3-श्री उत्कर्ष सक्सेना,लेखाकार-1 श्री साजिद अली,2- श्री नरेंद्र सिंह से समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

प्रस्तर संख्या - 17 **क्षेत्र पंचायत चतरा**
(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष कह लेखा परीक्षा कटौती में उपलब्ध अनुदान रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 5956.00 लेबर सेस कटौती की धनराशि को क्रमशः उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में जमा नहीं कराया गया है । इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-1-श्री उमेश सिंह, 2-श्री शुभमन बरनवाल,3-श्री उत्कर्ष सक्सेना,लेखाकार-1 श्री साजिद अली,2- श्री नरेंद्र सिंह से समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 03**

प्रस्तर संख्या - 18 **क्षेत्र पंचायत चतरा**
(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संपादित कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत कुल पावतियों के अनुसार कुल रु० 3282668.00 की सामग्री क्रय की गयी, जिस पर संस्था द्वारा भुगतान के समय नियमानुसार 2.24% की दर से आयकर की कटौती करके प्राप्त आयकर की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था, किन्तु संस्था द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के बिल से आयकर कटौती न करके रु० 73509.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-1-श्री उमेश सिंह, 2-श्री शुभमन बरनवाल,3-श्री उत्कर्ष सक्सेना,लेखाकार-1 श्री साजिद अली,2-श्री नरेंद्र सिंह से समान रूप से उत्तरदायी हैं । इस प्रकार हुई क्षति की क्षतिपूर्ति विभागीय जाँचोपरांत किया जाना अपेक्षित रहा। धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा । विवरण निम्नवत है:-

क्र०	कार्य का नाम	क्रय सामग्री रू०	नियमत: आयकर कटौती		
			आंकलित	वास्तविक कटौती	कम कटौती
1	कोरियांव समिति की बाउंड्री वॉल व इन्टरलॉकिंग कार्य	390615.00	8750.00	00.00	8750.00
2	बरईल में केवल के घर से जलखोरी बार्डर तक सड़क निर्माण	752071.00	16846.00	00.00	16846.00
3	नरोखर के बंदनिया में शिवनरायन के घर से राजेश के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	118669.00	2658.00	00.00	2658.00
4	कोरियांव में पारस पाण्डेय के घर के पास कूप मरम्मत जगत निर्माण	88629.00	1985.00	00.00	1985.00
5	वि० ख० कार्यालय के गेट सं0-01 से पशु अस्पताल तक इन्टरलॉकिंग खड़ंजा कार्य	92191.00	2065.00	00.00	2065.00
6	कूराकला रतहरा मुख्य मार्ग से अनूप के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य	505251.00	11318.00	00.00	11318.00
7	शाहजादा साहब इन्टर कालेज मे इन्टरलॉकिंग खड़ंजा कार्य	109982.00	2464.00	00.00	2464.00
8	बभनगवा में अमरनाथ सिंह के खेत से अनिल सिंह के खेत तक पक्की नाली निर्माण	432853.00	9696.00	00.00	9696.00
9	केतार में बिन्द बस्ती में इन्टरलॉकिंग खड़जा कार्य	531556.00	11907.00	00.00	11907.00
10	कसारी में पीपल के पेड़ से सुरेश के घर तक सी० सी० रोड	259891.00	5820.00	00.00	5820.00
सम्पूर्ण योग		**3281668.00**	**73509.00**	**00.00**	**73509.00**

सामान्य आपत्ति संख्या - 04

प्रस्तर संख्या - 19 **क्षेत्र पंचायत चतरा**

(वर्ष 2021-22)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न मदों में क्रमशः रू० 10263429.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष रु० 3596722.00 से संबन्धित पत्रावालियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी, जो मुख्यतः राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों से संबन्धित हैं तथा आंशिक रूप में ही उपलब्ध करायी गयी । शेष व्ययों, जो अन्य योजनाओं से संबन्धित हैं इनकी पुष्टि में कोई पत्रावली या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में शेष रू० 6666707.00 किए गए व्यय पत्रावली या अभिलेखों के अभाव पुष्टिकृत नहीं हो सके और ये व्यय अनियमित प्रतीत होते हैं। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-1-श्री उमेश सिंह, 2-श्री शुभमन बरनवाल,3-श्री उत्कर्ष सक्सेना,लेखाकार-1 श्री साजिद अली,2- श्री नरेंद्र सिंह से धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा। जो विवरण निम्नवत रहा:-

क्रमांक	**मद का नाम**	**अनुदान पंजी-3 के अनुसार अप्राप्त अभिलेखों की व्यय की धनराशि**
1	राज्य वित्त आयोग	33354.00
2	पंद्रहवाँ केन्द्रीय वित्त आयोग	3845457.00
3	विधायक निधि	210559.00
4	सांसद निधि	99231.00
5	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	2336103.00
6	कस्तूरबा गांधी विद्यालय	24.00
7	टेण्डर फार्म बिक्री	141979.00
सम्पूर्ण योग -		**6666707.00**

सामान्य आपत्ति संख्या - 05

प्रस्तर संख्या - 20 **क्षेत्र पंचायत दुद्धी** **(वर्ष 2021-22)**

आलोच्य वर्ष 2021-22 में लेवर सेस मद की धनराशि रू० 128775.00 राजकीय कोष में जमा कराया जाना चाहिये जबकि ऐसा न करके संस्था द्वारा अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार श्री कन्हैया चौधरी व खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज तिवारी/श्री सुनील सिंह उत्तरदायी रहें। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 17**

प्रस्तर संख्या - 21 क्षेत्र पंचायत दुद्धी (वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष 2021-22 के वर्षान्त में क्षेत्र पंचायत दुद्वी में चतुर्थ राज्य वित आयोग. पंचम राज्य वित आयोग तथा 15वाँ वित्त आयोग मद में कमशः रू० 2560564.00 व रू० 17235673.00 तथा रू० 20500280.00, इस प्रकार कुल रू० 40296517.00 धनराशि अवशेष रही । जिसे वर्षान्त में अप्रयुक्त रहने की दशा में शासन को वापस किया जाना चाहिये परन्तु जबकि ऐसा न करके संस्था द्वारा अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार श्री कन्हैया चौधरी व खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज तिवारी/श्री सुनील सिंह उत्तरदायी रहें। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 18**

प्रस्तर संख्या - 22 क्षेत्र पंचायत करमा
(वर्ष 2021-22)

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1719/33-3 2010-48/2007 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर 2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के आधे भाग तक यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायत को स्वयं की एवं हस्तांतरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन केन्द्र आदि के मरम्मत एवं रख रखाव पर आवश्यक व्यय किया जाय। शेष आधे भाग की धनराशि को एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाली पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत करमा वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा की जाँच में राज्यवित्त एवं 15वाँ वित्त की उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश का पालन किये बिना ही निम्नलिखित कार्यों में केवल एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये गये। जबकि उपरोक्त शासनादेश में एक से अधिक ग्रामों को आच्छादित करने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जाने का निर्देश था। धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा। जो विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	वर्ष	कार्य का नाम	भुगतान की गई धनराशि
1	2021-22	ग्राम पंचायत मगरहा में रामनरेश के घर के पास नाला में पुलिया निर्माण	480189.00
2	2021-22	ग्राम पटेहरा में राम लाल मौर्या के घर के पास पेय जल टंकी एवं सोलर पम्प अधिष्ठापन	439719.00
3	2021-22	ग्राम पंचायत सिरसिया ठकुराई में लोहर तलिया में यदुनाथ के घर से नरेश के घर तक पक्की नाली निमार्ण कार्य	222687.00
4	2021-22	ग्रामपंचायत बागपोखर कलैनी में रामकिसुन के घर से राम टहल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	619316.00

5	2021-22	ग्राम पंचायत कमहरिया में बोधिसत्व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से लालमणि शर्मा के घर तक पक्की नाली निर्माण	159627.00
	योग		**1921538.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में कराये गये हैं जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्थल पर उपरोक्त कार्य पूर्व में न कराये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे कार्यों के दोहराव / पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रू० 1921538.00 का व्यय शासनादेश का उल्लंघन करते हुए किया गया है। जिसके लिए संयुक्त रूप से तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री शेषनाथ चौहान एवं श्री शुभम बरनवाल तथा लेखाकार श्री बृजभूषण यादव उत्तरदायी रहें। उपरोक्त व्यय में शासनादेश का उल्लंघन एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
सामान्य आपत्ति संख्या - 02

प्रस्तर संख्या - 23 **क्षेत्र पंचायत करमा**
(वर्ष 2021-22)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर सेकेण्ड व थर्ड के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न मदों में क्रमशः रू० रू० 8840331.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष रू० 4620565.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी जो मुख्यतः राज्य वित्त एवं केन्द्रीय / पंन्द्रहवाँ वित्त योजना के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है। शेष व्ययों जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित हैं इनकी पुष्टि में कोई पत्रावली या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में रूपया 4219766.00 के किये गये व्यय से सम्बन्धित वाछिंत अभिलेख / पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया एवं व्ययों की पुष्टि नहीं कराई गई। इस प्रकार रू० 4219766.00 का व्यय अपुष्टिकृत होने के कारण किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी, खण्ड विकास अधिकारी श्री शेषनाथ चौहान एवं श्री शुभम बरनवाल तथा लेखाकार श्री बृजभूषण यादव उत्तरदायी रहें। इस प्रकरण की तरफ विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	**मद का नाम**	**अनुदान पंजी-3 के अनुसार अप्राप्त अभिलेखों की व्यय की धनराशि**
1	राज्य वित्त आयोग	326485.00
2	पंद्रहवाँ केन्द्रीय वित्त आयोग	304642.00
3	पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021	765000.00
4	सांसद निधि	66860.00
5	विधायक निधि	2756779.00
सम्पूर्ण योग -		**4219766.00**

सामान्य आपत्ति संख्या - 03

प्रस्तर संख्या - 24 **क्षेत्र पंचायत नगवां**
(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों व ग्रांट रजिस्टर 2 एवं 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 97720.00 आयकर कटौती संस्था के पास शेष है। नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है । नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार मे जमा कराया जाना अपेक्षित है। यह भी आपत्तिजनक रहा कि आयकर कटौती का उल्लेख ग्रांट रजिस्टर 3 में नहीं किया गया है, जबकि इसे अनिवार्य रूप से ग्रांट रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख- श्री आलोक कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी श्री 1- राम शिरोमणि मौर्या 2- श्री मो० तारिक 3- श्री अरुण कुमार 4- राकेश सिंह तथा लेखाकार श्री चंद्रकांत द्विवेदी उत्तरदायी रहें। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

प्रस्तर संख्या - 25 **क्षेत्र पंचायत नगवां**
(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों व ग्रांट रजिस्टर 2 एवं 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 80981.00 जीएसटी कटौती संस्था के पास शेष है । नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को राजकीय कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। यह भी आपत्तिजनक रहा कि जीएसटी कटौती का उल्लेख ग्रांट ग्रांट रजिस्टर 3 में नहीं किया गया है, जबकि इसे अनिवार्य रूप से ग्रांट रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए । जिसके लिए ब्लाक प्रमुख- श्री आलोक कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी श्री 1- राम शिरोमणि मौर्या 2- श्री मो० तारिक 3- श्री अरुण कुमार 4- राकेश सिंह तथा लेखाकार श्री चंद्रकांत द्विवेदी उत्तरदायी रहें। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 03**

प्रस्तर संख्या - 26 **क्षेत्र पंचायत नगवां**
(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर 2 एवं 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू० 2979.00 कुल लेबर सेस कटौती की गई है तथा वर्षांत में कुल रू० 46794.00 लेबर सेस कटौती संस्था के पास शेष है। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रवलियों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल रू० 49161.00 लेबर सेस कटौती की गई है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 को संस्था के पास कुल रू० 92976.00 (49161+46794-2979) लेबर सेस कटौती शेष है । नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में जमा करा दिया जाना

चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख- श्री आलोक कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी श्री 1- राम शिरोमणि मौर्या 2- श्री मो० तारिक 3- श्री अरुण कुमार 4- राकेश सिंह तथा लेखाकार श्री चंद्रकांत द्विवेदी उत्तरदायी रहें। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 04

प्रस्तर संख्या - 27 **क्षेत्र पंचायत नगवां**

(वर्ष 2021-22)

लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2021-22 के अनुदान पंजिका तृतीय की जांच में पाया गाया कि 12वें/13वें वित्त आयोग की धनराशि रू० 603520.00 मौजूद है, जो विगत कई वर्षों से यथावत है। नियमानुसार प्राप्त धंराशियों उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए व अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए। किसी अपरिहार्य स्थिति में उपभोग कर पाना संभव न हो तो आगामी वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ली जानी चाहिए । इस प्रकार लम्बे समय तक राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि को सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर केन्द्रीय वित्त आयोग के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए । जिसके लिए ब्लाक प्रमुख- श्री आलोक कुमार सिंह , खण्ड विकास अधिकारी श्री 1- राम शिरोमणि मौर्या 2- श्री मो० तारिक 3- श्री अरुण कुमार 4- राकेश सिंह तथा लेखाकार श्री चंद्रकांत द्विवेदी उत्तरदायी रहें। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 05

प्रस्तर संख्या - 28 **क्षेत्र पंचायत चोपन**

(वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों व ग्रांट रजिस्टर 2 एवं 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 145979.00 आयकर कटौती संस्था के पास शेष है। नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है । नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार मे जमा कराया जाना अपेक्षित है। यह भी आपत्तिजनक रहा कि आयकर कटौती का उल्लेख ग्रांट रजिस्टर 3 में नहीं किया गया है, जबकि इसे अनिवार्य रूप से ग्रांट रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-1-श्री सुनील सिंह , 2-श्री मनीष मिश्र , लेखाकार-श्री रण बहादुर यादव से समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 02

प्रस्तर संख्या - 29 क्षेत्र पंचायत चोपन (वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों व ग्रांट रजिस्टर 2 एवं 3 की जांच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल रू० 145979.00 जी०एस०टी० कटौती संस्था के पास शेष है। नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि को राजकीय कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार मे जमा कराया जाना अपेक्षित है। यह भी आपत्तिजनक रहा कि जीएसटी कटौती का उल्लेख ग्रांट रजिस्टर 3 में नहीं किया गया है, जबकि इसे अनिवार्य रूप से ग्रांट रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-1-श्री सुनील सिंह , 2-श्री मनीष मिश्र , लेखाकार-श्री रण बहादुर यादव से समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 03

प्रस्तर संख्या - 30 क्षेत्र पंचायत चोपन (वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर 2 एवं 3 की जांच में पाया गया कि दिनांक 01.04.2021 को संस्था के पास कुल लेबर सेस रू० 11014.00 शेष था । वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू० 270733.00 लेबर सेस काटा गया तथा दिनांक 31.03.2022 को संस्था के पास रू० 111520.00 लेबर सेस शेष रहा । इस प्रकार रू० 170227.00 लेबर सेस जमा किया गया है परन्तु इससे सम्बन्धित कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उक्त जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। नियमानुसार वर्षांत में इस धनराशि रू० 111520.00 को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-1-श्री सुनील सिंह , 2-श्री मनीष मिश्र , लेखाकार-श्री रण बहादुर यादव से समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 04**

प्रस्तर संख्या - 31 क्षेत्र पंचायत चोपन (वर्ष 2021-22)

लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2021-22 के अनुदान पंजिका द्वितीय एवं तृतीय की जांच में पाया गाया कि, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि मद से रू० 11927351.00 तथा सांसद स्थानीय विकास निधि मद से रू० 3098255.00 आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा दल द्वारा मांगे जाने पर उक्त दोनों मदों के अंतर्गत कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की पत्रवलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।। पत्रवलियों को लेखा परीक्षा दल के प्रस्तुत नहीं किया जाना, निर्माण कार्यों में संलिप्त वित्तीय अनियमितता या गबन को छुपाने का प्रयास भी हो सकता है। इस प्रकार पत्रवलियों के अभाव में ये ज्ञात नहीं हो पाया कि उक्त व्यय नियमानुसार किए गए हैं या नहीं तथा उक्त के अभाव में किए समस्त व्यय रू० 15025606.00 अनियमित है जिसके लिए

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-1-श्री सुनील सिंह , 2-श्री मनीष मिश्र , लेखाकार-श्री रण बहादुर यादव से समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 05

प्रस्तर संख्या - 32 क्षेत्र पंचायत राबर्टसगंज (वर्ष 2021-22)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान टेण्डर बिक्री से प्राप्त धनराशि में से रू० 1113775.00 के व्यय के सापेक्ष कोई अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये । इस प्रकार पत्रावली या अभिलेखों के अभाव ये व्यय पुष्टिकृत नही हो सके और ये व्यय अनियमित हैं। मूल अभिलेखों के साथ इस व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री पीयूष राय, श्री नीरज कुमार तिवारी एवं उमेश सिंह लेखाकार-श्री कृपा शंकर पाण्डेय (प्रशासक) एवं श्री अजित रावत से समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

प्रस्तर संख्या - 33 क्षेत्र पंचायत राबर्टसगंज (वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि, वर्ष 2021-22 के अंत में कुल रू० 403235.00 की जी०एस०टी० व आयकर कटौती की धनराशि संस्था के पास है एवं इसे राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है । जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री पीयूष राय, श्री नीरज कुमार तिवारी एवं उमेश सिंह लेखाकार-श्री कृपा शंकर पाण्डेय (प्रशासक) एवं श्री अजित रावत से समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 03

प्रस्तर संख्या - 34 क्षेत्र पंचायत राबर्टसगंज (वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2021-22 के अंत में कुल रू० 48835.00 की लेबर सेस कटौती की धनराशि को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण के खाते में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार राजकीय धन को रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी- श्री पीयूष राय, श्री नीरज कुमार तिवारी एवं उमेश सिंह लेखाकार-श्री कृपा शंकर पाण्डेय (प्रशासक) एवं श्री अजित रावत से समान रूप से उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उक्त धनराशि को अविलम्ब राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 04

प्रस्तर संख्या - 35 क्षेत्र पंचायत कोन (वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कुल (04) चार परियोजनाओं पंचम राज्य वित एवं केंन्द्रीय वित आयोग योजना का कार्य आरम्भ करके वर्षान्त तक उसपर रू० 1369297.00 व्यय का पूर्ण न कर अनियमितता की गई है जिसके लिए संस्था के लेखाकार, जे०ई० लघु सिंचाई व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहें। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	हस्तगत कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	31.03.2022 तक व्यय	वर्षान्त में शेष
1	ग्राम पंचायत बागेसोती में दुवरिया में शिव स्थान पर चबूतरा निर्माण।	3.30 लाख	5600.00	324400.00
2	ग्राम पंचायत देवाटन में अस्थायी क्षेत्र पंचायत कोन का कायाकल्प।	9.99 लाख	631415.00	367585.00
3	ग्राम पंचायत देवाटन में अस्थायी क्षेत्र पंचायत कोन का मेनगेट का चौडीकरण।	8.00 लाख	294723.00	505277.00
4	ग्रामपंचायत कचनरवां में लैचू उरांव घर से सुकुरती उरांव के घर तक ईन्टरलॉकिंग कार्य।	9.88 लाख	437559.00	550441.00

आपत्ति संख्या - 17

प्रस्तर संख्या - 36 क्षेत्र पंचायत- बभनी (वर्ष 2021-22)

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1719/33-3 2010-48/2007 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर 2010 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के आधे भाग तक यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायत को स्वयं की एवं हस्तांतरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन केन्द्र आदि के मरम्मत एवं रख रखाव पर आवश्यक व्यय किया जाय। शेष आधे भाग की धनराशि को एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाली पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत करमा वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा की जाँच में राज्यवित्त एवं 15वाँ वित्त की उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश का पालन किये बिना ही निम्नलिखित कार्यों में केवल एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये गये। जबकि उपरोक्त शासनादेश में एक से अधिक ग्रामों को आच्छादित करने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जाने का निर्देश था।विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	वर्ष	कार्य का नाम	भुगतान की गई धनराशि
1	2021-22	ग्रा०पं.भलपहरी में सीसी रोड निर्माण धनई विश्वकर्मा के घर से सन्तराम के घर तक	685295.00
2	2021-22	ग्रा०पं० घघरा में सीसी रोड निर्माण बालकुमार खरवार के घर से भगवान दास के घर तक	300390.00
3	2021-22	ग्रा०पं० चौना सीसी रोड निर्माण पक्की सड़क से मटुरन अगरिया के घर तक	611937.00
4	2021-22	ग्रा०पं० भलपहरी में सीसी रोड निर्माण हीरा जायसवाल के घर से लालता जायसवाल के घर तक	322452.00
5	2021-22	सी०सी०रोड निर्माण हीरालाल बैगा के घर से रामदयाल के घर तक ग्रा०पं० जिगनहवां में।	539878.00
6	2021-22	ग्रा०पं० घघरी में पुलिया निर्माण कार्य सलैमा टोला बंधी पर	379538.00
7	2021-22	ग्रा०पं० घघरी में सीसी रोड निर्माण गिरधारी गुप्ता के घर से काशीराम गुप्ता के घर तक	475864.00
8	2021-22	ग्रा०पं० चपकी में सीसी रोड निर्माण डब्लूबीएम सड़क से श्री गोविन्द वियार के घर तक	475266.00
9	2021-22	ग्रा०पं० घघरा में सीसी रोड निर्माण रामाशंकर गोंड के घर से रामविचार के घर तक	320847.00
पंचम राज्य वित्त			
10	2021-22	ग्रा०पं० में डुमरहर में सीसी रोड निर्माण डमरहर मेन रोड से इदगाह तक	728687.00
11	2021-22	ग्रा०पं० बभनी में सीसी रोड निर्माण मुनसखान के घर से रामसेवक के घर तक	732113.00
12	2021-22	ग्रा०पं० डुमरहर में सीसी रोड निर्माण ग्रामीण रोड से रफीउल्लाह के घर तक	386429.00
13	2021-22	ग्रा०पं० खोतो महुआ में सीसी रोड निर्माण पक्की सड़क से शिवनाथ के घर तक	682029.00
		योग	**6640725.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में कराये गये हैं जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथ ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त स्थल पर उपरोक्त कार्य पूर्व में न कराये जाने सम्बन्धी प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे कार्यों के दोहराव / पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रू० 6640725.00 का व्यय शासनादेश का उल्लंघन करते हुए किया गया है। जिसके लिए संयुक्त रूप से तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती बेबी सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री रवि कुमार एवं लेखाकार श्री कन्हैया लाल उत्तरदायी रहे। उपरोक्त व्यय में शासनादेश का उल्लंघन एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

प्रस्तर संख्या - 37 क्षेत्र पंचायत- बभनी (वर्ष 2021-22)

आलोच्य वर्ष 2021-22 ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार रायल्टी कटौती की धनराशि रू० 82832.00, 1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक अवशेष के रूप में अंकित है। इस मद में वर्ष में कोई भी प्राप्ति व जमा दर्शित नहीं है तथा 31 मार्च 2022 को अंतिम अवशेष के रूप में रायल्टी की धनराशि रू० 82832.00 यथावत पड़ी रही अर्थात् रायल्टी की धनराशि को वर्ष पर्यन्त रोक कर रखा जाना एवं राजकीय कोष में जमा न कराया जाना एक गंभीर वित्तीय अनिमितता है। जिसके लिए तत्कालीन खं०वि०अधि० श्री रविकुमार एवं लेखाकार श्री कन्हैया लाल उत्तरदायी रहें। इस ओर विभायगीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।
सामान्य आपत्ति संख्या - 03

प्रस्तर संख्या - 38 क्षेत्र पंचायत- बभनी (वर्ष 2021-22)

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर 2 व 3 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न मदों में क्रमशः रू० 19811678.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष रू० 7584492.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी जो मुख्यतः राज्य वित्त एवं केन्द्रीय/पंन्द्रहवाँ वित्त योजना के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है। शेष व्ययों जो अन्य योजनाओं से सम्बन्धित हैं इनकी पुष्टि में कोई पत्रावली / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में रूपया 12227187.00 के किये गये व्यय से सम्बन्धित वांछित अभिलेख/पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया एवं व्ययों की पुष्टि नहीं कराई गई। इस प्रकार रू० 12227187.00 का व्यय अपुष्टिकृत होने के कारण किया गया भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती बेबी सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री रवि कुमार तथा लेखाकार श्री कन्हैया लाल उत्तरदायी रहें। इस प्रकरण की तरफ विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	मद का नाम	अनुदान पंजी-3 के अनुसार अप्राप्त अभिलेखों की व्यय की धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग	6341131.00
2	पंद्रहवाँ केन्द्रीय वित्त आयोग	2855635.00
3	विधायक निधि	1085536.00
4	ब्याज	97986.00
5	ब्लाक मिशन प्रबन्धन ईकाई	19668.00
6	कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गार्ड रूम	268695.00
7	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	969000.00
8	पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021	53980.00
9	सांसद निधि (राज्य सभा)	435785.00
10	टेण्डर फार्म बिक्री / फर्म पंजीयन	99771.00
	सम्पूर्ण योग -	**12227187.00**

सामान्य आपत्ति संख्या - 04